दश माला, खंड 29, अंक 15

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2002
19 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3....54......
Date.....3/7/03.....

(खण्ड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 15, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2002/19 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर 9 दिसम्बर, 2002 को नई दिल्ली में हुए हमले के बारे में	1-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 301	29-123
अतारांकित प्रश्न संख्या 3087 से 3316	123-507
सभा पटल पर रखे गए पत्र	508-516
राज्य सभा से संदेश	516
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
छिहत्तरवां से तिरासीवां प्रतिवेदन	517
देश में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में दिनांक 16 जुलाई, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण	518
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	519
कार्य मंत्रणा समिति के चौवालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	520
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2002-2003	520
सेंटूर होटल के विनिवेश के बारे में	521-529
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उड़ीसा के क्योंझर जिले में मैंगनीज और लौह अयस्क के अवैध खनन तथा तस्करी को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	541
(दो) लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डब्ल्यू एल एल प्रणाली के साथ टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
प्रो. दुखा भगत	542

विषय	कॉलम
(तीन) जैसलमेर-बाड़मेर कांडला रेल लाइन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी .	542
(चार) क्वीलोन-विरुदुनगर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडीकुनील सुरेश . .	543
(पांच) नागपुर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	543
(छह) बोनस अधिनियम के अंतर्गत बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां . . .	544
(सात) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-जल स्तर में आ रही गिरावट को रोकने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवाजी माने	544
(आठ) उत्तर प्रदेश में बांदा और चित्रकूट जिलों में सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा ड्रिलिंग आपरेशन पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	545
(नौ) तमिलनाडु में श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर के अधिग्रहण के भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रस्ताव को छोड़ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री डी० वेणुगोपाल	545
(दस) उड़ीसा में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत और अधिक लोगों को लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	546
(ग्यारह) बिहार में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत परियोजना पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चन्द्र यादव.	547
सरकारी विधेयक—*पारित*	
(एक) कम्पनी (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जसवंत सिंह	547

विषय	कॉलम
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	548
श्री बिक्रम केशरी देव	556
श्री रूपचन्द पाल	556
डा० बी०बी० रमैया	562
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	564
श्री खारबेल स्वाइं	567
श्री चन्द्रकांत खैरे	568
खण्ड 2 से 122 और 1	576
पारित करने के लिए प्रस्ताव	612
(दो) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जसवंत सिंह	612
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	613
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	615
श्री मोइनुल हसन	618
श्री बिक्रम केशरी देव	619
श्री संतोष मोहन देव	621
श्री प्रबोध पण्डा	622
खण्ड 2 और 1	624
पारित करने के लिए प्रस्ताव	626
(तीन) सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वेद प्रकाश गोयल	636
श्री रमेश चेन्नितला	630
श्री अनादि साहू	633
श्री वरकला राधाकृष्णन	636

विषय	कॉलम
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	639
खण्ड 2 से 14 और 1	644
पारित करने के लिए प्रस्ताव	644
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
किसानों के 9 दिसम्बर, 2002 को हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की कथित ज्यादती की जांच करने हेतु समिति का गठन	644
उप-प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर हुए हमले का मुद्दा	645-662

लोक सभा

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2002/19 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर 9 दिसम्बर, 2002 को नई दिल्ली में हमले के बारे में

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, दिल्ली पुलिस ने माननीय सदस्य श्री डी०पी० यादव को निर्दयता से पीटा था। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री सभा में आकर इसे स्पष्ट करें...*(व्यवधान)* गृह मंत्री को आकर स्पष्ट करना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है। माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को पुलिस ने निर्दयता से पीटा है। गृह मंत्री को शुरू में ही सभा में आ जाना चाहिए था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी का एडजार्नमेंट मोशन मेरे पास आया है। उन्होंने कहा है कि उनको पुलिस ने मारा है। लाठी चार्ज हुआ है। जब श्री डी.पी. यादव जी ने यह बात कही, तो मैंने होम मिनिस्टर से विनती की है कि वे जीरो आवर में सदन में आयें। जीरो आवर में आपको जो कुछ कहना है, कहिए। उसका उत्तर आपको जीरो आवर में मिल सकता है।

(व्यवधान).

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को सभा के समक्ष आने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह 'शून्य काल' का मुद्दा नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि जब कि पुलिस ने माननीय सदस्य को निर्दयता से पीटा है, फिर भी यह सरकार चुप बैठी हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह एक गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक गंभीर मामला है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पुलिस ने संसद सदस्य को बुरी तरह से पीटा है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो सकते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गृह मंत्री कहां हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं श्री डी०पी० यादव से मिला हूं। दन्होंने मुझे बताया है कि कल जब पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी तब पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा था। मैंने तत्काल गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि यदि गृह मंत्री यहां नहीं हैं तो गृह राज्य मंत्री सभा में आएं। मैं चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य बोलें तब मंत्री महोदय भी उनकी बात सुनें। मंत्री महोदय यहां हैं। उनके लिए इस समय उत्तर देना वास्तव में कठिन है।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : उन्हें शुरू में ही सभा के समक्ष आकर घटना के बारे में बताना चाहिए था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया बैठ जाइए। अतः, मुझे भी पता चले कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती है। श्री प्रमोद महाजन यहां हैं। मंत्री महोदय भी यहां हैं। यदि वे इस मामले पर तत्काल उत्तर देने हेतु तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि वे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वे इस संबंध में उन्हें क्या कहना है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जानकारी श्री डी०पी० यादव के पास है। वे स्वयं यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी सभा के समक्ष अपनी बात रखेंगे। गृह मंत्री भी सभा में बोलेंगे और उनके बाद ही मैं बता सकता हूं कि क्या करना होगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, हम जानकारी प्राप्त करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कहना है, उसकी इजाजत मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मंत्री महोदय को सूचना के साथ तैयार रहना चाहिए। तभी वे सभा को सूचना दे सकते हैं। आपकी सूचना उन्हें भेज दी गई है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मंत्री महोदय सभा में उपस्थित हैं इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सभा के सामने जो कुछ कहना चाहते हैं, कह दें। श्री डी०पी० यादव, कृपया आप भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, 26 लोग घायल हुए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कहने की इजाजत दे रहा हूं। आपको जो कहना है, कहिए।

[अनुवाद]

मैंने माननीय सदस्य को अब बोलने की अनुमति दी है। उन्हें बोलने दीजिए। अन्य सभी को उनकी बात सुननी चाहिए। इसके बाद मंत्री महोदय जो भी उत्तर देना चाहें, दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विषय की गंभीरता को समझते हुए बोलने का मौका दिया। मुझे इतना दर्द है कि मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता, लेकिन जो घटना घटी है, उसका सिर्फ एक चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कार्यवाही तो सरकार को करनी है। मैंने बिहार नवनिर्माण मोर्चा के लिए सभी दलों के एमपीज़ को लिखा था और खास कर बिहार के सभी नेताओं को पत्र लिखा था। मैंने इस संदर्भ में कहा था कि हम नौ दिसम्बर को 12 बजे संसद मार्च निकालेंगे, जो बिहार के बाढ़ एवं सुखाड़ से पीड़ित किसान से संबंधित है, क्योंकि बिहार में छः महीने बाढ़ और सुखाड़ रहता है, उनके स्थाई समाधान के लिए यह आयोजित था। झारखंड अलग होने के बाद बिहार की बदहाली और आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, नार्थ-ईस्ट से भी ज्यादा खराब हो गई है।

महोदय, नेपाल से जो नदियां निकलती हैं, उनसे करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो रही है और सारी सड़कें वहां टूट गई हैं। आपने बाढ़ के समय में देखा होगा। हम राहत की मांग नहीं कर रहे थे और न ही हम बिहार के लिए कोई आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप नेपाल-भारत की जो वार्ता सन् 2001 में हुई, उसके मुताबिक सात जगह संयुक्त परियोजना कार्यालय खुलना है, जिससे हाई लेवल डैम या बड़ा बांध बना कर और इरीगेशन फैसिलिटी निकाल कर स्थाई समाधान की मांग थी। हम लोगों ने कल जब 12 बजे प्रदर्शन शुरू किया। संसद भवन के सामने, जो सर्वोच्च लोकतंत्र की संस्था संसद है. इसके सामने संसद मार्ग है, जंतर-मंतर है। वहां जब हम लोग पहुंचते हैं, यह बात ठीक है कि भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि बिहार से लोग गाड़ियों पर चढ़ कर यहां पहुंचे थे। यहां भी जो पूर्वांचल और बिहार के लोग दिल्ली में हैं, खुराना जी यहां पर हैं, सभी लोग सड़कों पर थे। बिहार के तमाम किसान, जिनके घर डूब रहे हैं, जिनकी मां-बहनों की आंखों में हर साल आंसू आते हैं, वे जब यहां आए तो उनके साथ बेरहमी और

निर्दयता का व्यवहार किया गया, जैसे कोई बाहर का आदमी आ गया हो। महोदय, क्या हम किसानों की मांगें भी नहीं उठा सकते? लोकतंत्र में पहले चेतावनी देनी चाहिए। हमारे आवास से तीन आदमियों को गलत केस बना कर गिरफ्तार किया गया। इस समय वे घायल हैं। इनकी मेडीकल रिपोर्ट है, जो मेडीकल लीगल केस बनता है, उनकी रिपोर्ट मेरे पास है, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके सुबह नौ बजे थाने में ले गई है।

महोदय, हमारे लगभग सौ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 36 गंभीर रूप से घायल हैं। मितिहरवा आश्रम, पश्चिमी चम्पारण से 2200 कि०मी० से चल कर, गांधी जी के दर्शन को मानते हुए, पदयात्रा करते हुए बिहार के पूर्व मंत्री, श्री हिंद केसरी यादव जब बेहोश हो गए तो मैंने उनके दांतों में अंगुली डाली ताकि वह किसी तरह बच जाएं। उसी समय मेरे ऊपर लाठी चली। मेरा पीएसओ, कर्ण सिंह अभी भी छटपटा रहा है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। उसके हाथ और पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है, क्योंकि वह मुझे बचा रहा था। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। वह दिल्ली पुलिस का ही आदमी है, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर है। उसी की वजह से मैं बचा हूं। मेरे हाथ में लाठी लगी है, आप देख सकते हैं, मैं इसे मूव नहीं कर सकता हूं। पैरों की स्थिति मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, इनमें तो जान ही नहीं है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। मेरी सारी धोती फटी हुई थी। वाटर केनिंग बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था।

महोदय, मैं 27 साल से राजनीति में हूं और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करता आया हूं, मैंने इस तरह की बर्बरता और कठोर कार्य आज तक कहीं नहीं देखा। बिहार और पूर्वांचल के बाढ़ से पीड़ित किसानों, नौजवानों और विधायकों की हालत ऐसी हो गई है, आज हमारे दो विधायक घायल हैं–श्री राम आशीष यादव और राम कुमार यादव। ये बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। हम लोग सरकार के घटक दल है। हम पर जब लाठी चली तो ये हमें बचाने के लिए आए, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी वाला क्षत-विक्षत हो गया था, उन्हें लाठी से मार कर पूरा घायल कर दिया था।

उसके बाद एमएलए साहब आये, उनकी भी हालत खराब है और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। सन् 1974 से राजनीति और आंदोलन में हम रहे हैं लेकिन ऐसा लाठी-चार्ज हमने पहले नहीं देखा। एक साथ तीनों चीजें होती हमने देखीं। गृह राज्य मंत्री जी यहां हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनोज लाल जो डीसीपी है वह मेरे पास हाथ जोड़कर आया कि आप घायल हो गये हैं अब हमें किसी तरह से बचाइये। मैंने कहा कि तुम्हारी पांच सौ पुलिस और मेरे पचास हजार लोग, क्या आप डर गये हैं? इस हालत में भी मैं माइक पर गया और उनके कहने पर बोला कि रोड़े फैंकना बंद कीजिए। रोड़े इसलिए चले क्योंकि पुलिस ने पहले पांच रोड़े मारे। मेरी महिला कार्यकर्ता तीर्था देवी, उम्र 50 वर्ष का जब सिर फूट गया और पता चला कि बिहार नवनिर्माण मोर्चा के अध्यक्ष एवं एमपी खून से लथपथ हैं तो उन लोगों में गुस्सा भड़का। प्रदर्शनकारी उग्र हुए क्योंकि पांच रोड़े पुलिस ने पहले चलाए। एक नाम है विन्देश्वर, जिसके सिर में दस टांके लगे हैं। पांच रोड़े जब प्रदर्शनकारियों पर लगे तो वे उग्र हो गये और उन्होंने भी पत्थर फैंकना आरम्भ किया। सड़क पर पत्थर नहीं था, पत्थर तो पुलिस ने जमा करके रखे थे कि प्रदर्शनकारियों का इलाज हर तरह से किया जाएगा। हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि जब पत्थर पुलिस ने फैंके तो लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग के सामने ऑफिस में जो पत्थर रोड पर लगा रहता है उसको तोड़ दिया और रोड़ा फैंकने लगे। पुलिस परेशान हो गयी कि अब तो सारी पुलिस मार खाएगी। डीसीपी को हमने कहा कि तुम तो बिहार के हो, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। शांतिपूर्ण लोगों की पिटाई शुरू कर दी और अब लोगों को रोकने के लिए माइक पर बोलने के लिए मुझसे कहते हो। कहने लगे कि आप बोलेंगे तभी लोग रुकेंगे। हमें घायल हालत में उठाकर कहने लगा कि बोलो। मैं तो 1977 से राजनीति में हूं और अहिंसावादी हूं। मैंने पुलिस के माइक से, जिसका फोटो है और अगर आप चाहें तो मैं वीडियो पेश कर सकता हूं। मैंने पुलिस के हैंड-माइक से कहा कि भाइयों, अब तुम जो रोड़ा चलाओगे वह मुझे लगेगा। मेरा हाथ में चोट है, पैर में चोट है, अब क्या सिर फुड़वाओगे? पुलिस से पहले तुम्हारा रोड़ा मैं खाऊंगा। मेरे पांच मिनट कहने के बाद रोड़े बंद हुए हैं।

यह डीसीपी का नैतिक साहस है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि किस तरह से डीसीपी गिड़गिड़ा रहे थे। कहां था तब प्रशासन? हमने प्रधान मंत्री जी के प्रभारी मंत्री जी को हाथ में लिखकर यह सूचना दी कि आप शिष्ट मंडल को मिलने के लिए, जो बिहार से किसान आ रहे हैं इतनी संख्या में, बाढ़ सूखाड़ के स्थाई समाधान के लिए समय दें। जितने भी आप आदमी चाहेंगे उतने ही शिष्ट मंडल में मिलेंगे। माननीय विजय गोयल के हाथ में मैंने तीन तारीख को लिखकर दस्तखत करा लिया था। उन्होंने कोई एहतियाती कार्रवाई नहीं की और न ही सूचित किया कि आपसे मिलना है या नहीं मिलना है या हम ही आपसे ज्ञापन संसद मार्ग पर ले लेंगे। ज्ञापन लेने की बराबर परिपाटी है, लिया जाता रहा है। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हमने वहां भी पूछा कि कोई मैमोरेंडम लेने के लिए सूचना आई है लेकिन हमें कहा गया कि ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन अगर आप ज्ञापन देना चाहते हैं तो पुलिस को दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र प्रसाद जी, अभी मंत्री जी और गृह मंत्री जी यहां हैं। विषय बहुत गंभीर है। आपने बता दिया कि आपको लाठी-चार्ज में कैसे मारा गया है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से चाहता हूं कि वे इस विषय पर अगर आपका निवेदन समाप्त हो गया हो तो जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार बातें कहना चाहता हूं। संसद मार्च के लिए आये हुए बिहार के बाढ़-सूखाड़ पीड़ित किसान थे और जिनकी 9 सूत्री मांगें थी। क्या लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रदर्शन और रैली निकालने का हमें अधिकार नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार हैं क्या वे अधिकार हमें नहीं थे? हमारा जुलूस और प्रदर्शन शांतिपूर्ण था जो कैमरे में भी कैद होगा। इतना ही नहीं है ऐसा अश्रु-गैस, लाठी चार्ज और वाटर-कैनन एक साथ चलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। वाटर कैनन में काफी फोर्स थी, हम लोग 10-10 फीट पीछे आ रहे थे। मेरा कहना है कि क्या संविधान में हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या पुलिस की परिपाटी रही है कि एक साथ वाटर-कैनन, अश्रुगैस, रोड़े और लाठी चार्ज करे? ऐसा मैंने 27 साल के अपने संसदीय जीवन में नहीं देखा। सब एक साथ चला, मेरी आंखों के सामने चला और मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। डीसीपी ने मना किया, उसके सामने भी चला। उसने भी कहा कि अश्रुगैस क्यों चला रहे हो? कोई नहीं मान रहा था। पुलिस निरंकुश हो गयी थी जो एक साथ चारों चीजों चल रही थीं। जिन-जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की मेरे पास मैडीकल रिपोर्ट है। गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। इस घटना की सदन की एक समिति से निष्पक्ष जांच करा दी जाए। पूरी तरह से जांच हो जाए और गृह मंत्री जी के पास जो भी तथ्य हों वे सदन को उन तथ्यों से अवगत करावें। मैं माननीय गृह मंत्री जी से स्पष्ट बयान की मांग करता हूं और चाहता हूं कि सदन की सर्वदलीय समिति बने, जो सारी घटना की जांच करे। यह मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मेरे पास 4 माननीय सदस्यों के नोटिस हैं। रघुवंश प्रसाद जी, देवेन्द्र प्रसाद जी का निवेदन हो गया। रामजी लाल सुमन जी की भी नोटिस है और रघुनाथ झा साहब का भी नोटिस है। प्रभुनाथ सिंह जी का भी नोटिस हमारे पास है। माननीय संसद सदस्यों ने जो निवेदन किया है, मैं नहीं जानता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस निवेदन पर क्या कहना चाहते हैं लेकिन मैं सब को इस विषय से एसोसिएट करता हूं और गृह मंत्री जी से कहता हूं कि वे जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, जब सत्ता पक्ष के सहयोगियों के साथ यह हाल हो रहा है तो विपक्ष के साथ यह क्या बर्ताव करेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सदस्य के सम्मान का प्रश्न नहीं है अपितु यह पूरी सभा के सम्मान का प्रश्न है। सरकार की पूरी जानकारी में होने तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को अग्रिम सूचना देने के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से माननीय सदस्य के साथ व्यवहार किया, वह शर्मनाक है। पूरी सभा इसकी निंदा करती है...*(व्यवधान)* हम इसे हल्के ढंग से नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह मामला पूरी सभा के सम्मान से संबंधित है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : जब सत्ता पक्ष के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो विपक्ष का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है वे दो-दो मिनट में अपना निवेदन करें। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बाढ़ और सूखाड़ के स्थाई समाधान के लिए बिहार के मितिहरवा आश्रम से किसान चलकर आये थे। बाढ़-सूखाड़, जल-जमाव से जो लोग पीड़ित हैं।

इसके खिलाफ और बाढ़ मुक्ति आन्दोलन के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां माननीय देवगौडा जी, श्री राजो सिंह, श्री रघुनाथ झा, कैप्टन जयनारायण निषाद सभी माननीय सदस्यगण थे। वहां जाने से पता लगा कि सौ से ज्यादा किसानों पर इनडिसक्रिमिनेट लाठीचार्ज हुआ। हमने ऐसा जुल्म पहले कभी देखा नहीं था। इस आन्दोलन का नेतृत्व श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव कर रहे थे। उनकी मार-मार कर लात तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए जिससे वे किसान भी घायल हो गए जो वहां पैदल चलकर आए थे। श्री हिन्द केसरी यादव पर जानलेवा हमला हुआ। वह अस्पताल में बेहोश पड़े हैं और जीवन-मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह से रामशीष यादव, श्री रामकुमार यादव जो पूर्व एमएलए और मंत्री थे, उन सब को और महिलाओं को घसीट कर पीटा गया। पुलिस ने कतार तोड़ दी। इस तरह का अंधेर जुल्म उन किसानों पर लाठी मार कर हुआ जिस का नेतृत्व माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव, जो इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, कर रहे थे।

ऐसा अंधेर जुल्म देखा नहीं गया। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। यह एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। ऐसा करके किसानों को दबाया गया। यह मामला विशेषाधिकार का बनता है। संसद के सामने जन्तर-मन्तर रोड पर कई माननीय सदस्यों और किसानों को पीटा गया। यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। लोकतांत्रिक अधिकारों को संरक्षण देने का दायित्व आपके ऊपर है। लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत, देश की सर्वोच्च संस्था में सभी लोग अपनी बात रखते हैं, उनका इजहार करते हैं। ऐसा करके उनके अधिकारों को छीनने का प्रयत्न किया गया। सरकार ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन किया है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की बाढ़ समस्या का निदान होना चाहिए। यह बात बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब ईंट से ईंट बजेगी और हम लोग भी संसद तक मार्च करने के लिए तैयार हैं चाहे जो कोई हो, हम तब तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ हुआ और जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसे लेकर श्री देवेन्द्र यादव ने पूरी बात को आपके समक्ष रखा। लंबे समय से किसानों की ऐसी समस्याएं हैं। नेपाल की नदियों से प्रति वर्ष बाढ़ आती है। इस बारे में सम्मानित सदन में कई बार चर्चा भी हुई। अगर सरकार का रवैया सार्थक होता तो मैं नहीं समझता कि किसानों को किसी प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती। इन सब चीजों का एक स्थायी हल निकले, वहां के किसान खुशहाल हों, यह प्रयास करना चाहिए। इन सब सवालों को लेकर कल जन्तर-मन्तर रोड पर किसानों का प्रदर्शन था। सबसे अहम सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या देश में विरोध करने का हमारा संवैधानिक अधिकार रहेगा या नहीं? कल जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जो देवेन्द्र प्रसाद यादव जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उन पर लाठीचार्ज हुआ, दो विधायकों पर लाठीचार्ज हुआ, हम उसकी कड़ी निन्दा करते हैं। श्री हिन्द केसरी यादव जो पूर्व मंत्री थे, उनकी बुरी हालत है और वह अस्पताल में हैं। इन सब लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ, मैं समझता हूं कि वह किसी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अधीन आती है। यह जो कुछ हो रहा है, उसे देख कर मुझे लगता है कि सरकार का जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। एक सांसद के साथ जो व्यवहार हुआ, कल उनकी जो दुर्गति हुई, जिस तरह उनकी निर्मम पिटाई हुई, वह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। संसद की एक कमेटी बना कर इन सब चीजों की जांच करायी जाए और उन लोगों को दंडित करने का काम किया जाए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने का साहस किया।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपको स्मरण होगा कि जैसे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, मैंने इस प्रश्न को उठाया और आपने आज्ञा दी कि शून्यकाल में इसे उठाइए। शून्यकाल में मैंने इस सवाल को उठाया था कि बिहार के हजारों-हजार किसान श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में बाढ़ और सूखे का स्थायी निदान निकालने के लिए संसद पर मार्च कर रहे हैं। उस समय सरकार के जल संसाधन मंत्री बैठे हुए थे। इन्हें उन लोगों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानना चाहिए और उनका निदान ढूंढना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दिल्ली तक बितहरवा से पहुंचा, जहां, से गांधी जी ने देश की आजादी की राजनीति को शुरूआत की थी और उसी धरती से उन्होंने महात्मा जी की ख्याति प्राप्त की थी। बिहार की उस धरती से चलकर किसान आखिर दिल्ली के इस मुख्यालय तक क्यों आये। क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियां जिनका नियंत्रण बिहार सरकार के हाथ में नहीं है। इन नदियों से बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बंगाल में जो नुकसान होता है, उसके लिए भारत सरकार ही उनसे बात कर सकती है। संसद में कल इस पर चर्चा हो रही थी। कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है और हर साल चर्चा होती है। जब भी बाढ़ का मौसम आता है, हम लोगों को उसे झेलना पड़ता है। जो भी साधन इसके लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार लगाती है, वे क्षत-विक्षत हो जाते हैं। हमारी खेती बरबाद हो जाती है। सैकड़ों गांव नदियों के कटाव में विलीन हो जाते हैं। लाखों एकड़ जमीन जल-जमाव से प्रभावित होती है और हजारों लोग मरते हैं। इन सारी चीजों के निदान के लिए यहां आने के पहले ही बाढ़ के मामले में बिहार के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था और उसमें यह बात तय हुई थी कि दोनों राज्य सरकारों का नेपाल में कार्यालय खुलने वाला है, वह कार्यालय खुलेगा और इस पर काम शुरू होगा। लेकिन अभी तक वहां काम शुरू नहीं हुआ है।

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय प्रधान मंत्री जी ने गोरखपुर में स्वयं कहा था कि नेपाल से निकलने वाली नदियों की समस्या का समाधान किया जायेगा। लेकिन आज तक वह समाधान नहीं निकला है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, दो बातें हम लोगों ने इस सदन में बार-बार उठाने का काम किया है। हम लोग बिहार की जनता के प्रतिनिधि हैं। जब पहले से प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में इस बात की सूचना, इत्तिला देकर श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने इस मोर्चे का नेतृत्व किया और जिस तरह की घटना वहां घटी, उसका

वर्णन उन्होंने खुद किया है। हम सभी लोग यहां से वहां गये थे। माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी, माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राजो सिंह, श्री निषाद आदि लोग वहां गये थे। जिस तरह से यादव जी वहां लथपथ अवस्था में पड़े हुए थे, हमें इस बारे में मालूम नहीं पड़ा। जब हम लोग वहां गये तो हम लोगों को माइक पर भाषण करने के लिए खड़ा कर दिया गया। बाद में हमें मालूम हुआ कि इन्हें मार-पीट कर वहां सुलाया हुआ है। जब पूर्व प्रधान मंत्री जी वहां पहुंचे तब वह उनके साथ मंच पर पहुंचे। उसके बाद रघुवंश बाबू आये और दूसरे लोग भी वहां से बोले। वहां पूर्व मंत्री श्री हिंद केसरी यादव, श्री राम कुमार यादव, श्री रामाशीश यादव और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पीट-पीट कर इन लोगों ने बुरी तरह से घायल कर दिया तथा उल्टे उन पर केस कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महोदय यदि इस तरह की बातें हमारे साथ होती रहेंगी तो हम लोग फरियाद करने के लिए कहां जायेंगे और हम लोगों का कौन संरक्षक होगा। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि यह बिहार की जनता का अपमान है और हम पूरी तरह से इन चीजों का मुकाबला करेंगे। अन्यथा भारत सरकार इसका स्थायी समाधान ढूंढे तथा आप एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर इसकी जांच करायें तथा जो भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी और श्री रघुनाथ झा जी ने इस पर विस्तार से चर्चा की है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन एक-दो सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जब-जब सदन का सत्र चलता है तो कहीं न कहीं से किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती है। इस सत्र में भी इस पर श्री बसुदेव आचार्य जी ने चर्चा उठाई। किसी न किसी तरह से लोग इस पर चर्चा चलाते रहते हैं और जब बाढ़ और सुखाड़ का समय आता है तो उस समय भी इसकी चर्चा उठती है और जब इसकी चर्चा उठती है तो उसमें बिहार का नाम जरूर आता है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित होता है। कई बार नेपाल से वार्ता करने के लिए चर्चा चली। इस बारे में श्री रघुनाथ झा जी ने बताया है। वहां के पीड़ित और दुखी किसानों की एक रैली श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में निकाली गई थी। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, वह इस सदन के पुराने सदस्य हैं और अध्यक्ष महोदय जब कभी भी आप इस आसन पर नहीं रहते हैं तो पैनल में रहने के नाते इस आसन पर श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी बैठने का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से सिर्फ दो-तीन बातें जानना चाहते हैं—पहली यह कि जो प्रदर्शनकारी आ रहे थे, वे क्या कोई उत्पात मचा रहे थे, खुराफात कर रहे थे या ईंट-पत्थर फेंकने का काम कर रहे थे जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करने की आवश्यकता पड़ी?

दूसरी यह कि क्या देवेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय सांसद क्या स्वयं उग्र थे और क्या वे उग्र प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ कूच करने के लिए भड़का रहे थे?

तीसरी यह कि बिहार के बाढ़ और सूखे को लेकर बिहार के गरीब किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी के कार्यालय को देवेन्द्र प्रसाद जी ने सूचना दी, क्या कोई मंत्री या प्रधान मंत्री जी की ओर से कोई व्यक्ति किसानों का मैमोरेंडम लेने के लिए नहीं जा सकता था, यदि नहीं गया, तो श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी अथवा प्रदर्शनकारियों का इसमें क्या कसूर था?

चौथे मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, आपकी अनुपस्थिति में आसन की शोभा बढ़ाते हैं इसलिए उन पर किया गया लाठीचार्ज, क्या आसन पर लाठीचार्ज नहीं माना जाएगा और उसकी अवमानना नहीं माना जाना चाहिए?

पांचवीं बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की दुखद घटना की एक सर्वदलीय संसदीय समिति बनाकर जांच कराए जाने में क्या कठिनाई है? मैं मांग करता हूं कि संसद की सर्वदलीय समिति बनाकर इस घटना की जांच की जाए।

अध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी को शरीर में अनेक स्थानों पर चोटें लगी हैं और पांच-पांच जगह पर बैंडेज बंधा हुआ है। यह सिर्फ देवेन्द्र प्रसाद जी के साथ घटी घटना नहीं है बल्कि संपूर्ण बिहार के किसानों के साथ घटी घटना है। जो लाठी चलाने वाले लोग हैं या लाठी चलवाने वाले लोग हैं, मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री सबसे पहले उन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई करें और उसके बाद जांच कराने के निर्देश दें। यदि इस बात से सरकार भागेगी, तो मैं समझूंगा कि इस कार्रवाई में सरकार का हाथ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुनील खान जी, बैठिए। यह बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। जब गम्भीर विषय पर चर्चा हो, तो वह गम्भीरता से ही होनी चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह जी के घर से तीन घायल लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो

घायल अवस्था में हैं। उन तीनों व्यक्तियों को छोड़ने का आदेश देने की भी कृपा की जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री एच०डी० देवगौडा (कनकपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह घटना घटी तब मैं भी वहीं था। माननीय उप प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं। वे सरकार की ओर से उत्तर देंगे। मैं श्री डी०पी० यादव की प्रशंसा करूंगा। जब मैं वहां गया तो वे कोशिश कर रहे थे कि क्रुद्ध भीड़ शांति बनाए रखे। उन्होंने भीड़ को पीछे करने की कोशिश की। जब मैं वहां पहुंचा, लाठी चार्ज पहले ही शुरू किया जा चुका था। वे बुरी तरह से जख्मी हो गये थे। अनेक अन्य किसान नेता भी घायल हुए थे। कुछ विधायक तथा भूतपूर्व मंत्री भी घायल हुए थे। मैंने उनके जख्म स्वयं देखे हैं। इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। लाठी चार्ज के कारण आई चोटों के बाद भी वे क्रुद्ध भीड़ के पास यह कहने गए कि वे वापस जाएं और फिर इस तरह की बुरी घटनाएं न होने दी जाएं। यह बात पुलिस और शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के बीच किसी तरह के भी झगड़े को टालने हेतु उनकी ईमानदारी दर्शाती है।

सामान्यत: सत्र के दौरान जब संसद की बैठक चल रही होती है, अपनी समस्याओं के बारे में बताने, सरकार और संसद का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाने के लिए देश में अनेक ऐसे आंदोलन किये जाते हैं ताकि इस सम्मानीय सभा और सम्मानीय सभा के माध्यम से सरकार उनकी समस्या का समाधान कर सके। श्री डी०पी० यादव के नेतृत्व में आयोजित बिहार के किसानों के आंदोलन का यही उद्देश्य था। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। मैं नहीं जानता कि सरकार को आंदोलनकारियों के विरुद्ध इस हद तक अत्याचार क्यों करना पड़ा। मैं इसका कारण नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि वे किस बात से उत्तेजित हुए। वहां तीन अवरोधक थे। कोई भी संसद भवन को कब्जे में नहीं ले सकता अथवा जीत नहीं सकता। कोई भी सभा के भीतर आकर प्रधानमंत्री अथवा गृहमंत्री पर हमला करने की कोशिश नहीं करता है। उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर दिलाकर उनका समाधान करवाना था।

मैं नहीं समझता कि जन्तर-मन्तर पर हुए ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कभी कुछ हुआ हो। हमने भी अनेक प्रदर्शन किए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कल ऐसा क्यों हुआ। जैसाकि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने मांग की है कि सभा द्वारा गठित समिति से इस मामले की जांच करायी जाए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जांच सरकार पर छोड़ दी जाए।

माननीय अध्यक्ष को यह निर्णय करना चाहिए कि क्या इस सभा के माननीय सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों अथवा राज्यों, जहां विभिन्न कारणों से लोग परेशान हैं, से शिष्टमंडल लाने की स्वतत्रंता है। मैं उन सभी समस्याओं पर इस समय विचार नहीं करना चाहता हूं। यह एक अलग बात है कि यह सब क्यों हुआ। क्या उन्हें संसद के सत्र के दौरान शिष्टमंडल लाने अथवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए शिष्टमंडल की अध्यक्षता करने का कोई अधिकार नहीं है?

पुलिस ने इस सभा के वर्तमान सदस्य के विरुद्ध इतनी कठोर कार्यवाही क्यों की? विभिन्न राज्यों में पुलिस की सामान्य ज्यादती भूल जाइए। मैं इस मुद्दे में वे सभी मुद्दे नहीं घसीटना चाहता। मैं माननीय उपप्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कुछ अधिकारियों को निलंबित करें। उन्होंने आज श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के घर में उपस्थित तीन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया। शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई अतिशय कार्यवाही को पुख्ता बनाने हेतु ऐसे मनगढंत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हम भी प्रशासन में थे। हम जानते हैं कि राज्य तथा केन्द्र स्तर पर प्रशासन किस तरह चलाया जाता है। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के घर जाकर वहां उपस्थित तीन लोगों को गिरफ्तार करने का उद्देश्य मनगढंत मामले को दर्ज करना तथा पुलिस द्वारा की गई ज्यादती को उचित ठहराना है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ऐसा कभी नहीं सुना। मैं मांग करता हूं कि माननीय उपप्रधानमंत्री उन अधिकारियों को निलंबित करें जिनके विरुद्ध सभा द्वारा गठित समिति अथवा सरकार द्वारा की जा रही जांच लम्बित है। मैं यही चाहता हूं। मैं उस घटना का साक्षी हूं और मुझे उन घटनाओं के लिए खेद है।

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने सूचनाएं दी थी, उन सभी को बोलने की अनुमति दे दी गई है। कुछ नेता भी इस संबंध में अपने वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं उन नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे बोलने की अनुमति मिलने पर संक्षेप में बोलें। मेरा यह अनुरोध है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से सचमुच चिंता व्यक्त करता हूं।

हमने आज हमारे प्रिय सहयोगी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का वक्तव्य सुना है। उन्होंने हम सभी को आमंत्रित किया था। मैं कल कहीं और व्यस्त था। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर रैली में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया था। हमारे दल की ओर से हमारे प्रतिनिधि श्री राजो सिंह वहां उपस्थित थे। हमने सब कुछ सुना है। मैं सचमुच बहुत ज्यादा महसूस करता हूं कि यह मामला मात्र श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का ही नहीं

है। इस सभा के सदस्य आज से नहीं अपितु 1952 से जनता द्वारा निर्वाचित, किये जाते हैं।

जनता से संबंधित मामलों, जिनके बारे में ठीक से समझ में यह नहीं आता है कि सरकार इनका निपटान करेगी, के संबंध में लोग राजधानी में आते हैं। मैं समझ सकता हूं कि सरकार सीमा पार से आतंकवाद का सामना करने हेतु दृढ़संकल्प है और उसने शहर में निरीक्षण और नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था की है। जब माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की जनता की शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराने हेतु वहां के लोगों को राजधानी में लाते हैं और वह भी सरकार को इसकी अग्रिम सूचना देने के बाद, तो सरकार को सबसे पहले उस माननीय सदस्य और उनके शिष्टमंडल से यह जानने का कष्ट करना चाहिए कि वे राजधानी में क्यों आ रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री श्री विजय गोयल को अग्रिम सूचना दी और उन्होंने अशिष्टता बरती। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया और यह भी समझने की कोशिश नहीं की कि देवेन्द्र प्रसाद यादव क्या सोचेंगे। यह अशिष्टता केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद के प्रति नहीं अपितु संसद, इस देश के जन नेताओं तथा हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति भी है।

अत: हम इस सरकार के लापरवाहीपूर्ण, आकस्मिक और ढुलमुल रवैय्ये को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हैं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि सभा की यह समिति, जिसके द्वारा मामले की जांच किया जाना अपेक्षित है, सरकार को यह बताए कि जब संसद सदस्य लोगों को अपनी शिकायतें और विरोध दर्ज कराने लाते हैं तो उनका किस प्रकार से ध्यान रखें और इसकी संज्ञेयता किस पकार से लें।

आज यह घटना हुई है; कल ऐसी घटना किसी सदस्य के साथ भी हो सकती है। हम दृढ़तापूर्वक यह महसूस करते हैं कि प्रशासन ने अपनी पुलिस के माध्यम से इस मामले में बड़ी बेरुखी से कार्यवाही की है। भारत सरकार ने अग्रिम सूचना प्राप्त होने के बावजूद, इस मामले की संज्ञेयता नहीं ली है और ऐसा करके उसने उन लोगों का अपमान किया है जिन्होंने सूचना दी थी।

मेरी यह मांग है कि सभा की एक समिति तत्काल गठित की जाये। इसके बाद सरकार अपनी इच्छानुसार कार्यवाही कर सकती है। वह दोषी अधिकारियों को तत्काल निलम्बित करे और उन लोगों को रिहा करें जिन्हें यह जानते हुए आज सुबह से हिरासत में रखा है कि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव इन बातों को सभा में उठा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह तो पूरी तरह से हास्यास्पद ही है कि एक ओर यह सभा किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी और वहीं दूसरी ओर यह सरकार किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इतना बेरुखीपूर्ण व्यवहार कर रही थी। यह अत्यधिक चिंता का विषय भी है। माननीय सदस्य, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव केवल अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति ही नहीं बल्कि मैं किसी का अनादर बिना किए यह कह सकता हूं कि वे बहुत ही सौम्य और बहुत सम्मानित संसद सदस्य हैं। हमने उन्हें एक मंत्री और एक माननीय सदस्य के रूप में भी देखा है। वे बहुत सम्मानित सदस्य हैं। वे आज अत्याधिक खिन्न दिखाई दे रहे थे। मेरी यह अपेक्षा थी कि सभा में उनके द्वारा यह मामला उठाने से पहले ही भारत सरकार को आगे आकर पूरी सभा और माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव से माफी मांगनी चाहिए थी।

अब तो सरकार से वक्तव्य की मांग करनी चाहिए। उन्होंने यह कार्यवाही पहले नहीं की। सत्तापक्ष के एक माननीय संसद सदस्य ने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय; और संबंधित अन्य सभी लोगों को प्रदर्शन करने संबंधी सूचना दी थी। ऐसे कई संसद सदस्य यहां उपस्थित हैं। मैं यह नहीं जानता कि समिति आगे क्या करेगी। हमारे पास घटनाक्रम की प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि घटनाक्रम पर माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के कथन पर अविश्वास किया जा सके।

अब प्रश्न सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करने का है। इस सरकार ने घटनाक्रम के संबंध में ढुलमुल रवैय्या अपनाया है। यह किसानों का मुद्दा है। अन्य राज्यों सहित एक विशिष्ट राज्य के लोगों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आज उनके साथ इसी प्रकार का बर्ताव करते हैं। यदि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्यों और बड़ी मुश्किलों का सामना करने के कारण बिहार से आए हुए किसानों के कुछ नेताओं के साथ चर्चा कर ली जाती तो कोई आसमान न टूट जाता। यह इस सरकार की हठधर्मिता ही है और इससे इसकी कार्य-प्रणाली का पता चलता है। वे इन लोगों की परवाह नहीं करते हैं।

महोदय, हमें इस पर कड़ी आपत्ति है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मेरा माननीय उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे हमें यह बताएं कि माफी क्यों नहीं मांगी गई और अब तक क्या कार्यवाही की गई और नई गिरफ्तारियां क्यों की जा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री देवगौडा ने कहा कि यह इसलिए किया गया ताकि उनके खिलाफ मामला बनाया जा सके और उन्हें जिम्मेवार दिखाया जा सके।

अत: हम तत्काल कार्यवाही की पुरजोर मांग करते हैं। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए लोगों को अपनी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने हेतु आगे लाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी पांच आदमियों को और गिरफ्तार किया गया है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर घटना है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम यहां सवाल उठा रहे हैं और उधर गिरफ्तारी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : हाउस चल रहा है फिर भी पांच आदमियों को गिरफ्तार किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इसकी निंदा करते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी जो पांच आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, इस बारे में भी गृह मंत्री जी बताएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं, आप बैठिए।

(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जाली केस कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : इधर चर्चा चल रही है और उधर गिरफ्तारी हो रही है।...*(व्यवधान)* जानबूझकर इस तरह का आतंक मचाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अब सरकार की नज़र में किसान भी आतंकवादी बन गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सारे तथ्य सामने आ गए हैं और इस संबंध में हमें विस्तार से कोई चर्चा नहीं करनी है। एक नया तथ्य आपके सामने आ चुका है कि जब यहां बहस चल रही है और यह ऐसा पहला घंटा है जिसमें सब लोग दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं। यह सदन के लिए चेतावनी है कि सदन में बहस होते हुए, चर्चा होते हुए, गंभीरता से सवाल उठाते हुए पांच लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि क्या श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और उनके साथियों के पास कोई हथियार थे।

क्या वे ईंट पत्थर लेकर आये थे? निर्दोष और निहत्थे लोगों पर कभी भी लाठीचार्ज या गोली चलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें वे गिरफ्तार कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि सांसद...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया था?

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह तो फासीवाद की आवाज है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : क्या किया था? आप तमाशा करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : उन्हें कहने दो, मैंने क्या किया था। ये लोग बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों की बात को गम्भीरता से क्यों लेते हो। ऐसे लोगों की बात को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है।

इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि देवेन्द्र प्रसाद यादव के बारे में जैसा माननीय सोमनाथ चटर्जी ने कहा, वे ऐसे ही नहीं, एक महत्वपूर्ण नेता हैं। केन्द्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पद पर रह चुके हैं, इसकी सब को जानकारी है। ऐसा नहीं था कि कोई अपरिचित हो, जिनको नहीं जानते हों। पूर्व प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि वे शान्त करा रहे थे, उसके बाद भी उनको पीटा गया, गम्भीर चोटें पहुंचाई गईं, उनके साथियों को पीटा गया, निहत्थे और निर्दोष किसानों को पीटा गया। किसानों से सीधी-सादी कौम कोई नहीं होती, उनका कोई संगठन भी नहीं है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि सीधे-सीधे सरकार की जो कमेटी की बात आई, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी से एक बहुत मामूली सी बात कही है, हम उससे तत्काल सहमत हो जाएंगे, इसलिए कि यह संसद हिन्दुस्तान की सारी की सारी विधानसभाओं के लिए भी आदर्श है। जब यहां इस उच्च सदन के एक माननीय जनप्रतिनिधि को, जिस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है, उस पर इस तरह का जुल्म अत्याचार होता है तो आप अंदाज कीजिए कि सारे हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश से लेकर हम अकेले नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की बात कह रहे हैं, केवल एक माननीय पार्टी का सवाल नहीं है, एक माननीय सदस्य का सवाल नहीं है और इस पर कोई राजनीति नहीं है। हम तो जानते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा सदन इस मामले में एक होना चाहिए और एक होकर, हमारे जनप्रतिनिधि की एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आज सवाल न इस पार्टी का

है, न विपक्ष का है, न दल का है, इसलिए हमारी पहली मांग है और हम माननीय सोमनाथ चटर्जी से सहमत हैं कि सबसे पहले गृह मंत्री जी को सरकार की तरफ से माफी मांगनी चाहिए।

नम्बर दो-अब जरूरत नहीं है, सबूत आपके सामने है। अगर माननीय सदन पर विश्वास करते हो, हम नेताओं पर विश्वास करते हो, आपके सत्ता चलाने वाले साथियों पर विश्वास करते हो तो तत्काल यहां घोषणा करनी चाहिए कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसूगैस का प्रयोग और निहत्थे निर्दोष लोगों पर जो लाठीजार्च किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्होंने आदेश दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी जो कार्रवाई की है, पांच लोगों को और गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद जो संसदीय समिति की बैठक हो, उसका भी हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में जनप्रतिनिधियों पर इस तरह का जुल्म अत्याचार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो, जो एक संवैधानिक अधिकार है। किसान के बिना तो देश ही नहीं चल सकता है, उन पर इतना जुल्म ज्यादती की जाती है तो पूरे सदन को इसकी घोर निन्दा सर्वसम्मति से करनी चाहिए। यह न सत्ता पक्ष का सवाल है, न विपक्ष का सवाल है। आज हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है, यह उसके सम्मान का सवाल है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष जी, मैं देवेन्द्र प्रसाद यादव को विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। जयप्रकाश जी के आन्दोलन में इनकी जो भूमिका रही है, मैं उससे परिचित हूं। मैं कल यहां नहीं था, जो कुछ घटना घटी है, उसे मैंने समाचार-पत्रों से देखा। आज देवगौड़ा जी ने जो बताया, वह और दुखद था। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जब इस विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है, उस समय भी दिल्ली की पुलिस अपनी चाल से वाज नहीं आ रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शायद किसी भी संसद के लिए यह पहली घटना होगी, जब अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में सदन उस विषय की चर्चा कर रहा है, कम से कम उस समय सरकार के इन अधिकारियों को, पुलिस के लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अगर वह संयम नहीं बरत रही है तो मैं आपके जरिये आडवाणी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सोचें।

यह सवाल केवल किसी संसद की अवमानना का नहीं है, सवाल किसी पर लाठीचार्ज करने का नहीं है, सवाल संसद को गरिमा को नीचे गिराने का है। अगर पुलिस अधिकारी इस हद तक जा सकते हैं, तो मैं नहीं जानता यह जनतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। इस मामले को इस गम्भीरता से लेते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री जी इस मामले को अधिक गम्भीरता से लेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस घटना की निन्दा करता हूं। मैं जानता हूं कि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव अच्छे व्यक्ति हैं। वे नौवीं लोक सभा से संसद के सदस्य हैं और वे श्री देवगौड़ा की सरकार में केबीनेट मंत्री थे। वे सभापतियों के पेनल में भी एक सदस्य हैं। उन्होंने सदैव अहिंसा में ही विश्वास किया। उनकी अभिवृत्ति और व्यवहार के बारे में इस सभा के सभी सदस्य जानते ही हैं।

शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने वाले संसद सदस्य पर प्रहार करते समय पुलिस को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी। कई लोग इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और उन्होंने मामले के तथ्यों की पुष्टि की है।

अपनी पार्टी की ओर से, मैं, सरकार के समक्ष दो मांगें रखना चाहता हूं। पहले तो इसकी उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए जाएं और दूसरे, गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा किया जाये। अन्यथा पूरे देश में एक गलत संदेश जाएगा कि किसानों, जो सुखा और बाढ़ से त्रस्त हैं, को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अत: उन्हें तत्काल रिहा किया जाये, दोषी पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया जाये और एक उच्च स्तरीय जांच चाहे वह सीबीआई द्वारा हो अथवा जो भी हो, हेतु आदेश दिए जाएं...*(व्यवधान)* यदि इसकी जांच के लिएँ सभा की कोई समिति गठित की जाएगी तो हम जानते हैं कि उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में तीन वर्ष लग जाएंगे।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, द्रमुक पार्टी की ओर से मैं दिल्ली पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण घटना की कड़ी निंदा करता हूं। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह संसद के माननीय सदस्यों, आम जनता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करे। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आपने प्रश्न काल स्थगित कर दिया है। यह स्वाभाविक है कि मंत्रालय उन दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा जिन्होंने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों पर बहुत ही अलोकतांत्रिक और बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियों से प्रहार कर उन पर आंसू गैस छोड़ी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव स्वभाव से मौलिक रूप से जिद्दी नहीं हैं। वे मूलत: एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। मैंने उनसे यह सुना कि उन्हें पीटा गया, जबकि पुलिस अधिकारियों और पुलिस उपायुक्त, जो पूरे पुलिस दल के प्रभारी थे, को उनकी पहचान से अवगत करा दिया गया था। उनकी बार-बार अपील के बावजूद पुलिस ने इस प्रकार का बर्ताव किया।

हम इस प्रहार की निंदा करते हैं। माननीय गृह मंत्री इस सभा में उपस्थित हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास था कि सरकार निश्चित रूप से कोई निर्णय करेगी। आठ व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके नाम यहां हैं। अंततः मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दें कि वह सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करे और अपने राज्यों में लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण करने के लिए बंगाल पुलिस का रवैय्या न अपनाएं।...*(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह बंगाल सरकार और पुलिस से संबंधित प्रश्न नहीं है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : यह अनुचित है। यदि श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं तो यह सचमुच में अनुचित है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कहा है उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाये।

श्री के० मलयसामी (रामनाथपुरम) : मैं अनाद्रमुक पार्टी की ओर से बोल रहा हूं और मैं पुलिस द्वारा हमारे एक सहयोगी के साथ की गई हाथापाई के लिए अपना आक्रोष और खेद व्यक्त करने के लिए अनुकूल शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूं। हमें आश्चर्य है कि माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में पुलिस ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। जो कुछ भी हुआ है चाहे वह जुलूस अथवा हड़ताल हो, यह सुनियोजित, घोषित या और इसकी पूर्व सूचना दी गई थी।

पुलिस का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। इसे कैसे बनाए रखना है यही प्रश्न है। यह स्पष्टतया पुलिस की ज्यादती का मामला है जैसाकि हमारे कुछ नेताओं ने सही सही बताया है। यदि संसद सदस्य होने पर भी श्री यादव के साथ पुलिस इस प्रकार बर्ताव कर सकती है तो वह आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती होगी? हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस के इस रवैय्ये की कड़ी निंदा करते हैं।

महोदय, इसके साथ ही जैसाकि हमारे कई सहयोगियों ने यहां कहां है कि अमुक-अमुक कदम उठाए जाने चाहिए, मैं भी उन सभी बातों से सहमत हूं। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि वह इस जुलूस, जिसमें श्री यादव को पीटा गया, में आए किसानों की मांगों पर विचार करे और उन्हें स्वीकार करे। इससे श्री यादव को सान्त्वना मिलेगी। मैं यह चाहता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा की जाये और सरकार किसानों की उन मांगों को स्वीकार करे जिनके लिए यह जुलूस निकाला गया था।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

उपप्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ भी कहूं, उससे पहले मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर जिसे पूरे सदन ने गंभीरता से लिया है, उस पर मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा। आखिर लोग यहां आकर हमारे यहां शांति पूर्वक प्रदर्शन करें, यह लोक तंत्र का एक मौलिक अधिकार है और उसमें भी उस प्रदर्शन का नेतृत्व देवेन्द्र यादव जैसे व्यक्ति कर रहे थे जिनको हम सभी लोग जानते हैं कि वह सामान्यतः शांति पूर्वक आकर अपनी बात कहते हैं। उनसे आप सहमत हों, असहमत हों, वह एक अलग बात है लेकिन जिस प्रकार से हम उनको जानते हैं, इसके कारण प्राइमा-फेसी मैंने जितना उनको सुना और उसके बाद दो पूर्व प्रधान मंत्रियों ने कहा, मुझे लगता है कि प्राइमा-फेसी मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ है, वह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, गलत हुआ है। मैं उसके लिए सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। इसके बाद दूसरी बाद मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात का और भी खेद है कि इस संदर्भ में आज तीन लोगों को उनको घर से गिरफ्तार किया गया। अभी बाद में सूचना आई कि पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं नहीं जानता हूं कि इस मामले में सच्चाई क्या है लेकिन मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जितने लोग इस किसान प्रदर्शन के संदर्भ में गिरफ्तार हुए होंगे तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। तीसरी बात, आप सहमत होंगे कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात मैं कभी नहीं कहूंगा जब तक कि मैं उनसे पहले न पूछूं और मुझे यह अवसर नहीं मिला है कि मैं उनसे पूछूं कि आपको क्या कहना है? आपने इस प्रकार से क्यों किया? जबकि अगर शांति पूर्ण था तो आपने लाठीचार्ज क्यों किया, आपने टियर-गैस क्यों चलाई और अपने वॉटर कैनन क्यों चलाई? क्योंकि मेरे पास जो पर्ची आई है, उसमें एक पर्ची यह भी आई है कि हमने कभी लाठीचार्ज नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार के पास इस प्रकार की सूचना उपलब्ध है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि सूचना सही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई है। उन्हें अपने वक्तव्य को पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सूचना सुबह दी गई थी और अभी तक उनके पास सूचना नहीं है...*(व्यवधान)* वे ऐसी बात कैसे कह सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह सूचना सही है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू : महोदय, कृपया माननीय उप प्रधान मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सब क्या है?...*(व्यवधान)* इस सरकार के कार्य करने का यही तरीका है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सूचना सिर्फ प्राप्त की है इसकी अभी जांच नहीं की है।

[हिन्दी]

आपको होम मिनिस्टर साहब को सुनना पड़ेगा। कम से कम उनकी बात तो सुनिए। कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह मेडिकल की रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं देवेन्द्र जी की बात का विश्वास करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन पर भरोसा करते हुए, उन्होंने कहा है कि उनका स्टेटमेंट सही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा किए गए वक्तव्य पर विश्वास किया। उन्होंने यह नहीं कहा के उन्होंने अधिकारियों द्वारा दिए वक्तव्य पर विश्वास किया। आप और क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे स्पष्ट करने दें। यह विरोध प्रदर्शित करने का सही तरीका नहीं है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के वक्तव्य पर विश्वास किया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष जी मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राममनोहर लोहिया अस्पताल की मैडिकल रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनको चोटें आई हैं। चोटें अचनाक तो देवदूतों से नहीं आई होंगी। चोटें किसी ने लगाई होंगी, तो आई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह पेसबन्दी है। ईंट मारकर खुद ही चोटें लगाई हैं...*(व्यवधान)* गृह मंत्री जी पर्ची को फाड़कर फैंक दीजिए। पर्ची देने वाले को सजा दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : पर्ची की सजा नहीं। पुलिस विभाग अधिकारियों से जो रिपोर्ट मिली हो और रिपोर्ट को गृह मंत्री जी तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। यहां पर रिपोर्ट है और अगर उसको यहां न लिखते, तो ज्यादा अच्छा होता। आपको इस परिस्थिति में डालते, तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैंने दो बातों की घोषणा की और मैंने इतना ही कहा है कि मेरा यह कर्तव्य भी बनता है कि उनसे मैं पूछूं। उनकी तरफ से एक कागज है, जिसमें उन्होंने वाटर-कैनिंग स्वीकार किया है, टीयर गैस शैलिंग स्वीकार किया है। लेकिन इस मामले में दो वर्ज़न हो सकते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, जैसा आप गाइड करें, जांच होनी चाहिए तो जांच करने के लिए तैयार हैं, सरकारी जांच के लिए कहें या सदन की कमेटी बनाने के लिए कहें, लेकिन कुल मिलाकर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मंत्री जी को तो सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, कार्रवाई करने से पहले मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। मैं कार्रवाई की घोषणा नहीं कर सकता हूं मैं किसी का ससपैंशन आर्डर नहीं कर सकता हूं...*(व्यवधान)* मुझे इतना ही कहना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सुबह में एक नोटिस दिया गया था। फिर भी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उन्हें विभाग से सम्पर्क करना है।...*(व्यवधान)* यह कैसी सरकार देश को चला रही है?...*(व्यवधान)* इस प्रकार का लापरवाह तरीका...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे निवेदन करने का हक है या नहीं। इस तरह से कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक वक्तव्य देने जा रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिये।

एक बहुत गम्भीर घटना हुई है। इस सभा के माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के कथनानुसार उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया है। मैं ऐसे मामलों में हमेशा ही माननीय सदस्य की बात पर विश्वास करता हूं न कि प्रशासन की बात पर। इसलिए, मेरा पूरा विश्वास है कि दुर्भाग्यवश, माननीय सदस्य की उस वक्त पिटाई की गयी जब वे एक मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे।

मैंने माननीय उप प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुना है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अध्यक्ष महोदय की इच्छानुसार किसी प्रकार की जांच करवाने को तैयार हैं। माननीय उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि अध्यक्ष महोदय यहां तक कि संसद की कोई समिति भी गठित करना चाहें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उनकी बात सुनने के पश्चात्, यदि सभा की सहमति हो तो मैं संबंधित जांच हेतु इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए तैयार हूं जो जांचोपरांत अपनी रिपोर्ट इस सदन को सौंपेगी। यह न्याय का मामला है; यदि सभा की सहमति हो तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए और इस प्रकार सभा को तत्संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। मैंने अभी भी अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आम प्रक्रिया यह रही है कि ऐसे मामलों को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है जो इनकी जांच करती है। यदि सभा यह महसूस करती है कि सदन की एक समिति नियुक्त की जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समिति नियुक्त की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह समिति गठित की जा सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : जब तक तत्संबंधी रिपोर्ट इस सभा में प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक दोषी व्यक्ति का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी।

श्री तरित बरण तोपदार : अध्यक्ष महोदय, यदि आप सही रूप में विश्वास करते हैं कि माननीय सदस्य की पिटाई हुई है तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए निलम्बन की प्रक्रिया होती है। निलम्बन कोई सजा नहीं है, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि निलम्बन करने में सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार या आप स्वयं आसन से घोषणा करें कि उन लोगों को निलम्बन किया जाए, जिनकी लाठी से देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, सारे किसान तथा कई अन्य लोग घायल हुए हैं।...*(व्यवधान)* उसके बाद इन पर कार्यवाही होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, निलम्बन के साथ-साथ मेरा इतना निवेदन है कि हाउस की एक कमेटी बनाई जाए, जो एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट हाउस में दे। उसके बाद गवर्नमेंट उन पर कार्यवाही करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौडा : महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। माननीय उप प्रधान मंत्री ने इस घटना पर खेद प्रकट किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, उन्होंने खेद प्रकट किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कोई क्षमायाचना नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौडा : उन्होंने कल की घटना बल्कि कल के पूरे घटनाचक्र के बारे में खेद प्रकट किया है।...*(व्यवधान)* मैंने जो सुना वह यही है कि उन्होंने खेद प्रकट किया है।...*(व्यवधान)* यदि मैं गलत हूं तो मुझे पता नहीं है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं उप प्रधान मंत्री जी से सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय के अनुसार समिति गठित करने अथवा मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार समिति के बारे में जिक्र नहीं किया था। वह चाहते थे कि सभा द्वारा एक समिति गठित की जाए। परन्तु यह एक अलग मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में सभा का बहुमत जानना चाहा है। अंततः यह मामला तत्संबंधी निर्णय के लिए सभा पर छोड़ दिया गया है। जांच समाप्त होने के पश्चात् यह रिपोर्ट सभा के समक्ष कब प्रस्तुत की जायेगी यह बात विशेषाधिकार समिति पर छोड़ दी गयी है।

इस सभा के माननीय सदस्य के साथ कल हुई घटना का जहां तक सवाल है, माननीय गृह मंत्री को भी पिछले तीन-चार वर्षों का अनुभव है, सुबह में तीन व्यक्ति और तत्पश्चात् पांच व्यक्ति गिरफ्तार हुए जैसी बातें पूर्णतः मनगढंत साक्ष्य होती हैं। हम सभी को इनके बारे में पता है। यह पुलिस ज्यादतियों को प्रमाणित करने के लिए होती हैं।

आज माननीय उप प्रधान मंत्री उन अधिकारियों को बुलाएं और स्वयं तत्संबंधी तथ्यों की जानकारी लें। प्रशासन चलाना है। उन्हें दूसरे पक्ष से भी सूचना लेनी चाहिए। तत्पश्चात्, वह आज ही सभा में आकर तत्संबंधी जानकारी दें। यदि वह इस बात से आश्वस्त होते हैं कि पुलिस अधिकारियों ने ज्यादतियां की थीं तो उन अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए तथा आज ही इस सभा में उनके निलंबन की घोषणा की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के. येरननायडू यह मुद्दा अब लगभग समाप्त हो चुका है।

श्री के. येरननायडू : मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा।

इस सभा की एक समिति गठित करना, मामले की छानबीन और रिपोर्ट सौंपना एक अलग पहलू है। यदि माननीय गृह मंत्री इस बात से अवगत होते हैं कि अधिकारियों के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो कृषक समुदाय के बीच विश्वास पैदा करने हेतु उन अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।

सभा द्वारा गठित समिति द्वारा मामले की जांच में वक्त लगेगा। किन्तु यदि प्राथमिक जांच के पश्चात् ही माननीय गृह मंत्री अधिकारियों के दोष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं तो उन दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रेणूका चौधरी (खम्माम) : परन्तु उन्होंने मात्र 24 घंटे पहले क्या कहा था?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे इस मुद्दे को निपटाने दें। मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि सदन की समिति गठित की जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, इसकी जांच करके एक-दो घंटे के बाद दोबारा स्टेटमेंट दें तो ज्यादा बेहतर होगा।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन की समिति की घोषणा कर दी जाएगी और यह काम करना शुरू कर देगी। यह सदन को अपनी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे मामले की पूरी छानबीन करें तथा आज सभा के स्थगन से पहले ही तत्संबंधी रिपोर्ट यहां प्रस्तुत करे और दोषी पाए गए अथवा जिनपर दोषी होने का संदेह है उन्हें निलंबित करें।

हम सुनें कि उनका क्या कहना है। यह गृह मंत्री जी पर है कि वह क्या कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, संसद की ओर महिलाओं का एक जुलूस निकलने वाला है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके अधिकारी महिलाओं के साथ वही सलूक न करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, ...*(व्यवधान)* इनका इतने से सैटिस्फाई होने का सवाल ही नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह सर्वथा उपयुक्त है कि आपने सदन की इच्छाओं का ख्याल रखते हुए एक प्रकार से सरकार को निर्देश दिया है कि आज सदन उठने से पहले इस मामले में प्राइमा-फैसी जांच करके एक निर्णय पर आयें। मैं इस विषय में तुरंत ही अधिकारियों को बुलाकर पूछूंगा लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जहां तक लोगों को रिहा करने का सावाल है, जो घटना हुई है उस पर खेद प्रकट करने का सावाल है, यह मैं कर सकता हूं लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मैं उनको सुनना जरूर चाहूंगा।

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

***282. श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण जनसंख्या, विशेषत: गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली ऐसी जनसंख्या का राज्य-वार प्रतिशत क्या है जिनको आधारभूत स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में सभी के लिए आधारभूत स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान आज तक राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(च) योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों के समुचित उपयोग के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (च) जुलाई, 1999 में प्रकाशित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 54वीं राउण्ड रिपोर्ट (भारत में पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य) के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का केवल 17.5% भाग शौचालयों का प्रयोग कर रहे थे। 1999 के बाद कवरेज बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में 2002 तक कवरेज लगभग 20% है।

राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी तक स्वच्छता सुविधाएं न रखने वाले गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। ग्रामीण स्वच्छता राज्य का विषय है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाएं देने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। भारत सरकार उन्हें प्रयासों में वित्तीय मदद देती है।

चूंकि ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज अपर्याप्त है इसलिए भारत सरकार ने 1999 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पुन: तैयार किया है और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) शुरू किया गया है। टी.एस.सी. मांग संचालित, भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें बेहतर सफाई सुविधाओं के लिए मांग पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में (क) अलग-अलग परिवारों के लिए शौचालयों, (ख) स्कूल शौचालयों, (ग) महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, (घ) बालवाड़ियों और आंगनबाड़ियों के लिए शौचालयों के निर्माण के लिए जिला कार्यान्वयन एजेन्सियों को सहायता देने का प्रावधान है।

अब तक 185 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। 185 परियोजनाओं का कुल परियोजना परिव्यय 2032 करोड़ रुपये है जिसमें से केन्द्र का हिस्सा 1225 करोड़ रुपये, राज्य का हिस्सा 327 करोड़ रुपये और समुदाय का हिस्सा 380 करोड़ रुपये है। इन टी.एस.सी. परियोजना जिलों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II पर है।

10वीं योजना अवधि के दौरान सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश में सभी जिलों को शामिल करने की योजना है। योजना आयोग ने 10वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण स्वच्छता के लिए 955 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

2001-02 के दौरान और आज तक (30 नवम्बर, 2002 तक) राज्यवार आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में मई, 2002 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों में योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों के उचित उपयोग की तन्त्र-व्यवस्था का पावधान है। संगत पैराग्राफों (19 से 28) का सार संलग्न विवरण-IV पर है।

विवरण-I

केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

30 नवंबर, 2002 को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य/जिला	स्वीकृत माह/वर्ष	सूचित माह/वर्ष	परियोजना के उद्देश्य						परियोजना का निष्पादन					
				निजी पारिवारिक शौचालय	स्वच्छता परिसर	विद्यालय शौचालय	बलवाड़ी के लिए शौचालय	आरएस एम/पीसी	गांवों की कुल स्वच्छता	निजी पारिवारिक शौचालय	स्वच्छता परिसर	विद्यालय शौचालय	बलवाड़ी के लिए शौचालय	आरएस एम/पीसी	गांवों की कुल स्वच्छता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**आंध्र प्रदेश**														
1.	खम्माम	11/99	9/02	68160	0	1034	0	10	0	20955	0	600	0	0	0
2.	नलगोंडा	3/00	9/02	124000	0	2500	0	10	0	54502	0	1865	300	0	0
3.	प्रकाशम	3/00	8/02	153000	0	560	0	10	0	52262	0	42	0	0	0
4.	चित्तुर	3/00	9/02	156600	0	2345	0	10	0	3087	0	30	C	0	0
5.	नेल्लोर	3/01	8/02	192000	0	203	0	10	0	1820	0	0	0	0	0
6.	अदीलाबाद	5/01	8/02	192000	0	642	0	10	0	1800	0	0	0	0	0
7.	अनंतपुर	5/01	8/02	134400	0	735	50	10	0	242	0	0	0	0	0
8.	महबूबनगर	5/01	9/02	194400	0	620	0	10	0	24229	269	183	0	0	0
9.	निजामाबाद	5/01	8/02	144444	0	789	0	10	0	52144	0	720	0	0	0
10.	विजयनगरम	5/01	8/02	136000	0	333	0	10	0	0	0	10	0	0	0
11.	वारंगल	4/02	8/02	192000	0	860	0	10	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	कुरनूल	4/02	8/02	178500	0	1822	0	10	0	0	0	0	0	0	0
13.	गुंटूर	4/02	8/02	116500	0	836	0	10	0	1286	0	0	0	0	0
14.	पश्चिम गोदावरी	4/02	8/02	194400	0	1000	0	10	0	4389	0	0	0	0	0
	कुल			2176404	0	14279	50	140	0	216716	269	3450	300	0	0
II.	अरुणाचल प्रदेश														
15.	लोहित	3/00		23136	0	143	0	4	0	0	0	0	0	0	0
16.	प० सियांग	3/00		19526	0	189	0	3	0	106	0	44	0	0	0
17.	दिवांग वेली	1/02	6/02	7879	0	68	0	2	0	0	0	0	0	0	0
18.	अपर सुबनसिरी			13194	0	133	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			63735	0	533	0	12	0	106	0	44	0	0	0
III.	असम														
19.	कामरूप	1/00	7/02	20800	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	जोरहाट	1/00	7/02	18000	0	150	0	6	0	0	0	0	0	0	0
21.	सोनितपुर	1/00	7/02	20000	0	190	0	6	0	0	0	0	0	0	0
22.	कच्छार	6/01	7/02	41000	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	धुबरी	6/01	7/02	28798	0	205	0	2	0	0	0	0	0	0	0
24.	गोलपारा	6/01	7/02	23040	0	165	0	3	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	करबी अंगलांग	6/01	7/02	24000	0	163	0	4	0	0	0	0	0	0	0
26.	करीमगंज	6/01	7/02	22333	0	168	0	3	0	0	0	0	0	0	0
27.	मोरीगांव	6/01	7/02	20800	0	138	0	3	0	0	0	0	0	0	0
28.	नलबाड़ी	6/01	7/02	39000	0	257	0	5	0	0	0	0	0	0	0
29.	शिवसागर	1/02	7/02	17664	0	200	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			275435	0	1889	0	36	0	0	0	0	0	0	0
IV.	बिहार														
30.	वैशाली	11/99	6/02	190598	662	1300	0	10	0	0	0	0	0	0	0
31.	पू० चम्पारन	2/01	6/02	180000	625	1090	0	10	0	0	0	0	0	0	0
32.	पटना	2/01	6/02	190000	659	1100	0	10	0	0	0	0	0	0	0
33.	गया	2/01	6/02	190000	655	1095	0	10	0	0	0	0	0	0	0
34.	बांका	2/01	6/02	144396	500	835	0	10	0	0	0	0	0	0	0
35.	मुजफ्फरपुर	5/01	6/02	180000	371	995	0	10	0	0	0	0	0	0	0
36.	छपरा (सारण)	5/01	6/02	170000	590	1030	0	10	0	0	0	0	0	0	0
37.	मधुबनी	3/02	6/02	160000	600	1500	0	10	0	0	0	0	0	0	0
38.	कटिहार	3/02	6/02	170000	600	1158	0	10	0	0	0	0	0	0	0
39.	बेगूसराय	3/02	6/02	170000	600	1121	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			1744994	5862	11224	0	100	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V.	छत्तीसगढ़														
40.	दुर्ग	5/01	9/02	101957	47	590	0	10	0	100	6	305	0	12	0
	कुल			101957	47	590	0	10	0	100	6	305	0	12	0
VI.	गुजरात														
41.	मेहसाणा	1/00	4/02	27724	0	909	0	10	0	2258	0	390	0	0	0
42.	सूरत	1/00	4/02	31636	0	1015	0	7	0	24	0	406	0	0	0
43.	राजकोट	1/00	4/02	30358	0	1902	0	10	0	27	0	750	0	0	0
44.	अहमदाबाद	4/02		76780	0	1524	0	10	11	0	0	0	0	0	0
45.	गांधीनगर	4/02		17400	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			183898	0	5948	0	37	11	2309	0	1546	0	0	0
VII.	हरियाणा														
46.	करनाल	10/00	8/02	57413	0	450	0	10	0	230	0	450	0	0	0
47.	यमुनानगर	10/00	8/02	31320	0	284	0	10	0	0	0	284	0	10	0
48.	भिवानी	1/02	8/02	32500	0	77	0	2	0	0	0	62	0	0	0
49.	गुड़गांव	3/02	8/02	39435	15	411	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			160668	15	1222	0	32	0	230	0	796	0	10	0
VIII.	हिमाचल प्रदेश														
50.	सिरमौर	3/00	7/02	10000	36	100	0	2	0	33	23	74	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51.	हमीरपुर	3/02		6000	0	125	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			16000	36	225	0	5	0	33	23	74	2	0	0
IX.	जम्मू-कश्मीर														
52.	श्रीनगर	2/01	7/02	10800	28	24	0	4	0	0	20	22	0	4	0
53.	उधमपुर	2/01	3/02	48850	0	390	0	7	0	0	0	40	0	0	0
	कुल			59650	28	414	0	11	0	0	20	62	0	4	0
X.	झारखंड														
54.	धनबाद	1/00		104627	383	1057	282	10	0	0	0	0	0	0	0
55.	बोकारो	3/01		104627	360	5	249	8	0	0	0	0	0	0	0
56.	दुमका	1/02		155569	580	1185	0	10	0	0	0	0	0	0	0
57.	हजारीबाग	1/02		130000	600	985	0	15	0	0	0	0	0	0	0
58.	रांची	4/02		165000	600	1256	0	10	0	0	0	0	0	0	0
59.	पूर्वी सिंहभूम	4/02		97196	390	925	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			757064	2913	5413	531	63	0	0	0	0	0	0	0
XI.	कर्नाटक														
60.	बेल्लारी	1/00	8/02	100000	50	900	0	2	0	5218	4	30	0	0	0
61.	मैसूर	1/00		45000	10	2500	0	20	0	8489	0	95	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62.	मंगलौर	1/00		42000	10	984	0	15	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			187000	70	4384	0	37	0	13707	0	125	0	0	0
XII.	**केरल**														
63.	कोल्लम	12/00	9/02	85000	400	225	0	10	0	14231	62	108	0	1	0
64.	कसारागोढ़	12/00	9/02	82200	100	281	0	4	0	17972	0	4	0	0	0
65.	अल्लापुझा	1/02	9/02	161871	125	377	0	10	0	36500	24	84	0	0	0
66.	तिरूअनंतपुरम	1/02	9/02	67320	60	350	0	10	0	20000	10	5	0	2	0
67.	मल्लापुरम	1/02	9/02	69217	80	380	0	10	0	19000	7	0	0	0	0
68.	वायनाड	1/02	9/02	54927	40	78	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			520535	805	1691	0	47	0	107703	103	201	0	2	0
XIII.	**मध्य प्रदेश**														
69.	ग्वालियर	8/00	7/02	30166	13	990	0	6	0	5185	1	103	0	0	0
70.	सेहोर	8/00		8683	4	1141	0	5	0	0	0	0	0	0	0
71.	रायसेन	8/00	7/02	86722	27	985	0	10	0	2050	0	7	0	0	0
72.	नरसिंहपुर	8/00		67857	31	993	0	6	0	2171	0	0	0	0	0
73.	होशंगाबाद	8/00	8/02	69432	31	954	0	7	0	2385	4	86	0	0	0
74.	बैतुल	1/02		76985	44	1388	0	10	0	0	0	0	0	0	0
75.	खंडवा	4/02		137216	65	1238	0	10	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76.	राजगढ़	4/02		79403	44	1263	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			556464	259	8952	0	62	0	11791	5	196	0	0	0
XIV.	**महाराष्ट्र**														
77.	अमरावती	1/00	9/02	150000	42	1465	0	10	0	1650	3	4	0	0	0
78.	धुले	1/00		86148	92	735	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79.	नांदेड	1/00		136000	54	1944	0	10	0	0	0	0	0	0	0
80.	रायगढ़	1/00		65000	68	2517	0	10	0	0	0	0	0	0	0
81.	चन्द्रपुर	2/01		120000	56	1420	0	12	0	0	0	0	0	0	0
82.	रत्नागिरि	2/01		90000	200	2168	0	10	0	0	0	0	0	0	0
83.	यावतमल	3/01		110000	150	1040	0	16	0	0	0	0	0	0	0
84.	सांगली	3/01		51386	81	525	0	10	0	0	0	183	0	0	0
85.	औरंगाबाद	3/01	7/02	76342	40	735	0	9	0	0	0	0	0	0	0
86.	अहमदनगर	4/02		110000	42	1500	0	14	0	0	0	0	0	0	0
87.	जलगांव	4/02		100000	225	1445	0	15	0	0	0	0	0	0	0
88.	जालना	4/02		100000	24	700	0	8	0	0	0	0	0	0	0
89.	नंदूरबार	4/02		6000	32	759	241	6	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			1200876	1116	16953	241	140	0	1650	3	187	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XV.	**मणिपुर**														
90.	इम्फाल प०	3/01		20608	36	156	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			20608	36	156	0	5	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	**नागालैंड**														
91.	दीमापुर	10/00		21125	0	111	0	3	0	100	0	1	0	0	0
92.	कोहिमा	3/01		25610	0	135	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93.	मोकोकचुंग	3/01		9069	0	50	0	2	0	2300	0	12	0	0	0
94.	जुनेहबोटो	4/02		13718	1176	272	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			69522	1176	588	0	10	0	2400	0	13	0	0	0
XVII.	**उड़ीसा**														
95.	सुन्दरगढ़	3/00		183809	0	1976	0	10	0	5000	0	500	0	10	0
96.	गंजम	3/00	7/02	190000	0	1325	0	10	0	7713	0	218	0	10	0
97.	बालासोर	3/00	7/02	195000	0	1161	0	10	0	32666	0	1274	0	10	0
98.	भद्रक	6/01		135000	0	703	0	8	0	0	0	222	0	8	0
99.	खुर्दा	6/01		150000	0	780	0	8	0	0	0	0	0	0	0
100.	जयपुर	4/02		162500	300	1707	0	10	10	0	0	0	0	0	0
101.	नयागढ़	4/02		122500	300	1117	0	8	8	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102.	कटक	4/02		155000	342	1432	0	10	14	0	0	0	0	0	0
	कुल			1293809	942	10201	0	74	32	45379	0	2214	0	38	0
XVIII.	पंजाब														
103.	भटिंडा	12/00		40000	14	442	0	7	0	8000	6	94	0	0	0
104.	मुक्तसर	3/01	9/02	33148	200	193	0	5	0	6830	32	139	0	0	0
105.	मोगा	6/01		37170	10	210	0	5	0	0	0	0	0	0	0
106.	पटियाला	4/02		10000	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	संगरूर	4/02		57500	25	1664	0	0	0	0	3	25	0	0	0
	कुल			177818	259	3009	0	17	0	14830	41	258	0	0	0
XIX.	राजस्थान														
108.	सीकर	3/00		70500	40	3185	0	10	0	0	0	0	0	0	0
109.	वाडमेर	3/00		78600	40	4480	0	10	0	0	0	0	0	0	0
110.	जयपुर	3/00		52000	34	5860	0	10	0	0	0	0	0	0	0
111.	अलवर	3/00		93600	61	4275	0	10	0	0	0	0	0	0	0
112.	झालावाड़	3/01		55229	30	330	0	12	0	0	0	0	0	0	0
113.	राजसमंद	4/02		57961	35	1826	0	10	0	7	0	0	0	0	0
114.	अजमेर	4/02		63141	40	1692	0	10	0	8	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115.	बुंदी	4/02		42580	20	1342	0	10	4	0	0	0	0	0	0
116.	कोटा	4/02		47767	25	1099	0	10	5	0	0	0	0	0	0
	कुल			561378	325	24089	0	92	24	0	0	0	0	0	0
XX.	**सिक्किम**														
117.	सिक्किम द०	11/99	8/02	190	0	155	45	1	0	190	44	139	0	0	0
118.	सिक्किम प०	11/99	8/02	245	0	160	45	1	0	245	44	110	0	0	0
119.	सिक्किम उ०	3/02	8/02	5280	50	176	0	3	3	25	0	20	0	0	0
120.	सिक्किम पूर्व	3/02		10000	115	400	0	7	12	0	0	0	0	0	0
	कुल			15715	165	891	90	12	15	460	88	269	0	0	0
XXI.	**तमिलनाडु**														
121.	कोयम्बटूर	11/99	9/02	83520	10	591	595	4	0	20130	10	589	156	4	0
122.	कुड्डालोर	11/99	9/02	86000	30	1055	1126	10	0	25601	13	486	205	0	0
123.	पेरम्बलूर	3/00	9/02	78600	52	676	535	10	0	37689	52	583	367	7	0
124.	वेल्लोर	3/00	4.50	125000	25	2707	1296	10	0	112716	7	725	177	10	0
125.	इरोड	2/01	9/02	91820	63	1187	0	10	0	40135	34	396	0	10	0
126.	कन्याकुमारी	3/01	9/02	38800	10	250	390	2	0	19321	8	209	209	1	0
127.	विरुधूनगर	3/01	9/02	79744	33	465	0	10	0	14498	33	444	0	0	0
128.	तिरुचिरापल्ली	1/02	9/02	30000	0	256	476	8	0	640	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129.	मदुरई	1/02	9/02	25000	0	405	385	7	0	0	0	0	0	0	0
130.	धर्मपुरी	1/02	9/02	134000	70	1081	2143	10	0	2360	0	90	126	0	0
131.	कांचीपुरम	6/02	9/02	100000	150	795	1450	10	0	0	0	0	0	0	0
132.	पुद्दुकोटई	6/02	9/02	126000	50	600	1267	10	0	0	5	0	0	0	0
133.	करूर	6/02	9/02	55727	108	431	372	10	0	0	32	54	53	0	0
134.	तिरुनेलवेली	6/02	9/02	58000	19	1300	1190	19	0	0	0	0	0	0	0
135.	थेनी	6/02	9/02	37788	8	250	240	7	0	0	0	0	0	0	0
136.	रामनाथपुरम	6/02	9/02	80000	429	637	618	5	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			1229999	1057	12686	12086	142	0	273090	157	3222	1240	32	0
XXII.	**त्रिपुरा**														
137.	प० त्रिपुरा	12/00		131383	0	1014	150	10	0	4270	0	61	2	15	0
138.	उ० त्रिपुरा	6/01		61501	0	412	0	6	0	0	0	3	0	0	0
139.	द० त्रिपुरा	6/01		105779	0	114	0	10	0	1000	0	0	0	5	0
140.	धलाई	1/02		38887	0	275	45	5	0	654	0	0	0	0	0
	कुल			337550	0	1815	195	31	0	5924	0	64	2	20	0
XXIII.	**उत्तर प्रदेश**														
141.	मिर्जापुर	3/00	7/02	100000	141	800	0	10	0	15594	50	131	0	9	0
142.	सोनभद्र	3/00	7/02	78450	110	620	0	8	0	14462	63	112	0	8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
143.	चंदौली	3/00	7/02	62000	0	70	0	10	0	13987	0	25	0	10	0
144.	लखनऊ	3/00	7/02	70707	0	325	0	8	0	12510	0	103	0	8	0
145.	आगरा	8/00	7/02	27181	0	410	0	3	0	4821	0	170	0	3	0
146.	गाजीपुर	12/00	7/02	94283	70	220	0	10	0	19729	32	73	0	8	0
147.	जौनपुर	12/00	7/02	97034	80	400	0	10	0	22500	34	133	0	7	0
148.	वाराणसी	12/00	7/02	33978	24	170	0	5	0	9125	6	34	0	3	0
149.	बलिया	12/00	7/02	89060	179	1664	0	10	0	21552	31	508	0	3	0
150.	देवरिया	12/00	7/02	59918	0	182	0	9	0	13147	0	60	0	2	0
151.	आजमगढ़	2/01	7/02	55000	74	1000	0	10	0	11339	15	190	0	3	0
152.	बिजनौर	2/01	7/02	80000	107	900	0	10	0	19016	25	184	0	5	0
153.	बदायूं	1/02	9/02	100000	0	260	0	0	0	2768	0	0	0	10	0
154.	बाराबंकी	1/02	7/02	120000	0	510	0	10	0	1488	0	0	0	0	0
155.	बस्ती	1/02	7/02	153000	0	918	0	10	0	686	0	0	0	0	0
156.	बहराइच	1/02	7/02	100000	0	500	0	10	0	2463	0	0	0	0	0
157.	इलाहाबाद	1/02	7/02	170000	0	1000	0	10	0	3623	0	0	0	0	0
158.	ललितपुर	1/02	7/02	18000	0	145	0	2	0	503	0	0	0	0	0
159.	जालौन	1/02	7/02	46000	0	175	0	12	0	0	0	0	0	0	0
160.	चित्रकूट	1/02	7/02	25000	0	155	0	5	0	152	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
161.	कानपुर नगर	1/02	7/02	45000	0	512	0	10	0	0	0	0	0	0	0
162.	कानपुर देहात	1/02	7/02	64600	0	731	0	10	0	1417	0	0	0	0	0
163.	बुलंदशहर	1/02	7/02	20000	0	290	0	8	0	355	0	0	0	0	0
164.	सहारनपुर	1/02	7/02	7077	0	229	0	4	0	752	0	0	0	0	0
165.	सुल्तानपुर	3/02	7/02	98000	110	680	0	6	0	0	0	0	0	0	0
166.	प्रतापगढ़	3/02	7/02	72000	55	700	0	10	0	0	0	0	0	0	0
167.	गोरखपुर	3/02	7/02	75000	115	400	0	10	0	0	0	0	0	0	0
168.	भदोही	3/02	7/02	32000	22	220	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			1993288	1087	14186	0	225	0	191989	256	1723	0	79	0
XXIV.	उत्तरांचल														
169.	हरिद्वार	6/01		14495	50	87	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			14495	50	87	0	2	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	प० बंगाल														
170.	मिदनापुर	8/00	7/02	336000	360	6765	0	10	0	563136	4	3207	0	54	0
171.	हावड़ा	2/01	8/02	122500	280	1339	0	10	0	97912	0	0	0	14	0
172.	वर्दमान	3/01	7/02	300000	.294	1924	0	10	0	72189	0	483	0	30	0
173.	द० 24 परगना	3/01	8/02	300000	370	1728	0	9	0	43499	0	0	0	24	0
174.	उ० 24 परगना	3/01	8/02	300000	1100	1110	0	30	0	49856	0	509	0	21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
175.	द० दिनाजपुर	5/01	8/02	133057	24	835	0	9	0	10115	0	0	0	7	0
176.	मुर्शिदाबाद	5/01	8/02	225000	0	1715	0	18	0	54089	0	206	0	26	0
177.	जलपाईगुडी	5/01	8/02	180000	532	1210	0	22	0	8618	0	0	0	13	0
178.	मालदा	6/01	7/02	254292	290	1471	0	17	0	7110	0	52	0	13	0
179.	बांकुड़ा	4/02	7/02	200000	500	2500	0	24	0	0	0	0	0	0	0
180.	कूच बिहार	4/02	7/02	202893	50	548	0	15	12	0	0	0	0	0	0
181.	हुगली	4/02	7/02	200000	194	2113	0	10	18	0	0	0	0	0	0
182.	उ० दिनाजपुर	4/02	7/02	198000	216	1346	0	30	0	0	0	0	0	0	0
183.	नाडिया	4/02	7/02	250000	34	1931	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			3201742	4244	26535	0	264	30	906524	4	4457	0	202	0
XXVI.	पांडिचेरी														
184.	पांडिचेरी	6/01		18000	0	26	16	3	0	900	0	0	0	0	0
	कुल			18000	0	26	16	3	0	900	0	0	0	0	0
XXVII.	दादरा और नागर हवेली														
185.	दादरा और नागर हवेली	4/02		2480	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल			2480	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग			16941084	20504	167966	13206	1610	112	1795841	975	19506	1544	399	0

विवरण-II

केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (30 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु० में)

क्रम सं.	राज्य/जिला	मंजूरी महीना/वर्ष	सूचित माह/वर्ष	कुल परियोजनाएं परिव्यय	अनुमोदित अंश			धन की रिलीज		बताया गया व्यय			
					केंद्र	राज्य	लाभार्थी	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	लाभार्थी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**आंध्र प्रदेश**												
1.	खम्माम	11/99	9/02	918.80	613.41	195.25	110.14	184.02	58.58	153.81	26.19	38.19	218.19
2.	नलगोंडा	3/00	9/02	1465.00	973.90	303.35	187.75	292.17	91.00	428.18	316.28	105.43	849.89
3.	प्रकाशम	3/00	8/02	1534.75	1019.94	302.80	212.01	305.98	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	चित्तुर	3/00	9/02	2042.24	1354.87	434.93	252.44	406.46	130.48	185.30	9.17	8.78	203.25
5.	नेल्लोर	3/01	9/02	1700.80	1129.53	327.21	244.06	338.86	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	अदीलाबाद	5/01	8/02	1697.88	1100.62	344.42	252.84	330.19	11.56	6.21	6.21	0.00	12.42
7.	अनंतपुर	5/01	8/02	1371.15	902.12	276.93	192.10	270.64	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	महबूबनगर	5/01	9/02	1898.66	1260.11	373.15	265.40	378.03	11.16	221.84	0.00	4.78	226.62
9.	निजामाबाद	5/01	9/02	1488.64	982.76	300.51	205.37	294.83	92.03	351.80	248.20	109.16	709.16
10.	विजयनगरम	5/02	8/02	1325.46	881.81	258.49	185.16	264.54	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	वारंगल	4/02	8/02	1932.00	1277.20	385.60	269.20	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कुरनूल	4/02	8/02	2015.03	1336.02	419.45	259.56	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	गुंटूर	4/02	8/02	1851.20	883.42	485.06	482.72	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	पू० गोदावरी	4/02	8/02	2000.00	1327.00	400.00	273.00	132.70	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	कुल			23241.61	15042.71	4807.15	3391.75	3548.08	600.79	1377.14	606.05	266.34	2249.53
II.	अरुणाचल प्रदेश												
15.	लोहित	3/00		257.76	257.76	51.84	33.22	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	प० सियांग	3/00		237.05	237.05	48.82	29.41	47.65	0.00	126.49	0.00	109.03	235.52
17.	दिबांग वेली	1/02	6/02	96.40	65.03	19.67	11.70	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	अपर सुबनसिरी	1/02		164.93	110.96	34.00	19.97	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			756.14	507.51	154.33	94.30	152.26	0.00	126.49	0.00	109.03	235.52
III.	असम												
19.	कामरूप	1/00		206.74	136.09	41.35	29.30	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	जोरहाट	1/00		217.51	148.06	43.58	25.87	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सोनितपुर	1/00		235.93	159.91	47.30	28.72	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	कच्छार	6/01	7/02	285.00	184.22	56.95	43.83	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	धुबरी	6/01	7/02	299.67	198.99	59.91	40.77	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	गोलपारा	6/01	7/02	245.63	163.88	49.12	32.63	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	करबी अंगलांग	6/01	7/02	305.97	142.56	80.85	82.56	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	करीमगंज	6/01	7/02	236.17	156.24	48.18	31.75	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	मोरीगांव	6/01	7/02	218.09	145.40	43.62	29.07	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	नलबाड़ी	6/01	7/02	368.73	240.46	73.55	54.72	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	शिवसागर	1/02	7/02	203.92	136.15	41.69	26.08	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			2823.36	1811.96	586.10	425.30	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	बिहार												
30.	वैशाली	11/99	6/02	2237.60	1483.81	451.15	302.64	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	पू० चम्पारन	2/01	6/02	2087.34	1384.65	418.36	284.30	415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पटना	2/01	6/02	2093.15	1387.15	420.14	285.86	416.15	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	गया	2/01	6/02	2096.66	1390.79	420.27	285.60	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	बांका	2/01	6/02	1605.98	1066.94	321.84	217.20	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	मुजफ्फरपुर	5/01	6/02	1910.95	1268.23	382.98	259.74	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	छपरा (सारण)	5/01	6/02	1973.80	1309.71	395.62	248.47	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.	मधुबनी	3/02	6/02	2014.66	1336.67	412.79	265.20	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.	कटिहार	3/02	6/02	2012.15	1335.02	405.47	271.66	400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.	बेगूसराय	3/02	6/02	1998.77	1325.84	402.18	270.75	397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			20031.06	13288.81	4030.83	2711.42	3986.65	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V.	**छत्तीसगढ़**												
40.	दुर्ग	5/01	9/02	1147.64	764.44	229.86	153.34	229.33	0.00	49.99	0.00	7.90	57.89
	कुल			1147.64	764.44	229.86	153.34	229.33	0.00	49.99	0.00	7.90	57.89
VI.	**गुजरात**												
41.	मेहसाणा	1/00	4/02	508.80	337.87	116.37	54.56	101.38	34.90	55.27	55.17	0.00	110.44
42.	सूरत	1/00	4/02	491.33	311.27	118.24	61.82	93.38	35.47	48.81	24.68	0.00	73.49
43.	राजकोट	1/00	4/02	819.51	547.87	193.75	77.89	164.36	58.13	91.10	45.36	0.00	135.46
44.	अहमदाबाद	4/02		1148.08	762.01	248.62	137.45	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.	गांधीनगर	4/02		285.84	184.50	67.63	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			3253.56	2143.52	744.61	365.43	435.30	128.50	194.18	125.21	0.00	319.39
VII.	**हरियाणा**												
46.	करनाल	10/00	8/02	970.44	446.56	222.08	301.80	133.97	66.62	64.13	29.34	10.00	103.47
47.	यमुनानगर	10/00	8/02	560.87	267.55	127.91	165.41	80.26	33.38	40.08	15.92	5.50	61.50
48.	भिवानी	1/02	8/02	309.03	206.86	60.01	42.16	62.06	0.00	18.48	1.24	1.24	20.96
49.	गुडगांव	3/02	8/02	792.05	418.95	198.15	174.95	125.68	0.00	6.80	0.00	0.00	6.80
	कुल			2632.39	1339.92	608.15	684.32	401.97	100.00	129.49	46.50	16.74	192.73
VIII.	**हिमाचल प्रदेश**												
50.	सिरमौर	3/00	7/02	133.13	89.21	27.28	16.64	53.52	16.36	24.03	7.41	2.21	33.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51.	हमीरपुर	3/02		[illegible]	95.50	51.80	51.70	28.65	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			332.13	184.71	79.08	68.34	82.17	31.90	24.03	7.41	2.21	33.65
IX.	जम्मू-कश्मीर												
52.	श्रीनगर	2/01	7/02	104.06	67.08	21.15	15.83	20.12	1.04	11.39	0.00	0.84	12.23
53.	उधमपुर	2/01	3/02	507.35	339.75	101.47	66.13	101.93	0.00	4.16	0.00	0.00	4.16
	कुल			611.41	406.83	122.62	81.96	122.05	1.04	15.55	0.00	0.84	16.39
X.	झारखंड												
54.	धनबाद	1/00		1426.85	948.71	297.89	180.25	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.	बोकारो	3/01		1072.96	713.75	208.94	150.27	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.	दुमका	1/02		2045.93	1348.81	435.76	261.36	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.	हजारीबाग	1/02		2040.43	926.42	544.25	569.76	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.	रांची	4/02		1994.35	1323.42	404.05	266.88	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.	पूर्वी सिंहभूम	4/02		1341.85	735.82	320.65	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			9922.37	5996.93	2211.54	1713.90	1266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI.	कर्नाटक												
60.	बेल्लारी	1/00	8/02	1001.57	627.05	213.72	160.80	188.12	0.00	29.48	0.00	2.11	31.59
61.	मैसूर	1/00		1114.26	739.95	262.94	111.37	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62.	मंगलौर	1/00		637.76	419.79	140.86	77.11	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			2753.59	1786.79	617.52	349.25	536.05	0.00	29.48	0.00	2.11	31.59
XII.	केरल												
63.	कोल्लम	12/00	9/02	895.00	597.70	174.55	122.75	179.31	52.37	101.59	32.01	38.38	171.98
64.	कसारगोड़	12/00	9/02	111.88	429.26	261.98	420.62	128.78	78.59	50.50	46.11	0.00	96.61
65.	अल्लापुझा	1/02	9/02	1656.13	1100.05	322.20	233.88	330.02	96.66	164.76	54.83	0.00	219.59
66.	तिरुअनंतपुरम	1/02	9/02	749.61	506.90	149.76	92.95	152.07	44.93	82.80	26.80	0.00	109.60
67.	मल्लापुरम	1/02	9/02	759.86	510.98	152.36	96.52	153.29	45.71	84.00	26.93	0.00	110.93
68.	वायनाड	1/02	9/02	535.19	355.32	103.25	76.62	106.60	30.98	58.72	17.26	0.00	75.98
	कुल			5707.65	3500.21	1164.10	1043.34	1050.07	349.24	542.37	203.94	38.38	784.69
XIII.	मध्य प्रदेश												
69.	ग्वालियर	8/00	7/02	560.29	370.03	126.77	63.49	111.00	0.00	73.02	26.76	12.02	111.80
70.	सेहोर	8/00		369.08	239.39	94.22	35.47	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.	रायसेन	8/00	7/02	1086.33	717.05	227.26	142.02	215.11	0.00	31.50	0.00	2.70	34.20
72.	नरसिंहपुर	8/00		941.70	623.85	199.16	118.69	187.16	0.00	17.80	0.00	7.83	25.63
73.	होशंगाबाद	8/00	8/02	943.70	624.87	198.86	119.97	187.46	0.00	123.09	0.00	9.04	132.13
74.	बैतुल	1/02		1111.97	730.56	239.75	141.66	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.	खंडवा	4/02		1686.20	1125.22	345.20	215.78	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76.	राजगढ़	4/02		1113.62	731.70	238.56	143.36	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			7812.89	5162.67	1669.78	980.44	1177.41	0.00	245.41	26.76	31.59	303.76
XIV.	महाराष्ट्र												
77.	अमरावती	1/00	9/02	1660.40	1097.65	337.13	225.62	329.20	156.72	78.73	14.69	90.50	183.92
78.	धुले	1/00		1084.55	722.80	220.78	140.97	216.84	152.54	49.81	7.84	0.00	57.65
79.	नांदेड	1/00		1949.40	1064.77	359.37	225.32	319.43	157.68	64.18	10.08	0.00	74.26
80.	रायगढ़	1/00		1262.73	826.82	290.26	145.85	248.05	174.13	62.13	10.25	0.00	72.38
81.	चन्द्रपुर	2/01		2290.14	1098.49	523.53	668.12	329.55	53.89	42.23	5.76	0.00	47.99
82.	रत्नागिरी	2/01	8/02	1795.79	877.22	416.58	501.99	263.17	75.27	37.30	5.09	0.00	42.39
83.	यावतमल	3/01		1990.34	935.63	453.99	600.72	280.69	80.26	41.37	5.83	0.00	47.20
84.	सांगली	3/01		978.45	472.93	221.58	283.94	141.88	31.53	29.15	3.30	1.10	33.55
85.	औरंगाबाद	3/01	7/02	1341.93	602.24	318.86	420.83	180.67	60.00	46.65	14.98	3.66	65.29
86.	अहमदनगर	4/02		2023.19	994.79	532.60	495.80	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.	जलगांव	4/02		1977.13	1009.08	505.53	462.52	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88.	जालना	4/02		1685.80	809.52	437.16	439.12	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89.	नंदूरबार	4/02		381.58	238.04	96.51	47.03	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			20121.49	10749.98	4713.88	4657.63	2614.72	842.00	451.55	77.82	95.26	624.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XV.	**मणिपुर**												
90.	इम्फाल प०	3/01		314.97	160.28	79.97	74.72	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			314.97	160.28	79.97	74.72	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XVI.	**नागालैंड**												
91.	दीमापुर	10/00		228.04	152.61	45.52	29.91	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92.	कोहिमा	3/01		262.94	175.64	52.63	34.67	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.	मोकोकचुंग	3/01		98.18	66.19	19.66	12.33	19.86	0.00	17.11	0.00	3.12	20.23
94.	जुनेहबोटो	4/02		206.65	137.88	44.71	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			795.81	532.32	162.52	100.97	118.33	0.00	17.11	0.00	3.12	20.23
XVII.	**उड़ीसा**												
95.	सुन्दरगढ़	3/00	8/02	2019.38	1310.53	428.08	280.77	393.16	45.77	106.60	9.75	12.25	128.60
96.	गंजम	3/00	7/02	2062.51	1368.26	418.38	275.87	410.48	45.78	141.83	5.00	19.78	166.61
97.	बालासोर	3/00	7/02	2062.52	1368.26	415.10	279.16	410.48	45.78	345.06	5.00	72.50	422.56
98.	भद्रक	6/01		1349.80	896.47	270.52	182.81	268.94	0.00	44.02	0.00	4.44	48.46
99.	खुर्दा	6/01		1500.00	996.30	300.60	203.10	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.	जयपुर	4/02		1977.03	1300.22	417.55	259.26	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101.	नयागढ़	4/02		1537.78	1026.42	315.90	195.46	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102.	कटक	4/02		1896.21	1249.71	396.43	250.07	124.97	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47
	कुल			14405.23	9516.17	2962.56	1926.50	2139.58	137.33	637.98	19.75	108.97	766.70
XVIII.	पंजाब												
103.	भटिंडा	12/00		487.79	314.17	106.40	67.22	94.25	0.00	67.55	0.00	15.12	82.67
104.	मुक्तसर	3/01	9/02	365.14	244.49	73.04	47.61	73.35	0.00	60.78	0.00	22.17	82.95
105.	मोगा	6/01		365.31	229.39	81.26	54.66	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106.	पटियाला	4/02		304.00	165.20	80.80	58.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107.	संगरूर	4/02		863.53	361.48	246.56	255.49	36.15	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	कुल			2385.77	1314.73	588.06	482.98	289.09	0.00	133.33	0.00	37.29	170.62
XIX.	राजस्थान												
108.	सीकर	3/00		1533.41	1006.74	361.21	165.46	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109.	बाडमेर	3/00		1912.04	1250.30	461.09	200.65	375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110.	जयपुर	3/00		2069.40	1359.07	517.03	193.30	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111.	अलवर	3/00		2038.59	1334.16	481.99	222.44	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112.	झालावाड़	3/01		664.13	445.33	132.78	86.02	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113.	राजसमंद	4/02		1145.14	763.33	254.13	127.68	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114.	अजमेर	4/02		1165.48	776.25	255.29	133.94	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115.	बुंदी	4/02		839.40	561.68	186.38	91.34	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116.	कोटा	4/02		830.10	554.95	179.71	95.44	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			12197.69	8051.81	2829.51	1316.27	1884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX.	**सिक्किम**												
117.	सिक्किम द०	11/99	8/02	47.59	29.21	10.91	7.47	17.52	11.48	18.24	12.54	3.51	34.29
118.	सिक्किम प०	11/99	8/02	51.01	30.74	11.36	8.91	18.44	12.82	17.72	12.85	3.93	34.47
119.	सिक्किम उ०	3/02	8/02	181.24	107.89	43.47	29.88	32.37	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17
120.	सिक्किम पूर्व	3/02		406.79	246.90	95.29	64.60	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			686.63	414.74	161.03	110.86	142.40	24.30	38.13	25.36	7.44	70.93
XXI.	**तमिलनाडु**												
121.	कोयम्बटूर	11/99	9/02	1133.71	513.67	177.30	442.74	308.20	106.38	179.94	69.88	149.58	399.40
122.	कुड्डालोर	11/99	9/02	1148.59	742.91	255.75	149.93	445.74	153.44	267.04	101.83	46.95	415.82
123.	पेरम्बलूर	3/00	9/02	934.61	596.32	204.25	134.04	357.80	122.55	325.85	121.15	114.75	561.75
124.	वेल्लोर	3/00	7/02	1885.59	1182.53	453.69	249.37	709.52	272.24	694.38	235.78	185.00	1115.16
125.	इरोड	2/01	9/02	1100.03	701.87	240.68	157.48	421.12	144.41	266.99	92.80	64.88	424.67
126.	कन्याकुमारी	3/01	9/02	581.13	233.69	140.51	206.93	140.22	84.31	134.96	102.69	161.64	399.29
127.	विरुधूनगर	3/01	9/02	813.13	522.07	170.17	120.89	313.24	101.10	181.37	68.69	46.91	296.97
128.	तिरुचिरापल्ली	1/02		606.35	405.80	122.70	77.85	115.44	34.71	15.29	7.05	2.35	24.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129.	मदुरई	1/02	9/02	560.43	299.79	141.51	119.13	84.27	40.56	11.68	0.00	0.00	11.68
130.	धर्मपुरी	1/02	9/02	1721.87	1105.55	384.77	231.55	312.77	123.92	81.24	40.14	13.22	134.60
131.	कांचीपुरम	6/02		2006.13	984.00	521.80	500.53	98.40	52.16	6.83	0.00	0.00	6.83
132.	पुड्डुकोटई	6/02		1472.11	954.28	311.86	205.97	95.43	31.18	43.59	10.00	0.00	53.59
133.	करूर	6/02		864.29	555.25	183.84	125.20	55.53	18.38	10.77	0.00	0.00	10.77
134.	तिरुनेलवेली	6/02		937.72	598.06	221.25	118.41	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135.	थेनी	6/02		666.21	329.86	171.86	164.49	32.99	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
136.	रामनाथपुरम	6/02		2047.83	1030.50	504.84	512.49	103.05	0.00	2.39	0.00	0.00	2.39
	कुल			18479.73	10756.15	4206.58	3517.00	3653.53	1302.52	2222.32	850.01	785.28	3857.61
XXII.	त्रिपुरा												
137.	प० त्रिपुरा	12/00		1294.42	845.54	266.61	182.27	253.66	7.43	94.54	14.85	11.98	121.37
138.	उ० त्रिपुरा	6/01		585.73	383.55	118.91	83.27	115.07	6.75	9.85	0.00	0.00	9.85
139.	द० त्रिपुरा	6/01		1431.49	571.98	328.55	530.96	171.59	7.42	111.16	0.00	5.00	116.16
140.	धलाई	1/02		394.79	259.89	81.00	53.90	77.97	6.77	14.50	5.40	0.00	19.90
	कुल			3706.43	2060.96	795.07	850.40	618.29	28.37	230.25	20.25	16.98	267.28
XXIII.	उत्तर प्रदेश												
141.	मिर्जापुर	3/00	7/02	1174.86	765.16	247.06	162.64	229.55	55.13	166.37	11.90	26.35	207.62
142.	सोनभद्र	3/00	7/02	927.65	605.39	194.89	127.37	181.62	43.49	166.97	7.89	26.02	200.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143.	चंदौली	3/00	7/02	607.84	408.17	116.90	82.77	122.45	9.26	105.86	8.68	17.81	132.35
144.	लखनऊ	3/00	7/02	679.78	439.80	140.68	99.30	131.94	31.39	83.07	23.69	16.98	123.74
145.	आगरा	8/00	7/02	343.06	223.73	75.15	44.18	67.12	22.55	60.83	17.25	8.24	86.32
146.	गाजीपुर	12/00	7/02	1030.98	590.68	216.74	223.56	177.20	15.34	168.62	13.35	28.91	210.88
147.	जौनपुर	12/00	7/02	1151.95	637.94	248.59	265.42	191.38	14.85	191.38	14.84	33.36	239.58
148.	वाराणसी	12/00	7/02	383.92	247.19	78.64	58.09	74.16	18.66	71.14	13.90	12.47	97.51
149.	बलिया	12/00	7/02	1396.45	797.41	323.31	275.73	239.22	96.99	181.40	57.21	36.74	275.35
150.	देवरिया	12/00	7/02	633.61	341.98	138.40	153.23	102.59	19.32	93.88	6.26	17.21	117.35
151.	आजमगढ़	2/01	7/02	710.47	473.12	147.98	89.37	141.94	7.47	107.90	4.85	18.19	130.94
152.	बिजनौर	2/01	7/02	846.76	540.14	178.35	128.27	162.04	15.10	154.16	13.54	28.74	196.44
153.	बदायुं	1/02	7/02	1340.32	731.45	316.12	292.75	204.93	61.17	13.84	0.00	3.46	17.30
154.	बाराबंकी	1/02	7/02	1231.16	765.89	260.19	205.08	215.86	64.44	15.32	0.00	1.86	17.18
155.	बस्ती	1/02	7/02	1460.75	924.85	302.48	233.42	261.54	78.07	3.43	0.00	0.86	4.29
156.	बहराइच	1/02	7/02	976.80	632.84	199.98	143.98	178.62	53.32	14.89	0.00	3.08	17.97
157.	इलाहाबाद	1/02	7/02	2021.07	1203.75	450.82	366.50	339.53	101.35	35.48	0.00	4.53	40.01
158.	ललितपुर	1/02	7/02	198.48	126.22	41.39	30.87	35.73	10.67	2.37	0.00	0.63	3.00
159.	जालोन	1/02	7/02	532.16	350.56	107.46	74.14	99.55	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
160.	चित्रकूट	1/02	7/02	318.14	201.42	69.47	47.25	57.00	17.02	8.35	0.00	0.00	8.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161.	कानपुर नगर	1/02	7/02	602.82	369.08	133.59	100.15	104.42	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
162.	कानपुर देहात	1/02	7/02	843.33	524.61	182.73	135.99	148.39	44.30	7.76	0.00	1.77	9.53
163.	बुलंदशहर	1/02	7/02	396.62	202.67	103.51	90.44	56.63	16.90	11.29	0.00	0.44	11.73
164.	सहारनपुर	1/02	7/02	127.64	87.04	27.24	13.36	24.72	7.38	12.05	0.00	1.99	14.04
165.	सुल्तानपुर	3/02	7/02	1158.52	631.86	276.74	249.92	189.56	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
166.	प्रतापगढ़	3/02	7/02	953.66	596.51	209.15	148.00	178.95	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
167.	गोरखपुर	3/02	7/02	1071.07	634.66	242.10	194.31	190.40	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
168.	भदोही	3/02	7/02	378.00	252.98	76.22	48.80	63.02	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			23497.87	14307.10	5105.88	4084.89	4170.06	1050.72	1676.36	193.36	289.64	2159.36
XXIV.	**उत्तरांचल**												
169.	हरिद्वार	6/01		172.72	115.39	34.56	22.77	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			172.72	115.39	34.56	22.77	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXV.	**प० बंगाल**												
170.	मिदनापुर	8/00	7/02	2769.08	1806.13	671.41	291.54	1086.68	200.36	554.84	200.00	53.42	808.26
171.	हावड़ा	2/01	7/02	1011.21	461.61	220.56	329.04	138.48	66.17	80.04	34.41	0.00	114.45
172.	वर्दमान	3/01	7/02	2119.94	1033.86	305.94	780.14	310.16	91.78	123.62	29.97	61.85	215.44
173.	द० 24 परगना	3/01	7/02	1965.68	1031.84	304.22	629.62	309.55	91.26	0.52	161.22	0.00	161.74
174.	उ० 24 परगना	3/01	7/02	2066.40	1089.92	327.88	648.60	326.98	98.36	77.62	21.39	47.55	146.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175.	द० दिनाजपुर	5/01	7/02	891.16	419.04	128.88	343.24	125.71	38.66	35.04	2.40	0.00	37.44
176.	मुर्शिदाबाद	5/01	7/02	1970.40	902.37	259.95	808.08	270.71	77.98	20.19	3.49	0.00	23.68
177.	जलपाईगुडी	5/01	7/02	1360.28	680.01	202.98	477.29	204.00	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
178.	मालदा	6/01	7/02	1721.37	811.95	249.08	660.34	243.59	74 72	0.00	0.00	0.00	0.00
179.	बांकुडा	4/02	7/02	2006.89	965.53	328.36	713.00	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180.	कूच बिहार	4/02	7/02	1462.51	641.17	188.99	632.35	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181.	हुगली	4/02	7/02	1998.94	1016.35	319.57	663.02	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182.	उ० दिनाजपुर	4/02	7/02	1731.87	685.82	222.05	824.00	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183.	नाडिया	4/02	7/02	2030.79	890.74	291.57	848.48	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			25106.52	12436.34	4021.44	8648.74	3432.81	800.18	891.87	452.88	162.82	1507.57
XXVI.	**पांडिचेरी**												
184.	पांडिचेरी	6/01		248.90	158.06	0.00	90.84	47.42	0.00	27.65	0.00	1.12	28.77
	कुल			248.90	158.06	0.00	90.84	47.42	0.00	27.65	0.00	1.12	28.77
XXVII.	**दादरा और नागर हवेली**												
185.	दादरा और नागर हवेली	4/02		42.14	31.50	0.00	10.64	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल			42.14	31.50	0.00	10.64	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग			203187.70	122542.54	42686.83	37958.33	32728.06	5506.27	9060.48	2655.30	1983.06	13698.84

विवरण-III

2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान किया गया सी.आर.एस.पी. आबंटन/रिलीज (30 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002 के दौरान आबंटन आधारित कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता अभियान	2002-2003 के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान/ रिलीज
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1895.7	482.36
अरुणाचल प्रदेश	52.8	0
असम	464.65	0
बिहार	1663.56	1199.26
छत्तीसगढ़	229.33	0
गोवा	0	0
गुजरात	0	94.65
हरियाणा	62.06	125.68
हिमाचल प्रदेश	36.28	28.65
जम्मू-कश्मीर	0	0
झारखण्ड	632.7	223.87
कर्नाटक	62.19	0
केरल	875.02	0
मध्य प्रदेश	219.17	185.69
महाराष्ट्र	108.55	305.14
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	2.03	0
नागालैण्ड	0	0
उड़ीसा	567.83	357.63
पंजाब	142.17	52.67
राजस्थान	0	265.62
सिक्किम	126.43	0
तमिलनाडु	1758.98	616.62
त्रिपुरा	364.63	0
उत्तर प्रदेश	2475.03	0
उत्तरांचल	34.62	0
प० बंगाल	1170.99	961.79
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
दादरा और नागर हवेली	0	3.15
दमन और दीव	0	0
दिल्ली	0	0
लक्षद्वीप	0	0
पाण्डिचेरी	47.42	0
उप-योग	12992.14	4902.78

विवरण-IV

निधियों की रिलीज

19. कार्यान्वयन एजेंसी को 6 किस्तों में (10, 10, 10, 30, 30, 10) केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाएगी। पहली किस्त राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित करने के तुरन्त बाद रिलीज की जाएगी बशर्ते जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी के ब्यौरे और बैंक का नाम तथा खाता संख्या आदि

प्राप्त हो जाए। अनुवर्ती किस्तें निम्नलिखित शर्तों पर रिलीज की जाएगी :-

- दूसरी और बाद की किस्तें उपलब्ध निधि का कम से कम 60% खर्च हो जाने के बाद रिलीज की जाएंगी। इसे केन्द्र और राज्य द्वारा अलग-अलग दिया जाएगा। (परियोजना को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा की गई रिलीज और उस पर आए ब्याज तथा पिछले वर्षों की अग्रेषित उपयोग में लायी गई निधियां)।

- दूसरी और बाद की किस्त की रिलीज का प्रस्ताव जिला कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ग्रामीण स्वच्छता का काम देख रही राज्य सरकार में संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

- निर्धारित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्टें केन्द्र और राज्य के हिस्सों के लिए अलग-अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

- वास्तविक व्यय का महालेखाकार प्रमाण पत्र/चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

- अंतिम किस्त उपलब्ध निधियों का कम से कम 80% खर्च करने पर (केन्द्र और राज्य के लिए अलग-अलग) और पिछले वर्षों के महालेखाकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र/चार्टर्ड एकाउंटेंट उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही रिलीज की जाएगी।

- अन्य ऐसी शर्तें जिन्हें समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

परियोजना निधियों पर प्राप्त ब्याज का उपयोग

20. संपूर्ण स्वच्छता अभियान निधियां (केन्द्र, राज्य और लाभार्थी/पंचायत) बैंक एकाउन्ट में रखी जानी चाहिए। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) निधियों पर आए ब्याज को टी.एस.सी. संसाधनों के रूप में माना जाएगा। जिला कार्यान्वियन एजेंसी टी.एस.सी. निधियों पर आए ब्याज उपयोग अतिरिक्त आई.ई.सी. क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ और मार्ग-निर्देशों के अनुसार टी.एस.सी. जिले में अतिरिक्त हार्डवेयर आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। जिला कार्यान्वियन एजेंसी को किस्त के दावों के साथ और उपयोगिता प्रमाण पत्रों में टी.एस.सी. निधियों पर आए ब्याज का उपयोग प्रस्तुत करना होगा।

रखरखाव

21. स्वच्छता सुविधाओं को ठीक-ठाक रखने और बनाये रखने में समुदाय को, विशेषकर परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। व्यक्तिगत परिवार के शौचालयों का रखरखाव संबंधी व्यय लाभार्थियों द्वारा किया जाना चाहिए। महिलाओं के स्वच्छता परिसरों के रखरखाव की लागत की पूर्ति पंचायतों/स्वैच्छिक संगठनों/चैरिटेबल ट्रस्टों/स्व सहायता समूहों द्वारा की जा सकती है। स्वच्छता परिसर को चलाने और उनके रखरखाव का काम करने वाली संस्थाएं/संगठन, इन्हें चलाने और इनके रखरखाव की पूरी लागत की पूर्ति के लिए उचित उपयोगिता प्रभार वसूल कर सकते हैं।

निरीक्षण

22. कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तरों के अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड निरीक्षणों के जरिए मानीटरिंग अनिवार्य है। निरीक्षण यह जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य मानदंडों के अनुसार हुआ है, निर्माण में समुदाय को भागीदार बनाया गया है, शौचालय जल संसाधनों को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं और यह भी जांच की जानी चाहिए कि लाभार्थियों का चयन ठीक हुआ है तथा निर्माण के पश्चात् शौचालयों का उचित उपयोग हो रहा है। ऐसे निरीक्षण में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छ शौचालयों का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किए जा रहे हैं। निरीक्षण यह जांच करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या ग्राम पंचायत में स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत की टी.एस.सी. सूचना को प्रदर्शित किया गया है (दीवार पर लिखकर अथवा विशेष होर्डिंग लगाकर)।

रिपोर्टें

23. परियोजना अधिकारियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भारत सरकार को निम्नलिखित रिपोर्टें भेजी जाएगी :-

- मासिक प्रगति रिपोर्ट अगले महीने की 20 तारीख तक भेजी जाएगी (परिशिष्ट-I)

- पिछली तिमाही के लिए संचयी तिमाही प्रगति रिपोर्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर माह की 20 तारीख तक भेजी जाएगी (परिशिष्ट-II)।

- वर्ष के दौरान कार्यक्रम की उपलब्धियों की संचयी वार्षिक

रिपोर्ट अनुवर्ती वर्ष की 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी (परिशिष्ट-III)।

मूल्यांकन

24. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के कार्यान्वयन के संबंध में आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करवाना चाहिए। प्रतिष्ठित संस्थाओं और संगठनों के जरिए मूल्यांकन अध्ययन कराया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराए गए इन मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टों की प्रतियां भारत सरकार को भेजी जाएगी। इन मूल्यांकन अध्ययनों और भारत सरकार द्वारा या इनके पक्ष में कराए गए समवर्ती मूल्यांकन में की गई टिप्पणियों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

25. राज्य में टी.एस.सी. परियोजनाओं के समूह के लिए, भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में 2 बार कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा कराई जा सकती है। कम से कम 2 अधिकारियों/पेशेवरों वाला बहु-एजेंसी दल यह समीक्षा कर सकता है। यदि किसी परियोजना के लिए मध्यावधि वित्तपोषण संशोधन की जरूरत हो तो ऐसी समीक्षा कराई जाएगी। समीक्षा रिपोर्ट परियोजना परिव्यय के संशोधन पर विचार करने का आधार बनेगी।

अनुसंधान

26. स्वास्थ्य, सफाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थानों और स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे रिकार्ड वाले अनुसंधान संस्थाओं, संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव मल मूत्र और कूड़ा-करकट निपटान प्रणाली की मौजूदा प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। इस अनुसंधान के परिणामस्वरूप कूड़ा-करकट के निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से दीर्घावधि, स्थायी समाधान हेतु विभिन्न भू-आर्द्रता स्थितियों की आवश्यकताओं के अनुकूल किफायती प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी।

वार्षिक लेखा-परीक्षा

27. जिला कार्यान्वयन एजेंसी को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक रूप से अपने एकाउंट्स की लेखा परीक्षा करानी चाहिए और राज्य सरकार और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके बाद, जिला कार्यान्वयन एजेंसी दूसरी और बाद की किस्तों का दावा करते समय लेखा परीक्षित एकाउंट्स प्रस्तुत करेगी।

परियोजना का पूरा होना

28. जब किसी जिले में कोई परियोजना पूरी तरह पूरी हो जाती है, तब जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार के जरिए पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और उपयोग प्रमाण पत्र के साथ समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। भारत सरकार द्वारा समापन रिपोर्ट को स्वीकार करने या न करने की जानकारी राज्य सरकार और जिला कार्यान्वयन एजेंसी को दी जाएगी।

एन०पी०पी०ए० द्वारा आयातित फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारण

***283. श्री पी.आर. खूंटे :**
श्री सईदुज्जमा :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) आयातित फार्मूलेशन के मूल्य लिर्धारण का काम करता रहा है;

(ख) इस प्रकार के आयातित फार्मूलेशन पर कितना लाभ अर्जित करने की अनुमति है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस प्रकार आयात किए गए अनेक फार्मूलेशन एन०पी०पी०ए० द्वारा निर्धारित मूल्यों से कई गुना अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन०पी०पी०ए० भारतीय बाजार में आयातित फार्मूलेशनों के मूल्यों की किस प्रकार निगरानी करता है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ङ) अनुसूचीबद्ध आयातित फार्मूलेशन के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। पैरा 7 में यह व्यवस्था है कि अवतरण लागत उसके मूल्य को निर्धारित करने एवं बिक्री और वितरण व्यय तथा ब्याज एवं आयातक के लाभ को समाहित करते हुए 50% से अनधिक मार्जिन को निर्धारित करने हेतु आधार होगी। गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन के आयातक आयात की लागत तथा प्रचलित बाजार प्रतिस्पर्धा आदि के अनुसार अपने मूल्य स्वयं निर्धारित

कर सकते हैं। एन.पी.पी.ए. अपने पास विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन (आयातित फार्मूलेशन सहित) के मूल्य में उतार-चढ़ाव की नियमित रूप से जांच करता है। अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन (आयातित सहित) के लिए एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित/संशोधित मूल्यों की सूचना प्रवर्तक एजेंसियों यथा राज्य औषध नियंत्रकों को तत्काल दे दी जाती है और ये एन.पी.पी.ए. के वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं। एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित/संशोधित मूल्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख विनिर्माताओं/आयातकों को पत्र लिखकर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। आयातित इन्सुलिन फार्मूलेशन के आशंकित अधिक मूल्य वसूली के संबंध में कर्नाटक राज्य औषध नियंत्रण संगठन से एक संदर्भ हाल ही में प्राप्त हुआ है।

नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

***284. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में नवोदय विद्यालयों के खोले जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों के पश्चिमी कामिंग (अरुणाचल प्रदेश), पूर्वी सियांग (अरुणाचल प्रदेश), ऊपरी सियांग (अरुणाचल प्रदेश), उत्तरी कछार हिल (असम), धुबरी (असम), नौगांव (असम), चंपाई (मिजोरम), मामित (मिजोरम), आईजोल (मिजोरम), पूर्वी खासी हिल्स (मेघालय), और उत्तरी त्रिपुरा (त्रिपुरा) में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हेतु 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

राज्यों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के संबंध में अनुमोदित मानदंडों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जहां तक संभव हो 30 एकड़ उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएं। तथापि 10 एकड़ तक उपयुक्त भूमि भी स्वीकार्य है। जवाहर नवोदय विद्यालयों को तत्काल शुरू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे 3 से 4 वर्ष तक या नवोदय विद्यालय समिति द्वारा स्थायी भवनों के निर्माण होने तक 240 विद्यार्थियों तथा विद्यालय के कर्मचारियों के लिये किराया मुक्त भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायें। पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त उक्त ग्यारह प्रस्तावों में से 9 मामलों में संबंधित राज्यों द्वारा अभी तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है और इन सभी विद्यालयों को तत्काल शुरू करने के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं भी उनलब्ध नहीं हैं। शेष दो मामलों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है और विद्यालय सम्बन्धी संस्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

***285. श्री चिंतामन वनगा :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यवार अभी तक कितने गांवों को लाया गया है और अभी तक कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है और कितने गांवों को इस योजना के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को योजना के शुरू होने के बाद से निधियों के अन्यत्र उपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई या किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत की गई प्रगति की कोई समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में स्वीकृत सड़क कार्यों के माध्यम से लगभग 37,000 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। सितम्बर, 2002 तक 8391 सड़क कार्य पूरे हो गए हैं और इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सड़कों की लंबाई और इनमें जुड़ने वाली बसावटों की संख्या का विवरण तैयार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) अब तक निधियों के अन्यत्र उपयोग की कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समीक्षा की जाती

है। पिछली समीक्षा सितम्बर, 2002 में पुणे, चंडीगढ़ और शिलांग में सम्पन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में की गयी थी। समीक्षा बैठकों में राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे वर्ष 2000-01 और 2001-02 स्वीकृत सड़क कार्यों को आई.आर.सी. विनिर्देशों के अनुसार समय पर पूरा करें।

विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सितम्बर, 2002 तक पूरा किए गए सड़क कार्यों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	सितम्बर, 2002 तक पूरा किए गए सड़क कार्यों की सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1219
2.	अरुणाचल प्रदेश	204
3.	असम	25
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	गोवा	57
7.	गुजरात	193
8.	हरियाणा	15
9.	हिमाचल प्रदेश	120
10.	जम्मू-कश्मीर	0
11.	झारखंड	20
12.	कर्नाटक	291
13.	केरल	0
14.	मध्य प्रदेश	82
15.	महाराष्ट्र	799
16.	मणिपुर	404
17.	मेघालय	109
18.	मिजोरम	10
19.	नागालैंड	116
20.	उड़ीसा	25
21.	पंजाब	73
22.	राजस्थान	417
23.	सिक्किम	- 30
24.	तमिलनाडु	616
25.	त्रिपुरा	193
26.	उत्तर प्रदेश	3246
27.	उत्तरांचल	22
28.	प० बंगाल	53
	कुल (राज्य)	8341
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंदमान और निको० द्वीपसमूह	0
30.	दादरा और नागर हवेली	0
31.	दमन और दीव	0
32.	दिल्ली	0
33.	लक्षद्वीप	0
34.	पांडिचेरी	50
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	50
	कुल योग	8391

सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि की मांग

*286. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री भीम दाहाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों और इंजीनियरिंग कालेजों ने उक्त सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) नए संस्थानों/पाठ्यक्रमों को शुरू करने/दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, न्यासों, सोसायटियों से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को आवेदन प्राप्त होते हैं। मानदंडों और मानकों के अनुरूप उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को जनशक्ति की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने और छात्रों की दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के लिये विभिन्न संस्थाओं को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में डिग्री स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में छात्रों की दाखिला क्षमता वर्ष 2000-2001 में 26,849 थी जो बढ़कर वर्ष 2002-2003 में 47,394 हो गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों तथा वर्ष 2002-2003 हेतु डिग्री स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में छात्रों की दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शैक्षिक वर्ष 2003-04 के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी सहित नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए/विद्यमान पाठ्यक्रमों में छात्रों की दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के लिए हाल ही में आवेदन आमंत्रित किए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से 31 दिसम्बर 2002 तक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त होने के पश्चात् ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नए पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी अनुरोधों का परीक्षण करेगी।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्त मांग	किया गया अनुमोदन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3805	160
2.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	0	0
5.	बिहार	0	0
6.	चण्डीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	60	0
8.	दमन और दीव	0	0
9.	दादरा और नागर हवेली	0	0
10.	दिल्ली	180	0
11.	गोवा	30	30
12.	गुजरात	150	0
13.	हरियाणा	655	65
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	20	20
16.	झारखंड	15	15
17.	कर्नाटक	1070	150
18.	केरल	195	75

1	2	3	4
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	830	0
21.	महाराष्ट्र	3085	500
22.	मणिपुर	0	0
23.	मेघालय	0	0
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	0	0
26.	उड़ीसा	325	0
27.	पांडिचेरी	80	20
28.	पंजाब	460	0
29.	राजस्थान	540	0
30.	सिक्किम	0	0
31.	तमिलनाडु	2855	560
32.	त्रिपुरा	0	0
33.	उत्तरांचल	210	0
34.	उत्तर प्रदेश	1655	20
35.	पश्चिमी बंगाल	520	0
	कुल	16750	1615

[हिन्दी]

बालिकाओं के विकास हेतु योजना

*287. **श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बालिकाओं के विकास और इनकी प्रगति के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए कितनी निधियां स्वीकृत और आबंटित की गई हैं; और

(घ) इस योजना से प्रतिवर्ष कितनी बालिकाओं के लाभान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) लड़कियों के विकास व प्रगति हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :-

महिला एवं बाल विकास विभाग : समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम : इस स्कीम के अंतर्गत स्कूल-पूर्व शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ संकेन्द्रण सहित प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास के पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

बजट प्रावधान 2002-03 : 1695 करोड़ रुपए

लाभार्थी लड़कियों की अनुमानित संख्या : पूरक पोषाहार : 1.63 करोड़

स्कूल-पूर्व शिक्षा : 0.87 करोड़

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत किशोरियों की विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है।

बजट प्रावधान 2002-03 : 22 करोड़ रुपए

लाभार्थी लड़कियों की अनुमानित संख्या : 5.28 लाख

महिला आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत लड़कियों में अनौपचारिक तरीके से कौशल का विकास करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

बजट प्रावधान 2002-03 : 25 करोड़ रुपए

लाभार्थी लड़कियों की अनुमानित संख्या : 0.7 लाख

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय : अनुसूचित जाति की लड़कियों हेतु होस्टलों के प्रावधान का उद्देश्य अनुसूचित जाति की छात्राओं को माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

बजट प्रावधान 2002-03 : 20 करोड़ रुपए

माध्यमिक शिक्षा विभाग : छात्राओं हेतु आवास एवं होस्टल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व कमजोर वर्गों की किशोरियों के स्कूलों में प्रवेश की स्थिति में सुधार करना है।

बजट प्रावधान 2002-03 : 18 करोड़ रुपए

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग : सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाना है। इसमें बालिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके अंतर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं के बीच सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने तथा जीवन-शिक्षा पर विशेष बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 561 जिले शामिल हैं।

बजट प्रावधान 2002-03 : 1680 करोड़ रुपए

सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में तथा इस समय स्कूली शिक्षा से वंचित 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की सभी लड़कियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

असामान्य मौसम स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त निधियां

***288. श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनेक राज्य सरकारों की ओर से प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण पैदा हुई विकट स्थिति का सामना करने के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत आरक्षित निधि में से अतिरिक्त निधि आबंटित करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इनके समर्थन में क्या-क्या आधार दिए गए हैं; और

(ग) इन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का 5 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से पैदा होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने के लिए निर्धारित किया है। असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान की राज्य सरकारों से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम और बिहार से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत केरल को भारी वर्षा के कारण 25,000 टन खाद्यान्न (चावल) रिलिज किए गए। अन्य राज्यों के मामले में अब तक कोई रिलीज नहीं की गई है क्योंकि इन राज्यों ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और खाद्यान्नों तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत उपलब्ध खाद्यान्नों का वांछित स्तर तक इस्तेमाल नहीं किया है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत जारी की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्यों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रु० में)
कर्नाटक	157.68
मध्य प्रदेश	367.08
उड़ीसा	311.25
हिमाचल प्रदेश	590.00

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार

***289. श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''करोर्स सिफन्ड ऑफ फ्रोम एम०

सी०डी० सैल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जिम्मेवारी निर्धारित करने और संबंधित अधिकारियों से धन वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि लाभजनक परियोजना प्रकोष्ठ (रिम्यूनरेटिव प्रोजेक्ट सैल) में तैनात कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने, या तो चैकों पर अपने उच्च अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर करके और या चैकों में दर्शाई गई धनराशि को परिवर्तित करके, निगम की निधियों का दुर्विनियोजना किया है ताकि प्राधिकृत राशि से अधिक राशि निकाली जा सके या उसके अपने नाम से बने चैकों को भुनाया जा सके। निगम ने दोषी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ, पुलिस ने निगम द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर इस मामले में एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

न्यायालय के निदेश के आधार पर, दो निजी फर्मों के बैंक खातों में जमा 64 लाख रु. की धनराशि बरामद कर ली गई है।

बाड़ लगाने के लिए भूमि का अधिग्रहण

***290. श्री अमर राय प्रधान :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और पश्चिम बंगाल में सड़क परियोजनाओं के लिए कितने व्यक्तियों की भूमि और घरों को अधिग्रहित किया गया है;

(ख) उक्त अधिग्रहण की तारीख और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अधिग्रहण के समय इन व्यक्तियों को रोजगार देने या अन्य सहायता करने का प्रस्ताव किया था;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार और अन्य सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) शेष व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल (अधिग्रहण और अर्जन) अधिनियम 1948 के उनबंधों के तहत तथा 1894 के केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1 की धारा 4 के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सेक्टर में भारत-बांग्लादेश सीमा सड़कों और बाड़ के निर्माण हेतु भूमि अधिगृहित कर ली गई है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को 1456.5 किमी० क्षेत्र में फैली 100 फुट चौड़ी पट्टी वाली भूमि सौंपी है जिसके लिए उनके पास 6479.10 लाख रु० की धनराशि जमा कराई गई है। उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, को मुआवजे या सहायता राशि की अदायगी और रोजगार का प्रावधान, यदि कोई हो तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये ब्यौरे और उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि तथा घर अधिग्रहित कर लिए गए थे, से संबंधित अधिग्रहण की तारीखें इत्यादि राज्य सरकार के पास उपलब्ध होनी चाहिए और ये ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं की उपयोग में नहीं लाई गई निधियां

***291. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास हेतु स्वीकृत की गई किन्तु उपयोग में नहीं लाई गई निधियों को वापिस लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा इन निधियों का उपयोग ग्रामीण विकास की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जाना था;

(घ) यदि हां, तो क्या इन निधियों के उपयोग की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर इन परियोजनाओं पर काम जारी रहने की स्थिति में सरकार द्वारा निधियां किस प्रकार वापिस लेने का प्रस्ताव है; और

(च) राज्य सरकारों को उक्त रकम का प्रयोग अन्य विकास कार्यों पर खर्च करने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और विशिष्ट परियोजनाओ के अंतर्गत

निधियां स्वीकृत करता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निधियों के मामले में अप्रयुक्त निधियों को अथशेष के रूप में अगले वर्ष में ले जाया जाता है और बाद की रिलीज अथशेष के अनुरूप की जाती है। विशेष परियोजनाओं के मामले में यदि वे छोड़ दी गयी हैं या उनमें बचत है तो उन्हें वापस किए जाने की जरूरत है।

शिक्षकों के लिए कार्य के
एक समान मानदंड

***292. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री मोहन रावले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में शिक्षकों के लिए एक समान 'कार्य मानदंडों' के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विश्वविद्यालय ने इन मानदंडों को लागू करने से इन्कार किया है;

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयेग को कौन से प्रस्ताव भेजे हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों/शिक्षा विभाग के प्रमुखों की राय ली है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों के बेहतर कार्य निष्पादन हेतु एक समान मानदंडों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी दिनांक 24.12.1998 की अधिसूचना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ वेतन पैकेज के एक भाग के रूप में विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के लिए कार्यभार मानदण्ड अधिसूचित किए हैं जिनमें मानकों के रख-रखाव के अन्य उपाय भी बताये गये हैं। इन मानदण्डों के अनुसार पूर्णकालिक नियोजन वाले शिक्षकों का कार्यभार 6 कार्य दिवसों के सप्ताह में 30 कार्य सप्ताहों (180 शिक्षण दिवसों) के लिए 40 घंटे प्रति सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए। इस अधिसूचना में यह भी व्यवस्था है कि यदि विश्वविद्यालय 5 कार्य दिवसीय सप्ताह पद्धति अपनाता है तो उतने ही कार्यभार को सुनिश्चित करने के लिए 30 के बजाए 36 सप्ताह शिक्षण करना होगा। विश्वविद्यालयों और कालेज प्रबंधनों को इन मानदण्डों को शामिल करने के लिए अपनी संविधियों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों इत्यादि में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु कहा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यादेशों में शिक्षकों के लिए कार्यभार मानदण्ड निर्धारित हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों से कम हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इस मामले से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए अपने अध्यादेश में संशोधन करने का अनुरोध किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का यह मत है 'शिक्षकों का कार्यभार 5 दिवसीय सप्ताह में 3 घंटे/प्रतिदिन से अधिक नहीं होना चाहिए', जो आयोग के मानदण्ड से कम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कार्यभार मानदण्डों के कार्यान्वयन के संबंध में किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में
श्रम दिवस और उत्पादन घाटा

***293. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में श्रम दिवसों की कुल कितनी हानि हुई और उत्पादन का कितना घाटा हुआ और तत्संबंधी वर्ष-वार तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या कोयला कंपनियों के बारे में सामान्यतया और बी.सी.सी.एल. के बारे में विशेषत: केन्द्रीय श्रम विभाग की ''कंसीलिएशन मशीनरी'' की सलाह पर ध्यान नहीं देने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके कारण श्रम विवादों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कंपनियों में गत पांच वर्षों के दौरान श्रमदिवसों तथा उत्पादन की हानि संलग्न विवरण में दी गई है।

श्रमदिवसों तथा उत्पादन में उपर्युक्त हानि मुख्यत: कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ कोयला

क्षेत्र में अखिल भारतीय हड़ताल, भारत सरकार की नई आर्थिक नीति के खिलाफ औद्योगिक हड़ताल/भारत बंद और मुख्यत: स्थानीय मांगों के समर्थन में यूनियनों द्वारा की गई अनधिकृत हड़ताल के कारण हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कंपनी	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02	
	श्रमदिवसों की हानि	उत्पादन की हानि (टन)	श्रमदिवसों की हानि	उत्पादन की हानि (टन)	श्रमदिवसों की हानि	उत्पादन की हानि (टन)	श्रमदिवसों की हानि	उत्पादन की हानि (टन)	श्रमदिवसों की हानि	उत्पादन की हानि (टन)
ई.सी.एल.	71004	50306	270425	182556	77052	65142	361467	336178	235441	266719
बी.सी.सी.एल.	5217	2253	11963	76540	11753	8093	229019	249455	117608	223648
सी.सी.एल.	9518	70848	25720	69400	13284	1847	139790	242000	124393	301880
डब्ल्यू.सी.एल.	907	1320	18311	22128	3277	2500	18200	18953	90317	280370
एस.ई.सी.एल.	3971	5850	42620	71720	6366	131850	78951	176515	117567	230323
एन.सी.एल.	453	12000	2272	—	5443	79087	3440	28000	16354	26700
एम.सी.एल.	—	—	5112	76876	92	13208	—	—	38227	370754
एन.ई.सी.	—	—	—	—	—	—	—	—	8329	481
सी.एम.पी.डी. आई.एल.	105	68 मीटरेज में	1130	533 मीटरेज में	181	110 मीटरेज में	2599	1204 मीटरेज में	2447	572 मीटरेज में

[हिन्दी]

बायो-प्रौद्योगिकी उत्पादों की उपलब्धता

*294. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को बायो-प्रौद्योगिकी उत्पादों को उपलब्ध कराने लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उपायों पर कितनी राशि खर्च की गई है और इन उत्पादों से राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) कृषि जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक सुदृढ़ ढांचा स्थापित किया गया है। इसमें पराजीनी पादप, ऊतक संवर्धन, जैवउर्वरक, जैवकीटनाशी और पशु तथा माइक्रोब के क्षेत्र शामिल हैं। पराजीनी रोपण सामग्री के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण-व-संगरोधन सुविधा और ऊतक संवर्धन पादपों के लिए वायरस निदान एवं गुणवत्ता नियन्त्रण के परीक्षण एवं प्रमाणन हेतु राष्ट्रीय सुविधा और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कार्यान्वयन की प्रक्रिया के साथ-साथ

जैवसुरक्षा विनियम उपलब्ध हैं। एक राष्ट्रीय पादप जीनोम केन्द्र नई दिल्ली में कार्यरत है जिसमें विशेष रूप से पोषण संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

हाल ही में 3 बी टी कपास हाईब्रिडस् जो क्राई 1 ए सी जीन को व्यक्त करते हैं को व्यापारिक खेती के लिए स्वीकृत किया गया है और इन हाइब्रिडस् के बीज खरीफ, 2002 के मौसम के दौरान 6 राज्यों में नामत: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 70,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती के लिए किसानों को उपलब्ध कराए गए थे।

ऊतक संवर्धन के जरिए विकसित एक उच्च उपज वाली, मोटे बीजों वाली और विनाश-रोधी सरसों की किस्म पूसा जयकिसान पहले ही देश में उपलब्ध करा दी गई है जोकि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई है। महत्वपूर्ण वनकृषि प्रजातियों—टीक, बांस, पापुलस, युकेलिप्टस, पालोनिया तथा अन्य फसलों जैसे आलू तथा गन्ने के ऊतक संवर्धन से उगाए गए पादप किसानों को सप्लाई किए गए वनीला एवं बड़ी इलायची पादपों को ऊतक संवर्धन से उगाने के प्रशिक्षण तथा खेत-प्रदर्शन कार्यक्रम क्रमश: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। जैवउर्वरकों एवं जैवनियंत्रण कर्मक/जैवकीटनाशियों की प्रभावोत्पादकता का प्रदर्शन विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में किया गया है। जैवनियंत्रण कर्मकों/जैवकीटनाशियों जैसे ट्राइकोड्रमा विराइड और टी. विरेन्स, ट्राइकोग्रामा, हिलियोथीस का एन पी वी और जैवउर्वरक जैसे रिजोवियम, वी जी ए और माइक्रोरिज़ा का हस्तांतरण उद्योग को कर दिया गया है।

नए पशु टीके, नैदानिकी और भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग खेत पशुओं में किया गया है। एन्थ्रैक्स के विरुद्ध बोवाइन रिनोट्राचिटिस (आई बी आर) टीका, पैस्टे डी पैटिस रूमिनेन्ट वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण एवं रिकॉम्बिनेन्ट प्रोटेक्टिव एंटिजन (आर पी ए) का हस्तांतरण उद्योग को कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रु० में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	जोड़
1	2	3	4	5
(1) कृषि जैवप्रौद्योगिकी (पराजीनियों जैवउर्वरक, जैवकीटनाशियों के विकास सहित)	1360	1158	1428	3946
(2) पादप जैवप्रौद्योगिकी/ऊतक संवर्धन	750	635	830	2215
(3) पशु जैवप्रौद्योगिकी	310	300	300	910
कुल योग	2420	2093	2558	7071

पिछले तीन वर्षों के दौरान खेत प्रदर्शनों और उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण तथा कुछ जैवप्रौद्योगिकीय उत्पादों, विशेष तौर पर जैव उर्वरकों और जैवकीटनाशियों के प्रयोग के जरिए 80,000 से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

आंध्र प्रदेश-4500, अरुणाचल प्रदेश-1100, असम-1500, छत्तीसगढ़-1000, गुजरात-8000, हरियाणा-1000, हिमाचल प्रदेश-1100, जम्मू तथा कश्मीर-4500, झारखंड-500, कर्नाटक-5000, केरल-2500, मध्य प्रदेश-2000, महाराष्ट्र-11500, मणिपुर-1000, मेघालय-500, उड़ीसा-800, पंजाब-1000, राजस्थान-4000, सिक्किम-200, तमिलनाडु-12000, त्रिपुरा-500, उत्तर प्रदेश-11000, उत्तरांचल-1300, पश्चिम बंगाल-6000।

नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड

*295. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार नेशनल फर्टीलाइजर्स ने उर्वरकों की कितनी मात्रा का उत्पादन और विक्रय किया है;

(ख) क्या सरकार नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड का निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने उक्त कम्पनी को राजसहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों नामत: यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी ए एन) का उत्पादन नीचे दिया गया है :-

(मी.टन. में)

वर्ष	यूरिया		सी ए एन	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
1999-00	3136776	3020227	155417	184769
2000-01	2935799	3050539	107140	110421
2001-02	3190666	3292277	41564	41263

(ख) जी, हां।

(ग) गैर महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी साम्य पूंजी को 26 प्रतिशत तक या इससे कम करना सरकार की नीति है। विनिवेश आयोग ने एन.एफ.एल. सहित सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों को गैर-महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एन.एफ.एल. को दी गई सब्सिडी की धनराशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु०)
1999-00	1203.21
2000-01	1230.58
2001-02	1400.01

[अनुवाद]

विदेशी भाषा संस्थाएं

***296. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त विदेशी भाषा अध्यापन संस्थाएं कितनी हैं;

(ख) इन संस्थाओं के वित्तपोषण का स्रोत क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में कोई नई विदेशी भाषा संस्थाएं खोलने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के मद्देनजर केन्द्र सरकार से ऐसी एक संस्था की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन विदेशी भाषा शिक्षण से संबद्ध कुछ प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार हैं—जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी; दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी और केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद। इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में जापानी अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार भारत-जापान लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा भी इसी प्रकार के एक प्रस्ताव की सिफारिश की गई है। कर्नाटक सरकार को यह सलाह दी गई है कि जब तक भारत सरकार इस विषय में अपना कोई मत प्रकट न करे तग तक वह जापानी पक्ष से न तो कोई सहायता मांगे और न ही कोई सीधा पत्र व्यवहार करें।

इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

***297. श्री आर.एल. जालप्पा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से इंजीनियरिंग कालेज आधारभूत सुविधाओं 'स्टाफिंग पैटर्न' आदि के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) या सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषत: कर्नाटक में ऐसे कितने कालेजों की पहचान की गई है और ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कालेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय इंजीनियरिंग कालेजों ने आधारभूत सुविधाओं के संबंध में निर्धारित मानदण्डों तथा मानकों का उल्लंघन किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दोषी संस्थाओं को दण्डित करने के लिए "नामांकन क्षमता में कटौती", प्रवेश निषेध आदि जैसे उपाय करती है। ऐसे इंजीनियरी कालेजों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

पंचायत चुनाव न कराने पर सहायता रोकना

***298. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अभी तक पंचायत चुनाव नहीं कराने वाले राज्यों को दी जा रही सहायता रोकने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों ने पंचायतों के लिए आबंटित की गई निधियों को अन्य शीर्षों पर खर्च कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों में उन राज्यों की निधियां रोकने की कोई शर्त नहीं है जहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्जी शिक्षा बोर्ड/नकली डिग्री गिरोह

***299. श्री अधीर चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 2002 और 25 जुलाई, 2002 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में दिल्ली पुलिस द्वारा क्रमशः फर्जी शिक्षा बोर्डों का पर्दाफाश होने और नकली डिग्री गिरोहों का पता लगाने संबंधी समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फर्जी शिक्षा केन्द्रों और नकली डिग्री गिरोहों के कितने मामले दिल्ली पुलिस की जानकारी में आए हैं; और

(घ) सरकार ने देश में ऐयी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) संदर्भाधीन दोनों समाचारों में निहित सूचना वस्तुतः सही है। जुलाई, 2002 में दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षा प्रमाण पत्रों की जालसाजी में संलिप्त था। बाद में, अक्तूबर, 2002 में "केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा बोर्ड" के नाम और शैली में चल रहे एक नकली शिक्षा बोर्ड का पता लगाया गया और उसके परिसर से अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए। इन दो मामलों के संबंध में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (30 नवम्बर, 2002 तक), दिल्ली पुलिस ने नकली शिक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के 15 मामले और दो ऐसे मामले दर्ज किए जिनमें नकली "बोर्डों" की स्थापना की गई थी। ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में "अनाचार प्रकोष्ठ" की स्थापना; केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तिमाही पत्रिका में नकली बोर्डों (जिनकी पहचान कर ली गई है) के नामों का प्रकाशन और अपनी वैबसाइट पर इस सूचना का प्रदर्शन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी करना जिसमें अभिवाहकों और छात्रों को ऐसे स्वंभू विश्वविद्यालयों/संस्थानों से उच्च शिक्षा/पाठ्यक्रमों में प्रवेश न लेने की सलाह दी जाती है, शामिल है।

ग्रामीण अवसंरचना को क्षति

***300. श्री ए. नरेन्द्र : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रामीण अवसंरचना को हुए विनाश/क्षति का मौके पर ही अध्ययन कराने का है;

(ख) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पीड़ितों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में "कापार्ट" की सहायता से कतिपय योजनाओं को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार का विचार ग्रामीण अवसंरचना की बहाली हेतु प्रभावित राज्यों की किस तरीके से सहायता करने का है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (च) प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आपदाओं के मामले में राज्यों द्वारा केंद्र को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीण अवसंरचना को हुई क्षति का मूल्यांकन शामिल है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करता है, जो इस प्रकार है :-

(i) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि से प्रभावित घरों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान आज तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत रिलीज की गयी केंद्रीय सहायता का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अधिसूचना जारी किए जाने के बाद आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1.4.2002 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत एक विशेष घटक आरंभ किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान आपदा प्रभावित राज्यों को 38.29 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत मांगे गए और रिलीज किए गए खाद्यान्नों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। पिछले काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान रिलीज किए गए खाद्यान्नों को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधियों का 5 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से पैदा होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने के लिए निर्धारित किया है। त्वरित ग्रामिण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्यों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रु० में)
कर्नाटक	157.68
मध्य प्रदेश	367.08
उड़ीसा	311.25
हिमाचल प्रदेश	590.00

3. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) स्वैच्छिक संगठनों के जरिए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता देता रहा है। कापार्ट ने गुजरात और उत्तरांचल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों, उड़ीसा के भीषण चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता दी है। कापार्ट प्रोजेक्ट मोड में कार्य करता है और स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त व्यावहारिक प्रस्तावों के आधार पर प्रभावित राज्यों को ग्रामीण बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए सहायता दी जाती है।

विवरण

(क) से (च) (रुपये लाख में)

वर्ष	राज्य का नाम	आपात स्थिति	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत मकानों की संख्या
1	2	3	4	5
1999-2000	उडीसा	भीषण चक्रवात	4125.00	50,000

1	2	3	4	5
2000-2001*	उड़ीसा	भीषण चक्रवात	28875.27	1,50,000
2000-2001	उत्तरांचल	भूकंप	108.34	657
2000-2001	गुजरात	भूकंप	4900.00	1,00,000
2001-2002	गुजरात	भूकंप	2600.00	
2001-2002	उड़ीसा	बाढ़	8250.00	1,00,000
2002-2003	उड़ीसा	बाढ़	3104.00	
2001-2002	उड़ीसा	भीषण चक्रवात	33000.00	4,00,000
2002-2003	उड़ीसा	भीषण चक्रवात	16500.00	
2001-2002	आंध्र प्रदेश	भारी वर्षा/चक्रवात	3750.00	25,000
2001-2002	जम्मू-कश्मीर	सीमा पार से गोलीबारी	330.00	2,000
2001-2002	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	412.50	5,000
2002-2003	उत्तरांचल	चट्टान का खिसकना	412.50	5,000

*उड़ीसा को दी गयी केंद्रीय सहायता में वर्ष 2000-01 के दौरान सामान्य केंद्रीय रिलीज की 4998.25 लाख रु० की राशि भी शामिल है।

विवरण-II

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत मांगे गये और आबंटित किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	मांगी गई मात्रा चावल/गेहूं/एक साथ	चालू वर्ष के सूखे के दौरान (नवम्बर, 2002 तक) रिलीज की गई मात्रा		
			गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	0	18.00	18.00
2.	छत्तीसगढ़	12.60	0	1.43	1.43
3.	हरियाणा	9.72	0.25	0	0.25
4.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.04	0.06	0.10

1	2	3	4	5	6
5.	झारखण्ड	—	0.20	0.20	0.40
6.	कर्नाटक	11.09	0	2.00	2.00
7.	केरल*	0.25	0	0.25	0.25
8.	मध्य प्रदेश	2.50	1.63	0.48	2.11
9.	उड़ीसा	12.19	0	4.00	4.00
10.	राजस्थान**	56.00	7.00	0	7.00
11.	तमिलनाडु	5.46	0	0.50	0.50
12.	उत्तर प्रदेश	20.00	2.00	0	2.00
13.	उत्तरांचल	—	0.19	0.31	0.50

*केरल को सामान्य एस.जी.आर.वाई. योजना के अंतर्गत 0.25 लाख टन चावल रिलीज किए गए थे।

**राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई, 2003 तक 56.00 लाख टन गेहूं मांगा गया था।

विवरण-III

(टन में)

राज्य	काम के बदले अनाज कार्यक्रम							
	2000-01				2001-02			
	रिलीज किया गया खाद्यान्न	उठाया गया खाद्यान्न	उपयोग किया गया खाद्यान्न	* सृजित लाख श्रमदिवस	रिलीज किया गया खाद्यान्न	उठाया गया खाद्यान्न	उपयोग किया गया खाद्यान्न	* सृजित लाख श्रमदिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश					1650000	1650000	1650000	1982.48
बिहार					100000	2023	सूचना नहीं	सूचना नहीं
छत्तीसग	207000	207000	207000	300.26	419007	419007	419007	572.12
गुजरात	90000	90000	90000	1196.68	58105	46336	29220	388.52
हरियाणा								
हिमाचल प्रदेश	11549	11549	11549	16.94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड								
कर्नाटक					100000	100000	100000	सूचना नहीं
केरल					5000	5000	5000	सूचना नहीं
मध्य प्रदेश	63079	63079	63079	सूचना नहीं	188665	148033	113012	सूचना नही
महाराष्ट्र	10000	10000	10000	26.00	140000	134970	52895	137.51
उड़ीसा	100000	100000	100000	180.45	150000	146643	146270	301.22
राजस्थान	118145	118145	118145	सूचना नहीं	621360	475217	364835	810.16
तमिलनाडु								
उत्तर प्रदेश								
उत्तरांचल								
कुल	599773	599773	599773	1720.33	3432137	3127229	2880239	4192.01

*आंकड़े अनंतिम हैं।

मानसून की भविष्यवाणी

*301. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून ने इस वर्ष भारतीय मौसम विभाग को वर्षा की भविष्यवाणी करने वाले अपने मौजूदा 16-पैरामीटर मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग ने नवम्बर, 2002 में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में देश में वर्षा की भविष्यवाणी विषय पर गहन विचार-विमर्श हेतु एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बंगलौर की बैठक के परिणाम के आधार पर एक नए मानसून पूर्वानुमान माडल को अंतिम रूप दिया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मंत्रालय ने प्रभावी और अधिक सटीक मानसून भविष्यवाणियां किए जाने की मांग की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 2002 के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में पूरे देश में समग्र रूप से 19% कम वर्षा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपने 16-पैरामीटर दीर्घावधि पूर्वानुमान माडल की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है, जिसके द्वारा विगत 14 वर्षों से सामान्य वर्षा की सही भविष्यवाणी की जाती थी परन्तु 2002 के मानसून में कम वर्षा होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 16-पैरामीटर मॉडल एक सांख्यिकीय मॉडल है जिसके द्वारा मानसून की वर्षा और ग्लोब के चारों तरफ पूर्ववर्ती भू-महासागर-वायुमण्डल पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है। किसी भी सांख्यिकीय मॉडल की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं और कभी-कभी इसके गलत हो जाने की संभावना होती है। सांख्यिकीय संबंधों द्वारा निर्दिष्ट काल संबंधी परिवर्तनों को भी दिखाया जाता है और इसलिए पैरामीटरों को

समय-समय पर हटाया जाता है या इन्हें बदल कर नये पैरामीटर लगा दिए जाते हैं। वर्तमान में यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (च) वर्ष 2002 के मानसून पर एक गहन विचार सत्र का आयोजन वायुमण्डलीय एवं महासागरीय विज्ञान केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा 28-29 नवम्बर, 2002 को किया गया। 2002 का मानसून एक पहेली के रूप में बदल गया है। पूर्वसिद्ध भविष्यवाणी के लिए विकसित की गई किसी भी प्रणाली द्वारा इस सूखे के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सका जबकि लगभग एक दशक से अधिक समय से इनके द्वारा किये गये पूर्वानुमान सफल रहे हैं। मई, 2002 में जटिल वायुमण्डलीय/जलवायु मॉडलों के आधार पर अग्रणी ग्लोबल केन्द्रों द्वारा किये गये पूर्वानुमानों में भी भारत में सूखे का अनुमान नहीं लगाया गया था। उक्त मौसम के साथ-साथ जुलाई के लिये पूर्वसिद्ध भविष्यवाणियों पर विचार-विमर्श किया गया और उक्त मौसम एवं जुलाई, 2002 में बेहतर पूर्वानुमानों के लिए मॉडलों में किये जाने वाले संभावित संशोधनों पर विचार-विमर्श किया गया। विश्व भर में वायुमण्डलीय मॉडलों की अपनी सीमाएं होती हैं विशेषकर भारतीय मानसून और प्रत्येक वर्ष इसमें परिवर्तन होने के कारण इसकी अनुकृति में भी ये सीमाएं लागू होती हैं। तथापि, बैठक के दौरान प्रस्तुत किये गये मॉडलों में से कुछ क्षमताशील हैं और पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार लाने में उनकी उपयोगिता निर्धारित करने हेतु आगे जांच की जा रही है।

(छ) और (ज) अत्यंत अप्रत्याशित घटनाओं जैसे भयंकर सूखे आदि का पूर्वानुमान करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। पूर्वानुमान के नये मॉडलों एवं तकनीकों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और प्रेक्षणात्मक क्षमताओं एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने, विशेष रूप से नये, और जटिल एवं एकीकृत मॉडलों को विकसित करने हेतु संकेन्द्रित शोध प्रयासों में तेजी लाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि और अधिक सटीक पूर्वानुमान किया जा सके।

डी०डी०ए० फ्लैटों का आबंटन

3087. श्री जय प्रकाश : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हुडको-1979 योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में पंजीकृत व्यक्तियों जिन्हें पहले डी०डी०ए० फ्लैटों का आबंटन किया गया था लेकिन उन्होंने निरस्त किए जाने संबंधी प्रभार का भुगतान करके इन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया था, को अभी तक उनकी प्राथमिक संख्या जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतिम कम्प्यूटरीकृत प्राथमिकता सूची कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 (हुडको-1979) के पंजीकृत व्यक्तियों, जिन्हें डीडीए फ्लैटों का आबंटन किया गया था लेकिन उन्होंने निरस्त किए जाने संबंधी प्रभार का भुगतान करके इन्हें स्वीकार करने से इंकार कर दिया था, उन्हें प्राथमिकता सूची के बिल्कुल अंत में रखा गया है। एल०आई०जी० और एम०आई०जी० श्रेणी के केवल नियमित प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों के बाद ही इन पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के पुनः आबंटन पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल अंत में रखे गए आबंटियों पर न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-1979 में उनकी मूल प्राथमिकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

कृत्रिम वर्षा

3088. श्री सी.के. जाफर शरीफ :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के असफल रहने के बाद किसी राज्य या गैर सरकारी संगठनों ने कृत्रिम वर्षा के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह एक महंगी परियोजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जब वर्षा नहीं हुई तो राज्य सरकारों ने 'कृत्रिम बादल' के माध्यम से 'कृत्रिम वर्षा' कराने के लिए विमान भाड़े पर लिया था; और

(च) यदि हां, मो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। एयर क्राफ्ट का उपयोग कर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा कृत्रिम बादल का परीक्षण 1973 एवं 1974 में, गुजरात सरकार द्वारा 1975 से 1981 और 1987 में, कर्नाटक सरकार द्वारा 1975, 1981 एवं 1982 में तथा तमिलाडु सरकार द्वारा 1975 एवं 1983 में किया गया।

(च) कृत्रिम बादल के परीक्षण से अनुकूल मौसम विज्ञान संबंधी परिस्थितियों में वर्षा में वृद्धि हुई। तथापि चिरस्थायी सूखे की स्थिति में जब कि कृत्रिम रूप से रखे जाने वाले बादल आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते और बादल निर्माण और विकास अवरुद्ध हो जाने के कारण इसके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं की समान भगीदारी संबंधी कार्य योजना

3089. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चत करने हेतु कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय महिला शक्तिसम्पन्नता नीति का अनुमोदन कर दिया है। नीति का एक उद्देश्य, महिलाओं को राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में भागीदारी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करना है।

(ग) और (घ) सरकार ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत कदम उठाए हैं। इनमें 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, जिसके अनुसार ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित रखी गई हैं, संविधान (85वां) संशोधन विधेयक, जिसके अनुसार लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 30% सीटों का आरक्षण प्रस्तावित है, महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले विभिन्न कानूनों में प्रस्तावित संशोधन, महिला घटक योजना तंत्र के माध्यम से विभिन्न महिला-विशिष्ट और महिलोन्मुखी स्कीमों में संसाधनों का प्रावधान तथा विकास और शासन में महिला मुद्दों को मुख्यधारा में लाना शामिल है।

[अनुवाद]

डी०डी०ए० द्वारा एम०सी०डी० को वसुंधरा इन्कलेव का हस्तांतरण

3090. श्री भान सिंह भौरा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०डी०ए० द्वारा विकसित किया गया "वसुंधरा इन्कलेव" क्षेत्र, जहां भूमि विभिन्न सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को दी गई है, पूर्ण रूप से आबाद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यद्यपि यह क्षेत्र काफी समय पूर्व आबाद हो चुका था तथापि इसे डी०डी०ए० द्वारा एम०सी०डी० को हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे वहां निवासियों के लिए पेयजल, सड़क आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र को एम०सी०डी० को हस्तांतरित करने के उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो हस्तांतरण के कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित किया गया "वसुंधरा इन्कलेव" क्षेत्र, जहां विभिन्न सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि दी गई है, पूर्ण रूप से आबाद हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बिजली, सड़क, एस.डब्ल्यू. ड्रेन और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं पहले से ही यहां पर उपलब्ध हैं। जलापूर्ति ट्यूबवेल द्वारा की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले ही दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से सीवरेज, एस डब्ल्यू ड्रेन, सड़कें, बागवानी, बिजली, जलापूर्ति आदि जैसी सेवाएं अपने अधीन ले लेने के लिए कह चुका है। सीवरेज प्रणाली की निकासी व्यवस्था अर्थात् सीवरेज पंपिंग स्टेशन को छोड़कर यह सेवाएं अभी इनके द्वारा ली जानी हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नक्शे दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को दे दिए हैं।

सड़कों, एस डब्ल्यू ड्रेनों और बागवानी के बाबत संयुक्त निरिक्षण पहले ही कर लिया गया है।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा समिति की स्थापना

3091. **श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा जांच किए जाने वाले मुद्दों की प्रकृति क्या है; और

(घ) भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण का कर्मचारियों की समस्याओं को कब तक सुलझा लेने का विचार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) (खान विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय) ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों की समस्याओं का निवारण करने के लिए इस संबंध में, हाल ही में, हुई राष्ट्रीय बैठक (28 अक्तूबर, 2002) के बाद एक समिति का गठन किया है। इस उद्देश्य के लिए जी. एस.आई. द्वारा निर्दिष्ट संपर्क अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को विधिवत् रूप से सेंसेटाइज करने के बाद इस कार्य में शामिल करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार गठित की गई समिति अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों और अन्यों के सेवा संबंधित मामलों का तत्काल निवारण करना चाहती है।

कर्नाटक में आई०डब्ल्यू०डी०पी० के अन्तर्गत निधियों का उपयोग

3092. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण पेयजल की जरूरतों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में कर्नाटक को 157.68 लाख रुपए जारी किए हैं और वर्ष 2002-03 के लिए कर्नाटक के गडग जिले में समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी 49 लाख रुपये जारी किए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार को 1859 मौजूद बोरिंग वाले कुओं को पुनः चालू करने हेतु इन निधियों का उपयोग करना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन निधियों के उपयोग हेतु राज्य के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य में सूखे के कारण उत्पन्न ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कर्नाटक सरकार को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 157.68 लाख रु० की राशि (एक करोड़ सत्तावन लाख और अड़सठ हजार रुपये मात्र) रिलीज की है। तथापि, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत कर्नाटक के गडग जिले को कोई निधि रिलीज नहीं की गई है। उपर्युक्त रिलीज की गई निधियों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूखा प्रभावित ताल्लुकों में प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा 1856 बोरवेल्स को फिर से चालू करने के लिए किया जाना चाहिए।

गुजरात चुनाव के लिए सुरक्षा बल

3093. **श्री टी० गोविन्दन : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधान सभा चुनाव के अवसर पर गुजरात के लिए सुरक्षा बलों को भेजने हेतु चुनाव आयोग से कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार ने, गुजरात में चुनाव ड्यूटियों के लिए, चुनाव आयोग द्वारा गृह मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार के साथ परामर्श करके

आंकी गई आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल और अन्य राज्यों के राज्य सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराये हैं।

'काल गर्ल्स' की सप्लाई

3094. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जुलाई, 2002 को 'दैनिक जागरण' में अधिकारियों को 'काल गर्ल्स' की सप्लाई संबंधी प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तथ्यों से उत्पन्न स्थिति के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) समाचार में उल्लिखित मामले की जांच-पड़ताल के दौरान, कतिपय अधिकारियों को काल गर्ल्स भेजने के संबंध में कुछ संकेत किए गए थे लेकिन ये साबित नहीं हो सके। न्यायालय ने, हालांकि, भारतीय दंड संहिता और शासकीय गुप्त-बात अधिनियम, 1923 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इस मामले में अभियुक्त 14 व्यक्तियों को दोषसिद्ध ठहराया है।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्य

3095. श्री बीर सिंह महतो :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में यह योजना उचित रूप से क्रियान्वित नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस पर क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना 25, सितम्बर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का हिस्सा बनी और 1 अप्रैल, 2002 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ पूरी तरह मिला दी गई। विगत तीन वर्षों के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्यों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) सुनिश्चित रोजगार योजना पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में कार्यान्वित की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन कुल मिलाकर संतोषजनक था। तथापि, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए भेज दी गयी थीं।

विवरण

(संख्या में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 किए गए कुल कार्य	2000-2001 किए गए कुल कार्य	2001-2002 किए गए कुल कार्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26265	17367	20363
2.	अरुणाचल प्रदेश	1416	1500	877
3.	असम	8621	5015	13950
4.	बिहार	22911	14453	11251
5.	छत्तीसगढ़**	0	7799	13133
6.	गोवा	205	147	122
7.	गुजरात	6820	7007	4442

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	3986	4019	8421
9.	हिमाचल प्रदेश	8495	5201	5798
10.	जम्मू-कश्मीर	18042	8044	9607
11.	झारखंड**	0	6159	7052
12.	कर्नाटक	20838	12652	22900
13.	केरल	5717	3764	5144
14.	मध्य प्रदेश	18832	10574	18774
15.	महाराष्ट्र	36384	22400	19786
16.	मणिपुर	1818	1294	0
17.	मेघालय	704	711	2135
18.	मिजोरम	1462	1446	2909
19.	नागालैंड	3746	2715	1076
20.	उड़ीसा	30562	31605	30641
21.	पंजाब	2314	2109	1983
22.	राजस्थान	9508	11673	12320
23.	सिक्किम	892	1010	238
24.	तमिलनाडु	8271	11038	11887
25.	त्रिपुरा	1766	3488	4441
26.	उत्तर प्रदेश	0	3702	20091
27.	उत्तरांचल	19808	16678	3061
28.	पश्चिम बंगाल	13508	9578	13021
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	28	41	14
30.	दा. न. हवेली	29	15	5
31.	दमन और दीव	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	32	28	27
33.	पांडिचेरी	63	86	52
	अखिल भारत	273043	223318	265521

**1999-2000 के दौरान इन राज्यों का निष्पादन मूल राज्यों के निष्पादन के साथ शामिल हैं, क्योंकि तब वे नहीं बनाए गए थे।

[अनुवाद]

बी.सी.सी.एल. द्वारा खानों से पानी निकाला जाना

3096. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री 30 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 2435 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.सी.सी.एल. द्वारा औसतन प्रतिदिन खानों से कुल कितनी मात्रा में पानी निकाला गया;

(ख) कोयला खानों में कुल कितनी मात्रा में पानी का उपयोग किया गया और कितना बहा दिया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्र की कुछ कोयला खान के आस-पास के ग्रामीणों द्वारा धनबाद में बी.सी.सी.एल. प्रबंधन के समक्ष खानों की सुरंगों के अतिरिक्त जल को सूखाग्रस्त क्षेत्र में बहाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) बी.सी.सी.एल. द्वारा खानों से निकाले गए पानी की कुल मात्रा औसतन लगभग 52.7 मिलियन गैलन प्रतिदिन है।

(ख) खानों से बाहर निकाले गए पानी का लगभग 40% उपयोग उपचार के पश्चात, घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है और उक्त का लगभग 60% इस समय बाहर बहाया जा रहा है।

(ग) बी.सी.सी.एल. में ''कुंजी कोलियरी'' नाम की कोई कोलियरी नहीं है। तथापि, बी.सी.सी.एल. के बस्ताकोला क्षेत्र में कुजमा कोलियरी है। कुजमा कोलियरी के आस-पास के ग्रामीणों से फालतू पिट जल प्रदान किए जाने के संबंध में क्षेत्र को अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

चंडीगढ़ में सरकारी क्वार्टर

3097. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में संघ राज्य क्षेत्र पूल के अंतर्गत सरकारी क्वार्टरों की श्रेणी/टाइप-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या खराब रखरखाव के कारण इनमें से अधिकांश क्वार्टरों की स्थिति बहुत खराब है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन क्वार्टरों के रखरखाव के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन क्वार्टरों के रखरखाव पर श्रेणी/टाइप-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

3098. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 20.11.2001 और 26.2.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 239, 241 और 115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि वे दिल्ली नगर निगम से परामर्श करके, कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर रहे हैं।

विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता

3099. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयेग ने विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जहां तक शैक्षिक और प्रचालनात्मक पहलु का संबंध है, सभी विश्वविद्यालय स्वात्त संस्थाएं हैं। तथापि शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षाओं में मानकों का अनुरक्षण करने के लिए उनसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कतिपय मानदण्डों के अनुपालन की आशा की जाती है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त पेयजल परियोजनाएं

3100. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त कुछ पेयजल परियोजनाएं चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त, देश में चालू

और विचाराधीन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण-I और II संलग्न है। राज्यान राज्य के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	विश्व बैंक सहायता	परियोजना क्षेत्र	परियोजना स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (स्वजल)	71.00 मिलियन यू०एस० डालर	52.40 मिलियन यू०एस० डालर	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	अगस्त, 1996 में परियोजना कार्यान्वयन आरंभ हुआ और मई, 2003 के अंत तक पूरा किया जाना निर्धारित है।
2.	केरल	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	89.8 मिलियन यू०एस० डालर	65.50 मिलियन यू०एस० डालर	4 जिलों पालाकड, मालापुरम कोजीकोड़ त्रिचूर में 80 ग्राम पंचायतें	6 वर्ष (2001-2006) 437.30 मिलियन उपयोग किए जा चुके हैं।
3.	कर्नाटक	कनार्टक समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना चालू परियोजना	200.00 मिलियन यू०एस० डालर	151.60 मिलियन यू०एस० डालर	कर्नाटक के 23 जिलों में 3000 गांव	6 वर्ष (2002-2007)

विवरण-II

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विचाराधीन परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	विश्व बैंक सहायता	परियोजना क्षेत्र	परियोजना स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (आर डब्ल्यू एस और ई एस पी)	1652.20 करोड़ रुपये	—	महाराष्ट्र के 16 जिले	विश्व बैंक मिशन ने सितम्बर, 2002 में महाराष्ट्र का दौरा किया।

1	2	3	4	5	6	7
2.	तमिलनाडु	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमिलनाडु जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	135.0 मिलियन यू०एस० डालर	135.0 मिलियन यू०एस० डालर का 75%	तमिलनाडु के 7 जिले	6 वर्ष अनंतिम रूप से 2003 से 2008 तक विश्व बैंक आइडेंटी-फिकेशन मिशन द्वारा उठाए गए मुद्दे को तमिलनाडु सरकार द्वारा निपटा लिया गया है और विश्व बैंक को इसकी सूचना दे दी गई है।
3.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना-II	1038.00 करोड़ रुपये	851.00 करोड़ रुपये	उत्तर प्रदेश के 17 जिले	परियोजना पर कार्रवाई के लिए विश्व बैंक के सामने रखा गया है।

उड़ीसा में महंगे और अपेक्षाकृत कम महंगे पत्थरों की खोज

3101. श्री अनन्त नायक : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेषकर राज्य के पश्चिमी भाग में महंगे और अपेक्षाकृत महंगे पत्थरों के विशाल भंडार की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पत्थरों के उचित दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) उड़ीसा खनन निगम और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने उड़ीसा के पश्चिमी भागों में बहुमूल्य और बेशकीमती पत्थरों के अनेक छोटे निक्षेपों का पता लगाया है। बहुमूल्य और बेशकीमती पत्थरों अर्थात रूबी, सेफायर और उनकी स्टार वैराइटीज़ एमराल्ड, एक्वामेरिन, क्रायस्कबैरल; एलेक्साड्राइट, टोपाज, गारनेट, विभिन्न रंगों के टूरमालाईन और आइओलाइट उड़ीसा के बोलानगिर, कालाहांडी जिलों में पाए जाते हैं।

(ग) जी०एस०आई० द्वारा उड़ीसा के भागों में बहुमूल्य और बेशकीमती पत्थरों के गवेषण के लिए अंवेषण किए जाते हैं। उड़ीसा सरकार ने राज्य में जैमस्टोन के गवेषण, विदोहन और विपणन का कार्य उड़ीसा खनन निगम को सौंपा है।

[हिन्दी]

डी.एड. कालेजों में शिक्षक-शिष्य अनुपात

3102. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.एड. कालेजों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), नई दिल्ली द्वारा कितना शिक्षक-शिष्य अनुपात निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारें विशेषकर महाराष्ट्र सरकार ने एन.सी.टी.ई. से उक्त अनुपात में कोई छूट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या परिषद द्वारा छूट प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम (डी.एड.) के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं मानकों में शिक्षा के संबंध में निम्नवत अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं :-

(i) 50 या इससे कम छात्रों के यूनिट के लिए (2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 100 या इससे कम की संयुक्त संख्या के लिए), पूर्णकालिक शिक्षण संकाय में प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष तथा कम से कम 5 प्रवक्ता होंगे। निर्धारित यूनिट से अधिक संख्या में छात्रों का दाखिला होने पर उसी अनुपात में पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी।

(ii) शिक्षकों की नियुक्ति इस तरह से की जानी चाहिए जिससे कि प्रविधि पाठ्यक्रमों तथा आधार पाठ्यक्रमों के शिक्षण के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता का स्वरूप एवं स्तर सुनिश्चित हो।

(iii) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव, संगीत, सूचना प्रौद्योगिकी, साक्षरता आदि जैसे विषयों के शिक्षण के लिए अंशकालिक अनुदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र, गुजरात, तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों से संबंधित अपेक्षाओं में कुछ ढील की मांग की थी। शिक्षकों की संख्या के संबंध में प्रदान की गई ढील निम्नवत है:-

(i) गुजरात एवं महाराष्ट्र के मामले में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना से पूर्व स्थापित सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कालेजों के मामले में प्रति वर्ष 50 छात्रों की यूनिट के लिए प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के अलावा कम से कम 4 शिक्षक होने चाहिए। राज्य सरकारें इन संस्थाओं में कम से कम एक अंशकालिक शिक्षक भी उपलब्ध कराएंगी।

(ii) पश्चिम बंगाल के मामले में, 60 या इससे कम छात्र होने की स्थिति में प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के अलावा कम से कम 3 नियमित शिक्षकों का प्रावधान है। 80 से अधिक छात्र होने की स्थिति में शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 बनाए रखने के लिए नियमित आधार पर अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, मुम्बई

3103. **श्री किरीट सोमैया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक (आर.सी.एफ.), मुम्बई इकाई को हाल ही में घाटा होने लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2002-2003 के पहली छमाही के कार्य-निष्पादन के दौरान और वर्ष 2001-2002 के 12 महीने के परिणाम नकारात्मक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे और तुलनात्मक चार्ट क्या हैं;

(च) क्या ऐसा कामगारों, श्रमिकों की छटनी, पदमुक्त किए जाने का नतीजा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या ऐसा गेल (जी.ए.आई.एल.) और ओ.एन.जी.सी. से गैस की कम आपूर्ति के कारण है;

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ञ) क्या मंत्रालय और आर.सी.एफ. प्रबंधन गैस आपूर्ति बढ़ाने हेतु कोई कदम उठा रहे हैं;

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ठ) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय इस अनुरोध पर ध्यान दे रहा है; और

(ड) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क), (ख), (ज) और (झ) जी, हां। आर.सी.एफ. को हानि होने का मुख्य कारण जी.ए.आई.एल. द्वारा गैस की कम आपूर्ति, जुलाई, 1997 से यूरिया के प्रतिधारण मूल्य में संशोधन और चालू वर्ष के दौरान मिश्रित उर्वरकों पर सब्सिडी में कटौती है।

(ग) से (ङ) प्रथम 6 माह अर्थात अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2002 के दौरान कंपनी को 133.47 करोड़ रुपए (अनन्तिम) की हानि हुई है। तथापि, वर्ष 2001-02 में कंपनी ने 52.61 करोड़ रुपए का कर पूर्व निबल लाभ अर्जित किया है। गत तीन वर्षों का विवरण और तुलनात्मक चार्ट संलग्न है।

(च) और (छ) वर्तमान में यह विचाराधीन नहीं है।

(ज) से (ड) आरसीएफ ने नेफ्था ईंधन का उपयोग करने के लिए 1996-97 की अवधि के दौरान अपने सर्विस बायलरों, आक्सीलरी बायलरों, स्टीम सुपरहीटरों आदि को परिवर्तित किया है। तत्पश्चात् गैस की आपूर्ति में और कमी होने के कारण आरसीएफ ने गैस की कमी की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2001 में नैफ्था फीड स्कीम की स्थापना की है। तब से गैस की आपूर्ति में और कमी हो गई है और गैस की इस कमी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त निवेश से अतिरिक्त नैफ्था फीड सिस्टम की स्थापना की जानी है। यह मामला पैट्रोलियम मंत्रालय के साथ भी उठाया गया है।

विवरण

(रु./करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2002-2003 अप्रैल-सितम्बर, 2002	2001-2002	2000-2001	1999-2000
1.	आय	901.65	2099.45	2137.93	2374.41
	बिक्री	721.34	1395.06	1437.27	1578.79
	सब्सिडी	164.76 एल 1	659.14	645.42	749.08
	अन्य आय	15.55	45.25	46.24	46.54
2.	बिक्री की लागत (ब्याज, मूल्यह्रास, पूर्व वर्ष समायोजन व असाधारण मदों को छोड़कर)	978.37	1929.99	1940.73	2215.63
3.	सकल लाभ/हानि (1-2)	(76.72)	169.46	197.20	158.78
4.	मूल्यह्रास	24.90	76.88	59.10	46.90
5.	ब्याज (निबल)	33.21	58.37	72.57	72.14
6.	पूर्व वर्ष समायोजन-व्यय/(आय)	-1.36	-18.40	-3.63	-3.34
7.	लाभ/(हानि) कर पूर्व	(133.47)	52.61	69.16	43.08
8.	कर प्रावधान (निबल समायोजन)	0.00	28.40 एल 2	4.19	8.00
9.	लाभ/(हानि) कर पश्चात	(133.47)	24.21	64.97	35.08

एल 1 — सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण सब्सिडी का प्रभाव - 117.25 करोड़ रुपए सब्सिडी आय में शामिल किए गए हैं।

एल 2 — 24.15 करोड़ रुपए की आस्थगित कर देयता शामिल है।

सेंटर फार बायोकेमिकल टेक्नोलाजी (सी.एस.आई.आर.)

3104. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-2000 के दौरान सेंटर फार बायोकेमिकल टेक्नोलाजी (सी.एस.आई.आर.) में श्रेणी-वार और वर्ष-वार कुल कितने वैज्ञानिकों को प्रोन्नत किया गया;

(ख) संबंधित मूल्यांकन वर्षों के दौरान उक्त वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष-वार और वैज्ञानिक-वार कुल कितने प्रकाशन हुए और कितने पेटेन्ट दाखिल किए गए;

(ग) क्या पदोन्नति के लिए प्रकाशन और पेटेन्ट दाखिल करना ही एकमात्र मानदंड है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो पदोन्नत हेतु अपनाए गए अन्य मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) वर्ष 1997-2000 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती जीव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीबीटी), अब जीनोमिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थाय (आईजीआईबी), नई दिल्ली में पदोन्नत वैज्ञानिकों की कुल संख्या का श्रेणी-वार, वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) संबंधित मूल्यांकन वर्षों के दौरान उक्त वैज्ञानिकों के प्रकाशनों और फाइल किए गए पेटेंटों की कुल संख्या का वर्ष-वार, वैज्ञानिक-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II और II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उक्त वैज्ञानिकों की पदोन्नति इस विषय पर सीएसआईआर की नीति और इन वैज्ञानिकों द्वारा अपनी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में प्राप्त ग्रेडिंग; पीयर रिव्यू की रिपोर्ट; और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर की गई।

विवरण-I

पदोन्नत वैज्ञानिकों की संख्या	समूह
1	2
1997-1998	
5	IV(3) से IV(4)
2	IV(2) से IV(3)
1998-999	
3	IV(4) से IV(5)
4	IV(3) से IV(4)
1	IV(2) से IV(3)
1999-2000	
2	IV(3) से IV(4)
1	IV(2) से IV(3)
1	IV(1) से IV(2)

विवरण-II

वैज्ञानिक	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
डॉ. रीटा कुमार	2	2	1	2
डॉ. एम.ए.क्यू. पाशा	–	–	–	3
डॉ. के.के. तनेजा	–	–	–	2
डॉ. सन्तोष पाशा	1	1	2	1
डॉ. प्रदीप नाहर	1	–	–	–
डॉ. आर.एस. दास	2	–	2	–
डॉ. एच.आर. दास	1	2	3	1
डॉ. अशोक कुमार	2	1	2	3
डॉ. बी.के. मलिक	–	1	2	1
डॉ. डब्ल्यू.एन. गडे	–	–	–	–
डॉ. जी.एल. शर्मा	2	1	–	–
डॉ. सुशीला श्रीधर	2	5	2	5
डॉ. एल.एस. मीणा	–	–	–	1

1	2	3	4	5
डॉ. अर्जुन राम	1	—	—	—
डॉ. जी.डब्ल्यू. रेमभोतकर	—	—	—	—
डॉ. रेखा चतुर्वेदी	2	1	—	—
डॉ. पी.जी. राजचन्द्रन	—	—	—	—
श्री उदय कुमार	—	—	—	—
श्री डी.डी. शर्मा	—	—	—	—

विवरण-III

वैज्ञानिक	फाइल किए गए पेटेन्ट			
	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
डॉ. रीटा कुमार	—	4	—	5
डॉ. एच.आर. दास	—	—	1	—
डॉ. जी.एल. शर्मा	—	—	—	2
डॉ. प्रदीप नाहर	—	—	—	2
डॉ. एम.ए.क्यू. पाशा	—	—	—	—
डॉ. के.के. तनेजा	—	—	—	—
डॉ. सन्तोष पाशा	—	—	—	—
डॉ. आर.एस. दास	—	—	—	—
डॉ. अशोक कुमार	—	—	—	—
डॉ. बी.के. मलिक	—	—	—	—
डॉ. डब्ल्यू.एन. गडे	—	—	—	—
डॉ. सुशीला श्रीधर	—	—	—	—
डॉ. एल.एस. मीणा	—	—	—	—
डॉ. अर्जुन राम	—	—	—	—
डॉ. जी.डब्ल्यू. रेमभोतकर	—	—	—	—
डॉ. रेखा चतुर्वेदी	—	—	—	—
डॉ. पी.जी. राजचन्द्रन	—	—	—	—
श्री उदय कुमार	—	—	—	—
श्री डी.डी. शर्मा	—	—	—	—

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

3105. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्रामीण विकास परियोजनों के लिए भारत को निधियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उक्त धनराशि का उपयोग किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए धन नहीं देता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अरबी मदरसा

3106. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 24 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5537 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होम गार्डस्

3107. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने होम गार्डस् कर्मियों की दिनांक 1.1.1995 से आज तक सेवाएं समाप्त कर दी गई थी;

(ख) सेवा समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन्हें पुनः बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक उनमें से कितने बहाल किए गए हैं;

(घ) उन्हें बहाल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उन होम गार्डस् कर्मियों की संख्या कितनी है जिन्होंने कई बार अनुरोध करने पर भी बहाल न किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी;

(च) मृतक के पीवार को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(छ) क्या सरकार को इस संबंध में वेलफेयर एसोसिएशनों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(झ) सेवा समाप्त कर दिए गए होम गार्डस् कर्मियों को कब तक बहाल कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है और इसके सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित बंबई होम गार्ड अधिनियम, 1947 में दिए गए प्रावधानों के तहत किसी होमगार्ड की अनुमेय पदावधि तीन वर्ष होती है जिसके समाप्त होने पर उसे कार्य मुक्त होना होता है। दिनांक 1.1.1995 से अब तक 17505 होमगार्ड स्वयंसेवकों को कार्यमुक्त किया गया है ताकि इस संगठन का स्वैच्छिक स्वरूप बना रहे।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है जिसमें दिल्ली होमगार्ड के किसी सदस्य ने इस आधार पर आत्महत्या कर ली हो कि उसे बहाल नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) से (झ) जी हां, श्रीमान। उठाए गए मुद्दे मुख्यतः होमगार्डों की सेवाएं नियमित करने तथा उन्हें वेतन एवं पेंशन के भुगतान से संबन्धित हैं। तथापि, ऐसी मांगों में कोई दम नहीं है क्योंकि इन्हें स्वीकार करने से इस संगठन का मूल स्वैच्छिक स्वरूप ही बदल जाएगा।

[अनुवाद]

जवाहर ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत दूसरी किस्त

3108. **श्री जी० पुट्टस्वामी गौड़ा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने वर्ष 2002-2003 के दौरान जवाहर ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तंत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि में अपने हिस्से को अविलम्ब जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई) को 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के साथ मिला दिया गया था। इस तरह से 2002-2003 के दौरान जे.जी.एस. वाई. के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से धन की रिलीज के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निस्काम द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद

3109. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान के निदेशक ने 30 जुलाई, 2002 को 95 कम्प्यूटरों के लिए निविदा दस्तावेज सहित ट्रेडिशनल नालेज डिजीटल लाइब्रेरी हेतु 30 कम्प्यूटर खरीदने हेतु निदेश दिया था;

(ख) क्या एस.पी.सी. II द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो अनुमोदन की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम्प्यूटरों की खरीद निविदायें आमंत्रित करने के बाद की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से निस्काम के विभिन्न डिवीजनों में खरीदे गये और संस्थापित कम्प्यूटरों जिनके लिए निविदायें आमंत्रित की गई थीं, उनका ब्यौरा क्या है और इनकी वर्ष-वार, श्रेणी-वार खरीद हेतु धनराशि के स्रोत क्या हैं; और

(च) उपर्युक्त खरीद के लिए वर्ष-वार और श्रेणी-वार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) मांगकर्ताओं से मांग प्राप्त होने पर सीएसआईआर की एक घटक इकाई और टीकेडीएल परियोजना में क्रियान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम), अब राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (निस्केअर), नई दिल्ली ने इस परियोजना के लिए भंडार क्रय समिति-II (एसपीसी-II) की दिनांक 24.8.2001 की सिफारिशों के आधार पर 30 पीसीज़ खरीदे।

(ङ) और (च) ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II के अनुसार है।

विवरण-I

कम्प्यूटरों और सर्वरों का वितरण

प्रभाग	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002	योग
निदेशक कार्यालय	—	01	03	04
पिरिऑडिकल्स	17	09	22	48
बायोइनफार्मेटिक्स	16+4*	04	11	31+4*
प्रोडक्शन	07	03	20	30
प्रशासन+ए/सी+क्रय	06	02	09	17
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	14	01	—	15
बिक्री एवं विपणन	02	01	02	05
लोकप्रिय विज्ञान	03	02	06	11
टीकेडीएल परियोजना	—	—	32	32
कुल	65+4*	23	105	193+4*
निधियन का स्रोत	सीएस आईआर	सीएस आईआर	सीएसआईआर तथा आई एसएम एंड एस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	

सर्वर

विवरण-II

राशि रुपयों में

वर्ग	वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001		वर्ष 2001-2002	
पीसीज़	राशि (रुपयों में)	स्रोत	राशि (रुपयों में)	स्रोत	राशि (रुपयों में)	स्रोत
	22,81,860.00	सीएसआईआर	13,23,852.00	सीएसआईआर	35,73,000.00 22,73,000.00	सीएसआईआर, आईएसएम एंड एच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सर्वर	4,74,783,00	सीएसआईआर	शून्य	—	शून्य	—

कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन

3110. **श्री के० येरननायडू :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कोयले के खनन पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने किन-किन तारीखों पर कोयले के खनन पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने का अनुरोध किया था और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने समय-समय पर केन्द्र सरकार से कोयले पर रायल्टी की दरों को संशोधित करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोधों की सम्यक रूप से जांच की गई और उन पर विचार किया गया। तथापि, खान तथा खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार रायल्टी की दरों को तीन वर्षों में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकता है। कोयले पर रायल्टी की दरों को 16.8.2002 में संशोधित तथा अधिसूचित किया गया है, जो वर्तमान में लागू हैं।

[अनुवाद]

बंगलौर विमानपत्तन पर अल्पाहार गृह

3111. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमानपत्तन पर चलाए जा रहे अल्पाहार गृह को बंगलौर के अशोक होटल के लीज डीड में शामिल किया गया है जबकि होटल के निविदा दस्तावेज में इसका उल्लेख तक नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) विनिवेश की यथोचित प्रक्रिया अपनाने के बाद, होटल अशोक, बंगलौर को 29.11.2001 से 31.03.2032 की अवधि के लिए मैसर्स भारत होटल्स लिमिटेड को पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबन्ध पर दे दिया गया है। पट्टा-सह-प्रबंधन करार के सन्दर्भ में बंगलौर एयरपोर्ट स्थित (स्वदेशी टर्मिनल में) स्नैक-बार सहित एयरपोर्ट रेस्तरां और उड़ान के दौरान खान-पान सेवाएं भी 29.11.2001 से 31.12.2005 की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मैसर्स भारत होटल्स लिमिटेड को सह-लाइसेंस पर दे दी गई हैं। अशोक होटल बंगलौर के सूचना ज्ञापन और बोलीदाताओं को प्रदान किए गए डाटा-कक्ष दस्तावेजों में, स्नैक-बार सहित, जिसका संचालन होटल के एक भाग के रूप में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था, एयरपोर्ट रेस्तरां और उड़ान के दौरान खान-पान सेवाओं से संबंधित हर प्रकार की जानकारी शामिल थी।

भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी

3112. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 2002 के "दैनिक जागरण" में उनके मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जांच करने के लिए प्रमुख विभागीय दल गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक ऐसी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को 'यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउन्डेशन इन इण्डिया' के एक भ्रष्ट अधिकारी की गिरफ्तारी के संबंध में 'दैनिक जागरण' में छपी खबर का संज्ञान है। 'यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउन्डेशन इन इण्डिया' भारत अमरीका फुलब्राइट समझौते के अन्तर्गत स्थापित एक द्विराष्ट्रीय निकाय है जो भारत सरकार के

अधीन कार्य नहीं करता है। इस संस्था की आंतरिक लेखा-परीक्षा के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा कतिपय कदाचार किए जाने की जानकारी मिली थी और 'यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउन्डेशन इन इण्डिया' ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले की छानबीन कर रही है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

3113. **डा० अशोक पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रवेश परीक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। चयन परीक्षा का समय दिसम्बर से अप्रैल कर दिया गया है ताकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त तैयारी का समय मिल पाए और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की भी सूचना दी जाएगी। यह व्यवस्था संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2003 से लागू होगी।

[अनुवाद]

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने की योजना

3114. **श्री प्रबोध पण्डा :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूखा प्रभावित राज्यों से देश के बड़े शहरों में लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवर्जन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरीबों को और अधिक नौकरियां उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना से राज्य-वार कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्राजय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) केन्द्र सरकार को सूखा प्रभावित राज्यों से देश के बड़े शहरों की ओर लोगों के पलायन के संबंध में अब तक कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिली है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सृजन, ढांचागत विकास और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर देने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) की चालू योजनाओं को मिलाकर केन्द्र सरकार ने 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) नाम की एक नई योजना शुरू की है। दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर यह योजना पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित की जाती है। एस जी आर वाई का एक विशेष घटक है जिसके तहत अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सृजन के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विशेष घटक के तहत आपदा प्रभावित 12 राज्यों को 38.30 लाख टन खाद्यान्न रिलीज किए गए थे।

(घ) चूंकि विशेष घटक सहित एस जी आर वाई के तहत रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है इसलिए योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। तथापि एस जी आर वाई के विशेष घटक के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान अब तक 1794 लाख श्रमदिवस का रोजगार सृजित किया गया है।

ग्रामीण जल संरक्षण योजना

3115. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारकार ने समूचे देश में पानी के नए टैंकों के निर्माण हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्रामीण जल संरक्षण योजना को चालू करने हेतु राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का विचार देश के जल की कमी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन-कौन सी वैकल्पिक योजना शुरू करने का है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के इस प्रयास में मदद करती है। राज्यों को ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का 5% वर्षाजल एकत्रीकरण, जल संरक्षण हेतु नए टैंकों का निर्माण, भू-जल रिचार्ज आदि सहित स्रोतों और प्रणालियों के स्थायित्व के लिए शुरू की जाने वाली परियोजनाओं हेतु निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकारों से इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक परियोजनाएं शुरू करने का आग्रह किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल अभाव की समस्या को हल किया जा सके।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

3116. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राहत कार्यों की शुरूआत के बाद पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा गेहूं और की कितनी मांग की गई और प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा और चावल की आपूर्ति की गई;

(ख) इस प्रयोजनार्थ बनाए गए कृतिक बल द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद भी खाद्यान्न जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत समय पर खाद्यान्न जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई विधिवत अधिसूचना के बाद आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के जरिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 01.04.2002 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत एक विशेष घटक शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष (2002-2003) के दौरान, सूखा प्रभावित राज्यों को 38.29 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत मांगे गए और आबंटित किए गए खाद्यान्नों के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं०	राज्य	मांगी गई मात्रा चावल/गेहूं/ एक साथ	चालू वर्ष के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रिलीज की गई मात्रा (नवम्बर, 2002 तक)		
			गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	0	18.00	18.00
2.	छत्तीसगढ़	12.60	0	1.43	1.43
3.	हरियाणा	9.72	0.25	0	0.25
4.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.04	0.06	0.10
5.	झारखण्ड	—	0.20	0.20	0.40
6.	कर्नाटक	11.09	0	2.00	2.00
7.	केरल*	0.25	0	0.25	0.25
8.	मध्य प्रदेश	2.50	1.63	0.48	2.11
9.	उड़ीसा	12.19	0	4.00	4.00
10.	राजस्थान**	56.00	7.00	0	7.00

1	2	3	4	5	6
11.	तमिलनाडु	5.46	0	0.50	0.50
12.	उत्तर प्रदेश	20.00	2.00	0	2.00
13.	उत्तरांचल	—	0.19	0.31	0.50

*सामान्य एस जी आर वाई योजना के अंतर्गत केरल को 0.25 लाख टन चावल रिलीज किए गए थे।

**राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई, 2003 तक 56.00 लाख टन गेहूं मांगा गया था।

(ख) एस जी आर वाई के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्न जिले-वार रिलीज किए जाते हैं। उन राज्यों के लिए, जिन्होंने प्रस्ताव सहित जिला-वार ब्यौरे दिए थे, सूखा प्रबंधन संबंधी कार्यदल द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्नों की रिलीज में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। अन्य राज्यों के लिए जिला-वार ब्यौरे प्राप्त होते ही इसे रिलीज किया गया।

(ग) पहले, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को खाद्यान्नों की रिलीज के लिए निर्देश दिए जाते थे, जो बाद में रिलीज के लिए एफ सी आई को आदेश देता था। अब इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय सीधे एफ सी आई को रिलीज संबंधी आदेश देता है। भविष्य में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए, राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे अधिसूचित जिलों के लिए आबंटन के साथ अपने प्रस्ताव भेजें।

आत्मसमर्पण कर चुके बोडो आतंकवादी

3117. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आत्मसमर्पण कर चुके बोडो आतंकवादियों को उचित राहत और पुनर्वास प्रदान करने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आज की तारीख के अनुसार आत्मसमर्पण कर चुके कितने बोडो आतंकवादियों की भर्ती अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस सुरक्षा कर्मियों के रूप में की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्पेशल आपरेशन ग्रुप को समाप्त करना

3118. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना प्राधिकारियों के अनुसार पुलिस के स्पेशल आप्रेशन ग्रुप को समाप्त करने के जम्मू और कश्मीर की नई सरकार के निर्णय से आतंकवाद का सामना करने का आप्रेशन कमजोर पड़ जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय के कार्यान्वयन से पूर्व केन्द्र सरकार से परामर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर विधानमण्डल के संयुक्त अधिवेशन में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के अभिभाषण के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार एस.ओ.जी. कार्मिकों को नियमित पुलिस बल में सम्मिलित करने/दूसरी जगह पर लगाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वह कानून के अनुशासन के अध्यधीन हों और उन्हें उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाया जा सके। राज्यपाल के अभिभाषण से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार, राज्य की न्यायसंगत सुरक्षा चिंताओं से पूर्णता अवगत है और संविधान के अन्तर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति उसका इरादा दृढ़ और अटल है। राज्य सरकार ने एस.ओ.जी. के प्रस्तावित पुनः स्थापन के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

सेना ने सरकार को सूचित किया है कि इस निर्णय से जम्मू और कश्मीर में सेना द्वारा की जा रही आतंकवाद विरोधी अभियानों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है और वे पहले की तरह ही जारी रहेंगे।

केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल के प्रशिक्षण

3119. श्री विकास चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सिद्धबारी, आसनसोल स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केन्द्र को वहां से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी जोन में केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल के एकमात्र प्रशिक्षण शिवर को उस स्थान पर ले जाने के क्या कारण हैं जहां पहले से ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक शिविर कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिदबारी में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केन्द्र को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपयुक्त भूमि और कुछ अन्य मूलभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण प्रशिक्षण केन्द्र को सिद्धबारी से स्थानान्तरित किया गया है।

(ग) बल ने पश्चिम बंगाल सरकार से प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपयुक्त भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से विदेशी अंशदान

3120. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री सुनील खां :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन इन्वायरेन्मेंट एण्ड एलायड डाटा बेस (सं० एस/26497 आफ 1994) जो दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीयक के पास पंजीकृत है को वर्ष 1993 के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 के बाद से प्राप्त अंशदान की धनराशि, स्रोत और तारीख सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1993 के बाद सक्षम प्राधिकारी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए एशियन हैल्थ इन्वायरेन्मेंट एण्ड डाटा बेस को अनुमति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो मंजूरी की तारीख सहित प्रदत्त पूर्व अनुमति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. संबंधी रिपोर्ट सं० 3, 2002

3121. श्री रामजी मांझी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं० 3 (सिविल) में पृष्ठ 128 पर पैरा 17.5 में कहा है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्राप्त किए बिना 644.71 करोड़ रुपए की कुल लागत पर वर्ष 1997-01 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत 20777 निर्माण कार्य पूरे किये गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अस्वीकृत कार्यों पर धनराशि खर्च करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) वर्ष 2002 (मार्च 2001, को समाप्त वर्ष के लिए) के लिए सी एंड ए जी की रिपोर्ट सं० 3 के अध्याय-III में 1997-98 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है तथा इस प्रश्न में उल्लिखित सहित विभिन्न टिप्पणियां की हैं। अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट के पैरा 17.5 में यह पाया गया है कि 1997-2001 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों ने असम (120 करोड़ रु०), हरियाणा (38.21 करोड़ रु०), हिमाचल प्रदेश (51.60 करोड़ रु०), जम्मू व कश्मीर (0.31 करोड़ रु०), पंजाब (7.71 करोड़ रु०), राजस्थान (5.45 करोड़ रु०), तमिलनाडु (379.45 करोड़ रु०) तथा उत्तर प्रदेश (0.46 करोड़ रु०) में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्राप्त किए बिना 644.71 करोड़ रुपये की कुल लागत के 20,777 कार्यों को निष्पादित किया। रिपोर्ट के आगे यह बताया गया है कि मार्च 2001 तक समस्त खर्च को विनियमित नहीं किया गया था।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती हैं। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, मंजूर तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं।

सी एंड ए जी रिपोर्ट में निहित अधिकांश टिप्पणियां राज्य विशिष्ट हैं तथा इसलिए इस पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों को करनी होती है। भारत सरकार ने उपचारी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को पहले ही आग्रह किया है।

[हिन्दी]

मॉडर्न फूड पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

3122. **श्री अखिलेश यादव :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मॉडर्न फूड (इंडिया) लिमिटेड के विनिवेश के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस रिपोर्ट में किन बिन्दुओं पर आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एम.एफ.आई.एल.) के बारे में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने दिनांक 05 जुलाई, 2001 को सार्वभौमिक सलाहकारों की नियुक्ति तथा उनके कार्य के क्षेत्राधिकार, संयंत्र और मशीनरी के मूल्य निर्धारण, भूमि और भवनों का मूल्य निर्धारण, पूंजीगत लाभ कर और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की लागत, अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण न करने और अनुकूल साझीदार के चयन पर कतिपय टीका-टिप्पणियां भेजी थी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियों का विस्तृत उत्तर 31 अगस्त, 2001 को भेजा गया था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं दी है।

[अनुवाद]

सबके लिए शिक्षा

3123. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 नवम्बर, 2002 के 'दि पायनियर' में ''ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट; एजुकेशन फॉर आल इज दी वर्ल्ड ऑन ट्रैक रिसेन्टली'' के बारे में शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और भारत के संबंध में रिपोर्ट में क्या टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) केंद्र सरकार की रिपोर्ट में की गई प्रत्येक टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ई एफ ए ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार नेपाल और पाकिस्तान के साथ भारत भी डकार ढ़ांचे के तीन उद्देश्यों—सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता और लिंग भेद को प्राप्त न करने के खतरे का सामना कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) यूनेस्को ने एक वैश्विक मानीटरिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें भारत को उन 28 देशों में से एक देश दिखाया गया है जो सभी के लिए शिक्षा के सभी तीन लक्ष्यों को पूरा करने से वंचित हैं। इस रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष वर्ष 2000 में तीन मानदण्डों, अर्थात्, प्राथमिक स्कूलों में निवल नामांकन अनुपात, प्रौढ़ साक्षरता की प्रतिशतता तथा प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात के अनुसार लैंगिक समानता से संबंधित यूनेस्को के पास उपलब्ध आकड़ों पर आधारित हैं। इन मानदण्डों के लिए यूनेस्को द्वारा प्रयुक्त आंकड़े या तो पुराने हैं अथवा जहां तक भारत संबंधी आंकड़ों का संबंध है यूनेस्को के पास उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण भ्रामक निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में किए गए उपायों, जैसे सर्वशिक्षा

अभियान का आरंभ तथा साक्षरता कार्यक्रमों में सुधार आदि के निष्कर्ष पर पहुंचते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। इन कार्यक्रमों के तहत निर्धारित लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा के लिए 2015 की निर्धारित तारीख से कहीं पहले के हैं। यनेस्को द्वारा गठित सभी के लिए शिक्षा संबंधी उच्च स्तरीय दल की 19-20 नवम्बर को अबुजा में आयोजित बैठक में इस मानीटरिंग रिपोर्ट की समीक्षा की गई थी। इस बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री ने भाग लिया था। इस बैठक में इन विसंगतियों का उल्लेख किया गया और मंत्री द्वारा भारत की स्थिति को स्पष्ट किया गया।

अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर खर्च

3124. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान कोल इंडिया लि० और इसकी अनुषंगी कंपनियों के आधिकारियों की विदेश यात्रा पर किए गए खर्च पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट में तीखी टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इस संबंध में क्या टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए आकलन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई इन खामियों के कारण राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान पहुंचा है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। सी.आई.एल. तथा इसकी अनुषंगियों के अभिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय के संबंध में सी.ए.जी. की टिप्पणियों का सारांश निम्नानुसार है :-

पैरा सं.	टिप्पणी
1	2
2.1.1	प्रतिदिन के भत्ते/दैनिक भत्ते तथा मनोरंजन भत्ते का अधिक भुगतान करना।
2.1.2	एयरपोर्ट फ्री अलाउंस का अधिक भुगतान करना।
2.1.3	व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करना।
2.1.4	प्रशिक्षण अवधि के दौरान डी.ए. का अधिक भुगतान करना।
2.1.5	लेखा जोखा प्रस्तुत न करना।
2.1.7	अप्राधिकृत देशों के दौरे पर किए गए खर्चों का समायोजन करना।
2.1.7	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर दौरा करना।
2.1.8	टी.ए. बिलों को प्रस्तुत न किया जाना।

(ग) सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार हानि की अनुमानित रकम 124.02 लाख रु. ($3,14,080.72) है।

नाल्को का कार्यनिष्पादन

3125. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :**
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नाल्को) मुनाफा क्रमाती रही है और औसतन 1300 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा में प्रतिवर्ष कमाती है;

(ख) यदि हां, तो कब से और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नाल्को का कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ग) विनिवेश के बाद वर्ष 2002-2003 में नाल्को द्वारा कितना मुनाफा अर्जित किया गया;

(घ) क्या सरकार ने नाल्को के ऋण का परिसमापन करने के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए है और इसके आधुनिकीकरण हेतु धनराशि जारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) 1988-89 से लाभ कमा रही है। 1988-89 से कम्पनी का औसत निर्यात अर्जन 628.95 करोड़ रुपए है। विगत तीन वर्षों के दौरान नालको का निष्पादन निम्नवत है :-

क्रम सं.	मापंदड	इकाई	1999-2000	2000-2001	2001-2002
I.	**उत्पादन**				
1.	बॉक्साइट	एमटी	28,22,464	28,34,189	35,22,059
2.	एल्युमिना	एमटी	8,86,000	9,39,000	11,13,000
3.	एल्यूमिनियम	एमटी	2,12,663	2,30,516	2,31,674
4.	पावर (नेट)	एमयू	3,985	3,833	3,970
II.	**बिक्री**				
1.	निर्यात				
क.	एल्युमिना	एमटी	4,79,620	4,95,723	6,70,120
ख.	एल्यूमिनियम	एमटी	95,185	1,18,868	1,06,282
2.	स्वदेशी				
क	एल्यूमिना/हाइड्रेट	एमटी	8,027	4,124	6,297
ख	एल्यूमिनियम	एमटी	1,20,171	1,14,082	1,23,095
ग	पावर	एमयू	595	225	342
III.	**वित्त**				
1.	सकल ब्रिकी	रु० (करोड़)	2142.32	2408.60	2385.42
2.	कर पूर्व लाभ	रु० (करोड़)	681.00	843.37	521.61
3.	शुद्ध लाभ (पी ए टी)	रु० (करोड़)	511.53	655.83	409.35
4.	निर्यात अर्जन	रु० (करोड़)	1031.64	1314.20	1205.32

(ग) नालको के विनिवेश की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अत: प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। नालको सुविधाओं के निर्माण के समय, प्रारंभ में, कम्पनी की इक्विटी शेयर पूंजी में किए गए 1288.62 करोड़ रुपए (जिसे मार्च, 1999 के दौरान घटाकर 644.31 करोड़ रुपए किया गया) को छोड़कर, भारत सरकार ने नालको को ऋण या इक्विटी के माध्यम के कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। नालको ने लगभग 4000 करोड़ रुपए की समग्र विस्तार लागत का वित्त पोषण आंतरिक संसाधनों और बाजार से अल्पराशि उधार के रूप में लेकर किया है।

बॉक्साइट भंडार

3126. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बॉक्साइट भण्डार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में इस समय राज्य-वार बॉक्साइट का कितना भण्डार है; और

(ख) इन क्षेत्रों में बॉक्साइट भण्डारों के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) खान विभाग के लिए अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार (1.4.95 की स्थिति के अनुसार), प्राप्ति योग्य बॉक्साइट भण्डारों कर राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मात्रा हजार टन में)

राज्य/जिला	मात्रा
1	2
अखिल भारतीय	2462431.03
आंध्र प्रदेश	›51479.00
बिहार	2113.00
छत्तीसगढ़	59621.00
गोवा	51260.00
गुजरात	117324.65
जम्मू-कश्मीर	1783.00
झारखण्ड	66022.00

1	2
कर्नाटक	27332.10
केरल	8426.00
मध्य प्रदेश	63874.00
महाराष्ट्र	85590.89
उड़ीसा	1395218.60
राजस्थान	318.50
तमिलनाडु	22647.88
उत्तर प्रदेश	9420.00

(ख) बाक्साइट अयस्क सहित खनिजों के विदोहन के लिए सभी खनिज रियायतें राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तथापि, बाक्साइट को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायतों की मंजूरी देने से पहले केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है। केंद्र सरकार का अनुमोदन कम से कम समय में शीघ्रता से देने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

हरियाणा में कापार्ट के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

3127. श्री रतन लाल कटारिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान हरियाणा में कापार्ट द्वारा प्राप्त परियोजनाओं, प्रस्तावों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्तावधि के दौरान कापार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी संगठन-वार और परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य में इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ङ) क्या धन के दरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भोपाल गैस दुर्घटना

3128. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भोपाल के 20 अप्रभावित वार्डों के यू०सी०सी० प्लांट से गैस रिसाव से प्रभावित व्यक्तियों के लिए यू०सी०सी० से प्राप्त 470 मिलीयन डालरों में से 13.6 बिलियन रुपए ही वितरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या मुआवजा न दिए जाने या कम दिए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों को हतोत्साहित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तथ्य क्या है और सरकार द्वारा इस विषय पर क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

3129. श्री छत्रपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संस्थानों के लिए अनुदानों को संस्वीकृत किये जाने के पश्चात् धनराशि जारी करने में कितना समय लगता है;

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किन योजनाओं के तहत अनुदान दिये जाते हैं;

(ग) क्या प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा देने के अल्पावधि पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों की अवधि कब तक कम कर दिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की जांच और स्वीकृति प्रदान करने के बाद भी राज्य समाज कल्याण बोर्ड धनराशि जारी नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कितने संस्थान हैं जिनकी धनराशि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के पास फंसी हुई है, संस्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) नियमानुसार सभी शर्तें पूरी करने के पश्चात् ही अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न स्कीमों, नामत: महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, महिला आर्थिक कार्यक्रम, अल्पावास गृह, परिवार परामर्श केन्द्र, जागरूकता विकास कार्यक्रम, शिशुगृह, महिला होस्टलों का रख-रखाव, के अंतर्गत अनुदान दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनिजों संबंधी उत्खनन नीति

3130. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोयले और खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई नीतिगत पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गए और प्राप्त खनिजों की वर्तमान में राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए राज्यों को मदद और सहयोग देने का प्रस्ताव है और इन राज्य सरकारों द्वारा चलाये गए/चलाए जाने वाली परियोजनाओं हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मदद देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कुछ मामलों में पर्यावरण और वन मंत्रालय इन राज्यों में विशेषकर कोयला पट्टियों के खनन संबंधी परियोजनाओं हेतु स्वीकृति देने में अड़चनें पैदा करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में कोयला तथा खनिजों के निक्षेपों के अन्वेषण के लिए कोई पृथक नीति नहीं बनाई गई है।

(ख) तथापि, अन्वेषण प्रयासों के परिणामस्वरूप जी.एस.आई. द्वारा किए गए आकलन (1.1.2002) के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले के 909.74 मि.ट. के भू-गर्भीय भंडारों का पता लगाया जा चुका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-वार भू-गर्भीय भंडार नीचे दिए अनुसार है :-

(मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
असम	279.30	26.83	34.01	340.14
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
मेघालय	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैण्ड	3.43	1.35	15.16	19.94
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जोड़	431.79	109.18	368.77	909.74

(ग) से (ङ) सरकार इन राज्यों को इस अन्वेषण के लिए निधियां प्रदान करके सहायता दे रही है जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज अन्वेषण निगम लि० (एम.ई.सी.एल.), तथा केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान लि० (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) द्वारा किया जाता है।

खनन कंपनियां तथा अन्वेषण ऐजेंसियां संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक वन तथा ई.एम.पी. मंजूरी लेती है। सी.आई.एल. की नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के संबंध में वन विभाग तथा साथ ही पर्यावरण विभाग के पास कोई मंजूरी लंबित नहीं पड़ी है।

[हिन्दी]

गोविंदपुर कोयला खान क्षेत्र में दुर्घटना

3131. श्री सुबोध राय : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में गोविंदपुर कोयला खान क्षेत्र में दुर्घटना से 20 लोगों की मृत्यु से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मृतकों के निराश्रितों को मुआवजा और रोजगार दिलाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) दिनांक 11.10.2002 को राष्ट्रीय सहारा में समाचार प्रकाशित होने पर कथारा क्षेत्र तथा गोविन्दपुर परियोजना के अधिकारियों, डी.जी.एम.एस. तथा डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.), बोकारो और पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) बोकारो सहित राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया और गिरे हुए मलबे की सफाई/खुदाई कराई ताकि उनकी उपस्थिति में कथित रूप से मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाया जा सके, परन्तु मलबे के नीचे कोई व्यक्ति फंसा हुआ नहीं मिला और इस प्रकार रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई।

डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.), बोकारो ने दिनांक 20.10.2002 को अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें सीसीएल मुख्यालय, धोरी, बी. एण्ड के. तथा कथारा क्षेत्र के प्रतिनिधियों, डी.जी.एम.एस. अधिकारियों (कोडरमा क्षेत्र) तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में डी.सी. ने उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक कार्यबल, स्टाफ अधिकारी (खनन) की अध्यक्षता में गठित किया है जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय बचाव अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। डी.जी.एम.एस./कोडरमा, एस.डी.ओ., डी.एम.ओ. तथा डी.एफ.ओ. और प्राधिकृत एक कार्यपालक मैजिस्ट्रेट भी समिति से सम्बद्ध होंगे। समिति को 4/16 सशस्त्र गार्डों की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सी.सी.एल. के धोरी, बी. एण्ड के. तथा कथारा क्षेत्रों, जहां खदानों से कार्य स्थगित/रोक दिया गया है/छोड़ दिया गया है, की खानों का निरीक्षण कार्य बल द्वारा आवधिक रूप से किया जाएगा।

सामान्यत:, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधन द्वारा उठाए जा रहे निवारक कदम नीचे दिए गए हैं :-

(1) जब भी अवैध खनन का मामला नोटिस में आता है, उसे सिविल अधिकारियों को सूचित किया जाता है।

(2) प्रवेश को रोकने के लिए संदिग्ध अवैध खनन-स्थलों के स्थानों को जाने वाले सम्पर्क मार्गों को काट दिया जाता है/बाड़ लगा दी जाती है।

(3) यह दर्शाने वाले प्रदर्शन/चेतावनी बोर्ड लगाना, कि क्षेत्र में प्रवेश करना तथा किसी भी प्रकार की गतिविधि चलाना अवैध तथा खतरनाक है।

(4) स्थानीय समाचार-पत्रों में स्थानीय भाषा में चेतावनी प्रकाशित करवा के व्यक्तियों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने

तथा इस प्रकार की गतिविधि चलाने के विरुद्ध सावधान करना।

(5) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

(6) अवैध खनन को रोकने के लिए खुली कोयला सीमों को रेत तथा पानी से भरकर ढका जाता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वामित्व में सरकारी आवास

3132. **श्री शिवराजसिंह चौहान :**
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी आवास संबंधित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी खाली नहीं कराए गए हैं और कुछ मामलों में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है लेकिन सरकारी आवास अभी भी ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों के नाम पर आंबटित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवासों का ब्यौरा क्या है जो उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद भी सेवानिवृत्त व्यक्ति के कब्जे में है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकारी सेवा के 10 वर्षों के उपरांत भी आवास आबंटित नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए आबंटन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। आबंटी की सेवा से सेवानिवृत्ति/मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त/मृत आबंटी के नाम पर आबंटन रद्द कर दिया जाता है। आबंटन के नियमितीकरण तथा रोके रखने की अनुमत्य अवधि के बाद वाले मामलों को छोड़कर अन्य को सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत बेदखली कार्रवाई शुरू करने के लिए संपदा अधिकारी को सौंप दिया जाता है।

(ख) संलग्न विवरण-I में दिए गए अनुसार ऐसे केवल 78 मामले हैं जिनमें सेवानिवृत्त व्यक्तियों ने एक वर्ष के पश्चात् भी सरकारी आवास खाली नहीं किया है।

(ग) संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) आबंटन नियमावली के विभिन्न प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आवास के खाली होने पर उसे उस प्रकार के आवास में परिवर्तन के लिए प्रतीक्षारत आवेदक को आबंटित कर दिया जाता है और यदि उस प्रयोजन के लिए न हो तो उस किस्म के आवास के लिए सबसे पहले की पूर्विकता तारीख वाले आवेदक को आबंटित किया जाता है।

विवरण-I

क्र.सं.	आवास किस्म	अनधिकृत दखलकारों की संख्या	अधिक समय तक रहने के कारण
1	2	3	4
1.	टाइप-II	21	14 मामलों में आबंटियों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है। 7 मामले न्यायालय में लंबित हैं।
2.	टाइप-III	23	19 मामलों में आबंटियों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है। 4 मामले न्यायालय में लंबित हैं।

1	2	3	4
3.	टाइप-IV	21	17 मामलों में आबंटियों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है। 4 मामले न्यायालय में लंबित हैं।
4.	टाइप-V	4	सभी मामलों में आबंटियों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है।
5.	टाइप-VI व उससे उपर	9	7 मामलों में आबंटियों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है। 2 मामलों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रोके रखने की अनुमति दी गई है।

विवरण-II

प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर 1.11.2002 की स्थिति अनुसार ऐसे केन्द्र सरकार कार्मिकों की संख्या और श्रेणियां जो प्रत्येक किस्म के आवास में अपनी पात्रता के किस्म के आवास के लिए 10 वर्षों से अधिक से अपनी बारी के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं

आवास की किस्म	सामान्य पूल	विवाहित महिला	एकल महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	टेन्योर पूल	कुल
I	160	05	03	169	31	—	368
II	10476	865	74	2625	478	—	14518
III	5552	2138	70	1146	286	—	9192
IV	3515	413	35	332	67	11	4373
IV (विशेष)	2515	190	12	—	—	06	2723
V ए	2342	229	22	—	—	77	2670
V बी	1098	86	03	—	—	01	1188
VI ए	476	28	09	—	—	79	592
VI बी	85	—	—	—	—	—	85
VII	136	—	—	—	—	—	136
VIII	150	—	—	—	—	—	150
डबल सूट हॉस्टल	544	36	04	—	—	03	587
सिंगल सूट हॉस्टल	60	01	01	—	—	—	62
सिंगल किचन हॉस्टल	342	07	02	—	—	03	354

न्यायालयों में दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित मामले

3133. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित अनेक मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध लंबित पंजीकृत मामलों में गत वर्ष लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे मामलों की संख्या क्या है;

(ङ) न्यायालयों के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को रोकने और लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) उपरोक्त वर्षों के दौरान न्यायालयों द्वारा हल किये गये मामलों की संख्या क्या है और इनमें से कितने मामले डी०डी०ए० के पक्ष में गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित न्यायिक मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
1999-2000	9534
2000-2001	10955
2001-2002	11502

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यायिक मामलों की प्रभावी कार्यवाही और मानीटरिंग के लिए प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग से अनेक स्टैंडिंग काउंसिल्स तथा पैनल अधिवक्ताओं की सूची बनाई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए रोजाना सार्वजनिक सुनवाई शुरू की है। न्यायिक मामलों की मानीटरिंग तथा अपीलें दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अलग से कार्य कर रही लोक अदालतों को प्रभावी सहायता दी जा रही है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विभिन्न न्यायालयों ने 1999-2000 के दौरान 1008 मामले, 2000-2001 के दौरान 1028 मामले तथा 2001-2002 के दौरान 647 मामले निपटाए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष/विरोध में निर्णीत मामलों की संख्या का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों को छात्रवृत्तियां और अनुदान

3134. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसंधान क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां और अनुदान को बढ़ाने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं से प्रति वर्ष कितने वैज्ञानिक लाभान्वित होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा हाल ही में शोध क्षेत्र विशेष कर केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को दी जाने वाली अध्येतावृत्तियों और अनुदान में वृद्धि की है। इस वृद्धि से केन्द्र द्वारा प्रायोजित आर एण्ड डी परियोजनाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की बड़ी संख्या के साथ-साथ शोध कार्य शुरू करने के लिए एन ई टी/जी ए टी ई/यू जी सी-एन ई टी परीक्षा देने वाले युवा वैज्ञानिकों को भी लाभ होगा।

[हिन्दी]

महिला और बाल कल्याण योजना के लिए विश्व बैंक सहायता

3135. श्री मान सिंह पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारें महिला और बाल कल्याण के लिए विश्‍व बैंक द्वारा दी जा रही सहायता का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास यह पता लगाने के लिए संबंधित जानकारी नहीं है कि क्या महिला और बाल विकास कार्य विश्व बैंक की सहायता से पूरे किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विदेशी सहायता से शुरू किए जा रहे महिला एवं बाल विकास (कल्याण) कार्यक्रम का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) विश्व बैंक ने महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान किया है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

(1) समेकित बाल विकास सेवा-I परियोजना हेतु 74.3 मिलियन अमेरिकी डालर, जिसका पूर्णत: संवितरण कर दिया गया है।

(2) समेकित बाल विकास सेवा-II परियोजना हेतु 194 मिलियन अमेरिकी डालर, जिसका पूर्ण संवितरण किये जाने की सम्भावना है।

(3) (क) समेकित बाल विकास सेवा-III परियोजना हेतु 300 मिलियन अमेरिकी डालर, (ख) ए.पी.ई.आर. कार्यक्रम के आई.सी.डी.एस. घटक हेतु 75 मिलियन (मूलत): अमेरिकी डालर, तथा (ग) ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना (स्व-शक्ति) हेतु 67.84 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु परियोजनाओं की प्रगति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है।

लिग्नाइट ब्रिकेटिंग यूनिट का अधिष्ठापन

3136. श्री सुंदर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) ने 1999 में आधुनिकीकरण की योजनाओं के अनुसरण में अत्याधुनिक लिग्नाइट ब्रिकेटिंग यूनिट के अधिष्ठापन के लिए जर्मन कंपनी से परामर्श मांगा;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए संबंधित कंपनी को कितना भुगतान किया गया है;

(ग) उक्त कंपनी द्वारा प्रदान की गई सलाह का ब्यौरा क्या है और यह किस तारीख को प्राप्त की गई है;

(घ) लिग्नाइट ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना के लिए अनुमानित व्यय कितना है और उस समय उससे अनुमानित मौद्रिक और पर्यावरणीय लाभ क्या हैं; और

(ङ) इसे ठंडे बस्ते में डालने के क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भुगतान किया गया कुल परामर्शदात्री शुल्क 17 लाख रु. था जिसमें दो व्यक्तियों का जर्मनी से आने-जाने का किराया तथा भारत में हुआ व्यय शामिल है।

(ग) फर्म से परामर्शदात्री रिपोर्ट दिनांक 31.12.1998 को प्राप्त हुई थी। उक्त फर्म द्वारा सुझाए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:-

1. खान-1 से कम राख तत्व वाले लिग्नाइट की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2. ड्रायर में डालने से पूर्व कच्चे लिग्नाइट को 0-4 एम. एम. तक संदलित (क्रश) किया जाए जिसके लिए तात्कालिक क्रशरों की सिफारिश की गई।

3. ब्रिकेट की गुणवत्ता में सुधार के लिए ट्यूब्यूलर ड्रायर में सुधार तथा नवीनीकरण किया जाना।

(घ) दोनों लिग्नाइट ब्रिकेटिंग संयंत्रों में फर्म की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की प्रत्याशित लागत 50.00 करोड़ रु. थी। तथापि, रिपोर्टों की समीक्षा करने तथा विभिन्न प्रभावों पर विचार करने के बाद, फर्म से यह अनुरोध किया गया कि वे पहले एक फैक्टरी में क्रियान्वित किए जाने वाले न्यूनतम निवेश हेतु एक चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें और यदि वह प्रभावी पाया गया तो उसे दूसरी फैक्टरी में भी क्रियान्वित किया जाएगा। उक्त को फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया और एन.एल.सी. द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक फैक्टरी के पुनरुद्धार की लगभग लागत करों तथा शुल्कों के अतिरिक्त 20.72 करोड़ रु. अनुमानित की गई थी।

यह प्रक्षेपित किया गया था कि बी. तथा सी. संयंत्र, गुणवत्ता में सुधार तथा साथ ही उच्चतर उत्पादन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए राजस्व को देखते हुए, कार्यान्वियन के तीन वर्ष के भीतर लाभ कमाना प्रारम्भ कर देगा। तथापि, इन सुधारों को देखते हुए निहित पर्यावरणीय लाभ अधिक नहीं थे।

(ङ) जर्मन फर्म द्वारा सुझाये गए उपायों का क्रियान्वयन बाजारी परिदृश्य में परिवर्तन के कारण व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाए गये थे। सस्ते आयातित कोयले तथा कोक की उपलब्धता ने एन.एल. सी. के कोक उत्पादों के लिए बाजार में गम्भीर प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न कर दी थी। परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया।

[अनुवाद]

महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करने के लिए विशेष योजना

3137. श्री कोलूर बसवनगौड : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विशेष योजना कर्नाटक में क्रियान्वित हो गई है; और

(ग) देश में अब तक राज्य-वार इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत महिला वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) वर्तमान में सरकार द्वारा महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने पर काफी महत्व दिया जा रहा है। महिला वैज्ञानिकों को प्रत्साहित करने हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2002 में महिला वैज्ञानिकों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला वैज्ञानिकों को निम्नलिखित श्रेणियों में प्रत्येक वर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी:-

(1) बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के लिए शोध संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए छात्रवृत्तियां (श्रेणी 'क')

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित सामाजिक कार्यक्रमों में अनुसंधान हेतु महिला वैज्ञानिकों के लिए छात्रवृत्तियां (श्रेणी 'ख')

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्व-रोजगार अवसरों के लिए छात्रवृत्तियां (श्रेणी 'ग')

ये योजनाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं तथा इनका विज्ञापन कर्नाटक सहित पूरे देश के विभिन्न इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में दिए गए।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 1999 में राष्ट्रीय महिला जैव-वैज्ञानिक पुरस्कार (वरिष्ठ एवं युवा) नामक एक योजना शुरू की है।

राष्टीय महिला जैव-वैज्ञानिक पुरस्कार के अंतर्गत देश में पुरस्कृत की गई महिला वेज्ञानिकों का विवरण निम्नलिखित है:-

राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार विजेता (वरिष्ठ)

क्रम सं.	वर्ष	महिला वैज्ञानिकों का नाम और पता	राज्य
1	1999	डॉ. आशा माथुर, कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ।	उत्तर प्रदेश
2	2000	डा. मेहताब एस. बामजी, डेंगोरिया चैरिटेबल ट्रस्ट, हैदराबाद।	आन्ध्र प्रदेश
3	2001	1. डा. जी. लक्ष्मी सीता, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	कर्नाटक
		2. डा. कस्तूरी दत्त, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	दिल्ली

राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार योजना (युवा)

क्रम सं.	वर्ष	पुरस्कार विजेता का नाम	राज्य
1.	1999	1. डा. मालती, लक्ष्मीकुमारन, टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली।	दिल्ली
		2. डा. जया त्यागी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	दिल्ली
2.	2000	1. डा. सुनीता ग्रोवर, नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल।	हरियाणा
		2. डा. एम. लक्ष्मी एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई।	तमिलनाडु
3	2001	1. डा सुधा नायर, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई।	तमिलनाडु
		2. डा. अनुराधा लोहिया, बोस संस्थान, कोलकाता।	पश्चिम बंगाल
		3. डा. सुचित्रा बनर्जी, सी आई एम ए पी, लखनऊ।	उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

जीव विज्ञान संस्थान

3138. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री कांतिलाल भूरिया :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का जीव विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस.आई.आर.) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने संबंधित परियोजना की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) जी, हां। इस समिति का गठन मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भाषा बोलियों को बढ़ावा

3139. डा. चरण दास महंत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में गोंडी भाषा बोली जाती है और आदिवासी भाषाओं में इसकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या ऐसे राज्यों में जहां गोंडी भाषा बोली जाती है, को प्राथमिक स्तर पर आवश्यक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आदिवासी भाषा/बोलियों के रूप में गोंडी भाषा के सबसे अधिक बोले जाने के वाबजूद इसे कोई सरकारी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) देश में भाषा और बोली के विकास संबंधी खर्च हेतु व्यय की जा रही धनराशि का भाषा-वार/बोलीवार ब्यौरा क्या है; और

(च) गत एक वर्ष के दौरान आदिवासी बोली-वार कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और छत्तीसगढ़ के बोलियों के विकास हेतु कितना व्यय किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार गोंडी भाषी लोग देश के 24 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में पाए गए हैं। चूंकि आदिवासी भाषाओं की कोई अधिसूचित सूची नहीं है अत: आदिवासी भाषाओं में गोंडी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत मालूम करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) राज्यों में प्राथमिक स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में किसी भाषा को स्वीकार करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है।

(घ) भारत सरकार की भाषा नीति संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं के विकास तथा संवर्धन पर बल देती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर गोंडी भाषा सहित आदिवासी भाषाओं पर अनुसंधान कर रहा है। संस्थान भी गोंडी भाषा समेत विभिन्न आदिवासी भाषाओं के लिए अपने प्रोत्साहन संबंधी कार्यकलापों हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को निवेश प्रदान करती है। इसके अलावा गोंडी भाषा के विकास के लिए कई राज्य सरकारों के अपने-अपने कार्यक्रम हैं।

(ङ) और (च) आदिवासी भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं के विकास तथा संवर्धन संबंधी व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह आवश्यकता आधारित है और राशियां विभिन्न भाषाओं के लिए अलग-अलग निर्धारित नहीं की जाती है।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

3140. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल 2002 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'आई.एस.आई.' राज्य में अपनी जड़े जमाने के लिए महिला एजेंटों को उपयोग में ला रही हैं, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जबकि तारीख 8.4.2002 के टाइम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) में छपा बताया गया यह समाचार कि आई.एस.आई. द्वारा राज्यों में अपनी जड़ें जमाने के लिए महिला एजेन्टों को उपयोग में लाया जा रहा है सरकार के ध्यान में नहीं आया है, सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तानी आई.एस.आई. देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को सहायता देने, उसे उकसाने और उसका समर्थन करने में लगी हुई है।

सरकार ने पाकिस्तानी आई.एस.आई. से खतरे से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना आदि शामिल है।

केन्द्र सरकार देश में आई.एस.आई. से खतरे की आशंका और गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकारों को सुग्राही भी बनाती रही है। केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बहुत से पाकिस्तान समर्थित मोड्यूल्स निष्क्रिय किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस

3141. **श्री रामदास आठवले :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा वी आई पी और जनता की शिकायतें सुनने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है और कितनी शिकायतें लंबित हैं; और

(ङ) शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु दिल्ली पुलिस और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) संसद सदस्यों सहित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को, प्राप्त होते ही, नियमानुसार तुरंत छंटाई की जाती है तथा उन्हें जांच के लिए संबंधित जिलों/यूनिटों या सतर्कता शाखा को अग्रेषित कर दिया जाता है और संबंधित गणमान्य व्यक्ति को जांच के परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाता है। जनता से प्राप्त शिकायतों को भी इसी प्रकार निपटाया जाता है। तथापि, ऐसी शिकायतों की संख्या अधिक होने के कारण सभी मामलों में शिकायतकर्ता को शिकायत की जांच के निष्कर्ष से अवगत कराना संभव नहीं होता है।

(ग) और (घ) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे लाई गई बकाया शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
1999	117424	6736	113961	10199
2000	113881	10199	110285	13795
2001	108891	13795	106723	15963
2002 (30 नवम्बर तक)	103679	15963	98822	20820

(ङ) शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कुछ ऐसी शिकायतों, जिसमें गहराई से छानबीन की आवश्यकता होती है, के निपटान से पूर्व कुछ समय लगता है।

[अनुवाद]

जल और मल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए वित्तीय सहायता

3142. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और विशेषकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शहरों और उपशहरों में जल आपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को कुछ योजनायें स्वीकृति हेतु भेजी गई;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित योजनाओं की स्वीकृति में देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) लंबित योजनाओं के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या चल रही सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है;

(ज) यदि हां, तो उनकी स्थिति सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में इंदिरा आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण

3143. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के तहत धनराशि स्वीकृत करने संबंधी मापदण्ड क्या है;

(ख) क्या इस योजना के तहत पंचायतों को धनराशि का आबंटन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक गुजरात में पंचायतों को घर बनाने के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक पंचायत को समान धनराशि आबंटित करने के लिए कोई मापदण्ड बनाये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय आई.ए.वाई की किसी योजना को कार्यान्वित

नहीं कर रहा है। तथापि, यह मंत्रालय इन्दिरा आवास योजना (आई. ए.वाई.) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी अनुपात और आवास की कमी जहां इन प्रत्येक अंतरों को समान वरीयता दी जाती है, के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता आबंटित की जाती है। योजना आयोग द्वारा बनाए गए गरीबी अनुपात इस प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि आवास की कमी अंतिम जनगणना के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल ग्रामीण आबादी और आवास की कमी की तुलना में एक जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण आबादी और आवास की कमी का अनुपात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में आई.ए.वाई. निधियों के अंतर जिला आबंटन का मानदंड है। एक बार फिर इन दोनों अंतरों को समान वैटेज दिया जाता है। एक जिले से अन्य जिले में निधियों के अपवर्तन की मनाही है। कुल निधियों का 80 प्रतिशत नए निर्माण के लिए तथा शेष 20 प्रतिशत निधियां मौजूदा कच्चे मकानों को सुधारने के लिए आबंटित की जाती हैं।

(ख) उल्लिखित मानदंड के अनुसार जिलों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा

3144. श्री विष्णु पद राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अण्डमान और निकोबार का शिक्षा विभाग जिस माध्यमिक शिक्षा योजना का कार्यान्वियन कर रहा है उसके अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 कक्षों, 3 शौचालयों का निर्माण, 5 क्रीड़ा स्थलों का विकास, 5 विद्यालय भवनों और 1 तार बाड का निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना के दौरान स्थानवार कितने कक्षों, शौचालय ब्लाकों, क्रीड़ा स्थल और विद्यालय भवनों का पुनरुद्धार किये जाने का प्रस्ताव है और अक्तूबर 2002 तक कितनों का पहले ही निर्माण कर लिया गया है;

(घ) कक्षों का निर्माण किन-किन विद्यालयों और स्थानों पर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान कहां-कहां क्रीड़ा स्थल नियमित किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिला कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन

3145. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक निकायों और संस्थानों द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से महिला कल्याण संबंधी लगभग सभी स्कीमों का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्टों से इन स्कीमों के गुणावगुणों का पता चला है तथा इन्हीं के आधार पर समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आपदा प्रबंधन

3146. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1996 से आपदा प्रबंधन में अनेक राष्ट्रीय संस्थान लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा अंतिम निर्णय के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सही है कि सरकार ने देश की मानव संसाधन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने और देश में 1996 से कार्य कर रही ऐसी अन्य संस्थानों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) मुख्यतया यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वह तैयारी की स्थिति में रहें और आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराएं। केन्द्र सरकार, तथापि, भीषण स्वरूप की आपदा होने की दशा में, यदि राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों से इससे निपटने की स्थिति में न हो तो संभारिकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 1995 में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र का गठन किया था जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) नई दिल्ली में स्थित है और यह मुख्यतया आपदा प्रबंधन में मानव संसाधान विकास सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर मानव संधान विकास (एच.आर.डी.) सहायता उपलब्ध कराने के लिए, राज्यों में 24 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रभागों का भी सृजन किया गया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत धनराशि

3147. **श्री पी.सी. थॉमस** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटित और निर्धारित धनराशि को किसी राज्य ने प्रयोग नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) अनेक राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्त केन्द्रीय आबंटन प्राप्त नहीं कर सके।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान केन्द्रीय आबंटन और केन्द्रीय रिलीजों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है। सभी राज्यों को निधियों के नुकसान से बचने के लिए पूर्ण आबंटन का समय पर दावा करने की आवश्यकता के लिए कई बार कहा गया है।

विवरण

वर्ष 2001-02 के दौरान केन्द्रीय आबंटन और केन्द्रीय रिलीजें

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	182127.38	192611.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	10506.53	9323.98
3.	असम	66404.87	59147.56
4.	बिहार	116403.97	77394.48
5.	छत्तीसगढ़	51437.26	53210.66
6.	गोवा	2399.36	1609.75
7.	गुजरात	34365.06	38815.42
8.	हरियाणा	14922.68	17857.00
9.	हिमाचल प्रदेश	17084.59	19588.98
10.	जम्मू-कश्मीर	17640.60	12405.09
11.	झारखंड	58224.19	49213.68
12.	कर्नाटक	60447.78	60412.18
13.	केरल	23974.62	23258.12
14.	मध्य प्रदेश	94303.88	99880.00
15.	महाराष्ट्र	95085.00	92092.85
16.	मणिपुर	9445.40	6974.43
17.	मेघालय	9264.12	8458.32

1	2	3	4
18.	मिजोरम	5184.62	6272.75
19.	नागालैण्ड	7414.62	8170.38
20.	उड़ीसा	78411.79	114835.95
21.	पंजाब	9523.15	12000.44
22.	राजस्थान	95758.15	94240.93
23.	सिक्किम	4007.45	4227.01
24.	तमिलनाडु	51982.77	57490.40
25.	त्रिपुरा	10876.75	12382.33
26.	उत्तर प्रदेश	163852.03	165980.97
27.	उत्तरांचल	18659.89	18750.63
28.	पश्चिमी बंगाल	72368.05	66415.57
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1465.45	289.20
30.	चण्डीगढ़	17.60	8.12
31.	दादरा और नागर हवेली	834.71	679.97
32.	दमन और द्वीव	686.07	42.74
33.	दिल्ली	902.96	590.35
34.	लक्षद्वीप	650.60	538.43
35.	पांडिचेरी	976.22	386.64
	अखिल भारत	1387610.17	1385557.12

पंचायती राज संस्थानों को धन

3148. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री परसुराम माझी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उड़ीसा के विभिन्न जिलों में, विशेषकर के.बी.के. जिलों में, पंचायती राज संस्थानों को कितना धन दिया गया;

(ख) क्या जिन योजनाओं के लिए धन दिया गया था उनके अंतर्गत पंचायतों द्वारा दी गई धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वास्तविक रूप में वर्षवार, योजनावार और जिलावार कितनी राशि खर्च की गई और कितने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए; और

(ङ) पंचायती राज संस्थानों द्वारा धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित कराए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय संपूर्ण रोजगार योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए विभिन्न जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को निधियां रिलीज करता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना को मिलाने के बाद सितम्बर, 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गयी थी किन्तु ये दोनों योजनाएं 2001-02 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के एक भाग के रूप में चलती रही थीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है अर्थात् जिला तथा पंचायत स्तरों पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (चरण-1) और ग्राम पंचायत स्तरों पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (चरण-2)।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत के.बी.के. जिलों सहित विभिन्न राज्यों को रिलीज की गयी केंद्रीय सहायता तथा इन जिलों द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि को दर्शाने वाले विवरण I से VI संलग्न हैं।

(ङ) निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए डीआरडीए को निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज के समय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त डीआरडीए को उस निर्धारित फार्मेट में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें प्रत्येक माह की दस तारीख तक पूर्ण हो चुके/अपूर्ण कार्यों का विवरण हो। क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से नामित राज्यों का दौरा करते हैं। कार्यक्रम प्रभागों द्वारा आवधिक समीक्षाएं भी की जाती हैं।

विवरण-I

1999-2000 के दौरान जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत जिला-वार वित्तीय और वास्तविक निष्पादन

उड़ीसा-मार्च

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	1.4.99 को अथशेष	आबंटन			अंतिम रिलीज			कुल उपलब्धता	खर्च	अप्रयुक्त शेष	प्रतिशत खर्च	श्रमदिन (लाख में)
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंगुल	70.05	264.04	88.01	352.06	132.02	44.00	176.02	246.07	248.55	-2.48	101.01	3.23
2.	बालासोर	102.51	383.48	127.83	511.30	719.48	239.80	959.28	1061.79	690.27	371.52	65.01	10.32
3.	बारगढ़	115.59	338.35	112.78	451.14	370.41	123.46	493.87	609.46	392.17	217.29	64.35	5.61
4.	भद्रक	87.64	277.49	92.50	369.99	560.49	186.81	747.30	834.94	415.42	419.52	49.75	6.23
5.	बोलंगीर	-44.29	342.79	114.26	457.06	171.4	57.13	228.53	184.24	297.79	-113.55	161.63	4.31
6.	बांध	86.92	261.69	87.23	348.92	130.85	43.61	174.46	261.38	273.47	-12.09	104.62	4.10
7.	कटक	55.40	311.15	103.72	414.87	1187.15	395.68	1582.83	1638.23	403.39	1234.84	24.62	5.69
8.	देवगढ़	28.71	181.30	60.43	241.74	90.65	30.21	120.86	149.57	159.92	-10.35	106.92	2.51
9.	ढेंकनाल	5.15	259.68	86.56	346.24	461.68	153.88	615.56	620.71	448.47	172.24	72.25	6.71
10.	गजपति	29.85	304.91	101.64	406.54	456.92	152.29	609.21	639.06	529.85	109.21	82.91	7.95
11.	गंजम	100.82	426.28	142.09	568.37	1359.28	453.05	1812.33	1913.15	535.57	1377.58	27.99	7.47
12.	जगतसिंहपुर	-9.36	241.56	80.52	322.08	1010.56	336.82	1347.38	1338.02	302.34	1035.68	22.60	4.34
13.	जजपुर	104.36	332.50	110.83	443.33	750.5	250.14	1000.64	1105.00	518.85	586.15	46.95	7.79
14.	झरसुगुडा	62.29	213.46	71.15	284.62	302.42	100.80	403.22	465.51	276.63	188.88	59.43	4.16
15.	कालाहांडी	282.49	451.79	150.60	602.38	225.9	75.29	301.19	583.68	673.01	-89.33	115.30	10.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	केन्द्रपाड़ा	106.16	244.70	81.57	326.27	654.7	218.21	872.91	979.07	415.80	563.27	42.47	8.03
17.	क्योंझर	78.28	519.55	173.18	692.74	846.15	282.02	1128.17	1206.45	712.25	494.20	59.04	1.60
18.	खुर्दा	-1.35	248.33	82.78	331.10	480.34	160.10	640.44	639.09	383.09	256.00	59.94	5.7
19.	कोरापुट	0.00	555.48	185.16	740.64	227.74	92.57	370.31	370.31	628.45	-258.14	169.71	12.86
20.	मलकानगिरी	88.55	419.02	139.67	558.70	580.26	193.40	773.66	862.21	367.31	494.90	42.60	6.01
21.	मयूरभंज	284.16	782.86	260.95	1043.82	1215.26	405.05	1620.31	1904.47	1231.60	672.87	64.67	19.23
22.	नवरंगपुर	215.84	542.24	180.75	722.98	779.36	259.76	1039.12	1254.96	775.19	479.77	61.77	11.94
23.	नयागढ़	19.31	218.68	72.89	291.57	327.68	109.22	436.90	456.21	384.58	71.63	84.30	4.58
24.	नौपाड़ा	23.60	321.44	107.15	428.59	478.61	159.52	638.13	661.73	267.17	394.56	40.37	5.52
25.	फुलबानी	-37.91	388.72	129.57	518.29	579.16	193.03	772.19	734.28	451.45	282.83	61.48	7.44
26.	पुरी	17.99	252.95	84.32	337.27	667.95	222.63	890.58	908.57	444.41	464.16	48.91	6.35
27.	रायगढ़	81.70	495.51	165.17	60.68	247.76	82.58	330.34	412.04	534.56	-122.52	129.74	7.29
28.	संबलपुर	104.84	303.78	101.26	405.04	319.74	106.57	426.31	531.15	266.91	264.24	50.25	4.56
29.	सोनपुर	63.88	204.37	68.12	272.49	304.02	101.33	405.35	469.23	164.02	305.21	34.96	2.68
30.	सुन्दरगढ़	68.46	571.51	190.50	762.01	285.76	95.24	381.00	449.46	556.47	-107.01	123.81	8.04
	मुख्यालय प्रशा.	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	2.07	14.34	12.61	0.00
	अन्य एजेंसी	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00
	कुल	2286.64	10659.61	3553.20	14212.81	15974.20	5324.20	21298.40	23585.04	13751.03	9834.01	58.30	211.51

विवरण-II

2000-2001 के दौरान जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत जिलावार वित्तीय और वास्तविक निष्पादन

उड़ीसा-मार्च

(लाख रु० में)

क्र. सं.	जिला	1.4.2000 को अथशेष	आबंटन			रिलीज				कुल उपलब्धता	खर्च	प्रतिशत खर्च	श्रमदिन		महिला
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	अभिनव जे.जी.एस.वाई.	राज्य	कुल				लक्ष्य	सृजित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंगुल	25.06	247.27	82.42	329.70	247.27		82.42	329.69	354.75	327.99	92.46		4.13	0.93
2.	बालासोर	119.71	359.12	119.71	478.82	356.85		118.95	475.80	595.51	639.25	107.34		9.37	3.06
3.	बारगढ़	28.90	316.86	105.62	422.48	316.86		105.62	422.48	451.38	669.72	148.37		10.75	2.71
4.	भद्रक	228.74	259.87	86.62	346.49	147.24		49.08	196.32	425.06	458.56	107.88		6.88	1.73
5.	बोलंगीर	7.73	321.02	107.01	428.03	321.02		107.01	428.03	435.76	394.77	90.59		6.21	1.50
6.	बांध	1.04	245.06	81.69	326.75	245.06		81.69	326.75	327.79	295.05	90.01		4.20	1.26
7.	कटक	222.87	291.39	97.13	388.52	163.90		54.63	218.53	441.40	389.14	88.16		5.56	1.02
8.	देवगढ़	1.24	169.79	56.60	266.38	169.79		56.60	226.39	227.63	192.89	84.74		2.74	1.19
9.	ढेंकनाल	70.44	243.19	81.06	324.25	214.20		71.40	285.60	356.04	361.73	101.60		5.42	0.48
10.	गजपति	86.26	285.54	95.18	380.72	253.38		84.46	337.84	424.10	524.02	123.56		7.12	2.45
11.	गंजम	168.67	399.20	133.07	532.27	235.60		78.53	314.13	482.80	714.39	147.97		10.69	5.35
12.	जगतसिंहपुर	163.89	226.21	75.40	301.62	149.90		49.97	199.87	363.76	345.94	95.10		4.96	0.25
13.	जजपुर	198.16	311.38	103.79	415.17	260.30		86.77	347.07	545.23	570.42	104.62		8.55	1.73
14.	झरसुगुडा	33.21	199.91	66.64	266.54	199.91		66.64	266.55	299.76	472.95	157.78		7.09	2.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	कालाहांडी	42.62	423.09	141.03	564.12	423.09		141.03	564.12	606.74	606.74	100.00		9.10	2.54
16.	केन्द्रपाड़ा	165.78	229.16	76.39	305.55	130.14		43.38	173.52	339.30	318.92	93.99		4.80	0.25
17.	क्योंझर	355.55	486.55	162.18	648.73	243.27		81.09	324.36	679.91	689.52	101.41		10.88	3.20
18.	खुर्दा	0.71	232.55	77.52	310.07	232.55		77.52	310.07	310.78	388.00	124.85		4.78	1.24
19.	कोरापुट	48.41	520.19	173.40	693.59	520.19	17.40	173.40	710.99	759.40	660.38	86.96		9.67	3.04
20.	मलकानगिरी	184.58	392.41	130.80	523.21	392.16		130.72	522.88	707.46	914.69	129.29		13.72	4.21
21.	मयूरभंज	569.49	733.14	244.38	977.51	692.50		230.83	923.33	1492.82	1389.50	93.08		18.78	8.47
22.	नवरंगपुर	389.42	507.79	169.26	677.06	507.79		169.26	677.05	1066.47	1055.34	98.96		15.82	6.08
23.	नयागढ़	35.31	204.79	68.26	273.05	208.13		69.38	277.51	312.82	362.87	116.00		5.43	0.84
24.	नौपाड़ा	190.94	301.02	100.34	401.36	301.02		100.34	401.36	592.30	735.58	124.19		10.87	2.86
25.	फुलबानी	76.71	364.03	121.34	485.37	364.03		121.34	485.37	562.08	815.55	145.09		12.64	3.91
26.	पुरी	112.31	236.88	78.96	315.85	200.40		66.80	267.20	379.51	380.72	100.32		5.44	0.81
27.	रायगढ़	1.34	464.04	154.68	618.72	464.04		154.68	618.72	620.06	455.68	73.49		6.83	2.00
28.	संबलपुर	62.12	284.48	94.83	379.31	284.48		94.83	379.31	441.43	593.14	134.37		8.90	2.27
29.	सोनपुर	262.95	191.39	63.80	255.19	191.39		63.80	255.19	518.14	498.59	96.23		7.52	2.86
30.	सुन्दरगढ़	32.06	535.20	178.40	713.60	535.20		178.40	713.60	745.66	652.82	87.55		9.66	2.91
	मुख्यालय प्रशा.	15.16						0.00	0.00	15.16	0.00	0.00		0.00	0.00
	अन्य एजेंसी	78.59						0.00	0.00	78.59	0.00	0.00		0.00	0.00
	कुल	3979.97	9982.51	3327.50	13310.01	8971.66		2990.55	11962.21	15942.18	16874.86	105.85		248.51	73.31

विवरण-III

2001-2002 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (जे.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत जिला-वार वित्तीय और वास्तविक निष्पादन

उड़ीसा-मार्च

(लाख रु. में)

क्रम सं.	जिला	1.4.2000 को अथशेष	आबंटन			रिलीज				कुल उपलब्धता	खर्च	प्रतिशत खर्च	श्रमदिन	
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	अभिनव जे.जी.एस.वाई.	राज्य	कुल				महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंगुल	27.23	281.10	93.70	374.80	281.14		93.71	374.85	402.08	339.28	84.38	0.92	4.24
2.	बालासोर	20.26	408.25	136.08	544.33	408.25		136.08	544.33	564.59	479.92	85.00	3.01	8.46
3.	बारगढ़	21.04	360.21	120.07	480.28	360.21		120.07	480.28	501.32	430.88	85.95	2.10	6.54
4.	भद्रक	12.83	295.42	98.47	393.89	295.42		98.47	393.89	406.72	381.68	93.84	1.48	4.95
5.	बोलंगीर	40.98	364.94	121.65	486.59	364.95		121.65	486.60	527.58	478.87	90.77	1.54	5.62
6.	बांध	32.73	278.59	92.86	371.45	278.59		92.86	371.45	404.18	347.59	86.00	1.57	4.53
7.	कटक	141.81	331.25	110.42	441.67	331.25		110.42	441.67	583.48	497.96	85.34	0.23	5.87
8.	देवगढ़	39.62	193.01	64.34	257.35	193.02		64.34	257.36	296.98	261.34	88.00	1.30	5.21
9.	ढेंकनाल	37.64	276.46	92.15	368.61	276.46		92.15	368.61	406.25	365.88	90.06	0.38	0.22
10.	गजपति	1.57	324.60	108.20	432.81	324.6		108.20	432.80	434.37	366.10	84.28	1.53	4.84
11.	गंजम	52.41	453.81	151.27	605.08*	453.81		151.27	605.08	657.49	560.86	85.30	3.10	8.01
12.	जगतसिंहपुर	58.15	257.16	85.72	342.88	257.16		85.72	342.88	401.03	342.24	85.34	1.42	4.65
13.	जजपुर	34.33	353.98	117.99	471.97	353.98		117.99	471.97	506.30	466.27	92.09	1.90	9.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	झारसुगुडा	0.61	227.25	75.75	303.01	227.25		75.75	303.00	303.61	265.99	87.61	1.78	5.94
15.	कालाहांडी	0.00	480.97	160.32	641.30	480.97		160.32	641.29	641.29	561.15	87.50	1.95	7.87
16.	केन्द्रपाड़ा	61.05	260.51	86.84	347.35	260.51		86.84	347.35	408.40	360.44	88.26	0.06	4.86
17.	क्योंझर	77.06	553.11	184.37	737.48	553.11		184.37	737.48	814.54	701.20	86.09	3.38	9.08
18.	खुर्दा	88.66	264.37	88.12	352.49	264.37		88.12	352.49	441.15	369.28	83.71	1.32	5.12
19.	कोरापुट	81.62	591.36	197.12	788.47	591.36	17.40	197.12	805.88	887.50	754.60	85.03	4.93	15.29
20.	मलकानगिरी	131.11	446.09	148.70	594.79	446.09		148.70	594.79	725.90	623.78	85.93	2.79	9.25
21.	मयूरभंज	233.65	833.43	277.81	1111.25	833.43		277.81	1111.24	1344.89	1145.32	85.16	8.99	19.96
22.	नवरंगपुर	101.52	577.26	192.42	769.69	577.26		192.42	769.68	871.20	740.57	85.01	3.73	9.33
23.	नयागढ़	-13.72	232.81	77.60	310.41	232.81		77.60	310.41	296.69	287.89	97.03	0.55	7.46
24.	नौपाड़ा	134.89	342.20	114.07	456.27	342.20		114.07	456.27	591.16	459.35	77.70	2.26	7.63
25.	फुलबानी	69.17	413.83	137.94	551.77	413.83		137.94	551.77	620.94	538.76	86.76	3.64	10.73
26.	पुरी	41.12	269.29	89.76	359.06	269.29		89.76	359.05	400.17	350.19	87.51	1.29	6.78
27.	रायगढ़	164.38	527.52	175.84	703.36	527.52		175.84	703.36	867.74	746.27	86.00	2.99	9.68
28.	संबलपुर	104.87	323.40	107.80	431.20	323.40		107.80	431.20	536.07	488.33	91.09	1.47	14.01
29.	सोनपुर	86.82	217.57	72.52	290.10	217.58		72.53	290.11	376.93	331.00	87.82	1.76	6.21
30.	सुन्दरगढ़	92.84	608.42	202.81	811.23	608.41		202.80	811.21	904.05	824.94	91.25	4.23	14.99
	कुल	1976.25	10003.21	3334.40	13337.62	10003.21	17.40	3334.40	13355.01	15331.26	14867.33	96.98	67.60	236.80

विवरण-IV

उड़ीसा में 1999-2000 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निष्पादन

माह-मार्च, 2000

(लाख रु० में)

क्र. सं.	जिला	1.4.1999 तक अथशेष	निधियों का केंद्रीय आबंटन	निधियों का राज्य आबंटन	जारी की गई निधियां			कुल उपलब्धता	उपयोग की गई निधियां	कुल उपलब्धता की तुलना में प्रतिशत खर्च	खर्च न की गई शेष राशि	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
					केंद्र अंश	राज्य अंश	कुल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंगुल	5.86	288.42	96.13	228.94	76.31	305.25	311.11	207.61	66.73	103.50	2.93
2.	बालासोर	0.00	607.32	202.42	1126.73	375.54	1502.27	1502.27	946.40	0.00	555.87	14.17
3.	बारगढ़	164.72	414.53	138.16	331.62	110.53	442.15	606.87	377.46	62.20	229.41	5.96
4.	भद्रक	68.12	360.99	120.32	925.34	308.42	1233.76	1301.88	453.07	34.80	848.81	6.84
5.	बोलंगीर	184.40	428.29	142.75	336.18	112.05	448.23	632.63	377.56	59.68	255.07	5.68
6.	बांध	45.87	116.75	38.91	91.60	30.53	122.13	168.00	122.25	72.77	45.75	1.98
7.	कटक	55.87	460.33	153.43	1078.29	359.39	1437.68	1493.55	554.19	37.11	939.36	7.67
8.	देवगढ़	7.97	90.64	30.21	71.71	23.90	95.61	103.58	89.51	86.42	14.07	1.33
9.	ढेंकनाल	-36.72	275.99	91.99	550.60	183.51	734.11	697.39	302.75	43.41	394.64	6.06
10.	गजपति	46.34	222.78	74.25	434.17	144.71	578.88	625.22	393.75	62.98	231.47	5.91
11.	गंजम	-334.16	785.28	261.73	1914.53	638.11	2552.64	2218.48	1115.68	50.29	1102.80	17.30
12.	जगतसिंहपुर	-25.00	280.95	93.64	828.91	276.28	1105.19	1080.19	402.53	37.26	677.66	6.02
13.	जजपुर	202.95	452.91	150.96	1012.04	337.31	1349.35	1552.30	656.06	42.26	896.24	9.80
14.	झरसुगुड़ा	-50.11	141.87	47.29	113.50	37.83	151.33	101.22	112.02	110.67	-10.80	1.68
15.	कालाहांडी	469.35	482.81	160.92	386.25	128.74	514.99	984.34	719.44	73.09	264.90	11.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	केन्द्रपाड़ा	99.12	311.24	103.74	850.32	283.41	1133.73	1232.85	471.28	38.23	761.57	7.06
17.	क्योंझर	46.51	656.93	218.95	1065.32	355.07	1420.39	1466.90	896.17	61.09	570.73	13.44
18.	खुर्दा	84.84	313.11	.04.36	712.58	237.50	950.08	1034.92	401.86	38.83	633.06	5.38
19.	कोरापुट	41.13	535.71	178.55	428.57	142.84	571.41	612.54	477.05	77.88	135.49	7.18
20.	मलकानगिरी	137.06	265.39	88.45	212.31	70.76	283.07	420.13	334.01	79.50	86.12	5.27
21.	मयूरभंज	-9.64	1155.67	385.18	1837.45	612.42	2449.87	2440.23	980.11	40.16	1460.12	15.03
22.	नवरंगपुर	233.52	505.97	168.64	404.78	134.91	[illegible].69	773.21	472.33	61.09	300.88	7.56
23.	नयागढ़	-12.03	235.22	78.40	287.19	95.72	382.91	370.88	294.22	79.33	76.66	4.38
24.	नौपाड़ा	185.97	210.10	70.03	168.08	56.02	224.10	410.07	247.36	60.32	162.71	4.00
25.	फुलबानी	-16.67	301.89	100.6	239.04	79.67	318.71	302.04	214.25	70.93	87.79	3.47
26.	पुरी	18.66	350.54	116.83	899.83	299.91	1199.74	1218.40	492.62	40.43	725.78	7.03
27.	रायगढ़	73.88	412.73	137.56	261.3	87.09	348.39	422.27	445.00	105.38	-22.73	6.39
28.	संबलपुर	194.70	291.02	97.00	228.02	76.00	304.02	498.72	435.80	87.38	62.92	7.67
29.	सोनपुर	126.20	154.52	51.50	77.26	25.75	103.01	229.21	220.80	96.33	8.41	3.72
30.	सुन्दरगढ़	204.95	658.32	219.42	518.66	172.87	691.53	896.48	806.28	89.94	90.20	11.62
	मुख्यालय प्रशा.	72.23		0.00				72.23	9.18		63.05	0.00
	अन्य एजेंसी	13.34		0.00				13.34	0.00		13.34	0.00
	कुल	2299.23	11768.22	3922.35	1 621.12	5873.12	23494.24	25793.47	14028.60	54.39	11764.87	215.42

विवरण-V

उड़ीसा में 2000-2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निष्पादन

माह-मार्च, 2001

(लाख रु. में) (लाख श्रमदिन)

क्र. सं.	जिला	1.4.2000 तक अथशेष	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों का राज्य आबंटन	जारी की गई निधियां केन्द्र अंश	जारी की गई निधियां राज्य अंश	जारी की गई निधियां कुल	कुल उपलब्धता	उपयोग की गई निधियां	कुल उपलब्धता की तुलना में प्रतिशत खर्च	खर्च न की गई शेष राशि	सृजित किए जाने वाले रोजगार लक्ष्य	सृजित रोजगार उपलब्धि	लक्ष्य की तुलना में प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंगुल	45.67	184.64	61.55	184.64	73.76	258.40	304.07	240.89	79.22	63.18	4.68	3.26	69.70
2.	बालासोर	210.22	388.79	129.60	604.54	197.06	801.60	1011.82	700.54	69.24	311.28	9.85	10.51	106.71
3.	बारंगढ़	222.72	265.37	88.46	265.37	120.25	385.62	608.34	570.84	93.84	37.50	6.72	8.35	124.21
4.	भद्रक	103.94	231.10	77.03	499.41	88.64	588.05	691.99	467.21	67.52	224.78	5.85	7.01	119.74
5.	बोलंगीर	160.42	274.18	91.39	274.18	154.73	428.91	589.33	677.38	114.94	-88.05	6.95	5.30	76.31
6.	बांध	44.84	74.74	24.91	74.74	29.49	104.23	149.07	123.94	83.14	25.13	1.89	1.04	54.93
7.	कटक	131.34	294.69	98.23	535.13	113.04	648.17	779.51	561.83	72.07	217.68	7.47	7.41	99.26
8.	देवगढ़	14.39	58.02	19.34	58.02	23.10	81.12	95.51	78.48	82.17	17.03	1.47	1.13	76.88
9.	ढेंकनाल	28.52	176.69	58.90	307.95	67.78	375.73	404.25	380.81	94.20	23.44	4.48	5.71	127.57
10.	गजपति	61.02	142.61	47.54	242.61	75.11	317.72	378.74	457.27	120.73	-78.53	3.61	5.86	189.89
11.	गंजम	-391.71	502.71	167.57	1239.32	254.79	1494.11	1102.40	491.98	44.63	610.42	12.74	7.53	59.13
12.	जगतसिंहपुर	-44.62	179.85	59.95	497.40	68.99	566.39	521.77	254.77	48.83	267.00	4.56	3.72	81.65
13.	जजपुर	191.95	289.95	96.65	562.28	136.50	698.78	890.73	722.34	81.10	168.39	7.35	10.83	147.44
14.	झरसुगुडा	2.86	90.82	30.27	90.82	36.57	127.39	130.25	149.27	114.60	-19.02	2.30	2.23	96.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	कालाहांडी	70.62	309.09	103.03	309.09	124.46	433.55	504.17	459.12	91.06	45.05	7.83	6.87	87.74
16.	केन्द्रपाडा	89.30	199.25	66.42	582.71	76.43	659.14	748.44	361.77	48.34	386.67	5.5	4.97	98.46
17.	क्योंझर	31.77	420.55	140.18	500.47	213.16	713.63	745.40	808.21	108.43	-62.81	10.65	12.23	114.80
18.	खुर्दा	96.32	200.45	66.82	406.03	95.84	501.87	598.19	347.78	58.14	250.41	5.08	3.95	77.79
19.	कोरापुट	71.10	342.95	114.32	342.95	153.47	496.42	567.52	516.44	91.00	51.08	8.69	7.57	87.13
20.	मलकानगिरी	-26.83	169.90	56.63	84.94	53.43	138.37	111.54	112.39	100.76	-0.85	4.30	1.67	38.80
21.	मयूरभंज	799.31	739.83	246.61	843.77	374.98	1218.75	2018.16	1938.09	96.04	79.97	18.74	24.78	132.22
22.	नवरंगपुर	280.93	323.90	107.97	323.90	134.83	458.73	739.66	563.75	76.22	175.91	8.21	7.80	95.06
23.	नयागढ़	12.22	150.59	50.20	202.56	37.11	239.67	251.89	202.23	80.29	49.66	3.81	3.23	84.67
24.	नौपाड़ा	235.83	134.50	44.83	134.50	67.18	201.68	437.51	567.18	129.64	-129.67	3.41	9.42	276.47
25.	फुलबानी	179.37	193.26	64.42	193.26	77.00	270.26	449.63	405.81	90.25	43.82	4.90	6.12	125.01
26.	पुरी	-3.53	224.40	74.80	534.77	92.52	627.29	623.76	381.94	61.23	241.82	5.68	4.91	86.37
27.	रायगढ़	-47.51	264.22	88.07	264.22	83.43	347.65	300.14	215.19	71.70	84.95	6.69	3.22	48.11
28.	संबलपुर	35.42	186.30	62.10	18630	73.43	259.73	295.15	253.71	85.96	41.44	4.72	3.90	82.64
29.	सोनपुर	139.41	98.92	32.97	98.92	24.72	123.64	263.05	237.13	90.15	25.92	2.51	3.57	142.46
30.	सुन्दरगढ़	210.95	421.43	140.48	421.43	167.05	588.48	799.43	683.52	85.50	115.91	10.68	10.10	94.61
	मुख्यालय प्रशा.	65.50	0.00	0.00	0.00			65.50	0.00	0.00	65.50	0.00	0.00	
	अन्य एजेंसी	13.34	0.00	0.00	0.00			13.34	0.00	0.00	13.34	0.00	0.00	
	कुल	3035.08	7533.70	2511.23	10866.23	3288.85	14155.08	17190.16	13931.81	81.05	3258.35	190.85	195.20	102.28

विवरण-VI

उड़ीसा में 2001-2002 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सुनिश्चित रोजगार योजना) के अंतर्गत निष्पादन

माह-मार्च

(लाख रु. में) (लाख श्रमदिन)

क्र. सं.	जिला	1.4.2000 तक अथशेष	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	निधियों का राज्य आबंटन	जारी की गई निधियां केन्द्र अंश	जारी की गई निधियां राज्य अंश	जारी की गई निधियां कुल	ब्याज और अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्धता	उपयोग की गई निधियां	कुल उपलब्धता की तुलना में प्रतिशत खर्च	खर्च न की गई शेष राशि	सृजित किए जाने वाले रोजगार लक्ष्य	सृजित रोजगार उपलब्धि	लक्ष्य की तुलना में प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंगुल	64.33	282.32	94.11	306.30	102.10	408.40		472.73	392.66	83.06	80.07	5.36	6.10	113.72
2.	बालासोर	95.53	409.81	136.60	444.60	148.20	592.80		688.33	587.52	85.35	100.81	7.79	10.48	134.59
3.	बारगढ़	91.10	360.86	120.29	391.52	130.51	522.02		613.12	512.79	83.64	100.33	6.86	7.95	115.95
4.	भद्रक	24.92	295.98	98.66	321.11	107.04	428.15		453.07	368.21	81.27	[illegible]	5.62	5.34	94.96
5.	बोलंगीर	97.87	366.56	122.19	397.69	132.56	530.25		628.12	583.82	92.95	44.30	6.96	5.21	74.81
6.	बांध	25.13	233.36	77.79	253.17	84.39	337.56		362.69	298.47	82.29	64.22	4.43	4.34	97.88
7.	कटक	60.06	332.41	110.80	360.65	120.22	480.87		50.93	515.59	95.32	25.34	6.32	6.73	106.56
8.	देवगढ़	17.03	193.53	64.51	209.96	69.99	279.95		296.98	249.66	84.07	47.32	3.68	4.74	128.91
9.	ढेंकनाल	24.84	277.76	92.59	301.34	100.45	401.78		426.62	378.96	88.83	47.66	5.28	7.93	150.26
10.	गजपति	-178.53	325.58	108.53	353.22	117.74	470.96		292.43	297.50	101.73	-5.07	6.19	4.25	68.70
11.	गंजम	266.45	558.95	186.32	606.41	202.14	808.55		1075.00	927.27	86.26	147.73	10.62	13.68	128.81
12.	जगतसिंहपुर	5.86	258.41	86.14	280.37	93.46	373.82		379.68	317.63	83.66	62.05	4.91	4.12	83.91
13.	जजपुर	54.66	355.18	118.39	385.34	128.45	513.78	1.41	579.85	512.65	88.41	67.20	6.75	8.01	118.69
14.	झरसुगुडा	-18.76	227.68	75.89	247.01	82.34	329.35	-18.69	291.90	259.19	88.80	32.71	4.33	4.41	101.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	कालाहांडी	62.47	482.67	160.89	523.66	174.55	698.21	3.76	764.44	703.80	92.07	60.64	9.17	10.14	110.57
16.	केन्द्रपाड़ा	158.83	261.83	87.28	284.06	94.69	378.75		537.58	510.08	94.89	27.50	4.97	7.27	146.14
17.	क्योंझर	185.74	554.39	184.80	601.45	200.48	801.94		987.68	840.50	85.10	147.18	10.53	11.28	107.09
18.	खुर्दा	168.78	265.24	88.41	287.75	95.92	383.67		552.45	473.42	85.69	79.03	5.04	6.56	130.17
19.	कोरापुट	51.08	591.96	197.32	642.24	214.08	856.32	19.50	926.90	841.05	90.74	85.85	11.25	13.78	122.52
20.	मलकानगिरी	18.96	447.40	149.13	485.39	161.80	647.19	2.21	668.36	545.21	81.57	123.15	8.50	7.94	93.41
21.	मयूरभंज	448.95	835.57	278.52	906.53	302.18	1208.70	10.61	1668.26	1421.70	85.22	246.56	15.88	22.88	144.12
22.	नबरंगपुर	54.08	579.44	193.15	628.65	209.55	838.20		892.28	908.53	101.82	-16.25	11.01	12.11	110.00
23.	नयागढ़	-2.32	233.36	77.79	253.19	84.40	337.58		335.26	304.11	90.71	31.15	4.43	5.26	118.63
24.	नौपाड़ा	75.15	343.79	114.60	372.97	124.32	497.30		572.45	390.41	68.20	182.04	6.53	6.21	95.07
25.	फुलबानी	43.82	415.52	138.51	450.81	150.27	601.08		644.90	528.90	82.01	116.00	7.89	7.09	89.81
26.	पुरी	43.07	269.80	89.93	292.71	97.57	390.28		433.35	391.00	90.23	42.35	5.13	6.55	127.77
27.	रायगढ़	84.95	529.35	176.45	574.30	191.43	765.73	-30.94	819.74	709.12	86.51	110.62	10.06	9.05	89.98
28.	संबलपुर	41.44	295.98	98.66	321.11	107.04	428.15	1.76	471.35	424.40	90.04	46.95	5.62	6.03	107.23
29.	सोनपुर	25.92	218.57	72.86	237.13	79.04	316.18		342.10	288.15	84.23	53.95	4.15	3.94	94.88
30.	सुन्दरगढ़	75.00	580.58	193.53	629.88	209.96	839.83	41.17	956.00	875.52	91.58	80.48	11.03	14.78	133.99
	कुल	2176.41	11383.84	3794.61	12350.51	4116.84	16467.34	30.79	18674.54	16357.82	87.59	2316.72	216.29	244.16	112.88

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वसहायता ग्रुप

3149. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने और स्वसहायता ग्रुप बनाकर उन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह के अर्जन में मदद करने तथा स्वरोजगार से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य किया गया है;

(ख) आज की तारीख में स्वसहायता ग्रुप से राज्यवार ऐसे कितने लोग लाभान्वित हुए जो स्वरोजगार से जुड़े हुए थे;

(ग) इन ग्रुपों को दिए गए ऋण पर राज्यवार कितनी राजसहायता दी गई है;

(घ) क्या इस ऋण पर राजयसहायता के साथ ब्याज भी लागू है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता ग्रुप के गठन में क्या समस्याएं हैं;

(छ) क्या इन स्वसहायता ग्रुपों को आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए बैंक ऋण में समस्याएं आ रही हैं;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या इन राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई समीक्षा कराई गई है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ट) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं में परिवर्तन करने का है; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की उपयुक्त संवर्धित आय होनी चाहिए जैसा कि परियोजना अवधि के दौरान उन्हें गरीबी उबारने के लिए परियोजना में विचार किया गया है।

(ख) और (ग) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता प्राप्त स्वसहायता समूहों की संख्या, शामिल किए गए सद्रूस्यों, योजना की शुरूआत (1.4.1999) से आज तक संवितरित ऋण एवं सब्सिडी के संबंध में राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) स्वरोजगारियों को संवितरित कुल परियोजना लागत के ऋण के हिस्से पर ही बैंकों द्वारा ब्याज लिया जाता है।

(च) एस.जी.एस.वाई. एक प्रक्रिया उन्मुख योजना है जिसमें सामाजिक जागरण, उनके प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के जरिए ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना शामिल है। सामाजिक जागरण एक स्वतः प्रक्रिया नहीं है। प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए योजना के दिशा-निर्देश में स्व-सहायता समूहों के गठन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए एन.जी.ओ./सुविधादाता के रूप में व्यक्ति/सामुदायिक समन्वयकों को शामिल करने का प्रावधान है।

(छ) और (ज) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली है जिनमें बैंकों द्वारा स्वरोजगारियों को ऋणों की मंजूरी और वितरण में विलम्ब हुआ। परन्तु आमतौर पर यह पाया गया कि बैंक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए स्व-सहायता समूहों को ऋण देने में वरीयता दिखाते हैं।

(झ) और (ञ) योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर प्रत्येक छमाही में आयोजित केंद्रीय स्तर समन्वय समिति (सी.एल.सी.सी.) की बैठक में चर्चा की जाती है। सी.एल.सी.सी. की पिछली बैठक जून, 2002 में हुई थी। ऋण की मंजूरी और वितरण में हुई देरी, परियोजना के कम वित्तपोषण, सामाजिक जुटाव में बैकों की भागीदारी आदि मुद्दों पर चर्चा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आवश्यक हिदायतें जारी की थीं।

(ट) और (ठ) हाल ही में मंत्रालय ने योजना के प्रक्रिया स्वरूप पर बल देने और अधिक प्रभावी कार्यान्वियन के लिए धन के उपयोग में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से योजना के मार्ग-निर्देशों में कुछ परिशोधन किए हैं।

विवरण

योजना की शुरूआत (1.4.1999) से 2002-2003 (अक्टूबर, 02 तक) एस.एच.जी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारी, एस.एच.जी. को संवितरित ऋण एवं सब्सिडी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए एस.एच.जी. की संख्या	एस.एच.जी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या	संवितरित ऋण (रुपए लाख में)	संवितरित सब्सिडी (रुपए लाख में)	कुल निवेश (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	296447	273828	15220.84	11138.42	26359.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	156	941	76.10	69.55	145.65
3.	असम	33076	36470	1379.01	982.36	2361.37
4.	बिहार	30397	140573	2614.38	2107.95	4722.33
5.	छत्तीसगढ़	37578	11340	1174.38	875.85	2050.83
6.	गोवा	106	663	21.10	14.72	35.82
7.	गुजरात	81651	14405	1979.14	1290.79	3269.93
8.	हरियाणा	4405	8513	1005.79	758.11	1763.90
9.	हिमाचल प्रदेश	4431	15823	2528.92	927.11	3456.03
10.	जम्मू-कश्मीर	4520	13422	122.08	56.43	168.50
11.	झारखंड	8535	50869	595.68	436.94	1032.62
12.	कर्नाटक	21272	66876	10609.07	5311.54	15920.61
13.	केरल	35780	25925	2802.99	2106.59	4909.58
14.	मध्य प्रदेश	144750	100718	6960.65	3568.63	10529.28
15.	महाराष्ट्र	44848	54610	9466.47	6334.55	15801.02
16.	मणिपुर	एनआर	0	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	1164	2914	23.80	33.07	56.87
18.	मिजोरम	599	5752	49.24	176.03	225.28
19.	नागालैंड	898	6202	91.33	190.00	281.33

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	73983	41685	4380.98	2866.03	7247.01
21.	पंजाब	1753	4644	656.63	422.04	1078.67
22.	राजस्थान	21228	2488	583.75	242.20	825.95
23.	सिक्किम	305	485	29.62	24.91	54.53
24.	तमिलनाडु	73182	190808	16967.58	12257.08	29224.66
25.	त्रिपुरा	2204	8791	19.52	19.52	39.04
26.	उत्तर प्रदेश	139064	46073	5893.11	3999.01	9892.12
27.	उत्तरांचल	11592	6219	916.91	597.78	1514.69
28.	पश्चिमी बंगाल	45873	30656	346.54	309.92	656.46
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	134	1647	23.39	38.95	62.34
30.	दा. न. हवेली	एनआर	45	8.21	3.17	11.38
31.	दमन और दीव	एनआर	0	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	2	0	0.00	0.35	0.35
33.	पांडिचेरी	838	683	82.69	48.65	131.34
	जोड़	1120771	1164075	86620.48	57208.25	143828.73

[हिन्दी]

कोयला का उत्पादन

3150. **श्री थावरचंद गेहलोत** : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से अक्तूबर, 2002 तक कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी इकाइयों तथा कोयला उत्पादन करने वाली अन्य कंपनियों द्वारा कोयले के उत्पादन का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कंपनियों में ऐसी कितनी और कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन विकासात्मक कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1998 से अक्तूबर, 2002 तक धन खर्च किया गया है और ऐसे प्रत्येक कार्यकलाप पर कितनी धनराशि खर्च की गई और तत्संबंधी कंपनीवार, राज्यवार, शीर्षवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(मिलियन टन में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अप्रैल-अक्तूबर) (अनंतिम)
आन्ध्र प्रदेश	27.33	29.56	30.28	30.81	18.84
असम	0.64	0.57	0.66	0.64	0.22
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	50.23	53.62	30.88
जम्मू-कशमीर	0.01	0.03	0.03	0.04	0.02
झारखण्ड	76.16	76.53	75.42	76.81	38.67
महाराष्ट्र	25.28	27.70	28.75	30.83	17.83
मध्य प्रदेश	84.94	87.90	42.50	44.16	23.82
मेघालय	4.24	4.06	4.07	5.15	2.50
उड़ीसा	43.51	43.55	44.80	47.81	28.42
उत्तर प्रदेश	15.64	16.22	16.86	16.53	9.89
पश्चिमी बंगाल	18.76	17.98	20.10	21.39	10.80
समग्र भारत	296.51	304.10	313.70	327.79	181.89

नोट : छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश राज्य में से 1 नवम्बर, 2000 को बनाया गया था।

नोट : झारखण्ड राज्य को बिहार राज्य में से 15 नवम्बर, 2000 को बनाया गया था।

(ख) सी.आई.एल. की निम्न 8 अनुषंगी कम्पनियां तथा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (जो सीधे सी.आई.एल. के अधीन है) जो कि नीचे उल्लिखित राज्यों में स्थित है सामुदायिक विकास गतिविधियों को क्रियान्वित कर रही हैं :-

अनुषंगी कंपनियां	राज्य
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	पश्चिम बंगाल, झारखण्ड
भारत कोकिंग कोल लि०	झारखण्ड, पश्चिम बंगाल
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	झारखण्ड
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
वेस्टर्न कोलफील्ड्स	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
महानदी कोलफील्ड्स लि०	उड़ीसा
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	असम
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि०	झारखण्ड/अन्य

(ग) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को मुख्यत: संरचनात्मक ढांचे को विकसित करने के लिए किया जाता है। 1998-99 से 2001-02 के दौरान सी.आई.एल. की अनुषंगियों द्वारा किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1998-99 से 2001-02 के दौरान सी.आई.एल. की अनुषंगियों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च की राशि निम्नानुसार है :-

(रु. लाख में)

क्र. सं.	कम्पनी/राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
1.	ई.सी.एल. (पश्चिम बंगाल और (झारखण्ड)	38.00	46.06	56.95	49.28
2.	बी.सी.सी.एल. (झारखंड और पश्चिम बंगाल)	46.00	56.18	43.24	21.65
3.	सी.सी.एल. (झारखण्ड)	75.00	65.58	56.25	50.34
4.	डब्ल्यू.सी.एल. (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	56.00	64.32	74.78	66.72
5.	एस.ई.सी.एल. (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़)	301.00	237.00	225.34	352.68
6.	एन.सी.एल. (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश)	60.00	78.25	86.19	56.53

1	2	3	4	5	6
7.	एम.सी.एल. (उड़ीसा)	380.00	289.92	369.58	270.38
8.	एन.ई.सी. (असम)	10.00	20.00	7.48	15.73
9.	सी.एम.पी.डी.आई.एल. (झारखण्ड तथा अन्य)	0.28	—	—	1
	कुल	—	855.31	919.81	883.31

विवरण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

क्रम सं.	कार्य का नाम	वर्ष (आंकड़े संख्या में)			
		1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
1.	सामुदायिक केन्द्र/क्लब तथा मनोरंजन केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	09	06	12	14
2.	कुओं/नलकूपों को खोदना तथा अन्य जलापूर्ति योजनाएं	27	20	22	58
3.	ग्राम विद्युतीकरण के लिए सहायता	00	02	—	—
4.	शैक्षिक संस्थानों के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	34	22	33	41
5.	सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत	06	07	15	15
6.	पार्क	02	00	—	—
7.	पुस्तकालय	02	02	—	01
8.	यात्रियों के लिए विश्राम स्थल का निर्माण	06	04	02	03
9.	अन्य प्रकीर्ण कार्य	15	14	24	01
	भारत कोकिंग कोल लि०				
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	7	5	6	3
2.	हैण्डपम्पों की स्थापना	32	48	4	—
3.	तालाब/कुओं का निर्माण/पुनरुद्धार	9	18	2	5
4.	शैक्षिक संस्थानों के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	17	26	5	4

1	2	3	4	5	6
5.	सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत	8	3	1	1
6.	सुलभ शौचालय	12	3	4	—
7.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिविर	4	10	—	—
8.	पाइप लाइन के द्वारा जलापूर्ति	6	3	1	1
9.	विद्युतीकरण	1	0	—	—
10.	अन्य प्रकीर्ण कार्य	16	10	19	19
	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०				
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	08	06	07	05
2.	हैण्डपम्पों की स्थापना	30	08		01
3.	कुओं का निर्माण/पुनरुद्धार	20	05	26	33
4.	तालाबों का निर्माण/पुनरुद्धार	02	03		03
5.	पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति	02	01		06
6.	शैक्षिक संस्थान के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	41	23	29	44
7.	सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत	12	04	04	03
8.	विद्युतीकरण	01	01	01	—
9.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिविर	13	05	04	04
10.	स्वरोजगार प्रशिक्षण	06	05	03	05
11.	पौधारोपण	0	02	02	—
12.	खेल कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियां	10	04	03	12
13.	अन्य प्रकीर्ण कार्य	31	18	20	14
	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०				
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	0	1	—	2
2.	हैण्डपम्पों की स्थापना	24	4	29	38
3.	हैण्डपम्पों की मरम्मत	20	27		

1	2	3	4	5	6
4.	शैक्षिक संस्थान के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	6	2	6	9
5.	सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत	5	3	9	9
6.	सुलभ शौचालय	11	2	1	—
7.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिविर	22	12	5	—
8.	बस स्टैण्ड का निर्माण	0	1	—	—
9.	अन्य प्रकीण कार्य	6	3	4	16
	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	2	2	3	2
2.	हैण्डपम्पों की स्थापना	6	5	6	23
3.	कुओं का निर्माण/पुनरुद्धार	2	1	3	
4.	शैक्षिक संस्थान के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	17	15	20	11
5.	सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत	13	15	11	10
6.	सुलभ शौचालय	1	0	1	—
7.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिवर	57	87	1	6
8.	बस स्टैण्ड/शैड का निर्माण	3	0	2	3
9.	पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति	5	1	1	1
10.	विद्युतीकरण	1	0	4	4
11.	सबमर्सिबल पुल का निर्माण	5	1	1	—
12.	शमशान भूमि का निर्माण	6	2	—	—
13.	अन्य प्रकीर्ण कार्य	0	0	14	21
	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	5	5	3	9
2.	हैण्डपम्पों की स्थापना	19	20	46	26
3.	हैण्डपम्पों की मरम्मत	6	3		

1	2	3	4	5	6
4.	शैक्षिक संस्थान के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	36	35	35	48
5.	सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत	21	20	35	38
6.	सुलभ शौचालय	4	3	4	7
7.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिविर	224	201	4	3
8.	बस स्टैण्ड का निर्माण	4	2	1	—
9.	जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाना	18	10	2	14
10.	अन्य प्रकीर्ण कार्य	23	15	24	27
	महानदी कोलफील्ड्स लि०				
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	05	03	06	08
2.	हैण्डपम्पों की स्थापना	168	0	51	—
3.	कुओं का निर्माण/मरम्मत	02	0		—
4.	तालाबों का निर्माण/मरम्मत	01	0	—	—
5.	पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति	04	0	16	—
6.	शैक्षिक संस्थान के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	28	10	29	07
7.	सड़कों/पुलिया का निर्माण/मरम्मत	20	07	11	02
8.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिविर	51	50	31	—
9.	विद्युतीकरण	06	01	02	—
10.	अन्य प्रकीर्ण कार्य	24	16	22	05
	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत	2	0	1	01
2.	हैण्डपम्पों की स्थापना	1	0	—	—
3.	जल भण्डारण टैन्कों की स्थापना	0	3	—	—
4.	शैक्षिक संस्थान के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	5	3	—	02

1	2	3	4	5	6
5.	सड़कों/पुलिया का निर्माण/मरम्मत	2	0	—	01
6.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिविर	0	0	—	
7.	अन्य प्रकीर्ण कार्य	3	0	4	05
	केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०				
1.	शैक्षिक संस्थान के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	1	0	—	—
2.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिविर	0	0	—	—

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में अनियोजित और अनियंत्रित विकास

3151. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में अनियोजित और अनियंत्रित विकास को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए क्या व्यापक सुधार किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) शहरी विकास राज्य का विषय है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में अनियोजित तथा अनियंत्रित वृद्धि की रोक-थाम करना राज्यों की जिम्मेदारी है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, शहरी विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत, नीति तैयार करने, तकनीकी मार्गदर्शन और केन्द्रीय सहायता के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में उन्हें सहायता देता है।

स्थायी शहरी विकास की गति को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान निम्नलिखित नये सुधार उपायों की घोषणा की है :-

(1) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ)

(2) नगर आह्वान कोष (सिटी चैलेंज फंड) (सीसीएफ)

(3) साझा वित्त विकास स्कीम (पीएफडीएस)

शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ) की स्थापना राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार से जुड़ी सहायता देने के लिए की गई है :-

(1) संकल्प द्वारा राज्य स्तर पर शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम का निरसन;

(2) स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाना;

(3) किराया नियंत्रण हटाने के लिए किराया नियंत्रण कानूनों का सुधार ताकि किराया आवास में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके;

(4) पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना;

(5) सम्पत्ति करों में सुधार ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का मुख्य स्रोत बन सके, और इसके कारगर कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था करना ताकि दसवीं योजना अवधि के अंत तक कर संग्रहण क्षमता कम से कम 85% हो जाए;

(6) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तर्क संगत प्रयोक्ता प्रभार लगाना ताकि दसवीं योजना अवधि के अंत तक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएण्डएम) की पूरी लागत वसूल हो जाए; और

(7) शहरी स्थानीय निकायों में एकाउंटिंग की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली शुरू करना।

नगर आह्वान कोष (सीसीएफ) एक प्रोत्साहन आधारित सुविधा है जो म्यूनिसिपल प्रबंध तथा सेवा सुपुर्दगी की स्थायी तथा विश्वास परक संस्थागत प्रणाली बनने की दिशा में परिवर्तनीय लागतों को पूरा करने में शहरों की मदद करेगा। यह आर्थिक सुधार कार्यक्रम तैयार करने की लागत तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शुरू की जाने वाली आर्थिक रूप से उपयोगी परियोजनाओं के आंशिक वित्त पोषण में मदद करेगा।

साझा वित्त विकास स्कीम (पीएफडीएस) स्थानीय निकायों को साख आधार पर ऋण बाजार से ऋण लेने हेतु उनकी साख में वृद्धि करने के लिए है।

उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में ढांचागत सुविधाएं

3152. श्री परसुराम माझी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में, विशेषरूप से के.बी.के. जिलों में, ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक पहल किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) जी, हां। उड़ीसा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन ढांचागत सुविधाओं के संसाधनों का उपयोग करने के लिए सरकार वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षिक संस्थानों को सुदृढ़ करने, उद्यमवृत्ति विकास, विज्ञान लाकप्रियकरण, मुख्य सहायता, पेटेन्ट जागरूकता, ऊर्जा संरक्षण, दूर संवेदन, जैव-प्रौद्योगिकी, गैर-पारम्परिक ऊर्जा, कृषि-मौसम विज्ञान आदि के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। इसमें शामिल मुख्य परियोजनाएं पर्यावरण जीव विज्ञान, पौध जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सीय एवं एरोमेटिक पौध, मत्स्य संवर्धन, स्थान विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, चिकित्सीय अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जानकारियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन आदि के क्षेत्रों में हैं।

[हिन्दी]

कोयला खनन कंपनियों का पुनरुद्धार

3153. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खनन कंपनियों के कार्यकरण में सुधार लाने और उन्हें लाभकारी बनाने के लिए कोयला खनन कंपनियों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजमहल ग्रुप ऑफ माइन्स, एस.सी. माइन्स (ईसीएल) और बेसिक कोल सेन्टर क्षेत्र का विलय करके एक कंपनी बनाने का कोई प्रस्ताव कोल इंडिया लिमिटेड के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० की 8 सहायक कंपनियों में से 3 सहायक कंपनियां, नामतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लि० (बी.सी.सी.एल.) तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी.सी.एल.) ही केवल घाटे में चल रही हैं। ये 3 कंपनियां पहले ही बी.आई.एफ.आर को संदर्भगत की जी चुकी हैं और एस.आई.सी.ए. के अनुसार पहले ही रुग्ण घोषित की जा चुकी हैं। पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ अण्डिया को ई.सी.एल. हेतु प्रचालन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। आज की तारीख तक बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. हेतु किसी प्रचालन एजेन्सी को नियुक्त नहीं किया गया है। प्रचालन एजेन्सी द्वारा ई.सी.ण्ल. की पुनरुद्धार योजना तैयार की जा चुकी है और बी.आई.एफ.आर. के निदेशानुसार जुलाई, 2002 में सभी सम्बद्ध पार्टियों को इसे परिचालित किया जा चुका है। प्रचालन एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार योजना के प्रारूप पर ई.सी.एल. बोर्ड द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2002 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में विचार किया गया था। ई.सी.एल. की उक्त पुनर्वास योजना के प्रारूप पर सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा भी दिनांक 20 अगस्त, 2002 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में विचार किया गया था। सी.आई.एल. बोर्ड ने प्रचालन एजेन्सी द्वारा यथा प्रलेखित तथा ई.सी.एल. बोर्ड द्वारा स्वीकारित

ई.सी.एल. की पुनरुद्धार रणनीति को भारत सरकार को उस पर विचार किए जाने की सिफारिश के साथ इसका सिद्वान्त रूप में समर्थन कर दिया है। बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. की पुनरुद्धार योजना प्रतिपादन के अंतर्गत है।

(ग) और (घ) राजमहल समूह की खानों तथा एस.पी. खानों (ई.सी.एल.) और सी.सी.एल. आधारभूत कोयला केन्द्र क्षेत्र को मिलाकर एक कम्पनी का गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव सी.आई.एल. के पास नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन

3154. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को गांवों की पहचान और सड़कों का चयन आदि कर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को क्रियान्वित करने के कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों और जिला ग्रामीण सड़क योजना तैयार करने से संबंधित नियम पुस्तक के अनुसार किया जाता है जो क्रमश: दिसम्बर, 2000 और जून, 2001 में जारी किये गये थे। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में केवल अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कें शामिल हैं और इसका उद्देश्य सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को एकल सड़क संपर्क प्रदान करना है (सड़कों से न जुड़ी बसावटें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किए जाने की पात्र तभी होती है जब उनकी आबादी 500 और अधिक हो, पहाड़ी राज्यों के मामले में 250 की सीमा निर्धारित की गई है)।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कार्यक्रम को सभी राज्यों में राज्य सरकार के भरपूर सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिल्ली में प्लाटों/भूमि का आबंटन

3155. श्री नरेश पुगलिया :
श्री अखिलेश यादव :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री जय प्रकाश :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996 से आज तक दिल्ली में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं को आबंटित किए गए प्लाटों/भूमि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक संगठन/संस्था और व्यक्ति को आबंटित प्लाटों/भूमि की अवस्थिति व उसका क्षेत्र क्या है और उन प्लाटों/भूमि को किस मूल्य पर आबंटित किया गया है;

(ग) दिल्ली में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं और व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि और विकास कार्यालयों द्वारा प्लाटों/भूमि के आबंटन संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन न करने के बारे में आम जनता, इत्यादि की ओर से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) भूमि तथा विकास कार्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये आबंटनों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के प्रावधानों के अनुसार भूमि आबंटित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित समस्त भूमि को उतने प्रीमियम पर आबंटित किया जायेगा जितना निलामी/निविदा द्वारा तय हो, किन्तु इसमें नियम 5, 6 तथा 7 के तहत निर्दिष्ट कुछ श्रेणियां शामिल नहीं हैं। नियम 5, 6 तथा 7 के तहत विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का आबंटन सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित दरों पर किया

जाता है। जहां तक भूमि तथा विकास कार्यालय का संबंध है तो संस्थानों को भूमि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित अनुमोदित दरों पर आबंटित की जाती हैं। आबंटन के लिए ऐसे सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तथा उसमें उल्लिखित अपेक्षित कागजातों के साथ प्रस्तुत करने होते हैं। केवल पंजीकृत समितियों/न्यासों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाता है। कार्यकलापों तथा पूर्ववृत्तों की जांच की जाती है तथा नोडल मंत्रालय/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सिफारिशों, यथा लागू, पर विचार किया जाता है जहां तक व्यक्तियों को आबंटन का संबंध है तो भूमि तथा विकास कार्यालय अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वास कालोनियों में पट्टे की भूमि से लगे अतिरिक्त भूखण्ड आबंटित करता है। भूमि वित्त मंत्रालय से परामर्श करके तय की गई पूर्व निर्धारित दरों पर आबंटित की जाती है।

(घ) और (ङ) जहां तक भूमि तथा विकास कार्यालय का संबंध है, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आबंटन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. द्वारा बकाया राशि की वसूली

3156. **श्री पुन्नु लाल मोहले** : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी.आई.एल. को विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 6000 करोड़ से भी अधिक की बकाया राशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बकाया राशि और बाजार दर से उस पर ब्याज की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उन सभी उपक्रमों/उन सभी राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव है, जिन्होंने भुगतान नहीं किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) 30.11.02 की स्थिति के अनुसार विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों की कुल बकाया राशि 6624.40 करोड़ रु. है।

(ख) सी.आई.एल. गम्भीर नकदी समस्या का सामना कर रहा है क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र से कोयला बिक्री बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ है। इससे कोयला कंपनियों के लिए अपनी वर्तमान देनदारियों तथा निवेश प्रतिबद्धताओं को निष्पादित करने में भी एक गंभीर बाधा उत्पन्न हो गई है।

(ग) से (ङ) बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :-

(1) सी.आई.एल., सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतिकरण योजना स्कीम के माध्यम से बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

(2) वर्तमान देय राशि के संबंध में सी.आई.एल. ने नकद तथा उठान प्रणाली चला रखी है।

(3) जहां लंबे समय तक अकाल पड़ने के कारण विपत्ति आई है, वहां सी.आई.एल. ने समग्र राष्ट्रीय हित में कुछ हद तक सहायता की है।

[अनुवाद]

रोहिणी योजना के अंतर्गत फ्लैटों का आबंटन

3157. **श्री जे.एस. बराड़** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी योजना के अंतर्गत एच आई जी और एम आई जी फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को अभी फ्लैट आबंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्राथमिकता के आधार पर अब तक कितने लोगों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं और 31 मार्च, 2003 तक कितने लोगों को आबंटित किए जाने की संभावना है;

(घ) 1 अप्रैल, 2003 तक प्रतीक्षा सूची की कैसी स्थिति की संभावना है; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को अविलंब प्लॉट आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 में केवल एम आई जी, एल आई जी तथा जनता श्रेणी के प्लॉटों के आबंटन का प्रावधान था। कुल 82,384 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी तुलना में आज तक 42,420 प्लॉट आबंटित किये गये हैं। यह एक खुली स्कीम थी और भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने तथा भूमि का अभाव होने के कारण इस स्कीम के तहत सभी आवेदकों को प्लॉट आबंटित नहीं किये जा सके। स्कीम की विभिन्न श्रेणियों में अब तक प्राप्त कुल आवेदनों, किये गये आबंटनों, शेष आवेदनों तथा प्राथमिकता आधार पर किये गये आबंटनों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष आवेदकों को मार्च, 2003 तक या उसके बाद प्लॉटों का आबंटन भारी मात्रा में भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्कीम के तहत प्रतीक्षा सूची में शामिल पंजीकृतों की संख्या को अंशतः समाप्त करने के लिए रोहिणी में पहले ही 1478 एकड़ भमि अधिग्रहण किया है।

विवरण

श्रेणी	प्राप्त कुल आवेदन	आज तक किये गये कुल आबंटन	वापसी/रद्द किये गये	शेष	प्राथमिकता आधार पर अब तक किये आबंटन
एम आई जी	25889	11022	1049	13818	1651 (90 वर्ग मी० प्लाट के लिए) 5101 (60 वर्ग मी० प्लाट के लिए)
एल आई जी	38105	17501	607	19997	1741 (48 वर्ग मी० प्लाट के लिए) 6394 (32 वर्ग मी० प्लाट के लिए)
जनता	18390	13897	30	4463	2040
कुल	82384	42420	1686	38278	

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

3158. **श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 2002 के दौरान और विगत में भी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षकों की हड़ताल के कारण छात्रों के लिए छुट्टियां रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हड़ताल का कारण शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति और अन्य संबंधित विषयों पर विश्वविद्यालय का भेदभावपूर्ण रवैया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या ऐसी हड़तालों को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस मामले की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

शिक्षक संघ ने कतिपय मुद्दों जिनमें इस विश्वविद्यालय के दो सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुन:नियोजित करने से मना करना भी शामिल था, पर दबाव बनाने के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2002 को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। एक मामले में सम्बंधित व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है और यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है और दूसरे मामले में सम्बंधित शिक्षक को शिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 21 जुलाई, 2003 तक पुन:नियोजित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

घुग्गुस कोलियरी फाइल नं. 2 में रह रहे परिवार

3159. श्री नरेश पुगलिया : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) में घुग्गुस कोलियरी फाइल नं. 2 में 1100 से भी अधिक परिवार रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सभी लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू.सी.एल. अब वहां से उन लोगों को हटाना चाहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करा लिया गया है और प्रत्येक परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली राशि निर्धारित कर ली गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इन परिवारों को घर बनाने के लिए कोई वैकल्पिक भू-खंड आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) भूमि तथा रिकार्ड के तालुका निरीक्षक, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित सर्वेक्षण तथा दिनांक 15.1.2002 को प्राप्त उसकी रिपोर्ट के अनुसार, पिट्स कालोनी में 1011 निजी आवास तथा 213 डब्ल्यू.सी.एल. आवास हैं। विशिष्ट रिकार्डों के अभाव में यह कहना कठिन है कि क्या ये परिवार (निजी अवास) वर्ष 1915 से वहां रह रहे हैं।

(ख) यह एक मिश्रित समूह है जिसमें समाज के विभिन्न समुदायों/वर्गों के लोग शामिल हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त परिवारों को पुर्नस्थापित किया जा चुका है चूंकि 6 मिलियन टन से भी अधिक कोयला पिट्स कालोनी, घुग्गुस के नीचे दबा हुआ है, जिसका डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा दोहन किया जाना है।

दिनांक 20.2.2002 से 31.11.2002 की अवधि के बीच मकान का मुआवजा तथा 50,000 रु. प्रति परिवार का संरचनात्मक अनुदान प्राप्त होने के बाद 525 परिवारों को उनकी स्वयं की इच्छा पर स्थानान्तरित किया जा चुका है। शेष मकान मालिक भी आपने मकानों को खाली किए जाने हेतु अपनी स्वीकृति दे रहे हैं।

(ङ) और (च) मकानों के सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन का कार्य क्रमश: भूमि तथा रिकार्ड के तालुका निरीक्षक, चन्द्रपुर तथा लो.नि.वि. के भवन तथा निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है।

लो.नि.वि. के भवन तथा निर्माण विभाग के मूल्यांकन के अनुसार, मकानों का मुआवजा 303.34 लाख रु. बनता है तथा संरचनात्मक अनुदान 522.50 लाख रु. है। अत: कुल राशि 825.84 लाख रु. बनती है।

(छ) से (झ) वहां के निवासियों को निम्नलिखित में से एक को चुनने का विकल्प दिया गया है :-

(1) पुनर्वास स्थन, मकान की लागत उपलब्ध कराना तथा स्थानान्तरण/एकमुश्त भत्ते के तौर पर 7000 रु. का प्रावधान।

(2) मकान की लागत का प्रावधान तथा नए स्थल पर पुनर्वास के बदले में 50,000 रु. का एकबारगी संरचनात्मक अनुदान।

उपर्युक्त दो विकल्पों में से, पिट्स कालोनी के निवासियों ने विकल्प (2) को स्वीकार किया।

महाराष्ट्र में पेयजल के लिए मास्टर प्लान

3160. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पेयजल समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार को एक योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उस योजना का अनुमोदन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य में उक्त योजना के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी राशि निर्गत की गई;

(घ) क्या यह योजना राज्य के कुछ जिलों के लिए ही अनुमोदित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ङ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय होने की वजह से पेयजल सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं राज्यों द्वारा अपने संसाधनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके प्रयासों में मदद करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं तैयार करने, स्वीकृत एवं कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। अतः राज्य सरकारों को अलग-अलग पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने की क्षेत्र सुधार परियोजनाएं महाराष्ट्र के चार जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश	रिलीज की गई निधियां	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अमरावती	2126.00	1973.50	592.05	171.75
2.	धूले	3952.78	3692.96	1107.88	110.93
3.	नांदेड़	4000.00	3740.00	1122.00	189.55
4.	रायगढ़	3793.00	3473.80	1042.14	55.47

भोपाल गैस त्रासदी

3161. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की सभी परिसंपत्तियों को अपने हाथ में लेने वाली कंपनी डाउ केमिकल्स (डीओडब्ल्यु) ने उस त्रासदी के लिए उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी लेने से इंकार कर दिया है जिसमें 11 सितम्बर, 2001 को न्यूयार्क और वाशिंगटन पर हमले में मारे गए लोगों से भी अधिक संख्या में लोग मारे गए थे और उसमें अपंग हुए हजारों लोग आज भी जहरीली गैस के प्रभाव से मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनियन कार्बाइड ने भी संयंत्र के नीचे और इसके इर्द-गिर्द के भू-जल सहित पर्यावरण और विशाल भूमि क्षेत्र को प्रदूषित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जान-माल की क्षति तथा स्वास्थ्य और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए अब तक न दिए जाने वाले मुआवजों के भुगतान सहित दोषियों को दंड देने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) यूनियन कार्बाइड कारोरेशन (यू.सी.सी.) को भोपाल में त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अन्तिम निपटारा उच्चतम न्यायालय में हुआ था और परिणामस्वरूप यू.सी.सी. ने त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजा के रूप में सभी सिविल दावों और अधिकारों तथा भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना से संबंधित और उससे उत्पन्न संपूर्ण देयताओं का निपटान करने के लिए 470 मिलियन डालर का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर यू.सी.सी.

ने भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए एक अस्पताल का वित्तपोषण भी किया है।

(ग) और (घ) कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए अध्ययन से यू.सी.सी. फैक्टरी परिसर के चारों ओर और उसके अन्दर विषैले अपशिष्टों से भूमि और भू-जल के दूषित होने का पता चला है।

(ङ) और (च) सरकार को भोपाल गैस पीड़ितों की समस्याओं की जानकारी है और यह भोपाल गैस पीड़ितों को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इसने भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने और अधिनिर्णय के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 के तहत कल्याण आयुक्त का कार्यालय सृजित किया है। कुल मिलाकर दावेदारों द्वारा 10,29,431 मामले दायर किए गए थे, जिनमें से 31 अक्टूबर, 2002 के अंत तक 10,29,265 मामले निपटा दिए गए हैं। मुआवजे के रूप में 1521.56 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। सी.बी.आई. ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन और अन्यों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अध्यक्षता में एक आपराधिक मुकदमा दायर किया है। अब तक मुकदमे से संबंधित 89 गवाहों की जांच की जा चुकी है। सी.बी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार मि. वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के संबंध में संशोधित अनुरोध को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है। भोपाल गैस पीड़ितों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 258 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक पांच वर्षीय कार्य योजना अनुमोदित की थी। यह परिव्यय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाना था। केन्द्रीय सरकार ने 193.50 करोड़ रुपए का अपना संपूर्ण अंश जारी कर दिया है। राज्य सरकार कार्य-योजना को कार्यान्वित कर रही है।

सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना से भिन्न सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

3162. **श्री जी.जे. जावीया :**
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) और जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) से किस तरह भिन्न है;

(ग) इस नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह मदद मिलने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न स्रोतों, सर्वेक्षणों और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से संग्रह किए गए अद्यतन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस सीमा तक रोजगार मिला है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) से अलग है। एस जी आर वाई के अन्तर्गत मजदूरी अंशत: खाद्यान्न में और अंशत: नकद में दी जाती है। खाद्यान्न का वितरण एस जी आर वाई का मुख्य हिस्सा है और खाद्यान्न की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। एस जी आर वाई के प्रथम चरण के अंतर्गत निधियों का 22.5 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए अलग-अलग लाभार्थी योजना के लिए निर्धारित किया जाता है और एस जी आर वाई के द्वितीय चरण के अंतर्गत निधियों का 50 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति बसावटों में सामुदायिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तर अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एस जी आर वाई के अंतर्गत अपने वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करते हैं। ये प्रावधान पूर्व के ई ए एस और जे जी एस वाई के अंतर्गत मौजूद नहीं थे।

(ग) एस जी आर वाई का उद्देश्य अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और आवश्यकता अधारित ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण गरीबों की संवर्धित पोषण स्थिति सुनिश्चित करना है।

(घ) चूंकि एस जी आर वाई स्व लक्षित स्वरूप की है और उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और अपने गांव/बसावट के आसपास शारीरिक और अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं और जिलों में चल रही है; इसलिए मंत्रालय द्वारा राज्यवार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बाल कल्याण योजनायें

3163. **श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चल रही बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) बच्चों के कल्याण और विकास की अनेक स्कीमों और कार्यक्रम सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन स्कीमों और कार्यक्रमों की संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों का विकास

3164. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) की तर्ज पर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार किन-किन इंजीनियरिंग संस्थानों का इस तरह उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इसके वार्षिक बजट का वहन करती है; और

(घ) यदि हां, तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने के कार्य पर केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और किन स्रोतों से यह राशि जुटाई जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज प्रणाली की समीक्षा करने के लिए डा. आर.ए. मशेलकर की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति और सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार देश के सभी सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को ''सम विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान करके और व्यवस्थित व्यावसायिक प्रबंधन ढांचा प्रदान करके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा देने का निर्णय लिया है। अब तक, इलाहाबाद, भोपाल, कालीकट, हमीरपुर, जालंधर, कुरूक्षेत्र, नागपुर, राउरकेला, सिल्चर, सूरत, सूरतकल और वारंगल स्थित 13 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का दर्जा दे दिया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप हाल ही में बदले गए संस्थानों को वृहत्त प्रशासनिक, शैक्षिक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त होगी और इस परिवर्तन से अपेक्षा की जाती है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तरह अन्य राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की तुलना में इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

मौजूदा वित्त पोषण तंत्र के अनुसार केन्द्र सरकार योजनागत बजट के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तथा सम्पूर्ण व्यय के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करती हैं जबकि अवर स्नातक स्तर पर आवर्ती व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए प्रजनन रोधी टीका

3165. श्रीमती मेनका गांधी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के लिए प्रजनन रोधी टीके (एंटी-एल.सी.सी.) पर अनुसंधान के रूप में आरंभ किए गए मानवीय निदान परीक्षणों के चरण-I, चरण-II में कितनी महिलाओं ने भाग लिया;

(ख) इस प्रजनन रोधी टीके के निदान परीक्षणों के चरण-I, चरण-II में भाग लेने वाली महिलाओं के मामले में किसी प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई की गयी हैं;

(ग) क्या इस टीके के निर्माण से जुड़े अनुसंधानकर्त्ताओं के अलावा किसी अन्य द्वारा स्वरोग प्रतिरोधक रोगों जैसे दीर्घकालिक दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए ऐसी महिलाओं का परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत कितने सुरक्षित और परिवर्तनशील गर्भनिरोधक टीकों का विकास किया गया है;

(च) क्या ये आज बाजार में उपलब्ध हैं;

(छ) यदि हां, तो इन टीकों के विपणन करने वाली कम्पनी का नाम क्या है; और

(ज) अब तक इस परियोजना में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और इस पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) बी एच सी जी टीके पर चरण-I के नैदानिक परीक्षण 140 स्वैच्छिक व्यक्तियों पर

किए गए जबकि चरण-II के प्रभावोत्पादकता संबंधी परीक्षणों में 110 स्वैच्छिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

(ख) एंटीबाडीज़ प्रतिक्रिया को उलटने की क्षमता स्थापित करने एवं टीके की प्रतिरक्षात्मक सुरक्षा का आकलन करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी।

(ग) और (घ) दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान के ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक अनुवर्ती कार्रवाई की गई है. जो टीका विकसित करने वाले अनुसंधानकर्त्ताओं से भिन्न थे। अभी तक उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार बी एच सी जी टीके के कोई दुष्प्रभाव नहीं पाए गए हैं।

(ङ) बीटा एच सी जी टीके का विकास एक कैंडीडेट टीके के रूप में किया गया है तथा इस टीके ने चरण-I एवं चरण-II के नैदानिक परीक्षण पूरे कर लिए हैं। दीर्घकालिक चरण-III के नैदानिक परीक्षण अभी नहीं किए गए हैं क्योंकि चरण-I और चरण-II के अंतर्गत उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला है कि संरूपण में सुधार करने के लिए मूलभूत अनुसंधान किए जाने हैं। अतः इस समय मौजूदा बी.एच.सी.जी. संरूपण अभी मानव प्रयोग के लिए तैयार नहीं है।

(च) और (छ) यह उत्पाद बाजार में उपलब्ध नहीं है।

(ज) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान तथा अन्य संस्थानों में बी एच सी जी के विकास और चरण-I तथा चरण-II के नैदानिक परीक्षणों में लगभग 9.64 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीआईएसएफ की गश्त

3166. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने स्वर्ण चतुर्भुज और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गलियारों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की गश्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा विभिन्न सरकारी औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की गई सुरक्षा के एवज में देय 600 करोड़ रुपये की धनराशि अभी मिलनी बाकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औक्षेगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) सुरक्षा पहलुओं पर दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को परामर्श देने पर सहमत हुआ था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागार राव) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरोध पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7.1.2001 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर आमेर-कोटपूतली खंड पर तैनात किया गया था। के.औ.सुरक्षा बल ने 3 राष्ट्रीय राजमार्गें के 7 खंडों पर सुरक्षा सर्वेक्षण का कार्य भी हाथ में लिया है।

(ग) और (घ) दिनांक 1.11.2002 की स्थिति के अनुसार के. औ. सुरक्षा बल द्वारा 207 सरकारी औद्योगिक यूनिटों को सुरक्षा कवर प्रदान किए जाने के संबंध में लगभग 733.39 करोड़ रु. कर राशि बकाया थी।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान। माह जून, 2000 में के.औ. सुरक्षा बल ने कन्सलटेन्सी प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल का सर्वेक्षण किया तथा मेट्रो रेल नेटवर्क की सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के बारे में सुझावों की ब्यौरा रिपोर्ट दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी.एम.आर.डी.) को प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में भर्ती

3167. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में अन्य राज्यों से भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भर्ती पर कब से प्रतिबंध लगाया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुलिस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि दिल्ली पुलिस में पचास फीसदी भर्ती अन्य राज्यों से की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस की मानव शक्ति आवश्यकताओं पर अपने अध्ययन में यह संस्तुति की है कि देश के सभी भागों के लोगों को दिल्ली पुलिस में पर्याप्त संख्या में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस में इन परिपाटी को पहले से ही अपनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं

3168. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) की कोयला खानों में कार्यरत कोयला खान मजदूरों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके लिए कितने अस्पताल/औषधालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) एम.सी.एल. के मजदूरों और कर्मचारियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। जैसा कि सी.आई.एल. द्वारा सूचित किया गया है, एम.सी.एल. कोयला खान श्रमिकों तथा कंपनी में कार्यरत स्टॉफ के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं प्रदान कर रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) एम.सी.एल. के 6 अस्पताल तथा 16 डिस्पेन्सरियां हैं। 6 अस्पतालों में से दो केन्द्रीय अस्पताल हैं, तलचर कोलफील्ड्स तथा आई.बी. कोलफील्ड्स में एक-एक। इन दो अस्पतालों में औषधि सर्जरी, प्रसूति तथा स्त्री रोग, बाल रोग, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ओप्थलमोलोजी, ईएनटी. टीबी. तथा वक्ष, त्वचा एवं वी.डी., मनोचिकित्सा एवं दंत जैसे विशेषीकृत विभाग हैं। आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए दोनों अस्पतालों में सुसज्जित आई.सी.सी.यू. विद्यमान है। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट तथा निफरोलॉजिस्ट जैसे सुपर स्पेशलिस्ट, दोनों कोलफील्ड्स के विशेष संदर्भित मामलों को देखने के लिए प्रत्येक माह नेहरू शताब्दी सेन्ट्रल अस्पताल, तलचर में आते हैं। एम.सी.एल. में दिन-प्रतिदिन के मामलों को देखने के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं वाले 39 विशेषज्ञ तथा 83 सामान्य सेवा चिकित्सा अधिकारी (जी.डी.एम.ओ.) हैं। एम.सी.एल. में लेपरोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए एक लेपरोस्केपिक ओ.टी. 4.3.2002 को प्रारम्भ किया गया था। हृदय के मामले, जिसमें एंजियोग्राफी तथा बाय-पास सर्जरी की आवश्यकता होती है, कैंसर तथा रीनल खराबी, जिसे विभिन्न मामलों को उपचार हेतु बाहर के अस्पतालों में रैफर किया जाता है।

साइबर विश्वविद्यालय

3169. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्य देश के सहयोग से 'साइबर विश्वविद्यालय' की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मुंबई पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) इण्डो-फ्रैंच सेन्टर आफ ई-लर्निंग एण्ड रिसर्च जिसे इण्डो-फ्रैंच साइबर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, की स्थापना संबंधी प्रस्ताव फ्रांस सरकार के सहयोग से भारत सरकार के विचाराधीन है। साइबर विश्वविद्यालय शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं शोध-अंतरण के क्षेत्र में भारत तथा फ्रांस के बीच सूचना आदान-प्रदान करेगा।

पहले चरण में, साइबर पद्धति के माध्यम से विषयवस्तु के विकास तथा छात्रों को शिक्षण प्रदान करने के लिए अभिनिर्धारित विषय/पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं :- (i) व्यवहारिक गणित, (ii) सूचना प्रौद्योगिकी, (iii) कम्प्यूटर इंजीनियरी, (iv) डिजाइन इंजीनियरी, (v) वैमानिकी इंजिनियरी, (vi) नियंत्रण इंजीनियरी, (vii) प्रबंधन, (viii) पर्यावरण, (ix) फ्रेंच भाषा का शिक्षण, (x) हिन्दी भाषा का शिक्षण। शिक्षण संसाधन सामग्री को भारतीय तथा फ्रांसीसी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। उक्त विषयों/पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या की विषयवस्तु स्नातकोत्तर तथा शोध पाठ्यक्रमों के स्तर पर होगी। हिन्दी तथा फ्रांसीसी भाषाओं

के पाठ्यक्रमों को उचित स्तर पर दूरस्थ पद्धति के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

प्रारंभ में साइबर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, साइबर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए भाग लेने वाली संस्थाएं शैक्षिक श्रेयांक प्रदान करेंगी। उपयुक्त प्रगति के पश्चात्, भारत सरकार और फ्रांस डिग्रियां प्रदान करने के संबंध में संयुक्त रूप से निर्णय लेगी।

(ग) और (घ) भारत और फ्रांस की उन संस्थाओं को साइबर विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए अभी अभिनिर्धारित करना है जिन्हें विशेष विषय/पाठ्यक्रम के लिए उपर्युक्त बताए क्षेत्रों में सुविज्ञता और उत्कृष्टता प्राप्त है।

[हिन्दी]

भू-संसाधन विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाएं

3170. श्रीमती रेणु कुमारी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भू-संसाधन विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार राज्य में जल संचयन विकास योजना का कार्यान्वयन निधारित किये गये लक्ष्यों से काफी पीछे है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग द्वारा इस समय निम्नलिखित योजनाएं चलायी जा रही हैं :-

(i) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

(ii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

(iii) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

(iv) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.)

(v) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना (एस.आर.ए. एण्ड भू.एल.आर.)

(vi) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.)

(vii) निवेश संवर्धन योजना (आई.पी.एस.)

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है और निधियां विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती हैं। वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक की अवधि के दौरान उपर्युक्त क्रम संख्या (i) से (v) तक की योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) तथा निवेश संवर्धन योजना (आई.पी.एस.) के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों को जारी नहीं की जाती हैं।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग द्वारा जल संचयन विकास योजना के नाम से कोई विशिष्ट योजना नहीं चलायी जा रही है। तथपि, जल संचयन विभाग द्वारा चलायी जा रही तीन योजनाओं नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों में से एक मुख्य कार्यकलाप है। 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के तीन वर्षों के दौरान इन तीनों योजनाओं (आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी.) के अन्तर्गत वित्तीय आबंटन तथ उपलब्धि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
1999-2000*	563.55	564.60
2000-2001	712.00	711.47
2001-2002	766.40	535.02

*इसमें सुनिश्चत रोजगार योजना (ई.ए.एस.) (वाटरशेड संघटक) शामिल है।

इस प्रकार योजनाओं के अन्तर्गत समग्र आबटनों का लाभ पूर्णतः उपयोग किया गया है। जो कमी रही है वह मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों

से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण है, जिनके लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के संबंध में निम्नानुसार अलग से निधियां निर्धारित की गई हैं।

(करोड़ रुपये में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
निर्धारित की गई राशि	10.10	21.78	74.00
जारी की गई राशि	9.56	26.38	42.64

बिहार के संबंध में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

योजना	1999-2000	2000-2001	2001-2002
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	0	28	46
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. डी.पी.)	0	0	1

मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) बिहार में कार्यान्वित नहीं किया जाता है। सामान्यत: योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां (1999-2000 से 2001-2002 तक)				
		आई.डब्ल्यू.डी.पी.**	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.	सी.एल.आर.	एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	196.08	114.97	20.87	1.74	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.86	—	—	0.75	0.23
3.	असम	23.38	—	—	—	—
4.	बिहार	0.66	5.72	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	78.71	13.81	—	1.57	—
6.	गुजरात	66.12	34.71	74.54	5.24	2.92
7.	गोवा	—	—	—	1.13	—
8.	हरियाणा	14.59	—	27.48	2.58	0.49
9.	हिमाचल प्रदेश	31.20	6.54	12.20	1.24	1.94
10.	जम्मू-कश्मीर	6.93	8.86	18.45	0.18	0.68

1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखण्ड	1.89	15.69	—	2.81	—
12.	कर्नाटक	52.97	43.22	17.13	11.52	0.78
13.	केरल	8.47	—	—	4.03	3.73
14.	मध्य प्रदेश	245.53	82.58	—	19.53	9.97
15.	महाराष्ट्र	66.57	45.53	—	12.46	9.48
16.	मणिपुर	9.48	—	—	0.38	—
17.	मेघालय	2.71	—	—	0.28	—
18.	मिजोरम	9.34	—	—	2.88	5.87
19.	नागालैण्ड	24.19	—	—	1.70	1.51
20.	उड़ीसा	58.45	16.98	—	12.16	—
21.	पंजाब	2.69	—	—	0.32	—
22.	राजस्थान	98.03	25.62	199.19	12.02	0.75
23.	सिक्किम	8.36	—	—	0.64	—
24.	तमिलनाडु	28.98	26.00	—	9.17	1.85
25.	त्रिपुरा	1.60	—	—	1.68	2.37
26.	उत्तर प्रदेश	89.47	38.37	—	5.26	4.99
27.	उत्तरांचल	9.88	8.35	—	—	—
28.	पश्चिमी बंगाल	10.11	6.62	—	11.48	9.01
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.41	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—
31.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	0.25
32.	दिल्ली	—	—	—	0.74	—
33.	दमन और दीव	—	—	—	0.25	—

1	2	3	4	5	6	7
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	0.25
35.	पांडिचेरी	—	—	—	0.47	0.26
	योग	1147.66	493.57	369.86	124.21	58.33

**इससे सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के वाटरशेड संघटक हैं।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का विनिवेश

3171. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत संचार निगम लिमिटेड का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बी.एस.एन.एल. का विनिवेश किस प्रकार से किये जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार करती रहती है। प्रस्तावों पर अन्तर्मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से विचार किया जाता है और अन्तिम निर्णय लिए जाते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड में सरकार द्वारा धारित इक्विटी के विनिवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों को भूमि का आबंटन

3172. **श्रीमती कान्ति सिंह** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार 1/- रुपया प्रति वर्गमीटर की सांकेतिक राशि के तहत डी०डी०ए० द्वारा निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों को आबंटित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी मौजूदा निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों ने इन मानदण्डों को पूरा किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इन मानदण्डों को पूरा न करने वाले अस्पतालों और नर्सिंग होमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले, इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डी०डी०ए० न्यासियों को अस्पतालों और नर्सिंग होमों का निर्माण करने हेतु 1/-रुपये पट्टे पर भूमि उपलब्ध नहीं करायेगी बल्कि वह प्रचलित बाजार मूल्य पर भूमि उपलब्ध करायेगी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या मंत्रालय का विचार केन्द्रीय भंडार से 1/- रुपया प्रति माह का सांकेतिक किराया लेने के बजाय बाजारों, आवासीय क्षेत्रों और सरकारी भवनों में स्थित दुकानों से बाजार दर से किराया वसूलने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या मंत्रिमंडल स्तर पर इस आदेश की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि एक रुपया प्रति वर्ग मीटर की सांकेतिक राशि पर किसी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम को दिल्ली में भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(ङ) और (च) सरकार ने दिनांक 5 जुलाई की गजट अधिसूचना जी०एस०आर० 486(ई) के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 को संशोधित किया है जिससे अस्पताल/डिस्पेंसरी को भूमि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा टेंडरों/नीलामी के जरिए अस्पताल या डिस्पेंसरी के लिए किसी कंपनी, फर्म या ट्रस्ट को किया जा सकता है।

(छ) से (ञ) सरकार के पास संपदा निदेशालय द्वारा एक रुपया प्रति महीना की सांकेतिक राशि लेकर बाजारों, आवासीय क्षेत्रों तथा सरकारी भवनों में केन्द्रीय भंडार को आबंटित की जाने वाली दुकानों के लिए केन्द्रीय भंडार से बाजार दर पर किराया लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिक्षा में सामाजिक समूहों के बीच अन्तर

3173. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि शिक्षा प्रदान करने में सामाजिक समूहों के बीच अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सामाजिक समूहों के बीच के इस अन्तर को पाटने और अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अवसरों की ओर अधिक ध्यान देने का है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है और वित्तीय आबंटन संबंधी निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सभी को शिक्षा के अवसर समान रूप से प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) तथा इसकी कार्य योजना में विष्मताओं को दूर करने तथा अब तक समानता से वंचित लोगों की खास तरह की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर शैक्षिक अवसर में समानता लाने पर विशेष बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में महिलाओं के पक्ष पर पूरा ध्यान दिया गया है; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अन्यो के समकक्ष लाने हेतु उनके शैक्षिक विकास पर बल दिया गया है; खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहनों तथा पहाड़ी एवं रेगिस्तानी जिलों; दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों एवं द्वीपसमूहों के लिए पर्याप्त सांस्थानिक आधारभूत ढांचे का प्रावधान है।

(ग) और (घ) मुख्यत: शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र के प्रयास से अनेक योजनाएं शुरू की गई—यथा महिला समाख्या, क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (यथा पुन: नामित), माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं में साक्षरता में बढ़ोतरी के लिए कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय। इस प्रयोजनार्थ बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जाता है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए पुरस्कार

3174. श्री अनंत गुढ़े : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा ड्यूटी के दौरान असाधारण साहस और शौर्य दिखाते समय मरने वाले अथवा गंभीर रूप से घायल होने वाले अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जा रहा है;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के मारे गये अथवा घायल हुए कर्मचारियों को दिये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से असाधारण शौर्य और ड्यूटी के प्रति निष्ठा दिखाने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की बारी से पहले पदोन्नति से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार अथवा दिल्ली पुलिस द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) ऐसे मामलों में अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवजा प्रदान करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा अपनाए गए मानदंड वही है जो कि केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 11 सितम्बर, 1998 के

का०ज्ञा०सं० 45/55/97-पी एंड पी डब्ल्यू (सी) में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

(ख) गत तीन महीनों के दौरान, दिल्ली पुलिस के चार कर्मी, ड्यूटी के समय, अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। उनमें प्रत्येक के मामले में 5 लाख रु० का अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवजा दिया गया और एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुमत अन्य सेवा निवृत्ति लाभ दिए गए। इसी अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के दो कर्मी भी जख्मी हुए और उनहों लगी चोटों के स्वरूप के आधार पर भिन्न-भिन्न पुरस्कार दिए गए।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान। गत एक वर्ष के दौरान ऐसे सात अभ्यावेदन प्राप्त हुए और केवल एक मामले, जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, को छोड़ कर संबंधित पुलिस कर्मियों को साहसपूर्ण कार्य के अनुरूप पुरस्कार दिए गए।

[हिन्दी]

बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् को मान्यता प्रदान करना

3175. **श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा और राजस्थान सरकार को बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना की मान्यता को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार ने अपने-अपने तकनीकी महाविद्यालायों में बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद से अपने प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन आरंभ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) जी, हां। इस संबंध में एक बैठक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सामान्य प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित दाखिलों के लिए सभी स्कूल बोर्ड/परिषद् एक दूसरे के प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करेंगे। अन्य मामलों में दाखिला देने वाली संस्थाओं द्वारा लगाई गई शर्तें लागू होंगी। संबंधित राज्य सरकारों को लिए गए निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायित्र (इनक्यूबैटर्स)

3176. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** 26.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1187 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायित्र (इनक्यूबैटर्स) (टी०बी०आई०) की स्थापना हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान इन तीन संस्थानों में से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक संस्थान में अनुसंधान और विकास तथा उद्यमशीलता संबंधी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमताएं थीं;

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक संस्था की क्षमताओं का ब्यौरा क्या था और किस वर्ष इन संस्थाओं की स्थापना की गयी थी;

(घ) किसी संस्था में प्रौद्योगिकी ऊष्मायित्र (इनक्यूबैटर्स) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता एकीकृत करने के लिए कौन-कौन से कारकों पर विचार किया गया;

(ङ) क्या वित्तीय सहायता प्राप्त न कर पाने वाले संस्थानों को उनके मामलों की अस्वीकृति के कारणों से अवगत करा दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) वर्ष 2001-2002 में टी बी आई की स्थापना करने हेतु स्वीकृत तीन संस्थानों में से केवल सी डी सी - आर वी टाइफैक, बंगलौर को वर्ष 2001-2002 में 30 लाख रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ख) और (ग) टी बी आई स्थापित करने की इच्छा रखने वाले संस्थानों की आर एड डी एवं उद्यमवृत्ति के क्षेत्र में क्षमताओं का मूलयांकन एक राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिक, अकादमीविद, तकनीकीविद, वित्तीय एवं अन्य संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति प्रस्तावित क्रियाकलापों के क्षेत्र में इन संस्थानों की क्षमताओं से संतुष्ट थी।

वर्ष 2001-02 में टी बी आई स्थापित करने हेतु अनुमोदित संस्थानों की स्थापना का वर्ष निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	स्थापना का वर्ष
1.	महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एंड टैक्नीकल कन्सलटेंसी ऑर्गेनाइजेशन, पुणे	1982
2.	जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	1987
3.	आर वी - टाइफैक, कॉम्पोजिट डिज़ाइन सेंटर, बंगलौर	1997

(घ) किसी संस्थान में टैक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है:-

- संस्थान को जानकारी एवं प्रौद्योगिकी का स्रोत होना चाहिए/ऐसे संस्थाानों के साथ औपचारिक संयोजन होना चाहिए।
- संस्थान की प्रबल वचनबद्धता एवं इच्छा।
- मूल संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं और विशेषज्ञता।
- क्षेत्र में उद्यमवृत्ति संस्कृति और औद्योगिक माहौल।
- आर एंड डी कार्य और/अथवा इसके वाणिज्यीकरण का ट्रैक रिकार्ड।
- अन्य आर एंड डी संस्थानों एवं अन्य एजेंसियों के साथ निकटता और संयोजन।
- भूमि एवं भवन की उपलब्धता।

(ङ) जिन संस्थानों को वित्तीय सहायता नहीं उपलब्ध्ण कराई गई, उन्हें उनके मामलों को रद्द करने के कारणों से अवगत करा दिया गया था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एंथ्रैक्स रोधी नये टीके का विकास

3177. श्री वाई०वी० राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाग ने रिकॉम्बीनेन्ट प्रोटेक्टिव एंटीजन आधारित एंथ्रैक्स रोधी टीके के विकास की तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे उद्योग को अंतरित कर दिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में परीक्षण जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस टीके को कब तक बाजार में उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की वित्तीय सहायता से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और जैवरसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र, दिल्ली (जो अब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिड बायोलॉजी कहलाता है) से वैज्ञानिकों के एक दल ने संयुक्त रूप से एक रीकॉम्बीनेंट कैंडीडेट एंथ्रैक्स टीके का विकास किया है।

(ख) यह प्रौद्योगिकी उद्योग को हस्तांतरित कर दी गई है।

(ग) और (घ) इस कैंडीडेट टीके पर इस समय रेग्युलेटरी चिकित्सा-पूर्व विषविज्ञान संबंधी अन्वेषण कार्य चल रहा है। अब तक पशुओं में इसके परिणामों से यह देखा गया है कि यह सुरक्षित है और इसका कोई विषैला/विपरीत प्रभाव नहीं है।

(ङ) विनियामक प्राधिकरण से मंजूरी के पश्चात् स्वैच्छिक व्यक्तियों में सीमित चिकित्सीय परीक्षण किए जाएंगे। उद्योग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार जुलाई 2003 तक इस टीके के उपलब्ध हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

नोराड योजना

3178. श्री छत्रपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार नोराड योजना के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक संस्थान को 3 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नोराड योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को उक्त राशि नहीं दी है जिसके कारण राज्य सरकारें, स्वयंसेवी संगठनों से 3 प्रतिशत राशि ले रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) स्वयंसेवी संगठनों से ली गई 3 प्रतिशत धनराशि उन्हें कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में स्वयंसेवी संगठनों से 3 प्रतिशत राशि न ली जाए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, सरकार महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के कारगर प्रबोधन हेतु राज्य महिला विकास निगमों को कुल परियोजना लागत के 3% की दर से प्रबोधन प्रभार प्रदान करती है। प्रबोधन प्रभारों के लिए राज्य महिला विकास निगमों से प्राप्त दावों को समुचित जांच के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है।

संगठनों को निर्मुक्त कार्यक्रम राशि में से प्रबोधन प्रभारों को काट लेने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। राज्यों को निदेश दिया गया है कि वे इस प्रकार राशि की कटौती बंद कर दें और इस प्रकार काटी गई रकम स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त कर दें।

[अनुवाद]

मेगा सिटी योजना के अन्तर्गत हैदराबाद के लिए आबंटन

3179. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेगा सिटी योजना में अवसंरचना विकास के अंतर्गत हैदराबाद के लिए वास्तविक आबंटन योजना परिव्यय से काफी कम था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत किसी मेगा शहर के योजना परिव्यय को ध्यान में न रखते हुए संसाधनों की उपलब्धता और निर्धारित फारमूला के अनुसार हैदराबाद सहित पांच मेगा शहरों को धन जारी की जाती है। तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके अर्थात् जारी की जा चुकी राशि और नोडल एजेंसी को राज्य अंश जारी करने के बाबत उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद हैदराबाद मेगा शहर के लिए धनराशि जारी की जाती है। नोडल एजेंसी द्वारा वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाना भी अपेक्षित है।

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड

3180. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सहकारी कंपनियों 'इफको' और 'कृभको' को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बोली लगाने की अनुमति प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) विनिवेश प्रक्रिया में इफको और कृभको की सहभागिता के मुद्दे की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी.) के अंतर्गत महाराष्ट्र द्वारा योजनाएं प्रस्तुत किया जाना

3181. **श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को वर्ष 1995 में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत 20,000 से कम जनसंख्या वाले 36 शहरों की योजनाएं वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत की थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयीं और रारज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) शेष योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार शेष योजनाओं की स्वीकृति के लिए बहुत दबाव डाल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) वर्ष 1993-94 में केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) प्रारंभ किए जाने के बाद से कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी), महाराष्ट्र सरकार ने 33 कस्बों में जलापूर्ति स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से 20 कस्बों के लिए मंत्रालय 49.06 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर स्कीमें अनुमोदित कर चुका है और 24.53 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता का पूरा अंश महाराष्ट्र सरकार को जारी किया जा चुका है। कार्यक्रम शुरू करने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान धन की कमी होने के कारण त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शेष 13 स्कीमें अनुमोदित नहीं की जा सकी और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को वापस कर दी गई। तत्पश्चात, राज्य सरकार से स्कीमों में संशोधन करने और शेष स्कीमों के लागत अनुमानों को अद्यतन करने के लिए कहा गया था। इस दौरान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उपर्युक्त स्कीमों का निष्पादन प्राधिकरण ने अपने संसाधनों से शुरू कर दिया था ओर वे पूरी होने वाली हैं। अत: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने इन स्कीमों को प्रस्तावित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम स्कीमों की सूची में से हटा दिया है। तथापि, कोल्हापुर जिले में बड़ागांव कस्बे के लिए एक स्कीम अक्तूबर, 2002 में इस मंत्रालय में प्राप्त हुई है और उसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

तकनीकी समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार

3182. श्री जय प्रकाश : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में डीडीए के फ्लैट मालिकों को फ्लैटों के मौलिक ढांचे में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता अनुभव करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मुद्दे पर कब विचार करेगी और इस संबंध में कब आवश्यक निर्णय लेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) निवासी कल्याण एसोसिएशन संघ, सरिता विहार, नई दिल्ली द्वारा दायर सिविल रिट याचिका सं० 3482/2001 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27.9.2002 के फैसले के अनुसरण में तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करने और दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में आवृत्त क्षेत्रफल बढ़ाने की व्यवहार्यता के बारे में सुझाव देने के लिए 25.11.2002 को एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास

3183. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी महिला मजदूरों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी में रिक्तियां भरने, केन्द्रीय खरीद का दुरुपयोग, आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषाहार न दिये जाने और स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप (जैसा कि नीति दस्तावेज में परिकल्पित किया गया था) जैसे त्रुटिपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में, 'उदिशा' नामक देश-व्यापी अभिनव व विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करना; आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्यों को कहना; राज्य स्तर पर दवा-किटों व स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की अधिप्राप्ति व आपूर्ति का विकेन्द्रीकरण करना; स्वास्थ्य विभागों/कार्यकर्ताओं के साथ अंतर-क्षेत्रीय संकेन्द्रण हेतु राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना शामिल हैं।

दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०) द्वारा ठेकेदारों को फर्जी भुगतान

3184. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उप-प्रधान मंत्री दिनांक 16.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3599 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्रिक कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली नगर निगम ने सरकार को अभी तक अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

3185. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना अवधि के लिए पहले ही धनराशि स्वीकृत/जारी की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंगीकृत 10वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर का उद्देश्य खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की पर्याप्त खपत को बढ़ाना, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और प्रारम्भिक सफाई जैसी बुनियादी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता, सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसरों का विस्तारण, असमानता को कम करना, निर्णय लेने के कार्य में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है एप्रोच पेपर में निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों ने अपनी 10वीं योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित रणनीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, दक्षता में वृद्धि, निजी भागीदारी के लिए वातावरण बनाना, उन नीतियों को अपनाना जिससे आर्थिक गतिविधियों का व्यापक रूप से विस्तार हो ताकि रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, सम्मिलित हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अनेक स्कीमें प्रस्तावित हैं। पूर्वोत्तर राज्य योजना और पूर्वोत्तर परिषद योजना में निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत स्कीमों को मिला दिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर के विकास के लिए सेकटीरल स्कीमों के अन्तर्गत निधि परिव्यय निम्न प्रकार से है:-

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	सेकटोरल स्कीमें	कुल पूर्वोत्तर राज्य योजना	कुल पूर्वोत्तर परिषद योजना
1.	कृषि और संबंद्ध गतिविधियां	263622	19830
2.	ग्रामीण विकास	202057	—
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	61890	—
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	175592	13317
5.	ऊर्जा/विद्युत उत्पादन	298264	56325
6.	उद्योग और खनिज	123977	16300
7.	परिवहन	387977	144732
8.	संचार	900	—
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	7221	17200
10.	आम आर्थिक सेवाएं	121568	1000
11.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	159778	54206
12.	सामाजिक सेवाएं	1004903	14833
13.	प्रशासनिक सेवाएं, प्रशिक्षण और प्रचार	62247	12257
14.	कुल परिचय	2869996	350000

(ख) और (ग) वर्ष 2002-2003 में 4.12.2002 तक, के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आबंटित और रिलीज की गई राशि का विवरण।

(रु० करोड़ों में) अनंतिम

क्र० सं०	योजना सहायता के अन्तर्गत मदें	अरुणाचल प्रदेश		असम		मणिपुर		मेघालय	
		आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	492.07	365.32	1212.37	1108.26	362.42	247.11	301.10	197.69
2.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता	8.00	0.04	56.00	1.25	50.00	0.17	18.00	0.18
3.	मलीन बस्ती विकास स्कीम	1.04	—	2.96	—	1.04	—	1.04	—
4.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	10.00	1.22	190.07	51.46	75.60	2.10	10.00	7.83
5.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (अन्य) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	65.00	36.59	190.00	100.00	48.00	24.00	41.12	20.56
6.	शहरी संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पहल	0.40	—	5.95	—	1.00	—	—	—
7.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	9.00	—	35.00	3.09	28.00	5.50	4.00	—
8.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	13.51	6.76	7.48	3.74	4.16	2.08	4.70	4.70
9.	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	—	—	51.11	17.03	—	—	—	—
10.	त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम	18.00	—	59.70	10.95	18.00	2.67	18.00	—
11.	गैर व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2.44	1.71	41.49	32.20	4.31	3.23	4.67	3.50
13.	ग्रामीणी विद्युतीकरण (यदि कोई हो)	19.22	6.00	53.04	30.00	0.70	1.35	37.44	15.00
14.	विकास सुधार कार्यक्रम	—		—	—	—	—	—	—
15.	विशेष केन्द्रीय सहायता	—		—	—	100.00	100.00	—	—

स्रोत—वित्त मंत्रालय

(रु० करोड़ों में)

क्र० सं०	योजना सहायता के अन्तर्गत मदें	मिजोरम		नागालैंड		सिक्किम		त्रिपुरा	
		आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	346.93	260.20	366.82	272.33	233.97	175.48	510.95	379.34
2.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता	15.00	0.07	22.64	0.17	7.00	0.07	31.00	0.91
3.	मलीन बस्ती विकास स्कीम	1.04	—	1.04	—	1.04	—	1.04	0.52
4.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	25.00	10.58	9.25	1.76	16.00	4.32	5.70	0.87
5.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (अन्य) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43.00	21.50	25.26	22.63	30.00	15.00	50.00	28.46
6.	शहरी संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पहल	—	—	0.60	—	0.10	—	0.95	—
7.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	1.50	—	5.00	—	1.50	0.75	28.00	10.77
8.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8.32	8.32	4.16	—	5.72	2.86	12.96	6.48
9.	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम	18.00	2.67	18.00	2.57	18.00	2.67	18.00	2.67
11.	गैर व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	1.24	0.99	3.05	2.45	1.20	0.96	7.54	5.66
13.	ग्रामीण विद्युतीकरण (यदि कोई हो)	—	—	0.76	0.65	—	—	—	—
14.	विकास सुधार कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	विशेष केन्द्रीय कार्यक्रम	—	48.42	—	—	—	—	—	—

[अनुवाद]

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

3186. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों की यूरिया की मांग को पूरा करने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत कितनी है;

(ग) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को यूरिया और उर्वरकों की की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों की यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, हां।

(ख) उर्वरकों की राज्यवार प्रति हैक्टेयर खपत दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान प्रमुख उर्वरकों नामतः यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) की राज्यवार आपूर्ति और बिक्री का संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर भारत सरकार का मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण है। प्रत्येक राज्य की यूरिया की मांग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आबंटन के माध्यम से पूरा किया जाता है। दूसरी ओर, अन्य नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मांग को पी तथा के उर्वरकों के लिये रियायत योजना के मानदंडों के भीतर प्रचलित बाजार शक्तियों द्वारा पूरा किया जाता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन उर्वरकों का कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, आवश्यकता की स्थिति में और राज्य सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार की ओर से मै० इंडियन पोटाश लि० द्वारा संचालित किए जा रहे बफर स्टाक से डीएपी/एमओपी की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 के दौरान बुआई क्षेत्र के लिए उर्वरक पोषकों की अनुमानित प्रति हैक्टेयर खपत

क्रम स०	राज्य	पोषक (एन+पी+के) किग्रा० में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	143
2.	कर्नाटक	101
3.	केरल	61
4.	तमिलनाडु	142
5.	गुजरात	86
6.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	40
7.	महाराष्ट्र	76
8.	राजस्थान	37
9.	गोवा	34
10.	हरियाणा	156
11.	पंजाब	173
12.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	130
13.	हिमाचल प्रदेश	41
14.	जम्मू-कश्मीर	65
15.	दिल्ली	60
16.	बिहार (झारखंड सहित)	87
17.	उड़ीसा	41
18.	प० बंगाल	127
19.	असम	39
20.	त्रिपुरा	30
21.	मणिपुर	105
22.	मेघालय	17
23.	नागालैंड	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	3
25.	मिजोरम	14
26.	सिक्किम	10
	अखिल भारत	90

विवरण-II

वर्ष 2001-02 के दौरान प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति (उपलब्धता) और बिक्री

(000 टन)

क्रम सं०	राज्य	यूरिया		डीएपी		एमओपी	
		उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2140.07	1766.29	618.66	538.96	296.21	263.15
2.	कर्नाटक	976.01	922.95	460.55	380.73	260.66	232.08
3.	केरल	117.41	96.04	14.31	10.01	115.86	99.35
4.	तमिलनाडु	976.18	771.60	255.83	232.91	352.52	313.39
5.	गुजरात	1100.50	91.05	452.25	400.13	148.47	106.81
6.	मध्य प्रदेश	918.67	700.18	571.24	399.15	52.31	27.50
7.	छत्तीसगढ़	454.15	366.15	128.91	93.55	47.29	31.58
8.	महाराष्ट्र	1867.10	1610.82	502.24	420.16	294.92	232.16
9.	राजस्थान	1274.71	1106.15	453.59	358.25	12.04	9.73
10.	गोवा	3.27	3.16	0.73	0.63	0.71	0.68
11.	हरियाणा	1726.06	1445.35	606.57	460.05	26.50	14.52
12.	हिमाचल प्रदेश	46.81	44.84	0.20	0.20	3.83	3.83
13.	जम्मू-कश्मीर	95.54	81.83	39.45	34.48	3.10	2.45
14.	पंजाब	2198.01	1982.39	844.20	701.58	63.33	42.98
15.	उत्तर प्रदेश	5478.13	4773.56	1612.38	1339.77	150.89	87.83
16.	उत्तरांचल	212.11	162.86	21.79	18.56	4.93	3.06
17.	दिल्ली	11.23	4.78	1.93	1.93	0.00	0.00
18.	बिहार	1400.46	1214.59	218.74	187.79	100.27	75.71

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	झारखंड	176.45	135.29	115.63	104.94	2.55	2.14
20.	उड़ीसा	540.18	398.23	109.65	83.33	100.84	82.77
21.	प० बंगाल	1122.76	960.87	428.86	370.24	386.73	302.32
22.	असम	162.01	124.02	34.41	22.54	80.68	51.44
23.	मणिपुर	40.99	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	मेघालय	5.93	5.71	1.76	1.76	0.10	0.10
25.	नागालैंड	1.28	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	सिक्किम	1.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	22.06	15.50	0.28	0.28	1.24	1.24
28.	अरुणाचल प्रदेश	1.59	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	मिजोरम	1.28	0.22	0.00	0.00	0.02	0.02
	अखिल भारत	23099.07	19745.54	7502.14	6168.95	2514.08	1993.62

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोयला भंडार

3187. **श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विशाल कोयला भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में इन भंडारों की खोज के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) देश में कोयला भंडारों का पता लगाने के लिए अन्वेषण भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। वर्धा घाटी, कामठी, उमरेर, बंडेर, नंद तथा बोखारा कोलफील्ड्स महाराष्ट्र में स्थित है। जी०एस०आई० द्वारा आकलित किए अनुसार, 1.1.2002 को महाराष्ट्र के कोलफील्डों में भू-गर्भीय भंडारों की सूची नीचे दी गई है:-

(बिलियन टन)

कोलफील्ड	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
वर्धा घाटी	2.73	1.01	1.37	5.11
कामठी	1.13	0.92	0.15	2.20
उमरेर-मकरधोकरा	0.31	—	—	0.31
बंडेर	0.24	0.12	—	0.36
नंद	0.07	—	—	0.07
बोखारा	0.01	—	0.02	0.03
जोड़	4.49	2.05	1.54	8.08

(ग) से (ङ) दसवीं योजना तैयार करने के लिए, कोयला तथा लिग्नाइट पर कार्य-दल के उप-दल-II ने दसवीं योजना के दौरान किए जाने वाले क्षेत्रीय / प्रोन्नत तथा विस्तृत अन्वेषण का कार्यक्रम बनाया है। दसवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के कोलफील्डों में क्षेत्रीय तथा विस्तृत अन्वेषण का कार्यक्रम नीचे दिए अनुसार है:-

अन्वेषण की प्रकृति	कोलफील्ड	संभावित ग्रेड	संभावित भूगर्भीय भंडार (मि०ट०)	ड्रिलिंग मीटरेज
क्षेत्रीय	वर्धा घाटी	घटिया	अनुमानित नहीं	5500
प्रोन्नत	वर्धा घाटी	घटिया	825	32500
	कम्प्टी	उच्च/घटिया	400	12000
	उमररे-बंडेर	उच्च/घटिया	200	10000
उप जोड़ क्षेत्रीय/प्रोन्नत			1425	60000
विस्तृत	वर्धा घाटी	उच्च/घटिया	1023	71300
	उमरेर - बंडेर	उच्च/घटिया	225	30500
उप जोड़ विस्तृत			1248	101800
जोड़			2673	161800

दसवीं योजना के दौरान 60,000 मीटर की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के साथ महाराष्ट्र के कोलफील्डों में क्षेत्रीय तथा प्रोन्नत अन्वेषण किया जाएगा जिससे ''निर्दिष्ट'' श्रेणी में 1425 मि०ट० से अधिक का कोयला संसाधन आधार स्थापित होने का अनुमान है।

महाराष्ट्र के कोलफील्डों में 1,01,800 मीटर की ड्रिलिंग के साथ विस्तृत अन्वेषण किया जाएगा, जिससे दसवीं योजना के दौरान ''प्रमाणित'' श्रेणी में लगभग 1248 मीटर के भंडार स्थापित होने का अनुमान है।

छोटे मकानों के कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड

3188. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य प्रशासन के पास छोटे मकानों, भवनों आदि के आबंटन संबंधी कम्प्यूटरीकृत अभिलेख है;

(ख) यदि हां, तो क्या आम लोग उक्त अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में मामलों के अभिलेख संपदा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और अभिलेख पुनः बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, संबंधित सूचना आबंटियों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) और (घ) कुछेक ऐसे मामले हैं जिनमें पूर्ण दस्तावेजों की मांग नहीं की गई थी चूंकि आबंटन, प्रभावित झुग्गी/झोपड़ी निवासियों को पुनः स्थापित करने की अत्यावश्यकता के उद्देश्य से, अधिकारियों की एक टीम द्वारा मौके पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था।

विश्वविद्यालयों में युवाओं का नामांकन

3189. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विश्वविद्यालयों में 18 से 24 वर्ष की उम्र के केवल 6 प्रतिशत युवा ही नामांकित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या भारत के विश्वविद्यालयों में नामांकन दर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालयों में नामांकन प्रतिशतता बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट, 2000 के अनुसार भारत में सम्बंधित आयु समूह के केवल 6 प्रतिशत व्यक्ति ही उच्चतर शिक्षा में दाखिला लेते हैं जबकि उच्चतर शिक्षा में दाखिला लेने वाले

इसी आयु समूह के व्यक्ति अमरीका में 80 प्रतिशत, ब्रिटेन में 50 प्रतिशत और यूरोपीय तथा तेजी से विकसित हो रहे देशों में 25-31 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में यह प्रस्ताव किया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर सम्बन्धित आयु समूह के व्यक्तियों के उच्चतर शिक्षा में नामांकन को 10 प्रतिशत तक लाया जाएगा:-

– संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करके

– दाखिला क्षमता को बढ़ाकर और

– औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं का अभिसरण करके।

भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता के संशोधन के संबंध में सम्मेलन

3190. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता के संशोधन के संबंध में हाल में नई दिल्ली में एक दो-दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया कि पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाये बिना भवनों/आवास इकाइयों के निर्माण हेतु समेकित नियोजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय भवन संहिता की सूक्ष्म जांच की जाये;

(ग) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों और उन्हें लागू करने हेतु योजना पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) औपचारिक सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं। तथापि, यह सुझाव दिया गया था कि न केवल भवनों की आयोजना, डिजाइन करने और निर्माण में नवीनतम तकनीकों के प्रयोग बल्कि साथ ही भवन की मियाद पूरी होने तक उसके अनुरक्षण, प्रचालन ओर मरम्मत/जीर्णोद्धार संबंधी पहलुओं को उससे जोड़ने को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय भवन संहिता की पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण संबंधी पहलुओं के बारे में कहा गया है कि संहिता में देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को पूरा करने और मौसम और पर्यावरणात्मक स्थितियों, भौगोलिक स्थान, क्षेत्र-विशेष को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं, परिस्थितिकीय वातावरण को बनाए रखने वाली प्रक्रियाएं और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के प्रयोग, प्रदूषण कम करने के तरीकों, स्थानीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डी०एड० कालेजों में शिक्षकों/प्रधानाचार्य की नियुक्ति

3191. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली ने डी०एड० कालेजों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये कुछ नई पात्रता शर्तें जोड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र ने एन०सी०टी०ई० से उक्त पात्रता शर्तों में कुद छूट की मांग की है; और

(ग) एन०सी०टी०ई० द्वारा इस पर लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) 4.9.2001 के राजपत्र में अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2001 में (शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता हेतु योग्यता और मानदण्ड) डी.एड. कॉलेजों में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए संशोधित पात्रता मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित को अनुमोदित कर दिया है:

(I) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना से पूर्व सरकारी तथा गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा

कालेजों के मामले में प्रति वर्ष 50 छात्रों की यूनिट के लिए प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के अलावा कम से कम चार शिक्षक होने चाहिए। राज्य सरकार इन संस्थाओं में कम से कम एक अल्पकालिक शिक्षक भी उपलब्ध कराएंगी।

(II) प्रधानार्चा तथा शिक्षकों को जून 2007 तक निर्धारित अर्हता हासिल करनी होगी।

(III) बीएड के साथ स्नातकोत्तर के मामले में माध्यमिक स्कूलों के अनुभव को भी डी.एड. संस्था में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वैध अर्हता माना जा सकता है।

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन

3192. **श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुच्छेद 371 में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कर्नाटक में रोजगार में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के संबंध में क्षेत्रवार आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कर्नाटक सरकार से आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371घ के उपबंधों की तर्ज पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

3193. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा और सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बैठकों में भाग लिया करते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने झूठे दावों को निरस्त करने हेतु पेटेंट की जांच करने वालों की तत्काल जानकारी के लिये परंपरागत ज्ञान संबंधी मुद्दों से सम्बंधित राष्ट्रीय पत्र - पत्रिकाओं अथवा गजट के ब्यौरे सहित चिकित्सीय ज्ञान, कृषि संबंधी ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान समेत पारंपरिक ज्ञान के संबंध में 26 अप्रैल, 2002 से पहले योगदान प्रस्तुत करने का आमंत्रण दिया है;

(घ) यदि हां, तो सी०एस०आई०आर० द्वारा ''वैल्थ आफ इंडिया'' और चिकित्सीय तथा सुगंधित पौधों के संबंध में प्रकाशित लेख सहित प्रस्तुत किया गया ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'वैल्थ आफ इंडिया' से प्राप्त जानकारी का प्रयोग घावों के इलाज हेतु हल्दी के प्रयोग के संरक्षण हेतु होता था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान

3194. **श्री दानवे रावसाहेब पाटिल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चल रहे ग्रामीण प्रबंधन संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 2002-2003 के दौरान ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान

की कोई योजना नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई योजना के अनुसार देश में इस समय 12 ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान कार्यरत हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनधिकृत कालोनियों का नियमन और मास्टर प्लान में परिवर्तन

3195. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री राममोहन गाड्डे :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनधिकृत कालोनियों के नियम, दिल्ली के मास्टर प्लान में परिवर्तन और मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन संबंधी कई मुद्दे केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई नगर नियोजन विशेषज्ञों ने दिल्ली के मास्टर प्लान को बदले जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त मुद्दों पर कोई कार्रवाई की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; .

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इन मुद्दों पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (झ) दिल्ली में रिहायशी तथा अन्य भवनों के बारे में अपनाए जाने वाले विकास नियंत्रण मानदण्डों, अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण तथा दिल्ली के नियोजित विकास से संबंधित अन्य मामलों से सम्बद्ध अनेक मुद्दों पर समय-समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है। इस बारे में सरकार ने भी स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके मामलों की समय-समय पर जांच की है अथवा इन विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए कतिपय समितियां बनाई हैं। ऐसे परामर्शों के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 4 दिसंबर, 1997 को नियुक्त वी०के० मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर सरकार ने दिनांक 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना के तहत रिहायशी भवनों संबंधी विकास नियंत्रण मानदंडों को संशोधित किया था। यह अधिसूचना 7 जून, 2000 की अन्य अधिसूचना की शर्त के अधीन थी जिस पर सरकार द्वारा नवंबर, 2001 में स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इस प्रकार के विकास नियंत्रण मानदंडों की प्रयोज्यता का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) सं० 725/94 एम०सी० मेहता बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित विषय सामग्री है जिस पर मामला न्यायाधीन है। जहां तक अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का प्रश्न है, सरकार कतिपय दिशा-निर्देशों के आधार पर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गई थी। ये दिशा-निर्देश तथा ऐसे नियमितीकरण का मुद्दा सी०डब्ल्यू०पी० सं० 4771/93-सामान्य कार्य बनाम भारत संघ की विषय सामग्री है जिसमें सरकार को दिल्ली में आगामी आदेशों तक अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से रोका गया है। ये मामला न्यायाधीन है।

दिल्ली में भूमि के उपयोग तथा विशेषकर मास्टर प्लान सहित दिल्ली के योजनाबद्ध विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को स्थानीय निकायों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उठाया जाता है तथा सरकार द्वारा तदनुसार उनकी जांच की जाती है। तथापि, 2021 के लिए दिल्ली का मास्टर प्लान नक्शा तैयार करने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। किसी भी मास्टर प्लान दस्तावेज को अंतिम रूप देने अथवा उसमें कोई संशोधन/परिशोधन करने से पूर्व सरकार द्वारा जनता की राय, टिप्पणियां/सुझाव मांगे जाते हैं। दिल्ली में योजनाबद्ध शहरी विकास से संबंधित मुद्दे नियमित स्वरूप के होते हैं तथा इनको न्यायालयों एवं अन्य मंचों पर उठाया जाता है। उनके अंतिम निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

आई०डी०एस०एम०टी० के अंतर्गत दी गयी केन्द्रीय निधि हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र

3196. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री अम्बरीश :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान लघु और मध्यम नगरों के समेकित विकास के अंतर्गत दी गयी केन्द्रीय निधि हेतु अब तक उपयोग प्रमाण-पत्र न भेजने वाले राज्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों के मार्फत कस्बों को केन्द्रीय राशि किस्तों में जारी की जाती है और तदनुसार राज्य सरकारों के मार्फत ही संबंधित कस्बों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र भेजने होते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान शामिल नए कस्बों, द्वारा अभी तक उपयोग प्रमाण-पत्र न भेजे जाने के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजने वाले कस्बों की सूची

क्रमांक	राज्य/कस्बा	शामिल करने का वर्ष
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	गजुवाका	99-2000
2.	रामगुंडम	99-2000
3.	महबूब नगर	99-2000
4.	मंडापेटा	99-2000
5.	तेनाली	2000-01
6.	नाल गोडा	2000-01
7.	नदियाल	2001-02
8.	सुरैयापेट	2001-02
9.	बपातला	2001-02
10.	कोवूर	2001-02
11.	नूजीविडू	2001-02
12.	सिरसिल्ला	2001-02
13.	पेडाना	2001-02
14.	सदाशिवपेट	2001-02
15.	अनकापल्ले	2001-02
16.	कादिरी	2001-02
	अरुणाचल प्रदेश	
17.	चंगलोग	99-2000
18.	सेप्पा	99-2000
19.	रोइंग	2001-02
	असम	
20.	हेलाकंडी	99-2000
21.	धेमाजी	99-2000
22.	बोकाखाट	2000-01
23.	डिगबोई	2000-01
24.	डिब्रूगढ़	2001-02
25.	होजई	2001-02
26.	बिश्वनाथचेरियाली	2001-02
	बिहार	
27.	अरारिया	2000-01
28.	खगरिया	2000-01

1	2	3
29.	नरकटियागंज	2001-02
30.	औरंगाबाद	2001-02
31.	भभूआ	2001-02
	छत्तीसगढ़	
32.	भटापार	99-2000
33.	रायपुर	2000-01
34.	बैंकुठपुर	2001-02
35.	कठगोरा	2001-02
36.	धमतरी	2001-02
37.	कोरबा	2001-02
	गोवा	
38.	मापुसा	99-2000
39.	परनेम	99-2000
40.	कनाकोना	2000-01
	गुजरात	
41.	धौलका	99-2000
42.	अंजर	99-2000
43.	ऊना	99-2000
44.	अमरेठ	99-2000
45.	गांधीधाम	2000-01
46.	जेतपुर	2000-01
47.	धरंगधारा	2000-01
48.	कपड़वंज	2000-01
49.	कोडीनाड़	2001-02
50.	वंकानेर	2001-02
51.	लिम्बड़ी	2001-02
52.	धनधुका	2001-02
53.	खेड	2001-02
54.	प्रांतिज	2001-02
55.	काडी	2001-02
56.	बगसरा	2001-02
57.	खंभलिया	2001-02
	हरियाणा	
58.	भिवानी	2000-01
59.	अंबाला सिटी	2000-01
60.	सिरसा	2001-02
61.	हांसी	2001-02
62.	कुरूक्षेत्र	2001-02
	हिमाचल प्रदेश	
63.	सोलन	99-2000
64.	चंबा	99-2000
65.	ठियोग	99-2000
66.	कुल्लु	99-2000
67.	पालमपुर	2000-01
68.	ज्वालामुखी	2001-02
69.	पौंटा साहिब	2001-02

1	2	3
	जम्मू कश्मीर	
70.	अनंत नाग	2001-02
	कर्नाटक	
71.	नवलगुंड	99-2000
72.	मानवी	99-2000
73.	दावनगेरि	99-2000
74.	गुलबर्ग	99-2000
75.	अठनी	2000-01
76.	अलन्द	2000-01
77.	विरूर	2000-01
78.	देवनहल्ली	2000-01
79.	चामराजनगर	2001-02
80.	मुंडरगी	2001-02
81.	केरूर	2001-02
82.	हनागल	2001-02
83.	इंदी	2001-02
84.	टुमकुर	2001-02
	केरल	
85.	ओट्टापल्लम	99-2000
86.	नॉर्थ पेरावूर	2000-01
87.	कुडूगलूर	2000-02
88.	इंरजलाकुडा	2000-02
89.	पाला	2000-02

1	2	3
90.	पोन्नानी	2001-02
	मध्य प्रदेश	
91.	खजुराहो	99-2000
92.	झाबुआ	99-2000
93.	खुरई	99-2000
94.	धनपुरी	2000-01
95.	नागौड	2000-01
96.	नौगांव	2000-01
97.	सोनकच्छ	2000-01
98.	बरवानी	2001-02
99.	जवाड	2001-02
100.	राजपुर	2001-02
101.	चोरई	2001-02
102.	गढाकोटा	2001-02
103.	सिद्धि	2001-02
104.	रायसेन	2001-02
105.	चुरहट	2001-02
106.	लहर	2001-02
107.	हट्टा	2001-02
	महाराष्ट्र	
108.	सताना	99-2000
109.	धमनगांव	99-2000
110.	उमरखेड	2000-01

1	2	3
111.	फैजपुर	2000-01
112.	रावेर	2000-01
113.	देसईगेज	2001-02
114.	अकोला	2001-02
	मणिपुर	
115.	मोईरंग	2001-02
116.	कुम्बी	2001-02
	मेघालय	
117.	शिलांग	99-2000
	मिजोरम	
118.	लेंगपुई	2001-02
	नागालैंड	
119.	दीमापुर	2000-01
120.	किफिरे	2000-01
	उड़ीसा	
121.	आनंदपुर	99-2000
122.	सौरव	99-2000
123.	बरपाली	99-2000
124.	बालासौर	99-2000
125.	अस्का	2000-01
126.	बंकी	2000-01
127.	करंजिया	2001-02
128.	केसिंगा	2001-02
129.	बालूगांव	2001-02
130.	राजगंगपुर	2001-02
131.	चिकिती	2001-02
132.	तलचेर	2001-02
133.	गुनूपुर	2001-02
134.	रायरंगापुर	2001-02
	पंजाब	
135.	सुल्तानपुर लोधी	99-2000
136.	कपूरथला	99-2000
137.	नकोदर	99-2000
138.	जगरांव	2000-01
139.	दसूया	2000-01
140.	गढ़शंकर	2001-02
	राजस्थान	
141.	हनुमानगढ़	2000-01
142.	बलोत्रा	2000-01
143.	डिडवाना	2000-01
144.	नाथद्वारा	2001-02
145.	भंडेर	2001-02
146.	सूरतगढ़	2001-02
	सिक्किम	
147.	जोरेथंग	99-2000
148.	पक्योग	99-2000

1	2	3
149.	गिजिग	2000-01
150.	सौरेग	2000-01
151.	रंगलीबाजार	2001-02
	तमिलनाडु	
152.	देवाकुट्टई	99-2000
153.	वेल्लोर	99-2000
154.	कन्याकुमारी	99-2000
155.	किनयूकडवू	2000-01
156.	विलाथीकुल्लम	2000-01
157.	पेरावूरानी	2000-01
158.	चैंगम	2000-01
159.	पेरियाकुल्लम	2001-02
160.	तंजावूर	2001-02
161.	राजापल्लयम	2001-02
162.	पल्लाटूर	2001-02
163.	शिवाकाशी	2001-02
164.	उलन्दूरपेट	2001-02
165.	ठेंडी	2001-02
166.	चिन्नासलेम	2001-02
167.	कलाकड्डु	2001-02
	त्रिपुरा	
168.	सबरूम	99-2000
169.	रानीरबाजार	2000-01
	उत्तरांचल	
170.	देहरादून	2001-02
171.	हल्द्वानी-काठगोदाम	2001-02
172.	पिथौरागढ़	2001-02
	उत्तर प्रदेश	
173.	जलालाबाद	99-2000
174.	कुंडा	99-2000
175.	केमरी	99-2000
176.	चित्रकूट धाम	99-2000
177.	हरिहरपुर	2000-01
178.	महाराजगंज	2000-01
179.	काकोरी	2000-01
180.	नियोतनी	2000-01
181.	हरैय्या	2001-02
182.	अमेठी	2001-02
183.	खतौली	2001-02
184.	सरधाना	2001-02
185.	खोखरा	2001-02
186.	बाबरपुर-अजितमल	2001-02
187.	कोयलढकुआ	2001--02
188.	गोहांड	2001-02
189.	मिलक	2001-02
190.	हंडिया	2001-02

1	2	3
191.	झिंझाना	2001-02
192.	झांसी	2001-02
193.	मथुरा	2001-02
194.	बांसगांव	2001-02
195.	बनात	2001-02
196.	दोस्तपुर	2001-02
197.	निवारी	2001-02
198.	तिलहर	2001-02
199.	टेवबंद	2001-02
	पश्चिमी बंगाल	
200.	दुर्गापुर	99-2000
201.	बनगांव	2000-01
202.	रामजीवनपुर	2000-01
203.	खरार	2000-01
204.	खिपई	2000-01
205.	तहेरपुर	2001-02
206.	वेलडंगा	2001-02
207.	जमुरिया	2001-02
208.	जियागंज-अजीमगंज	2001-02
209.	कुपर्सकैंप	2001-02
210.	नालहटी	2001-02
	पाण्डिचेरी	
211.	औलग्रेट	99-2000

राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (सी०एस०आई०आर०)

3197. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (सी०एस०आई०आर०) परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय परियोजना से संबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो यह कितने समय से इससे संबद्ध है और परियोजना से जुड़े अन्य संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो जुलाई, 2002 के दौरान कितना कार्य पूरा किया गया;

(घ) क्या इस परियोजना संबंधी कोई वेबसाइट शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो वेबसाइट कितने दिन तक चली और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना की शुरूआत औपचारिक रूप से मार्च, 2002 में की गई। इस परियोजना की निर्धारित अवधि 10 माह है। इस परियोजना से निम्नवत संगठन जुड़े हुए हैं:-

(i) डिपार्टमेंट ऑव इण्डियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी (आईएसएमएंडएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय;

(ii) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), डिपार्टमेंट ऑफ इण्डियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय;

(iii) पेटेन्ट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; तथा

(iv) राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (निस्केअर), पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक इकाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(ग) जुलाई, 2000 के दौरान किया गया कार्य निम्नवत् है:-

(i) आयुर्वेदिक पुस्तकों से पता लगाए गए नुस्खों की संख्या : 2,822

(ii) प्रविष्ट और विकोडित नुस्खों की कुल संख्या : 2,834;

(iii) स्कैन किए गए श्लोकों की कुल संख्या : 1,536; और

(iv) सत्यापित विकोडित शीटों की संख्या : 549

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला की रायल्टी दर में वृद्धि

3198. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उत्पादन में अनुमानित वृद्धि से राज्यों को रायल्टी दर से अधिक आय होने की उम्मीद है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या कोयले का उपयोग करने वाले राज्यों ने इस वृद्धि का विरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला उत्पादक राज्यों को रायल्टी कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए निर्धारित दरों पर उत्पादित कोयले के प्रतिटन के आधार पर अदा की जाती है। उत्पादन में किसी भी प्रकार की वृद्धि, वृद्धित उत्पादन की मात्रा तथा ग्रेड के अनुसार संबंधित राज्यों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि में परिणित होगी।

(ग) और (घ) कर्नाटक, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों ने मुख्यत: विद्युत टैरिफ पर प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर कोयले पर रायल्टी की दरों में किसी भी भारी वृद्धि का विरोध किया था। जम्मू तथा कश्मीर ने भी रायल्टी में किसी भारी वृद्धि का विरोध किया।

सीमा पर बाड़ लगाया जाना

3199. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों को हटाये जाने के कारण दक्षिण बंगाल, में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाये जाने के दूसरे चरण में बाधा उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या बाड़ लगाने के कार्य में आ रही बाधाओं को हटाने हेतु गत कुछ महीनों में बंगलादेश रायफल्स के साथ कोई बातचीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने का संपूर्ण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान। सीमा प्राधिकारियों के लिए संयुक्त भारत-बांग्लादेश दिशानिर्देश, 1975 के उपबन्धों के अनुसार भारत-बांग्लादेश सीमा पर, सीमा बाड़ जीरो लाईन से लगभग 150 गज की न्यूनतम दूरी पर लगाई जा रही है, तथापि प्रस्तावित बाड़ को एक सीध में करने के कार्य को अंतिम रूप देने में उन क्षेत्रों में कठिनाई होती है जहां गांव जीरो लाईन पर या जीरो लाईन के नजदीक अवस्थित हैं। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राईफल के बीच महानिदेशक स्तर की पिछली वार्ता में सीमा प्राधिकारियों के लिए संयुक्त भारत-बांग्लादेश दिशा निर्देश, 1975 के उद्देश्यों के अनुसार जीरो लाईन के 150 गज के बाहर इस प्रकार की बाड़ लगाने के लिए वास्तविक स्थिति विपरीत होने पर जीरो लाईन के 150 गज के भीतर बाड़ लगाने के प्रश्न पर विचार किया गया था।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की पूरी परियोजना को 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सीमा पर लगायी गयी बाड़ का विद्युतीकरण

3200. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर सीमा पर लगायी गयी बाड़ के विद्युतीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) बाड़ के विद्युतीकरण में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी;

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी इसी प्रकार बाड़ का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (छ) देश में जम्मू और कश्मीर या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई गई बाड़ का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि आधारित उद्योगों के लिए बंजरभूमि का आबंटन

3201. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में ग्रामीण रोजगार सृजन हेतु कृषि आधारित उद्योगों को बंजरभूमि आबंटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों को कृषि उद्योगों हेतु बंजरभूमि आबंटित करने हेतु कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, नहीं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसके आबंटन का विषय पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। अत: गुजरात और राजस्थान सहित राज्यों द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के लिए बंजरभूमि आबंटित करने संबंधी किसी भी मामले को इस मंत्रालय को भेजना अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों को वित्तीय सहायता

3202. **श्री रघुनाथ झा :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे सरकारी उपक्रमों को वित्तीय सहायता दी है जिनका विनिवेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी उपक्रमवार ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश के बाद सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल परीक्षण प्रयोगशालायें

3203. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की मंजूरी दी है;

(ख) क्या कई राज्यों ने अब तक उन प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की है और ग्रामीण क्षेत्रों को आपूर्ति किये जाने वाले जल की गुणवत्ता सुरक्षित नहीं है जैसाकि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या में पृष्ठ संख्या 115/120 में उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में स्वीकृत और स्थापित की गई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं/परियोजनाएं शुरू करती है। भारत सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आबंटित निधियों के 15 प्रतिशत तक का इस्तेमाल जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है।

(ङ) से (छ) भारत सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

जल गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला

क्रमांक	राज्य	अचल शौचालय			चलता फिरता शौचालय	
		स्वीकृत	स्थापित	स्थापित किया जाना है	स्वीकृत	सौंपा गया
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14	8	6	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	1	13	–	–
3.	असम	23	23	0	–	–
4.	बिहार	37	12	25	1	1
5.	छत्तीसगढ़	16	7	9	–	–
6.	गोवा	2	1	1	–	–
7.	गुजरात	13	5	8	1	1
8.	हरियाणा	19	13	6	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	14	14	0	1	1
10.	जम्मू-कश्मीर	13	9	4	3	3
11.	झारखंड	17	5	12	–	–
12.	कर्नाटक	26	16	10	–	–
13.	केरल	14	14	0	–	–

1	2	3	4	5	6	7
14.	मध्य प्रदेश	45	28	17	1	1
15.	महाराष्ट्र	29	29	0	1	1
16.	मणिपुर	8	1	7	1	1
17.	मेघालय	7	7	0	1	1
18.	मिजोरम	5	3	2	1	1
19.	नागालैंड	7	2	5	1	1
20.	उड़ीसा	30	24	6	1	1
21.	पंजाब	13	4	9	—	—
22.	राजस्थान	32	32	0	1	1
23.	सिक्किम	4	1	3	1	1
24.	तमिलनाडु	29	28	1.	1	1
25.	त्रिपुरा	4	3	1	1	1
26.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	83	26	57	1	1
27.	प० बंगाल	17	14	3	1	1
28.	अंदमान और निको० द्वीपसमूह	1	1	0	—	—
29.	दमन और दीव	2	2	0	—	—
30.	लक्षद्वीप	9	9	0	—	—
31.	पांडिचेरी	2	2	0	—	—
32.	दिल्ली	5	1	.4	1	1
33.	दादरा और नागर हवेली	1	1	0	—	—
34.	डी एल, जोधपुर	—	—	—	1	1
35.	आई टी आर सी लखनऊ	—	—	—	1	1
36.	एआईआईपी एच एवं पी एच कलकत्ता	—	—	—	1	1
	कुल	555	346	209	23	23

'मेडोपार' दवा के मूल्य में वृद्धि

3204. श्री पी०आर० खूंटे :
श्री साईदुज्जमा :
डा० बलिराम :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह यह सच है कि देश में पार्किंसन रोग के इलाज के लिए 'मेडोपार' दवा का बहुत ऊंचे मूल्य पर आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त दवा जैसी ही एक अन्य दवा देश में काफी कम कीमत पर उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दवा को ऊंचे मूल्य पर आयात किए जाने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने हाल में भारतीय बाजार में 'मेडोपार' के मूल्य में 68% से अधिक की वृद्धि की है; और

(ङ) इस दवा के आयात मूल्य का ब्यौरा क्या है और एन०पी०पी०ए० द्वारा इसके मूल्य में भारी वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) पार्किंसन रोग के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली 'मेडोपार' दवा गैर अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषध बेनज़ेराजाइड सहित लेवोडोपा नामक अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषध का सम्मिश्रण है और इसका आयात किया जाता है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित इसके खुदरा-मूल्यों में वृद्धि के कारण इसके आयात मूल्य में वृद्धि हुई है। औषधों तथा भेषजों का आयात प्रचलित एक्ज़िम नीति के अनुसार किया जाता है।

नार्थ इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी

3205. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्थ इस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी ने दिनांक 25.10.2002 को शिलांक में एक समारोह आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे समारोहों की शोभा बढ़ाने हेतु अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और स्थानीय संसद सदस्यों को आमंत्रित करने की पंरपरा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी उक्त समारोह में आमंत्रित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 'नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इण्डिया ने 72वें वार्षिक सत्र तथा 'द नेशनल सिम्पोजियम ऑन वायो डायवर्सिटी-ए साइंटिफिक एप्रोज एजेण्डा फॉर द ट्वेण्टी फर्स्ट सेन्चुरी' का आयोजन 25 से 27 अक्तूबर, 2002 तक पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में हुआ था। 25.10.2002 को इस समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। मुख्यत: केवल उन्हीं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध थे अथवा उन व्यक्तियों को जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर के दौरे से संबंधित थे, आमंत्रित किया गया था। किसी भी गणमान्य व्यक्ति अथवा विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों (पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के सांविधिक अधिकारियों को छोड़कर) को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी करता है। आमंत्रण अधिकतर ऐसे संगठनों द्वारा अथवा उनकी ओर से पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाते हैं। तथापि, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय जब विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह जैसे अपने बड़े समारोह आयोजित करता है तो अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों/स्थानीय संसद सदस्यों को आमंत्रित करने की परम्परा निभाता है।

शिक्षा का अधिकार

3206. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी एक आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु 26 नवम्बर, 2001 को लोक सभा में संविधान (93वां संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है।

शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आयोग गठित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड

3207. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री अरुण कुमार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों को नियमित आधार पर वेतन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की आई०डी०पी०एल० की विभिन्न इकाइयों विशेषकर मुजफ्फरपुर स्थित इकाई को बंद करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(च) गत प्रन्द्रह वर्षों से आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों को प्रतिष्ठान को बंद किए जाने के बदले मिलने वाले लाभों के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार की आई०डी०पी०एल० की मुजफ्फरपुर इकाई के कर्मचारियों को किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित या समायोजित किए जाने की कोई योजना है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) चूंकि कंपनी अपने संसाधनों से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है; अत: सरकार अक्टूबर, 1996 से इसके कर्मचारियों को वेतन/मजदूरियों के भुगताम के लिए गैर-योजनागत सहायता प्रदान कर रही है। यह धनराशि सितम्बर, 2002 तक की अवधि के लिए जारी कर दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) आई.डी.पी.एल. एक रुग्ण कंपनी है जो रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित है। सरकार की विद्यमान नीति में ऐसे वेतन/भत्तों में संशोधन की अनुमति तभी दी जाती है; जब ऐसे वेतन/भत्तों में संशोधन के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान को शामिल करते हुए बी.आई.एफ.आर. द्वारा किसी पुनरुद्धार प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

(झ) और (ञ) मुजफ्फरपुर इकाई, आई.डी.पी.एल. के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस समय, इस संयंत्र से कर्मचारियों को आई.डी.पी.एल. की किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

यातायात संबंधी शिकायतें

3208. **श्री हरिभाई चौधरी :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार यातायात संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये किस प्रकार की शिकायतें हैं;

(ख) इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली की सड़कों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

शिकायत का स्वरूप	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
	वर्ष 2000	वर्ष 2000	वर्ष 2000 (30.11.02 तक)
पार्किंग	159	170	186
अतिक्रमण	63	80	90
यातायात अवरोध	78	60	58
गति अवरोधक	118	100	124
अन्य शिकायतें	150	140	119

इन शिकायतों पर कार्रवाई की गयी और जहां कहीं आवश्यक हुआ, उचित उपचारी कार्रवाई की गई।

(ग) यातायात को सुव्यवस्थित बनाने हेतु दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में तेज गति और लाल बत्ती लांघने को चैक करने और लेन अनुशासन लागू करने के लिए राडार गनों, इंटरसेप्टरों तथा रेड स्पीड कैमरों का इस्तेमाल करना, शराब पीकर वाहन चलाने को रोकने हेतु एल्कोमीटर का इस्तेमाल, सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण करना ताकि उपचारी उपाय किए जा सकें, आम जनता को यातायात नियमों और सुरक्षा मानदंडों के बारे में शिक्षित करना और स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए यातायात प्रशिक्षण पार्कों की स्थापना करना शामिल है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

3209. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलियों का निर्माण न किये जाने के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहले निर्मित की गई कई जल आधारित पक्की सड़कें शामिल किये जाने से वे आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सड़कों को व्यवहार्य बनाने हेतु 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत सड़कों पर पुलियों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंधी में अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है और इसमें आवश्यक पुलियों और क्रास ड्रेनेज ढांचे का निर्माण शामिल है। सिर्फ पुलिया का निर्माण करने की इस कार्यक्रम में अनुमति नहीं है। आवश्यक पुलियों के निर्माण सहित मौजूदा जलरोधी सड़क (डब्ल्यू०बी०एम०) का निर्धारित स्तर तक उन्नयन भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा सकता है बशर्ते जिले की 500 व्यक्तियों और अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान कर दिया गया हो।

[अनुवाद]

नक्सलवाद की समस्या

3210. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री के०पी० सिंह देव :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्रीमती श्यामा सिंह :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नक्सलवादी हिंसा से मुकाबला करने हेतु आयोजित हुई अंतर-मंत्रालीय समन्वय समिति की बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है और नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित प्रत्येक राज्य से प्राप्त सामाजिक आर्थिक विकास प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आज की तिथि के अनुसार प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक ऐसे राज्यों से प्रकाश में आई नक्सलवादी हिंसा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी घटनाओं में कितने सुरक्षाकर्मी/नागरिक मारे गए/घायल हुए और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(च) क्या यह भी सच है कि दिनांक 18.11.2002 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार झारखंड सरकार ने नक्सलवादी बारूदी सुरंग से निपटने हेतु ब्रिटेन के विशेषज्ञों की मांग की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से अन्य राज्यो ने इस संबंध में किसी विदेशी सहायता की मांग की है; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा नक्सलवादी हिंसा से मुकाबला करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र, जिसके सदस्य नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिच और पुलिस महानिदेशक हैं, वामपंथी अतिवादी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की नियमित रूप से पुनरीक्षा और समन्वय करता है। वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान इस समन्वय केन्द्र की 7 बैठकें हुई हैं।

(ख) और (ग) नक्सलवादी गुटों का सैन्यीकरण, नए क्षेत्रों में उनका विस्तार और सुरक्षा बलों पर उनके लगातार हमले और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों को राज्य सरकारों द्वारा उठाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से प्राप्त प्रस्तावों/योजनाओं को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (आज तक) नक्सलवादी हिंसा और मारे गए सुरक्षा बलों और सिविलियनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में है। केन्द्र सरकार, सम्पत्ति की हानि और इस प्रकार की घटनाओं में जख्मी हुए पुलिस कार्मिकों/सिविलियनों के बारे में ब्यौरे नहीं रखती है।

(च) और (छ) झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि ब्रिटिश उच्च आयुक्त ने 13.11.2002 को रांची का दौरा किया और वे इस बात की संभावना का पता लगाने पर सहमत हुए कि क्या नक्सलवादी गुटों द्वारा बारूदी सुरंगों में प्रयुक्त विस्फोटकों का पता लगाने में कुछ सहायता की जा सकती है।

(ज) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, राज्यों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न तरीके खोजना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। तथापि, केन्द्र सरकार समन्वय केन्द्र की बैठकें बुलाने के अलावा, वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता भी देती है। यह आसूचना का आदान-प्रदान करती है और आवश्यकता के आधार पर अर्ध सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराती है। नक्सलवाद को रोकने के लिए राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की स्कीम के तहत नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक 96.71 करोड़ रु० की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। केन्द्र सरकार ने पोटा को अधिनियमित किया है जिसके अन्तर्गत सी०पी०एम०एल० - पीपुल्स वार (पी०डब्ल्यू०) और एम०सी०सी० को "आतंकवादी संगठनों" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विवरण

राज्यवार नक्सलवादी हिंसा

राज्य का नाम	2000			2001			2002 (आज तक)		
	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए पुलिस कार्मिक	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए पुलिस कार्मिक	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए पुलिस कार्मिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	425	83	30	461	141	39	288	78	11
बिहार	278	159	12	169	87	24	210	95	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	79	24	24	105	30	7	213	38	8
झारखंड	318	165	27	355	154	46	298	81	51
मध्य प्रदेश	7	2	2	21	2	—	16	3	—
महाराष्ट्र	35	11	—	34	6	1	63	23	3
उड़ीसा	15	3	—	30	3	8	43	4	7
उत्तर प्रदेश	4	2	2	22	12	—	17	5	—
पश्चिमी बंगाल	4	2	—	9	4	—	15	6	—
अन्य राज्य	14	1	1	2	—	—	17	1	—
कुल	1179	452	98	1208	439	125	1180	334	86

उर्वरक कंपनियों को राजसहायता में कटौती

3211. **श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार VII और VIII उर्वरक मूल्यन नीति में उर्वरक कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये की राजसहायता में कटौती करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरिया और अमोनिया जैसे प्रमुख उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) दिनांक 1.7.1997 में सातवीं और आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए नीति मानदंडों को दिनांक 16.5.2002 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है और दिनांक 4.6.2002 को इसकी सूचना सभी यूरिया इकाइयों को भी दे दी गई है। सातवीं मूल्य निर्धारण अवधि में 1.7.1997 से 31.3.2000 तक की अवधि तथा आठवीं मूल्य निर्धारण अवधि में 1.4.2000 से 31.3.2003 तक की अवधि या नई मूल्य निर्धारण नीति के लागू होने तक की अवधि, जो भी पहले हो सम्मिलित होगी। ये अधिकांशतः पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण अवधि में प्रचलित मानकों के अद्यतीकरण प्रकृति के हैं। तथापि, सातवीं और आठवीं मूल्य निर्धारण नीति में संयंत्र क्षमताओं, विंटेज भत्ता समाप्त करने, क्षमता उपयोग के नियामक स्तरों में वृद्धि और खपत मानकों के अद्यतीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। प्रतिधारण मूल्यों में संशोधन करने से, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए कुछ मामलों में वसूली तथा अन्य मामलों में भुगतान करना पड़ा।

(ग) और (घ) यूरिया तथा एन्हाइड्रस अमोनिया के मूल्यों को दिनांक 28.2.2002 से क्रमशः 4600 रुपए प्रति मी० टन और 7340 रुपए प्रति मी० टन से बढ़ाकर क्रमशः 4830 रुपए प्रति मी० टन और 7710 रुपए मी० टन किया गया था।

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु योजनागत/ गैर-योजनागत धनराशि

3212. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न राज्यों को योजनागत/गैर-योजनागत क्षेत्रों हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) केन्द्रीय आबंटन में से प्रत्येक राज्य द्वारा योजनागत और गैर-योजनागत क्षेत्रों हेतु खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) ऐसी कोई योजनेतर योजना नही है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को योजनागत योजना के लिए कुल निधि आबंटन, रिलीज और व्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान राज्यवार धन के आबंटन, जारी किए जाने और व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य	नौवीं योजना (1997-2002)		
		केंद्रीय आबंटन	केन्द्र द्वारा जारी किया गया	व्यय*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	470961.57	497301.69	541569.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	36909.23	32664.44	46293.15
3.	असम	235223.22	193662.17	225633.11
4.	बिहार	597168.38	428552.10	549179.84
5.	गोआ	6960.22	4665.55	13944.76
6.	गुजरात	145772.90	174973.04	262328.21
7.	हरियाणा	61985.86	66658.37	102609.76
8.	हिमाचल प्रदेश	53866.04	57933.60	89322.95
9.	जम्मू-कश्मीर	74182.22	59648.74	91052.83
10.	कर्नाटक	249580.37	243150.50	310528.95
11.	केरल	103133.87	98249.14	133033.76
12.	मध्य प्रदेश	423092.02	427145.48	545083.28
13.	महाराष्ट्र	388773.79	37822.30	710015.07
14.	मणिपुर	27981.75	19274.78	21066.91
15.	मेघालय	27941.08	23887.89	32644.38
16.	मिजोरम	16169.51	17483.88	22432.23
17.	नागालैंड	25189.73	24627.73	33039.99
18.	उड़ीसा	301774.75	373372.19	369646.00
19.	पंजाब	39447.71	41123.17	58439.00
20.	राजस्थान	295550.48	296844.84	395822.71
21.	सिक्किम	11703.04	13190.78	16854.50
22.	तमिलनाडु	277365.79	288410.99	526493.98
23.	त्रिपुरा	35284.76	40005.05	55707.96
24.	उत्तर प्रदेश	785457.84	739646.29	965639.23
25.	पश्चिमी बंगाल	308409.21	245355.73	306208.99
26.	छत्तीसगढ़	81092.45	78869.83	93089.46
27.	झारखंड	112499.00	87470.80	73119.00
28.	उत्तराचंल	35797.22	33400.94	42721.30

*व्यय के आंकड़े कुल उपलब्ध निधियों में से हैं जिनमें पूर्व शेष, केन्द्रीय रिलीज और राज्य रिलीज सम्मिलित हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

3213. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से 2000 के दौरान देश में विशेषकर भारत के पश्चिमी भाग में कुल कितने सूखा प्रवण क्षेत्र हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सूखे से निपटने हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों में डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत कोई नई परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) 54 जिलों और इनसे सटे हुए अन्य 18 जिलों के भाग को कवर करने हेतु वर्ष 1973-74 के दौरान आरंभ किया गया था। वर्ष 1994 में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने वैज्ञानिक मानदण्डों को अपनाकर देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल की समीक्षा की थी। इस समय कार्यक्रम की कवरेज के तहत 74.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है जो 16 राज्यों के 182 जिलों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हैं और इन दो राज्यों के अन्तर्गत पता लगाया सूखा प्रवण क्षेत्र क्रमशः 19.45 मिलियन हैक्टेयर और 4.39 मिलियन हैक्टेयर है।

(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) को पहले कार्यक्षेत्र के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा था और इस अवधि के दौरान 5.71 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया गया था। वर्ष 1995-96 से इस कार्यक्रम को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है और 8.13 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 16268 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 668.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान क्रमशः 2052 परियोजनाएं तथा 2478 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाएं		
		2001-2002	2002-2003	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	166	291	457
2.	बिहार	46	60	106
3.	छत्तीसगढ़	106	116	222
4.	गुजरात	110	241	351
5.	हिमाचल प्रदेश	40	50	90
6.	जम्मू-कश्मीर	44	66	110
7.	झारखण्ड	173	164	337
8.	कर्नाटक	245	221	466
9.	मध्य प्रदेश	238	265	503
10.	महाराष्ट्र	296	300	596
11.	उड़ीसा	221	160	381
12.	राजस्थान	96	113	209
13.	तमिलनाडु	61	144	205
14.	उत्तर प्रदेश	92	158	250
15.	उत्तरांचल	90	97	187
16.	पश्चिमी बंगाल	28	32	60
	योग	2052	2478	4530

अनुवर्ती शिक्षा योजना

3214. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुवर्ती शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों की सिफारिश की गई है;

(ख) स्थानवार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) शेष परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य से नई अनुवर्ती शिक्षा के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सतत् शिक्षा कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने संस्वीकृति के लिए कुल 28 प्रस्तावों की सिफारिश की।

(ख) 23 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं। अभी तक संस्वीकृत परियोजनाओं के जिलावार ब्यौरे संबंधी विवरण संलग्न हैं।

(ग) शेष 5 जिलों बेलगांव, हसन, धारवाड़, गुलबर्ग और गदग की लेखाओं का अब तक निपटान नहीं किया गया है।

(घ) सतत् शिक्षा कार्यक्रम के तहत 2002-2003 के दौरान कर्नाटक से कोई भी नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए कर्नाटक को जारी की गई निधि

क्रम सं०	जिले का नाम	99-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	कोप्पल (नया जिला)	2,05,28000			
2.	सिमोगा			1,12,99,125	
3.	टुमकुर		4,48,41,250		
4.	चित्रदुर्ग		2,55,20,000		1,14,40,000
5.	दावनगेरे (नया जिला)	1,05,82,955			1,39,19,750
6.	बागलकोट (नया जिला)	17,19,000	85,10,950		
7.	बीदर		2,34,65,484		
8.	दक्षिण कन्नड़		3,03,68,250		
9.	बीजापुर			1,19,44,375	
10.	चिकमगलुर			79,13,375	
11.	कोडागु			75,90,750	
12.	मैसूर		3,56,12,000		
13.	उत्तर कन्नड़		2,28,15,750		
14.	हवेरी		2,47,00,750		
15.	उदुपि		96,39,000		1,23,06,600

1	2	3	4	5	6
16.	बेलारी		1,00,00,000		
17.	रायचुर			1,04,79,87:	
18.	माण्ड्या			1,24,04,700	
19.	बंगलौर (ग्रामीण)				2,60,20,250
20.	बंगलौर (ग्रामीण)				1,89,66,000
21.	बंगलौर सिटी (स्लम)				4,89,52,000
22.	कोलार				3,45,02,750
23.	कामराजनगर				1,49,71,250
	कुल	3,28,29,955	23,54,73,434	6,16,32,200	18,10,78,600

अव्यपगतनीय धनराशि

3215. **श्री भीम दाहाल : क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 10 प्रतिशत आबंटन की अप्रयुक्त शेष धनराशि अव्यपगतनीय केन्द्रीय संसाधन पूल (नॉन लैप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिसासेंज) को हस्तांतरित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी अप्रयुक्त शेष धन[illegible] को अव्यपगतनीय पूल को वापस कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कार[illegible] हैं; और

(च) विभिन्न विकास क्रियाकलापों [illegible] वर्ष 1999-2000, 2001-2002 में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु [illegible]त सरकार के राजकोष की राज्यवार और परियोजनावार कितनी व्यपगत[illegible]य धनराशि अप्रयुक्त है?

विनिवेश मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ङ) संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और स[illegible] पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण-I

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के बजटीय प्रावधान का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग	योजना (स०अ०) 1999-2000	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन	व्यय	व्यपगत न [illegible]ने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल को अन्तरित राशि
	2	3	4	5	6
1	वस्त्र	261.55	26.16	28.51	शून्य

1	2	3	4	5	6
2.	सूचना एवं प्रसारण	204.28	20.43	41.60	शून्य
3.	उर्वरक	160.00	16.00	54.83	शून्य
4.	खनन	328.07	32.81	14.40	18.41
5.	वाणिज्य	348.54	34.85	36.20	शून्य
6.	सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	27.00	2.70	2.75	शून्य
7.	डाक	100.00	10.00	6.11	3.89
8.	ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत	266.24	26.62	19.47	7.15
9.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	504.00	50.40	31.75	18.65
10.	रसायन ओर पैट्रोरसायन	45.00	4.50	2.00	2.50
11.	श्रम	89.43	8.94	5.29	3.65
12.	आर०जी०आई० (गृह)	9.15	0.91	0.61	0.30
13.	सूचना और प्रौद्योगिकी	170.00	17.00	10.40	6.60
14.	शहरी विकास	620.53	62.05	21.00	41.05
15.	विद्युत	2770.00	277.00	312.28	शून्य
16.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	272.20	27.22	27.00	0.22
17.	पर्यटन	110.00	11.00	9.86	1.14
18.	प्रारम्भिक शिक्षा	2931.28	293.13	107.24	185.89
19.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा	1453.68	145.37	252.76	शून्य
20.	कोयला	545.10	54.51	0.00	54.51
21.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	5063.67	506.37	77.00	429.37
22.	पशुपालन और डेरी	225.00	22.50	16.32	6.18
23.	युवा मामले और खेल	180.00	18.00	18.10	शून्य
24.	भारी उद्योग	73.08	7.30	21.50	शून्य

1	2	3	4	5	6
25.	रेलवे	2540.00	254.00	265.00	शून्य
26.	जल संसाधन	370.00	37.00	36.79	0.21
27.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1159.32	115.93	55.97	59.96
28.	संस्कृति	128.25	12.82	9.31	3.51
29.	कृषि और सहकारिता	1477.00	147.70	55.09	92.61
30.	पेयजल आपूर्ति	1807.00	180.70	88.84	91.86
31.	नागर विमानन	37.40	3.74	7.24	शून्य
32.	परिवार कल्याण	3120.00	312.00	190.75	121.25
33.	न्याय	73.68	7.37	5.24	2.13
34.	ग्रामीण विकास	7220.00	722.00	367.78	354.22
35.	भूमि संसाधन	101.00	10.10	9.56	0.54
36.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	298.00	29.80	20.02	9.78
37.	जहाजरानी	562.01	56.20	0.00	56.20
	सकल योग	35651.46	3565.13	2228.57	1571.78

विवरण-II

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के बजटीय प्रावधान का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग	योजना (स०अ०) 2000-01	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन	व्यय	व्यपगत न होने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल को अन्तरित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	उपभोक्ता मामले	9.50	0.95	1.12	शून्य
2.	वस्त्र	408.30	40.83	45.00	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	कृषि और सहकारिता	1677.00	167.70	85.62	82.08
4.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	265.02	26.50	26.07	0.43
5.	पेयजल आपूर्ति	2100.00	210.00	139.24	70.76
6.	रसायन और पैट्रोरसायन	30.00	3.00	2.50	0.50
7.	कोयला	655.10	65.51	54.14	11.37
8.	खाद्य प्रसंस्करण	50.00	5.00	9.46	शून्य
9.	खनन	230.00	23.00	14.03	8.97
10.	डाक	120.00	12.00	10.15	1.85
11.	जल संसाधन	425.00	42.50	49.41	शून्य
12.	परिवार कल्याण	3200.00	320.00	210.73	109.27
13.	उर्वरक	165.00	16.50	57.00	शून्य
14.	स्वास्थ्य	1159.64	115.96	90.83	25.13
15.	वाणिज्य	410.69	41.07	46.76	शून्य
16.	सांख्यिकी और पी०आई०	35.08	3.50	2.88	0.62
17.	रेलवे	3191.00	319.10	291.00	28.10
18.	ग्रामीण विकास	6369.55	636.96	251.96	285.00
19.	नागर विमानन	47.36	4.74	11.40	शून्य
20.	आई०एस०एम० और एच०	90.00	9.00	0.00	शून्य
21.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा	1700.00	170.00	216.61	शून्य
22.	भूमि संसाधन	800.00	80.00	32.48	47.52
23.	सूचना प्रौद्योगिकी	300.00	30.00	32.20	शून्य
24.	पर्यटन	125.00	12.50	12.72	शून्य
25.	भारी उद्योग	104.82	10.48	4.50	5.98

1	2	3	4	5	6
26.	श्रम	90.00	9.00	7.61	1.39
27.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	550.00	55.00	43.23	11.77
28.	सूचना और प्रसारण	256.93	25.69	31.02	शून्य
29.	सार्वजनिक वितरण	42.43	4.24	3.99	0.25
30.	शहरी विकास	661.68	66.16	0.00	66.16
31.	पर्यावरण और वन	610.00	61.00	59.99	1.01
32.	विद्युत	2705.50	270.55	274.97	शून्य
33.	प्रारम्भिक शिक्षा	3250.00	325.00	120.23	204.77
34.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	5248.15	524.81	208.20	316.61
35.	पशुपालन और डेरी	230.00	23.00	19.76	3.24
36.	युवा मामले और खेल	215.00	21.50	18.72	2.78
37.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1172.70	66.55	40.00	26.55
38.	संस्कृति	150.00	15.00	10.77	4.23
39.	औद्योगिक नीति और संवर्धन	440.00	44.00	54.57	शून्य
40.	लघु उद्योग और (कृषि) विकास	730.00	73.00	56.25	16.75
41.	गृह कार्य (आर०जी०आई०)	20.00	2.00	1.37	0.63
42.	महिला और बाल विकास	1350.00	135.00	116.08	18.92
43.	न्याय	84.95	8.50	5.85	2.65
44.	जहाजरानी	473.14	47.31	0.00	47.31
45.	जनजातीय	150.00	15.00	50.07	शून्य
46.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	380.00	38.00	0.00	38.00
	सकल योग	42478.54	4197.11	2920.49	1440.60

*समायोजन किया जा रहा है।

विवरण-III

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के बजटीय प्रावधान का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में) (अनन्तिम)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	योजना (स०अ०) 2001-01	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन	व्यय	व्यपगत न होने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल को अन्तरित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि और सहकारित	1970.00	197.00	115.81	81.19
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	684.00	68.40	62.23	6.17
3.	पशुपालन	240.00	24.00	25.15	शून्य
4.	लघु उद्योग और ए०आर०आई०	732.00	73.20	47.01	26.19
5.	रसायन और पैट्रोरसायन	40.00	4.00	0.00	4.00
6.	उर्वरक	229.00	22.90	115.33	शून्य
7.	नागर विमानन	53.00	5.30	12.84	शून्य
8.	कोयला	467.44	46.74	28.65	18.09
9.	खनन	235.03	23.50	15.74	7.76
10.	वाणिज्य	475.06	47.51	50.74	शून्य
11.	औद्योगिक नीति और संवर्धन	214.97	21.49	78.13	शून्य
12.	डाक	99.05	9.90	9.96	शून्य
13.	सूचना प्रौद्योगिकी	497.00	49.70	83.30	शून्य
14.	पर्यावरण और वन	900.00	90.00	79.77	10.23
15.	उपभोक्ता मामले	10.77	1.08	1.08	शून्य
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	45.90	4.59	2.50	2.09
17.	खाद्य प्रसंस्करण	55.00	5.50	5.85	शून्य
18.	स्वास्थ्य	1326.00	132.60	133.00	शून्य

1	2	3	4	5	6
19.	भारतीय चिकित्सा पद्धति और हौम्योपैथी	90.00	9.00	समायोजन किया जा रहा है	समायोजन किया जा रहा है
20.	परिवार कल्याण	3700.00	370.00	227.92	142.08
21.	गृह कार्य (आर.जी.आई.)	10.00	1.00	0.49	0.51
22.	प्रारम्भिक शिक्षा	3750.00	375.00	219.85	155.15
23.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा	1820.00	182.00	126.56	55.44
24.	महिला और बाल विकास	1650.00	165.00	158.71	6.29
25.	सार्वजनिक उद्यम	8.00	0.80	0.39	0.41
26.	भारी उद्योग	65.00	6.50	7.12	शून्य
27.	सूचना और प्रसारण	309.64	30.96	53.29	शून्य
28.	श्रम	122.54	12.25	6.40	5.85
29.	न्याय	99.00	9.90	8.75	1.15
30.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	342.17	34.21	39.65	शून्य
31.	विद्युत	3650.00	365.00	308.40	56.60
32.	ग्रामीण विकास	10606.50	1060.65	640.86	419.79
33.	भूमि संसाधन	850.00	85.00	51.69	33.31
34.	पेयजल आपूर्ति	2160.00	216.00	179.80	36.20
35.	सांख्यिकी और पी०आई०	39.38	3.93	4.89	शून्य
36.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	5922.42	592.24	279.17	313.07
37.	जहाजरानी	312.21	31.22	10.00	21.22
38.	पर्यटन	150.00	15.00	15.65	शून्य
39.	संस्कृति	175.00	17.50	16.90	0.60
40.	जनजातीय कार्य	217.02	21.70	34.41	शून्य
41.	शहरी विकास	1525.52	152.55	82.49	70.06

1	2	3	4	5	6
42.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	330.00	33.00	33.00	शून्य
43.	जल संसाधन	450.00	45.00	39.35	25.01*
44.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1239.67	63.70	28.50	35.20
45.	युवा मामले और खेल	267.83	26.78	20.60	6.18
46.	रेलवे	3440.00	344.00	300.00	44.00
47.	वस्त्र	610.00	61.00	41.00	20.00
	सकल योग	52186.12	5158.30	3802.93	1603.84

*समायोजन के अन्तर्गत है।

भोपाल गैस त्रासदी

3216. श्री प्रयरंजन दासमुंशी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भोपाल में यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से जहरीली गैसे के रिसने के कारण विधवा, अनाथ अथवा स्थायी तौर पर विकलांग हुए व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का कोई रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विधवाओं, अनाथों, स्थायी रूप से बीमार और विकलांग हुए व्यक्तियों को आजीवन पेंशन की महत्वपूर्ण आवश्यकता के प्रति कोई ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमानतः कितने लोगों को वैकल्पिक रोजगार की आवश्यकता है और उनमें से कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1077 विधवाएं, और 3 अनाथ इस समय राज्य सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों से लाभ उठा रहे हैं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वह गैस पीड़ितों को 1984 से चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पुनर्वास और राहत प्रदान कर रही है। गैस पीड़ितों की विधवाएं भी लाभग्राही हैं। विधवाओं समेत गैस पीड़ितों की प्रत्येक अलग-अलग मामले में गुण-दोष के अनुसार कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा उचित रूप से प्रतिपूर्ति की जा रही है। उनके मुआवजा दावों का निपटारा होने तक विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन के साथ-साथ 10,000/- रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जा रही थी। राज्य सरकार ने ऐसी विधवाओं को निःशुल्क फ्लैट्स भी प्रदान किए हैं।

(ङ) राज्य सरकार के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत गैस पीड़ितों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। अब तक लगभग 8000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। गैस पीड़ितों के प्रशिक्षण में कार्यरत 27 गैर सरकारी संगठनों को निशुल्क वर्कशेड प्रदान किए गए हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बर्माई लोगों की गतिविधियों

3217. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 1995 में 35 बर्माई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रखा गया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ये निरुद्ध व्यक्ति द्वीपसमूह में घूम रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव मचा रहे हैं और आखिर उनका आचरण सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें शीघ्र वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा 10 फरवरी, 1998 को चलाए एक ट्राइसर्विस अभियान में, म्यांमार राष्ट्रिकों सहित 73 विदेशियों को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लैंडफाल द्वीप के नजदीक पकड़ा गया और उनके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इन विदेशी राष्ट्रिकों में से 37 को, जिन्हें बाद में न्यायालय ने रिहा कर दिया था, बाद में अपने मूल देशों को वापिस भेज दिया गया था। पकड़े गए शेष 36 लोगों को भी न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तथापि, उनकी आवा-जाही पर विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में निहित उपबंधों के अनुसार प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) इस मामले में जांच-पड़ताल चल रही है और उनका निर्वासन जांच-पड़ताल की समाप्ति तथा न्यायिक कार्यवाहियों, यदि कोई, उनके विरुद्ध आरंभ की गयी हो, के परिणाम पर निर्भर करती है।

प्रधान मंत्री प्रायोजित योजनाएं

3218. **श्री सी०के० जाफर शरीफ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान हेतु प्रधान मंत्री प्रायोजित योजनाओं को योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय किन-किन राज्यों में इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है;

(ग) इस योजना को शुरू किये जाने के बाद इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाएं गए हैं; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक राज्यवार तथा योजनावार हासिल हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम नामक योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिनसे ग्रामीण लोगों के उत्थान में मदद मिलती है परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा प्रायोजित अलग से कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3219. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी ऐसी अनेक कोयला खानें हैं जहां निजी क्षेत्र के संस्थान खनन कार्य में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों का खान-वार वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) इन खानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कितना कोयला भंडार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। मेघालय राज्य को छोड़कर देश में कुल 9 कोयला खानें हैं जहां निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कोयला निकाला जा रहा है। इन खानों में से 7 झारखंड राज्य में तथा एक-एक छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है।

(ग) और (घ) इन खानों में होने वाले वार्षिक उत्पादन तथा इन खानों के नीचे पड़ने वाले क्षेत्र में कोयला भंडारों का खानवार ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र. सं.	खान का नाम यूनिट	वार्षिक उत्पादन 2001-01 ('000 टन)	खनन योग्य कोयला भंडार (मि०ट०)
1.	तारा (ईस्ट और वेस्ट)	2911	30.62*
2.	जिन्दल ओपनकास्ट कोयला खान	1549	73.28
3.	वेस्ट बोकारो क्वेरी-ए०बी० (ओ०सी०-I)	4181	133
4.	वेस्ट बोकारो क्वेरी-ई०(ओ०सी०-II)		
5.	जामदोबा कोलियरी	270	6.93
6.	6 और 7 पिट्स कोलियरी	263	2.18
7.	दिगवाडीह कोलियरी	282	5.61
8.	सिजुआ कोलियरी	336	6.80
9.	भेलटांड कोलियरी	321	13.45

* 140 मीटर की गहराई तक

[अनुवाद]

उच्च श्रेणी के कोयले का उत्खनन

3220. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड कोयला के आयात के विकल्प के लिए देश में उच्च श्रेणी के कोयले का पता लगाने में समर्थ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश में नये स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी उच्च श्रेणी के कोयले के भंडार के कारण कितनी मात्रा में आयात के कम होने की संभावना है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ऐसे उच्च श्रेणी के कोयले हेतु उत्खनन योजना को तैयार करने में सफल हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यारा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) देश में कोयला भंडार का आकलन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा किया जाता है। जी०एस०आई० द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार उच्च श्रेणी कोयले के भंडार 1.1.1998 से 1.1.2002 की अवधि के दौरान थोड़े से बढ़े हैं। भू-गर्भीय भंडारों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(आंकड़े बिलियन टन में)

कोयले का प्रकार	भू-गर्भीय भंडार		वृद्धि
	1.1.1998 की स्थिति के अनुसार	1.1.2002 की स्थिति के अनुसार	
प्राइम कोकिंग	5.31	5.31	–
मीडियम कोकिंग	23.21	24.91	1.70
सेमी कोकिंग	1.61	1.61	–
उप जोड़ (कोकिंग)	30.13	31.83	1.70
नॉन - कोकिंग ए	2.09	2.32	0.23
नॉन - कोकिंग बी	6.98	8.07	1.09
नॉन - कोकिंग सी	16.53	19.14	2.61
नॉन - कोकिंग डी	23.11	29.39	6.28
उप-जोड़ (नॉन-कोकिंग)	48.71	58.92	10.21

(ग) प्राइम कोकिंग कोयले तथा सेमी कोकिंग कोयले के भंडारों में वृद्धि नहीं हुई है तथा यह धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। अधिकांशत: अब प्राइम कोकिंग कोयले तथा उच्च गुणवत्ता वाले नॉन-कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। उपभोक्ता अधिकांशत: कम राख तत्व वाले कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं। जिसके भंडार उपलब्ध नहीं हैं। उच्च गुणवत्ता वाले नॉन-कोंकिंग कोयले का देश में विशेषकर तटीय क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ता द्वारा व्यवसायिक कारणों सहित अवतरित लागत को ध्यान में रखते हुए आयात किया जा रहा है। कोयला भी सामान्य खुला लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अंतर्गत है।

(घ) और (ङ) दसवीं योजना हेतु उच्च ग्रेड के संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड की उत्पादन योजना निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

	2002-03	2006-07
कोकिंग (धातुकर्मीय / लिंक्ड उपभेक्ता)	14.31	15.73
कोकिंग (अन्य)	5.98	6.78
नॉन - कोकिंग (ए, बी, सी और डी)	105.60	118.22
नॉन - कोकिंग (अन्य)	160.11	209.27
जोड़ (सीआईएल)	286.00	350.00

उर्वरकों की बिक्री

3221. श्री प्रबोध पण्डा :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में आए भारी सूखे के कारण चालू वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रमुख उर्वरकों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो आज तक बिक्री में आई गिरावट का उर्वरक-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, हां। खरीफ 2001 की तुलना में खरीफ 2002 के दौरान प्रमुख उर्वरकों नामतः यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एमओपी) की बिक्री में निम्नानुसार कमी हुई थी:-

(लाख मी० टन)

उत्पाद	खरीफ 2001	खरीफ 2002	प्रतिशत में कमी
यूरिया	95.01	89.45	5.8
डीएपी	28.63	22.90	20.0
एमओपी*	12.82	11.72	8.5

* मिश्रितों के उत्पादन हेतु बिक्री सहित।

(ख) इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर तक की अवधि में, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में यूरिया, डीएपी और एमओपी की बिक्री का कंपनीवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 2002 तक की अवधि में, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में यूरिया, डीएपी और एमओपी की कंपनीवार बिक्री

(000 टन)

क्रमांक	कंपनी	अप्रैल-अक्तूबर 2001			अप्रैल-अक्तूबर 2002		
		यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०	926.81	93.51	19.51	892.70	10.47	36.86
2.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि०	0.00	0.00	38.83	0.00	0.00	42.54
3.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०	0.00	31.27	57.20	0.00	0.00	15.55
4.	डंकन्स इंडस्ट्रीज लि०	376.41	51.53	27.99	5.62	0.00	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	दि फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	50.52	5.18	47.39	0.61	0.13	42.51
6.	दि फर्टिलाइजर्स कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	90.48	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00
7.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०	0.00	412.68	25.75	0.00	294.04	16.86
8.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लि०	360.86	0.00	36.02	384.18	0.00	24.92
9.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०	169.22	390.38	0.00	163.51	405.97	0.00
10.	हिन्द लीवर कैमिकल्स लि०	0.00	249.63	88.74	0.00	257.55	90.14
11.	दि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०*	60.23	0.00	0.00	72.78	0.00	0.00
12.	इंडियन पोटाश लि०	0.69	120.55	549.75	0.00	84.31	563.12
13.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०	1953.83	803.11	146.67	1851.41	900.28	141.14
14.	इंडोगल्फ कारपोरेशन लि०	509.11	134.60	0.00	486.93	172.71	0.00
15.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि०	881.53	0.00	0.00	866.67	0.00	0.00
16.	मंगलौर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	214.90	56.85	0.00	212.64	42.44	0.00
17.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	115.42	0.00	111.03	157.22	0.00	103.76
18.	मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	0.60	3.50	12.20	0.00	0.00	0.20
19.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०	641.60	0.00	0.00	643.84	0.00	0.00
20.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	1639.63	0.00	0.00	1689.41	0.00	0.00
21.	नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०	31.19	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00
22.	ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	384.40	539.91	0.00	384.70	281.57	0.00
23.	पारादीप फास्फेट लि०	2.94	205.73	0.00	0.00	314.79	0.00
24.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	752.07	0.54	122.03	743.38	0.00	122.80
25.	रैलीज़ इंडिया लि०	0.00	24.26	0.00	0.00	20.11	0.00
26.	साऊथर्न पैट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	321.88	242.33	73.62	315.65	187.16	23.40
27.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एड कैमिकल्स लि०	211.14	92.82	57.60	205.01	43.83	67.04

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	टाटा कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	436.05	0.00	0.00	470.17	25.23	0.00
29.	जुआरी इंडस्ट्रीज लि०	262.80	115.32	105.95	226.95	91.39	122.04
30.	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
31.	कारगिल इंडिया प्राइवेट लि०	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00
32.	पहाड़पुर फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि०	0.00	0.00	16.64	0.00	0.00	1.49
	सकल योग	10394.30	3603.70	1536.91	9791.10	3188.95	1425.15

अब ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के नाम से ज्ञात।

[हिन्दी]

बाल्को में वी.आर.एस. के अंतर्गत धनराशि

3222. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अगस्त, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'बाल्को' में दस वर्षों में वी.आर.एस. के अंतर्गत धनराशि के भुगतान से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित माभले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 'बाल्को' के विनिवेश के समय सरकार और संबंधित कंपनी के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां, इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) विनिवेश के समय अर्थात् 2.3.2001 को भारत सरकार, मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और बालको के बीच शेयर होल्डर्स एग्रीमेन्ट (एस.एच.ए.) और शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट (एस.पी.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए थे एस०एच०ए० और एस०पी०ए० का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। बालको के बोर्ड में सरकार के चार नामित निदेशक हैं, जो यह देखते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों समेत करार के प्रावधानों का नये प्रबंधकों द्वारा दृढ़ता से पालन किया जा रहा है।

विवरण

शेयर होल्डर्स एग्रीमेन्ट और शेयर पर्चेच एग्रीमेन्ट का ब्यौरा

बालको के संबंध में हस्ताक्षरित शेयर होल्डर्स और शेयर पर्चेज एग्रीमेन्टों की महत्वपूर्ण विशेषताओं का सार निम्नवत है:-

1. शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट (एस.पी.ए.)

(i) स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, सरकार और कंपनी के बीच शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया है। एस०पी०ए० में उस तरीके की व्यवस्था की गई है, जिसमें बिक्री कंसीड्रेशन का भुगतान और पर्चेज शेयरों का अंतरण किया जाना है। एस०पी०ए० में प्रत्येक पक्षकार द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले विभिन्न अभ्यावेदनों और वारंटियों तथा किसी अभ्यावेदन के उल्लंघन के परिणामों की भी व्यवस्था की गई है।

(ii) एस०पी०ए० में सिंगल स्टेज क्लोजिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें यह अन्तर्निहित है कि जब तक कि पक्षकारों

के बीच सहमति न हो तब तक एग्रीमेन्ट के कार्य-निष्पादन की तरीख को ट्रांजेक्शन (कीमत का भुगतान और शेयरों का अंतरण) की क्लोजिंग नहीं की जाए। बंद होने की तारीख को सरकार को अपने सभी नामजद निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशकों सहित) का त्यागपत्र लेना था और क्रेता के पांच नामजद व्यक्तियों को बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाना था।

(iii) चूंकि सरकार कंपनी का नियंत्रण और प्रबंध क्रेता को अंतरित कर रही है, क्रेता द्वारा कंपनी के कार्यवाहक/पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अंतिम तारीख को सरकार को अपने नामजद निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशकों सहित) का कंपनी के बोर्ड से त्यागपत्र लेना होगा। चूंकि पूर्णकालिक/कार्यवाहक निदेशक कंपनी में नियोजित होते हैं, इसमें ऐसे निदेशको का नियोजन समाप्त होना शामिल है। इसिलिए एस०पी०ए० में कुछ प्रावधान अंतर्विष्ट किए गए हैं ताकि सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पूर्णकालिक निदेशकों के हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(iv) एस०पी०ए० में एक समर्थ प्रावधान शामिल है जिसके द्वारा क्रेता अपने विकल्प पर मौजूदा किसी कार्यवाहक निदेशक या सभी को अपने नामजद निदेशक के रूप में पुन: नामजद कर सकता है। एस०पी०ए० में यह और व्यवस्था की गई है कि यदि क्रेता द्वारा किसी पूर्णकालिक निदेशक को नामजद नहीं किया जाता है तो (क) ऐसे पूर्णकालिक निदेशक को 6 महीने के लिए नियोजन अनुबंध मं उपलब्ध कराये गए पारिश्रमिक या (ख) ऐसे पूर्णकालिक निदेशक की नियोजन की शेष अवधि के लिए ऐसे पूर्णकालिक निदेशक के नियोजन अनुबंध में उपलब्ध कराये गए परिश्रमिक से अधिक धनराशि की प्रतिपूर्ति के रूप में कंपनी भुगतान करेगी। ये प्रावधान पूर्णकालिक निदेशकों के लिए किए गए हैं क्योंकि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए पात्र नहीं होंगे और क्योंकि अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा उनके लिए लागू नहीं होगी। तथापि, यदि कोई पूर्णकालिक निदेशक सरकार के निर्देशों के अनुसार त्याग-पत्र देने से मना कर देता है तो सरकार उनके नियोजन अनुबंध में उपलब्ध किए गए 3 महीने के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिपूर्ति का भुगतान करके ऐसे निदेशकों को सेवाओं से अलग कर सकती है।

2. **शेयर होल्डर्स एग्रीमेन्ट (एस०एच०ए०)**

(i) एस०एच०ए०, एस०पी०ए० के सा निष्पादित किया गया है किंतु कलोजिंग पर ही प्रभावी होता है। शेयर होल्डर्स एग्रीमेन्ट में उन तरीकों की व्यवस्था की गई है जिस तरीके से भविष्य में कंपनी के कार्य किए जाने हैं। एस०एच०ए० में अन्य बातों के साथ, निदेशक मंडल के गठन, वोटिंग व्यवस्थाओं, कंपनी के कर्मरचारियों से संबंधित प्रावधानों, शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों और सरकार के लिए निकासी विकल्पों की व्यवस्था की गई है। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का सार निम्नवत है:-

(ii) एस०एच०ए० में कुछ मुख्य मुद्दों की व्यवस्था की गई है जिनके लिए कंपनी द्वारा कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व सरकार की सहमति आवश्यक होगी। एस०एच०ए० में यह भी व्यवस्था है किसी बोर्ड या शेयर होल्डर्स बैठक, जहां किसी ऐसे मुख्य मामले पर विचार किया जाना है, के लिए सरकार और क्रेता प्रत्येक के कम से कम एक प्रतिनिधि या नामजद व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होगी। एस०एच०ए० की अनुसूची 4.5 में ऐसे सभी मामलों की सूची उपलब्ध की जाती है। इनमें से कुद विवेचनात्मक मदें निम्नवत हैं:-

(क) किसी एक या कुछ ट्रांजेक्शंस जिनकी वजह से कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों की सम्पदा या परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा, एक्सचेंज आदि हो, जिसका औसत मूल्य कंपनी की कुल नियत परिसम्पत्तियों की कुल कीमत के 20 प्रतिशत से अधिक हो। क्रेता द्वारा परिसम्पत्ति से वंचित किए जाने को रोकने के लिए इस खण्ड को अंत: स्थापित किया गया है।

(ख) कंपनी की परिसम्पत्तियों पर लिअन की व्यवस्था और कोई प्रतिभूति देना जो औसतन कंपनी के फ्री-रिजर्व और प्रदत्त पूंजी के 100% से अधिक हो।

(ग) अनुच्छेद के प्रावधानों के बाद, कोई नया व्यापार शुरू करना, कंपनी का स्वैच्छिक रूप से समापन आदि।

(iii) अनुसूची 4.5 के मामलों में ऐसे सभी मामले शामिल हैं जिमका कंपनी के कारोबार पर वास्तविक प्रभाव पड़ सकता

है। क्रेता को कंपनी का प्रबंधकीय नियंत्रण सौंपने के सरकार के इरादे को देखते हुए दिन-प्रतिदिन के कारोबार के मामले और अन्य प्रचालनात्मक मामलों को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

(iv) एस०एच०ए० में यह व्यवस्था की गई कि क्रेता का कंपनी के बोर्ड में बहुमत होगा। 51% इक्विटी की बिक्री पूरी हो जाने के तत्काल बाद कंपनी में 9 निदेशक होंगे जिनमें से 5 को क्रेता नियुक्त किया जाएगा तथा 4 को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एस०एच०ए० में यह व्यवस्था है कि क्रेता द्वारा नामजद व्यक्तियों में से ही प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

(v) शेयर के हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

(क) **क्रेता पर प्रतिबंध** : क्रेता कलोजिंग डेट से तीन वर्षों की अवधि तक कंपनी के शेयरों को किसी तीसरे पक्षकारों को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यदि क्रेता लॉक-इन-पीरियड की समाप्ति के बाद अपने शेयरों को बेचने का प्रस्ताव करता है तो क्रेता उस कीमत पर, जिस पर क्रेता शेयरों को बेचने का प्रस्ताव करता है, प्रथम इनकार के अधिकार से सरकार को शेयर बेचने के प्रस्ताव के लिए बाध्य है। यदि सरकार प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करती है तो क्रेता तीसरे पक्षकार को शेयर बेच सकता है, शर्त यह है कि सरकार उसका साथ देने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकती है तथा तीसरे पक्षकार के लिए आवश्यक है कि शेयर के सभग्र या कम से कम निर्धारित भाग को भी अनिवार्य रूप से खरीदे।

(ख) **सरकार का प्रतिबंध** : अपने शेयर बेचने के लिए सरकार के अधिकार पर कोई लॉक-इन-प्रतिबंध नहीं है। तथापि, जैसा कि अधिकांश शेयर होल्डर्स/संयुक्त उद्यम करार में प्रथा है, यदि सरकार अपने शेयरों में से किसी शेयर या सभी शेयरों को बेचने का प्रस्ताव करती है तो क्रेता को प्रथम इनकार का अधिकार है। यदि सरकार अपने किसी शेयर या सभी शेयरों को बेचने का प्रस्ताव करती है, तो सरकार उस कीमत पर, जिस पर सरकार शेयरों को बेचने का प्रस्ताव करती है, क्रेता को ऐसे शेयर बेचने के पहले प्रस्ताव के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त, यदि क्रेता सरकार के शेयर को खरीदने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है तथा सरकार का विचार तीसरे पक्षकार (पब्लिक के अलावा) को शेयर बेचने का है, तो जैसा कि क्रेता का तीसरे पक्षकार को अपने शेयर बेचने का मामला है, क्रेता को सरकार का साथ देने का अधिकार होगा और सरकार को तीसरे पक्षकार की सभी खरीददारियों को खरीदना या क्रेता के शेयरों की आनुपातिक संख्या की खरीद को सुनिश्चित करना होगा।

(ग) एस०एच०ए० में यह व्यवस्था है कि यदि प्रथम इनकार के अधिकार के अधीन क्रेता शेयरों को नहीं खरीदता है तो सरकार सेल का प्रस्ताव करके पब्लिक को अपने शेयरों की बिक्री कर सकती है। तथापि, पब्लिक को प्रस्तावित सेल के स्तर पर सरकार क्रेता को उस कीमत पर, जिस पर सरकार पब्लिक को शेयर बेचने का प्रस्ताव करती है, उतने शेयरों का प्रस्ताव करने के लिए बाध्य है जितने की 75% + कंपनी का एक शेयर के बराबर क्रेता की औसत शेयर होल्डिंग होगी।

(घ) एस०एच०ए० में कलोजिंग डेट से 3 वर्ष की समाप्ति के बाद क्रेता को विकल्प देने की व्यवस्था है, जिसके तहत क्रेता इच्छा व्यक्त कर सकता है कि सरकार द्वारा धारित समग्र शेयरों को उस मूल्य पर, जो (क) शेयरों के उचित मूल्य ; या (ख) घोषित डिवीडेन्ट के लिए उपलब्ध कराए जाने के बाद अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 14% ब्याज समेत एस०पी०ए० के अनुसार उस मूल्य पर जिस पर 51% स्टेक की बिक्री की गई है, सरकार समग्र शेयरों की बिक्री करे।

(vi) कर्मचारियों के हितों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

(क) रिसाइटल एच में यह बताया गया है कि खण्ड 7.2 के बशर्ते पक्षकारों का विचार है कि यहां उल्लिखित तारीख को कंपनी के सभी कर्मचारियों को कंपनी के नियोजन में जारी रखा जाएगा। यह नोट किया जा सकता है कि यह बाध्य प्रावधान

नहीं है तथा करार (खण्ड 7.2) के सबस्टेनाटिव प्रावधानों के अंतर्गत है जो निम्नवत चर्चा किए गए तरीके से कार्यबल में कटौती करने की अनुमति देता है।

(ख) खण्ड 7.2 (ङ) : समापन तारीख से एक वर्ष अवधि के लिए क्रेता कंपनी के श्रमिक बल के किसी भाग में कटौती नहीं कर सकता है।

(ग) खण्ड 7.2 (च) : समापन तारीख से एक वर्ष के बाद, यदि कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाती है तो कंपनी कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का प्रस्ताव करेगी जो बिक्री के कार्यान्वयन से पूर्व कंपनी द्वारा प्रस्ताव की गई स्वैच्छिक सेवा योजना से कम अनुकूल नहीं होगी।

यह नोट किया जा सकता है कि उपरोक्त प्रावधान, खण्ड 7.2 (ङ) और (च) बाध्यकारी प्रावधान हैं।

(घ) खण्ड 5.3 (एम) : क्रेता के प्रथम इनकार के अधिकार के बावजूद सरकार कंपनी के कर्मचारियों को अपने शेयरों में से कंपनी की इक्विटी के 5% तक का प्रस्ताव कर सकती है।

(ङ) एस०एच०ए० अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सदस्यों से संबंधित गैर बाध्यकारी विवरण समाविष्ट है। यह प्रावधान ''बेहतर प्रयास आधार'' पर है तथा यह व्यवस्था है कि क्रेता को ऐसी श्रेणियों के लिए प्रर्याप्त नियोजन अवसर प्रदान करने का प्रयास करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि कार्यबल में कोई कटौती की जाती है तो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की अंत में कटौती की जाए।

[अनुवाद]

एन.ई.ई.आर.आई. द्वारा खनन संबंधी अध्ययन

3223. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.) को कर्नाटक राज्य में खनन क्षेत्रों की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संगठन द्वारा रिपोर्ट के कब तक सौंपे जाने का अनुमान है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) बेल्लारी-होसपेट क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन के विशेष सन्दर्भ में पर्यावरणीय मुद्दों को विकासात्मक गतिविधियों के साथ जोड़ने तथा क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए उपयुक्त नीतियों की योजना बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने बेल्लारी - होसपेट क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के कार्य हेतु मैसर्स राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.) को बनाए रखा हुआ है।

क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन का उद्देश्य मानव हित के पैरामीटरों, महत्वपूर्ण प्रभावों की पहचान, भविष्यवाणी और मूल्यांकन, मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का मूलयांकन तथा लागत प्रभावी और उपयुक्त क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने सहित पर्यावरण के विभिन्न घटकों अर्थात वायु, शोर, जल भूमि, जैव और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के संबंध में बेसलाइन सिनारियों स्थापित करना है।

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने एक मौसम के आंकड़ों के आधार पर, अक्तूबर, 2002 में बेल्लारी - होसपेट क्षेत्र में, खनन आपरेशनों के लिए त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का कार्य पूरा कर लिया है। क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन तीन मौसमों के आंकड़ों का अनुसरण करेगा।

शिक्षा नीति

3224. श्री के० येरननायडू :
डा० बी०बी० रमैया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसा शिक्षा नीति, 2002 का ब्यौरा क्या है जिसे हाल ही में एक जनहित याचिका द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी;

(ख) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय के छात्र दुनिया भर के धर्मों की जानकारी हासिल करें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सरकार ने शिक्षा नीति, 2002 नहीं बनायी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. के लिए धनराशि का आबंटन

3225. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान योजनागत आबंटन के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को कार्यक्रम-वार, योजना और घटक-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है, और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की प्रस्तावित आवश्यकता कितनी है; और

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम/योजना और घटक को आबंटित की गई धनराशि के कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1999-2000

(लाख रु० में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	बजट आबंटन	व्यय	निधियों के कम उपयोग के कारण
1.	अधिकारियों का वेतन	30.00	25.05	(1) द्वारका, नई दिल्ली, में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए निधियां आबंटित की गई थी परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के कारण निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया।
2.	स्थापना के लिए वेतन	11.50	10.84	
3.	भत्ता मानदेय और छुट्टी यात्रा रियायत	30.00	22.71	(2) एन०ई०आर०आई०ई० शिलांग के निर्माण के लिए निधियां आबंटित की गई थी परन्तु परियोजना शुरू नहीं हो पाई।
4.	यात्रा भत्ता	4.00	2.25	
5.	अन्य प्रभार	26.00	19.32	
6.	छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप	1.50	0.47	
7.	कार्यक्रम	400.00	373.19	
8.	विविध/एन०टी०एस०यू०	25.00	4.22	
9.	उपस्कर एवं फर्नीचर	200.00	171.08	
10.	भूमि एवं भवन	521.50	337.01	
	कुल	1249.50	966.14	

[अनुवाद]

दाऊद के संपर्क

3226. श्री अधीर चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित किसी पर्ल पालीमर कंपनी के मालिक का संबंध अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडरवर्ल्ड सरगनाओं के बारे में खुफिया एजेन्सियों की रिपोर्टें मानक स्तर की नहीं पायी गई हैं जिसके फलस्वरूप अनेक सरगना दूसरे देश भाग गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार देश में अपनी खुफिया एजेन्सियों को चुस्त दुरूस्त करने हेतु क्या कदम उठाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सड़कों पर अतिक्रमण

3227. श्री रामदास आठवले : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस आयुक्त ने अगस्त, 2002 में सहायक पुलिस आयुक्तों और थानाध्यक्षों की एक बैठक बुलाई थी और उन्हें सड़कों से अतिक्रमण हटाने को कहा था और ऐसा न कर पाने की दशा में मुख्य रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया है और थानावार किन-किन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जाना अभी शेष है; और

(घ) दोषी थानाध्यक्षों/सहायक पुलिस आयुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, एक आन्तरिक परिपत्र जारी किया था जिसमें ऐसे 11 यातायात कोरीडोर्स की पहचान की गई थी जिनसे अतिक्रमण हटाए जाने थे। इन पहचान किए गए कोरीडोर्स से, अरविन्दो मार्ग की पटरी पर एक हिस्से को छोड़कर, अतिक्रमण हटा लिए गए हैं। न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के कारण इस हिस्से से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।

[अनुवाद]

एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा आचार संहिता

3228. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विद्यालयी अध्यापकों के लिए ट्यूशन पढ़ाने के संबंध में परिलब्धियां स्वीकार न करने हेतु पहली बार तीस सूत्रीय आचार संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आचार संहिता को लागू किया गया है;

(ग) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघों के अखिल भारतीय परिसंघ और शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की सहायता से आयोजित अनेक कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों के लिए तीस-सूत्री व्यावसायिक आचार-संहिता तैयार की गई थी। बाद में, इसे 1997 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया था।

शिक्षकों के लिए इस व्यावसायिक आचार संहिता का एक सूत्र यह है कि शिक्षक अनुमोदित योजना के तहत उपचारी शिक्षण के सिवाए अपने छात्रों को कोचिंग अथवा शिक्षण देने के लिए पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करेंगे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 5-6 फरवरी, 2001 के दौरान शिक्षक संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि राज्य स्तर पर शिक्षक संगठन इस संहिता और उसके अनुपालन की आवश्यकता के प्रति

जागरूकता पैदा करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी सिफारिश की गई थी कि शिक्षक संगठनों को शिक्षक समुदायों द्वारा इस संहिता के अनुपालन की मानीटरी की जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

'कापार्ट' के पास लंबित प्रस्ताव

3229. श्री दिलीप संघाणी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार 'कापार्ट' के पास विभिन्न राज्यों के राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) क्या 'कापार्ट' द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने और उन्हें पूरा करने में असाधारण विलंब किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

गामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) कपार्ट द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, डेस्क मूल्यांकन और वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन के बाद परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, जिसके दौरान एक स्वतंत्र मॉनिटर द्वारा संगठन की क्षमता और विश्वसनीयता एवं प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच की जाती है। यदि जांच रिपोर्ट सकारात्मक होती है तो मंजूरी हेतु प्रस्ताव की सिफारिश की जाती है और इसे संबंधित राष्ट्रीय स्थायी समिति/कपार्ट की क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दस्तावेज प्राप्त करने, जांचकर्त्ता नियुक्त करने, उनकी रिपोर्ट प्राप्त करने, इन दस्तावेजों और रिपोर्टों की जांच करने, इत्यादि की समस्त प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही प्रस्ताव को राष्ट्रीय स्थायी समिति/क्षेत्रीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

विवरण

राज्य-वार परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	लंबित परियोजनाओं की सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	209
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	32
4.	बिहार	275
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	चंडीगढ़	2
7.	दिल्ली	12
8.	गुजरात	37
9.	हिमाचल प्रदेश	53
10.	हरियाणा	117
11.	झारखंड	67
12.	जम्मू-कश्मीर	11
13.	कर्नाटक	53
14.	केरल	56
15.	महाराष्ट्र	58
16.	मध्य प्रदेश	49
17.	मणिपुर	82
18.	मिजोरम	4
19.	मेघालय	4
20.	नागालैंड	18
21.	उड़ीसा	161
22.	पंजाब	5
23.	राजस्थान	58
24.	सिक्किम	4
25.	तमिलनाडु	126

1	2	3
26.	त्रिपुरा	21
27.	उत्तर प्रदेश	187
29.	उत्तरांचल	46
29.	प० बंगाल	167
	कुल	1925

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

3230. **श्री विष्णु पद राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का शिक्षा विभाग "प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना" के अंतर्गत एक ऐसी योजना का कार्यान्वियन कर रहा है जिसके अन्तर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान विद्यालयों के लिए 75 अतिरिक्त कक्ष और 50 शौचालयों के अलावा 10 प्राथमिक शिक्षा भवनों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान विद्यालयों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त कक्ष और शौचालायों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अक्तूबर, 2002 तक "प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना" के अन्तर्गत विद्यालय-वार और कक्षावार कितने प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, यूनीफार्म, मध्याह्न भोजन, उपस्थिति छात्रवृत्ति और यात्रा रियायत आदि प्रदान की गई है; और

(घ) "प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के अलग-अलग कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

3231. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उन्हें संशोधित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कुछ राज्य इस योजना के मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मार्गनिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) जी, हां। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी. आर.वाई.) के विस्तृत दिशा-निर्देश 21 अगस्त, 2002 को जारी किए गए। योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है और पोषाहार स्तरों को सुधारना है तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचा भी सृजित करना है। योजना को पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के परामर्श के दिशा-निर्देश बनाए गए थे तथा उनके द्वारा इन्हें स्वीकार किया गया है। हालांकि इन दिशा-निर्देशों के संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु कुछ राज्यों ने योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण और उनकी ढुलाई लागत में छूट की मांग की है।

(ङ) और (च) सभी राज्य दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दिशा-निर्देशों में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं ताकि योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास योजनाएं

3232. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री सुनील खां :

क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवारों के बच्चों को भोजन प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत इसके आरम्भ से आज तक राज्य-वार कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पकार की सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें समाज के वंचित वर्गों के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ सेवाएं, पोषाहार व स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा शामिल हैं। यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार कार्यक्रम आयोजना व परिचालन लागत के लिए उत्तरदायी है और राज्य सरकारें कार्यक्रमों का कार्यान्वियन करने एवं पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार लाभान्वित बच्चों की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित बच्चों (6 वर्ष से कम) की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1788267
2.	अरुणाचल प्रदेश	59888
3.	असम	734224
4.	बिहार	248957
5.	छत्तीसगढ़	1086635
6.	गोवा	36870
7.	गुजरात	1347775
8.	हरियाणा	974378
9.	हिमाचल प्रदेश	255915
10.	जम्मू-कश्मीर	197874
11.	झारखण्ड	375921
12.	कर्नाटक	2393882
13.	केरल	804200
14.	मध्य प्रदेश	2303732
15.	महाराष्ट्र	3844336
16.	मणिपुर	158916
17.	मेघालय	160205
18.	मिजोरम	94767
19.	नागालैण्ड	227108
20.	उड़ीसा	4895984
21.	पंजाब	458837
22.	राजस्थान	1584393
23.	सिक्किम	32330
24.	तमिलनाडु	1261143
25.	त्रिपुरा	123435
26.	उत्तर प्रदेश	3954737
27.	उत्तरांचल	62288
28.	पश्चिमी बंगाल	3228051
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	26391
30.	चण्डीगढ़	28819

1	2	3
31.	दिल्ली	416124
32.	दादरा और नागर हवेली	11416
33.	दमन और दीव	5491
34.	लक्षद्वीप	3446
35.	पाण्डिचेरी	33295
	कुल	33220030

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सर्वेक्षण

3233. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1997 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के सर्वेक्षण की तरह ही ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों और उनके रहन-सहन के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सर्वेक्षण कराना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण कब तक कराने का है;

(घ) क्या सरकार को राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची में गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को शामिल करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मामले पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 13वें सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ''गरीब'' और ''गरीब-नहीं'' लोगों के निर्धारण के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की गणना करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने की सलाह दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 1997 की गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की गणना में कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की सूची में अवांछित लोगों को स्थान मिलने और अन्य को स्थान न मिलने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक गांव की बी०पी०एल० सूची को ग्राम सभा के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाना होता है और उसे सार्वजनिक संवीक्षा के लिए प्रदर्शित किया जाना होता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को इस संबंध में जारी अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

'हडको' द्वारा आवास क्षेत्र हेतु अनुदान

3234. श्री थावरचन्द गेहलोत :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'हडको' द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान को आवास योजनाओं हेतु प्रदान किए गए अनुदानों, ऋणों का वर्षवार, मदवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में मलिन बस्ती सुधार गरीब लोगों हेतु आवास और विभिन्न पुलों और सड़कों के निर्माण हेतु वर्षवार, योजनावार और राज्यवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान हडको आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कितने लोगों को ऋण दिया गया है और वह किस ब्याज दर पर दिया गया है;

(घ) क्या विभाग ने इस वर्ष को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) देश में आवास योजनाओं के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों को हडको द्वारा स्वीकृत ऋण का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्लम सुधार/गरीब लोगों के लिए आवास हेतु स्वीकृत ऋण का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विभिन्न प्रकार के पुलों और सड़कों के लिए स्वीकृत ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत योजनाओं का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है तथा अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हडको द्वारा प्रभारित ब्याज की दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जहां तक शहरी विकास और गरीबी उपशमन विभाग का संबंध है, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

1.4.97 से 31.3.2002 तक मंजूर राज्य-वार/वर्ष-वार आवासीय ऋण

क्र.सं.	राज्य	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	172.16	491.17	526.16	500.37	343.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	16.51	172.53	56.31	9.94	14.10
4.	बिहार	4.65	23.26	12.41	25.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	10.83	42.32
6.	दिल्ली	1.65	3.50	10.46	0.05	2.12
7.	गोवा	13.34	0.00	0.00	5.00	8.30
8.	गुजरात	75.63	91.35	110.59	16.14	49.62
9.	हिम्याचल प्रदेश	72.04	65.68	29.10	3.43	0.00
10.	हरियाणा	19.41	45.76	11.51	22.74	24.71
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
12.	जम्मू-कश्मीर	36.07	18.11	35.99	17.96	8.00
13.	केरल	244.18	526.48	639.44	379.64	111.10
14.	कर्नाटक	135.39	618.40	344.95	605.63	557.92
15.	मेघालय	0.23	52.73	5.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	124.86	539.50	94.70	40.62	52.44
17.	मणिपुर	22.28	18.79	1.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	89.11	260.49	92.32	49.15	72.18
19.	मिजोरम	6.38	2.00	1.00	3.00	[illegible].00

1	2	3	4	5	6	7
20.	नागालैंड	13.13	19.55	33.82	24.48	39.50
21.	उड़ीसा	55.66	72.75	642.57	222.08	30.46
22.	पंजाब	50.50	136.22	100.00	117.60	20.00
23.	राजस्थान	227.04	61.98	102.96	18.51	29.01
24.	सिक्किम	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	192.72	478.90	405.36	350.55	225.66
26.	त्रिपुरा	1.30	0.02	9.09	0.71	2.62
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
28.	उत्तर प्रदेश	138.98	185.55	119.14	110.79	325.16
29.	पश्चिमी बंगाल	35.04	120.39	114.70	265.30	124.34
	संघ प्रदेश					
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.38	1.50	2.45	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	1.71	5.30	0.00	0.00	0.00
	कुल	1752.05	4011.91	3501.03	2799.50	2111.05
	हाउसिंग निवास	0.00	0.00	1259.97	1071.27	463.72
	सकल योग	1752.05	4011.91	4761.00	3870.77	2574.77

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान आवास/उन्नयन के लिए राज्यवार/वर्ष-वार स्वीकृत ऋण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	7.36	0.99		0.05	0.58
2.	अरुणाचल प्रदेश					0
3.	छत्तीसगढ़	0.14				20

1	2	3	4	5	6	7
4.	दिल्ली					0
5.	गुजरात	3.11				0
6.	हरियाणा				49.72	0
7.	जम्मू-कश्मीर					0
8.	झारखंड					1
9.	कर्नाटक	1.46	7.16	12.27	125.65	51.45
10.	केरल					0
11.	मध्य प्रदेश			0.29		5.5
12.	महाराष्ट्र		60			52.44
13.	मणिपुर					0
14.	नागालैंड					0
15.	उड़ीसा					0
16.	पाण्डिचेरी					0
17.	पंजाब					20
18.	राजस्थान					19.82
19.	तमिलनाडु	17.86	14.31	40.64		10.07
20.	त्रिपुरा					0
21.	उत्तर प्रदेश					250
22.	उत्तरांचल					4.59
23.	पश्चिमी बंगाल					8.72
	कुल	29.93	82.46	53.02	175.42	444.17

विवरण-III

ख.1 नौवीं योजना के दौरान स्वीकृत सड़क और पुल स्कीम

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
असम				29.9	

1	2	3	4	5	6
बिहार					17.19
गोवा	11.85				
गुजरात		198.22	120.91		
हरियाणा			179.94	453.1	
जम्मू-कश्मीर			2.3		
कर्नाटक	5.12	130.96	275		364.50
केरल			59.15		
मध्य प्रदेश			85.08		
महाराष्ट्र			430.27		66.86
पंजाब		50.0			
राजस्थान	14.31				
तमिलनाडु	286.58	91.89	9.0	227.04	9.28
त्रिपुरा				73.0	
उत्तर प्रदेश	2.42				
पश्चिमी बंगाल				265.96	
कुल	320.28	471.07	1161.64	1049	457.83

विवरण-IV

विभिन्न आवास स्कीम के अंतर्गत हडको द्वारा मंजूर ऋण के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-1998		1998-1999		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		स्कीमों की सं०	ऋण राशि	स्कीमों की सं०	ऋण राशि	स्कीमों की सं०	ऋण राशि	स्कीमों की सं०	ऋण राशि	स्कीमों की सं०	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	102	319.56	38	614.7	35	748.94	50	842.93	35	1027.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.00
3.	असम	6	16.51	12	197.56	10	123.37	9	39.84	3	14.10
4.	बिहार	5	8.65	20	35.26	14	12.41	1	25.00	1	17.19
5.	छत्तीसगढ़	—	—	-	—	—	—	10	21.13	7	42.32
6.	गोवा	7	46.19		—	3	49.49	1	5.00	1	8.3[illegible]
7.	गुजरात	32	183.52	56	330.34	29	329.64	16	[illegible]2.80	18	1192.12
8.	हिमाचल प्रदेश	24	72.54	19	166.78	2	29.10	7	4.10	—	—
9.	हरियाणा	[illegible]	19.41	17	70.22	7	191.45	7	525.56	2	26.61
10.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.50
11.	जम्मू कश्मीर	6	33.07	9	35.44	9	37.83	4	37.96	4	108.00
12.	केरल	95	289.70	162	[illegible]47.70	86	89[illegible]	22	446	7	162.88
13.	कर्नाटक	72	381.27	197	10[illegible]7.06	97	993.[illegible]	53	1201.07	98	1450.43
14.	मेघालय	1	0.23	4	55.32	1	5.00	—	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	58	29.42	38	1068.36	62	812.41	22	322.65	10	976.22
16.	मणिपुर	6	22.28	5	56.59	2	1.00	—	—	1	0.00
17.	मध्य प्रदेश	46	101.97	68	367.43	64	215.78	35	70.76	41	128.31
18.	मिजोरम	2	6.38	2	2.00	1	1.00	3	3.00	2	4.00
19.	नागालैंड	2	13.13	4	27.84	4	33.82	[illegible]	24.48	7	52.85
20.	उड़ीसा	17	88.89	42	72.75	21	642.57	13	232.25	7	47.93
21.	पंजाब	19	72.08	16	223.55	[illegible]	100.00	6	227.57	11	148.47
22.	राजस्थान	79	259.99	59	151.59	[illegible]8	307.97	9	118.51	12	109.01
23.	सिक्किम	1	0.50	—	—	-	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	127	573.26	227	945.00	122	996.29	42	990.85	31	46[illegible].53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	त्रिपुरा	2	1.50	1	0.02	10	9.09	2	73.71	4	2.62
26.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	1	6.50	6	25.02
27.	उत्तर प्रदेश	50	183.49	26	248.53	35	208.33	22	198.79	12	325.76
28.	पश्चिमी बंगाल	21	40.04	15	236.22	20	878.36	21	752.30	13	624.73
	संघ प्रदेश										
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	2	1.38	1	1.50	2	2.45	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	2	1.71	3	5.74	—	—	—	—	1	0.00
32.	दिल्ली	2	6.55	3	9.50	4	14.55	2	8.05	4	8.12
33.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

विवरण V

हडको द्वारा अपनी आवास स्कीमों में लिए जाने वाले ब्याज दर का विवरण

वर्ष	ब्याज दर
1997-1998	9% - 19%
1998-1999	9% - 19%
1999-2000	10% - 15%
2000-2001	10% - 14.75%
2001-2002	10% - 13.75:
2002-2003	10% - 13%

इंदिरा आवास योजना

3235. **श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या अ०जा०/अ०ज०जा० और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत के अनुपात में पात्र लाभार्थी हैं;

(ख) क्या यह प्रतिशत सीमा जिला, ब्लाक और पंचायत स्तर पर प्रयोज्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त अनुपात में इन श्रेणियों से पात्र लाभार्थियों के अभाव में कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों अलावा योग्य लाभार्थियों के प्रति अन्याय करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार मंत्रालय के पास कितने ऐसे लंबित मामले हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) दिशा-निर्देशों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के कुल आबंटन का कम से कम 60% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। बी.पी.एल. लाभार्थियों के गैर अनु०जाति/अनु०जनजाति के वर्गों के तथा युद्ध में मारे गए रक्षाकर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं और रिश्तेदारों को अधिकतम 40% अनुमति होगी, चाहे उनके आय मानदण्ड कुछ भी क्यों न हों, वे बेघर हों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों और आवास पुनर्वास की किसी अन्य योजना के अंतर्गत उन्हें शामिल नहीं किया गया हो। जिला स्तर पर वरीयता-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) यदि किसी खास वरीयता में शत-प्रतिशत कवर किया गया है तो दिशा-निर्देशों के अनुसार शेष वरीयताओं के लिए लक्ष्य वितरित किए जा सकते हैं।

(च) से (ज) इस संबंध में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) नैनीताल (उत्तरांचल) तथा कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से हाल ही में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। डी.आर.डी.ए. को उपर्युक्त (ग) से (ङ) के अनुसार सूचित किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3236. श्री टी० गोविन्दन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की है जिन्होंने वर्ष 1996 से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता संघर्षों के आद आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1996 से निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी आंदोलनों को मान्यता दी है :-

1. कल्लारा-पैनगोड मामला।
2. कडाक्कल दंगा मामला।
3. चेंगान्नूर दंगा मामला।
4. बेट्टियूरकाव्यू सम्मेलन।
5. स्वतंत्रता-विरोधी ट्रावनकोर आंदोलन-1947
6. पुन्नपरा-व्यालार आंदोलन।
7. करीवेल्लूर आंदोलन।
8. कव्यूमबई आंदोलन।
9. कय्यूर आंदोलन।
10. मोराझा आंदोलन।
11. मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल (एम.एस.पी. स्ट्राइक)
12. दादरा व नागर हवेली आन्दोलन।

उन स्वतंत्रता सेनानियों के ब्यौरे, जिन्हें 1996 के पश्चात् स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृति की गई है निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राज्य का नाम	
	केरल	महाराष्ट्र
1996	—	—
1997	—	—
1998	3	—
1999	9	—
2000	6	82
2001	12	1
2002	68	—

राष्ट्रीय सम योजना

3237. श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु राष्ट्रीय सम योजना नामक नया कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के अंतर्गत राज्यवार पहचान किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) कम कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी और भौतिक और सामाजिक ढांचा में गंभीर अंतराल की समस्याओं को हल करते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायता करने के लिए योजना आयोग द्वारा चालू वर्ष में राष्ट्रीय सम विकास योजना (विकास और सुधार सुविधा) शुरू की गई है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तीन घटक हैं–(i) पिछड़ा जिला पहल, जो चालू वर्ष में प्रयोगिक आधार पर संचालित किया जा रहा है, (ii) बिहार के लिए विशेष योजना और (iii) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट (के.बी.के.) जिले, जिन्हें अब कालाहांडी, नुआपाडा, बोलांगीर, सोनपुर, कोरापुट, नबरंगपुर, मलकानगिरि और रायगढ़ नाम के आठ जिलों में बांट दिया गया है, के लिए विशेष योजना।

(ग) योजना के अंतर्गत पहचाने गए जिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2002-03 में पिछड़ा जिला पहल के प्रायोगिक चरण के लिए चयनित जिले

क्र०सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अदीलबाद
		वारंगल
2.	छत्तीसगढ़	बस्तर
		दंतेवाडा
3.	गुजरात	दांग
4.	झारखंड	लौहारदगा
		गुमला
		सिमडेगा
5.	कर्नाटक	गुलबर्गा
6.	केरल	पालाकाड
7.	मध्य प्रदेश	बरवानी
		मंडला
		प० नीमाड़ (खरगोन)
8.	महाराष्ट्र	गढचिरोली
		भंडारा
9.	राजस्थान	बांसवाडा
		डूंगरपुर
10.	तमिलनाडु	तिरूवन्नामलाई
11.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
		राय बरेली
		उन्नाव
		सीतापुर
		हरदोई
12.	प० बंगाल	पुर्णिया
		जलपाईगुड़ी

समुद्री तटों में खनिज भण्डार

3238. श्री अनन्त नायक : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ समुदी तटों में कुछ भारी खनिजों का पता लगााया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खनिजवार और समुद्र तटवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समुद्री तटों में विभिन्न भारी खनिजों के कितने अनुमानित भण्डार होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार के पास इन समुद्री तटों में निहित भारी खनिजों का दोहन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी०ए०ई०) की एक घटक यूनिट एटोमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (ए०एम०डी०) और खान विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने देश के कोस्टल ट्रेक्ट्स एण्ड ऑफ शोर क्षेत्रों में इलेमेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट (परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत निर्धारित पदार्थ) गारनेट, और सिलिमेनाइट (अन्य खनिजों) जैसे भारी खनिजों के प्रचुर संसाधनों की पहचान की है।

(ख) और (ग) ए०एम०डी० के अनुसार कोस्टल जोनों के खनिज-वार संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(मिलियन टन में)

राज्य	इलेमेनाइट	रूटाइल	जिरकॉन	मोनाजाइट	गारनेट	सिलिमेनाइट
केरल	95.51	6.61	6.45	1.35	1.19	39.07
तमिलनाडु	97.91	4.82	8.35	1.73	24.38	21.09
आंध्र प्रदेश	100.10	4.42	4.43	2.29	48.99	47.02
उड़ीसा	45.05	1.88	1.44	1.18	32.61	21.23
अन्य	9.85	0.20	0.47	1.44	0.08	1.75
कुल	348.22	17.93	21.14	7.99	107.09	130.16

(घ) और (ङ) डी०ए०ई० के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट मैसस रेअर अर्थ लिमिटेड (आई०आर०ई०एल०) और केरल सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट मैसर्स केरल मिनरल एण्ड मैटल लिमिटेड द्वारा निर्धारित पदार्थों का वाणिज्यिक विदोहन किया जा रहा है। अन्य खनिजों का विदोहन अनेक निजी उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है। अक्तूबर, 1998 में भारी खनिज निक्षेपों के व्यापक संसाधनों को ध्यान में रखकर परमाणु ऊर्जा विभाग (डी०ए०ई) ने समुद्र तट बालू खनिजों के विदोहन और उनके डाऊनस्ट्रीम उपयोग पर एक नीति संकल्प जारी किया है जिससे भारतीय और विदेशी कंपनियों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

[हिन्दी]

मानसून की तैयारी हेतु निधियों का आबंटन

3239. श्री सईदुज्जमा : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली (मध्य प्रदेश) की विभिन्न परियोजनाओं को इस वर्ष मानसून से निपटने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो मानसून पर कितनी राशि व्यय की गई और प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग कितनी राशि बचाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो मानसून न आने के बावजूद यह राशि किस शीर्ष पर व्यय की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन०सी०एल०) की विभिन्न परियोजनाओं के लिए मानसून से निपटने के लिए प्रत्येक परियोजनाओं के संबंध में चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधि, किया गया व्यय तथा की गई बचत नीचे दी गई है:-

(लाख रु० में)

क्रम सं०	परियोजनाओं के नाम	आबंटित निधि	व्यय	बचत
1.	अमलोरही	164.95	115.44	49.51
2.	जयंत	482.93	464.21	18.72
3.	खदिया	489.30	363.13	126.17
4.	दुधीचुहा	676.15	485.35	190.80
5.	निगाही	396.05	379.00	17.05
6.	झिंगुरदा	128.00	127.00	1.00
7.	बीना	303.78	213.62	90.16
8.	ककरी	86.00	23.00	63.00
	जोड़	2727.16	2170.75	556.41

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों में अग्नि दुर्घटनाएं

3240. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में लगातार अग्नि दुर्घटनाओं से कोयला भण्डार बर्बाद हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अग्नि और पर्यावरण संरक्षण आदि को नियंत्रित करने हेतु कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की कथरा धोवनशाला के कच्चे कोयले के भण्डार में लगभग 25 हजार टन कोयला बर्बाद हो गया था;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगियों में कोयला स्टाकों में बार-बार आग की घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड की किसी अनुषंगी से पिछले तीन वर्षों में आग के कारण कोयला स्टाक के नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न के ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) कोयला स्टाकों में ऊष्मन/आग के कारण उत्पन्न होने वाली आग को नियंत्रित करने तथा पर्यावरणीय संरक्षण आदि के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। ऊष्मन से निपटने के लिए कोयला स्टाकों के निकट पानी की लाइनें बिछाना, पम्पों की व्यवस्था करना आदि जैसे निवारक उपाय किए जाते हैं। ऊष्मन के मामले में, ऊष्मित पदार्थ को अलग-अलग करने के साथ-साथ पानी का छिड़काव/अदाह्य सामग्री से ब्लेकेंटिंग किया जाता है।

(ङ) से (छ) प्रश्न के ऊपर भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) और (ञ) प्रश्न के ऊपर भाग (ज) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा सरकारी कालोनियों में निर्माण/विकास

3241. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान सभी सरकारी कालोनियों में चारदीवारी, द्वारों और पार्कों आदि का निर्माण/विकास किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य भिन्न किन-किन कालोनियों में पूरा कर लिया गया है;

(घ) शेष कालोनियों में इन कार्यों को पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) निवासियों की सुरक्षा और उनके बेहतर रहन-सहन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन कार्यों को कब तक पूरा करने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रखरखाव की जा रही सरकारी कर्मचारियों की सभी कालोनियों में वर्ष 2001-2002, 2002-2003 में चारदीवारी, गेट और पार्क मुहैया कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई में हल्की रेल परिवहन

3242. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और 'हडको' को मुम्बई में एम०एम०आर०डी०ए० महाराष्ट्र से हल्की रेल परिवहन हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें इस संबंध में लोकप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या इसे अवसंरचनागत परियोजना के रूप में माना जा सकता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) मुम्बई में हल्की रेल परिवहन प्रणाली शुरू करने के लिए मुम्बई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एम०एम०आर०डी०ए०) ने जर्मनी की अनुदान सहायता से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हडको को एम०एम०आर०डी०ए० से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। प्रस्ताव को जर्मनी की अनुदान सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग में भेजा गया था। तथापि, जर्मनी ने इस अध्ययन के लिए धन देने में कोई रुचि नहीं दिखायी।

महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में अंधेरी-घाटकोपर एलाइनमेंट में स्काई-बस मेट्रो शुरू करने के लिए एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन भी शुरू किया है जो लगभग पूरा होने पर है। अध्ययन पूरा होने के बाद महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में एक दृढ़ निर्णय लेना होगा तथा एक परियोजना प्रस्ताव बनाना होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) से (छ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

हैदराबाद में साइन्स सिटी की स्थापना

3243. श्री रामनायडू दग्गुबाटि : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में साइन्स सिटी की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इस परियोजना के वित्तपोषण का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा एक अवधारणात्मक परियोजना प्रोफाइन भेजी गई है। साइंस सिटीज़ स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार भारत सरकार द्वारा केवल क्षमताशील परियोजनाओं को ही केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा संस्कृति विभाग, भारत सरकार को संभाव्यता रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्ताव भेजना आवश्यक है।

(ग) और (घ) जी, हां। साइंस सिटीज की स्थापना करने हेतु विहित मानदंडों की एक प्रति राज्य सरकार को संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा भेज दी गई है जिसमें अन्य बातों के अलावा केन्द्र सरकार/सम्बंधित राज्य सरकार दोनों में से प्रत्येक का 13% इक्विटी शेयर का प्रावधान है। शेष 74% इक्विटी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निजी उद्यमियों अथवा अन्य एजेंसी के माध्यम से की जाए। राज्य सरकार द्वारा बताया गया था कि परियोजना की लागत लगभग 200 करोड़ रु० होगी।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा परिधीय विकास कार्य

3244. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अंगुल और ढेंकनाल जिलों में कोई परिधीय विकास कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सम्या और कनोप गांव के निकट नंदिरा नाले पर सबमर्जिबल पुल भी इन परियोजनाओं में एक है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चालू वित्तीय वर्ष में उस परियोजना को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम०सी०एल०) अंगुल जिले में परिधीय विकास कार्य कर रही है। धेनकनाल जिले में कोई विशिष्ट खनन परियोजना नहीं है। अत: धेनकनाल जिले में कोई परिधीय कार्य नहीं किया गया।

(ख) और (ग) अंगुल जिले में किए गए कार्यों में सड़कों, पुलिया, पुलों का निर्माण, स्कूल भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव, पेयजल की आपूर्ति, कुंओं, नलकूपों की खुदाई आदि शामिल है।

गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि नीचे दी गई है:-

अंगुल जिला

वर्ष	लाख रु० में
1999 - 2000	164.26
2000 - 2001	154.11
2001 - 2002	104.79
2002 - 2003 (31.10.2002 तक)	56.31

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

3245. श्री रामजी मांझी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कोयले के मूल्य बढ़ रहे हैं जबकि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रवृति गिरावट की है;

(ख) यदि हां, तो इसे क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयले की कीमतों को कम करने का है;

(घ) क्या देश में कोयले का प्रतिस्पर्धात्मक बाजार आरम्भ करने हेतु कोई योजना; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) आयातित कोयले की बंदरगाह पर कीमत स्वत: ही खान स्थल पर देशी कोयले की कीमत से अधिक होती है। तथापि, लम्बी दूरी तक

रेल द्वारा परिवहन करने के कारण देशी कोयले की सुपुर्दगी कीमत तापीय आधार पर आयातित कोयले की तुलना में महंगा हो जाता है जिसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :-

(1) आयातित कोयले के मुकाबले में देशी कोयला स्वाभाविक रूप से कम ऊष्मा पैदा करता है।

(2) कोयला खानों की अवस्थिति भारत के मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण देशी कोयले को रेल द्वारा काफी लम्बी दूरी तक भेजना पड़ता है और कोयले की ढुलाई के लिए रेल भाड़े की दर काफी ऊंची होती है।

(3) आयात किए गए कोयले की रायल्टी, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता। पश्चिम बंगाल में स्थित कोयला खानों से निकाले गए देशी कोयले पर पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उपकर लगाए गए हैं।

(ग) भारत सरकार के पास, कोयला आयातों के खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत उदारीकरण होने और देश में गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस तथा पेट्रो-ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधनों की उपलब्धता से भारतीय कोयले के मूल्य पर अन्तर्निर्मित नियंत्रण पहले से ही मौजूद है।

(घ) और (ङ) कोयला क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा बाजार होने के लिए भारत सरकार ने 24.4.2000 को निम्न उद्देश्यों के साथ राज्य सभा में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है—(1) भारतीय कंपनियों को गृहीत खनन के वर्तमान प्रतिबंध के बिना देश में कोयला तथा लिग्नाइट के खनन की अनुमति देना, (2) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को देश में कोयला तथा लिग्नाइट संसाधनों का अन्वेषण करने की अनुमति देना।

[हिन्दी]

भूमि का अधिग्रहण

3246. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 30.4.2002 के अतारांकित प्रश्न सं० 5413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-बुलंदशहर बाईपास सड़क पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और भूमि विकास कार्य को कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(घ) पात्र सहकारी आवास समितियों के प्लाटों का आबंटन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया में शीघ्रता लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सुविधाहीन बच्चों पर सम्मेलन

3247. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सुविधाहीन बच्चों पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बच्चों की समस्या के क्षेत्र का पता लगाया गया है;

(ग) क्या पहचान की गई समस्याओं के निराकरण हेतु कोई राज्यस्तरीय कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर पश्चिम बंगाल के संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। तथापि, महिला एवं बाल विकास विभाग ने विश्व बाल दिवस, अर्थात् 14 नवम्बर, 2002 को राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले 4000 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों के लिए खेल-कूद, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम का मुख्य विषय सर्व शिक्षा अभियान था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वजलधारा परियोजना

3248. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वजलधारा परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है जैसा कि 23.11.02 के 'दि हिंदू' में ''यूजर्स टु मेन्टेन वाटर प्रोजेक्ट्स'' शीर्षक के अंतर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) स्वजलधारा योजना का कार्य निष्पादन किन राज्यों में संतोषजनक नहीं है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव इस योजना को बंद करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा स्वजलधारा योजना को और प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (च) भारत सरकार की सुधार संबंधी पहल के अनुसार स्वजलधारा मांग संचालित, ग्रामीण जल आपूर्ति समुदाय प्रशस्त भागीदारी पद्धति वाली योजना है। इस कार्यक्रम को राज्य सरकार के माध्यम से गांवों, ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर देश भर में कार्यान्वित करने के लिए 25.12.2002 को शुरू किया जाएगा। अब तक स्वजल धारा के अंतर्गत सरकार ने कोई योजना मंजूर नहीं की है।

व्याख्याता को पी०एच०डी० की उपाधि

3249. श्री वाई०वी० राव :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले से स्थायी आधार पर कालेजों में कार्य कर रहे व्याख्याताओं के लिए 31 दिसम्बर, 2002 तक पी०एच०डी० की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 2002 तक अपनी पी०एच०डी० की उपाधि पूर्ण नहीं कर पाने वाले व्याख्याताओं को सीमा में व्यवधान देने का है अथवा उनके लिए इस समय सीमा को बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी अनुसंधान परियोजना

3250. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुम्बई सहित कुछ चुने हुए शहरों में जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) मुम्बई परियोजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन (प्रायोजित) किए गए हैं:-

(i) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर द्वारा मुम्बई सहित 36 चुने हुए नगरों में पीने के पानी की क्वालिटी की निगरानी।

(ii) राष्ट्रीय मुबई संस्थान तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली द्वारा मुम्बई सहित 300 नगरों में जल आपूर्ति, सफाई तथा कचरा निपटान की स्थिति।

(iii) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर, द्वारा मुम्बई को छोड़कर 10 नगरों में भूमिगत जल स्रोतों की गुणवत्ता पर स्थल पर सफाई का प्रभाव।

(ख) संबंधित संस्थानों द्वारा अनुसंधान अध्ययन किए गए हैं और आवश्यक प्रारूप/अंतरिम रिपोर्टें तकनीकी जांच के लिए इस मंत्रालय में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) को भिजवा दी गई है। उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित रिपोर्टों में और संशोधन/परिवर्तन करने के लिए टिप्पणियां संस्थानों को भिजवा दी गई हैं।

(ग) नीरी नागपुर ने बताया है कि मुम्बई सहित चुने हुए नगरों में पानी की क्वालिटी की निगरानी संबंधी अध्ययन मार्च, 2003 तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली ने बताया है कि मुम्बई सहित 300 नगरों तथा कस्बों से संबंधित अध्ययन को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

3251. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नौवीं योजना के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यनिष्पादन और उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव दसवीं योजना के दौरान कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो हस्तांतरित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) दसवीं योजना तैयार करने के संदर्भ में सभी योजनाओं की पुनरीक्षा की गई है। परिणामस्वरूप "बेघरों के लिए घर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्रियाकलाप/सम्मेलन (आई.वाई.एस.एच.)" नामक योजना दिनांक 1.4.2002 से समाप्त कर दी गई है। दो अन्य योजनाएं यथा शहरी संकेतक कार्यक्रम तथा अनुसंधान व सर्वेक्षण योजना विलय करने का प्रस्ताव है। अन्य योजनाएं आवश्यक परिवर्तनों के साथ दसवीं योजना के दौरान भी जारी है।

योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा सचिव स्तर पर संबंधित राज्य सचिवों के साथ समय-समय पर पुनरीक्षा बैठकें आयोजित करके की जाती है जिनमें कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वियन से संबंधित मुद्दों/अवरोधों का समाधान किया जाता है।

इसके अलावा राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से भी समय-समय पर योजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग की जाती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की फरवरी, 1999 में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतरण के मुद्दे पर विचार करने के लिए योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की गई। इस समिति में राज्यों और केन्द्र सरकार दोनों के सदस्य शामिल हैं। समिति का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2002 तक है।

अनधिकृत परिवर्तन/निर्माण

3252. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 2002 और 9 मई, 2002 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" और "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में क्रमशः "एविक्शन नोटिसेज टु 1500 गवर्नमेंट रेजीडेन्ट्स" और "अनअथाराइज्ड स्ट्रक्चर्स इन मैनी गवर्नमेंट बंगलोज" शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 1500 सरकार फ्लैट आबंटियों को बेदखली संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं जबकि सरकारी बंगलों में अनाधिकृत निर्माण के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और दोनों के साथ समान व्यवहार करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एस०आर० 317-बी-21 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई आबंटी जिसे निवास आबंटित किया गया है, निवास के किसी भी भाग में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण करता है तो अनधिकृत ढांचे को 15 दिनों के अन्दर हटाने के लिए आबंटी को नोटिस जारी किया जाता है जिसके न हटाये जाने पर सम्पदा निदेशालय आबंटन को रद्द

कर सकता है। तथापि, उन आबंटियों के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिन्हें अनधिकृत ढांचे हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इस बारे में विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा समूचे मुद्दे पर एक नीति तैयार की जा रही है।

रुग्ण रसायन और उर्वरक कंपनियों की देनदारियां

3253. श्री मोहन रावले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में रसायन और उर्वरक कंपनियां रुग्ण हो गई हैं और बंदी के कगार पर हैं अथवा बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रसायन और उर्वरक कंपिनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव इन कंपनियों में विनिवेश करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार कंपनी-वार उनकी कुल कितनी परिसम्पत्तियां हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि रसायन और उर्वरक कंपनियों पर विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की भारी धनराशि बकाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार ने इन रसायन और उर्वरक कंपनियों का विनिवेश करने से पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों को देय बकाया राशि का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन लि० (एचएफसी), फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एफसीआई) और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पीडीआईएल) को वर्ष 1992 में और पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि० (पीपीसीएल) को वर्ष 2000 में रुग्ण घोषित किया गया है। इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा, जिन्हें सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है, इस प्रकार है :-

एचएफसी – बरौनी (बिहार), दुर्गापुर, हल्दिया (प० बंगाल) और उर्वरक संवर्धन एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग।

एफसीआई – सिंदरी (झारखंड), गोरखपुर (उ०प्र०), रामागुंडम (आंध्र प्रदेश), तालचर (उड़ीसा), कोरबा (छत्तीसगढ़)।

पीपीसीएल – सलादीपुरा (राजस्थान) और देहरादून (उत्तरांचल)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) इन कंपनियों के बकाया बिजली देयों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़)

एचएफसी	–	153.24 (143.41 विवादग्रस्त)
एफसीआई	–	87.79
पीपीसीएल	–	9.41 (विवादग्रस्त)

वेस्टर्न कोल माइंस को बंद करना

3254. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोल माइंस बंद पड़ी हैं और कुछ अन्य को शीघ्र ही बंद किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बंद और अन्य खानों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने अलाभकारी बंद खानों को भविष्य में अर्थक्षम बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बंद खानों के कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से नियोजित किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू०सी०एल०) में कुछ कोयला खानों को कोयला भंडारों के समाप्त होने तथा तकनीकी आर्थिक एवं सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद की गई कोयला खानों की राज्य-वार संख्या तथा उनको बंद किए जाने के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	खानों का नाम	प्रकार	राज्य	बंद करने के कारण
1999-2000	शिवपुरी	भूमिगत	मध्य प्रदेश	खनन योग्य भंडारों का समाप्त होना
	कुकुरमुंडा	ओपनकोस्ट	मध्य प्रदेश	-वही-
	एन० माजरी सं.-II	भूमिगत	महाराष्ट्र	-वही-
	काम्पटी	भूमिगत	महाराष्ट्र	-वही-
2000-2001	वलनी	भूमिगत	महाराष्ट्र	-वही-
2001-2002	विरूर/ चिन्वोली	भूमिगत	महाराष्ट्र	तकनीकी-आर्थिक
	नकोड़ा	भूमिगत	महाराष्ट्र	सुरक्षा
	ई०डी० चिकली	भूमिगत	मध्य प्रदेश	खनन योग्य भंडारों का समाप्त होना
	चान्दमेटा	भूमिगत	मध्य प्रदेश	-वही-
	रावनवारा	ओपनकास्ट	मध्य प्रदेश	-वही-

वर्तमान में, डब्ल्यू०सी०एल० में 81 खानें प्रचालन में हैं—44 भूमिगत, 31 ओपनकास्ट तथा 6 मिश्रित खानें हैं।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित कारणों से बंद पड़ी खानों को पुन: खोलना संभव नहीं है। इसलिए, इन बंद खानों की व्यवहार्यता का प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) बंद खानों की सभी जनशक्ति को कंपनी के भीतर ही उसी अथवा साथ वाले क्षेत्रों में दूसरी यूनिटों में पुर्नआबंटित किया गया है।

मानव संसाधन विकास में निवेश

3255. श्री जय प्रकाश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 6.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3418 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मानव संसाधन विकास में निवेश के अनेक आयाम हैं। इस सूचना का संग्रह एक समय-साध्य प्रक्रिया है क्योंकि इसे विभिन्न स्रोतों से संग्रह करना होता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद्
(एन.सी.टी.ई.) की बैठक

3256. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की सितम्बर-अक्टूबर, 2002 में नई दिल्ली में कोई बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर महाराष्ट्र में उक्त परिषद के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी०टी०ई०) की कार्यकारिणी समिति और सामान्य निकाय की बैठकें क्रमशः 30.9.2002 और 21.10.2002 को हुई।

(ग) इन बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2001-2002 की वार्षिक रिपोर्ट 2000-2001 के परीक्षित लेखे स्वीकार किए गए; महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आदि राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई रियायतों से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गयी रियायत के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना से पूर्व स्थापित सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कालेज़ों के मामले में प्रति वर्ष 50 छात्रों की यूनिट के लिए प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के अलावा कम से कम

चार शिक्षक होने चाहिए। राज्य सरकारें इन संस्थाओं में कम से कम एक अल्पकालिक शिक्षक भी उपलब्ध कराएंगी।

(ii) प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को जून 2007 तक निर्धारित अर्हता हासिल करनी होगी।

(iii) बी०एड० के साथ स्नातकोत्तर के मामले में माध्यमिक स्कूलों के अनुभव को भी डी०एड० संस्था में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वैध अर्हता माना जा सकता है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद

3257. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में इलैक्ट्रानिक प्रकाशन प्रभाग, निस्कॉम को 220 कम्प्यूटरों और 95 प्रिंटरों की खरीद हेतु एक मांग-पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निस्कॉम को कितना सेवा प्रभार दिया गया अथवा दिये जाने वाला है;

(ग) क्या उपर्युक्त खरीद दर करार के माध्यम से की जाती है;

(घ) क्या उपर्युक्त खरीद नियमानुसार है;

(ङ) क्या जिस कंपनी की आपूर्ति के लिए आदेश दिया गया था उसे तकनीकी मूल्यांकन समिति ने निस्कॉम के साथ दर करार तय करते हुए अस्वीकृत कर दिया गया था;

(च) यदि हां, तो क्या निदेशक, निस्कॉम ने कम्पनी और निस्कॉम के साथ एक करार हेतु जोर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां।

(ख) सीएसआईआर की एक घटक इकाई राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम), अब राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (निस्केअर), नई दिल्ली ने खुली निविदा के माध्यम से कम्प्यूटरों की खरीद के लिए दर-संविदा को अंतिम रूप दिया था। इस संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ सीएसआईआर मुख्यालय और इसकी घटक प्रयोगशालाओं/संस्थानों की आवश्यकताएं शामिल हैं। सीएसआईआर मुख्यालय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निस्कॉम को मांग भेजी गई। यात्रा, परीक्षण आदि की लागत को पूरा करने के लिए निस्कॉम को 3% सेवा प्रभार का भुगतान किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन एण्ड इंफारमेशन रिसोर्सेज, एन आई एस सी ए आई आर (सी एस आई आर)

3258. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन आई एस सी ए आई आर (सी एस आई आर) पुस्तकें प्रकाशित करने से पूर्व प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराता था;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कराये गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''आई टी सिरीज फॉर ऑल'' प्रकाशित करने से पूर्व कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत पांडुलिपि ''वेल्थ ऑफ इंडिया'' काफी समय से प्रकाशन हेतु लंबित है;

(च) यदि हां, तो ये पांडुलिपियां किस तारीख में प्रस्तुत की गई थी;

(छ) क्या सक्षम प्राधिकारी इन पुस्तकों को प्रकाशित करने से पहले बाजार सर्वेक्षण पर जोर दे रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि का आबंटन

3259. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री अम्बरीश :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों में प्रभावशाली और सुसम्पर्क वाले लोगों तक संगठनों को दिल्ली में औने-पौने दामों में भूमि आबंटित की है जैसा कि 15 अगस्त, 2002 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भूमि आबंटित की गई है और इसकी कीमत, स्थान और क्षेत्र कितना है;

(ग) किन नियमों और विनियमों के अंतर्गत यह आबंटन किया गया है;

(घ) क्या इन व्यक्तियों और संगठनों को आबंटन रद्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का संबंध है, यह भूमि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण विकसित नजुल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के प्रावधानों के अनुसार करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित समस्त भूमि नियम 5, 6 तथा 7 के तहत निर्धारित कुछ श्रेणियों को छोड़कर नीलामी/निविदाओं द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि पर आबंटित की जाएगी। नियम 5, 6 तथा 7 के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का आबंटन सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित दरों पर किया जाता है। भूमि तथा विकास कार्यालय के संबंध में संस्थानों को भूमि का आबंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है। आबंटन के लिए आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में और उसमें उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। केवल पंजीकृत समितियों/न्यासों (ट्रस्ट) से प्राप्त आवेदनपत्रों पर ही विचार किया जाता है। क्रियाकलापों तथ पूर्ववृत्त की जांच की जाती है और नोडल मंत्रालय/दिल्ली सरकार जो भी लागू हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) आबंटन निर्धारित प्रक्रिया तथा दिशानिर्देशों के अनुसार और वित्त मंत्रालय के परामर्श से निर्धारित पूर्व नियत दरों पर किए गए थे, अत: रद्द करने का कोई कारण नहीं है।

अशोक होटल का विनिवेश

3260. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली स्थित आई टी डी सी के अशोक होटल, के विनिवेश का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जब इस वर्ष के शुरू में होटल अशोक, दिल्ली के दीर्घावधि प्रबंधन लीज हेतु दो बार प्रस्ताव किया गया था, तो एक भी बोलीदाता नहीं आया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कमरों की अधिभोग दर प्राप्तियों, तथा वेतन बिलों के आधार पर लाभ अथवा हानि के संबंध में अशोक होटल के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या रहा;

(ङ) होटल के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गए हैं; और

(च) होटल की कुल परिसम्पत्तियां कितनी है और सरकार का इसके विनिवेश के द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त करने का प्रस्ताव है?

विनिवेश मंत्री उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) नई दिल्ली के अशोक होटल को पट्टा-सह-प्रबंधन आधार पर देने के लिए पहली बार वित्तीय बोलियां 10.11.2001 को आमंत्रित की गई थी। कोई भी वैध बोली प्राप्त नहीं हुई थी। निर्धारित बैंक गारन्टी के बिना केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी। वित्तीय बोलियां 21.01.2002 को फिर से आमंत्रित की गई थी, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली के अशोक होटल का कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा है:-

वित्त वर्ष	ठहरने की दर (प्रतिशत)	कारोबार (लाख रुपए में)	वेतन एवं मजदूरी (लाख रुपए में)	परिचालन (लाख रुपए में)
1999-00	37.19	4011.40	2085.33	(-)752.59
2000-01	41.55	4640.57	2239.58	(-)353.84
2001-02	32.69	3619.78	1784.11	(-)589.53

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली के अशोक होटल का कार्य-निष्पादन उत्साहजनक नहीं रहा है। इसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की दिशा में हाल ही में उठाए गए कदमों में बिक्री/विपणन अभियान का प्रबलन, आवास और खान-पान की व्यवस्था के लिए विशेष पैकेज, मासिक राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण तथा बकाया देनदारियों की वसूली पर अधिक जोर देना, आतिथ्य सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए मौजूदा आधारभूत संरचनाओं में सुधार, इसे उद्योग मानक से जोड़कर व्यय के नियंत्रण पर अधिक जोर, राजनयिकों, एयरलाइनों, निगमित क्षेत्र के बीच होटल का संवर्धन करने के लिए प्रचलित बनाने तथा जन-सम्पर्क घटनाक्रमों के माध्यम से छवि सुधारना, नियमित नियत आमदनी जुटाने के लिए उपाय करना, होटल के संचालन को दक्ष और प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधन की आधुनिक तकनीकि की शुरूआत, अनुशासन लागू करना, शिकायत प्रबोधन और समाधान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरूआत और अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण शामिल हैं। परिणामस्वरूप, इस होटल ने पिछले वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2002-03 के पहले 6 महीनों में अपने कारोबार में सुधार के लक्षण दिखाए हैं। अन्तिम तस्वीर केवल वित्त वर्ष के अन्त में ही उभरेगी।

(च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बच्चों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम

3261. श्री पी०आर० खूंटे :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों के विकास हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी राज्य ने केन्द्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) वर्ष 1975 में आरम्भ हुई समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का उद्देश्य पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाओं, पोषण शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं धात्री माताओं का समग्र विकास करना है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जिसमें कार्यक्रम आयोजना एवं परिचालन लागत वहन करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है तथा स्कीम के कार्यान्वयन एवं राज्य योजना परिव्यय में से पूरक पोषाहार के प्रावधान का उत्तरदायित्व राजय सरकार का है। वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (अब तक) के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निमुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र. सं०	राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5402.87	6229.00	6580.61	5498.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	817.00	681.00	1895.39	1386.40
3.	असम	2211.00	5070.97	6188.61	1828.56
4.	बिहार	4918.64	3756.00	2145.11	1620.95
5.	गोवा	284.13	284.13	339.35	294.05
6.	गुजरात	5370.21	3726.01	8070.09	2033.25
7.	हरियाणा	2754.12	3593.61	3660.50	1098.15
8.	हिमाचल प्रदेश	1640.09	1764.28	1984.42	785.32
9.	जम्मू-कश्मीर	1963.00	2266.00	2739.16	1245.34

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	5111.35	7466.18	7660.68	6119.28
11.	केरल	2641.82	3101.90	3516.30	2684.75
12.	मध्य प्रदेश	4368.00	5590.00	3771.08	3118.47
13.	महाराष्ट्र	6584.73	6688.62	10193.48	7846.65
14.	मणिपुर	840.48	1254.75	901.07	848.72
15.	मेघालय	535.00	664.97	1060.15	323.79
16.	मिजोरम	535.66	868.85	572.95	412.11
17.	नागालैंड	1245.00	1941.60	1907.00	1458.16
18.	उड़ीसा	4042.97	6133.71	6881.86	4748.17
19.	पंजाब	2413.14	3759.46	3730.77	1295.46
20.	राजस्थान	4197.55	5954.43	5947.07	4056.93
21.	सिक्किम	129.75	156.01	192.35	46.45
22.	तमिलनाडु	10704.77	10286.90	9289.80	3982.18
23.	त्रिपुरा	646.06	630.98	1481.36	291.25
24.	उत्तर प्रदेश	11349.00	11519.28	12696.42	4918.14
25.	पश्चिमी बंगाल	6088.00	8047.13	12650.02	8649.72
26.	छत्तीसगढ़		625.61	1800.79	1574.40
27.	झारखण्ड		865.57	1961.66	2910.91
28.	उत्तरांचल		462.78	1246.76	511.35
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दिल्ली	818.42	808.47	796.41	510.40
2.	पांडिचेरी	181.58	154.85	154.85	117.51
3.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	130.44	107.88	154.85	123.88
4.	चण्डीगढ़	78.29	88.04	93.35	74.68
5.	दादरा और नागर हवेली	26.83	26.83	31.85	25.48
6.	दमन और द्वीव	42.00	52.56	37.45	30.68
7.	लक्षद्वीप	25.69	25.43	31.62	21.40
	कुल	88097.59	104653.79	122365.19	72491.58

[अनुवाद]

ग्रेनाइट का उत्खनन

3262. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग को हाल ही में देश के विभिन्न भागों में विशेषकर बिहार में उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट के भारी भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों में ग्रेनाइट के खनन का कार्य तेज कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी गैर-सरकारी कंपनी को उत्खनन का कार्य सौंपा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रेनाइट के लिए गवेषण कार्य किया। बिहार के जहानाबाद, गया, नावादा, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर जिले में अवेषण किए गए हैं। खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार (1.4.2000 की स्थिति के अनुसार), देश में ग्रेनाइट के प्राप्तियोग्य भण्डार 8664.6 क्यूबिक मी० है। इनमें से 175.5 मिलियन क्यूबिक मीटर भण्डार बिहार में हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट की उपलब्धता इस प्रकार हैं।

जिला	ग्रेनाइट का प्रकार	कुल भण्डार (मिलियन क्यूबिक मी० में)
भागलपुर	अवर्गीकृत	35.8
गया	रंगीन	4.3
जहानाबाद	रंगीन	135.2
जमुई	काले	0.01
	रंगीन	0.12

(ग) से (च) ग्रेनाइट, एक गौण खनिज है जिसे खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित किया गया है। ग्रेनाइट के लिए खनिज रियायत पूर्ण रूप से संबंधित राज्य सरकार के गौण खनिज रियायत नियमावली (एम०एम०सी०आर०) से शासित है। अत: केवल राज्य सरकार द्वारा ही इसके लिए खनिज रियायतें दी जा सकती है। वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बिहार राज्य में ग्रेनाइट का उत्पादन क्रमश: 851, 1217 और 875 मीट्रिक टन रहा।

अप्रवास चौकी को बंद करना

3263. श्री अमर राय प्रधान : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002 के दौरान विभिन्न संसद सदस्यों ने उन्हें तथा सरकार को गीतालदाहा, थाल-दिनहता, जिला-कूचबिहार (प०ब०) ने एक अप्रवास चौकी को बंद करने के संबंध में विरोध के बारे में लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जिला कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) में गीतालदाह अप्रवास चौकी को बंद करने के संबंध में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने इस अप्रवास चौकी को डिनोटिफाई करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

3264. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप करने और अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आयोग को महिला और बाल विकास विभाग पर निर्भर करने पर एतराज किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी हस्तक्षेप आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कम नहीं करता; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि आयोग की शक्तियां किसी प्रकार कम न हों और इसे महिला और बाल विकास विभाग के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की अनुमति हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिला एवं बाल विकास विभाग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। विभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बन्धित मामलों तथा महिलाओं से सम्बन्धित नीति पर हमेशा आयोग से परामर्श लेता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

3265. श्री भान सिंह भौरा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष के दौरान पंजाब राज्य हेतु चलाए गए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य में कौन-सी कार्य योजनाएं चलाई गईं और उनके अंतर्गत परियोजना-वार और जिला-वार क्या उपलब्धि रही; और

(ग) राज्य में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) इस वर्ष केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब में संगरूर और पटियाला जिलों में दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। परियोजना का कुल परिव्यय 11.68 करोड़ रुपये है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 5.27 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा 3.27 करोड़ रुपये और समुदाय का हिस्सा 3.13 करोड़ रुपये है। इन दोनों परियोजना जिलों के लिए पहली किस्त के 10 प्रतिशत के रूप में इस वर्ष 52.67 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, भटिंडा, मुक्तसर और मोगा जिलों में भी टी०एस०सी० परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। लोगों की भागीदारी सहित प्रत्येक परियोजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सितम्बर, 2002 तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/ जिला	स्वीकृत माह/वर्ष	सूचित माह/वर्ष	कुल परियोजना परिव्यय	अनुमोदित अंश			निधियों की रिलीज		सूचित व्यय			
					केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	पंजाब												
103.	भंटिडा	12/00		487.79	314.17	106.40	67.22	94.25	0.00	67.55	0.00	15.12	82.67
104.	मुक्तसर	3/01	9/02	365.14	244.49	73.04	47.61	73.35	0.00	59.51	0.00	22.17	81.68
105.	मोगा	6/01		365.31	229.39	81.26	54.66	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106.	पटियाला	4/02		304.00	165.20	80.80	58.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107.	संगरूर	4/02		863.53	361.48	246.56	255.49	36.15	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	कुल			2386.77	1314.73	588.06	482.98	289.09	0.00	132.06	0.00	37.29	169.36

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

14 नवम्बर, 2002 तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं०	राज्य/जिला	स्वीकृत माह/वर्ष	सूचित माह/वर्ष	परियोजना उद्देश्य						परियोजना निष्पादन		
				आई०एच० एच०एल०	स्वच्छता परिसर	स्कूल शौचालय	बालवाड़ियों के लिए शौचालय	आर.एस.एम./ पी.सी.	गांवों की संपूर्ण स्वच्छता	आई०एच० एच०एल०	स्वच्छता परिसर	स्कूल शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	पंजाब											
103.	भंटिडा	12/00		40000	14	442	0	7	0	8000	0	94
104.	मुक्तसर	3/01	9/02	33148	200	193	0	5	0	6830	32	139
105.	मोगा	6/01		37170	10	210	0	5	0	0	0	0
106.	पटियाला	4/02		10000	10	500	0	0	0	0	0	0
107.	संगरूर	4/02		57500	25	1664	0	0	0	0	3	25
	कुल			177818	259	3009	0	17	0	14830	41	258

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की प्रारूप पुनर्वास योजना

3266. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खानों से भूतल/कोयला हैंडलिंग संयंत्रों तक कोयला लाने ले-जाने के कार्य हेतु कोई प्रारूप पुनर्वास योजना का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा खर्च की जा रही ऊंची लागत की तुलना में निजी ठेकेदारों द्वारा इस कार्य पर कम लागत लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या निजी ठेकेदारों द्वारा मुहानों से सीधे माल-ढुलाई विधि सम्मत है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई०सी०एल०) के पुनरूद्धार के लिए उपाय सुझाने के लिए बी०आई०एफ०आर० द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेन्सी ने अपनी ड्राफ्ट पुनर्वास योजना में चुनिंदा ओपनकास्ट खानों में बाहरी स्रोतों का सुझाव दिया है क्योंकि ठेकेदारों का प्रचालन अधिक चुस्त है। इसके अलावा, उनकी पूंजी लागत और ऊपरी खर्चे कम होते हैं।

(घ) और (ङ) कोयले का परिवहन पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित भूर्तपूर्व सैनिकों की कंपनी द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। ठेकेदार द्वारा परिवहन के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।

कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना

3267. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कामकाजी महिलाओं के लिए कुल कितने छात्रावास केन्द्रीय सहायता से चल रहे हैं और उनकी राज्य-वार, स्थान-वार क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक छात्रावास में कितनी महिलायें रहती हैं;

(ग) क्या इन छात्रावासों द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर दिल्ली के संबंध में ब्यौरा क्या है और उनमें प्रवेश प्राप्त करने हेतु किस प्रक्रिया/दिशा-निर्देशो का पालन किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार का कामकाजी महिलाओं के लिए और छात्रावास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को 2002-03 में कितनी निधियां आबंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) कामकाजी महिला होस्टलों की क्षमता सहित, उनकी राज्य-वार, स्थान-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सामान्यत:, इन होस्टलों की पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है।

(ग) और (घ) इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार होस्टल प्रबंधन समिति द्वारा, जिसमें राज्य विभाग, जिला प्रशासन, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा होस्टल अंत:वासिनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, अंत:वासिनों के प्रवेश, तथा उनसे लिये जाने वाले किराये/लाइसेंस शुल्क हेतु नियमों और विनियमों का निर्धारण किया जाता है।

(ङ) से (छ) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा नए होस्टल का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, 8 प्रस्तावों को अनुमोदन किया गया है तथा 27 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वर्ष 2002-03 के बजट प्रक्कलन में, 15.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत, अंत:वासिनों की स्वीकृत संख्या सहित निर्मित/चल रहे कामकाजी महिला होस्टलों की राज्य-वार एवं स्थान-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	होस्टलों के स्थान (संख्या/क्षमता)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर (1/54), कुडडप्पा (1/64), इलूरू (1/80), गुंटूर (2/71), हैदराबाद (6/345), काकीनाडा (1/56), खम्माम (1/56), कुकटपल्ली (1/50), कुरनूल (1/57), महबूबनगर (1/54), नलगोंडा (1/57), नेल्लौर (1/57),

1	2	3
		राजमुंदरी (1/54), तिरूपति (1/80), विजयवाड़ा (2/123), विशाखातत्तनम (3/129), विजयनगरम (1/57), वारंगल (3/207), पश्चिम गोदावरी (2/153), चित्तूर (1/148)। इनके अतिरिक्त, 43 अंत:वासिनों वाले 2 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहे हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुबनसिरी (1/25), वेस्ट कामांग (1/33)।
3.	असम	डिबरूगढ़ (1/50), कामरूप (4/307), लखीमपुर (1/28), तीनसुखिया (1/50)। इनके अतिरिक्त, असम में 50 अंत:वासिनों वाले 2 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहे हैं।
4.	बिहार	पटना (1/21), रोहतास (2/88)।
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (5/480)।
6.	छत्तीसगढ़	दुर्ग (1/20), रायपुर (2/75), रायगढ़ (1/45)।
7.	दिल्ली	दिल्ली (3/230), नई दिल्ली (13/1935)।
8.	गुजरात	अहमदाबाद (5/293), बडोदरा (3/155), भावनगर (3/97), जामनगर (1/50), कच्छ (11/678), महसाना (1/36), राजकोट (5/242), सूरत (2/51), सुरेन्द्रनगर (2/73)। इनके अतिरिक्त, 26 अंत:वासिनों वाला एक होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहा है।
9.	गोवा	पणजी (2/120)।
10.	हरियाणा	अम्बाला (2/70), भिवानी (1/108), फरीदाबाद (1/80), गुडगांव (1/80), हिसार (1/60), जींद (1/84), करनाल (1/109), कुरूक्षेत्र (1/84), रिवाड़ी (1/60), रोहतक (1/109), सिरसा (1/60), सोनीपत (1/43)।
11.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा (1/35), धर्मशाला (1/35), हमीरपुर (1/35), कुल्लू (1/35), मंडी (1/35), परवानू (1/35), शिमला (2/80), सोलन (1/35), थियोग (1/35), उना (1/30)।
12.	जम्मू-कश्मीर	अनंतनाग (1/27), श्रीनगर (1/50)।
13.	झारखण्ड	रांची (2/214)।
14.	कर्नाटक	बंगलौर (15/854), बेलगांव (6/404), बेल्लारी (1/21), बीदर (3/188), बीजापुर (2/144), चित्रदुर्ग (1/51), दक्षिण कन्नड (8/607), धारवाड़ (6/474), गुलबर्गा (1/60), मडिकरी कोडमी (1/42), मांडया (4/384), मैसूर (5/408), शिमोगा (1/100), टुमकूर (1/112)। इनके अतिरिक्त, 25 अंत:वासिनों वाला एक होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहा है।
15.	केरल	अलप्पुजा (2/165), अलेप्पी (3/299), कालीकट (7/465), इर्नाकुलम (15/1650), इडुक्की (6/630), केसरगोड (2/126), कोल्लम (1/94), कोट्टयम (16/1433), कोचीकोडे (8/508), शेर्तल्लई (3/203), तेल्लीचेरी (1/136), त्रिरूवनंतपुरम (19/1720), त्रिचूर (10/769), कोठमंगलम (1/75), मल्लपुरम (1/100), ओट्टपफलम (1/57), पलक्कड (5/490), पालघाट (2/125), परोर (1/43), किलोन (4/390), वजूर (1/30), वेनाड (4/334)। इनके अतिरिक्त, 159 अंत:वासिनों वाले 8 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहे हैं।
16.	मध्य प्रदेश	बेतुल (1/63), जबलपुर (3/136), भिंड (1/42), भोपाल (7/382), छतरपुर (2/56), छिंदवाड़ा (1/30), दमोह (1/59), देवास (1/20), धार (1/21), पूर्वी निमाड (4/271), गुना (1/44), ग्वालियर (3/174), होशंगाबाद (2/177), इंदौर (4/190), खजुराहो (1/50), मांडला (1/33), मंदसौर (2/60), मुरैना (1/52), पिपलानी (1/108), रतलाम (1/46), रीवा (1/30), सागर (1/21), सिओनी (1/58), शाजापुर (1/48), शिवपुरी (1/42), सिढी (1/32), उज्जैन (1/100), विदिशा (1/32)।
17.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद (3/226), अहमदनगर (4/186), अकोला (2/117), अमरावती (5/219), मुम्बई (21/1958), बुलदाना (2/150), चंद्रपुर (1/32), धुले (4/230), गढ़चिरोली (1/42), जलगांव (2/116), कोल्हापुर (4/256),

1	2	3
		लातूर (2/151), नागपुर (5/345), नांदेड़ (2/192), नासिक (3/180), उस्मानाबाद (1/100), परभनी 2/94), पुणे (10/696), रत्नगिरी (1/50), सांगली (2/174), सतारा (3/09), शोलापुर (1/24), थाणे (2/130), वर्धा (2/131), यवत्माल (1/82), रायगढ़ (1/100)। इनके अतिरिक्त, 50 अंत:वासिनों वाले 3 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहे हैं।
18.	मणिपुर	चुरचंदपुर (1/155), इम्फाल (6/261), तमेंगलोंग (1/26)। इनके अतिरिक्त, 69 अंत:वासिनों वाले 2 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहे हैं।
19.	मेघालय	शिलांग (2/134)।
20.	मिजोरम	आइजोल (2/60)।
21.	नागालैंड	दीमापुर (2/145), मोकोक्चुंग (1/52), फ्फुत्सेरो (1/126)।
22.	उड़ीसा	कटक (5/327), धेनकनाल (1/66), गंजम (1/50), कालाहांडी (1/60), मयूरभंज (2/90), पुरी (3/292), सुन्दरगढ़ (1/50)। इनके अतिरिक्त, 26 अंत:वासिनों वाला 1 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहा है।
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी (2/94)।
24.	पंजाब	अबोहर (1/40), अमृतसर (2/246), भटिंडा (2/168), फरीदकोट (1/75), जालंधर (2/246), पटियाला (2/254)।
25.	राजस्थान	अजमेर (2/60), अलवर (1/24), बांसवाड़ा (1/40), बाडमेर (1/50), भरतपुर (5/211), भिलवाड़ा (1/52), चित्तौड़गढ़ (2/81), जयपुर (2/110), झुनझुनू (2/75), जोधपुर (1/30), कोटा (1/51), नागौर (1/44), सीकर (1/160), सिरोही (1/41), श्री गंगानगर (4/276), टोंक (1/24), उदयपुर (2/74)।
26.	सिक्किम	गंगटोक (2/144)।
27.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (11/908), धर्मपुरी (1/20), डिंडीगुल (2/111), कामराजार (1/50), कांचीपुरम (2/45), कन्याकुमारी (1/40), चेन्नई (20/1128), मदुरै (8/333), नगरकोइल (1/28), नीलगिरी (1/25), पुडुकोट्टई (1/39), सलेम (4/130), तंजावूर (1/18), तिरूनेलवेली (1/70), वेल्लोर (2/108)। इनके अतिरिक्त, 230 अंत:वासिनों वाले 11 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहे हैं।
28.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (2/109), आजमगढ़ (2/97), बरेली (1/80), फिरोजाबाद (3/212), गोरखपुर (1/50), झांसी (1/23), कानपुर (3/168), लखनऊ (3/250), मांढा (1/53), मेरठ (2/284), सहारनपुर (1/50), शाहजहांपुर (1/51), सुल्तानपुर (1/52)।
29.	उत्तरांचल	देहरादून (1/96), हरिद्वार (1/112)।
30.	पश्चिमी बंगाल	24 परगना (2/78), आसनसोल (1/20), बांकुरा (1/24), बर्दवान (1/69), कोलकाता (6/390), दुर्गापुर (1/20), हुगली (1/28), खड़गपुर (1/296), मालदा (1/34), मिदनापुर (5/327), मर्शीदाबाद (1/20), शांतिनिकेतन (1/56)। इनके अतिरिक्त, 262 अंत:वासिनों वाले 13 होस्टल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान से चल रहे हैं।

भूकम्प संबंधी वेधशालाओं की स्थापना

3268. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में भूकम्प संबंधी वेधशालाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में कार्यरत इस प्रकार की वेधशालाओं की संख्या कितनी है;

(ग) किन स्थानों पर भूकम्प संबंधी वेधशालाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के लिए इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 2001 में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में भूकंपीय वेधशालाओं की पर्याप्तता तथा अन्य संबंधित पहलुओं की जांच करने हेतु एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अन्य बातों के अलावा कर्नाटक राज्य में बेल्लारी, मैसूर और गुलबर्गा में तीन भूकम्पीय वेधशालाओं को स्थापित करने की सिफारिश की थी। संबंधित सिफारिशों से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है। तथापि कर्नाटक सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में विभिन्न स्थानों नामत: मंगलौर, गौरीबिदानूर, कोलार गोल्ड फील्ड्स और धारवाड़ में 4 भूकम्पीय वेधशालाएं कार्यरत हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना-2001

3269. **श्री भीम दाहाल** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनगणना-2001 से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जनगणना का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनगणना-2001 देश में रह रहे बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की पहचान करना था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) भारत की जनगणना 2001 की जनसंख्या की गणना का फील्ड कार्य सम्पूर्ण देश में पहले ही पूरा हो चुका है। जनगणना 2001 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार राज्य-वार जनगणना आंकड़े इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न जनगणना प्रकाशनों में उपलब्ध हैं। ये आंकड़े इन्टरनेट *तथा सी०डी० रोम* में भी उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान। गणना अवधि के दौरान भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, कोई भी हो, की गणना करना ही जनगणना का उद्देश्य है। क्योंकि भारत की जनगणना 2001 में राष्ट्रीयता से सम्बंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था अत: भारत में रह रहे बंगलादेश तथा पाकिस्तान के नागरिकों सहित किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से पहचान करना संभव नहीं होगा।

मध्याह्न भोजन योजना

3270. **श्री सी०के० जाफर शरीफ** :
श्री विष्णुपद राय :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 10वीं योजना के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए भोजन तैयार करने में राज्यों की लागत के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राज्यों को धनराशि देने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना उचित ढंग से क्रियान्वित न किए जाने की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) केंद्र सरकार पहले से ही राज्य कार्यान्वियन एजेंसियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रही है तथा स्वीकार्य परिवहन प्रभार की भी प्रतिपूर्ति कर रही है जिसके आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बच्चों को भोजन देने के अपेक्षा की जाती है। फिलहाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सिर्फ निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही पका हुआ भोजन देने का कार्यक्रम चला रहे हैं — छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पांडिचेरी/उड़ीसा बोलनगीर, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नवापाड़ा, नवरंगपुर, रायगडा, सोनेपुर एवं बौद्ध जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा समेकित जनजाति विकास प्राधिकरण ब्लाकों में, कर्नाटक शैक्षिक रूप से पिछड़े 7 जिलों में तथा मध्य प्रदेश आदिवासी ब्लाकों में पका हुआ भोजन प्रदान करने का कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है; दिल्ली में खाने योग्य तैयार भोजन वितरित किया जा रहा है। अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। पका हुआ भोजन देने का कार्यक्रम न अपनाने के पीछे मुख्य कारण के रूप में निधियों का अभाव बताया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में कार्यक्रम के तहत पका हुआ भोजन देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सरकार निरंतर आग्रह करती आ रही है।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का उत्पादन

3271. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान और आज तक विभिन्न रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मात्रावार और प्रकार-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में प्रतिबंधित पेस्टनाशियों और कीटनाशियों का भी उत्पादन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार भी विभिन्न रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों को निर्यात कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक निर्यात किए गए उर्वरकों और कीटनाशियों की देशवार मात्रा कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) निकोटीन सल्फेट के अलावा देश में किसी भी प्रतिबंधित पेस्टिसाइड का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। भारत में निकोटीन सल्फेट का उत्पादन मात्र निर्यात के लिए किया जा रहा है।

(च) और (छ) यद्यपि भारत सरकार सीधे निर्यात नहीं करती है, फिर भी पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए उर्वरकों तथा पेस्टिसाइडों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पेस्टिसाइडों का निर्यात

यूनिट टन

क्रमांक	पेस्टिसाइड	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	डि०डि०टि०	16	64	25
2.	मेलाथियॉन	2806	2278	2248
3.	पाराथियॉन (मिथायल)	112	48	11
4.	डाइमीथोएट	297	115	121
5.	डी०डी०वी०पी०	187	204	230
6.	क्यूनालफोस	205	259	209
7.	इन्डोसल्फान	3434	2489	2385
8.	साइप्रमीथ्रिन	3773	4618	5692
9.	फेमथियॉन	0	3	0
10.	लिंडेन	280	83	103
11.	जिराम (थियोकार्बामेट)	21	26	0
12.	2, 4-डि	1865	1004	492
13.	आइसोप्रुट्यूरॉन	1500	1094	633
14.	एलुमीनियम फास्फेट	632	1098	1094
	योग (अन्य सहित) पेस्टिसाइड	15128	14383	13243
	परिमाण मी०टन में	89405	47875	51479
	डी०जी०सी०आई०एस० कोलकाता के अनुसार मूल्य रु० लाख में	100411	121532	135645
	उर्वरकों का निर्यात			
	यूरिया		56825	15724

कोयला खपत पर अध्ययन

3272. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले कुछ वर्षों के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयला खपत संबंधी रूझानों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने संभावित कोयला की मांग 303 मिलियन टन से घटाकर वर्ष 2002-2003 तक 285 मिलियन टन संशोधित की है;

(घ) यदि हां, तो कोयले की इस कम सम्भावित मांग के क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कम खपत कोयले की घटी हुई मांग के लिए कितनी जिम्मेदार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) सरकार ने कोयला विभाग, में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा कोयला खपत संबंधी रूझानों का कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) ऊपर के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 2003-04 के लिए वार्षिक योजना कार्यवाही में, योजना आयोग द्वारा 2002-03 के लिए 363.30 मिलियन टन की अनुमानित कोयले की मांग के स्थान पर, कोयला विभाग ने 2002-03 में संशोधित कोयला उठान 358.70 मिलियन टन पूर्वानुमानित किया है। तथापि, 2002-03 के लिए घरेलू स्रोतों से 336.10 मिलियन टन की आपूर्ति के स्थान पर उक्त अवधि के लिए घरेलू स्रोतों से पूर्वानुमानित कोयला उठान 337.70 मिलियन टन आंकलित किया गया है।

(घ) 2002-03 के दौरान कोयले की निम्न पूर्वानुमानित मांग स्टील/कोकरीज/कोक ओवन क्षेत्र द्वारा कोयले की कम उठान के कारण हुई है।

(ङ) लागू नहीं होता है।

उच्च प्रौद्योगिकी पार्क

3273. श्री मोहन रावले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च प्रौद्योगिकी पार्कों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पार्क में कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु ऐसे और पार्कों को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कितना आबंटन किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) सरकार देश में ''उच्च प्रौद्योगिकी पार्कों'' को बढ़ावा देने के कार्य में रत नहीं है। तथापि विश्व भर के अनुभवों के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निजी संस्थानों, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य एजेन्सियों के साथ मिल कर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास एवं वृद्धि के लिए इनकी योजना बनाई जा रही है और संवर्धन किया जा रहा है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश से साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हाई स्पीड डाटा कम्यूनिकेशन लिंक्स एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा कर 1991 में साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क आफ इंडिया (एस०टी०पी०आई०) की स्थापना की गई थी। एस०टी०पी०आई० द्वारा अब तक देश में विभिन्न राज्यों में 35 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जिन पर कुल 6.80 करोड़ रुपये का सामूहिक निवेश किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्कृष्टता वाले अकादमिक संस्थानों के आस पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों (एस०टी०ई०पी०) को संवर्धित तथा विकसित करने में रत है ताकि एस० एण्ड टी० कार्मिकों के बीच उद्यमवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। इसके द्वारा जानकारी आधारित उद्यमों को संवर्धित एवं विकसित करने हेतु हाल ही में टैक्नोलोजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टी०बी०आई०) पर एक योजना शुरू की गई है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स सुविधाओं, पाइलट प्लान्ट्स मानव संसाधन विकास आदि को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जा रही बायो टैक पार्कों के एक भाग के रूप में सहयोग देने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

3274. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विशेषत: धर्मपुरी जिले में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत चलायी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं अभी भी पूरी की जानी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) ये परियोजनाएं किसी तिथि को शुरू हुई थीं और इनकी आरम्भिक तथा वर्तमान लागत तथा है; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील) : (क) से (च) वर्ष 1995-96 से सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(डी०पी०ए०पी०) के अन्तर्गत तमिलनाडु के कार्यक्रम वाले जिलों के लिए 904 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इनमें से 168 परियोजनाएं धर्मपुरी जिले में हैं। एक परियोजना में सामान्यत: 500 हैक्टेयर का क्षेत्र शामिल होता है। परियोजना स्वीकृत करने का वर्ष, कुल लागत, केन्द्रीय भाग, जारी की गई केन्द्रीय निधियां तथा परियोजनाओं को पूरा होने के संभावित वर्ष को दर्शाते हुए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रत्येक वाटरशेड परियोजना 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती है और अनुमोदित परियोजना लागत 7 किस्तों में जारी की जाती है। प्रथम किस्त स्वीकृति के साथ ही जारी की जाती है और बाद की प्रत्येक किस्त प्राप्त की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है। वर्ष 1995-96 में स्वीकृत की गई सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत की गई परियोजना की संख्या	कुल लगत (लाख रुपये में)	केन्द्र का भाग (लाख रुपये में)	जारी की गई केन्द्री निधियां (लाख रुपये में)	पूरा होने का संभावित वर्ष
तमिलनाडु					
1995-96	297	5940.00	2970.00	2970.00	पूरी हो चुकी हैं
1998-99	103	2060.00	1030.00	592.50	2003-2004
1999-2000	299	5980.00	4485.00	1777.95	2004-2005
2001-2002	61	1830.00	1372.50	205.875	2006-2007
2002-2003	144	4320.00	3240.00	486.00	2007-2008
धर्मपुरी					
1995-96	58	1160.00	580.00	580.00	पूरी हो चुकी हैं
1998-99	12	240.00	120.00	96.00	2003-2004
1999-2000	58	1160.00	870.00	391.50	2004-2005
2001-2002	12	360.00	270.00	40.50	2006-2007
2002-2003	28	840.00	630.00	94.50	2007-2008

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का पुनरूद्धार

3275. **श्री अधीर चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए पुनरूद्धार पैकेज जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि के अनुसार एच०सी०एल० की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, रुग्ण औद्योगक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (सिका) के अनुसार एक रुग्ण कम्पनी नहीं है। इसलिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए कोई पुनर्वास पैकेज तैयार नहीं किया गया। तथापि, भारत सरकार ने, कम्पनी के तुलन-पत्र को सुदृढ़ करने और इसके प्रचालनों में भी सुधार करने के लिए दिसम्बर, 1998 के दौरान, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की प्रथम पूंजी पुनर्संरचना को मंजूर किया। सरकार ने कम्पनी के नेटवर्क को सकारात्मक बनाए रखने के लिए जून, 2002 में पुन: कम्पनी की दूसरी पूंजी पुनर्संरचना को अनुमोदित किया। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को 720 करोड़ रुपए धनराशि की कुल नकद सहायता प्रदान की गई है जिसमें वी०आर०एस०

के लिए 660 करोड़ रुपए का अनुदान और गैर-नकद सहायता के रूप में 452.13 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

(ग) विगत तीन वर्षों और अक्तूबर, 2002 तक की हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है :–

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-2003 (अक्तूबर, 2002 तक
कुल कारोबार	510.68	655.21	604.08	315.56
घाटा	147.46	105.80	184.04	98.30

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हिमालयीय पोधों का रोपण

3276. **श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हिमालयीय पौधों को हिमालय घाटी से लाकर उन्हें यमुना नदी के किनारे लगाने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि हिमालय घाटी से हिमालयीय पौधे लाकर उन्हें यमुना नदी के किनारे लगाने का कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

3277. **श्री विष्णु पद राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार संघ शासित प्रदेश का शिक्षा विभाग "प्राथमिक शिक्षा" नामक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 के दौरान और दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान स्थानवार, विशेषत: ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कितने प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थानवार कितने नए भवनों का निर्माण किया जाएगा;

(घ) क्या वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को परियोजना पूर्व कार्यकलाप के रूप में वर्ष 2001-2002 के दौरान आरंभ कर दिया गया है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायमूर्ति पुन्नैया समिति की सिफारिशें

3278. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) ने विश्वविद्यालयों में फीस ढांचे के संबंध में न्यायमूर्ति पुन्नैया समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो यू०जी०सी० द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों ने यू०जी०सी० से छात्रवृत्तियों और अन्य छात्र गतिविधियों हेतु धनराशि देने के लिए और वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यू०जी०सी० का विचार गत दस वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक और समिति का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना

के अनुसार आयोग ने न्यायमूर्ति पुन्नैया समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और ऐसे सभी विश्वविद्यालयों को समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए कहा है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शत-प्रतिशत आवर्ती वित्तीय सहायता प्राप्त की है। न्यायमूर्ति पुन्नैया समिति (1992-93) की मुख्य-मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारम्भिक कार्य के रूप में सभी विश्वविद्यालयों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कार्य में संलग्न है।

(ङ) और (च) इस समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

पुन्नैया समिति (1992-93) की सिफारिशों का उद्धरण

- हालांकि विश्वविद्यालयों को शिक्षा की लागतों का बड़ा हिस्सा वहन करने के लिए अपने संसाधनों को वर्तमान संसाधनों की अपेक्षा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए परन्तु बढ़ा हुआ बोझ मुख्यतः उन्हीं विश्वविद्यालयों को वहन करना चाहिए जो वहन करने में समर्थ हैं।

- राज्य अथवा सरकारी निधियन उच्चतर शिक्षा की सहायतार्थ आवश्यक और अनिवार्य सहायता के रूप में जारी रहना चाहिए। सरकार/राज्य को विश्वविद्यालयों की अनिवार्य रख-रखाव एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए निधियन की मुख्य जिम्मेदारी उठाना जारी रखना चाहिए।

- विद्यार्थियों को निधियां प्रदान करने के संबंध में योग्यता एवं सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- गुणवत्ता, दक्षता एवं नवाचार के लिए निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए और वित्तीय एवं शैक्षिक विषय में सुधार करने में असफल रहने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

- रख-रखाव अनुदानों के अन्तर्गत शामिल कार्यकलापों जैसे, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, जल आपूर्ति, आदि तथा अन्य अनेक मदों के लिए दी जानी वाली अत्यधिक सहायता की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे काफी हद तक कम किया जाना चाहिए ताकि रख-रखाव अनुदान को एक स्वीकार्य स्तर पर स्थिर बनाया जा सके।

- रख-रखाव व्यय के स्थिर बनाने हेतु शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक लागतों के बीच उचित विभाजन होना चाहिए।

- हालांकि सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य निधियन एजेन्सी बनी रहेगी परन्तु विश्वविद्यालय को आंतरिक संसाधनों का सृजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए और ये संसाधन कालान्तर में पर्याप्त होने चाहिए।

- शिक्षण शुल्कों को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जा सकता है और मुद्रा-स्फीति दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसका समायोजन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क अलग-अलग हो सकता है। संशोधित शुल्क प्रवेश पाने वाले नये विद्यार्थियों के लिए लागू होना चाहिए।

- आवर्ती लागत के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल-कूद के लिए शुल्कों में वृद्धि की जानी चाहिए।

- छात्रावास शुल्कों को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि कालान्तर में समस्त वास्तविक आवर्ती लागत और पूंजीगत लागत के एक हिस्से का भी वहन किया जा सके। छात्र समुदाय को जहां भी उनके हित प्रभावित हो रहे हो संसाधन बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श में शामिल किया जाना चाहिए।

- शुल्कों की वृद्धि से प्राप्त आय का उपयोग फेलोशिप और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बढ़ाने में किया जाना चाहिए ताकि कमजोर वर्गों के लिए इनकी सुलभता सुनिश्चित की जा सके।

- विश्वविद्यालयों द्वारा सृजित संसाधन प्रथम पांच वर्षों के अन्त में कुल आवर्ती व्यय का कम से कम 15 प्रतिशत और 10 वर्षों के अंत में कम से कम 25 प्रतिशत होने चाहिए।

- आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए महत्पपूर्ण हिस्से को अक्षय निधि में रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रख-रखाव और विकास संबंधी अनुदान के अलावा संस्थाओं को अक्षय निधि अनुदान भी प्रदान कर सकता है।

- अक्षय निधि से प्राप्त आय का उपयोग विश्वविद्यालय के अवसंरचना विकास के लिए किया जाना चाहिए।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को फेलोशिप, छात्रवृत्ति, निःशुल्कता और छात्र रियायतें प्रदान करने के लिए वर्तमान स्कीमों का विस्तार करने और/या इन पर उपयुक्त ध्यान देने पर व्यापक विचार करना चाहिए।

– अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षण और लिविंग व्यय हेतु कल्याण के विकास की वर्तमान स्कीम को सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है।

– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए विस्तृत छात्रवृत्ति स्कीमों को शुरू कर सकता है। इसका विस्तार स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत 20 प्रतिशत विद्यार्थियों तक किया जा सकता है।

– केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्कता प्रदान करनी चाहिए अथवा उनसे रियायती शिक्षण शुल्क देकर उन्हें प्रवेश देना चाहिए।

– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से उदार ऋण स्कीम को शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

– केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में संसाधन सृजन के लिए की गई सिफारिश दिल्ली स्थित कॉलेजों के लिए लागू होनी चाहिए।

ग्रामीण भवन केन्द्र

3279. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार ग्रामीण भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यवार और स्थलवार प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) योजना की शुरूआत से लेकर आज तक ग्रामीण निर्मित केन्द्र योजना के तहत 226 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 77 प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं। 53 प्रस्तावों पर सहमति नहीं हुई और 96 प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 1136.77 लाख रु० की निधि स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें से 264.64 लाख रु० की राशि अनुमोदित परियोजनाओं को रिलीज कर दी गई है। राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) योजना के तहत प्राप्त प्रस्ताव को तनकीकी मूल्यांकन/टिप्पणी के लिए हडको को भेज दिया गया है। जैसे ही हडको से टिप्पणियां प्राप्त होती हैं; विचार/निर्णय के लिए प्रस्ताव को जांच समिति के समक्ष रखा जाता है। जांच समिति के निर्णय पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिला	राशि		अभ्युक्ति
			स्वीकृत	जारी	
1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश		**88.00**	**35.20**	
1.		रंगारेड्डी			1
2.		प्रकाशम			1
3.		प० गोदावरी			1
4.		अनंतपुर			1
5.		कुड़प्पा			1
6.		नेल्लोर			1
7.		नालगोंडा			2
8.		प० गोदावरी			2
9.		महबूब नगर			2
10.		चित्तूर			2
11.		विजयनगरम			3
12.		कृष्णा			3
13.		कुरनूल			3
14.		अनंतपुर			3
15.		अनंतपुर			3
16.		प० गोदावरी			3
17.		श्रीकाकुलम			3
18.		अनंतपुर			3
19.		नेल्लोर			3
20.		चित्तूर			3

1	2	3	4	5	6
21.		चितूर			3
22.		गुंटूर			3
23.		कृष्णा			3
24.		कुडप्पा			3
25.		महबूब नगर			3
26.		नालगोंडा			3
27.		गुंटूर			3
28.		गुंटूर			3
29.		अनंतपुर			3
30.		रंगारेड्डी			3
21.		अनंतपुर			3
	अरुणाचल प्रदेश		**0.00**	**0.00**	
32.		लोहित			3
	असम		**30.00**	**6.00**	
33.		हैलाकांडी			1
34.		नलवाडी			1
35.		गुवाहाटी			2
36.		दारंग			2
37.		नौगांव			3
	बिहार		**45.00**	**26.00**	
38.		सीवान			1
39.		मधुबनी			1
40.		गया			1
41.		भभुआ			2
42.		सीतामढ़ी			3
	छत्तीसगढ़		**0.00**	**0.00**	
43.		रायपुर			3
	गोवा		**15.00**	**0.00**	
44.		पणजी			1
	गुजरात		**265.72**	**55.00**	
45.		नर्मदा			1
46.		गांधी नगर			1
47.		अहमदाबाद			1
48.		कच्छ			1
49.		कच्छ			1
50.		सुरेन्द्र नगर			1
51.		कच्छ			1
52.		राजकोट			1
53.		कच्छ			1
54.		राजकोट			1
55.		कच्छ			1
56.		सुरेन्द्र नगर			1
57.		कच्छ			1
58.		बनासकाठा			1
59.		जामनगर			1
60.		कच्छ			1
61.		पाटन			1
62.		कच्छ			1
63.		कच्छ			3
64.		सूरत			3
	हरियाणा		**40.50**	**4.20**	
65.		गुडगांव			1
66.		रोहतक			1
67.		झज्जर			1
68.		झज्जर			2

1	2	3	4	5	6
69.		झज्जर			2
70.		झज्जर			2
71.		रोहतक			3
72.		सोनीपत			3
73.		अम्बाला			3
74.		कैथल			3
	हिमाचल प्रदेश		55.10	16.04	
75.		मंडी			1
76.		बिलासपुर			1
77.		हमीरपुर			1
78.		कांगड़ा			1
79.		ऊना			2
80.		चंबा			3
	जम्मू-कश्मीर		30.00	6.00	
81.		उधमपुर			1
82.		लदाख			1
83.		कूपवाड़ा			3
	झारखंड		15.00	0.00	
84.		हजारीबाग			1
	कर्नाटक		90.00	27.00	
85.		बंगलौर			1
86.		मांडया			1
87.		सिमोगा			1
88.		उत्तर कन्नड़			1
89.		मैसूर			1
90.		धारवाड़			1
91.		मांडया			2

1	2	3	4	5	6
92.		कोपल			2
93.		दावनगिरी			2
94.		चित्रदुर्ग			2
95.		बगालकोट			2
96.		गडग			2
97.		हासन			2
98.		चिकमंगलूर			2
99.		बेल्लारी			2
100.		गुलबर्गा			2
101.		द० कन्नड़			2
102.		मैसूर			3
103.		चामराजनगर			3
104.		कोलार			3
	केरल		15.00	0.00	
105.		त्रिसूर			1
106.		त्रिरुअनंतपुरम			3
	मध्य प्रदेश		59.00	29.20	
107.		भोपाल			1
108.		झाबुआ			1
109.		विदिशा			1
110.		शिवपुरी			1
111.		भोपाल			2
112.		भोपाल			2
113.		ग्वालियर (डाबरा)			2
114.		होशंगाबाद			2
115.		भोपाल			3
116.		पूर्व नीमाड़			3

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र		28.45	0.00	
117.		नासिक			1
118.		पुणे			1
119.		लातूर			2
120.		उस्मानाबाद			2
121.		अमरावती			2
122.		पुणे			3
123.		उस्मानाबाद			3
124.		हिंगोली			3
125.		नांदेड़			3
126.		सिंधदुर्ग			3
127.		परभानी			3
128.		अहमदनगर			3
	मणिपुर		15.00	0.00	
129.		थोबल			1
130.		थोबल			3
131.		विष्णुपुर			3
132.		इम्फाल पूर्व			3
133.		इम्फाल पूर्व			3
134.		विष्णुपुर			3
135.		थोबल			3
136.		इम्फाल पूर्व			3
	मिजोरम		0.00	0.00	
137.		आइजोल			2
138.		लुंगलेई			3
	नागालैंड		30.00	0.00	
139.		मोकोचुंग			1
140.		त्वेंगसांग			1
141.		कोहिमा			3
142.		कोहिमा			3
143.		मोकोकचुंग			3
144.		वोखा			3
145.		कोहिमा			3
146.		जूनेहबोटो			3
147.		दीमापुर			3
	उड़ीसा		150.00	36.00	
148.		खुर्दा			1
149.		खुर्दा			1
150.		केन्द्रपाड़ा			1
151.		केन्द्रपाड़ा			1
152.		कटक			1
153.		जगतसिंहपुर			1
154.		सुन्दरगढ़			1
155.		पूरी			1
156.		अंगूल			1
157.		ढेंकनाल			1
158.		क्योंझर			2
159.		केन्द्रपाडा			2
160.		नयागढ़			2
161.		गजपति			3
162.		पूरी			3
163.		भद्रक			3
164.		जगतसिंहपुर			3
165.		गंजम			3
166.		जजपुर			3

1	2	3	4	5	6
167.		सुन्दरगढ़			3
168.		गजपति			3
169.		गजपति			3
170.		गजपति			3
	राजस्थान		15.00	12.00	
171.		जयपुर			1
172.		अजमेर			2
173.		कोटा			2
174.		सीकर			2
175.		जयपुर			3
176.		जयपुर			3
	तमिलनाडु		45.00	12.00	
177.		कांचीपुरम			1
178.		तिरुवल्लूर			1
179.		कन्याकुमारी			1
180.		रामनाथपुरम			2
181.		चेन्नई			2
182.		धरमपुरी			2
	त्रिपुरा		0.00	0.00	
183.		प० त्रिपुरा			2
	उत्तर प्रदेश		75.00	0.00	
184.		हरदोई			1
185.		झांसी			1
186.		गाजियाबाद			1
187.		गौतमबुद्धनगर			1
188.		बरेली			1
189.		फैजाबाद			2

1	2	3	4	5	6
190.		इलाहाबाद			2
191.		सीतापुर			2
192.		कानपुर			2
193.		हाथरस			2
194		लखनऊ			2
195.		फिरोजाबाद			3
196.		इटा			3
197.		रायबरेली			3
198.		मेरठ			3
199.		आगरा			3
200.		मऊ			3
201.		फिरोजाबाद			3
202.		लखनऊ			3
203.		मथुरा			3
204.		रायबरेली			3
205.		सीतापुर			3
206.		मथुरा			3
207.		कुशीनगर			3
208.		हरदोई			3
	उत्तरांचल		15.00	0.00	
209.		पौढ़ी गढ़वाल			1
210.		उत्तर काशी			2
211.		बागेश्वर			2
212.		चम्पावत			2
213.		बागेश्वर			3
214.		बागेश्वर			3
215.		नैनीताल			3
216.		टिहरी गढ़वाल			3

1	2	3	4	5	6
217.		हरिद्वार			3
218.		रुद्रप्रयाग			3
	प० बंगाल		15.00	0.00	
219.		नाडिया			1
220.		24 परगना			2
221.		द० परगना			2
222.		वीरभूम			2
223.		नाडिया			2
224.		दा० 24 परगना			3
225.		बांकुड़ा			3
226.		पुरुलिया			3
	कुल		1136.77	264.64	

नोट — 1. स्वीकृत

2. अस्वीकृत/असहमत

3. प्रक्रिया अधीन

राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत/जारी धनराशि

3280. श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत और जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई, 2002 तक उन राज्यों द्वारा राज्यवार कितना व्यय किया गया; और

(ख) स्वीकृति हेतु मंत्रालय के समक्ष लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया नियतन/स्वीकृत, जारी धनराशि का ब्यौरा तथा गत तीन वर्षों के दौरान 31 जुलाई, 2002 तक उन राज्यों द्वारा राज्यवार सूचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय मंत्रालय के पास धनराशि जारी करने हेतु सिफारिश के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वर्ष-वार और राज्य-वार दी गई धनराशि

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्यों के नाम	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		नियतन	जारी	सूचित व्यय	नियतन	जारी	सूचित व्यय	नियतन	जारी	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	3575.00	3575.00	4616.61	3575.00	888.89	1534.16	3575.00	3575.00	2196.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	110.00	125.36	62.01	110.00	25.40	108.92	110.00	51.97	19.23
3.	असम	312.00	281.00	169.73	312.00	79.80	177.24	312.00	0.00	26.62
4.	बिहार	2668.00	2668.00	2668.00	1775.00	685.30	1867.60	1775.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	434.00	434.00	0.00
6.	गोवा	110.00	110.00	0.00	110.00	27.99	0.00	110.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2013.00	2013.00	1500.00	2013.00	2013.00	2249.60	2013.00	2013.00	1303.70
8.	हरियाणा	565.00	565.00	416.20	565.00	513.00	0.00	565.00	513.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	110.00	110.00	100.00	110.00	27.65	131.00	110.00	100.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	725.00	725.00	723.75	725.00	175.49	723.96	725.00	725.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	893.00	0.00
12.	कर्नाटक	2174.00	2174.00	2499.32	2174.00	2174.00	2174.00	2174.00	2174.00	2174.00
13.	केरल	1025.00	1028.00	560.55	1025.00	258.68	1996.50	1025.00	1025.00	504.76
14.	मध्य प्रदेश	2088.00	2088.00	1275.81	1654.00	1240.50	1020.52	1654.00	1654.00	2654.33
15.	महाराष्ट्र	5831.00	5831.00	1869.01	3904.00	1248.58	2767.57	5831.00	0.00	7706.70
16.	मणिपुर	110.00	110.00	0.00	110.00	28.78	0.00	110.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	110.00	110.00	93.75	110.00	28.55	33.59	110.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	110.00	122.00	122.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
19.	नागालैण्ड	110.00	122.00	0.00	110.00	28.55	0.00	110.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	678.00	727.00	638.46	678.00	339.00	397.30	678.00	0.00	218.00
21.	पंजाब	994.00	994.00	344.41	994.00	251.39	758.59	994.00	0.00	211.79
22.	राजस्थान	1479.00	1479.00	520.38	1479.00	376.50	2053.09	1479.00	1479.00	1180.46
23.	सिक्किम	110.00	88.00	0.00	110.00	25.40	0.00	110.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	2711.00	2711.00	2708.84	2711.00	2259.17	2439.90	2711.00	2711.00	2711.00
25.	त्रिपुरा	110.00	120.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
26.	उत्तर प्रदेश	4412.00	4026.50	4007.26	4230.00	4041.45	4586.95	4230.00	4230.00	4961.23
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
28.	पश्चिमी बंगाल	3768.00	4093.00	3366.01	3768.00	3758.00	4648.75	3768.00	3768.00	3738.27
	कुल राज्य	36008.00	35995.86	28372.10	34081.00	22234.07	29779.24	36008.00	25747.97	29716.34

विवरण-II

राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन०एस०डी०पी०) के अंतर्गत इस समय मंत्रालय के पास धनराशि जारी करने हेतु सिफारिश के लिए लंबित प्रस्ताव

(लाख रु० में)

क्रमांक	राज्य का नाम	धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	3389.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.00
3.	छत्तीसगढ़	411.00
4.	जम्मू-कश्मीर	687.00
5.	कर्नाटक	1030.50
6.	केरल	499.69
7.	मध्य प्रदेश	784.00
8.	मिजोरम	104.00
9.	नागालैण्ड	104.00
10.	राजस्थान	1402.00
11.	तमिलनाडु	1285.00
12.	त्रिपुरा	52.00
13.	उत्तर प्रदेश	2005.00
14.	पश्चिमी बंगाल	1786.00

केरल में मिनरल सैण्ड क्षेत्र खोलना

3281. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने निजी निवेश के लिये मिनरल सैण्ड सेक्टर को आंशिक रूप से खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिनरल सैण्ड भंडारों का पट्टा केवल विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही दिया जागा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या खनन और भूविज्ञान निदेशक तथा द सेन्टर फार अर्थ साइंस स्टडीज को संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में और दोहन योग्य मात्रा पर रिपोर्ट देने को कहा जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (च) परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 6.10.1998 से संकल्प द्वारा बीच सैंड मिनरल्स की विदोहन नीति की घोषणा की। खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो ने सूचित किया है कि केरल राज्य सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग के संकल्प के अनुसरण में केरल में मिनरल सैंड के लिए खनन पट्टा प्रदान करने की अपनी नीति की घोषणा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22.10.2002 के द्वारा की है। केरल नीति की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

केरल सरकार

उद्योग — मिनरल सैंड खनन नीति और प्रक्रियाएं — जारी आदेश

उद्योग (क) विभाग

जी०एस०ओ० सं० 101 02/आई०डी०

दिनांक तिरूवंतपुरम, 22.10.2002

पढ़े : भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं० 8/1(1)/97-पी०एस०यू०/1422 दिनांक 6.10.98

आदेश

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन परमाणु ऊर्जा निदेशालय, विदोहन एवं अनुसंधान ने राज्य के कोल्लम तथा अलप्पाजुहा जिलों के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत गवेषण किया है और यह पाया है कि नींडकाडा तथा कयाम कुलम बार (चावरा बेरियार बीज और इस्टर्न एक्सटेंशन) के मध्य 225 मीटर चौड़े और 22 कि०मी० की स्ट्राइक लैंग्थ पर मिलने वाले मिनरल सैंड विश्व में अपनी किस्म के श्रेष्ठ मिनरल हैं क्योंकि मिनरल इल्मेनाइट में टिटेनियम डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा है। चावरा बैरियर बीच में कुल भारी खनिज (टी०एच०एम०) के भंडार, 1400 मिलियन टन के रॉ सैंड के कुल भंडार से 80 मिलियन टन हैं। कयाम कुलम पोजी से परे अलप्पुजुहा जिले में थोट्टाप्पल्ली एक फैले उत्तरी भाग में अनुमानित कुल भारी खनिज के भंडार, रॉ सैंड के 242 मिलियन टन के भंडार से 9 मिलियन टन इल्मेनाइट तत्व वाले 17 मिलियन टन है। इस क्षेत्र में से चावरा बैरियर बीच 8 ब्लॉकों में विभक्त है, टिटेनियम डाइआक्साइड के लिए इल्मेनाइट को पृथक करने के लिए I से VIII के अंक दिए गए हैं। इन ब्लॉकों को वर्ततान में केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (के०एम०एम०एल०), राज्य सरकार उपक्रम और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन भारत सरकार के उपक्रम इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (आई०आर०ई०एल०) के मध्य विनियोजित किया गया है।

2. भारत सरकार ने ऊपर वर्णित अपनी अधिसूचना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मिश्रित भागीदारी के माध्यम से मिनरल सैंड डिपॉजिटों के विदोहन को और बढ़ावा देने के लिए बीच सैंड मिनरल्स के विदोहन की नीति अनुमोदित की है। राज्य सरकार ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के लिए मिनरल सैंड नीति पर ही विचार कर रहा है।

3. भारत सरकार द्वारा बीच सैंड मिनरल नीति के प्रचालन के बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों संगठनों से खनन पट्टे के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना संगत है कि राज्य सरकार द्वारा बीच सैंड मिनरल्स के विदोहन के लिए खनन पट्टे भारत सरकार के अनुमोदन से ही जारी किए जा सकते हैं।

4. सरकार द्वारा विस्तार से मामले की जांच की गई। तद्नुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त वर्णित भारत सरकार अधिसूचना के अनुरूप खनन पट्टा प्रदान करने के लिए मिनरल सैंड नीति की घोषणा की जाएगी।

5. इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं :–

(i) खनन पट्टे केवल खनन के लिए ही प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(ii) राज्य में संयुक्त क्षेत्र की उन फैक्टरियों को खनन पट्टे प्रदान किए जाएंगे जो मूल्य आवर्धित उत्पादों का उत्पादन करेंगे।

(iii) ऐसी फैक्टरियों जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, की स्थापना के प्रस्तावों की पहले केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जांच की जाएगी उसके बाद ही उन्हें मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) मिनरल सैंड जिसे क्षेत्र में खनित किया जा सकेगा की मात्रा का पता लगाने के लिए खनन एवं भूविज्ञान विभाग और सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज संयुक्त रूप से एक अध्ययन करेगा और सरकार को एक रिपोर्ट देगा।

(v) संगत सांविधि के तहत एक अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके द्वारा मिनरल सैंड युक्त भूमि के अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग का निषेध किया जाएगा।

(vi) मिनरल सैंड की वर्तमान रायल्टी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

(vii) वर्तमान में, चावरा बैरियर बीच क्षेत्र में आठ ब्लॉक केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड और दी इंडियन रेयर अर्थ के लिए विनिर्दिष्ट किए गए हैं, और ये किसी अन्य आवेदकों को प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(viii) मिनरल सैंड्स के खनन के लिए नए आवेदकों को नए खनन पट्टे कयामकलम पोजी के उत्तर की ओर अलप्पुजहा तक के क्षेत्र में ही जारी किए जा सकेंगे।

राज्यपाल के आदेश द्वारा

जॉन मथाई

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

1. निदेशक, खनन एवं भूविज्ञान, तिरूवंतपुरम।
2. निदेशक, सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूवंतपुरम।
3. प्रबंध निदेशक, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, तिरूवंतपुरम।
4. महानियंत्रक, भारती खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लेन, नागपुर 440001।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर-440006।
6. परमाणु ऊर्जा विभाग, सी०एस०एम० मार्ग, मुम्बई 40001।
7. औद्योगिकी विभाग में सभी अनुभाग।

प्रतिलिपि,

मुख्य मंत्री के निजी सचिव

मंत्री (उद्योग एवं समाज कार्य) के निजी सचिव

प्रधान सचिव, औद्योगिक विभाग के वैयक्तिक सहायक

सचिव-I और II, औद्योगिक विभाग के सी०ए०

अपर सचिव-I, औद्योगिक विभाग के सी०ए०

उप सचिव-I, औद्योगिक विभाग के सी०ए०

स्टॉक फाइल/कार्यालय प्रति

अग्रेषित/आदेश द्वारा

ह०/-

अनुभाग अधिकारी

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

3282. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में आज की तिथि के अनुसार नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार ने नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नवोदय विद्यालय अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि आज तक की स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिये 33 प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रमांक	राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	01
2.	असम	03
3.	अरुणाचल प्रदेश	03
4.	बिहार	01
5.	छत्तीसगढ़	04
6.	गुजरात	02
7.	हरियाणा	01
8.	केरल	01
9.	उड़ीसा	02
10.	मध्य प्रदेश	02
11.	महाराष्ट्र	01
12.	मिजोरम	04
13.	मेघालय	01
14.	राजस्थान	01
15.	उत्तरांचल	01
16.	उत्तर प्रदेश	04
17.	त्रिपुरा	01
	कुल	33

(ख) जी, हां। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ने नवोदय विद्यालय योजना का मूल्यांकन किया है। श्री वाई०एन० चतुर्वेदी, पूर्व-सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नवोदय विद्यालयों की प्रबंध संरचना तथा संचालन तंत्र की समीक्षा भी की गई थी।

(ग) से (ङ) दोनों समीक्षाओं में की गई सिफारिशों से यह परिलक्षित होता है कि नवोदय विद्यालयों ने मात्रा, बोर्ड परिणामों की गुणवत्ता, विभिन्न पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में बच्चों की सहभागिता, खेल-कूद तथा कार्य के अन्य क्षेत्रों जैसे संचालन प्राचलों को सामान्यत: पूरा किया है। समीक्षाओं में की गई सिफारिशों का यह भी लक्ष्य है कि संचालनात्मक प्रबंधन में सुधार, कर्मचारियों की अनुकूलतम संतुष्टि तथा शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार करते हुए नवोदय विद्यालय समिति के कार्यकरण को और बेहतर बनाया जाये।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां

3283. श्री रघुनाथ झा :
श्री समीक लाहिड़ी :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषत: असम, पश्चिम बंगाल की सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आयी है;

(ख) क्या इस प्रकार की गतिविधियां करने में उल्फा, के०एल०ओ० और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष के दौरान हुई आतंकवादी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संगठनों ने अपने शिविर भूटान में स्थापित किए हैं और वहां अपनी गतिविधियां चला रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूटान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या सरकार को जानकारी है कि असम चाय बगानों के मालिक आतंकवादियों द्वारा सार्वाधिक सताए जाते हैं;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(झ) आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी० एफ०बी०) और कामतापुरी लिब्रेशन आर्गनाइजेशन (के०एल०ओ०)

द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई हिंसक घटनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	निम्नलिखित द्वारा की गई हिंसक घटनाओं की संख्या		
	उल्फा	एन०डी०एफ०बी०	के०एल०ओ०
2000	266	183	09
2001	162	210	03
2002 (15.11.02 तक)	145	151	05

(घ) से (च) सरकार को, भूटान राज्य क्षेत्र में उल्फा, एन०डी०एफ०बी० और के०एल०ओ० के कैम्पों की मौजूदगी के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग उनके द्वारा सुरक्षित आश्रय और प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ तथा भारतीय सिविलियनों और सुरक्षा बलों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए किया जा रहा है।

भूटान राज्य क्षेत्र से भारतीय विद्रोही ग्रुपों के कैम्पों के हटाने सम्बन्धी मामला समय-समय पर भूटान राजशाही सरकार (आर०जी०ओ०बी०) के साथ उठाया गया है। आर०जी०ओ०बी० ने आश्वासन दिया है कि वह इन तत्वों को अपने भू-भाग का प्रयोग भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं करने देगा।

(छ) से (झ) इस तरह की सूचनाएं हैं कि उग्रवादी गुट चाय बगानों के मालिकों से धन ऐंठने की गतिविधियों में संलिप्त हैं। सरकार ने असम में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में अर्द्धसैनिक बलों और सेना की तैनाती, सेना, अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए समन्वित कार्रवाई, विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत विद्रोही ग्रुपों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत सम्पूर्ण असम राज्य को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना, राज्य सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति और राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण/उन्नयन, शामिल है। राज्य और केन्द्र सरकार, दोनों के स्तर पर स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल/सफाई योजनाएं

3284. श्री के० येरननायडू : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जल और सफाई जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस प्रकार की योजनाओं में केन्द्र की धनराशि में कितनी हिस्सेदारी होगी; और

(घ) परियोजना की शीघ्र स्वीकृति के लिए सरकार के प्रस्तावित कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता राज्यों का विषय होने की वजह से ग्रामीण बसावटों एवं विद्यालयों में पेयजल एवं विकसित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके प्रयासों में मदद करती है। छठे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण (सितम्बर, 1993) के अनुसार देश में 6.37 लाख ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से, 2.85 लाख ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं हैं और 3.52 लाख ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों को शामिल किए जाने का कार्य वर्ष 2000-2001 से शुरू किया गया और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1.50 लाख ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। दिनांक 12.11.2002 तक राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में 779 सहित 48004 ग्रामीण विद्यालयों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सुविधा प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को तैयार करने, स्वीकृत एवं कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास है। राज्यों को ग्रामीण विद्यालयों के कवरेज सहित अलग-अलग जल आपूर्ति योजनाओं के लिए भारत सरकार की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है।

विद्यालय स्वच्छता सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी०एस०सी०) का अभिन्न हिस्सा है और टी०एस०सी० कार्यक्रम के मुख्य घटकों में से एक है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि विद्यालयों में स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित की जा सकती है। टी०एस०सी० के अंतर्गत अब तक विद्यालयों के लिए 1,67,966 शौचालय स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 14,279 विद्यालय शौचालय आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान एवं आज तक टी०एस०सी० के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विद्यालय शौचालय के मामले में प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत परियोजनाओं एवं रिलीज की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शेष प्रस्ताव राज्य की हकदारी एवं अन्य शर्तों की पूर्ति के अनुसार स्वीकृत किए जा सकते हैं।

विवरण

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट (नवम्बर, 2002)

क्रम सं०	राज्य/जिला	स्वीकृत माह/वर्ष	सूचित माह/वर्ष	परियोजना के उद्देश्य						परियोजना का निष्पादन					
				निजी परिवारिक शौचालय	स्वच्छता परिसर	विद्यालय शौचालय	बलवाड़ी के लिए शौचालय	आरएस एम/पी सी	गांवों की कुल स्वच्छता	निजी पारिवारिक शौचालय	स्वच्छता परिसर	विद्यालय शौचालय	बलवाड़ी के लिए शौचालय	आर एम/पी सी	गांवों की कुल स्वच्छता
	आन्ध्र प्रदेश			शौचालय											
1.	खम्माम	11/99	9/02	68160	0	1034	0	10	0	20955	0	600	0	0	0
2.	नलगोंडा	3/00	9/02	124000	0	2500	0	10	0	54502	0	1865	300	0	0
3.	प्रकाशम	3/00	8/02	153000	0	560	0	10	0	52262	0	42	0	0	0
4.	चित्तुर	3/00	9/02	156600	0	2345	0	10	0	3087	0	30	0	0	0
5.	नेल्लोर	3/01	8/02	192000	0	203	0	10	0	1820	0	0	0	0	0
6.	अदीलाबाद	5/01	8/02	192000	0	642	0	10	0	1800	0	0	0	0	0
7.	अनंतपुर	5/01	8/02	134400	0	735	50	10	0	242	0	0	0	0	0
8.	महबूबनगर	5/01	9/02	194400	0	620	0	10	0	24229	269	183	0	0	0
9.	निजामाबाद	5/01	8/02	144444	0	789	0	10	0	52144	0	720	0	0	0
10.	विजयनगरम	5/01	8/02	136000	0	333	0	10	0	0	0	10	0	0	0
11.	वारंगल	4/02	8/02	192000	0	860	0	10	0	0	0	0	0	0	0
12.	कुरनूल	4/02	8/02	178500	0	1822	0	10	0	0	0	0	0	0	0
13.	गुंटूर	4/02	8/02	116500	0,	836	0	0	0	1286	0	0	0	0	0
14.	पू० गोदावरी	4/02	8/02	194400	0	1000	0	10	0	4389	0	0	0	0	0
	कुल			2176404	0	14279	50	140	0	216716	269	3450	300	0	0

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट (नवम्बर, 2002)

(लाख रु० में

क्रम सं०	राज्य/जिला	मंजूरी महीना/वर्ष	सूचित माह/वर्ष	कुल परियोजनाएं परिव्यय	अनुमोदित अंश			धन की रिलीज		बताया गया व्यय			
					केंद्र	राज्य	लाभार्थी	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	लाभार्थी	कुल
आन्ध्र प्रदेश													
1.	खम्माम	11/99	9/02	918.80	613.41	195.25	110.14	184.02	58.58	153.81	26.19	38.19	218.19
2.	नलगोंडा	3/00	9/02	1465.00	973.90	303.35	187.75	292.17	91.00	128.18	31.62	105.43	233.61
3.	प्रकाशम	3/00	8/02	1534.75	1019.94	302.80	212.01	305.98	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	चितुर	3/00	9/02	2042.24	1354.87	434.93	252.44	406.46	130.48	185.30	9.17	8.78	203.25
5.	नेल्लोर	3/01	9/02	1700.80	1129.53	327.21	244.06	338.86	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	अदीलाबाद	5/01	9/02	1697.88	1100.62	344.42	252.84	330.19	11.56	6.21	6.21	0.00	12.42
7.	अनंतपुर	5/01	8/02	1371.15	902.12	276.93	192.10	270.64	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	महबूबनगर	5/01	9/02	1898.66	1260.11	373.15	265.40	378.03	11.16	221.84	0.00	4.78	226.62
9.	निजामाबाद	5/01	9/02	1488.64	982.76	300.51	205.37	294.83	92.03	251.80	48.20	109.16	409.16
10.	विजयनगरम	5/01	8/02	1325.46	881.18	258.49	185.16	264.54	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	वारंगल	4/02	8/02	1932.00	1277.20	385.60	269.20	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कुरनूल	4/02	8/02	2015.03	1336.02	419.45	259.56	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	गुंटूर	4/02	8/02	1851.20	883.42	485.06	482.72	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	पू० गोदावरी	4/02	8/02	2000.00	1327.00	400.00	273.00	132.70	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	कुल			23241.61	15042.71	4807.15	3391.76	3548.08	600.79	977.14	89.77	266.34	1333.25

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, रामागुण्डम

3285. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया रामागुण्डम के पुनरुद्धार का कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार से एफ०सी०आई०, रामागुण्डम का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किए जाने का अनुरोध भी प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) सरकार ने एफ०सी०आई० की रामागुंडम इकाई को बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ग) और (घ) एफ०सी०आई० के रामागुंडम संयंत्र को विद्युत संयंत्र में परिवर्तित करके मौजूदा सुविधाओं का पुन: उपयोग करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से फरवरी, 2002 में अनुरोध प्राप्त हुआ था और इसके प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

पी०आर०आई० द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन

3268. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के पास संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पी०आर०आई० के पदाधिकारियों तथा निचले स्तर पर क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों की तैयारी का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस योजना कि अंतर्गत बांटे गए खाद्यान्न गुणात्मक रूप से खुले बाजार में उपलब्ध खाद्यान्नों के समतुल्य हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) जी, हां। ग्राम पंचायत के कार्मिकों को समय-समय पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन०आई०आर०डी०), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस०आई०आर०डी०) तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (ई०टी०सी०) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें तथा ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन भी ऐसे कार्मिकों के लिए उन्मुखता पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं।

(घ) और (ङ) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जैसे कि पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) (1989-1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) (जे०जी०एस०वाई०) (1999-2002) तथा ई०ए०एस० (1999-2002) पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित करने होते थे। इसी प्रकार एस०जी०आर०वाई० भी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाती है और पूर्ववर्ती योजनाओं से बहुत भिन्न नहीं है। निचले स्तर के कार्यकर्त्ता और कार्यान्वयन कर्मचारी योजना के प्रावधानों से परिचित हैं।

(च) एस०जी०आर०वाई० के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न निर्धारित मानदंड के अनुसार उचित औसत गुणवत्ता (एफ०ए०क्यू०) के अनुकूल होने चाहिए। खाद्यान्नों के वितरण से पहले स्टॉक की जांच की जा सकती है। संयुक्त नमूने का भी प्रावधान है।

हवाला कारोबार

3287. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'हीरा' हवाला पैसा बनाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में हीरा व्यापारियों की संलिप्तता आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हवाला कारोबार को रोकने के लिए सरकार के प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रमुख कदम, संसद द्वारा हाल ही में मनी लॉन्डरिंग बिल पारित करना है जो हवाला कारोबार से निपटने के लिए एक प्रभावी कानूनी तंत्र होगा।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के विकास के लिए प्रस्ताव

3288. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से उनके राज्यों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के विकास संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) पेयजल आपूर्ति राज्य विषय होने के कारण पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, मंजूर और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं।

अक्टूबर, 2001 में राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को सुधारने के सुझाव दिए गए थे। राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण के ग्रामीण जल आपूर्ति के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :—

(i) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के अंतर-राज्य आबंटन के लिए मानदंड में शामिल न किए गए तथा आंशिक रूप से शामिल किए गए गांवों और गुणवत्ता प्रभावित गांवों के लिए वेटेज को क्रमशः 10% तथा 5% से बढ़ाकर 15% तथा 10% किया गया है।

(ii) जिस राज्य ने 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मौजूदा मानदंडों के अनुसार सभी शामिल न की गई तथा आंशिक रूप से शामिल की गई ग्रामीण बसावटों की कवरेज को प्राप्त कर लिया है उसके लिए बाद में मैदानी क्षेत्रों में 0.5 कि०मी० की दूरी पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर की ऊंचाई पर स्रोत से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल मुहैया कराने के लिए मानदंड में छूट दी जा सकती है। यह छूट इस शर्त के आधार पर है कि रियायती मानदंड के लाभार्थी पूंजी लागत के हिस्से को वहन करेंगे (जो 10% से कम न हो) तथा बाद में संचालन और रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी उठाएंगे।

(iii) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों का 5% प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए निर्धारित किया गया है। फरवरी में अप्रयुक्त इस बकाया में से निधियों को वापिस सामान्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में डाल दिया जाएगा तथा बेहतर कार्य-निष्पादन वाले राज्यों को आबंटित किया जाएगा।

ठोस कचरा प्रबंधन का अध्ययन

3289. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने विदेशी सहायता से कोलकाता में ठोस कचरा प्रबंधन और जल आपूर्ति वितरण प्रबंधन के सुधार संबंधी अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परियोजना की लागत क्या है;

(ग) क्या परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जा चुकी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजनाओं को और अधिक विलंब किए बिना पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने इण्डो-फ्रेंच वित्तीय प्राटोकाल के अंतर्गत कोलकाता नगर पालिका क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबन्धन और जल आपूर्ति वितरण प्रबंधन का सुधार संबंधी अध्ययन शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से प्रस्तावों की अनुशंसा की गई थी। फ्रांस सरकार ठोस कचरा प्रबंधन पर संभाव्यता अध्ययन हेतु 1.4 मिलियन फ्रेंच फ्रेंक का अनुदान तथा जल आपूर्ति वितरण प्रबंधन के सुधार हेतु 35,999 मिलियन फ्रेंच फ्रेंक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है।

(ग) और (घ) ठोस कचरा प्रबंधन पर संभाव्यता अध्ययन अब पूरा हो गया है। जल आपूर्ति वितरण प्रबंधन परियोजना के सुधार हेतु 4.8.2000 से आरंभ अध्ययन के जून, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय शहरी नीति

3290. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय शहरी नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा;

(ग) क्या यह नीति प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएगी और मूलभूत ढांचे की कमियों, गरीबी आदि जैसे विभिन्न शहरी समस्याओं का निवारण करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) सरकार एक राष्ट्रीय शहरी नीति को अंतिम रूप दे रही है।

(ख) नीति को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय स्लम नीति में शहरी क्षेत्रीय नियोजन; शहरी भूमि; शहरी शासन एवं प्रबंधन; शहरी विकास का वित्त पोषण; शहरी गरीबी; शहरी पर्यावरण; शहरी संरक्षण तथा विरासत; सूचना प्रणाली एवं क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाने का प्रस्ताव है। इसमें शहरी क्षेत्र, जल आपूर्ति एवं सफाई, म्युनीसिपल ठोस कचरा प्रबंधन तथा शहरी परिवहन पर विशेष जोर देते हुए शहरी मूलभूत ढांचे की कमियों से संबंधित समस्याओं के निवारण का प्रस्ताव है। इस नीति में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर, रोजगार सृजन नीति का विकास करके तथा सेवाओं एवं भूमि अधिकारों तक लोगों की पहुंच बढ़ाकर गरीब लोगों को नगर नियोजन में शामिल करने का प्रयास करके शहरी गरीबी कम करने का प्रस्ताव भी है।

महाराष्ट्र में हिरासत में होने वाले मौतें

3291. **श्री मोहन रावले : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में हिरासत में सर्वाधिक मौतें होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई अनुदेश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस मामले में सरकार/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा क्या नए कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन०एच० आर०सी०) ने सूचित किया है वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में हिरासत में सबसे अधिक मौतें बिहार राज्य में तथा 2001-2002 में उत्तर प्रदेश में हुई; न कि महाराष्ट्र राज्य में।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के संबंध में हिरासत में हुई मौतों के निम्नलिखित मामले दर्ज किए हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या
1999-2000	156
2000-2001	123
2001-2002	152

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे राज्यों में हिरासत में हुई मौतों के सभी मामलों के बारे में सूचित किया जाता है, ने इन सभी मौतों की जांच-पड़ताल की है तथा प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की सिफारिश की है। आयोग ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 10 मामलों में और वर्ष 2000-2001 के दौरान एक मामले में मुआवजा देने की सिफारिश की है। आयोग ने वर्ष 1999-2000 के लिए दो मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है।

(ङ) से (छ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने, हिरासत में हुई मौतों की घटनाओं को रोकने के लिए तथा जेलों की स्थिति को सुधारने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के लिए विभिन्न मौकों पर उपयुक्त मामलों में, संबंधित अधिकारियों को निदेश दिए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, वीडियोग्राफी के साथ शव परीक्षा और मैजिस्टिरियल जांच-पड़ताल की रिपोर्टें निर्धारित समयावधि के भीतर आयोग को भेजने में किसी भी विलंब को टालने के लिए हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित बनाने के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सभी राज्य सरकारों को हिरासत में हुई मौतों की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

ग्रामीण शिक्षा में लगे गैर-सरकारी संगठन

3292. श्री जय प्रकाश : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 6.8.2002 के अतारांकित प्रश्न सं० 3301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना के कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आवश्यक सूचना प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्र की जा रही है जो इस मामले से संबद्ध है और एकत्र हो जाने के तुरन्त बाद सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना

3293. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता के 54 वर्षों के दौरान सरकारों द्वारा मुख्य सड़कों से जोड़े गए आदिवासी गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) शेष गांवों को मुख्य सड़कों से कब तक जोड़े जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब होने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सड़कें राज्यों का विषय हैं। आजादी के बाद से सड़कों से जोड़े गए आदिवासी गांवों के संबंध में राज्यवार आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

सुभाष चंद्र बोस की पवित्र अस्थियां

3294. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विदेश में पड़ी पवित्र अस्थियों के संबंध में नए सुराग प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का उनकी स्मृति में कोई छात्रवृत्ति/पुरस्कार शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के तथाकथित रूप से लापता होने के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग ने हाल ही में टोकियो, जापान में रनकोजी मंदिर का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के विकास के लिए हडको द्वारा ऋण की मंजूरी

3295. श्री भीम दाहाल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास एवं शहरी विकास निगम लि० (हडको) के पास विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों आदि के विकास के लिए ऋण को मंजूरी देने की योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में योजनावार और राज्यवार कितना ऋण मंजूर किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। आवास एवं नगर विकास निगम लि० (हडको) विभिन्न राज्यों को सड़कों/पुलों के निर्माण के साथ-साथ निर्माण, परिचालन तथा अन्तरण (बी०ओ०टी०) परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराता है।

(ख) हडको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

हडको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग/पुल (विशेष घटक के रूप में)

वर्ष 1999-2000 के दौरान : (करोड़ रु० में)

क्रम सं०	राज्य	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	प्रदत ऋण राशि
1.	गुजरात	अहमदाबाद और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-81 तथा बी का निर्माण, फेज-II	172.72	120.91	63.09
2.	हरियाणा	बाटा चौंक, फरीदाबाद में पुल के ऊपर चार लेन वाली सड़क का निर्माण	21.50	4.00	4.00
3.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू तथा कश्मीर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-I के पुनः संरेखण (वैकल्पिक) का तकनीकी आर्थिक व व्यवहार्यता सर्वेक्षण	2.63	2.30	1.69
4.	केरल	केरल में 19 स्थानों पर लेबल क्रोसिंग के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण	150.80	59.15	23.00
5.	महाराष्ट्र	मुंबई में वार्ली बांद्रा सी लिंक	412.37	250.00	—
6.	तमिलनाडु	करूर में अमरावती नदी पर बी०ओ०टी० आधार पर पुल का निर्माण	15.80	9.00	7.50
	योग		77.82	445.36	99.28

वर्ष 2000-2001 के दौरान :

क्रम सं०	राज्य	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	प्रदत ऋण राशि
1.	तमिलनाडु	चेन्नई और त्रिची में रोड ओवर ब्रिज तथा रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	78.50	62.04	34.43
	योग		78.50	62.04	34.43

वर्ष 2001-2002 के दौरान :

क्रम सं०	राज्य	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	प्रदत ऋण राशि
1.	तमिलनाडु	तिरूनेल्वेली परिमंडल में 7 पुलों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए बढ़ाई गई ऋण राशि	20.75	3.60	—
		त्रिची परिमंडल में 20 पुलों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए बढ़ाई गई ऋण राशि	53.35	5.68	—
	योग		74.10	9.28	—

पालीटेक्निक शिक्षा

3296. श्री सी०के० जाफर शरीफ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पालीटेक्निक शिक्षा हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक से प्राप्त सहायता को राज्य सरकारों को बांट दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यों के बीच सहायता को नियत करने का मानदंड क्या है; और

(च) उन्नयन किए गए/आधुनिक बनाए गए पालीटेक्निक्स की राज्यवार संख्या कितनी है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) जी, हां। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 2 परियोजनाएं अर्थात् तकनीशियन शिक्षा परियोजना-। और ॥ नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण कर ली गई हैं जिनमें 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पॉलिटेक्निक प्रणाली की क्षमता का विस्तार करना; पॉलिटेक्निक कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना; तथा पॉलिटेक्निक प्रणाली के प्रबंधन और संचालन की क्षमता में वृद्धि करना है।

शेष 8 इच्छुक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए तकनीशियन शिक्षा परियोजना-III जनवरी, 2001 से लागू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पॉलिटेक्निक शिक्षा की कार्य क्षमता में विस्तार करना, उसकी गुणवत्ता और कार्यकुशला को बेहतर बनाना एवं समाज के वंचित वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण युवाओं) को पॉलिटेक्निक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और सुलभ बनाना है।

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-। और ॥ में उपयोग की गई विश्व बैंक सहायता का ब्यौरा तथा तकनीशियन शिक्षा परियोजना-III के लिए किये गये परियोजनागत आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है। राज्य क्षेत्रीय परियोजनाएं होने के कारण किए गए/उपयोग किए गए वित्तीय आबंटन संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार थे। तकनीशियन शिक्षा परियोजना-। व ॥ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां संलग्न विवरण-॥ में दी गई है।

विवरण-I

सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक की संख्या और विश्व बैंक सहायता के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अनुसार सूचना

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I (तकनीकी शिक्षा-I)

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	राज्य	पॉलिटेक्निकों की संख्या	विश्व बैंक सहायता
1	2	3	4
1.	बिहार	25	54
2.	गोवा	4	21
3.	गुजरात	22	80
4.	कर्नाटक	39	75
5.	केरल	30	46
6.	मध्य प्रदेश	40	135
7.	उड़ीसा	13	63
8.	राजस्थान	21	64
9.	उत्तर प्रदेश	86	215
	कुल	280	753

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-II (तकनीकी शिक्षा-II)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पॉलिटेक्निकों की संख्या	विश्व बैंक सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	59	109
2.	असम	9	44
3.	हरियाणा	16	137
4.	हिमाचल प्रदेश	5	33
5.	महाराष्ट्र	50	221
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9	44
7.	पांडिचेरी	3	17
8.	पंजाब	17	92
9.	तमिलनाडु	52	80
10.	पश्चिमी बंगाल	32	115
	कुल	252	892

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-III (तकनीकी शिक्षा-III)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासि प्रदेश	पॉलिटेक्निकों की संख्या	विश्व बैंक सहायता
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	2	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	23
3.	जम्मू-कश्मीर	4	65
4.	मेघालय	3	53
5.	मिजोरम	2	35
6.	नागालैंड	3	47
7.	सिक्किम	2	57
8.	त्रिपुरा	1	12
	कुल	18	314*

*आशा है कि विश्व बैंक सहायता इस राशि का 80 प्रतिशत है।

विवरण-II

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I वाले राज्यों की मुख्य उपब्धियां

क्रम सं०	पैरामीटर	बिहार	गोवा	गुजरात	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
1.	परियोजना पॉलीटेक्निक	25	4	22	39	30	40	13	21	86
2.	नवीन सह शिक्षा पॉलीटेक्निक	3	शून्य	1	2	1	6	1	2	2
3.	नवीन महिला पॉलीटेक्निक	1	शून्य	शून्य	1	1	8	2	2	4
4.	पुरुष छात्रों के लिए छात्रावास	200	60	880	300	400	810	166	168	2625
5.	छात्राओं के लिए छात्रावास	200	60	450	444	440	433	625	270	1361
6.	सह शिक्षा छात्रों के लिये नया डिप्लोमा कार्यक्रम	6	9	8	8	5	6	24	9	73
7.	यह शिक्षा छात्रों के लिये नया उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	6	1	21	1	3	शून्य	12	3	20
8.	विशेष रूप से छात्राओं के लिये नया डिप्लोमा तथा उत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	15	4	16	7	5	34	15	9	43
9.	छात्रों के लिये अतिरिक्त सीटें	1690	1030	2235	1490	1830	4755	1825	1460	8260
10.	छात्राओं की प्रतिशतता	16.5	26	26	28.4	45	45	29	28	22.6

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-II वाले राज्यों की मुख्य उपब्धियां

क्रम सं०	पैरामीटर	आंध्र प्रदेश	असम	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	महाराष्ट्र	रा०रा० क्षेत्र दिल्ली	पांडिचेरी	पंजाब	तमिलनाडु	पश्चिम बंगाल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	परियोजना पॉलीटेक्निक	59	9	16	5	50	9	3	17	52	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	नवीन सह शिक्षा पॉलीटेक्निक	1	शून्य	3	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	2
3.	नवीन महिला पॉलीटेक्निक	2	1	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	3	शून्य	2
4.	पुरुष छात्रों के लिए छात्रावास	160	शून्य	912	270	860	40	शून्य	150	शून्य	645
5.	छात्राओं के लिए छात्रावास	2044	240	641	240	1206	70	शून्य	1200	1215	410
6.	सह शिक्षा छात्रों के लिये नया डिप्लोमा कार्यक्रम	26	शून्य	19	4	26	10	3	14	27	30
7.	यह शिक्षा छात्रों के लिये नया उत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	3	शून्य	1	1	16	6	1	शून्य	10	10
8.	विशेष रूप से छात्राओं के लिये नया डिप्लोमा तथा उत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	11	2	9	1	13	3	2	15	12	14
9.	छात्रों के लिये अतिरिक्त सीटें	5350	210	2569	375	4085	1360	480	2597	3605	3419
10.	छात्राओं की प्रतिशतता	33	16	19	22	26	30	42	35	40	22

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-III वाले राज्यों की मुख्य उपब्धियां

इस परियोजना को लागू किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

3297. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय ग्राम स्तर पर सतत मानव विकास को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना कई गांवों में, विशेष रूप से देश में दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम सुझाए गए हैं;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना को राज्य के किसी भी जिले में कार्यान्वित करने का विकल्प खुला रखने का सुझाव दिय है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी०एम०जी०वाई०) के लिए नोडल एजेंसी नहीं है। योजना आयोग प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, जिसे वर्ष 2000-01 के दौरान गांव स्तर पर स्थायी मानव विकास के लिए शुरू किया गया था, के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान ग्रामीण पेयजल एवं आवास घटकों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग कर रहा था।

(ख) से (छ) अनेक गांवों, विशेषकर देश के सुदूर एवं जन-जातीय क्षेत्रों, में प्रभावी कार्यान्वयन के कमी के संबंध में मंत्रालय के पास कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। सरकार पहले ही पी०एम०जी०वाई० के कार्यान्वयन की समीक्षा कर चुकी है तथा यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2002-2003 से पी०एम०जी०वाई० को पूर्ववर्ती बुनियादी न्यूनतम सेवा पद्धति पर ले आना चाहिए। योजना आयोग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की रिलीज सीधे राज्यों को की जाएगी। पी०एम०जी०वाई० के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता है और राज्यों के पास पी०एम०जी०वाई० के अंतर्गत योजनाओं को अपनी प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वित करने की शक्तियां हैं।

कोयले का उत्पादन

3298. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल इंडिया लि० का पांच वर्षों में कोयले का उत्पादन 360 मिलियन टन तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य निवेश के वर्तमान स्तर से प्राप्त किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का वर्ष 2004-2005 के लिए निर्धारित लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करने का विचार है;

(घ) क्या उत्खनन प्रक्रिया में निजी पार्टियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2006-07 तक कोल इंडिया लि० (सी०ई०एल०) का उत्पादन का प्रक्षेपण 350 मिलियन टन है।

(ख) जी, हां। सी०आई०एल० की दसवीं योजना अवधि के लिए 14310 करोड़ रुपए का प्रक्षेपित योजना व्यय आंतरिक संसाधन जुटाकर तथा बाह्य संसाधन संग्रहण से पूरा किया जाएगा।

(ग) ऊपर के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) कोयला क्षेत्र में नॉन-कैप्टिव प्रयोग के लिए भी निजी निवेश की व्यवस्था करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। विधेयक संसद के विचाराधीन है।

रुग्ण लौह अयस्क खानें

3299. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में रुग्ण लौह अयस्क खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये खानें कब से रुग्ण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इनके पुनरुद्धार के लिए अधिकार में ली गई खानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) शेष खानों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) खनिजों की मांग की तुलना में खनिजों के निम्न ग्रेड सहित अनेक कारणों से खानें अव्यवहार्य हो जाती हैं। तथापि, लौह अयस्क खानों समेत रुग्ण खानों से संबंधित ब्यौरे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके अधीन बनाये बए नियमों के अंतर्गत सांविधिक रूप से नहीं रखे जाते हैं। इसलिए, सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों और बालिकाओं को छात्रावास सुविधाएं

3300. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शैक्षिक संस्थानों में अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बालकों और बालिकाओं को पर्याप्त छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों से कोई अनुरोध अथवा सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय मिडिल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजनाएं पहले ही कार्यान्वित कर रहे हैं। राज्य सरकारों को समतुल्य हिस्सेदारी के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए खाने-पीने तथा छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की अपनी योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) चार माननीय संसद सदस्यों ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजना के तहत वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान (आज की तारीख तक) सहायता अनुदान के लिए आवेदन किया है और 89.82 लाख रु० के अनुदान प्राप्त किए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा कोयला आपूर्ति समझौते का पालन न करना

3301. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कंपनियां स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा कोयला आपूर्ति समझौते का पालन न करने के कारण असमंजस में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा कोल इंडिया लि० के साथ पावर-ग्रेड गैर-कोकिंग कोयले की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) समझौते को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा क्या प्रबंध किए गए है; और

(ङ) फालतू कोयले का उपयोग करने के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। केवल तीन आई०पी०पी० अर्थात् बीना पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, देवू पावर इंडिया लिमिटेड तथा हिन्दुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने सी०आई०एल० की कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, सभी तीनों ईंधन आपूर्ति करार (एफ०एस०ए०) अप्रचालनशील हो गई हैं क्योंकि उपर्युक्त आई०पी०पी० वित्तीय समापन को प्राप्त करने में असफल रही और अन्तत: उन्हें समाप्त कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) दूसरे नए विद्युत गृहों तथा उद्योगों को कोयला लिंकेज दिए गए हैं। कोई सरप्लस कोयला उपलब्ध नहीं है।

फिल्मों का निर्माण

3302. **श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ग्रामीण विकास हेतु सूचना, शिक्षा और संचार प्रभाग द्वारा बनाई गई फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन फिल्मों के निर्माण में कौन-कौन से फिल्म निर्माता, एजेंसियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इसमें शामिल फिल्म निर्माता और एजेंसियां विभाग के पैनल में थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान मैसर्स गायत्री कम्युनिकेशन के जरिए बनाई गई लघु अवधि की पांच फिल्मों को छोड़कर अब तक शेष श्रव्य-दृश्य सॉफ्टवेयर प्रसार भारती एवं विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से बनाये गये हैं, जिन्होंने निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निर्माण कार्य किया। पूर्व में मंत्रालय के पास श्रव्य-दृश्य सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए निर्माताओं के सूचीकरण की प्रणाली नहीं थी। वर्ष 2002-03 के दौरान सूचीबद्ध निर्माताओं के जरिए श्रव्य-दृश्य सॉफ्टवेयर के निर्माण के उपयुक्त मानदण्ड मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	वर्ष	निर्मित श्रव्य-दृश्य	व्यय एवं एजेंसी
1.	1999-2000	शून्य	
2.	2000-2001	(i) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 6 वीडियो फिल्म	(i) 9.43 लाख रुपये (विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय)
		(ii) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 5 वृत चित्र	(ii) 12.50 लाख रुपये (मेसर्स गायत्री कम्यूनिकेशन)
3.	2001-2002	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 1006 आधे घंटे का कार्यक्रम और 182 वीडियों फिल्म	2198.15 लाख रुपये (प्रसार भारती)
4.	2000-2003		15 मिनट समय की 43 समाचार पत्रिका का निर्माण सूचीबद्ध निर्माताओं मेसर्स जैन स्टुडियो, मेसर्स ए०पी०सी०ए० और मेसर्स बी०ए०जी० फिल्म्स को सौंपे गए हैं। संबंधित लागत 86.00 लाख रुपये है।

पेयजल उप-मिशन परियोजना के परियोजना अनुमानों का संशोधन

3303. **श्री के० येरननायडू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से पेयजल उप-मिशन परियोजनाओं के परियोजना अनुमानों के संशोधन के कारण उत्पन्न हिस्सेदारी राशि के 75 प्रतिशत अंश को वहन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक लिया गया निर्णय क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों से पेयजल उप-मिशन परियोजनाओं के परियोजना अनुमानों में संशोधन की वजह से भारत सरकार द्वारा समानुपातिक लागत वहन करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए थे।

ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय है और ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। 1.4.1998 से, गुणवत्ता समस्या और स्थायित्व संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०

उपमिशन के अंतर्गत योजनाओं और परियोजनाओं को बनाने, मंजूरी देने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्यों को दी गई हैं।

1.4.1998 से पहले, उप-मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देते समय, मंजूरी आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार उपर्युक्त मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं की किसी बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं करेगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा स्वीकृत उपमिशन परियोजनाओं के संबंध में लागत वृद्धि के कारण हुए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने में भारत सरकार की असमर्थता के बारे में संबंधित राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है।

मशीनों की क्षमता का उपयोग

3304. श्री अधीर चौधरी :
श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1/1990 से 2/1993 की अवधि के दौरान नासिक और अलीगढ़ की प्रेस में 61.14 लाख रुपए मूल्य की 5 नग अशोक ब्रांड वेब आफसेट मशीनें लगाई गई थी;

(ख) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मूल्यांकन के अनुसार उक्त मशीनों की क्षमता का उपयोग नगण्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो संबद्ध सरकारी प्रेसों द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जांच दल को उपलब्ध कराई गई क्षमता के उपयोग की सही जानकारी क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी हां, नासिक और अलीगढ़ स्थित भारत सरकार प्रैसों में पांच अशोका ब्रांड वेब आफसेट मशीनें लगाई गई थी।

(ख) और (ग) लेखा परीक्षा के एक विशेष जांच दल ने इन मशीनों के क्षमता उपयोग का आकलन किया था, जो 17.66% था। तथापि, लेखा परीक्षा ने "क्षमता दर" के आधार पर "क्षमता उपयोग" का आकलन किया था। लेखा परीक्षा ने कुल वार्षिक कार्य घंटों के साथ मशीन की अधिकतम गति को गुणा किया था। लेखा परीक्षा को यह स्पष्ट किया जा चुका है कि "क्षमता उपयोग" मशीन की "वार्षिक आकलित क्षमता" के अनुसार निकाला जाता है न कि "क्षमता दर" के अनुसार क्योंकि अधिकतम गति केवल आदर्श स्थितियों में ही प्राप्त की जा सकती है जो व्यावहारिक रूप से नहीं होती। किसी मशीन विशेष की गति कार्य की प्रकृति तथा अन्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसके अलावा समय के साथ-साथ मशीन की संचलन क्षमता में कमी आती है। मशीन को "वार्षिक आकलित क्षमता" नियमित अंतरालों पर आंकी जाती है और समय-समय पर यह बदलती रहती है। लेखा परीक्षा से अभी तक अन्य कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2001-2002 के दौरान इन पांचों मशीनों का औसत क्षमता उपयोग 58.43% रहा है।

कोयला स्टॉक की आपर्याप्तता

3305. श्री रामजी मांझी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा स्थायी समिति ने अपनी वर्ष 2001 की रिपोर्ट सं० 17 में पृष्ठ 45 के पैरा 2.124 में अपर्याप्तता के मामलों में निरंतर वृद्धि का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बुक स्टॉक के 5% से ऊपर और 1000 मी०टी० से अधिक कोयला स्टॉक की अपर्याप्तता की विभागीय रूप से गठित समिति द्वारा जांच की जाती है और बट्टे खाते में डालने तथा खाता समायोजनों को समिति की सिफारिशों के अनुसार लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या ई०सी०एल०, बी०सी०सी०एल० और सी०सी०एल० आदि के कार्य को तेज करने के लिए तथा कदाचारों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जांच करने तथा बट्टे खाते डालने और खाता समायोजन के लिए कोयला क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के अनुसार समिति गठित करने की कोई प्रथा/परम्परा नहीं है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या स्टॉक की अपर्याप्तता तथा अधिक स्टॉक को स्टॉक की समान प्रकृति को ध्यान में न रखते हुए एक दूसरे के स्थान पर समायोजित किया जाता है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कोल इंडिया इनवेन्टरी टीम/जांच टीम द्वारा की गई वार्षिक मापतौल के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान, सी०आई०एल० की केवल दो अनुषंगियों अर्थात् ई०सी०एल० तथा बी०सी०सी०एल० में कोयला स्टाक में बुक स्टाक के 5% से परे तथा 1000 टन से अधिक की कमी पायी गई थी। पाई गई कमी की प्रमात्रा तथा की गई कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०			भारत कोकिंग कोल लि०		
	1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02
कमी की प्रमात्रा (लाख टन)	1.20	0.94	0.27	2.12	0.75	—
अन्तर्ग्रस्त कार्यपालकों की संख्या	25	27	वार्षिक लेखा परीक्षा हाल ही में पूरी की गई है और कार्रवाई प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रगति पर है।	22	1	—
कृत-कार्रवाई के ब्यौरे—						
(क) छोड़े गए/दोषमुक्त	9	6		2	—	—
(ख) दंड लगाया गया	16	4		9	—	—

(ङ) निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, कोयला स्टाक की कमी की जांच-पड़ताल करने के लिए एक समिति गठित की जाती है। समिति की सिफारिशों के अनुसार, निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात् बट्टा खाता डालने की कार्रवाई तथा बुक स्टाक समायोजन किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) और (ज) कमी की संगणन करते समय कोयले के कुल स्टाक को हिसाब में लिया जाता है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

3306. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को मानवाधिकार आयोग/समितियों को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का पता लगाने हेतु पुलिस थानों का बार-बार व अचानक दौरा करने का अधिकार देने के लिए निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को किसी सीमा तक लागू किया जा चुका है;

(घ) क्या इन समितियों ने कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के राज्य मानवाधिकार आयोगों को यह निदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने आयोगों में यह देखने के लिए एक उपसमिति का गठन करें कि क्या डी०के० बासू के मामले में परिभाषित 11 आवश्यकताओं का कार्यान्वियन हो रहा है या नहीं, और यह सुनिश्चित करने के लिए आगे और अपेक्षित कदम उठाएं जो उन आवश्यकताओं के कार्यान्वियन के लिए जरूरी हों। ऐसी उपसमिति को इन आवश्यकताओं के वास्तविक कार्यान्वियन की आकस्मिक जांच करने का अधिकार होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी निदेश दिए हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा उपर्युक्त निदेश के अनुसार, गठित समितियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे उन्हें भेजी जानी है। इसे देखते हुए सरकार को कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) सरकार राज्य पुलिस बलों और सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुग्राही बनाती है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

3307. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या 239, भाग-III, खंड-4 दिनांक 4.9.2001 के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक उसी डी०एड० अध्यापक महाविद्यालयों (जूनियर शिक्षा महाविद्यालयों) का प्राचार्य बन सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से डी०एड० महाविद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता में छूट देने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्राचार्य/अध्यापक पद के लिए शैक्षिक योग्यता में कोई छूट दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो यह किस प्रकार की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं मानकों के अनुसार डी०एड० (प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम) के प्रधानाचार्य की शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता लेक्चरर के समान ही है। उपर्युक्त के अलावा, प्रधानाचार्य के पद के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति के पास प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा डी०एड० कालेजों के शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता में निम्नलिखित ढील की मांग की गई है :–

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम से पूर्व के सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त डी०एड० कालेजों के स्थायी शिक्षण कर्मचारियों (प्रधानचार्य एवं प्रवक्ता) को उनकी मौजूदा अर्हता के साथ तब तक सेवारत रहने देना जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं हो जाते या एन०सी०टी०ई० विनियमों के अनुरूप अर्हता हासिल नहीं कर लेते।

(ii) अधिकांश माध्यमिक स्कूल तथा डी०एड० कालेज निजी शैक्षिक प्रबंधन द्वारा प्रबंधित हैं। राज्य सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और डी०एड० कालेजों के सभी कर्मचारियों के लिए समान सेवा शर्तें निर्धारित की हैं। इसलिए एक ही प्रबंधन द्वारा प्रबंधित माध्यमिक स्कूलों के ऐसे शिक्षकों तथा डी०एड० कालेजों के शिक्षक प्रशिक्षकों का माध्यमिक स्कूल से डी०एड० कालेजों में तथा डी०एड० कालेज से माध्यमिक स्कूल में स्थानांतरण हो सकता है जिनकी योग्यता एक जैसी होगी। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2001 में निर्धारित प्रवक्ता के पद के लिए प्रारंभिक कालेजों में शिक्षण अनुभव के अलावा मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण अनुभव भी अनुमत्य हो सकता है।

(च) और (छ) महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित का अनुमोदन किया है :–

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना से पूर्व स्थापित सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कालेजों के मामले में प्रति वर्ष 50 छात्रों की यूनिट के लिए प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के अलावा कम से कम चार शिक्षक होने चाहिए। राज्य सरकार इन संस्थाओं में कम से कम एक अल्पकालिक शिक्षक भी उपलब्ध कराएंगी।

(ii) प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को जून 2007 तक निर्धारित अर्हता हासिल करनी होगी।

(iii) बी०एड० के साथ स्नातकोत्तर के मामले में माध्यमिक स्कूलों के अनुभव को भी डी०एड० संस्था में शिक्षक शिक्षा के रूप में नियुक्ति के लिए वैध अर्हता माना जा सकता है।

क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र

3308. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास 'क्षेत्रीय अध्ययन' कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 'क्षेत्रीय अध्ययन' कार्यक्रम की स्थापना के इच्छुक विश्वविद्यालयों को क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार इस उद्देश्य हेतु प्रोत्साहनों को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि हमारे विश्वविद्यालय 'क्षेत्रीय अध्ययन' कार्यक्रमों में पिछड़ गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस परिदृश्य को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में 24 'क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों' की स्थापना की है। जब कभी आवश्यक होता है तब नये 'क्षेत्र अध्ययन केन्द्र' खोले जाते हैं।

(ख) क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थायी समिति गठित की है जिसका कार्य क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को बढ़ावा देने हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित करना है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में 'क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों' के विकास हेतु हेतु प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में हैराबाद में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया है।

विवरण

क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम सम्बन्धी दिशानिर्देश

1. क्षेत्र अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय प्रणाली में समुचित संगठनात्मक संरचना के माध्यम से बहु-विद्या आधार पर कार्य करना चाहिए तथा इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होना चाहिए ताकि यह विश्वविद्यालय के सभी विभागों में उपलब्ध सुविज्ञता और सुविधाओं का उपयोग प्रभावी ढंग से कर सके। यह एक स्वतंत्र प्रशासनिक और शैक्षिक यूनिट के रूप में कार्य कर सकता है और इसका दर्जा विश्वविद्यालय के एक विभाग के बराबर हो सकता है।

2. क्षेत्र अध्ययन केन्द में एक निदेशक होना चाहिए और वह केन्द्र के संकाए के सदस्यों में वरिष्ठ सदस्य होगा और उसे क्षेत्र अध्ययन की विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए। इस अवधि से पूर्व यदि निदेशक को बदला जाता हो तो ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से किया जाना चाहिए।

3. क्षेत्र अध्ययन केन्द्र के निदेशक को सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए।

4. केन्द्र के निदेशक को विश्वविद्यालय को सभी उपयुक्त निकायों का और केन्द्र के संकाय-सदस्य की भर्ती करने वाली चयन समिति का सदस्य अवश्य होना चाहिए। निदेशक का कार्यालय केन्द्र में स्थित होना चाहिए।

5. प्रत्येक केन्द्र के कार्यक्रम के निर्माण, क्रियान्वयन और समन्वय के लिए एक अन्तर्विषयक सलाहकार समिति होनी चाहिए। इस सलाहकार समिति का गठन कुलपति द्वारा केन्द्र के निदेशक के परामर्श से, जो समिति का संयोजक भी है, किया जाए।

   समिति के सदस्य निम्नलिखित होना चाहिए :–

   (i) केन्द्र का निदेशक

   (ii) सामाजिक विज्ञान, मानविकी और विज्ञान विभाग के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान

   (iii) विश्वविद्यालय से इतर तीन विशेषज्ञ

6. हालांकि ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक अध्ययन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समकालीन मुद्दों के अध्ययन और अनुसंधान पर भी बल दिया जाना चाहिए। इन केन्द्रों से प्राप्त अध्ययन परिणाम विदेश सम्बन्धी मामलों, प्रतिरक्षा, संस्कृति के तथा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों में नीति निर्माण हेतु उपयोगी होने चाहिए। क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों और सम्बद्ध मंत्रालयों (अर्थात् विदेश कार्य, रक्षा, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं उद्योग तथा आर्थिक कार्य) के बीच अत्यधिक तालमेल होना चाहिए।

7. कार्यक्रम यथासंभव अंतर्विषयक प्रकृति के होने चाहिए और भाषा शिक्षण को केन्द्र के शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए।

8. अध्ययन में पाठ्यक्रम और परियोजना दोनों से संबंधित कार्य शामिल होने चाहिए, विद्यार्थी को मूल विषय में डिग्री प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह मूल विषय में शिक्षण के लिए प्राधिकृत हो। जहां भी संभव हो विश्वविद्यालय केन्द्र की पहल पर क्षेत्र अध्ययन में उपयुक्त डिग्रियां सृजित कर सकता है। पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में संबंधित क्षेत्र की कम से कम एक गैर-भारतीय भाषा का शिक्षण शामिल होना चाहिए।

9. संकाय बहु-विषयक होना चाहिए।

10. गहन प्रकृति के विशेष नवाचारी कार्यक्रमों को चुनिंदा आधार पर तैयार किया जा सकता है और उनमें पाठ्यक्रम अध्ययन और अनुसंधान दोनों ही शामिल किए जा सकते हैं।

11. प्रत्येक क्षेत्र अध्ययन केन्द्र का अपना एक अनुभागीय पुस्तकालय होना चाहिए जो विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय प्रणाली के एक अंग के रूप में हो।

12. क्षेत्र अध्ययन केन्द्र के प्रलेखन अधिकारी को मुख्य रूप से सामग्री को सूचीबद्ध करने तथा अध्येताओं को पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

13. क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत पदों को विश्वविद्यालय में समकक्ष पदों के समान आधार पर ही भरा जाना चाहिए। भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में यदि आवश्यक हो अर्हताओं में छूट सलाहकार समिति के परामर्श से दी जानी चाहिए।

14. चूंकि क्षेत्र अध्ययन केन्द्र के अनुसंधान कार्यक्रमों से जुड़े क्षेत्रीय दौरे कार्यक्रमों के अनिवार्य क्षेत्र हैं, इसलिए इस उद्देश्य के लिए अनुपस्थिति को "कार्य पर" समझा जाना चाहिए।

15. युवा अध्येताओं को क्षेत्रीय कार्य पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

16. क्षेत्र अध्ययन केन्द्र में कार्यरत अध्येता को अध्ययन किए जा रहे क्षेत्र का वास्तविक कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। यदि आवश्यक

हो तो या तो भारत में अथवा विदेश में भाषा में प्रबोधन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके सम्बद्ध भाषा में अध्येताओं के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए।

17. इसके पश्चात् क्षेत्र अध्ययन केन्द्र के अध्ययन और अनुसंधान में न केवल सम्बद्ध देशों का इतिहास, वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था शामिल होंगे, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, वहां रहने वाले समाज का धर्म और दर्शन भी शामिल होंगे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो सामयिक और प्रासंगिक भी होने चाहिए।

18. नेट परीक्षा में क्षेत्र अध्ययन विषय लेने वाले अध्येताओं के लिए रोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें उनके स्नातकोत्तर डिग्री के विषय में अर्हता-प्राप्त माना जाना चाहिए। क्षेत्र अध्ययन में परियोजना सहायता की अवधि को 2500/रु० प्रति माह की निर्धारित परिलब्धियों के साथ एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष किया जाना चाहिए।

19. क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को विदेश मंत्रालय और सरकार के अन्य सम्बंधित मंत्रालयों के साथ तालमेल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

20. क्योंकि क्षेत्र अध्ययन केन्द्र मुख्यत एम०फिल/पी०एच०डी० छात्रों के अनुसंधान और मार्गदर्शन के लिए समर्पित है इसलिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को कार्यभार सम्बंधी वह फार्मूला लागू नहीं करना चाहिए जो विश्वविद्यालय पद्धति में शिक्षण विभागों पर लागू हैं। तथापि युक्तिसंगत अनुसंधान परिणाम, वार्षिक रिपोर्टों तथा मूल्यांकन कार्यों में उनकी जबावदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

21. विदेश मंत्रालय में उस क्षेत्र के प्रभावी अधिकारी को सम्बंधित क्षेत्र अध्ययन केन्द्र की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

22. सम्बंधित क्षेत्रों और देशों की प्रासंगिक भाषा और संस्कृतियों का अध्ययन अनुसंधान अध्ययन केन्द्रों का आवश्यक घटक है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भाषा शिक्षकों का पता लगाएगा।

23. क्षेत्र अध्ययन केन्द्र बहु विषयों में अंतर संबंधों में संबंधित अनुसंधान के प्रति समर्पित है इसलिए समाज की संस्कृति, राजनीति, विधि, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र के अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय तथा सामरिक अध्ययनों पर बल दिया जाना चाहिए।

यूनिट इनपुट्स

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों' को शत-प्रतिशत आधार पर निम्नलिखित सहायता प्रदान करता है :—

अनावर्ती

(i)	भवन	15.00 लाख रु० तक
(ii)	कार्यालय उपस्कर और फर्नीचर	2.00 लाख रु०
(iii)	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	2.00 लाख रु०
(iv)	क्षेत्र कार्य	3.50 लाख रु० (प्लांट पीरियड)
(v)	सेमिनार संगोष्ठी/सम्मेलन	3.50 लाख रु० (5 वर्ष)
(vi)	अतिथि संकाय	2.00 लाख रु० (5 वर्ष)
(vii)	परिचालन व्यय एवं आकस्मिक व्यय	2.00 लाख रु० (5 वर्ष)

आवर्ती

(i)	चार संकाय सदस्य (केन्द्र के निदेशक के रूप में एक प्रोफेसर, एक रीडर और दो लेक्चरर)	वास्तविकता के आधार पर
(ii)	4000/-रु० की दर से मानदेय आधार 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए संयोजन आधार पर अधिक से अधिक दो स्कोलर	वास्तविकता के आधार पर
(iii)	एम्बेस्डर इन रेसीडेन्ट के रूप में राजनयिक अधिकारी वेतन और भत्ते विदेश मंत्रालय द्वारा दिए जाएंगे।	50,000/-रु० प्रति वर्ष प्रति राजनयिक

बजट प्राक्कलन

3309. श्री भीम दाहाल : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-01 और 2001-02 के बजट प्राक्कलनों को संशोधित प्राक्कलन अवस्था में क्रमश: 4647.81 करोड़ रु० से घटाकर 3937.83 करोड़ रुपये से 3937.15 करोड़ रुपये तक और 3335.83 करोड़ रुपये से घटाकर 3127.69 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है और वर्ष 2002-03 के लिए परिव्यय को 3491.47 करोड़ रुपये तक निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1999 से पूर्वानुमानों की तुलना में वास्तविक प्राक्कलनों में कमी की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं;

(घ) प्रमुख कोयला/लिग्नाइट परियोजनाओं, जो अभी भी फंसी हुई हैं, को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या जमीनी वास्तविकताओं पर विचार किए बिना ही विभिन्न सहायक कम्पनियों के लिए आन्तरिक और बाह्य बजट संसाधनों का पूर्वानुमान निर्धारित कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए, कि पूर्वानुमान वास्तविक लक्ष्य के आसापास हों, क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोयला विभाग का वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान) और 2002-03 (बजट अनुमान) के लिए योजना परिव्यय नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
2000-01	4647.81 करोड़	3274.28 करोड़*
2001-02	3977.15 करोड़	3127.69 करोड़
2002-03	3491.47 करोड़	–

*जमा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का 61.55 करोड़ रु० की अग्रेनीत बजटीय सहायता।

(ख) और (ग) कोयला विभाग के योजना परिव्यय में कटौती के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :–

1999-2000

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

(1) खान-I के लिए डिजाइन तथा इंजीनियरिंग डिजाइन के अनुमोदन में विलंब और तत्पश्चात उनकी आपूर्ति में विलंब होना।

(2) टी०पी०एस०-I विस्तार के लिए तटवर्ती तथा अपतट आपूर्तियों के संबंध में तकनीकी-वाणिज्यिक मुद्दों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए आपूर्ति में विलंब होना।

सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०

उपकरणों/मशीनरी का अधिप्राप्त न किया जाना तथा वन भूमि के अधिग्रहण में विलंब होना।

2000-2001

कोल इंडिया लिमिटेड

संशोधित अनुमान स्तर पर, कटौती मुख्यत: कोयला क्षेत्र की मांग में मंदी के कारण कोयला क्षेत्र पुनर्वास योजना (सी०एस०आर०पी०) ऋण को समाप्त किए जाने के कारण हुई।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

थर्मल पावर स्टेशन-I विस्तार परियोजना में मुख्य संयंत्र पैकेज के संबंध में विलंबित आपूर्ति।

सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०

उपकरण/मशीनरी को अधिप्राप्त न किया जाना, मानुगुरू एस०बी०-I, खौरागुरा, ओ०सी०पी० और खैरागुरा भूमिगत, नरमुन्दकर खानी तथा कोयागुडम ओ०सी०पी०-I की वन भूमि के अधिग्रहण में विलंब होना, मानुगुरू ओ०सी०-IV का मंजूर न होना।

2001-2002

कोल इंडिया लिमिटेड 111

विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले की मांग में मंदी आना, प्रत्याभूतिकरण योजना से प्रक्षेपित प्राप्तियों को मूर्त रूप न दिया जाना।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

खान-IA परियोजना के लिए बजटीय सहायता को शामिल न करना, केन्द्रीय योजना सहायता के कारण अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को शामिल न करना, टी०पी०एस०-IA परियोजना के आरंभ होने से विलंब होने के कारण मूल्यह्रास के लिए कम प्रावधान करना।

एस०सी०सी०एल०

सम्पूर्ण बकाया ऋणों की पूर्व अदायगी करना।

2002-03

कोल इंडिया लिमिटेड

राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि के प्रत्याभूतिकरण के कारण अधिक प्रत्याशित संसाधन जुटाने के कारण परिव्यय में वृद्धि होना।

एस०सी०सी०एल०

भारत सरकार के ऋणों की पूर्व अदायगी के कारण देनदारियों में कमी होने के कारण आंतरिक संसाधनों में वृद्धि होना।

ई०एम०एस०सी०, एस० एण्ड टी० क्षेत्रीय अन्वेषण आदि जैसी विभागीय योजनाओं के प्रावधान में वृद्धि होना।

(घ) क्षीण-जीर्ण कोयला/लिग्नाइट परियोजनाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. मांग और आपूर्ति परिदृश्य का समुचित विश्लेषण किया जाता है।
2. एक मजबूत उपभोक्ता लिंकेज का गठन किया गया है।
3. कम से कम दस वर्षों के परिचालन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
4. विशिष्ट भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतिकीय अन्वेषण तकनीकों को अपनाया गया है।
5. परियोजनाओं के कार्यकरण के लिए तकनोलॉजी की उपयुक्तता पर विस्तार से विचार किया जाता है।
6. बदले हुए परिदृश्य में वित्तीय पैरामीटरों पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। कोयला विभाग विस्तृत कार्यवाही करता है जिसमें यथार्थत: आंतरिक और बाहरी बजटीय संसाधनों को तैयार करने के लिए कोयला कंपनियों/वित्त मंत्रालय, योजना आयोग आदि के साथ चर्चाएं करना शामिल है।

कोयला विभाग का सिम्मिलित प्रयास होगा कि परियोजना पूर्व के कार्यकलापों जैसे बोली/निविदा/मशीनरी/संबंधित एजेंसियों/वित्तीय संस्थाओं/समितियों आदि से अनुमोदन प्राप्त करने की समयावधि को ध्यान में रखते हुए बजट प्राक्कलन तैयार किए जाते हों। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि परियोजना/स्कीम के लिए उतनी मात्रा में धनराशि निर्धारित को जाए जितने का वे वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग कर सकें।

राज्यों को वित्तीय सहायता

3310. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामदास आठवले :
थावर चंद गेहलोत :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में कार्यान्वित की जा रही शहरी विकास योजनाओं और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों को शहरी विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए वर्ष-वार, योजना-वार और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 नवम्बर, 2002 तक इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार, योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार की उक्तावधि के दौरान विभिन्न राज्यों से वित्तीय सहायता हेतु कोई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में उपलब्धियां आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम हैं;

(झ) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं; और

(ञ) दसवीं योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन में सामना की जा रही बाधाएं दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ञ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन

3311. श्री सुबोध मोहिते : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूखा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुन:स्थापन संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सूखा प्रभावित परिवारों की समस्या से निपटने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन अधिनियमित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) सूखा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) सूखा प्रभावित परिवारों की समस्या से निपटने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में पनधारा विकास परियोजनाओं की स्वीकृत के लिए अनुरोध

3312. **श्री के० येरननायडू :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 1000 पनधारा विकास परियोजनाओं की स्वीकृति की शेष 309 पनधाराओं के लिए धनराशि देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। मार्च, 1999 में आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम वाले विभिन्न जिलों के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अंतर्गत 896 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। तथापि, निधियों की कमी के कारण उस समय आंध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य को स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं। वर्ष 1999-2000 में, इन परियोजनाओं में से, 587 परियोजनाओं का कार्यान्वियन केन्द्रीय भाग की प्रथम किस्त जारी किए जाने पर आरंभ हो गया था और कार्य शुरू किए जाने के लिए 309 परियोजनाएं शेष रह गई थीं। तत्पश्चात वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में क्रमश: 314 और 166 वाटरशेड परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया था। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 1067 हो गई है।

शहरी अवसंरचना में निजी भागीदारी

3313. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास शहरी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 17,000 करोड़ रुपये की कमी हो रही है;

(ख) क्या केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकाय शहरी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये प्रदान करने में सक्षम रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में शहरी अवसंरचनात्मक विकास के लिए कम पड़ रहे 17,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने हेतु व्यापक निजी भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड इकानोमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नई दिल्ली द्वारा 1996 में प्रकाशित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के अनुसार शहरी अवस्थापना (जल आपूर्ति, सफाई तथा सड़कें) हेतु अपेक्षित निवेश 1996-2006 के दौरान औसतन 28,036 करोड़ रु० प्रति वर्ष है। इसमें वर्ष 1995 में धनराशि की उपलब्धता करीब 5,000 करोड़ रु० आंकी गई है। (केवल) जल आपूर्ति व सफाई के लिए)

संसाधन कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने शहरी अवस्थापना विकास में सुधार के उपाय किए हैं। पूंजी बाजार से ऋण लेने के शहरों को समर्थ बनाने तथा साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने 2002-03 के बजट भाषण में तीन उपायों, यथा शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष, नागर आह्वाहन कोष तथा साझा वित्त विकास स्कीम का प्रस्ताव किया है।

शहरी अवस्थापना विकास के लिए सरकारी गैर-सरकारी भागीदारी के मुद्दे पर दिनांक 12.9.2002 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास, स्थानीय स्वशासन और आवास मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था। तथापि, शहरी विकास चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए शहरी अवस्थापना विकास के लिए निजी भागीदारी के बारे में निर्णय लेना राज्यों पर निर्भर है।

डी०टी०पी० यूनिटों की खरीद

3314. **श्री अधीर चौधरी :**
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुद्रण निदेशालय ने सितम्बर, 1995 में मै० मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड में एक डी०टी०पी० यूनिट खरीदी थी;

(ख) क्या मुद्रणालय प्रांधिकारियों पर निदेशक (मुद्रण) ने उक्त उपकरण की खरीद की सिफारिश करने हेतु जोर डाला था;

(ग) क्या मिंटो रोड़ प्रैस के अधिकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जांच दल को उसकी उपयोगिता क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) खुली निविदा प्रणाली की कोडल औपचारिकताओं को अपनाने तथा सक्षम प्रधाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही डी०टी०पी० यूनिट खरीदी गई थी। मेसर्स मोनोटाइप इंडिया लि० की दरें सबसे कम थीं और उनके द्वारा पेशकश की गई प्रणाली को तकनीकी अपेक्षाएं पूरी करने हेतु सही पाया गया। तकनीकी समिति (जिसमें मुद्रण निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा भारत सरकार के भिन्न-भिन्न दो मुद्रणालयों के प्रबंधक शामिल थे) ने इस प्रणाली की उपयुक्तता की पुष्टि की थी। अत: मुद्रण प्राधिकारियों पर दबाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूंकि इस प्रणाली के लिए उत्पादन संबंधी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, अत: डी०टी०पी० प्रणाली की उपयोग क्षमता के बारे में सूचना लेखा परीक्षा की विशेष जांच समिति को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। मिन्टो रोड मुद्रणालय में, डी०टी०पी० प्रणाली को पी०टी०एस० प्रणाली-6 के साथ आन्तरिक रूप से जोड़ दिया गया है। इस मुद्रणालय को तात्कालिक एवं समयबद्ध प्रकृति के संसदीय कार्य सौंपे जाते हैं तथा इन कार्यों को त्वरित व्यवहार में लाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार डी०टी०पी० प्रणाली एवं पी०टी०एस० प्रणाली दोनों पर एक साथ कार्य किया जाता है। दोनों ही प्रणालियों पर एक साथ पाठ सामग्री भरी जाती है और संकलन कार्य किया जाता है तथा इन प्रणालियों में अंतिम रूप से कार्य इनमें से किसी पर भी किया जा सकता है। अत: इन दोनों प्रणालियों पर अलग से उत्पादन संबंधी आंकड़ों का रिकार्ड रख पाना संभव नहीं है। लेखा परीक्षा को इस बारे में 9.8.2001 को अवगत करा दिया गया है, तथा इस बारे में अभी तक उनसे कोई और टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ग्रुप/व्यक्ति

3315. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अगस्त, 2002 में पाक स्थित उग्रवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-मुजाहिदीन को अभिकल्पित व्यक्ति और संगठनों, जिनकी विश्व भर में सम्पत्ति सील कर दी गई थी की सूची में शामिल करने के अतिरिक्त छ: और पाकिस्तानियों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों की व्यक्तियों और समूहों की सूची में डाला है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किन व्यक्तियों और संगठनों का भारत द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है और कौन से भारत और अमरीका दोनों की सूचियों में हैं; और

(ग) ऐसी सूचियां तैयार करने में क्या मानदंड अपनाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागरं राव) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सितम्बर, 2001 के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेशली डेजीगनेटिड ग्लोबल टेरोरिस्ट लिस्ट, फौरन टेरोरिस्ट, आर्गेनाईजेशन और टेरोस्टि एक्सक्लुशन लिस्ट की समय-समय पर समीक्षा की है। इन सूचियों में, अन्यों के अलावा कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिकों और ग्रुपों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने समय-समय पर जोड़ा है।

(ख) भारत में आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा) के तहत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अभी तक सूचीबद्ध प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन निम्नलिखित हैं :—

1. लश्कर-ए-तैयबा
2. जैश-ए-मोहम्मद
3. हरकत-उल-मुजाहिदीन/हरकत-उल-जेहाद इस्लामी
4. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल
5. इन्टरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन
6. अल-कायदा
7. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल०टी०टी०ई०)

(ग) भारत में पोटा की धारा 18 के उपबन्धों के तहत संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। अपनाए गए विशिष्ट मानदण्ड पोटा की धारा 18 की उप-धारा (4) के अनुसार है।

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना

3316. श्री रामजी मांझी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने वर्ष 1978 की प्रथम औषधि नीति के बनाये जाने से भी बहुत पहले राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो हाथी समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस प्राधिकरण की स्थापना को गति प्रदान करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस प्राधिकरण की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय औषध नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य अर्थहीन हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) औषध एवं भेषज उद्योग संबंधी (हाथी) समिति ने अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण नामक एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने की सिफारिश की थी जो भविष्य में औषध उद्योग के विस्तार, लाइसेंस, आयात, प्रौद्योगिकीय विकास निर्यात से संबंधित सभी मामलों में कार्रवाई करेगा। सरकार ने उक्त सिफारिशों के संबंध में इनके निर्णयों (बाद में जिसे औषध नीति 1978 के रूप में जाना गया) को शामिल करते हुए लोक सभा के पटल पर दिनांक 29.3.1978 को एक विवरण रखा था जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि समिति के सुझावों के अनुरूप पूरी तरह से स्वतंत्र एक निकाय स्थपित करना संभव नहीं होगा। हालांकि, इसने रसायन और उर्वरक विभाग में विकास आयुक्त (औषध उद्योग) के अधीन एक क्षेत्रीय संगठन स्थापित करने की मंजूरी दी थी।

सरकार ने औषध नीति 1978 की समीक्षा की थी और ''भारत में औषध और भेषज उद्योग के युक्तियुक्तकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और सवंर्धन के लिए उपाय'' घोषित करते हुए 1986 में उक्त नीति की पुनर्रचना की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषधों के तार्किक प्रयोग की देखरेख करने के लिए राष्ट्रीय औषध एवं भेषज प्राधिकरण नाम से अभिहित एक तंत्र स्थापित करने को परिकल्पना की गई है। औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण तथा तार्किक प्रयोग के महत्व को सितम्बर, 1994 में घोषित 'औषध नीति, 1986 में संशोधन' में भी पुन: दोहराया गया था और उसमें यह परिकल्पना की गई थी कि अनेक नई जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के अलावा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी०डी०एस०सी०ओ०) द्वारा निष्पादित विनियामक कार्यों को करने के लिए एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित किया जाए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा विनियामक पद्धति में अपेक्षित प्रमुख ढांचागत परिवर्तनों जिसमें विनिर्माताओं को लाइसेंस तथा औषध सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रवर्तन को प्रमुख रूप से राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी०डी०एस०सी०ओ०) की मौजूदा क्षमता को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो नई जिम्मेदारियां लेने से पहले आवश्यक होंगे।

अपराह्न 12.11½ बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उप-प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रिहेबिलीटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहेबिलीटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6280/2002]

(2) (एक) नेशनल फाउन्डेशन फार कम्युनल हारमनी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) नेशनल फाउन्डेशन फार कम्युनल हारमनी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6281/2002]

(3) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6282/2002]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखाक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6283/2002]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : अध्यक्ष जी, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 में निधियों के प्रवाह और व्यय को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 6284/2002]

[अनुवाद]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खण्ड एक और दो)।

(2) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड एक और दो), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6285/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6286/2002]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इन्टरनेशनल एडवांस रिसर्च सेन्टर फार पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्टरनेशनल एडवांस रिसर्च सेन्टर फार पाउडर मेटालार्जी एंड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6287/2002]

(2) (एक) बीरबल साहनी इस्टिट्यूट आफ पेलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इस्टिट्यूट आफ पेलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6288/2002]

(3) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6289/2002]

(4) (एक) वाडिया इन्स्टिट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) वाडिया इन्स्टिट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6290/2002]

(5) (एक) रमण रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) रमण रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6291/2002]

(6) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6292/2002]

(7) (एक) इंडियन एकेडमी आफ साइंसिज, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी आफ साइंसिज, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6293/2002]

(8) (एक) इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ ट्रोपिकल मीटिओरोलोजी, पुणे के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ ट्रोपिकल मीटिओरोलोजी, पुणे के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6294/2002]

(9) (एक) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6295/2002]

(10) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी. संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6296/2002]

(11) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुड़गांव के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुड़गांव के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6297/2002]

(12) (एक) नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6298/2002]

(13) (एक) नेशनल सेन्टर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6299/2002]

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन ।लमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6300/2002]

(ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6301/2002]

(15) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अंतर्गत जारी प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव एवं कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2002, जो 6 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं०टी०डी०बी०/एडमिन० 1(7) (30)/02-3 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 6302/2002]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6303/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2002 जो 22 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 781 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6304/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष जी,

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

डा० (श्रीमती) रीता वर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 6305/2002]

(2) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6306/2002]

(4) (एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6307/2002]

(5) (क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 6308/2002]

अपराह्न 12.12 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है किं राज्य सभा 5 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलिगेशन आफ पॉवर्स) निरसन विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

छिहत्तरवां से तिरासीवां प्रतिवेदन

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू) : महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नाल्को (खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय) के आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और विस्तार कार्यक्रमों के बारे में समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

(2) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय) के संगठनात्मक ढांचे और कार्य-निष्पादन समीक्षा के बारे में समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

(3) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एम०ई० सी०एल०) (खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय) के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन समीक्षा के बारे में समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 78वां प्रतिवेदन।

(4) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच०सी०एल०) (खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय) के आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और विस्तार कार्यक्रमों के बारे में समिति के 65वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

(5) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर (खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय) की कार्य-निष्पादन समीक्षा के बारे में समिति के 66वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 80वां प्रतिवेदन।

(6) उत्तर प्रदेश सीमेंट उद्योग के लघु उद्योग क्षेत्र (लघु उद्योग मंत्रालय) में रुग्णता के बारे में 81वां प्रतिवेदन।

(7) नीतिगत क्षेत्र, लोक उद्यम (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) में समझौता ज्ञापन व्यवस्था के बारे में 82वां प्रतिवदेन।

(8) सम्बद्ध क्षेत्र, लोक उद्यम (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) में समझौता ज्ञापन व्यवस्था के बारे में 83वां प्रतिवदेन।

अपराह्न 12.14 बजे

[अनुवाद]

देश में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में दिनांक 16 जुलाई, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : अप्रैल से जून 2002 के दौरान हुए दंगे संबंधी आंकड़ों के बारे में दिनांक 16.7.2002 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 27 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संलग्न विवरण में निम्न प्रकार बताया गया था :—

"(ग) और (घ) गुजरात में सांप्रदायिक दंगे जो 27.2.2002 को गोधरा रेल हत्याकांड से शुरू हुए थे प्रश्नगत अवधि अर्थात अप्रैल-जून, 2002 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की कुछ छुट-पुट घटनाओं के साथ जारी रहे। इस अवधि के दौरान 216 सिविलियन और 2 पुलिस/सुरक्षा कर्मी मारे गए, 790 सिविलियन और 211 पुलिस/सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए तथा लगभग 417.07 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, अप्रैल से जून, 2002 तक के दौरान, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जामनेर कस्बे में एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें सात व्यक्तियों की जानें गईं और 42 व्यक्ति जख्मी हुए।"

उपर्युक्त उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित उत्तर को प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ग) और (घ) गुजरात में सांप्रदायिक दंगे जो 27.2.2002 को गोधरा रेल हत्याकांड से शुरू हुए थे प्रश्नगत अवधि अर्थात अप्रैल-जून, 2002 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की कुछ छुट-पुट घटनाओं के साथ जारी रहे। इस अवधि के दौरान 169 सिविलियन और 2 पुलिस/सुरक्षा कर्मी मारे गए, 790 सिविलियन और 168 पुलिस/सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए तथा लगभग 417.07 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, अप्रैल से जून, 2002 तक के दौरान, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जामनेर कस्बे में एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें सात व्यक्तियों की जानें गईं और 42 व्यक्ति जख्मी हुए।"

गुजरात राज्य की सरकार द्वारा दी गई संशोधित सूचना के कारण उत्तर में सुधार की आवश्यकता हुई।

*[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 6309/2002]

इस त्रुटि के लिए खेद है।

विलम्ब के कारण

राज्य सरकार से प्राप्त संशोधित सूचना के कारण दिनांक 16.7.2002 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर में कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस हुयी। शुद्धि वक्तव्य तथा इससे संबंधित दस्तावेज तैयार किये गये और 13.8.2002 की कार्यसूची में सम्मिलित करने हेतु 9.8.2002 को लोक सभा सचिवालय को भेजे गये लेकिन इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सका क्योंकि दिनांक 12.8.2002 को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयी जिसके कारण विलम्ब हुआ।

अब उपर्युक्त दस्तावेजों को संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दिनांक 3.12.2002 को सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव है।

अपराह्न 12.14½ बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री हुक्मदेव नारायण यादव की ओर से, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4(4) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4(4) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.15 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के चौवालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 9 दिसम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौवालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 9 दिसम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौवालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.16 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)* — 2002-2003

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, मैं, 2002-2003 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ईश्वर दयाल स्वामी द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य के बारे में मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों, श्री ईश्वर दयाल स्वामी ने अपने दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के पत्र में अनुरोध किया है कि वे आज की कार्यसूची में उल्लेखित क्रम संख्या 13(2) के पत्रों के बारे में वक्तव्य नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें और अधिक सूचना इकट्ठी करनी है। इसलिए मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अत: वे आज वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। अब सदन में 'शून्य काल' आरम्भ होता है।

(व्यवधान)

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6309ए/2002।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप एक-एक करके बोल सकते हैं।

अपराह्न 12.18 बजे

[अनुवाद]

सेंटूर होटल के विनिवेश के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार का ध्यान एक बहुत गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले दिन, प्रश्नकाल के दौरान, शिवसेना के एक विख्यात संसद सदस्य, श्री चन्द्रकांत खैरे ने सेंटूर होटल की विनिवेश संबंधी प्रक्रिया के बारे में एक प्रश्न पूछा था। उस समय हमने एक व्यापक सी०बी०आई० जांच की मांग की थी। अपने उत्तर में मंत्री जी ने यह बताया था, यह रिकॉर्ड में भी है, कि उन्होंने केवल विनिवेश संबंधी कार्य किया है बाकि सारी बातचीत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की गई है। इसलिए, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली थी।

सेंटूर होटल की कहानी अब गुप्त नहीं रह गई है। मुम्बई में जमीन का बाजार मूल्य – मैं पूरी संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं – बहुत अधिक है। जमीन का आंकलन जिस दर पर किया गया है वह उपलब्ध बिक्री प्रक्रिया का एक-तिहाई भी नहीं है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि बत्रा समूह आरक्षित मूल्य बोली पर सहमत नहीं था। इसीलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। बाद में, पुन: विनिवेश की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से आरंभ किए बिना ही उन्हें तस्वीर में लाया गया। इसके बाद, थोड़े समय में ही, उसे पुनः सहारा समूह को स्थानान्तरित कर दिया गया।

राष्ट्र की सम्पत्ति के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता जो कि मेरी नजर में एक लूट है, डकैती है। यह केवल एक घोटाला ही नहीं है अपितु इसने राष्ट्र को हिला दिया है। संयुक्त संसदीय समिति यू०टी०आई० और शेयर बाजार घोटाले से संबंधित सारे मामलों की जांच कर रही है। शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट मिल जाने की संभावना है। सेंटूर होटल का यह सौदा अपने आप में कोई अकेला उदाहरण नहीं है। खजुराहो में प्रति एकड़ भूमि का मूल्य – उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी यहां हैं – 2 करोड़ रुपये है और 12 एकड़ भूमि को 2.5 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। उदयपुर में भी भूमि का मूल्य इतना ही ऊंचा है। उसे भी पुन: बहुत कम मूल्य पर बेचा गया था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय को जीरो आवर में उठाने की बजाय इस पर बहस करा लीजिए। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप देश को बेचने में लगे हैं। क्या ऐसे समय भी हम चुपचाप बैठे रहेंगे? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि सभी होटल लाभ कमा रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि भूमि सहित सम्पत्ति का मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया गया है। यदि इसे इस प्रकार किया जाएगा और यहां तक की बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर बेचा जाएगा तो हम इससे क्या अर्थ निकालेंगे ? संसद को अंधेरे में रखा गया है।

पिछले दिनों, हमने यह सुना कि मंत्रिमंडल सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के विनिवेश के मुद्दे पर विभाजित है। अब, हमें यह लगता है कि सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि संसद के अधिनियम की पूर्णतया अवहेलना करते हुए सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों का विनिवेश कर दिया जाए।

कालटैक्स और बर्मा शैल जैसी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करते समय संसद के इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी अन्य सम्पत्ति का कहीं भी निवेश किया जाता है तो सारी सम्पत्तियां और अब कुछ किसी अन्य के नहीं अपितु केन्द्र सरकार के अधीन हो जाएगी। फिर केन्द्र सरकार किसी अन्य कम्पनी का गठन कर सकती है जिससे यह सम्पत्ति सम्बद्ध हो जाएगी। अब इस सदन के एक प्रतिष्ठित मंत्री, श्री अरुण शौरी अपनी कल्पनानुसार इन बातों की व्याख्या कर संसद के मूल अधिनियम की ही अवहेलना कर रहे हैं, जो कि संसद का अपमान है।

इसलिए, हम कांग्रेस पार्टी की ओर से – निश्चित रूप से अन्य विपक्षी दलों का अपना अलग मत हो सकता है – यह मांग करते हैं कि जब तक सरकार संसद को इस बारे में आश्वस्त नहीं कर देती कि कैसे एक मंत्री या एक महत्वपूर्ण सहयोगी की इच्छा मात्र पर संसद के अधिनियम को बदला जा सकता है और जब तक सरकार एक स्पष्ट नीति लेकर नहीं आती है और संसद से उसे स्वीकार नहीं कराती है तब तक सरकार को सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के विनिवेश के नाम पर इस तरह की लूट और डकैती की अनुमति नहीं दी जा सकती। सेंटूर होटल और सरकारी क्षेत्र के अन्य होटलों – जिन्हें पहले ही बेचा जा चुका है – के मामलों को सदन की समिति या जो भी समिति सरकार नियुक्त करे, के समक्ष लाया जाना चाहिए, जो कि यह देखेगी कि यह डकैती कैसे हुई और इस लूट में भागीदार कौन-कौन हैं। मेरा यही कहना है।

यदि सरकार निष्कपट है और उसमें इस चुनौती को स्वीकारने की क्षमता और शक्ति है तो उसे हमारी यह मांग मान लेनी चाहिए अन्यथा हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मंत्रिमण्डल में स्थान पाने के बाद वे सरकार की ओर से उत्तर दे सकते हैं, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। शायद ये अन्य कईयों से अधिक स्पष्ट बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। वे हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।

मैं यह महसूस कर रहा हूं कि ये ऐसे अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सदन के सभी पक्षों को आंदोलित कर रहे हैं। उस ओर के संसद सदस्य भी इस मुद्दे पर बहुत आंदोलित हैं। मुझे बताया गया है कि दूसरे सदन में शिवसेना के एक प्रतिष्ठित संसद सदस्य ने एक विशेषाधिकार संबंधी सूचना दे रहे हैं। इसलिए इसे एक रोजमर्रा के काम की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। जिस मामले पर सदन आंदोलित है क्या उसे मामले में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए ? इस महान संस्था का वक्ता होने के नाते मैं आपसे अपील कर रहा हूं। क्या, कम से कम इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व इस सदन में इसपर पूर्णरूप से चर्चा नहीं होनी चाहिए ? ये भारत सरकार और भारत के लोगों की मूल्यवान सम्पत्तियां हैं। भारत के लोग इन सम्पत्तियों के स्वामी हैं। इन्हें औन-पौने दामों पर बेचा जा रहा है। निजी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है; बाहरी लोगों को लाभ मिल रहा है और इस देश में सरकारी क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र का एक नया एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि सदन को स्वयं इसकी पुष्टि करनी चाहिए। जब यह सब घट रहा है तो हम मूकदर्शक मात्र नहीं बने रह सकते। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। यह कैसे हो सकता है ? हम इसका विरोध करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा अपनी बात समाप्त करने के पश्चात मैं आपको एक वाक्य बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस अधिनियम, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में बनाया गया था, को मंत्री जी, श्री अरुण शौरी द्वारा सार्वजनिक रूप से नकारा नहीं जा सकता न ही आक्षेप लगाया या इस पर प्रश्न उठाया जा सकता है। अधिनियम में किसी भी परिवर्तन को पहले संसद में स्पष्ट करना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं जा सकता, कोई इल्लीगल काम नहीं कर सकता, कोई अनकांस्टीटयूशनल काम नहीं कर सकता और यह कहना कि यह सब किया जा रहा है, यह निहायत गलत और बेबुनियाद चीज है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी ओपीनियन है।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इस मामले पर कई बार कहा गया कि आप जैसी बहस चाहते हैं वैसी बहस करा लें, बजाय इसके कि हर रोज एक सवाल उठाना, एक गलत इल्जाम लगा देना, लूट की बात करना *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हर रोज आप ऐसा करते रहेंगे तो क्या हम लोग देखते रहेंगे। यह लूट है, यह एन्टायर लूट है। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस पार्टी ने *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने बनाया और यह बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया और आप लोग लूट रहे हैं। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह रोज-रोज बेच रहे हैं। देश की अमूल्य सम्पत्ति को ये बेच रहे हैं। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, सबको खुले तौर पर यह कहा गया था कि जो विषय डिसकाशन हेतु चाहिए उन्हें बता दीजिए, उन पर बहस करा ली जाएगी, लेकिन इन्होंने डिसइनवैस्टमेंट का इश्यू नहीं चुना। *(व्यवधान)* इन्होंने उस पर बहस नहीं मांगी और यह गलत बात यहां पर कही जा रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हमने सभी विषयों पर सूचना दी थी और उन्हें कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिया गया है। वे दलों पर कैसे डाल सकते हैं ? यह बहुत आपत्तिजनक है। यह उचित नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कही और दूसरी बातें कहीं, लेकिन डिसइनवैस्टमेंट की बात नहीं कही। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इंटरनल सिक्योरिटी भी देश के इंटरैस्ट की बात है और डिसइनवैस्टमेंट भी देश के इंटरैस्ट की बात है। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कितनी लूट और गलत काम पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कांग्रेस की सरकारों के टाइम में और वैस्ट बंगाल में हुए हैं, उतने किसी और सरकारों के समय में नहीं हुए। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, जितने अच्छे पब्लिक सैक्टर के इंस्टीटयूशन्स जवाहर लाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के समय में बनाए गए, उन सब इंस्टीटयूशन्स की ये लूट करा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला बहुत सरल है। इसे जटिल बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को और अधिक जटिल बनाने का कोई कारण नहीं है। यह बहुत आसान मामला है। विपक्ष की यह इच्छा है कि विनिवेश के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि जब भी कोई विनिवेश किया जाए तो उस मामले को पहले सदन में लाया जाए उसके बाद उसका विनिवेश हो। श्री सोमनाथ चटर्जी ने यही कहा है। ऐसे मामलों में सदन एक साथ बैठकर चर्चा कर सकता है और फिर उसपर निर्णय लिया जा सकता है।

कार्य-मंत्रणा समिति में जब हम एक साथ बैठते हैं तो सर्वसम्मति से विषयों की वरीयता निर्धारित करते हैं। सत्ताधारी दल को इस विषय को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि पूरा विपक्ष और सत्ताधारी दल इससे सहमत हैं कि विनिवेश का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि उसे वरीयता दी जानी चाहिए, तो मैं उसे तुरंत लेने के लिए तैयार हूं। मुझे पूर्णतया कोई आपत्ति नहीं है। आइए मामले पर चर्चा करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा। लेकिन सेंटूर होटल सौदे संबंधी मामले का क्या होगा जो कि पहले ही हो चुका है ?

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के दौरान उसे उठा सकते हैं। अब श्री मल्होत्रा कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बिजली को प्राइवेटाइज करने में 4 हजार करोड़ रुपए की लूट हुई। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ भी आरोप लगाने हैं, जब चर्चा हो, बहस हो, तब लगाइए।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं असत्य कह रहा हूं, तो इसकी सी०बी०आई० जांच करा ली जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सेंटूर होटल का सौदा पहले ही हो चुका है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय को चर्चा की अनुमति देने हेतु मान लिया है। मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सर डिसइनवेस्टमेंट की जांच के लिए एक जाइंट कमेटी बनी थी, लेकिन उस इन्होंने समाप्त किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहस के दौरान बोलिए और जो भी आरोप लगाने हैं उस समय लगाइए।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बिजली को प्राइवेटाइज करने के मामले की यदि ये चाहें, तो सी०बी०आई० की जांच करा सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे कई माननीय सदस्यों से अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री नवल किशोर राय अपनी सूचना के संबंध में बोलने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विनिवेश के मुद्दे पर मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है। अतः अब इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर 4000 करोड़ रुपये का आरोप लगाया है। *(व्यवधान)*

सत्तापक्ष के जिम्मेवार मुख्य सचेतक ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लागाया है कि उसने 4000 करोड़ रुपये का घपला किया है। उन्हें इसका प्रमाण देना होगा अथवा उन्हें अपना आरोप वापस लेना होगा *(व्यवधान)* यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों के सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे आरोप न लगाएं जिन्हें वे साबित नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरे कार्यवाही-वृत्तांत पर विचार करूंगा। यदि इसमें कोई आपत्तियां हैं, जोकि कथित रूप से आरोपात्मक हैं, तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाये। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, डा० मल्होत्रा या तो अपने आरोपों को साबित करें अथवा इसके लिए माफी मांगें। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक महत्वपूर्ण मामला उठाया है जोकि पूरे राष्ट्र से संबंधित है। वे नीतिगत मामला उठा रहे थे। बहुमत वाली सरकार भी इस राष्ट्र की सम्पत्ति को बेच देने का निर्णय नहीं कर सकती है। ऐसे मामले में सभा को भी लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तर देना होगा। यदि कोई मंत्री यह कहे कि उन्हें संसद की स्वीकृति के बिना ही सरकार की सम्पत्ति को बेच देने का अधिकार प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में प्रियरंजन दासमुंशी यह आरोप लगाने अथवा जो कुछ भी आप कहें उसके हकदार हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने कहा कि उसमें बहुत लूट हुई है, बहुत पैसा जाया गया। *(व्यवधान)* उन्होंने ये सभी आरोप लगाए हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप चन्द्रशेखर जी को सुनिये। वे क्या कह रहे हैं, वे तो आप मुझे सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : मैं अपनी सहायता करना जानता हूं।

उन्होंने नीति का मामला उठाया है। उन्होंने यह कहा है कि इसका पता लगाया जाये अथवा इसकी जांच की जाये अथवा इस पर संसद में चर्चा की जाये। डा० मल्होत्रा ने कहा है कि एक विशिष्ट मामले में दिल्ली सरकार ने 4000 करोड़ लिए हैं *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, निजी पार्टियों को 4000 करोड़ रुपये दिए गए थे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उसके अंदर करप्शन हुआ है। मैंने यह कहा कि चार हजार करोड़ रुपये उन्होंने प्राइवेट पार्टियों को दिया। *(व्यवधान)* बिजली का प्राइवेटाइज का रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : मैं बहरा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 4000 करोड़ रुपये लिए थे *(व्यवधान)* मैंने यह सुना है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : चार हजार करोड़ रुपया प्राइवेट पार्टियों को दिया। बिजली का प्राइवेटाइज करने के लिए चार हजार करोड़ रुपये दिल्ली गवर्नमेंट ने दिये, उसके अंदर भारी लूट हुई है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही-वृत्तांत पर विचार कीजिए। डा० मल्होत्रा ने अपने वक्तव्य को बदलने की गलती की है। राष्ट्रहित के विरुद्ध किसी मामले में बचाव में ऐसे ओछे वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए। आप राष्ट्र के भविष्य को बेच रहे हैं और आप इसके लिए दोषी हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने अगले वक्ता का नाम पहले ही घोषित कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी आपको हर प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बिहार के एन०एच० 77 पुर कटोझापुर के निकट श्री शशि शेखर के नेतृत्व में सैंकड़ों किसान, मजदूर आमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि पूरे बिहार में इस एन०एच० पर, राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण में सरकार विफल रही है। एन०एच० 77 और एन०एच० 104 उत्तर बिहार की लाइफ लाइन है। पिछले साल बिहार सरकार को 105 करोड़ रुपये मिले थे। उसमें से 45 करोड़ रुपये खर्च हुए और 60 करोड़ रुपये लैप्स हो गए। वहां बसतपुर, वनस्पट्टी, कटौझा एवं मकसूदपुर में बड़े पुल की आवश्यकता है। एन०एच०-104 चारौत, सुरसन, गिठामूल, सीतामढ़ी, शिवहर और डुबापुल के बिना साल में छः महीने लोग परेशान रहते हैं। सैंकड़ों लोग हर वर्ष पानी में डूबकर मर जाते हैं। लोगों का डूबना मानवाधिकार का मामला है। *(व्यवधान)* आज सैंकड़ों लोग संघर्ष यात्रा के संयोजक श्री शशि शेखर एवं विधान परिषद सदस्य श्री देवेश चंद्र के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)* यह मामला मानवाधिकार का है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री भान सिंह भौरा जो कहेंगे, वही रिकार्ड में जाएगा बाकी किसी का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भौरा जी, आप बोलिए। आपका ही रिकार्ड में जाने वाला है, बाकी किसी का नहीं जाने वाला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : महोदय, आज 'शून्यकाल' के दौरान मैं पंजाब में मंसा जिले को राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत लाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाना चाहूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि पंजाब में मंसा जिला जलाभावग्रस्त क्षेत्र है और यह सुविदित तथ्य है। परन्तु, जब इसका भटिण्डा जिले से पृथक्करण करके गठन किया गया था तो उस समय इसे जलाभावग्रस्त जिला घोषित नहीं किया गया था। यद्यपि भटिंडा की तुलना में मंसा जिला अधिक जलाभावग्रस्त है तथापि इस जिले के लिए कोई केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि इस जिले को राजीव गांधी पेयजल मिशन में तत्काल शामिल किया जा सके और इसकी प्रगति की निगरानी हेतु जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए एक स्थानीय स्तर पर निगरानी समिति गठित की जाये।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा कि सरकार इसपर ध्यान दे। आप और क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी को अवगत करवाऊंगा कि वे इस संबंध में उचित कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री भान सिंह भौरा : इसके साथ ही, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यद्यपि भटिंडा जिले को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है तथापि इस मामले में प्रगति बहुत असंतोषजनक है और इस संबंध में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि इस योजना के अंतर्गत कार्य में सुधार हो और यह सुचारूतया चल सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चन्द्र भूषण सिंह जी, आप अपना स्टेटमैंट कीजिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र एक गाड़ी कालिन्दी एक्सप्रैस जाती है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र भूषण सिंह : विगत दिनों रेलवे विभाग ने वह गाड़ी नवम्बर के महीने में बंद कर दी। उसका कारण यह बताया गया कि जो बार्डर में फोर्स लगी हुई थी, वह अपने बैरकों में वापिस जा रही है, इस कारण यह कालिन्दी एक्सप्रैस बंद की गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कालिन्दी एक्सप्रैस मात्र एक ही गाड़ी है जो फरूखाबाद जाती है। जब कभी जमना में बाढ़ आई हो, चाहे और कोई दिक्कत आई हो, हमेशा कालिन्दी एक्सप्रैस को ही बंद करने का निर्णय रेलवे विभाग द्वारा लिया जाता है। यह कालिन्दी एक्सप्रैस रात ग्यारह बजे चलकर फरूखाबाद साढ़े सात बजे पहुंचती है और उसके बाद यह एक चक्कर फरूखाबाद से शिकोहाबाद और शिकोहाबाद से वापिस फरूखाबाद नित्य लगाती है। एक कालिन्दी एक्सप्रैस के बंद हो जाने से आने-जाने वाले लोकल लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। वहां के सारे व्यवसायी और सारे लोग मेनपुरी और फरूखाबाद उस कालिन्दी एक्सप्रैस से आते थे। वहां के व्यवसायियों को बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि वहां रोड ट्रांसपोर्ट भी ऐवेलेबल नहीं है। मात्र तीन बसें फरूखाबाद से दिल्ली के लिए चलती हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस गाड़ी को जल्द से जल्द चलाने के लिए आप निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मैंने इस सभा में इस मामले को पहले भी उठाया है। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री से पेयजल हेतु आंध्र प्रदेश को 17 टी०एम०सी० फीट पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया है।

महोदय, अलमाट्टी बांध में पर्याप्त जल है, परन्तु इसमें नहर की कोई व्यवस्था नहीं है। नहरों के अभाव के कारण कर्नाटक राज्य इस जल का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और पेयजल हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को 17 टी०एम०सी० फीट जल जारी करने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार पर दबाव डाले।

महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। पूरा देश एक है। अलमाट्टी बांध में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है परन्तु आंध्र प्रदेश में हमें जलाभाव के कारण अत्यधिक परेशानी हो रही है। यदि कर्नाटक सरकार अलमाट्टी बांध के जल का इस्तेमाल कर रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, परन्तु इसका इस्तेमाल न किए जाने के परिणामस्वरूप निचले स्तर पर होने वाले क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं। अत:, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और पेयजल हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को 17 टी०एम०सी० फीट जल जारी करने के लिए कर्नाटक सरकार को सहमत करे।

(व्यवधान)

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा। इस मुद्दे को यहां उठाने की बजाय इस पर कर्नाटक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना बेहतर होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, परन्तु आप सभी लोग नियमों से तो अवगत ही हैं। अभी यह 'शून्यकाल' चल रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू ने यह मुद्दा 'शून्यकाल' के दौरान उठाने की सूचना दी है। यदि आप चाहते हैं, तो आप भी एक सूचना दे सकते हैं और मैं आपको अपनी बात कल रखने की अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मामले में निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, आप यह जानते हैं कि यह मुद्दा 'शून्यकाल' में उठाया गया था। यदि आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो आप यह कल 'शून्यकाल' के दौरान कह सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता, उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में न्यायिक प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है। पश्चिम बंगाल में अदालती शुल्क में अत्यधिक वृद्धि के विरोध में वहां लगभग 50,000 वकील अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें 100 प्रतिशत से 500 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अदालती शुल्क का भुगतान लोगों को करना पड़ता है। कनिष्ठ वकीलों और सभी वकीलों, जो बार काउन्सिल के सदस्य हैं, ने अपनी दैनिक फीस का त्याग करते हुए अदालतों का बहिष्कार करने का संकल्प पारित किया है। यह गतिरोध पिछले एक माह से चल रहा है। उच्च न्यायालय से लेकर निचले स्तर तक पश्चिम बंगाल में 500 से भी अधिक अदालतें हैं। मामले को सुलझाने की बजाय सत्तारूढ़ पार्टी भड़काऊ वक्तव्य दे रही है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मार्क्सवादी पार्टी किस अधिकार से वकीलों को भड़का रही है और आंदोलन के विरुद्ध वक्तव्य दे रही है। अत:, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस गतिरोध को दूर करे।

महोदय, चूंकि पिछले एक माह से गतिरोध चल रहा है इसलिए सैंकड़ों मामले लंबित हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार के हस्तक्षेप के कारण जमानत का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

यह गतिरोध तत्काल समाप्त होना चाहिए। अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से मामले में हस्तक्षेप करे तथा न्यायालय शुल्क को सामान्य स्तर पर लाकर गतिरोध समाप्त करे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डॉ० रघुवंश प्रसाद। डॉ० रघुवंश प्रसाद जी, मैं आपका नाम पुकारता हूं तो आप ध्यान नहीं देते हैं और बीच-बीच में खड़े होकर शोर मचाते हैं। मैंने आपका नाम तीन बार लिया। आजकल आपका ध्यान ही सदन में नहीं रहता है।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया श्री जनार्दन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में पेयजल की समस्या पर बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं उन्हें कल मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबर छपी है कि जो पंचद्रव्य में दूध, घी, गौमूत्र, गोबर सभी होता था, हम लोगों को पता चला कि मल्टीनेशनल और अमेरिकी लोग उसे पेटेण्ट करा रहे हैं, नीम को पेटेण्ट करा रहे हैं, हल्दी को पेटेण्टा करा रहे हैं, हमारी जो पुरानी संस्कृति की चीजें हैं, और सरकार इस पर चुप बैठी है, सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है, इसे बचाने के लिए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो पुरानी चीजें हैं। ये गौमूत्र और गऊ की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा जो गौमूत्र है, मैडीसन है, चरक सूत्र का वचन है, इसे मल्टीनेशनल और अमेरिकी लोग पेटेण्ट करा रहे हैं। सरकार इस बारे में कौन सी कार्रवाई कर रही है? सरकार के नोटिस में यह बात है या नहीं? सरकार इस पर संरक्षण कब देगी, कैसे देगी, क्या कार्रवाई कर रही है, यह तो सरकार बताये, नहीं तो गौमूत्र और पंचद्रव्य, नीम, हल्दी सब हमारा जा रहा है और अमेरिका पेटेण्टा करा रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे भी आपके साथ हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय बहुत महत्व का है। इसके अलावा तीन और सदस्यों का भी इश्यू है। मैं एक के बाद एक को बोलने की इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबरीमाला, भारत में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ से भी अधिक तीर्थ यात्री इस मंदिर में आते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बहुत ही कम हैं। इसके कारण सबरीमाला हिल्स, पम्बा तथा अन्य स्थानों के लोगों को काफी कठिनाई होती है।

हमने अनेक बार देश के विभिन्न भागों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं देने हेतु अधिक वन भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया था। जब मैंने इस सम्मानीय सभा में मुद्दा उठाया तो आपके पूर्ववर्ती श्री जी०एम०सी० बालयोगी ने एक समिति गठित की थी जिसमें मैं, श्री ओ० राजगोपाल तथा श्री के० फ्रांसिस जार्ज सदस्य थे। हमने सबरीमाला तथा निकटवर्ती स्थलों का दौरा किया। हमने भारत सरकार तथा केरल राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। केरल सरकार ने मूलतः फार्म केरल कृषि निगम (फर्मिंग कारपोरेशन ऑफ केरल) के स्वामित्व वाली 50 एकड़ भूमि निर्धारित करके पार्किंग तथा अन्य सुविधाओं के लिए कतिपय कार्यवाही की थी।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अधिक भूमि प्रदान की जाए ताकि त्रावनकोर देवास्थानम तथा केरल राज्य सरकार उचित सुविधाएं प्रदान कर सके।

दक्षिण भारत में पवित्र समझी जाने वाले पम्बा नदी भी देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा दूषित की जाती है। हमने पम्बा नदी को नदी संरक्षण परियोजना में शामिल करने के लिए भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार को सबरीमाला को एक राष्ट्रीय तीर्थस्थल घोषित करना चाहिए और उत्तर भारत में वैष्णो देवी के मंदिर की भांति इस स्थान को अधिक व्यवहार्य और विस्तृत बनाने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। उस मंदिर की तरह सबरीमाला भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे राष्ट्रीय तीर्थस्थल घोषित किया जाए। सभी समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई और हिन्दु समुदाय के लोग इस मंदिर में जाते हैं। इस तरह यह एक राष्ट्रीय एकीकरण का स्थल है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए इसे राष्ट्रीय तीर्थस्थल घोषित किया जाए और इस क्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अविलंब लोक महत्व के मामले को उठाने का अवसर प्रदान किया। केरल गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक केरल के विभिन्न क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं। राज्य में वित्तीय संकट के कारण अधिकांश विकास कार्यकलाप रोक दिए गए हैं। कभी-कभी वे कड़ी शर्तें लगा देते हैं। इसके

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

परिणामस्वरूप कयर, काजू और हथकरघा जैसे पारम्परिक उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। बाग़ान क्षेत्र भी समस्याओं का सामना कर रहा है। नकदी फसलों की कीमतों में गिरावट के कारण किसान जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को केरल राज्य के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से बैंकों ने उदासीन दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने बहुत पहले से ही इन सबकी अनदेखी शुरू कर दी है।

यदि हम देशभर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशि की तुलना करें तो केरल राज्य की देश में सबसे अधिक जमाराशि है। लेकिन ऋण अनुपात बहुत कम है। 'इन बैंकों को केरल के लोगों से धन प्राप्त होता है। लेकिन करोड़ों रुपय का ऋण बाहर दिया जाता है। केरल के लोगों को यह बात सहन नहीं हो रही है।

हाल ही में, केरल के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के रवैये की कड़ी आलोचना की। मैं मांग करता हूं कि केरल के लोगों को अधिक ऋण सुविधाएं दी जाएं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा करने तथा केरल की जनता को अधिकतम सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमें विशेषरूप से देश के वरिष्ठ नागरिकों से सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरियों में औषधियों विशेषरूप से जीवन रक्षक औषधियों तथा अन्य आवश्यक औषधियों की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसा डिस्पेंसरियों में औषधियों की आपूर्ति न किए जाने के कारण होता है।

महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने 27 नवम्बर को इस सभा में आश्वासन दिया था कि इस समस्या का एक सप्ताह के भीतर समाधान कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरियों में स्थिति गंभीर है, इसलिए भारत सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य मंत्रालय को अविलंब तथा तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरियों में औषधियों की आपूर्ति तत्काल बहाल हो सके।

श्री के० येरननायडू : महोदय, मैं इस विषय पर इनके साथ हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, संसद और विधि मंडल जो कानून बनाती है, उसका अमल प्रशासन करता है लेकिन शासन और प्रशासन जब गलती करता है तो अदालत में जाना पड़ता है। यह सुप्रीम कोर्ट यहां का है। यह गंभीर बात है कि आदिम जाति के एक व्यक्ति का केस सुप्रीम कोर्ट में आया और उनके गोत्र का नाम खरे था। उन्होंने यह कहा कि यह आदिम जाति के लोग हैं, मैं उनका केस नहीं लूंगा। उनका नम्बर 18655 सन् 2000 का केस है। इस तरीके से बोलकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और केस फेंक दिया। मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से विनती करता हूं कि इस बारे में ध्यान दिया जाए क्योंकि गरीब लोगों को न्याय देने का काम जो लोग करते हैं और वे अगर ऐसा करते हैं तो ये गरीब लोग कहां जाएंगे ? *(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि कभी रघुवंश बाबू ने गौ-मूत्र के पेटेंट का सवाल उठाया था और कल ही हमने अखबार में देखा कि गांव की रहने वाली जो हमारी औरतें सदियों से हाथ की चक्की से गेहूं पीस-पीस कर लोगों को खाना खिलाती थीं, आज उसका भी पेटेंट करा लिया गया। इस तरीके से भारत का हल्दी, नीम, बासमती, जामुन और गौ-मूत्र जिसको पंच-द्रव्य कहा गया है – गाय का दूध, घी, दही, गौ-मूत्र जो हमारी पुरानी चीजें हैं और जो सालों से हमारे देश में पैदा होती रही हैं, वह हमारे देश की सम्पत्ति है। उस पर अमरीका के लोग पेटेंट कराते जा रहे हैं। मैं भारत सरकार से जनाना चाहता हूं कि जो हमारी पारम्परिक चीजें हैं, भारत सरकार उनके पेटेंट की कार्यवाही को क्यों नहीं रोक रही है ? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार उस पर पेटेंट होने से रोक लगाए और सारे सदन को जानकारी दे।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सभा का ध्यान भूतपूर्व सैनिकों की गंभीर समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग (इण्डियन-एक्ससर्विसमेन लीग) के भूतपूर्व सैनिक पिछले तीन दिन से बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। अनेक वर्षों से उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उनकी मांगों में समयपूर्व सेवानिवृत्ति, अधिक मुआवजा, उनकी पेंशन दरों में संशोधन, एक रैंक एक पेंशन आदि शामिल हैं। उनका सेवाकाल 33 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है लेकिन वे 17 वर्ष से सेवा में है और कोई भी जवान उस स्तर तक नहीं पहुंचता है इसलिए वेतन आयोग की सिफारिशों से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है और उन्हें पेंशन नहीं मिल सकती है। उन्हें विशेषरूप से सेवानिवृत्ति के बाद अपने तथा अपने परिवार के लिए अधिक चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो उन्हें नहीं मिल रही है। वे अनेक वर्षों से इसकी मांग करते रहे हैं लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए वे जंतर-मंतर

पर धरने पर बैठे हैं। वे पिछले अनेक सप्ताहों से माननीय प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री को अपनी शिकायतों से अवगत कराने हेतु उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री उन लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर हमारे देश की रक्षा की। यह शर्म की बात है। हमारी सरकार को कम से कम मिलने का समय देकर उनकी बात सुननी चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पिछले तीन दिन से वे यहां धरने पर बैठे हैं। न तो प्रधानमंत्री और न ही रक्षा मंत्री उनकी मांगों को सुनने हेतु समय देने के लिए तैयार हैं।

मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को उनसे मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, इस देश को एक अत्यधिक संवेदनशील मामले का समाधान करना है। देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है जिसके अध्यक्ष माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के बारे में जो कुछ कहा, उसके संबंध में बनी एक रिपोर्ट पिछले एक वर्ष से धूल खा रही है। आंध्र प्रदेश ने जनसंख्या में गिरावट लाने में कुछ प्रभावशाली परिणाम दर्शाए हैं। अब यह समझने हेतु सभी पारम्परिक अध्ययनों पर विचार किया गया है कि केरल, गोवा, तमिलनाडु तथा कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों जहां हमें जनसंख्या में कमी लानी पड़ी है, की तुलना में आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट क्यों आई है और हम यह समझ गए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में कुछ दिल दहलाने वाली सच्चाई सामने आई है। वे लक्ष्यों को पूरा करने हेतु महिला स्वसहायता वित्त समूह, 'डवकरा' महिला समूहों का औपचारिक रूप से उपयोग करके महिलाओं को अनिवार्य बंध्यीकरण करने हेतु दबाव डाल रहे हैं। वर्ष 1988 से हमने लक्ष्यों को पूरा करने की और अनुमति नहीं दी है। हम उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। इसके परिणामस्वरूप यदि आंध्र प्रदेश में उन्होंने परिवार नियोजन नहीं करवाया है तो उनके राशन कार्ड ले लिए गए हैं *(व्यवधान)* आप इस बात से इंकार करते रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री के० येरननायडू : जी नहीं, यह सच नहीं है। मैं इससे इंकार कर रहा हूं *(व्यवधान)* जहां तक परिवार नियोजन का संबंध है आंध्र प्रदेश एक सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ये लोग इच्छा से यहां आ रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वे सच नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सच नहीं हो सकता है। आप दूसरी सूचना दे सकते हैं और फिर कहें कि यह सच नहीं है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह मेरी कहानी नहीं है। यह एक रिपोर्ट है। *(व्यवधान)* प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर सकते हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : जी हां, मुझे उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं 278 स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं में से 82 प्रतिशत ने महसूस किया कि कुछ दम्पत्तियों ने केवल प्रोत्साहन के लिए बंध्यीकरण करवाया *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना कर्त्तव्य पूरा किया है।

श्री के० येरननायडू : माननीय सदस्य को जनसंख्या में आई कमी की सराहना करनी चाहिए *(व्यवधान)* हम विशेष ध्यान दे रहे हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, हम चीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं जहां लोकतन्त्र है।

श्री के० येरननायडू : हम परिवार नियोजन हेतु बहुत सा धन व्यय कर रहे हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : हमें लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में शिक्षित करना पड़ेगा। हमें राशन कार्ड वापस लेने या बिजली की आपूर्ति काटने जैसे कार्य नहीं करने चाहिएं। वे महिलाओं पर वहां जाने हेतु दबाव डाले रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखिए। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह बिल्कुल सत्य है। यह श्रीमती रेणूका चौधरी की कोई कपोल कल्पना नहीं है। यह वह रिपोर्ट है जो कि प्रकाशित हो चुकी है। यदि वे चाहते हैं तो मैं वह रिपोर्ट ले आऊंगी और उसे सभा पटल पर रखूंगी। फिर मुझे नहीं पता वे कहां जाकर छुपेंगे। उसके बाद कहां मुंह छिपायेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है।

श्री के० येरननायडू : अतः आपको जनसंख्या में गिरावट की प्रशंसा करनी चाहिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी : तो आप उन्हें कत्ल कर देते हैं यह बहुत सही है। आप महिलाओं को बुलाएं और उन्हें कत्ल कर दें। आप इसी की सिफारिश कर रहे हैं।

महोदय, कुछ गांवों में राशन कार्ड वापस लिए जा रहे हैं और चावल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी गई है।

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

मैं इसपर चिंतित हूं। अवश्य, हम यह चाहते हैं कि जनसंख्या कम हो। मुझे यह घोषणा करने में गर्व हो रहा है कि जब मैं इस देश की स्वास्थ्य मंत्री थी तो हमने अपनी जनसंख्या में कमी लाने की शुरूआत की थी। लेकिन परिवार नियोजन जैसे संवेदनशील मुद्दे को संवेदनाहीन तरीके से हल करने का प्रयास करने से हमारे भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हमारी राज्य व्यवस्था को शिक्षित करने का यह तरीका नहीं है। हमें नागरिकों के अधिकारों और महिलाओं के प्रजनन संबंधी वर्षों का सम्मान करना चाहिए और इसे महिलाओं और उनके परिवार की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। हमें लोगों को वर्तमान मुद्दों के बारे में शिक्षित करना चाहिए लेकिन हमें नागरिकों के अधिकारों को समाप्त करने हेतु पूर्णतया बलप्रयोग का सहारा नहीं लेना चाहिए।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर जोर देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि गुजरात हत्याकांड संबंधी नौ-सदस्यीय ''कन्सर्न्ड सिटीजन्स ट्रिब्यूनल'' की सिफारिशों का संज्ञान लेने व तदनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर ने की थी। इसमें उच्चतम न्यायालय और मुम्बई उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश और त्रिपुरा के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी सम्मिलित थे।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं। इसकी एक सिफारिश यह भी है कि हमें जन संहार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की संधि के अनुरूप एक जन-संहार संबंधी कानून बनाना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि हमें बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं से निपटने हेतु एक स्थायी राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि गुजरात के मुख्य मंत्री पर जन-संहार और मानवता के प्रति अपराध-सहित कई अन्य अपराधों के लिए मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए। उनके मंत्रिमंडल के कुछ साथियों पर भी इसी प्रकार मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में गुजरात में जनसंहार का सारा दोष स्पष्टतया गुजरात के मुख्यमंत्री पर लगाया गया है और उन पर मुकद्दमा चलाकर उन्हें दण्डित किये जाने की मांग की गई है।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस जनसंहार की योजना छह स्तरों पर बनाई गई थी, नामत: एक समुदाय विशेष को शारीरिक रूप से नष्ट करना, आर्थिक रूप से नष्ट करना, सांस्कृतिक और धार्मिक विनाश; एक समुदाय विशेष की महिलाओं का बलात्कार और उनके साथ यौन हिंसा; पुनर्वास कार्यों में बाधा डालना; और गुजरात के मुस्लिम समुदाय को शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट करने की इच्छा की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, जिसे मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त था। इस रिपोर्ट में स्पष्टतया कहा गया है कि :

> ''मुख्यमंत्री ने कई स्थानों पर जानबूझकर जनसंहार होने दिया। सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण किया और दोषी पुलिस अधिकारियों को संरक्षित किया। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि पीड़ितों ने जिन भा०ज०पा० नेताओं या कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाये, वे न पकड़े जाएं।''

यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों वाले इस न्यायाधिकरण की सम्माननीय रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाए और इसकी टिप्पणियों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहता हूं। आज मानवाधिकार दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में यह निर्णय लिया गया था कि 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

आज, मैं इस बात को बताना चाहती हूं कि भोजन का अधिकार और भूख से मुक्ति का अधिकार मूल मानवाधिकारों में शामिल है। वास्तव में भूख से मुक्ति और कुपोषण को जीवन के अधिकार की रूपरेखा में परिभाषित किया गया है। जब कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं है तब जीवन के इस अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। अत: खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर, मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे भारत में महिला संगठन इस दिन को खाद्य सुरक्षा और भूख से मुक्ति का अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आज भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त इस समिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए, लक्षित प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और सभी को वर्तमान मूल्यों से आधे मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने चाहिएं क्योंकि वर्तमान मूल्य बाजार मूल्य के लगभग समान ही हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इस देश में करोड़ों हिन्दुओं के लिए गाय भगवान है, पूजनीय है। देश में गो-हत्या कानून तो है लेकिन देश में रोज हजारों गो-धन को

काटा जाता है। देश में हजारों अनधिकृत बूचड़खाने हैं जो पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल-झोंककर चल रहे हैं और जहां गो-धन काटा जाता है। हिन्दू समाज 33 करोड़ देवी-देवताओं को मानता है और गाय में उन 33 करोड़ देवी-देवताओं के दर्शन करता है तथा हिन्दू समाज यह भी मानता है कि गाय के दर्शन मात्र से ही चारों धामों के दर्शन हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आज देश के गोधन को बचाने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है। शिवसेना ने सदन के सामने इस विषय में एक बहुत बड़ा मार्च भी निकाला था। मेरी आपसे विनती है कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें। अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह 80 करोड़ हिन्दुओं की आस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और मुझे उम्मीद है कि वे उठकर कहेंगे कि हम गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करते हैं और आगे पूरी तरह से गाय की हत्या बंद करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के क्योंझर जिले में मैंगनीज और लौह अयस्क के अवैध खनन तथा तस्करी को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) **:** महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में जोड़ा और बारबिल के निकटवर्ती खनन क्षेत्रों में मैंगनीज और लौह-अयस्क के अवैध खनन और तस्करी में वृद्धि हो रही है। एशिया के खनन संबंधी नक्शे में उड़ीसा के क्योंझर जिले का महत्वपूर्ण स्थान है। इस जिले में उच्च ग्रेड के खनिज जैसे लौह-अयस्क, मैंगनीज, बाक्साइट, चूना-पत्थर, ग्रेफाइट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पूरे भारत के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा इन खानों का राज्य और राष्ट्र के राजकोष में महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक भारत सरकार इस मामले में दखल नहीं देगी तब तक राज्य को प्रतिदिन भारी नुकसान होता रहेगा।

अतः मैं केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री जी से खनिजों के इस अवैध खनन और इन्हें राज्य से बाहर ले जाने पर तत्काल रोक लगाने हेतु हर संभव कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

(दो) लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली के साथ टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

प्रो० दुखा भगत (लोहरदगा) **:** महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लतिहार, गुमला, पलामू एवं लोहरदगा जिलों में कई ब्लॉक ऐसे हैं जिनके अभी तक टेलीफोन ने नहीं जोड़ा गया है। जिसके कारण आजादी के 55 साल के बाद भी यहां के नागरिक दूरसंचार की प्रगति एवं दूरसंचार के विकास कार्यों के लाभ से वंचित हैं। मेरी जानकारी में आया है कि डब्ल्यू०एल०एल० तकनीक के माध्यम से दूरदराज इलाकों को टेलीफोन की सेवा से जोड़ा जा सकेगा। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और व्यापार तो बिना टेलीफोन के हो नहीं सकता है।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायतों को टेलीफोन की सेवा से तत्काल जोड़ा जाए जिससे यहां के लोगों को भी विकास की राष्ट्रीय धारा में लाया जा सके।

(तीन) जैसलमेर-बाड़मेर कांडला रेल लाइन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) **:** महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र अर्थात् पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तान और थार जिले के विकास के बारे में जरूरी विषय उठाना चाहता हूं।

रेल मंत्री जी की कृपा से 1999 के बजट भाषण में नई रेलवे लाइन जैसलमेर-बाड़मेर-कांडला को शामिल किया गया था, क्योंकि इसका भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने के कारण महत्व है। ये रेल लाइन इस पिछड़े तथा सूखाग्रस्त पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। बाड़मेर और जेसलमेर जिले में लिग्नाइट, ग्रेनाइट, मार्बल, पीला मार्बल, स्टील ग्रेड लाइम स्टोन, जिपसम, फास्फेट, गैस और तेल के भंडार बहुतायत में है। लेकिन इन खनिजों का उत्पादन और उचित

[कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी]

परिवहन बहुत धीमा है। क्योंकि यहां पर परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है। इस नई रेलवे लाइन से सेना की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी।

अत: मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पिछड़े सूखाग्रस्त क्षेत्र थार रेगिस्तान के विकास के लिए और सुरक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए निम्न फैसले लिये जाएं :–

1. 1999 से बजट भाषण में जो सर्वे का काम इस लाइन पर करने के लिए कहा गया था, उसे जल्दी पूरा किया जाए।

2. जैसलमेर-बाड़मेर-कांडला पोर्ट योजना को अगले बजट 2002-2003 में शामिल करने का फैसला कर फंड का प्रावधान किया जाए।

3. इस रेलवे लाइन पर शीघ्र काम शुरू कर इसे समय-सीमा में पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

(चार) क्वीलोन-विरूदुनगर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, क्वीलोन-विरूदुनगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु लिया गया है। लेकिन, यह परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अब दक्षिण रेलवे ने क्वीलोन से पुनलूर तक भी आमान परिवर्तन का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। यह खंड केवल 40 किलोमीटर लंबा है। लेकिन आबंटित की गई धनराशि बहुत कम है। कुल 60 करोड़ रुपये की धनराशि का अनुमान लगाया गया था। लेकिन इस वर्ष केवल एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए। रेलवे ने वर्ष 2006 तक इस कार्य को पूरा करने की योजना बनाई है। यह इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से एक लंबी अवधि है। इस क्षेत्र के लोगों ने इसे शीघ्रता से पूरा करने की मांग की है। अत: मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्र सरकार से इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु अधिकतम राशि आबंटित करने का अनुरोध करूंगा।

(पांच) नागपुर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, 85 विमानपत्तनों में से केवल ग्यारह विमानपत्तन लाभ अर्जित कर रहे हैं और सरकार का विचार घाटा उठा रहे अन्य विमानपत्तनों की पहचान करने का है जहां उनके विकास और उन्नयन हेतु निजी भागेदारी आवश्यक है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन उद्योग के समुचित विकास हेतु विमानपत्तनों का उन्नयन अत्यन्त आवश्यक है। यहां तक कि अल्प विकसित देशों के विमानपत्तन भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बना दिये गये हैं और वे पर्यटनों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। चूंकि उन्नयन हेतु प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है अत: सरकार को उन राज्य सरकारों के अनुरोधों पर सहमति व्यक्त करनी चाहिए जो स्वयं के संसाधनों से अपने विमानपत्तनों का उन्नयन कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में यात्रियों और कार्गो की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वहां एक विश्व-स्तरीय बहुविध हब विमानपत्तन (मल्टी मॉडल हब एयरपोर्ट) विकसित करने की योजना बनाई है। इस विमानपत्तन हेतु किये गये तकनीकी-आर्थिक अध्ययन में यह निश्चित निष्कर्ष निकाला गया है कि पूरा होने पर यह देश के सर्वोत्कृष्ट विमानपत्तनों में से एक होगा। राज्य सरकार वित्तीय और अन्य संस्थाओं की सहायता से इस विमानपत्तन को विकसित करना चाहती है परन्तु यह प्रतिष्ठित परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु काफी समय से लम्बित पड़ी है।

मैं केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त नागपुर विमानपत्तन को उन्नत कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने का अनुरोध करूंगा।

(छह) बोनस अधिनियम के अंतर्गत बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, 29.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2158 के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया कि बोनस अधिनियम की अदायगी पिछली बार 1995 में संशोधित की गयी थी और पात्रता की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 3500/- कर दी गयी और परिकलन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 2500/- कर दी गयी जो 1.4.1993 से प्रभावी हुई। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि मजदूर संघ मांग कर रहे हैं कि बोनस अधिनियम का परिसीमन समाप्त किया जाए। हालांकि वर्तमान में मूल्य सूचकांक में 1.4.1993 से बहुत अधिक वृद्धि हुई है, आमतौर पर सरकार का उत्तर यह रहता है कि मामले पर विचार किया जा रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह इस मामले को सुलझाने में कितना वक्त लेगी। मैं अनुरोध करता हूं कि मामले को मजदूर संघों से विचार-विमर्श करके बिना और देरी किए सुलझाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(सात) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-जल स्तर में आ रही गिरावट को रोकने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली में भू-जल स्तर नीचे चला गया है जिसके कारण लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। यहां के पानी का जलस्तर लगातार

गिरता जा रहा है जिसके कारण किसानों को खेतों की सिंचाई तथा महिला को कपड़े धोने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर भूमि के जल स्तर को नीचे जाने से नहीं रोका गया, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में गम्भीर समस्या हो जाने की संभावना है जिसका उपचार अभी से करना होगा। यहां पर जो टैंक हैं वे खराब पड़े हैं उनको डी-सिल्ट किया जाना अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली में भू-जलस्तर को नीचे जाने से रोकने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं।

(आठ) उत्तर प्रदेश में बांदा और चित्रकूट जिलों में सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा ड्रिलिंग आपरेशन पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा त्वरित अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत संवेदात्मक ड्रिलिंग करने की योजना विगत कई वर्षों से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, जालौन और ललितपुर जिलों में 51 अन्वेषणात्मक कुएं खोदे गये हैं और उनमें कुछेक में अच्छी सफलता भी मिली है और उन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। इससे पेयजल और सिंचाई की समस्या को हल करने में पर्याप्त सहायता मिली है। बांदा और चित्रकूट जिले अक्सर सूखा अकाल से पीड़ित हो जाते हैं और वहां पेयजल तथा सिंचाई की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक बोरिंग विगत कई वर्षों पूर्व में की गई थी और उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए थे। किन्तु विगत कुछ वर्षों से यह योजना रोक दी गई अथवा स्थगित कर दी गई है जिससे हाल के वर्षों में कोई अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग नहीं की गई। चित्रकूट और बांदा जिलों के कुछ क्षेत्रों तथा ग्राम-सुरवल, खोंया, भदेदू, चांदी, धुमाई, नैनी, कुर्सीयान आदि में तत्काल अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग (बोरिंग) करने और सफल बोरिंग के नलकूपों को राज्य सरकार को उपयोग/प्रयोग हेतु सौंपने की आवश्यकता है। अन्वेषणात्मक बोरिंग चलाने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में राज्य सरकार ने नलकूप खोदने से पूर्णतया मनाही कर दी है।

[अनुवाद]

(नौ) तमिलनाडु में श्री अरूणाचलेश्वर मंदिर के अधिग्रहण के भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रस्ताव को छोड़ दिए जाने की आवश्यकता

***श्री डी० वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर) : महोदय, तिरूवनमलाई में श्री अरूणाचलेश्वरर का प्राचीन मंदिर है जिसके अराध्य देवता 'अग्नि' के रूप में विराजमान है। इस ऐतिहासिक मंदिर की अनेक संतों ने महत्ति गायी हैं, इसमें वर्ष भर चलने वाले लगभग 280 त्यौहार समेत यहां प्रतिदिन सभी छह प्रकार की पूजा की जाती है। यह मंदिर अपने सालना 'करथीगई दीपम' त्यौहार के लिए जाना जाता है इसमें समस्त देश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस तीर्थ स्थान पर गिरीवलम के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यदि इस जीवित मंदिर को पुरातत्व स्मारक के रूप से परिवर्तित कर दिया गया तो यह मंदिर, जहां श्रद्धा और विश्वास के बल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, एक विरान चमगादड़ का अड्डा बन जाएगा। पुरातत्व विभाग की देखरेख के आभाव में हम पहले ही बड़े तंजावूर मंदिर, जिन्जी किले, तिरूवनामलाई, कंथाश्रमम इत्यादि की दुर्दशा देख चुके हैं।

इसलिए मैं, श्रद्धालुओं की ओर से केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वह श्री अरूणाचलेश्वरर मंदिर के अधिग्रहण के प्रस्ताव को त्याग दें। मंदिर को तमिलनाडु के हिन्दू धर्म धर्मदाय बोर्ड को ही सौंप देना चाहिए। श्रद्धालु प्रसन्न होंगे यदि केन्द्र इस प्राचीन मंदिर की देख-रेख के लिए आधुनिक तकनीकी सहायता देने के अलावा कुछ न करें।

(दस) उड़ीसा में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत और अधिक लोगों को लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उड़ीसा में जून और जुलाई 2002 के महीनों में अपर्याप्त वर्षा और लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप सभी 30 जिलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उड़ीसा सरकार ने 280 विकास खंड पूरी तरह और बाकि 29 विकास खंडों को आंशिक रूप से सूखा प्रभावित घोषित किया है। हालांकि उड़ीसा सरकार ने 871.40 करोड़ रुपये और 12.19 लाख मीट्रिक टन चावल की मांग सूखे की स्थिति से निपटने के लिए की थी परंतु वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय राहत निधि में से केवल 90.52 करोड़ रुपये ही केन्द्र से सहायता के रूप में मिले हैं और एक लाख मीट्रिक टन चावल काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को दिया गया है। परंतु जरूरतमंदों को चावल कम कीमत पर मुहैया किए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केवल 64,800 लाभार्थियों को ही लाभ पहुंचा है। केवल यही ऐसी एकमात्र योजना है जिसके द्वारा बेसहारा वृद्धों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उड़ीसा जैसे गरीब राज्य में यह लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस वर्ष के अभूतपूर्व सूखे को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत 50,000 और अधिक लाभार्थियों को शामिल करे।

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

(ग्यारह) बिहार में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत परियोजना पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : महोदय, केन्द्र सरकार ने डेयरी डेवलपमेंट नॉन ऑपरेशन फ्लड से वंचित पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बिहार राज्य के सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों का आई०डी०डी०पी० योजना के तहत पांच वर्ष के लिए चयन किया है। इसके लिए 279.78 लाख रुपये भी आबंटित किये गये हैं। जिसके प्रथम वर्ष 2001-02 में 64.47 लाख रुपये राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के बावजूद उक्त परियोजना पर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हुए हैं, जिससे इन सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में दुग्ध उत्पादकों में घोर निराशा है।

अतः सरकार उक्त परियोजना को शीघ्र चालू कराने की कार्रवाई करे।

अपराह्न 2.22 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक — पारित

(एक) कम्पनी (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधायी कार्य प्रारंभ करती है। मद संख्या 18 — श्री जसवंत सिंह।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक को 30 अगस्त को पुरःस्थापित किया गया था। इसके बाद इसे गृह मामलों संबंधी विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को जब यह विधि, न्याय और कंपनी मामले के विभाग के पास थी, भेजा गया था।

समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट 23 जुलाई को दे दी थी। समिति ने कतिपय संशोधनों के सुझाव दिए थे। इनमें से अधिकांश को मान लिया गया है। विधेयक पर आधिकारिक रूप से संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, मैं इस संबंध में लंबा भाषण नहीं देना चाहता। स्थायी समिति ने पहले ही इस मामले पर विचार किया है। सच तो यह है कि उचित यह होगा कि सभा इस विधेयक को चर्चा के बिना ही पारित कर दे क्योंकि मेरे पास एक और कंपनी (संशोधन) विधेयक भी पड़ा हुआ है। परंतु इस संबंध में यदि आप चाहते हैं कि मैं बहुत थोड़ा बोलूं तो मैं थोड़ा ही बोलूंगा। परंतु मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह इस विधान पर विचार करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, यह विधेयक काफी समय से अपेक्षित था, यह कर्मकारों और प्रबंधन की शिकायतों के निपटान में आने वाली जटिलताओं और उनकी बहुत बड़ी संख्या को कम करने के लिए विशेष रूप से भारत के रुग्ण और संचालित न हो सकने वाली इकाइयों के लिए लाया गया है।

महोदय यह हमारा अनुभव है क्योंकि हम देश के विभिन्न भागों से इस सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है जबकि एक ऐसा व्यापक विधान बनाया जाए जिसमें इस मामले को समझने, निपटाने और इस मामले में निर्णय का प्रावधान हो और जटिलताएं न हों।

इस विधेयक पर विभागीय मामलों से संबंधित स्थायी समिति द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया गया और इस पर व्यापक टिप्पणियां की गई जिनमें से अनेक रचनात्मक हैं। मुझे खुशी है कि पूर्व रूप से तो नहीं लेकिन काफी हद तक सरकार और मंत्री जी ने इन्हें मान लिया है। फिर भी मैं महसूस करता हूं कि विधेयक के कुछ भाग ऐसे हैं जिन पर आज पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सौभाग्य से वित्त मंत्री विश्व अर्थ-व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की बदली परिस्थितियों और इस क्षेत्र में हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के बदलते हालात के मद्देनजर कंपनी मामले का संयुक्त विभाग भी संभाले हुए हैं। उन्होंने एक शब्द गढ़ा है 'उदार अर्थव्यवस्था' जब तक वित्त मंत्रालय और कंपनी मामले का मंत्रालय एक साथ नहीं होते, औद्योगिक विकास का ब्यौरा कंपनी प्रबंधन की पूरी जानकारी और इकाई की समस्याओं को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता।

संभव है कि इन सबके मद्देनजर वित्त मंत्री कंपनी मामले का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। तथापि, मैं यह महसूस करता हूं कि श्रम मंत्रालय, जो कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, की उपेक्षा

नहीं की जानी चाहिए। मानव शक्ति, मानव संसाधन और श्रमजीवी वर्ग किसी भी औद्योगिक संगठन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कोई भी उद्योग हो कोई भी कंपनी हो मानव संसाधन आधारभूत घटकों में से एक है।

जब तक इन कम्पनियों के माध्यम से देश के विकास के लिए मानव संसाधनों का यथार्थपरक अध्ययन नहीं किया जायेगा तब तक इस विधेयक का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। मुझे पता नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री जी श्रम मंत्रालय अथवा श्रम मंत्रालय परिषद को पूरी मशीनरी के साथ संबद्ध करने हेतु अर्थोपाय की व्यवस्था कैसे करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ संदेह पैदा हुए हैं।

यह संदेह उस मानदंड के बारे में है कि इस न्यायाधिकरण का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। विधेयक के पृष्ट 4 पर धारा 10 च घ (ज) में उल्लेख किया गया है कि :—

"जो ऐसा व्यक्ति है जिसे श्रम से संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान और उसमें पन्द्रह वर्ष से अन्यून का अनुभव है।"

इससे इस प्रकार का अर्थ निकलता है मानो श्रमिक वर्ग और कामगार वर्ग के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। परन्तु यह सही नहीं है। श्रम संबंधी जानकारी रखनेवाला कोई व्यक्ति श्रम मंत्रालय में उप-सचिव बन सकता है; जहां तक राज्यों का संबंध है वह व्यक्ति श्रम संबंधी सयुंक्त परिषद का सेवानिवृत्त आयुक्त हो सकता है जो कि सामान्यतया श्रमिकों की अपेक्षा सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं — काफी देर हो चुकी है — कि न्यायाधिकरण में व्यापार संघ और मजदूर संघ से संबंधित मामलों के लिए 15 वर्ष का अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को शामिल किया जाये। शब्द 'ट्रेड यूनियन' के प्रयोग से कामगार वर्ग को यह विश्वास मिलेगा कि न्यायाधिकरण में कोई ऐसा भी प्रतिनिधि है जो उनकी समस्याओं को समझ सकता है तथा उनका ध्यान रखेगा। 'मात्र वही व्यक्ति जो श्रम संबंधी मामलों में' कहने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि उस व्यक्ति के पास श्रम संबंधी अच्छी जानकारी है चाहे यह बात सही हो अथवा गलत। श्रमिकों का हित और ट्रेड यूनियन का अनुभव दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे पहले इस पहलू पर विचार करें और इसे सुस्पष्ट बनाएं। न्यायाधिकरण में न्यायिक, तकनीकी अथवा कर्मचारी वर्ग के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अन्यथा, इस प्रावधान की विभिन्न तरीकों से गलत व्याख्या संभव हो सकेगी।

मान लीजिए कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा है और वह श्रम संबंधी मामलों को देखता है। आप कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश ने 62 लोगों को नामित करने हेतु उससे परामर्श किया और लम्बे अर्से से वकालत कर रहे एक अग्रणी वकील का नाम दिया। इससे कर्मचारी वर्ग संतुष्ट नहीं होगा।

बेहतर होगा कि सरकार ट्रेड यूनियनों से परामर्श करे। विधि मंत्रालय में मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों की सूचियां हैं जिनमें छोटे ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग और विभिन्न अन्य उद्योगों से जुडी ट्रेड यूनियनें शामिल हैं। आप उनमें से कम से कम एक को विश्वास में ले सकते हैं तथा उसको न्यायाधिकरण में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। इसलिए, न्यायाधिकरण को व्यापक स्वरूप प्रदान करने हेतु इस विशेष खंड को और विस्तारित करना अपेक्षित है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय का प्रभार उनके पास है। मैं इतिहास बताने में लम्बा समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं अपने अनुभव पर आधारित इसका संक्षिप्त विवेचन करूंगा। मैं हावड़ा शहर का दो बार प्रतिनिधत्व कर चुका हूं जिसे कभी बरमिंघम के नाम से जाना जाता था। अब यह औद्योगिक और अन्य रूप से बहुत ही रुग्ण शहर है। कोई उद्योग रुग्ण कैसे हो जाता है ? हम इसी बात का पता लगाने हेतु इस विधेयक को पारित कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में मैंने इस बात का विस्तार से अध्ययन किया है और मैंने इसके पांच कारण पाएं हैं। उनमें से एक यह है कि जब छोटे और मझोले उद्योग कोई परियोजना प्रस्तुत करते हैं तो जिस दिन से बैंक परियोजना को स्वीकृत प्रदान करता है उसी दिन से ऋण पर ब्याज लेना शुरू कर देता है। हम इस मुद्दे पर सी०आई०आई०, फिक्की, ए०एस०एस०ओ०सी०एच०ए०एम०, लघु उद्योग मंच, मझोले उद्योग मंच और वित्त मंत्री के साथ चर्चा करते रहे हैं। एक परियोजना के तीन चरण होते हैं — परियोजना तैयार करना, परियोजना को स्वीकृति प्राप्त होना और परियोजना को चालू किया जाना। पहले परियोजना तैयार की जाती है फिर उसे बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बैंक परियोजना को स्वीकृत प्रदान करता है। इसके बाद परियोजना तभी चालू होती है जब उसे पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, विद्युत कनेक्शन मिल जाता है व भूमि संबंधी समस्या आदि सुलझा ली जाती है। इन सबके पश्चात् ही कोई एकक अपना उत्पादन प्रारंभ कर सकता है। लेकिन उत्पादन शुरू करने से पहले ही उससे ऋण पर ब्याज लेना प्रारंभ कर दिया जाता है जिसकी वजह से एकक अपना उत्पाद बाजार में लाने के पश्चात् इस ब्याज को वहन करने में सक्षम नहीं रह पाता। इस प्रकार पहले दिन से ही वह इकाई रुग्ण बन जाती है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

मैं आज की उदारवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का एक उदाहरण देता हूं। यह अनोखा उदाहरण दिल्ली से संबंधित है। वित्त मंत्री इस पर ध्यान दें। मैं किसी कम्पनी की हिमायत नहीं कर रहा हूं। कृपया मुझे गलत न समझें। भारत में प्रत्येक घर के लिए प्रेशर कुकर एक

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अनोखी वस्तु है। प्रेशर कुकर का निर्माण करने वाली अनेक इकाइयां दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्थित हैं। आज बाजार चीनी प्रेशर कुकरों से पाटा जा रहा है जिनकी कीमत इन छोटी इकाइयों द्वारा उत्पादित देशी प्रेशर कुकरों की लागत (मुनाफा छोड़कर) के आधे से भी कम है। वर्तमान में, प्रेशर कुकर, चम्मच, छुरियां इत्यादि जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली लघु इकाइयों की परियोजनाओं को उनकी बाजार क्षमता के आधार पर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु यदि आप ऐसे सामानों को कम कीमत पर बाजार में पाटने की अनुमति देते हैं तो वे अपना अस्तित्व कैसे बचा पाएंगे ? मुझे पता है कि आप विश्व व्यापार संगठन का मुद्दा उठाएंगे परन्तु विश्व व्यापार संगठन ने आपको पर्याप्त शक्तियां व अवसर दे रखे हैं ताकि आप पाटन-रोधी शुल्क लगा सकें अथवा उसे बढ़ा सकें। हम सभी के प्रति उदार हैं। परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि भविष्य में इस देश पर चीनी आक्रमण अस्त्र-शास्त्रों से नहीं होगा बल्कि इस देश के घरेलू बाजार में चीनी माल की भरमार हो जायेगी जिससे हमारे छोटे और मझोले उद्योगों को नुकसान होगा।

मैं एक वर्ष की प्रदर्शनी देखने हेतु प्रगति मैदान गया था। वहां मैंने पाया कि लुधियाना, पटियाला, पश्चिम बंगाल से आसनसोल, नासिक, तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य जगहों के लोग बहुत कुशल हैं।

वे ऐसे कुशल लोग हैं जो ट्रैक्टरों, मशीनी यंत्रों आदि के उपकरणों और कल पुर्जों को स्वयं लगाते हैं। यहां आधारभूत न्यूनतम घटकों में प्रथम कच्चा माल विद्युत है जिसके लिए किसी निजी कम्पनी अथवा किसी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निश्चित दर पर शुल्क लिया जाता है। दूसरा, उन्हें कुशल कामगारों को मजदूरी व अन्य लाभों का भुगतान करना होता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में एक खेतिहर मजदूर को 60 रु० प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलती है। स्वाभाविक रूप से एक कुशल औद्योगिक कामगार को इससे कुछ अधिक ही मजदूरी मिलनी चाहिए। इस घटक को उत्पादन लागत में जोड़ें। तीसरा घटक स्थापना की लागत है। इन सभी चीजों को शामिल करने पर उत्पादन लागत 'अ' बनती है जिसमें 10 अथवा 20 प्रतिशत का लाभ जोड़ना लाजिमी है। अब यदि किसी दिन आप पाते हैं कि बाजार को काफी संख्या में ऐसी वस्तुओं से पाटा जा रहा जिनका बिक्री मूल्य उनकी वस्तु के उत्पादन लागत का मात्र 50 प्रतिशत है तो आखिर आप राष्ट्रीय कम्पनी न्यायाधिकरण के माध्यम से इन रुग्ण इकाइयों को किस प्रकार का संरक्षण दे रहे हैं? ऐसी इकाइयां तो पहले दिन से ही रुग्ण हो जाएंगी। वे बाजार में इस प्रकार से हो रही डम्पिंग का मुकाबला नहीं कर सकतीं। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं ला रहा हूं। परन्तु दुर्भाग्यवश आज यही सच है। आप कैसे गारंटी दे रहे हैं कि ऐसी बात नहीं होगी। यह रुग्णता का पहला लक्षण है।

अब मैं रुग्णता के दूसरे लक्षण का जिक्र करता हूं। यहां मैं तथाकथित प्रबंधन से सहमत नहीं हूं। आप स्लैब निर्धारित करते हैं। प्रत्येक इकाई भले ही वह लघु उद्योग हो, को पंजीकरण से पूर्व इस संबंध में संतुष्ट करना पड़ता है अथवा उसे यह दायित्व पूरा करना होता है कि उसके प्रबंधन में एक ऐसा पेशेवर व्यक्ति है जो वित्तीय मामलों के संबंध में यह स्पष्ट निर्देश देगा कि परियोजना का यह स्वरूप है और इस परियोजना के लिए इतनी जनशक्ति की आवश्यकता है। यदि फलां-फलां अथवा किसी राजनीतिक दल अथवा कुछ स्थानीय नेताओं को तुष्ट करने के लिए जनशक्ति की इस निर्धारित सीमा से अधिक लोगों को इकाई में रखा जाता है तो कम्पनी पर या दो वर्षों के भीतर ही रुग्ण हो जाएगी और उसकी देनदारी और बढ़ जाएगी। इसलिए जब तक किसी इकाई में व्यावसायिक प्रबंधन नहीं होगा जो वित्तीय अर्थक्षमता और परियोजना चलाने के लिए उसे सही दिशा दिखाए, तब तक उस इकाई को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा मानना है कि इन्होंने पहले ऐसा नहीं किया है। देश में बेरोजगारी की समस्या काफी अधिक थी। कम्पनियों को क्षेत्रीय नेताओं के अनुरोध स्वीकार कर लोगों को रोजगार देने थे चाहे व्यक्ति तत्संबंधी कार्य के लिए कुशल हो अथवा अकुशल। अन्यथा, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। मैं प्रबंधन पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आप कानून बनाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परियोजना चालू की जाए बशर्ते कि सभी शर्तों का पालन हो। इस स्थिति में आप कार्ड दिखाकर यह कह सकते हैं कि आप अपने वित्तीय कागजातों के आधार पर एक से अधिक चौकीदार और अकुशल श्रेणी के दो से अधिक लिपिक नहीं रख सकते तथा सिर्फ कुशल श्रेणी में कुछ लोगों को रख सकते हैं। तब आपके पास दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए तर्क होगा। इसके वगै़र, आप प्रबंधन को योजना बनाने में पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दे सकते।

कुछ प्रबंधमंडलों ने एक नए प्रकार की रीति विकसित कर ली है। इनमें तीन या चार भाई होते हैं। एक लेखाकार होता है; दूसरा अमरीका या लंदन से कोई डिग्री ले कर आया होता है और प्रबंधमंडल अच्छा होता है। किन्तु कभी कभार वह प्रबंधमंडल स्थानीय दबाव के आगे झुक जाता है और इकाई को अवश्यकतानुसार मानवशक्ति से तालमेल नहीं कर पाता वह उससे परे चला जाता है। अगले ही साल से वह इकाई रुग्ण होने लगती है। यदि आप कुछ रुग्ण इकाइयों को देखें तो आप पाएंगे कि रुग्णता का यह दूसरा लक्षण है।

वित्त मंत्री जी के समझने के लिए तीसरा लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक जिम्मेदार हैं। मैं आज उद्योगों की रुग्णता के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता हूं और मैं उन पर यह आरोप लगाता हूं। मुझे यह आश्वासन मिलता है कि मेरे परियोजना दस्तावेज़ों पर मुझे अमुक या उदाहरण के तौर पर 20 करोड़ रुपये की कार्यपूंजी. प्राप्त होगी। तद्नुसार, मैं अपने बाज़ार विस्तार के

लिए 4 करोड़ रुपये के प्रथम चरण को और 6 करोड़ रुपये के दूसरे चरण के क्रियान्वयन की योजना बनाता हूं किन्तु परियोजना स्वीकृत करने के बाद आपके बैंक के लोग कार्यपूंजी जारी करने में इतनी देर कर देते हैं कि इकाई स्वयं ही ठप्प पड़ जाती है। वे बाज़ार से ऋण लेना प्रारंभ कर देते हैं और वे ब्याज के भार से दब जाते हैं किन्तु वे इसे आयकर अधिकारियों को नहीं दिखा सकते। तब वे हेरा-फेरी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इकाई को चलाए रखने के लिए उन्हें कच्चा माल, काले बाज़ार में बेचना पड़ता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि बैंक, किसी कंपनी की जरूरत के मुताबिक कार्यपूंजी अपनी समय-सारणी के ही अनुसार जारी करने में विफल रहता है।

तीसरा लक्ष्ण है, इकाई रुग्ण होने लगती है। चौथा लक्ष्ण है जो प्रबंधमंडल के तो विरुद्ध है किन्तु बैंक के नहीं। पांचवा लक्ष्ण बैंक प्रबंधमण्डल से संबंधित है। मैं अधिक नाम लेने नहीं चाहता क्योंकि भारत में कुव्यवस्था के जनक बंगाल के हैं। वे ऐसा किया करते थे। आजकल हम जूट का व्यापार करते हैं इसमें अधिक लाभ नहीं है। इकाई का सब कुछ हस्तांतरित कर दीजिए, इकाई का सब कुछ बेच दीजिए, फिर उसे बंद कीजिए और इस राशि को किसी अन्य व्यापार में, झूठी परियोजना के नाम से लगाकर बैंक से और अधिक धन प्राप्त कर लीजिए। इलाहाबाद, यूनाईटेड कॉमर्शियल बैंक ऑफ कलकत्ता तथा कलकत्ता का यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया में ऐसी रुग्णता के अनेक मामले हैं। अब वे आपकी कठोर निगरानी के बल पर टिके हुए हैं। किन्तु यह इन चीज़ों के कारण ही हुआ है। वे एक स्थान से ही एक व्यक्ति को जूट कारोबार से पैसा निकालने और इसे चाय के कारोबार में लगाने के लिए कहते हैं। वे यह सलाह देते हैं कि जूट को रुग्ण कैसे बनाया जाए और चाय के कारोबार में कैसे जाया जाए। फिर वे एक अन्य व्यक्ति से बातचीत करते हैं जो दो माह के भीतर एक विशेष निश्चित मूल्य पर उन्हें चाय उपलब्ध कराएगा। कलकत्ता में इन तीन बैंकों की एक आंतरिक व्यवस्था है। मैंने इस मामले का गहराई से अध्ययन किया है।

मैं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को उनकी सख्त निगरानी, तथा गैर निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली तथा अन्य कई पद्धतियों को लागू करने के लिए मुबारकबाद देता हूं। इन तीन बैंकों तो कम से कम ठीक से कार्य करने लगे हैं। इस तरह, यह सब प्रबंधमण्डल के बारे में है।

मुझे अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं। कभी-कभी मुझे हैरानी होती है और मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक कंपनी रुग्ण घोषित कर दी जाती है और मामला बी०आई०एफ०आर० को भेज दिया जाता है। कंपनी का प्रबंधमण्डल भविष्य निधि का भुगतान नहीं कर सकता है, कंपनी वेतन नहीं दे सकती है किन्तु उसी कंपनी का प्रबंधमण्डल एक अन्य नाम से, बैंक से निधि प्राप्त कर एक अन्य कंपनी चला रहा होता है और सी०आई०आई० तथा फिक्की में भाषण दे रहा होता है। यह देश में धोखाधड़ी करने जैसा ही है। यदि एक प्रबंधन किसी बैंक से धोखा करता है तो उनके बेटे या बेटियां, किसी अन्य नाम से किसी अन्य फर्म के रूप में देश में किसी अन्य बैंक से पुन: सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है। एक ओर, आपका एन०पी०ए० बढ़ रहा है तो दूसरी ओर आपकी परियोजना असफल हो रही है और कामगार भूखे पेट अपने घरों को लौट रहे हैं। यह वह लक्ष्ण है, जो प्रबंधमण्डल बैंकों के साथ मिलकर या स्वयं ही धोखाधड़ी कर रहा है। इन सभी से इकाइयां रुग्ण होती हैं।

रुग्णता का अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण कारण है आधुनिकीकरण। मैं आपको आधुनिकीकरण के दो ज्वलंत उदाहरण दूंगा। हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स, कलकत्ता जलपोत निर्माण में भारत में अग्रणी रहे हैं। श्री राजीव गांधी हमारे प्रधान मंत्री थे और उनसे पहले श्रीमती गांधी हमारी प्रधान मंत्री थी और बीच में, श्री मोरारजी देसाई हमारे प्रधान मंत्री थे। मंत्रालय ने दो बार दीर्घ-कालिक प्रस्ताव रखे और उन्हें स्वीकृति दे दी गई थी किन्तु दीर्घ-कालिक प्रस्ताव के लिए धन तथा आदेश 12 वर्ष तक नहीं दिए गए। इससे कंपनी रुग्ण हो गई तथा उसे बेच देना पड़ा। नि:सन्देह, हमारे नए मंत्री, श्री गोयल उसे बचाने के प्रयास कर रहे हैं। संबंधित दस्तावेज मेरे पास हैं। मैंने उन्हें पढ़ा है। जब मैं मंत्री था तो भी मुझे इस बात की हैरानी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे वित्त मंत्रालय में तीन डैस्क होने चाहिए। यह मेरा सुझाव है। आप चाहें तो इसे माने या ना मानें। डैस्क-I नई कंपनियों के लिए होना चाहिए जो देश में पिछले पांच वर्षों से मौजूद हैं। डैस्क-II ऐसी कंपनियों के लिए होना चाहिए जिनके मामले न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और डैस्क-III इन कंपनियों के लिए होना चाहिए जिनके लिए पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया गया है। कंपनी मामलों से संबंधित विभाग के साथ तालमेल करते हुए आपके मंत्रालय में कोई अधिकारी इन डैस्कों की प्रत्येक राज्य में प्रगति पर निगरानी रखे। प्रत्येक राज्य में आपके कार्यालय हैं।

निगरानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं। सभी डैस्क संबंधित बैंकों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि उन कंपनियों के बैंकर हैं। यदि आप यह पद्धति व प्रक्रिया अपना लेते हैं तो, मेरे विचार से नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल भी सफल रहेगा।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा। यह अपील से जुड़ा मुद्दा है। इस विधेयक को भाग 1(ग) में अपीलीय न्यायाधिकरण का जिक्र किया गया है। यदि मैं पीड़ित पक्ष हूं और मुझे न्याय प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं न्यायाधिकरण में जा सकता हूं किन्तु मेरी आपसे यह अपील है कि कंपनियों के पुनरुद्धार अथवा रुग्णता या उसे बंद करने के मामले को राजनैतिक उम्मीदवारों की चुनाव याचिका की भांति न लें। यह एक न समाप्त होने वाली प्रक्रिया बन गई है। आपको ऐसा तरीका विकसित करना चाहिए जिससे

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

किसी पीठ विशेष के अधीन किसी मामले को न्यायाधिकरण एक निश्चित अवधि में निपटा दे। एक समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए जिसके अन्दर किसी अपील का निपटान हो जाना चाहिए। यदि आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से न्याय नहीं किया जा सकेगा। दिन-प्रति-दिन मामलों में स्थगन होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि किसी दिन वकील तैयार नहीं होता है तो किसी दिन सरकार। फिर यह एक न समाप्त होने वाली प्रक्रिया बन जाती है। इसमें यह मंशा रहती है कि पूरा मामला इतना खींचा जाए कि यह न समाप्त होने वाली प्रक्रिया बन कर रह जाए। क्या सरकार को यह नहीं लगता कि अब न्यायधिकरणों, वकीलों की और अपीलीय न्यायाधिकरणों की जिम्मेदारी निश्चित करने का समय आ गया है ?

मैं आपको नैशनल इंस्ट्रूमेंट कंपनी, कलकत्ता का उदाहरण दूंगा जिसकी गिनती भारत की बेहतरीन कंपनियों में होती है। इसने विजयंत टैंक के लिए इंफ्रा-रैड लाइट पहली बार तैयार की थी। 1971 में जब मैं पहली बार चुनाव जीता था तो मुझे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने तथा उस कंपनी के संघ का बारह वर्षों तक, किसी दल से सम्बद्ध हुए बगैर अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। वे कितने कुशल थे। अब निजीकरण प्रारंभ हो गया है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। यह अलग बात है। पिछले वर्ष की 18 जून के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले मंत्रीमण्डल तथा मंत्रालय ने इस इकाई के पुनरुद्धार का निर्णय लिया था। इसे बी०आई०एफ०आर० को सूचित किया जाना था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं माननीय मंत्री कि उस डैस्क के प्रभारी संयुक्त सचिव ने, मुझे नहीं पता जानबूझकर या अनजाने में, मंत्रीमण्डल के निर्णय का पालन नहीं किया और बी०आई०एफ०आर० को सूचित नहीं किया गया। इस प्रकार, बी०आई०एफ०आर० के पास कुछ माह प्रतीक्षा करने के पश्चात् कंपनी बंद करने का नोटिस देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। मैंने यह बात माननीय मंत्री, श्री बालासाहेब विखे पाटील को बताई। मैंने उन्हें कहा, 'देखिए, नौकरशाही कैसे काम कर रही है।' वे हैरान थे। आजकल यह सब हो रहा है।

यदि आप विभाग और न्यायाधिकरण की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में दर्शाये गए लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस विधेयक पर हम आपका समर्थन करते हैं। माननीय मंत्री यदि इन मुद्दों पर प्रकाश डालें तथा उचित स्पष्टीकरण दें तो मैं इनका आभारी हूंगा। कृपया डंपिंग-रोधी उपायों को कड़ाईपूर्वक लागू करना सुनिश्चित कीजिए, अन्यथा, मुझे चिन्ता है कि भारत का क्या होगा और ख़ासतौर पर हमारे औद्योगिक क्षेत्र का क्या होगा। पूरा उद्देश्य ही खतरे में पड़ जाएगा।

मैं, एक और मुद्दे पर माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। कृपया यह भी देखें कि कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संघ के नेताओं को न्यायाधिकरण में किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। परिभाषा का क्षेत्र व्यापक है। आप कह सकते हैं कि न्यायाधिकरण में अधिवक्ता मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; या सेवानिवृत्त उपसचिव मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा विधि मंत्रालय के संयुक्त सचिव मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु वे प्रभावित समूह के प्रतिनिधि नहीं हैं। मजूदर संघ के नेता प्रभावित ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए मजदूर संघ के नेताओं को महत्व प्रदान कीजिए और उन्हें न्यायाधिकरण में प्रत्यक्षतः सम्मिलित कीजिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं, यह विधेयक स्थाई समिति को भेजा गया था। स्थाई समिति ने उस पर गहन चर्चा की और अपनी सिफारिशें की। तदनुसार, अधिनियम में संशोधन लाए गए हैं, अब उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और पारित किया जाएगा।

देश के मौजूदा औद्योगिक परिवेश तथा वैश्वीकरण के परिवेश के मद्देनजर यह विधेयक स्वागत योग्य है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हमारे देश के कंपनी कानून और कंपनियों में सुधार किया जा रहा है, औद्योगिक परिवेश में सुधार किया जा रहा है। यह विधेयक मूलतः सुधारात्मक है। मैंने इसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कंपनी लॉ बोर्ड का नाम बदला जा रहा है और यह अब न्यायाधिकरण से रूप में जाना जा रहा है। इसके कारण अब यह विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों के कार्य तथा गतिविधियों पर गौर करेगा। इसलिए, यह बहुत ही अच्छा विधेयक है।

इन शब्दों के साथ, मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इसी लिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : यह स्टैंडिंग कमेटी में आया है।

श्री रूपचन्द पाल : स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया, क्या नहीं किया।

[अनुवाद]

यह मुझे नहीं बताया गया है। ...*(व्यवधान)*

मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इसमें इस प्रकार उल्लिखित है :—

''निगमित विधियों में नवीनतम विकास और अभिनव परिवर्तनों से यह अपेक्षित हो गया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 और कम्पनियों के परिसमापन से संबंधित अन्य संबंधित विधियों को इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप नया रूप दिया जाए। सरकार ने कम्पनियों के दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित विधि की परीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी० बालकृष्ण ईराडी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों से मिलकर बनायी गई थी।''

यह रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार और पुनर्वास की जांच करने के लिए नहीं था। यह तो कम्पनियों वे दिवालिएपन और बंद होने से संबंधित कानून भी जांच करने के लिए था।

कृपया जस्टिस ईराडी समिति के विचारार्थ विषयों पर गौर करके बताइए कि क्या इसमें पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए एक भी शब्द का प्रयोग किया गया है? मेरे विचार से इसमें पुनरुद्धार के बारे में एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है। बाद में भोले-भाले और निर्दोष लोगों को केवल यह दिखाने के लिए कि उनका पुनरुद्धार और पुनर्वास से कोई संबंध है, इस प्रकार की कुछ बातें शामिल कर दी गईं। मैं इसके लिए 'धोखा' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। इसकी तुलना में मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो भोले-भाले और निर्दोष लोगों को भी स्वीकार्य लगे। अतः, इस प्रकार इसे बाद में शामिल किया गया। किसी सिफारिशों के आधार पर जास्टिस ईराडी समिति गठित की गई?

इस विधेयक, जैसाकि यह तैयार किया गया है, का पुनरुद्धार और पुनर्वास से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरे, इसके साथ-साथ एक अन्य विधेयक है जिसपर इस स्थायी समिति द्वारा नहीं बल्कि एक अन्य समिति, जिसने कम्पनी कानून (संशोधन) विधेयक पर विचार किया था, द्वारा विचार किया जा रहा था। यह रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों (विशेष उपबंध) का निरसन विधेयक है। यद्यपि इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया है तथापि समिति ने अभी तक इस पर अपना विचार पूरा नहीं किया है। मुझे खेदपूर्वक इसका संदर्भ देना पड़ रहा है।

महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं। उस समिति की सिफारिश अभी प्राप्त नहीं हुई है। जबकि इसकी सिफारिशों को विधेयक में ऐसे ही ले लिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है? एक स्थायी समिति से एक विधेयक सौंपा गया है। एक अन्य स्थायी समिति ने कतिपय सिफारिशें की है जिन्हें निरसन विधेयक का विकल्प माना गया है। उसी स्थायी समिति द्वारा निरसन विधेयक पर अभी विचार किया जाना है।

उस स्थायी समिति की सिफारिशों को इस सभा के समक्ष लाया जा रहा है। यह तो इस सभा के अधिकारों और प्राधिकारों की अवमानना है। सभी स्थायी समितियां समान रूप से शक्तिशाली हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त है। किसी एक स्थायी समिति की सिफारिश किसी अन्य स्थायी समिति की सिफारिशों, जिन पर समिति द्वारा सभी विचार पूरा किया जाना है, से श्रेष्ठ कैसे हो सकती हैं? परन्तु इस मामले में ऐसा किया जा रहा है।

महोदय, मैं इस संबंध में एक अन्य विधेयक का उल्लेख करना चाहूंगा। 1997 में एक विधेयक था जिसका उद्देश्य बी०आई०एफ० आर० की खामियों को दूर करना और तंत्र को सुदृढ़ करना था। हम सभी जानते हैं कि बी०आई०एफ०आर० का क्या हुआ और किस प्रकार से बेईमान उद्योगपतियों ने बी०आई०एफ०आर० की धारा 22 का दुरुपयोग करते हुए अपनी इकाई को रुग्ण इकाई बना दिया और वे स्वयं तो धनी बन गए क्योंकि इस देश में कोई भी उद्योगपति कभी भी निर्धन नहीं हुआ बल्कि उसके उद्योग अवश्यक रुग्ण हुए हैं। सरकार के प्रतिनिधि भी बी०आई०एफ०आर की धारा 22 के दुरुपयोग में प्रत्यक्षरूप से शामिल हुए हैं। सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नामिती निदेशक इस घटिया ढोल में बार-बार लिप्त पाए गए हैं।

मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। डनलप इंडिया लिमिटेड में एल०आई०सी०आई०, यू०टी०आई०, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया आदि जैसे केन्द्र सरकार के वित्तीय संस्थानों का 34 प्रतिशत शेयर है। डनलप इंडिया लिमिटेड एक लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी थी। माननीय वित्त मंत्री यह भली-भांति जानते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने केवल इसी कम्पनी के उत्पाद विशेषकर टायर और ट्यूब खरीदे थे। उस समय माननीय प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि बंद की गई डनलप इंडिया लिमिटेड की इकाई के पास उपलब्ध सभी उत्पाद रक्षा बलों को उपलब्ध कराया जाये। ऐसे कामगार जिन्हें कई महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही थी, जिन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था, ने इस इकाई को चालू करके कारगिल संघर्ष के दौरान अपने उत्पादों को उपलब्ध कराकर सरकार के साथ सहयोग किया। रक्षा विभाग के अधिकारियों, जो उस समय वहां उपस्थित थे, ने उन उत्पादों की आपूर्ति में समय पर सहयोग करने के लिए भुखमरी के शिकार उन कामगारों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। परन्तु मुम्बई में हुई एक बैठक में, एल०आई०सी०आई० के नामिती निदेशक अनुपस्थित थे और उसी दिन, उन्होंने डनलप इंडिया लिमिटेड को एक रुग्ण कम्पनी के रूप में, जोकि वह नहीं थी, बी०आई०एफ०आर० को सौंप दिया गया।

महोदय, मैं ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख कर सकता हूं जिनमें वित्तीय संस्थानों के नामिती निदेशकों, कतिपय अन्य सरकारी एजेंसियों के नामिती निदेशकों ने कम्पनी के लोगों के साथ मिलकर बी०आई० एफ०आर० की धारा 22 का दुरुपयोग किया हो। बेशक, उस समय श्री जसवंत सिंह, वित्त मंत्री नहीं थे परन्तु सरकार तो एक अनवरत संस्था है। मैं यह उल्लेख करना नहीं चाहूंगा कि उस समय किसकी

[श्री रूपचन्द पाल]

सरकार थी। गत कई वर्षों में बी०आई०एफ०आर० के कितने पीठ गठित किए गए हैं ? क्या ऐसा एक भी अवसर आया है जब मामलों पर विचार करने हेतु सभी खंडपीठों में मंडल के सभी सदस्य रहे हों ? नहीं। गत दो अथवा तीन वर्षों के दौरान केवल एक ही सदस्य कार्यरत रहे और पिछले कई माह से एक भी सदस्य कार्यरत नहीं हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? क्या इसके लिए कामगार जिम्मेवार हैं ?

कम्पनियों के प्रबंधन, सरकारी प्रतिनिधियों की मिलीभगत से बी०आई०एफ०आर० की धारा 22 का दुरुपयोग करते हुए लाभार्जक कम्पनियों को रुग्ण कम्पनी के रूप में घोषित कर रहे हैं। सरकार आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने में विफल रही है, कामगारों को भुगतना पड़ रहा है परन्तु कम्पनियों को बंद करने हेतु विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

अपराह्न 03.00 बजे

यह किसे मिलेगा ? कभी-कभी अधिकारिक परिसमापक कोई और ही होता है। इसके संचालक एजेंट आई०डी०बी०आई० अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्थान हो सकते हैं। अब निजी परिसमापक आयेंगे। निजी परिसमापक वही लोग हैं जिन्होंने अपनी कम्पनी को रुग्ण बना दिया है और अब वे स्वयं परिसमापक बन जाएंगे। वे स्वयं इन सबको खरीद लेंगे। वे इसे 'निगमित सुधार' (कारपोरेट रिफार्म) कहते हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : उनके बच्चों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में नौकरी मिल जाएगी।

श्री रूपचन्द पाल : निगमित शासन एक क्षेत्र है। क्या उन्होंने कभी-भी इस पर विचार किया है ? कम्पनी कार्य विभाग देश में कम्पनियों का विनियामक है। यह संलग्नक है। यह केन्द्र सरकार का एक हिस्सा है। इससे पहले यह किसी अन्य मंत्रालय के साथ था। लम्बे विचार-विमर्श, मुकद्दमेबाजी और आपसी संघर्ष के बाद अब यह वित्त मंत्रालय के साथ जुड़ गया है।

ऐसा क्यों है ? इसे पूर्णकालिक विनियामक बनाया जाये। इसका कार्यकरण पारदर्शी होना चाहिए। परन्तु इसकी बजाय यह खराब कार्यकरण वाली कुछ चुनिंदा कम्पनियों के मामले में पक्षपात कर रहे हैं। इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है ? इसमें गड़बड़ी है। उनके तुलन पत्र में गड़बड़ी है। तुलन पत्र के दो सेट हैं। एक कम्पनी से निधियों को निकालकर दूसरी कम्पनी में लगाया जा रहा है। ऐसा हुआ है। मैं जानता हूं कि कम्पनी कार्य विभाग को कई पत्र प्राप्त हुए हैं। कभी-कभी उस विभाग ने उत्तर नहीं दिया है। इसके लिए मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं न कि किसी एक मंत्री पर। सरकार तो निरन्तर चलने वाली संस्था है। कम्पनी कार्य विभाग ऐसे मामलों में देश में सर्वाधिक भ्रष्ट कम्पनियों को संरक्षण प्रदान करने में लिप्त रहा है। उसकी पहुंच प्रधान मंत्री कार्यालय तक रही है। एक प्रतिष्ठित नौकरशाह ने दो बड़े उद्योग घरानों के बारे में 'आर०एच० फैक्टर' के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सभी मामलों में प्रधानमंत्री कार्यालय में ही निर्णय लिए जा रहे हैं। छोटी मछली को निगला जा रहा है। लघु उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह मेरी टिप्पणी नहीं है। इस सभा में सभी सदस्य इससे सहमत हैं। तेल क्षेत्र किसको मिलेगा ? लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार क्षेत्र पर एकाधिकार किसका रहेगा ? लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं : "सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार बहुत गलत बात है। निजी क्षेत्र का एकाधिकार अच्छी बात है।" क्या इस विधेयक से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ? नहीं, कभी नहीं क्योंकि रुग्णता के वस्तुतः दो मुखौटे हैं। एक बाह्य रूप है जिसपर वह नियंत्रण नहीं रख सकता है। इसमें इसकी क्षमता है। इसकी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी मांग में कमी है। हम विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गए हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे बाजार में कम गुणवत्ता वाले उत्पादों की भरमार है। अतः, हमारे लघु उद्योग, मझोले उद्योग इस्पात क्षेत्र और भारी उद्योग के मामले में बाह्य कारण हैं। प्रौद्योगिकी बदल रही है। बाजार संकल्पना बदल रही है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद हमारे बाजारों में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। इसके परिणामतः क्या हो रहा है ? हमारे उद्योग रुग्ण हो रहे हैं। कुछ उद्योग तो सरकार की आर्थिक नीति के कारण रुग्ण हैं। कुछ उद्योगों को उनके मित्रों ने रुग्ण बना दिया है। कुछ उद्योगों को उनके एजेंटों के सहयोग द्वारा रुग्ण बनने में सहायता की जाती है। अब वे उन्हें बंद करने का निर्णय ले रहे हैं।

मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें सरकार ने नामितियों ने सहयोगकर्ता के रूप में कार्य किया है और जहां कम्पनी कार्य विभाग ने लेखा मानकों की गहराई से जांच करना उचित नहीं समझा। अब वे कह रहे हैं : कि "हम लेखा मानकों को उत्कृष्ट बनाएंगे।" परन्तु यह कौन नहीं जानता है कि इस देश में औद्योगिक घरानों के पास तुलनपत्र के दो अथवा तीन सेट होते हैं ? एक वित्तीय संस्थानों को देने के लिए होता है। वे धन लूट रहे हैं परन्तु इसका पुनर्भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन सबके बाद वे कहते हैं कि एक निकाय अच्छा होगा।

बी०आई०एफ०आर०, ए०ए०आई०एफ०आर०, कम्पनी कानून बोर्ड और उच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्वों को एक निकाय में केन्द्रित किया जायेगा। कितनी अच्छी बात है। एक इकाई बहुत अच्छी बात है, परन्तु यू०टी०आई० के मामले में यू०टी०आई०-एक और यू०टी०आई०-दो के रूप में बंटवारा-करना अच्छी बात है। साधारण बीमा, जो लाभ कमा रही है, के मामले में दो हिस्सों में बंटवारा करना अच्छी बात है क्योंकि इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, उनके मित्रों को लाभ मिलेगा।

यहां एक निकाय कार्य नहीं कर सका और अब उनके पास एक 62 सदस्यीय बोर्ड है। वे 10 या 15 सदस्य नहीं दे सके थे लेकिन अब उनके पास भारत जैसे देश के लिए, इसके विभिन्न हिस्सों के लिए 62 सदस्यों का एक बोर्ड है। उन्होंने एक 62 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : वह नौकरशाहों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजना है।

श्री रूपचन्द पाल : अब अनेक एक हो जाएंगे। यह एक दार्शनिक सी बात है। क्या लाभ है। मैं एक निश्चित समयावधि की तुलना कर रहा हूं। एस०आई०सी०ए० के अन्तर्गत समयावधि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन हेतु — दो से तीन माह; संचालक एजेंसियों की सहायता से पुनर्वास हेतु योजना के कार्यान्वयन की तैयारी हेतु — एक माह; प्रारूप योजना — तीन से छह माह; कुल–12 से 22 माह; और कुल दिया गया समय है 390 दिन। मेरे विचार से, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 390 दिन एक वर्ष से अधिक होते हैं। वे कैसे गणना करते हैं ? यह भी आश्चर्यजनक है। यह सरल सा गणित है। मुझे नहीं पता कि इस सरकार का क्या करने का विचार है। मैं पूर्णतया भ्रमित हूं। उनके अपने सहयोगी ही उनके विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं कि वे अपने ही लोगों को पीट रहे हैं।

विनिवेश की प्रक्रिया के संबंध में उनके अपने मंत्री ही आगे आकर यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और वे उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह सरल सा गणित है और वे इस प्रकार गणना कर रहे हैं। मैं वास्तव में हैरान हूं। इसके अतिरिक्त, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वे ही यह सरकार चला रहे हैं या नहीं।

वे एक कोष स्थापित करना चाहते हैं जिसकी स्थापना उपकर लगाकर की जाएगी। यह किसके लिए है ? यह रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की सम्पत्तियों को पुनरुजीवित करने व इनका पुनर्वास करने हेतु है। यह उपकर .005 प्रतिशत से कम नहीं है। वे इस कोष का प्रबंधन करेंगे। उनकी नीतियों के कारण 4 लाख से अधिक इकाइयां रुग्ण हो गई हैं। गलत कार्यकरण, कुप्रशासन, बेईमान संचालकों और प्रवर्तकों के साथ मिलकर जालसाजी आदि कारणों से रोज नई–नई कंपनियां रुग्ण हो रही हैं।

हमारा कहना यह है कि इसपर पारदर्शी तरीके से विस्तार से चर्चा की जाए। रुग्णता के कारणों का पता लगाया जाए। इनमें से कुछ कारण, इनकी गलत नीतियों के कारण, बाहरी हैं जैसे विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताएं और मंदी आदि। प्रत्येक इकाई को सही और समय पर सहायता दी जानी चाहिए। हमने देखा है। मैं आपको दो–तीन उदाहरण दे सकता हूं। तीन बैंकों अर्थात् द इंडियन बैंक, द युनाइटेड कमर्शियल बैंक और युनाइटेड बैंक को रुग्ण बैंक माना गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आपके दल को केवल सात मिनट दिए गए हैं और आप उससे तीन गुना अधिक समय ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह कहा गया है। जिन्हें रुग्ण माना गया यदि उन्हें सही और पर्याप्त सहायता दे दी गई होती तो वे बेहतर परिणाम देते। उल्लेखनीय कारोबार करने के मामले आए हैं। अत: प्रत्येक इकाई को उसके गुणावगुण के आधार पर वरीयता दी जानी चाहिए।

उन्हें यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए। बल्कि उन्हें वापस जाकर 1997 के विधेयक के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए। उन्हें एस०आई०सी०ए० निरसन विधेयक के संबंध में एक अन्य स्थायी समिति की सिफारिश आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस सिफारिश को जैसे अब लिया जा रहा है उस प्रकार नहीं लिया जाना चाहिए।

मैं पुन: इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस देश के श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए और इस देश के उद्योगों के हित का ध्यान रखते हुए उन्हें इस प्रकार का विध्वंसकारी कानून नहीं बनाना चाहिए।

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्पनी (संशोधन) विधेयक को औद्योगिक विकास में हुए विभिन्न परिवर्तनों और देश में मौजूद विभिन्न आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहलुओं की स्थितियों में सुधार सुनिश्चित करने हेतु सरकार के सतत् प्रयास के एक भाग के रूप में लाया गया है।

हाल ही में हमने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन विधेयक पर भी चर्चा की थी। उसे इसलिए लाया गया था क्योंकि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास अत्यधिक गैर–निष्पादनकारी आस्तियां संचित हो गई थी। यहां तक कि उस समय भी मैंने ऐसा होने के कारणों का उल्लेख किया था, उद्योगों के रुग्ण होने और इसे कैसे हल किया जाए, इसका भी उल्लेख किया था। यह केवल इसी देश का मामला नहीं है अपितु यह विकासशील देशों सहित दुनियाभर में हुआ है। मेरे विचार से, इसी कारणवश माननीय वित्त मंत्री जी यह विधेयक लाए हैं। यह सकारात्मक कदम है लेकिन अभी भी हमें दूर तक जाना है। यहां तक कि बी०आई०एफ०आर० और ए०ए०आई०एफ०आर० भी आज हमारे समक्ष आ रही इस समस्या का हल निकालने में असफल रहे हैं।

लेकिन एक शीर्ष निकाय के रूप में *राष्ट्रीय विधि अधिकरण* की स्थापना, जो कि एक सकारात्मक कदम है, का उद्देश्य यह है कि औद्योगिक रुग्णता के विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसे कैसे सरल तरीके से किया जाए और कैसे इसका हल निकाला जाए। लेकिन इसके लिए वित्तीय संस्थाओं में बहुत निपुणता की आवश्यकता है। ऋणदाताओं को भी किसी परियोजना विशेष में हानि उठाने से पूर्व

[डा० बी०बी० रमैया]

ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उनका उचित मार्गनिर्देशन कर सकें। उससे हमें मदद मिलेगी। ये वे लोग हैं जिन्हें पहले करने में सक्षम होना चाहिए। ये वे लोग होंगे जो यह देखेंगे कि अधिकरण के पास जाने की अपेक्षा क्या इसका हल विलय या सहयोग के माध्यम से कहीं आसानी से किया जा सकता है।

अपराह्न 3.12 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

निश्चित रूप से हम इस अधिकरण के लिए जो भी कानून बनाएंगे वह बहुत समय लेगा। इससे विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से बहुत विलंब होगा और उद्योग के पुनरुद्धार में बहुत समय लगेगा। तथापि, मैं यह महसूस करता हूं कि हमने विभिन्न पहलुओं से बहुत उदारीकरण किया है, जैसे शेयर बाजार का नियंत्रण एस०ई०बी०आई० (सेबी) के हाथों में है जो कि एक अलग संगठन है। इससे कम्पनी लॉ बोर्ड का कार्यभार कम होगा। अत: वे केवल उद्योग के विकास संबंधी पहलु पर अधिक तत्परता से ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे। इसे सरल तरीकों पर अधिक जोर देना चाहिए। इसे इन सब चीजों को और अधिक बेहतर बनाने हेतु पहल करनी चाहिए।

मैं जानता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि हम व्यर्थ क्षमता और बेरोजगारी न बढ़ाएं अपितु देश के विकास के हित में संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। निश्चित रूप से हम सभी एक अन्य मद के बारे में बात कर रहे हैं जिसे 'सहकारी-बैंक' कहते हैं। खैर, समितियां भी कम्पनियों की कानून व्यवस्था का अंग बनना चाहती हैं और वे अन्य चीजें भी चाहती हैं। वह भी एक साधारण संशोधन की भांति आ रहा है। अन्य बहुत सी चीजें आ रही हैं। लेकिन चाहे जो हो, यह एक अगला कदम है और हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं।

जैसा कि अन्य माननीय संसद सदस्यों ने कहा, इसके संबंध में अन्य सिफारिशें हैं। हमें उन सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ेगा।

जैसा कि श्री रूपचन्द पाल ने कहा वैश्वीकरण या विश्व व्यापार संगठन का इससे संबंध है। लेकिन प्रत्येक कदम को आगे ले जाना है। हम दुनिया में अकेले नहीं पड़ रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में, जब हम शेष विश्व के साथ आगे बढ़े हैं तो हमें कुछ समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। इन्हें हल करने, हमारी परिस्थितियों के अनुसार इन्हें ढालने हेतु हमें सकारात्मक दिशा में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। तथापि, हमें यही करना चाहिए। शायद कुछ कमियां हैं। मंत्रालय और सरकार का काम इन्हें तदनुसार संसद के समक्ष लाना है। अधिकाधिक संशोधन करने के बाद उन्हें यह लगेगा कि वे इसे विनियमित कर सकते हैं। देश के बेहतरीन विकास में आने वाली खामियों को यथासंभव दूर किया जा सकता है। मैं पुन: माननीय वित्त मंत्री जी को यह कानून लाने पर धन्यवाद देता हूं। अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। हमें बहुत से कार्य करने पड़ेंगे। मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 सदन में प्रस्तुत किया है। यह विधेयक एक कमेटी में विचारार्थ लम्बित था और उस कमेटी ने अनुशंसायें की हैं, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इससे अगला विधेयक है, जिस पर सदन में विचार होना है, वह है — कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001। कम्पनी कानून में काफी जंजाल है और हेरा-फैरी हो रही है, लेकिन अब भेद खुलेगा। माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि कम्पनी के मामले में हेरा-फैरी से बचने के लिए श्री बालकृष्ण इरेडी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, अनुशंसायें की हैं, उनके अनुसार काननू में संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

इस बिल के संबंध में माननीय सदस्य, श्री रूपचंद पाल जी ने सभी कागज-पत्रों को देखा है, लेकिन उन कागजों में रिवाइवल की बात ही नहीं है। ये कम्पनी वाले धनपशु लोग हैं, जो जाली कम्पनियां बनाकर, दिवालिया निकाल कर और बैंक से पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि मामला बी०आई०एफ०आर०, ए०ए०आई०एफ०आर०; एस०आई०सी०ए० आदि विभिन्न जो संस्थायें हैं, उनमें विचार के लिए गया है, लेकिन इन संस्थाओं ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। यह सवाल बराबर उठाया गया है कि बी०आई०एफ०आर० को बन्द किया जाए, कारण यह कि वर्कर्स मरते रहते हैं, उनको भुगतान नहीं होता है। आफिशियल लिक्विडेटर बहाल कर दिया है और मामला बरसों तक चलता रहता है। कोर्ट में भी लोग परेशान होते रहते हैं। मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक लाख 21 हजार हाई कोर्ट में 3.4 मिलियन यानि 30 लाख 40 हजार केसेज पैंडिग हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों में गत पांच वर्षों से 20 मिलियन मामले लंबित हैं। प्रक्रिया में सुधार करके न्यायिक प्रणाली को सुचारू बनाना पड़ेगा। प्रक्रियाओं को छोटा करना पड़ेगा और एक निर्धारित समयावधि में न्याय देने की प्रविधि अपनानी पड़ेगी।

[हिन्दी]

कम्पनियां सिक हो जाती हैं, दिवालिया घोषित कर देती हैं और वाइंड-अप करने के लिए प्रोसैस शुरू हो जाता है। स्थिति यह होती है कि कामगारों को वेतन नहीं मिला होता है और जब मामला कोर्ट में जाता है, तो कामगार भुखमरी के शिकार हो जाते हैं और केस का निष्पादन नहीं होता है। मामला कोर्ट में लम्बित रहता है। अब सरकार ने दावा किया है कि इरेडी कमेटी ने जो अनुशंसायें की हैं, उनसे कम्पनी को रिहैबिलिटेट करेंगे। यह भी कहा गया है कि यह वर्कर्स के हित में भी होगा। ''विष कुम्भम् पयोमुखम'' – ऊपर से तो मीठी-मीठी चीज लगती है, लेकिन भीतर उसके विष है। सरकार ने दावा किया है कि इस विधेयक के पास होने से रिहैबिलिटेशन हो जाएगा। स्थिति यह है कि सरकारी कम्पनियों को रिवाइव करने के बजाए बेच रहे हैं। इस संबंध में रोज सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वर्कर्स के इन्टरैस्ट में यह विधेयक लाया गया है। जब भी सरकार से कहा गया कि कामगारों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो यही जवाब दिया जाता रहा है कि मामला बी०आई०एफ०आर० को भेजा गया है। बिहार में शुगर मिल कार्पोरेशन के अधीन चीनी मिलें हैं और केन्द्र के अधीन भी कुछ मिले हैं, अब दोनों के लिए प्रावधान किया गया है कि केन्द्र का आदेश लागू होगा।

वहां 15 चीनी मिलें वर्षों से बंद हैं। लोग मरने लगे, इसलिए वे कोर्ट में गए। कोर्ट ने सरकार से, कार्पोरेशन से कहा कि वेतन भुगतान कीजिए, अन्यथा वाइंड अप का प्रोसिज़र होगा। यह 1997 में हुआ। उसके बाद भी जब कार्यवाही नहीं हुई तो कोर्ट ने कहा कि कंटेम्प्ट करेंगे। फिर जल्दी जल्दी में उस पर लिख दिया गया, उसे वाइंड अप किया और ये लोग बेखबर हो गए। उधर उसे आई०डी०बी०आई० और आई०एफ०सी०आई० रिहेबिलिटेट करने के लिए कार्यवाही कर रही थी। लिखा-पढ़ी हो रही थी, शर्तों का निर्धारण हो रहा था कि किस आधार पद बंद चीनी मिलों को चालू किया जाए। अब इनमें भी दो तरह के आदेश हैं। किसान चाहते हैं कि इसे चालू होना चाहिएं और उसमें जो कार्यरत मजदूर हैं, उनका भी कार्य चालू रहना चाहिए तथा उन्हें वेतन मिलतना चाहिए, यानी दोनों के इंटरस्ट पर कुठाराघात हुआ। यह किस लिए रिवाइव होगा, वह वाइंड अप में चला गया। 10-12 वर्ष वाइंडिंग में लगते थे। इन्होंने दावा किया है कि लॉ में दो वर्ष के अंदर इसे वाइंडअप कर देंगे और उसका सब प्रोसिजर पूरा कर देंगे। इन्होंने 62 सदस्य रखे हैं, जो नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाएंगे। इसमें मल्टीनेशनल्स का भी दबाव था कि जल्दी करिए। रिपोर्ट आई है कि मल्टीनेशनल का दबाव था कि जल्दी करिए। फिक्की वाले बेचैन थे। सी०आई०आई०, एस्सोचेम, सारे लोग दबाव डाल रहे थे कि जल्दी कीजिए। सब लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की और आप लोगों ने भी खुशी जाहिर की। महोदय, ये अब कहते हैं कि हम रिहेबिलिटेशन के लिए फंड भी रखेंगे। एम्स एंड ऑब्जैक्ट्स में जो कुछ कहा गया है, वह यदि हो जाए तो खुशी की बात है। लेकिन हम लोगों को इस पर पूर्ण संदेह है कि किस आधार पर औने-पौने दाम में, बिना ट्रांसपेरेंसी के सरकारी कम्पनियां बेच रहे हैं। उस पर हम लोग एजिटेट कर रहे हैं और जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, वे कितनी हेरा-फेरी करके एन०पी०ए० में रन कर रही है। कुछ रुपया मार दिया या कोई अन्य बात हो गई तो उसका नाम बदल दिया। उसका नाम एवं बोर्ड दूसरा, तीसरा हो गया। कम्पनी लॉ में बड़ा भारी जंजाल है। अगर ये पहले ही दिवालिए वाला कानून लाएंगे, सिका, बी०आई०एफ०आर० वाला कानून खत्म करेंगे, उसमें जो प्रोसिजर है, सिक इंडस्ट्रिल एक्ट में जो प्रावधान है, उन सब को खत्म करने का दावा किया कि हम इन सब को खत्म करेंगे और नया नेशनल कम्पनी लॉ बोर्ड बनाएंगे, जिसमें 62 सदस्य होंगे। उसमें बैंच वगैरह भी होता है। इन्होंने दावा किया है, लेकिन हम लोगों को इसमें बहुत आशंका लगती है। इराडी साहब रिपोर्ट दे गए और इन्होंने उसे अपनाया। हम लोग चाहते हैं कि सरकार सही मायनों में बताए कि जो कम्पनियां दिवालियां हो गईं, वे क्यों हुईं। क्या हेरा-फेरी हुई और उसमें क्या गड़बड़ी हुई ? उसके कारणों का समाधान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसके कारणों का समाधान हो, उसका मैनेजमेंट दुरूस्त हो तथा उस पर ये ठीक ढंग से चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसे बेचने का काम ये लोग शुरू करा देते हैं। जैसे गांव वगैरह में हम लोग देख रहे हैं कि जब गरीबी आदि आती है तो वे अपने खेत बेचने लगते हैं, वही इस सरकार का धंधा हो गया है। इसलिए हम लोगों को पूरा संदेह है।

महोदय, मंत्री जी सदन को साफ तौर पर बताएं कि आप रिहेबिलिटेशन कैसे कराएंगे ? सब कम्पनियां हेरा-फेरी कर रही हैं, उन पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे ? जो कम्पनी दीवालिया हो गई, सिक कम्पनी बी०आई०एफ०आर० में गई, ये सब खत्म होने में दो वर्ष लगेंगे तो वर्कर्स का कैसे भला होगा। दो वर्ष तक उसका वेतन बंद रहेगा तो वह कैसे खाएगा। जो वेतन भोगी लोग हैं उन्हें अगर एक महीने वेतन नहीं मिलता तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये कहते हैं कि हम 12-15 वर्ष की अवधि कम करके दो वर्ष लाएं हैं, लेकिन इसमें भी हम लोगों का संदेह है कि क्या वर्कर्स का हित हो पाएगा। जो दीवालिया कम्पनी और सिक यूनिट हो जाती है, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए।

कारणों की जांच में सावधानी बरतनी चाहिए और जिन उद्देश्यों के लिए कंपनियों का गठन होता है वे उद्देश्य पूरे होने चाहिए। आज हालत यह है कि वे उद्देश्य पूरे नहीं होते और देश का पैसा लूटा जाता है। इन सभी बातों को माननीय मंत्री जी साफ तौर पर बताएं, नहीं तो हम इसका भारी विरोध करेंगे। मजदूरों के रिहैबिलिटेशन और बेरोजगारी की समस्या के बारे में भी मंत्री जी बताएं कि वे इसे कैसे

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

दूर करेंगे। होना यह चाहिए कि रोजगार बढ़े, उत्पादन बढ़े और देश तरक्की करे।

अभी माननीया रेणुका चौधरी जी ने बताया कि चीन से सामान सस्ते मूल्य पर आयात होकर आ रहा है। जब बाहर का सामान सस्ता मिलेगा तो देश का लघु उद्योग मर जाएगा। देश के छोटे और मझौले उद्योग फिर कैसे बचेंगे ? चीन से आने वाली, गणेश जी की, बिजली से चमकने वाली मूर्ति 50 रुपये में मिल रही है जबकि देश में बनने वाली मूर्ति 500 रुपये मे मिलती है। अगर ऐसा होगा तो यहां पर लघु उद्योग मर जाएगा। इन सब बातों पर मंत्री जी प्रकाश डालें और हमें साफ-साफ तौर पर बताएं।

सभापति महोदया : महिलाओं की बिंदी भी चीन से आ रही है।

श्री खारबेल स्वाइं, आपको शीघ्रतापूर्वक अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास समय कम है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदया, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहूंगा। वास्तव में, मैं चाहता था, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अनुरोध किया था, कि इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाए। मैं इस विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं।

महोदया, आप माननीय श्री रूपचन्द पाल और माननीय डा० रघुवंश प्रसाद सिंह का भाषण सुन चुकी हैं। वे किसी बात में विश्वास नहीं करते। उन्हें हर बात में केवल षडयंत्र ही दिखाई देता है यदि आप उनके भाषणों को देखें तो आपको उनमें एक भी सुझाव नहीं मिलेगा। सभी बातों पर संदेह व्यक्त किया गया है। अब चूंकि यह विधेयक इराड़ी समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है, और स्थायी समिति इसे अनुमोदित कर चुकी है, ऐसा हो सकता है — जैसा कि माननीय श्री रूपचन्द पाल जी ने आरोप लगाया — कि इराड़ी समिति के निदेश पदों में पुनर्वास के संबंध में कोई उल्लेख न हो लेकिन मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में से उल्लेख करूंगा। इस कथन के मेरा 3(दो) में लिखा है :

> ''सभी पक्षकार अधिकरण के आदेशों से आबद्ध होंगे और पुनरुजीवन/पुनर्वास आदि के लिए किसी कार्यक्षम प्रस्ताव के उपलब्ध न होने की दशा में अधिकरण विषय का गुणदोषों के आधार पर विनिश्चय कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत उसकी अपनी स्कीम पुर:स्थापित करना भी है।''

इसका अर्थ है कि यदि कोई उद्यमी या उस कम्पनी का मालिक, जो कि बंद होने जा रही है नये एन०सी०एल०टी० के पास जाता है, तो उसे एक पुनरुद्धार प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अत:, इस विधेयक में पुनरुद्धार प्रस्ताव की बात सबसे महत्वपूर्ण है। अत:, यह कहना कि इस विधेयक में पुनरुद्धार प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सही नहीं है। इस विधेयक में सब कुछ है। यह विधेयक विशेष रूप से उसी उद्देश्य हेतु है।

अब, मैं अंतिम बात कहता हूं। आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को देखिए। आप आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या जापान में प्रचलित व्यवहार को देखिए तो आप यह पाएंगे कि पुनर्वास स्वरूप नौकरी और बंद करने का कार्य दोनों को इकट्ठा रखा गया है। एक संस्था इन दोनों बातों को देखती है। इसकी तुलना भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विभाजन से नहीं की जानी चाहिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मामला पूर्णतया अलग है। हम जिस मामले पर अभी विचार-विमर्श कर रहे हैं, वह उससे बिल्कुल अलग है।

इसलिए यदि एक संगठन, पुनर्वास और साथ ही उन्हें बन्द करने का कार्य देखे तो वह बी०आई०एफ०आर० जैसे संगठन से बेहतर कार्य कर सकता है। इसलिए मैं इस विधेयक से पूर्णत: सहमत हूं। नई एन०सी०एल०टी० में कंपनी कानून बोर्ड, बी०आई०एफ०आर०, ए०ए०आई०एफ०आर० और उच्च न्यायालय सम्मिलित होंगे। और मैं इससे भी सहमत हूं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो शत प्रतिशत पूर्ण हो।

उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं जिनका पता भविष्य में लगाया जा सकता है और उन्हें सुधारा जा सकता है परंतु मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि एन०सी०एल०टी० का भी वही हश्र होगा जैसा बी०आई०एफ०आर० का हुआ जो कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा।

मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यदि इसमें कहीं कुछ कमियां भी होगी तो भविष्य में वित्त मंत्री इन पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदया, आदरणीय मंत्री महोदय कम्पनी अफेयर्स के बारे में जो बिल लाए हैं, मैं शिवसेना की ओर से उसका समर्थन करता हूं। इस बिल पर स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हुई थी इसलिए यहां इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ बातों का कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमैंट को ख्याल करना चाहिए। कोई भी कम्पनी फॉम होती है वह चलती है या नहीं उस पर कंट्रोल केन्द्र सरकार का तो होता है लेकिन उस पर केन्द्र सरकार का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। बहुत से लोग कम्पनियां बनाते हैं, वहां फर्जी डायरेक्टर रखते हैं। वे लोगों को लुभाने के लिए तरह-तरह की बातें करते हैं। फिर दूसरी कम्पनी बना

लेते हैं। जो कम्पनियां लिक्विडेशन में आती हैं, उनके बारे में यहां कई बार चर्चा हुई। जो कम्पनियां लिक्विडेशन में आती हैं, उनके सामने तीन-चार समस्याएं आती हैं। वहां कभी कामगार की समस्या आती है, कभी भाई-भाई का झगड़ा होता है, कभी डायरेक्टर्स में झगड़ा होता है, कभी रॉ-मैटिरियल नहीं मिलता, कभी-कभी उनका सामान सेल नहीं होता है।

अभी सभापति महोदया ने बताया कि बिंदी भी चीन से आ रही है जो बड़ी चिन्ता की बात है। डब्ल्यू०टी०ओ० पर हस्ताक्षर करने के कारण हमारी कम्पनियां बंद होती जा रही हैं। इसमें भी गड़बड़ करने वाली कई कम्पनियां हैं। वे चार-पांच अलग-अलग कम्पनियां बना लेते हैं। मेरा चुनाव क्षेत्र में एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया नाम की एक कम्पनी है। इसके चेयरमैन और मैनजिंग डायरेक्टर फिक्की के बड़े पदाधिकारी हैं। कल हमारे मंत्रीगण वहां जाने वाले हैं। उस कम्पनी का प्रोडक्ट मनॉपली आइटम्स है। क्लच और ब्रेक का मनॉपली आइटम्स होने के बाद भी उन्होंने कहा कि कम्पनी लॉस में जा रही है। वहां के बहुत से कामगार बेकार हो गए हैं। उस कम्पनी ने जिन अधिकारियों को 7-8 हजार रुपये महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, केवल एक हजार रुपए ही मिल रहे हैं। हमने इस बारे में कई बार मंत्री जी से आग्रह किया। आदरणीय मनोहर जोशी जब उद्योग मंत्री थे, हमने उनसे भी इस बारे में कहा था और उन्होंने फोन भी किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका ऐसी कम्पनियों पर कंट्रोल रहेगा या नहीं ? यदि ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया कम्पनी लॉस में होगी तो उसकी सिस्टर कनसर्न में जो डायरेक्टर्स होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी या नहीं ? इस पर कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमैंट का कंट्रोल होना चाहिए। बी०आई०एफ०आर० में जाने के बाद भी केस चलता रहता है। इसमें इतनी अधिक समस्याएं हैं। वे फर्जी कम्पनियां और डायरैक्टर्स बनाते हैं जबकि उनकी सिस्टर कनसर्न अच्छी चल रही है। ...*(व्यवधान)* पेपर्स में दिखाते हैं कि कम्पनी लॉस में है और कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इससे कामगार बेकार हो जाते हैं। उनकी सिस्टर कनसर्न कम्पनियां जो प्रॉफिट में हैं, वे वहां से पैसा नहीं निकालते हैं लेकिन एक और कम्पनी निकालने के समय प्रॉफिटेबल कम्पनी के शेयर उसमें डालते हैं। वे कैसे डालते हैं ? इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए।

कामगारों के बारे में जो सवाल रूपचन्द पाल जी और रघुवंश बाबू ने उठाया, उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। कम्पनियों के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वे लॉस दिखा देते हैं। अफसरों के बंगलों, रहन-सहन और पार्टियों का खर्चा बहुत अधिक होता है। वे ऑफिसर्स को पार्टियां रोज-रोज देते हैं। मैं यहां माननीय मंत्री जी का बहुत अभिनन्दन करूंगा। हम मराठवाड़ा की एक इंडस्ट्री की एसोसिएशन के कार्यक्रम में उनको ले जाने वाले थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि अभी बजट की तैयारी चल रही है। हमारे इतने अच्छे मंत्री हैं। उन्हें इन सब बातों के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे अफसरों को निर्देश देना चाहिए। जो फर्जी कम्पनियां लाकर उसे लॉस में लाते हैं, उनके डायरेक्टर वही होते हैं, जो प्रॉफिट वाली कम्पनी के होते हैं, और इसमें बैंकों को भी बहुत लोग डुबा देते हैं। ऐसे डायरेक्टर्स पर कम्पलीटली अंकुश लगना चाहिए और उनकी प्रोपर्टी वगैरह सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्यों का उनके द्वारा प्रकट किए गये विचारों के लिए आभारी हूं। आरंभ में ही मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि इस विधान पर स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद ही हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं स्थायी समिति की सिफारिशों में से दो भागों को पढ़ना चाहूंगा। स्थायी समिति में सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। प्रतिवेदन सर्वसम्मत है, इसलिए मैंने जो विरोध का स्वर सुना उससे मैं थोड़ा निराश हुआ हूं क्योंकि स्थायी समिति की यह सिफारिश थी कि सुझाये गये संशोधनों और साथ ही सरकार द्वारा सहमत संशोधनों को शामिल करने के बाद ही विधेयक पारित किया जाए। जैसा कि मैंने पुरःस्थापना के वक्त कहा था कि, हमने उन में से कुछ संशोधनों को शामिल कर लिया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि समिति में विचार-विमर्श के दौरान जितने भी मूलभूत मामले उठाए गये थे, उन पर सरकार समुचित ध्यान देगी। सरकार ने उन मामलों पर पूर्ण रूप से विचार किया है।

सभापति महोदया, मैं उठाये गये मामलों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। श्री दासमुंशी ने यह सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि क्या श्रमिकों को प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु कोई प्रावधान है। मजदूर संघों से संबंधित स्पष्ट रूप से कोई भी प्रावधान नहीं है। मेरे विचार से अभी विधेयक पर्याप्त रूप से स्पष्ट है और नियम बनाते समय यदि किसी अतिरिक्त स्पष्टता की आवश्यकता होगी तो उसे भी किया जायेगा।

जहां तक चीन से अनुचित प्रतिस्पर्धा और साथ ही वस्तुओं को डम्प करने का सम्बन्ध है – यह शब्द अनेक माननीय सदस्यों ने इस्तेमाल किया है – मैं यह बात बता दूं कि पहले तो हमारे यहां डम्पिंग विरोधी प्रावधान हैं; और ये प्रावधान पर्याप्त रूप से प्रभावी हैं। यदि आप चीन और भारत के मध्य व्यापार के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि वास्तव में चीन से भारत को जितना आयात हो रहा है उससे अधिक भारत से चीन को निर्यात किया जा रहा है। यह पूर्णतः संभव है कि नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी जिनसे हमारी सीमाएं खुली हुई हैं वहां से इस संबंध में कुछ गैर-कानूनी व्यापार हो रहा हो। परंतु इस प्रकार के गैर-कानूनी व्यापार पर रोक लगाई जा रही

[श्री जसवंत सिंह]

है। और इसी कारण से जिसे अनुचित प्रतिस्पर्धा कहा जा रहा है, हमें आशा है कि अगले सप्ताह हम प्रतिस्पर्धा विधेयक लाएंगे। यदि प्रति-स्पर्धा उचित है तो हमें लागत मूल्य को कम करने के उपाय खोजने पड़ेंगे, निसंदेह जिसका दायरा बहुत बड़ा है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : हमारे पास प्रतिस्पर्धा के समान अवसर नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : यह बिल्कुल ही भिन्न विषय है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : यही कारण है कि हमारे उद्योग प्रति-स्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : हम ऐसी चर्चा में उलझ रहे हैं जो इस वर्तमान विधान के विषय क्षेत्र से बाहर है। यह भिन्नता इसलिए पैदा होती है क्योंकि चीन ने अपनी श्रम लागत पर्याप्त रूप से कम कर रखी है। और मैं मानता हूं कि यह लाभ अस्थायी है। जैसे ही विकास होगा और चीन में मजदूरों का आंदोलन जोर पकड़ेगा चाहे वह तटीय चीन से हो या चीन के शहरी या औद्योगिकी भाग से हो और विशेषकर विश्व व्यापार संगठन की शर्तें लागू होने के बाद यह लागत की भिन्नता कम हो जाएगी। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है।

यदि आप व्यापार के आंकड़ों का अध्ययन करें या भारत से हुए निर्यात और चीन से हुए निर्यात की तुलना करें, तो आप पाएंगे कि पिछले तीन वर्षों से लगातार चीन से भारत को आयात की तुलना में भारत से चीन को निर्यात ही अधिक हो रहा है। परंतु यह पूर्णत: भिन्न विषय है।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : मैं आपसे स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।

सभापति महोदया : कृपया मंत्री महोदय के भाषण के बीच व्यवधान उत्पन्न न करें। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यदि इसके बाद आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रश्न, जिसे माननीय दासमुंशी ने उठाया था, के संबंध में खंड (10) के उप खंड (6) में छह महीने की निदेशित समय-सीमा की व्यवस्था की गई है।

माननीय श्री रूपचंद पाल ने पर्याप्त भावपूर्ण बात कही परंतु इसमें अपेक्षित तर्कसंगत यथार्थता नहीं है। उनका भाषण आम परंतु अविश्वसनीय व्यग्य से भरा था। उन्होंने इस विशेष विधान के बारे में जो मुद्दे उठाए हैं, उनमें वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा एस०आई०सी०ए० विधेयक पर जो विचार किया गया है, उसकी अनदेखी की गई है और इस सम्बन्ध में हमने इस विधेयक में यह व्यवस्था की है कि विभिन्न धाराएं भिन्न-भिन्न तारीखों से प्रभावी होंगी। विधेयक के खंड 1 का परंतुक यही कहता है। यह बात वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श किये जाने के दौरान भी उठी थी और मुझे उसका यहां उल्लेख करने की जरूरत नहीं है यह बात माननीय सदस्य को पर्याप्त रूप से समझा दी गई है।

श्रमिकों के हित संबंधी प्रश्न कई माननीय सदस्यों ने उठाया है इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा जो मैंने शुरूआत में समय बचाने के दृष्टिकोण से नहीं पड़ा था। ''प्रथमतया, यह श्रमिकों से संबंधित हमारे किसी भी विद्यमान कानून का अतिक्रमण नहीं करता है और इसमें श्रमिक कानूनों की किसी भी धारा को निरस्त करने का प्रावधान नहीं है, वस्तुत: इसमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई हैं।''

''मैंने पहले ही कहा है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का तकनीकी सदस्य नियुक्त किये जाने का पात्र बनाने के लिए . . .,'' यह सब बातें इसमें है। नियम बनाते समय हम मजदूर संघों के मामले पर विचार करेंगे। एक लेनदार के रूप में श्रमिक कम्पनी के पुनरुद्धार तथा पुनर्वास अथवा समापन के मामलों में देय बकाया राशियों की सीमा तक न्यायाधिकरण के समक्ष जा सकता है — मैं थोड़ी देर बाद इस पर बात करूंगा — इसमें तीन सदस्यों वाली खंडपीठ होगी और उनमें से एक सदस्य वह होंगा जिसे श्रमिक कानूनों की जानकारी होगी। कम्पनी का सम्पूर्ण पुनरुद्धार होने तक पुनरुद्धार और पुनर्वास निधि का उपयोग कर्मचारियों को अंतरिम भुगतान करने के लिए किया जाएगा और न्यायाधिकरण को रुग्ण कंपनी की परिसम्पत्तियों को जांच की अवधि के दौरान भी बेचने का अधिकार होगा ताकि कर्मचारियां को जब भी आवश्यक समझा जाए भुगतान किया जा सके।

सभापति महोदया, मैं इस विषय पर विस्तार से बोलना चाहता हूं। श्रमिक के प्रश्न पर श्री रूपचन्द पाल ने यह भी कहा कि इस विधेयक में ज्यादा प्रावधान कंपनी को बंद करने के लिए है न कि उनके पुनरुद्धार के लिए, मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं। वास्तव में, मुझे यह पढ़ने दीजिए : ''पुनरुद्धार पुनर्वास, बंद करने से संबंधित'' *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदया, मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदया : मंत्री महोदय को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं इस संदर्भ मे स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं पूछूं।

सभापति महोदय : यदि मंत्री महोदय आपको आज्ञा देते हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सबसे महत्वपूर्ण बात 'देरी' की है और हम चाहते हैं कि देरी न हो। मैं वैश्वीकरण की बात नहीं कर रहा हूं; यहां मामला यह नहीं है ? इन सभी मामलों में देरी मुख्य मुद्दा है। बी०आई०एफ०आर० लंबे समय से कार्यरत नहीं है और कई वर्षों बाद निर्णय लिए जाते हैं।

सभापति महोदया : अब आप कृपया स्पष्टीकरण मांगें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अर्धन्यायिक प्राधिकारी इन सभी मामलों से निपट रहे थे। अब मंत्री महोदय आपने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सभी शक्तियां दी हैं। आप देरी को किस प्रकार टालेंगे ?

श्री जसवंत सिंह : मैं कुछ मिनट बाद उस पर बात करूंगा। वस्तुत: मैं बताऊंगा कि स्थिति में किस प्रकार काफी सुधार हुआ है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं देरी की बात कर रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह : मैं समझ गया हूं कि आप देरी की ही बात कर रहे हैं। इसका उच्चारण है डी-ई-एल-ए-वाय।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अर्धन्यायिक प्राधिकारी मामले से निपट रहे थे।

सभापति महोदया : श्री वरकला राधाकृष्णन, उन्होंने आप का प्रश्न समझ लिया है। वे इसका उत्तर दे देंगे। कृपया धीरज रखिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसे एक मिनट में स्पष्ट करूंगा।

महोदया, मैं पुनरुद्धार और पुनर्वास के प्रश्न पर बात कर रहा था। पुनरुद्धार और पुनर्वास कोष स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुनरुद्धार और पुनर्वास पर बल नहीं दिया जा रहा है।

पुनरुद्धार उपकर प्रत्येक कम्पनी, जो इसकी अदायगी कर रही है, के सालाना कारोबार के 0.005 प्रतिशत से कम तथा 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। न्यायाधिकरण इस कोष का उपयोग कर्मकारों की बकाया राशि का अंतरिम भुगतान करने अथवा रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास अथवा कर्मकारों की बकाया राशि का भुगतान करने अथवा परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए करेगा। साथ ही वह इस कोष का उपयोग रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के पुनरुद्धार अथवा पुनर्वास के लिए करेगा जोकि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक व लाभकारी हो।

इसलिए, मैं इस मुद्दे पर और अधिक बोलना नहीं चाहता।

माननीय सदस्य, श्री रूपचन्द पाल ने भी 63 सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बोला है *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसके 62 सदस्य हैं।

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से यह संख्या 63 है परन्तु यदि आप कहते हैं कि यह संख्या 62 है तो मैं इसे मान लूंगा।

सभापति महोदया : अन्यथा, यह 63 है।

श्री जसवंत सिंह : श्री रूपचन्द पाल व्यंगात्मक ढंग से यह पूछ रहे थे कि इन 63 सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जायेगी। इस प्रश्न के बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि यह न्यायाधिकरण अनेक राज्यों में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक न्यायाधिकरण में 63 सदस्य होंगे। हम न्यायाधिकरण को अनेक राज्यों में फैला रहे हैं। अनेक राज्य इसमें शामिल हैं क्योंकि औद्योगिकी इकाइयां अनेक राज्यों में फैली हुई हैं।

विलम्ब का मामला सभी के लिए चिन्ता का विषय है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : गैर-निष्पादनीय आस्तियों (एन०पी०ए०) के बारे में क्या कहना है ?

श्री जसवंत सिंह : एन०पी०ए० एक अलग प्रकार का विलंब है।

हमसे यह प्रश्न किया गया था कि हम इसे 240 दिन क्यों कर रहे हैं। यह 240 दिन, विद्यमान योजना में 12 से 22 महीने में सुधार करके किया गया है। इस प्रकार, वस्तुत: हम एक ऐसी योजना अथवा प्रावधान से हटकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें 12 से 22 महीनों का विलम्ब होता था और इस प्रकार हम 22 महीने की तुलना में लगभग 390 दिनों की बचत कर रहे हैं। एस०आई०सी०ए० के पहले के असीमित प्रावधानों में भी, हमारे पास धारा 18(3)(क) थी। अत: विलम्ब को कम करने के हरसंभव प्रयास किए गए हैं तथा हम इस विधेयक को लागू करने के दौरान विलम्ब को यथासंभव कम करने का प्रयास जारी रखेंगे।

मैं समझता हूं कि मैं सभी मुद्दों पर बोल चुका हूं। इसलिए अब मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे।

श्री मोइनुल हसन : मैं आपकी अनुमति से एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। जब हम चीन और भारत के बीच हो रहे आपसी व्यापार की बात करते हैं तो जहां तक व्यापार में भागीदारी का सवाल है भारत का स्थान ऊपर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गैर-कानूनी व्यापार हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है।

सभापति महोदया : यह अंतिम स्पष्टीकरण है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं माननीय मंत्री जी और इस सभा का सामूहिक ध्यान इस मूल बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आखिर हमारे उद्योग में समस्याएं क्यों हैं। जब हम ऋण प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं तभी से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमारे राज्य वित्तीय निगमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है जहां हमें ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण का कुछ प्रतिशत घूस के रूप में देना पड़ता है। इसके पश्चात्, यहां तक कि एस०एस०आई० इकाइयों को भी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 13 जगहों (विंडोज) का चक्कर काटना पड़ता है। जब तक आप एकल खिड़की स्वीकृति की व्यवस्था नहीं करते तथा समय-सीमा वाली प्रक्रियाओं को नहीं अपनाते तब तक उद्योगपतियों को घाटे के साथ ही कम्पनी उत्पादन की शुरूआत करनी होगी। इसके साथ ही, हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण मिल रहे हैं। क्रियान्वयन के बीच में ही हमारी उत्पादन प्रायोजना व उपरिव्यय बदल जाते हैं क्योंकि राज्य सरकार ने बिजली की दर 7.50 रु० प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश में हम ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं। इस प्रकार, हम अपने स्वप्न में भी अपने आयात से तुलना नहीं कर सकते हैं। यदि आप आज की इस मुक्त व्यापार नीति में एस०एस०आई० और मझौले उद्योगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो हमें भारत के औद्योगिक क्षेत्र से हाथ धोना पड़ सकता है।

जबकि आप बजट तैयार करने जा रहे हैं, यदि आप राजस्व जुटाने के उद्देश्य से सिर्फ हमारे उद्योगों पर ही उत्पाद शुल्क लगाते हैं तो यह इन उद्योगों के लिए अहितकर होगा।

सभापति महोदय : लघु उद्योगों के प्रति दिलचस्पी नहीं हैं। उनकी अभिरुचि सिर्फ बहुराष्ट्रीय और बड़ी कम्पनियों के प्रति है।

श्री जसवंत सिंह : जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है कि सरकार सीमाओं पर हो रही तस्करी को रोकने के लिए क्या कर रही है, माननीय सदस्यों को पता है कि इस संबंध में अनेक कदम उठाए जा चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही तस्करी वस्तुतः एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में खासकर नेपाल से जुड़ी सीमा पर अधिकाधिक रूप से जूझ रहे हैं। समिति संख्या में प्रवेश स्थानों को खोलने जैसे अनेक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। यह खुली सीमा है तथा व्यवस्था ऐसी है कि उन देशों के नागरिकों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, यहां तक कि वे इस देश में नौकरी भी कर रहे हैं। नेपाल और भूटान के नागरिक भारत में नौकरी कर सकते हैं। वे कुछ कारणों से भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर सशस्त्र बलों सहित किसी भी संगठन में नौकरी कर सकते हैं। इस प्रकार इन फायदों के लिए हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, वस्तुतः यह राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकरण से संबंधित है। वह इस बात को महसूस करेंगी कि इस मुद्दे पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : आंध्र प्रदेश का उल्लेख नहीं करने के पीछे आपकी बारीकियों को मैं समझती हूं।

श्री जसवंत सिंह : मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि आमतौर पर किसी निवेशक के सामने आनेवाली नौकरशाही की पेचीदगी निवेश के क्षेत्र में आनेवाली सर्वाधिक भीषण बाधाओं में से एक है। मैं इस बात को पूर्णतः स्वीकार करता हूं और हममें से प्रत्येक को चाहे वह सत्तापक्ष का हो अथवा विपक्ष का समूहिक रूप से इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। यह संकट जाल की तरह है। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम यहां ऐसे मुद्दा पर चर्चा नहीं करते हैं। ऐसा करने से समस्या पैदा होगी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : परन्तु ये वही लोग हैं जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् आपके पैनलों में होंगे।

श्री जसवंत सिंह : जहां तक बजटीय मामलों का सवाल है, यदि मैं किसी भी पक्ष से बोलूं तो ठीक दूसरे दिन आप सभी सभा के विशेषाधिकार की बात करेंगे। बेहतर है कि मैं चुप रहूं।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

खंड 2 धारा 2 का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,—

"खुली आरक्षितियों" *के स्थान* पर, "उन निवेशों या व्ययों, को जो विहित किए जाएं, निकालने के पश्चात् खुली आरक्षितियों" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

"वित्तीय वर्षों" *के स्थान* पर, "वित्तीय वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 38,—

''मांग किए जाने'' के *स्थान* पर, ''लिखित में मांग किए जाने'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (5)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा 10छ का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—

''कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001'' के *स्थान* पर, ''कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (6)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 धारा 10च का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

''कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001'' के *स्थान* पर, ''कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (7)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 नई धारा 10चक का अंत:स्थापन कम्पनी विधि बोर्ड का विघटन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 21,—

''कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001'' के *स्थान* पर, ''कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (8)

(श्री जसवंत सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 नए भाग 1ख और भाग 1ग का अन्त:स्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,—

''न्यायाधीश है या रहा है'' के *स्थान* पर, ''न्यायाधीश रहा है'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (9)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 38 से पंक्ति 40 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

''(ग) वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह ''क'' के पद पर या उसके समतुल्य पद पर कम से कम पंद्रह वर्ष तक रहा है [जिसमें से उस सेवा में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की सेवा भारतीय कंपनी विधि सेवा (विधि शाखा) के सदस्य के रूप में रहा हो]; या (10)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 1 से पंक्ति 3 के *स्थान पर*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

''(घ) वह केंद्रीय सरकार के अधीन समूह ''क'' के पद पर या उसके समतुल्य पद पर कम से कम पंद्रह वर्ष तक रहा है (जिसमें से उस सेवा की श्रेणी 1 में भारतीय विधि सेवा के सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष तक रहा हो)''। (11)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 6 से पंक्ति 8 *के स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

"(क) वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पद पर या उसके समतुल्य पद पर कम से कम पंद्रह वर्ष तक रहा है [जिसमें से उस सेवा में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की सेवा भारतीय कंपनी विधि सेवा (लेखा शाखा) के सदस्य के रूप में रहा हो]; या" (12)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10,—

"केंद्रीय सरकार के अधीन" *के स्थान* पर, "केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (13)

पृष्ठ 5, पंक्ति 25,—

"पंद्रह वर्ष" *के स्थान पर*, "बीस वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (14)

पृष्ठ 5, पंक्ति 39,—

"जिसको वह पद ग्रहण करता है" *के स्थान* पर, "जिसको वह पद ग्रहण करता है, किन्तु वह पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (15)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 43 *के पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,—

"परंतु यह और कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य, उस रूप में पद धारण करते हुए, यथास्थिति, अपने मूल काडर या मंत्रालय अथवा विभाग में अपना धारणाधिकार प्रतिधारित कर सकेगा।" (16)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 1 से 7 *के स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

"10चच. केन्द्रीय सरकार किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को सदस्य प्रशासन के रूप में अभिहित करेगी जो ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसमें निहित हो : | सदस्य प्रशासन की वित्त और प्रशासनिक शक्तियां।

परंतु सदस्य प्रशासन को अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, अधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा अधिकारी, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय, सदस्य प्रशासन के निदेश, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करता रहेगा।" (17)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 8 से 12 *के स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

10चछ. अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। | 'अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। (18)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 6 और 7 का *लोप* किया जाए। (19)

पृष्ठ 7, पंक्ति 8,—

"यह और कि" शब्दों का *लोप* किया जाए। (20)

पृष्ठ 7, पंक्ति 24,—

"यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य" *के स्थान* पर "सदस्य प्रशासन" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (21)

पृष्ठ 7, पंक्ति 43,—

"कम से कम दस" *के स्थान* पर "एक या अधिक" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (22)

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 4 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

"परंतु यदि विशेष न्यायपीठ ऐसी कंपनी की बाबत जिसका परिसमापन किया जाना है, कोई आदेश पारित करती है तो ऐसी कंपनी के परिसमापन की कार्यवाहियां, एकल सदस्य वाली न्यायपीठ द्वारा संचालित की जाएंगी।" (23)

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 17 और 18 का *लोप* किया जाए। (24)

पृष्ठ 8, पंक्ति 19,—

"(7)" *के स्थान* पर, "(6)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (25)

पृष्ठ 10, पंक्ति 2,—

"मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है" *के स्थान* पर, "मुख्य न्यायमूर्ति रहा है" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (26)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 3 से 5 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

"(3) अपील अधिकरण का कोई सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र,"। (27)

पृष्ठ 10, पंक्ति 8,—

"बीस वर्ष" के *स्थान* पर, "पच्चीस वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (28)

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 8, 9 और 10 का *लोप* किया जाए। (29)

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 22 से पंक्ति 28 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

"10चब. (1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।" (30)

पृष्ठ 11, पंक्ति 29,—

"(4)" के *स्थान* पर, "(2)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (31)

पृष्ठ 11, पंक्ति 40,—

"वित्त मंत्रालय" के *स्थान* पर, "वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (32)

पृष्ठ 11, पंक्ति 38,—

"विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय" के *स्थान* पर, "विधि मंत्रालय" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (33)

पृष्ठ 11, पंक्ति 40,—

"विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय" के *स्थान* पर, "विधि और कंपनी कार्य मंत्रालय" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (34)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 **धारा 17 के स्थान पर नई धारा का अन्तःस्थापन**

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 35 से 39 और पृष्ठ 15, पंक्ति 1 से 39 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

"17. (1) कोई कंपनी, विशेष संकल्प द्वारा, अपने ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन, इस प्रकार कर सकेगी कि उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल जाए या कंपनी के उद्देश्यों के विषय में वहां तक कर सकेगी जहां तक कि वह— ज्ञापन में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टिकरण का अपेक्षित होना।

(क) अपना कारबार अधिक मितव्ययितापूर्वक या अधिक दक्षतापूर्वक करने के लिए,

(ख) अपना मुख्य प्रयोजन नए या सुधरे साधनों द्वारा सिद्ध करने के लिए,

(ग) अपनी सक्रियाओं का स्थानीय क्षेत्र बढ़ाने या तब्दील करने के लिए,

(घ) ऐसा कोई कारबार चलाने के लिए, जो विद्यमान परिस्थितियों के अधीन उस कंपनी के कारबार के साथ सुविधापूर्वक या फायदे सहित चलाया जा सकता है,

(ङ) ज्ञापन में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को निर्बंधित या परित्यक्त कर देने के लिए,

(च) कंपनी के पूरे उपक्रम को या उसके किसी भाग को अथवा कंपनी के उपक्रमों में से किसी का विक्रय या व्ययन करने के लिए, या

(छ) किसी अन्य कंपनी या व्यक्तियों के निकाय के साथ समामेलित करने के लिए,

उसे समर्थ करने के लिए अपेक्षित हो।

(2) रजिस्ट्रीयकृत कार्यालय का स्थान एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने से संबंधित ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन, जब तक केन्द्रीय सरकार याचिका पर पुष्टि नहीं कर देती तब तक वह प्रवृत्त नहीं होगा।

(3) परिवर्तन की पुष्टि किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाना चाहिए कि—

(क) कंपनी के डिबेंचरों के हर धारक को तथा ऐसे हर अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जिनकी बाबत केंद्रीय सरकार की राय है कि उस परिवर्तन से उसके हितों पर प्रभाव पड़ेगा, पर्याप्त सूचना दे दी गई है, तथा

(ख) ऐसे हर लेनदान की, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार की राय है कि वह ऐसे परिवर्तन पर आक्षेप करने का हकदार है तथा जिसने अपना आक्षेप केंद्रीय सरकार द्वारा निदेशित रीति से संज्ञापित किया है, या तो संपत्ति ऐसे परिवर्तन के लिए अभिप्राप्त कर ली गई है या उसका ऋण या दावा चुका दिया गया है या पर्यवसित हो गया है या प्रतिभूत कर दिया गया है :

परंतु केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दशा में खंड (क) द्वारा अपेक्षित सूचना दिए जाने से अभिमुक्ति किन्हीं विशेष कारणों से दे सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार उस परिवर्तन की पुष्टि किए जाने की अर्जी की सूचना की तामील रजिस्ट्रार पर कराएगी जिसे केंद्रीय सरकार में हाजिर होने का तथा उस परितवर्तन के पुष्ट किए जाने के बारे में अपने आक्षेपों और सुझावों को, यदि कोई हों, कथित करने या युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा।

(5) केंद्रीय सरकार उस परिवर्तन को पुष्ट करते हुए तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें यह ठीक समझती है, आदेश दे सकेगी तथा खर्चे के बारे में ऐसा आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझती है।

(6) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के सदस्यों के तथा उनके हर वर्ग के अधिकारों तथा हितों का तथा कंपनी के लेनदारों के और उनके हर वर्ग के अधिकारों और हितों का भी ध्यान रखेगी।

(7) यदि केंद्रीय सरकार ठीक समझती है तो वह कार्यवाहियों को इस दृष्टि से स्थगित कर सकेगी कि भिन्न राय रखने वाले सदस्यों के हितों को क्रय करने का ऐसा इंतजाम किया जा सके जो केंद्रीय सरकार को समाधानप्रद हो, तथा ऐसे इंतजाम का किया जाना सुकर करने या उसे कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार ऐसे निदेश तथा ऐसे आदेश दे सकेगी जिन्हें वह उचित समझती है :

परंतु कंपनी की पूंजी का कोई भी भाग कोई ऐसा क्रय करने में व्यय नहीं किया जा सकेगा।'' (35)

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 1 से 4 का *लोप* किया जाए। (36)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 5 से 7 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए—

'8. मूल अधिनियम की धारा 18, धारा 19, धारा 43 और धारा 49 में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।'।

'धारा 18, धारा 19, धारा 43 और धारा 49 का संशोधन। (37)

(श्री जसवंत सिंह)

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 38 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा

और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 38 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क — धारा 55क और धारा 58क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 7 *के पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत: स्थापित* किया जाए—

'8क. मूल अधिनियम की धारा 55क और धारा 58क में ''कम्पनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, ''अधिकरण'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। (38)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड 11 — धारा 79 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 16 से 19 तक *के स्थान पर*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(क) ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों *के स्थान पर*, जहां-जहां वे आते हैं, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2)के खंड (ii) के परंतुक में, ''उस बोर्ड की यह राय हो'' शब्दों *के स्थान पर* ''केंद्रीय सरकार की यह राय हो'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) *के पश्चात्*, निम्नलिखित परंतुक *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु अध्याय 6क के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास की दशा में इस धारा के उपबंधों का यह प्रभाव होगा मानो ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों *के स्थान पर*, ''अधिकरण'' शब्द रख दिया गया था।''। (39)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 — धारा 100 से 104 तथा 107 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 25 और 26 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

13. मूल अधिनियम की धारा 100 से धारा 104 और धारा 107 में, ''न्यायालय'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''अधिकरण'' शब्द रखा जाएगा।' (40)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 — धारा 111 से 111क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 27 से 29 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

14. मूल अधिनियम की धारा 111 और धारा 111क में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''अधिकरण'' शब्द रखा जाएगा।' (41)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क धारा 113 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 29 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,—

14क. मूल अधिनियम की धारा 113 में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।' (42)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 14क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालम नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 43 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 43 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14ख धारा 117ख का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 29 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,—

14ख. मूल अधिनियम की धारा 117ख में,—

(क) उपधारा (4) में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु अध्याय 6क के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनी के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास की दशा में इस धारा के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा मानो ''केंद्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर, ''अधिकरण'' शब्द रख दिया गया था।'' (43)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 14ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदया, कितनी बार नियमों में संशोधन किया जाएगा ? इसका हिसाब रखा जाना चाहिए। ऐसा संविधि का अवैध और अनियमित प्रारूप बनाने के कारण होता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नियमों का सदैव निलंबन किया जाता है।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : प्रारूप समिति में हमने अच्छा प्रारूप बनाया है।

सभापति महोदया : उन्होंने अब प्रारूप में सुधार किया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आप तो ऐसा कहेंगी ही। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदया, आप गलत परंपरा स्थापित कर रही हैं। अनेक बार नियमों का निलंबन किया गया है।

सभापति महोदया : आप हर समय सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालकर गलत परंपरा कायम कर रहे हैं।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 44 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 44 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14ग धारा 117ग का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16,–

पंक्ति 29 *के पश्चात्,* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

14ग. मूल अधिनियम की धारा 117ग में, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अधिकरण" शब्द रखा जाएगा।' (44)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 14ग विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 45 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 45 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14घ धारा 118 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16,–

पंक्ति 29 *के पश्चात्,* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

14घ. मूल अधिनियम की धारा 118 में, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।' (45)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 14घ विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14घ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 धारा 141 के स्थान पर नई धारा का प्रतिःस्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 31 से 36 तक *के स्थान पर*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

'केन्द्रीय सरकार द्वारा भारों के रजिस्टर का परिशोधन।

141. (1) केंद्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि—

(क) कंपनी द्वारा सृष्ट किसी भार की अथवा किसी ऐसे भार की, जिसके अधीन वह कोई संपत्ति है, जो कंपनी द्वारा अर्जित की गई है, अथवा किसी ऐसे भार के उपांतर की या किसी श्रृंखला के डिबेंचरों के निर्गमन की विशिष्टियां रजिस्ट्रार के यहां फाइल करने का लोप अथवा किसी भार का रजिस्ट्रीकरण इस भाग द्वारा अपेक्षित समय के अंदर रजिस्ट्रार को देने का लोप अथवा किसी ऐसे भार, उपांतर या श्रृंखला के डिबेंचरों के निर्गमन की बाबत अथवा चुकाए जाने के ज्ञापन या अन्य प्रविष्टि की बाबत, जो धारा 138 या धारा 139 के अधीन किया गया या की गई है, किसी विशिष्टि का लोप या अयथार्थ कथन संयोगवश किसी अनवधानता अथवा किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से हो गया था अथवा वह इस प्रकार का नहीं कि उससे कंपनी के लेनदारों अथवा अंश (शेयर) धारियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अथवा

(ख) किसी अन्य आधार पर अनुतोष देना न्यायोचित और साम्यापूर्ण है,

कंपनी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी केंद्रीय सरकार को न्यायसम्मत और समीचीन प्रतीत हों, निदेश दे सकेगी कि भार की विशिष्टियों के फाइल करने या भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए या भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना देने के लिए समय बढ़ा दिया जाए अथवा मामले में जैसा अपेक्षित हो, वह लोप या अयथार्थ कथन परिशोधित कर दिया जाए।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन के खर्चों के विषय में ऐसा आदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझती है।

(3) जहां कि केंद्रीय सरकार भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय बढ़ाती है वहां भार के वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व संयुक्त संपत्ति के विषय में अर्जित किन्हीं अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उस आदेश से नहीं पड़ेगा।' (46)

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 1 से 17 का लोप किया जाए। (47)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 धारा 144 और 163 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17, पंक्ति 19,—

"अधिकरण" *के स्थान पर*, "केंद्रीय सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (48)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 धारा 167 के स्थान पर नई धारा का प्रतिःस्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 21 से 32 तक *के स्थान पर*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

167. (1) यदि धारा 166 के अनुकूल वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम में या कंपनी के अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी का साधारण अधिवेशन कंपनी के किसी सदस्य के आवेदन पर बुला सकेगी या बुलाने का निदेश दे सकेगी और ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक निदेश दे सकेगी जैसे अधिवेशन के बुलाए जाने, आयोजित किए जाने और संचालित किए जाने के संबंध में समीचीन समझती है।

'वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

स्पष्टीकरण :– जो निदेश इस उपधारा के अधीन दिए जा सकते हैं उनके अंतर्गत यह निदेश हो सकेगा कि कंपनी के ऐसे किसी एक सदस्य की बाबत जो स्वयं या परोक्षी द्वारा उपस्थित है, यह समझा जाएगा कि उससे अधिवेशन गठित हो जाता है।

(2) ऐसे साधारण अधिवेशन की बाबत, जो उपधारा (1) के अनुसरण में आयोजित किया गया है, वह बात केंद्रीय सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए समझी जाएगी कि वह कंपनी का साधारण अधिवेशन है :

परंतु अध्याय 6क के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनी के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास की दशा में, इस धारा के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा मानो ''केंद्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर, ''अधिकरण'' शब्द रख दिया गया था।'। (49)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 धारा 168 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17, पंक्ति 33,–

''अधिकरण'' *के स्थान* पर, ''यथास्थिति, अधिकरण या केंद्रीय सरकार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (50)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 धारा 188 और 196 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, पंक्ति 16,–

''अधिकरण'' के *स्थान* पर, ''केंद्रीय सरकार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (51)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 धारा 219 और 225 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, पंक्ति 35 से 37 *के स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

22. मूल अधिनियम की धारा 219 और धारा 225 में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां व आते हैं, ''केंद्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।'। (52)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा

की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 53 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 53 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22क धारा 229 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, पंक्ति 37 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

22क. मूल अधिनियम की धारा 229 की उपधारा (2)में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(छ) क्या धारा 441क के अधीन संदेय उपकर का संदाय कर दिया गया है और यदि नहीं, तो संदाय न किए गए उपकर की रकम का ब्यौरा।'। (53)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 22क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 54 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 54 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22ख धारा 235 और 236 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, पंक्ति 37 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

22ख. मूल अधिनियम की धारा 235 और धारा 236 में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''अधिकरण'' शब्द रखा जाएगा। (54)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 22ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 55 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 55 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22ग धारा 237 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, पंक्ति 37 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

22ग. मूल अधिनियम की धारा 237 के खंड (ख) के प्रारंभिक भाग में, "यदि कंपनी विधि बोर्ड की राय में" शब्दों के स्थान पर, "अपनी राय में या अधिकरण की राय में"। (55)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 22ग विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 56 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 56 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22घ धारा 241 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 37 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

22घ. मूल अधिनियम की धारा 241 के उपधारा (2) के खंड (घघ) में, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "अधिकरण"। (56)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 22घ विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22घ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 धारा 247, 250, 251 और 269 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19

पंक्ति 1 से 3 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

24. मूल अधिनियम की धारा 247 की धारा 250, धारा 251 और 269 में, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां व आते हैं, "अधिकरण"। (57)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, इस विधेयक में कई संशोधन हैं।

सभापति महोदया : लगभग 90 संशोधन हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरे विचार से मंत्रालय विशेष ढंग से कार्य कर रहा है। जब विधेयक को मूलतः पुनःस्थापित किया गया था और इसे स्थायी समिति को भेजा गया था, तो मंत्रालय स्थायी समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों से भलीभांति अवगत था। जब विधेयक वापस आया तो वे इसमें सभी संशोधनों को अंतर्विष्ट कर सकते थे। *(व्यवधान)* इसमें 90 से भी अधिक संशोधन हैं हमने ऐसा विगत में कभी नहीं देखा है। सरकार इस प्रकार से कार्य कर रही है। मंत्री महोदय, या तो आप कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा शांत बैठे हैं और केवल इसका उत्तर दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह शुरूआत में उठाया जा सकता था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री से मेरी कोई निजी शिकायत नहीं है। परंतु मैं यह बताऊंगा कि यह सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। यदि हम एक मिनट अधिक लेते हैं तो आप आरोप लगाते हैं कि हम सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या मंत्रालय अथवा मंत्री यह नहीं जानते हैं कि व्यापक विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जाता है जबकि 90 संशोधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं ?

सभापति महोदया : मंत्री जी, वे यह कह रहे हैं कि जब संशोधन सभा के समक्ष आये तो इन्हें उस समय को बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता था।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : क्या मैं इसे स्पष्ट करूं ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मंत्री जी को आपके प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : हम कम्प्यूटरीकरण के युग में हैं। इसे बेहतर ढंग से अंतर्विष्ट किया जा सकता था *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : इस स्तर पर चर्चा करने का क्या लाभ है ?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मंत्री जी आप नियमों का मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अपील करता हूं। मंत्रालय और सरकार को अपनी कार्य पद्धति में संशोधन करना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : सरकार कृपया इस आपत्ति को नोट करे कि जब इतने अधिक संशोधन हो तो उन्हें समुचित ढंग से अंतर्विष्ट करना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नियमों को आकस्मिक ढंग से स्थगित किया जाता है। हमने नियमों को बनाया है। आप नियमों को स्थगित कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : इन संशोधनों को हमने समिति की अपेक्षानुसार स्वीकार किया है। स्थायी समिति ने इन संशोधनों की अपेक्षा की है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपकी बात से सहमत हूं। स्थायी समिति द्वारा किए गए कई सुझावों को स्वीकार कर लेने के लिए मैं माननीय मंत्री का अभिनंदन करता हूं। यह बहुत अच्छी बात होती यदि मंत्री इन संशोधनों को इस प्रकार से लाने की बजाय सभी संशोधन को बेहतर ढंग से अंतर्विष्ट करके सभा में आते।

सभापति महोदया : संशोधनों पर सभा द्वारा स्वीकृति दिया जाना अपेक्षित है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं आपको समस्या के बारे में बता दूं। जब इस सभा में ऐसी बात होती है तो हमेशा राज्य सभा को लाभ होता है। जब नया विधेयक राज्य सभा में चला जाता है तो उन्हें सभी संशोधन प्राप्त हो जाते हैं। *(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए।

सभापति महोदया : जब आप कोई प्रश्न उठाते हैं तो आपको मंत्री जी के उत्तर को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदया, यह विधेयक मूल रूप में सभा में पुरःस्थापित किया गया। स्थायी समिति ने इस संशोधनों का सुझाव दिया और सरकार ने इन संशोधनों को स्वीकार किया था। यदि मुझे उन संशोधनों का अंतर्विष्ट करना होगा तो पहले मुझे मूल विधेयक को वापस लेना होगा और अलग से एक नया विधेयक पुरःस्थापित करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अगर इतने अमैन्डमैन्ट्स थे तो आपने समय क्यों नहीं बढ़ाया, मंत्री जी को कठिनाई हो रही है।

श्री प्रमोद महाजन : यह हर बार आयेगा, अगले अमैन्डमैंट में आयेगा।

[अनुवाद]

यह हर बार आयेगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, परन्तु हमें इस प्रणाली के साथ चलना होगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं किसी को मंत्री जी के वक्तव्य में व्यवधान डालने की अनुमति नहीं दे रही हूं। उन्हें जो कहना है उसे कहने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप सभा की कार्यवाही में प्रत्येक मिनट में व्यवधान डाल रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री प्रमोद महाजन : मैं आशा करता हूं कि प्रमुख विपक्ष के मुख्य सचेतक इस बात को मानेंगे कि एक विधेयक को वापस लेने और इसके बाद संशोधनों के साथ एक अन्य विधेयक को पुन:स्थापित करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। परन्तु इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए हमने स्थायी समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है यदि हम संशोधनों को स्वीकार नहीं करते हैं तो मूल विधेयक ही रहेगा।

श्री जसवंत सिंह : परन्तु सभी संशोधनों को मतदान हेतु एक साथ रखा जा सकता है।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने इसके बारे में विचार किया है, परन्तु नियमों के अनुसार सभा के मतदान हेतु सभी संशोधनों को एक साथ रखा नहीं जा सकता है। प्रत्येक खंड में संशोधन किया जाएगा और संशोधित खंड को पारित किया जायेगा। इसकी व्यवस्था — मैं इसे रस्म नहीं कहूंगा — इस प्रकार है और हमें इसका पालन करना होगा। सभी सदस्यों को हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है।

सभापति महोदया : ठीक है। तथापि, आप सभी ने इस चर्चा के माध्यम से मुझे जो राहत प्रदान की उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं। अब हम कार्यवाही जारी रखेंगे।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 58 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 58 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 24क धारा 284 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 3 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

'24क. मूल अधिनियम की धारा 284 के उपधारा (4) के परंतुक में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे। (58)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 24क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 24क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 59 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 59 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22ख धारा 304 और धारा 307 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 3 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

'24ख. मूल अधिनियम की धारा 304 और धारा 307 में, ''कंपनी विधि बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं,

"यथा स्थिति, केंद्रीय सरकार या अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।'। (59)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 22ख विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 24ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 60 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक को व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 60 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क धारा 349 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 5 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

'25क. मूल अधिनियम की धारा 349 की उपधारा (4) में, खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(त) धारा 441क के अधीन उपकर के रूप में संदत्त रकम।"।' (60)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 25क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 35 नये भाग-छह क का अंत:स्थापन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 20, पंक्ति 32, "पचास प्रतिशत से कम" के *स्थान* पर, "पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (61)

पृष्ठ 21, पंक्ति 15 से 17 तक के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए—

"है, एक सौ अस्सी दिन के भीतर या लेखाओं के अंतिम अंगीकरण के साठ दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, किया जाएगा।" (62)

पृष्ठ 22, पंक्ति 2, "नियुक्त कर सकेगा" के *स्थान* पर, "ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, नियुक्त कर सकेगा" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (63)

पृष्ठ 22, पंक्ति 4, "जांच के प्रारंभ से" के *स्थान* पर, "ऐसे निदेशक या निदेशकों की नियुक्ति की तारीख से" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (64)

पृष्ठ 25, पंक्ति 33 और 34 का *लोप* किया जाए। (65)

पृष्ठ 26, पंक्ति 34 और 35, "कम-से-कम दो तिहाई या उससे अधिक लेनदारों द्वारा" के *स्थान* पर, "मूल्यानुसार तीन चौथाई लेनदारों द्वारा" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (66)

पृष्ठ 29, पंक्ति 3, "निदेश दे सकेगा कि धारा 424ग के अधीन" के *स्थान* पर, "निदेश दे सकेगा कि धारा 424ख के अधीन जांच की अवधि के दौरान का धारा 424ग के अधीन" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (67)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36 से 42 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 43 नये धारा 439क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 31, पंक्ति 27 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए —

"(घ) कर्मकारों और अन्य कर्मचारियों के ब्यौरे तथा उन पर बकाया किसी रकम का ब्यौरा;

(ङ) अन्य ऐसे ब्यौरे जैसा अधिकरण निदेश दे।"। (68)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिए गया।

खंड 45 नये धारा 441क, 441ख, 441ग, 441घ, 441ङ और 441च का अंतःस्थापन

संशोधन किये गए :

पृष्ठ 32, पंक्ति 19, के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंतःस्थापित* किया जाए,—

"(4) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें उपधारा (2) के अधीन उपकर का संदाय किया जाएगा।"। (69)

पृष्ठ 32, पंक्ति 33 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंतःस्थापित* किया जाए,—

"(ङ) धारा 441छ के अधीन कंपनी द्वारा वापस की गई रकम।"। (70)

पृष्ठ 33, पंक्ति 13 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंतःस्थापित* किया जाए,—

"कतिपय मामलों में निधि का वापस किया जाना।

441छ. (1) जहां अधिकरण द्वारा निधि का उपयोजन धारा 441छ के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया है, वहां निधि की ऐसी रकम, कंपनी से उसके पुनरुज्जीवन या पुनर्वास के पश्चात् या कानूनी दायित्वों को पूरा करने और लेनदारों के शोध्यों के संदाय के पश्चात् उसकी आस्तियों के विक्रय आगमों से वसूल की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम ऐसी रीति से वसूल की जाएगी जैसा अभिकरण निदेश दे।"। (71)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 45, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 46 से 76 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 77 धारा 513 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 40, पंक्ति 9 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए —

77. मूल अधिनियम की धारा 513 की उपधारा (3) के *पश्चात्*, निम्नलिखित परंतुक *अंतःस्थापित* किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा निगमित निकाय, जिसमें ऐसा वृत्तिक हो जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदन किया जाए, धारा 448 के अधीन शासकीय समापक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा।"। (72)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 77, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 77, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 78 से 107 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 108 धारा 612 के *स्थान* पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"कुछ अपराधों का प्रशमन।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 45, पंक्ति 10 से 4 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

108. मूल अधिनियम की धारा 612क के *स्थान* पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

612क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का (चाहे वह किसी कंपनी द्वारा किया गया है या उसके किसी अधिकारी द्वारा), जो केवल कारावास से, या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय अपराध नहीं है, या तो किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, यथास्थिति, कंपनी या अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को ऐसी राशि के संदाय या जमा करने पर, जो सरकार विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा : 1974 का 2

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट राशि किसी भी दशा में, जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार शमन किए जाने वाले अपराध के लिए अधिरोपित की जा सकती है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी अपराध का शमन किए जाने के लिए संदत्त या जमा की जाने वाली अपेक्षित राशि विनिर्दिष्ट करने में, धारा 611 की उपधारा (2) के अधनी अतिरिक्त फीस के रूप में संदत्त राशि को, यदि कोई हो, हिसाब में लिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, किसी कंपनी या उसके अधिकारी द्वारा उस तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर किए गए किसी अपराध को लागू नहीं होगी जिसको उनके द्वारा किए गए वैसे ही अपराध का इस धारा के अधीन शमन किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई दूसरा अपराध या पश्चात्‌वर्ती अपराध जो उस तारीख से जिसको अपराध का पहले शमन किया गया था तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है, पहला अपराध समझा जाएगा।

(3) (क) अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा जो उस पर अपनी टिप्पणी के साथ उसे, केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(ख) जहां इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, चाहे वह किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व हो या पश्चात्, उसकी संसूचना कंपनी द्वारा उस तारीख से, जिसको अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, सात दिन के अंदर रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(ग) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाता है, वहां ऐसे अपराध के बारे में कोई अभियोजन, उस अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, रजिस्ट्रार द्वारा या कंपनी के किसी शेयरधारक द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जाएगा।

(घ) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसे शमन को रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में उस न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन की इस प्रकार जानकारी दिए जाने पर वह कंपनी या उसका अधिकारी, जिसके संबंध में अपराध का ऐसा शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के किसी उपबंध जिसमें कंपनी या उसके अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह रजिस्ट्रार के पास कोई विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज फाइल करे या उसका रजिस्ट्रीकरण करे अथवा उसको परिदत्त करे या भेजे, के अनुपालन में हुए व्यतिक्रम के लिए अपराध का शमन करने के किसी प्रस्ताव पर कार्यवाही करते समय, यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो, आदेश द्वारा कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को यह निदेश दे सकेगा कि वह धारा 611 के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित फीस और अतिरिक्त फीस का संदाय करके, ऐसी विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करे या उसका रजिस्ट्रकरण करे।

(5) कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से अधिक न होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,— 1974 का 2

(क) कोई ऐसा अपराध जो इस अधिनियम के अधीन कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय है, अपराधों के शमन के लिए उस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय होगा;

(ख) कोई ऐसा अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन केवल कारावास से, या कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है, शमनीय नहीं होगा।

(7) इस धारा में विनिर्दिष्ट अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।''।'। (73)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 108, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 108, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 109 से 117 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 118 **धारा 643 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।**

परिसमापन से संबंधित नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 46,—

पंक्ति 31 से 37 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए—

118. मूल अधिनियम की धारा 643 के *स्थान* पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

643 (1) केंद्रीय सरकार, कंपनियों के परिसमापन से संबंधित सभी विषयों, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने हैं, के लिए उपबंध करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संगत नियम बनाएगी और ऐसे सभी विषयों के लिए, जो विहित किए जाएं, उपबंध करने हेतु नियम बना सकेगी। 1908 का 5

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(i) किसी कंपनी के परिसमापन के लिए अधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का ढंग;

(ii) कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए चाहे वह सदस्यों द्वारा या लेनदारों द्वारा किया जा रहा हो;

(iii) धारा 391 के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लेनदारों और सदस्यों का अधिवेशन करने के लिए;

(iv) पूंजी को कम करने के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए;

(v) साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकरण को किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए;

(vi) लेनदारों और अभिदाताओं की इच्छाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिवेशन करना और उनका संचालन करना;

(vii) अभिदाताओं की सूचियों को तय करना और जहां आवश्यक हो, सदस्यों को रजिस्टर का परिशोधन करना और आस्तियों का संग्रहण तथा उनका उपयोजन करना;

(viii) समापक को धन के संदाय, अभिस्थानांतरण पत्र के परिदान, संपत्ति, बहियों या कागजपत्रों का अभ्यर्पण;

(ix) मांग करना; और

(x) ऐसा समय नियत करना जिसके भीतर ऋण और दावे साबित किए जाएंगे।

(3) इस धारा में निर्दिष्ट विषयों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए सभी नियम, जैसे वे कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के ठीक पूर्व थे, और ऐसे प्रारंभ पर प्रवृत्त हों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, उस समय तक प्रवृत बने रहेंगे जब केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बना दिए जाएं और ऐसे नियमों में किसी कंपनी के परिसमापन के संबंध में उच्च न्यायालय के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाए जाएगा मानों वह अधिकरण के प्रति निर्देश हो।"।'। (74)

पृष्ठ 47,—

पंक्ति 1 से पंक्ति 19 तक का *लोप* किया जाए। (75)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 118, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 118, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 119 **नये धारा 647क का अंत:स्थापन**

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 47,—

पंक्ति 24,— "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001" के *स्थान* पर, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (76)

पृष्ठ 47,—

पंक्ति 31,— "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001" के *स्थान* पर, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (77)

पृष्ठ 47,—

पंक्ति 34,— "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001" *के स्थान पर*, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (78)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 119, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 119, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 120 से 122 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,—

"कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001" *के स्थान* पर, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"बावनवें वर्ष" *के स्थान पर*, "तिरपनवें वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.34 बजे

[अनुवाद]

(दो) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक

सभापति महोदया : अब यह सभा कार्यसूची की मद सं० 19 पर चर्चा आरंभ करेगी।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के स्वीकृत किया जाए क्योंकि स्थायी समिति में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं। ...*(व्यवधान)* मैं असहमति के स्वर सुन रहा हूं।

महोदया, इस विधेयक को अगस्त, 2001 में पुर:स्थापित किया गया था। इसके बाद इसे गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया क्योंकि कम्पनी विभाग गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के साथ जुड़ा था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। कुछ परिवर्तन सुझाए गए हैं और उन्हें स्वीकृत कर लिया गया है। कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक के सरकारी संशोधनों के अधिनियमिति के साथ प्रस्तावित किया जाएगा।

मैं सभा का समय नहीं लूंगा। निस्संदेह, सभी माननीय सदस्यों को सभी पहलुओं की जानकारी है। वर्तमान विधेयक पारित हो जाने पर मूलभूत उत्पादकों को एक ऐसा संगठन उपलब्ध होगा जिसके द्वारा उत्पादक कम्पनी अपना उत्पादन करेगी और अन्य कंपनियों की भांति आधुनिक एवं व्यावसायिक रूप से अपने उत्पादों का विपणन भी कर

पायेगी। इसलिए, यह आज के वैश्विक बाजार में कारोबार करने में उक्त उत्पादकों की क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि करेगा। मैं सभा से प्रस्तावित विधान को स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं। इस विधेयक से मूलभूत संस्थानों की बेहतरी में योगदान मिलेगा।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यद्यपि मंत्री जी ने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। परन्तु ऐसी कुछ बातें हैं, जिनके कारण मुझे चिंता हो रही है, सम्भवत: इनसे कई अन्य लोगों को भी परेशानी हो रही होगी।

महोदया, विधेयक का उद्देश्य, जैसाकि माननीय मंत्री ने विधेयक के पाठ में बताया है, सांविधिक और विनियामक ढांचा प्रदान करना है जिससे उत्पादन स्वामित्व वाले उद्यम के पास ऐसी क्षमता सृजित हो ताकि वह अन्य उद्यम के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा कर सके। हम यह जानते हैं कि ये अत्यधिक सुगठित तकनीकी शब्द हैं जिनका आजकल उदारीकरण और उदार अर्थव्यवस्था के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस विधेयक के संबंध में सहकारिताओं में पहले यह आशंका थी कि यह विधेयक आगे चलकर बाध्य करेगा अथवा क्रमश: उस प्रकार का स्वरूप ले लेगा कि अंतत: सहकारिताएं कम्पनी बन जाएंगी और यह अधिनियम के अंतर्गत सहकारिता के रूप में कार्य नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल के हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने भी ऐसी ही आशंका व्यक्त की थी। वे सहकारिता आंदोलन से जुड़े एक समर्पित व्यक्ति हैं।

अपराह्न 04.37 बजे

[**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

श्री महबूब जाहेदी अपनी बारी आने पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। परन्तु केवल एक ऐसा उपबंध किया गया जिससे इस बात की स्थायी गारण्टी है कि यह आशंका नहीं मिटेगी। अस्थायी तौर पर इस आशंका से निजात पाया जा सकता है। अस्थायी गारण्टी एक ऐसा अवसर प्रदान करना है जिसका लाभ उठाते हुए सहकारिताएं स्वेच्छापूर्वक उत्पादन कम्पनियों का नये रूप में परिवर्तित हो सकें। स्वेच्छा का तात्पर्य है कि कोई सहकारी एकक और कई अन्य एककों के साथ एकत्रित होकर स्वेच्छा से यह निर्णय करता है तो वह ऐसा कर सकता है। परन्तु आप तो जानते हैं कि इन दिनों सहकारिता घोटाले हो रहे हैं।

एक समय सहकारिता का स्वप्न महात्मा गांधी सहित कई उदारवादी दानकर्ताओं ने मिलकर देखा था। सहकारिता आंदोलन ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक सुदृढ़ बनाया। परन्तु हाल में एक-के बाद एक सहकारी क्षेत्र में घोटाले हुए हैं, इनमें से सबसे बड़ा गुजरात का माधवपुरा सहकारी घोटाला है, जिससे सहकारिताओं में निवेशकों और यूनिटधारकों को समग्र प्रणाली में जवाबदेही, सुरक्षा में विश्वास डगमगा गया है। एक समय था जब डा० कुरियन ने सहकारिता के एक सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसे नया नाम 'अमूल' और अन्य प्रकार रखा। उस समय छोटे दुग्ध उत्पादकों के हितों के विरुद्ध एकाधिकार होने की बात को लेकर कड़ी आलोचना की गई।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं मंत्री जी से दो बातें स्पष्ट करने के लिए आग्रह करना चाहूंगा। उस समय 'यूनिलिवर समूह' प्रसिद्ध वनस्पति उत्पाद था। क्या ऐसी बात है कि इस अधिनियम की आड़ में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जो भारत में विनिर्माण इकाई के रूप में आना चाहती हैं अंतत: उत्पादन एककों, रुग्ण सहकारिताओं और ऐसी सहकारिताओं, जो अभी लाभ नहीं दे सकती हैं पर नियंत्रण न करे ले ? वे एकक बनाते हैं और सहकारिताओं द्वारा निर्मित सभी बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण करते हैं। एक दिन वे अपने सारे लाभ और राशि वापस अपने देश में अंतरित करके व्यापार को खोखला बना देंगे।

इसी बात की आशंका है।

मैंने अपनी पार्टी में महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारिता आंदोलन से जुड़े अपने कई मित्रों से बातचीत की है। वे यह महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र में उत्पादक एककों के नाम पर यदि आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करना चाहते हैं जो वांछित लाभ कमा कर वापस चले जाएं, यदि वे समग्र व्यवस्था को आधे में छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन: चरमरा जाएगी। अत:, इसका उत्तर देते समय माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दें कि ऐसा कोई खतरा नहीं है।

पूर्व वित्त मंत्री ने एक बार इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि भारत में खुदरा कारबार में विदेशी निवेश और विदेशी कम्पनियों का प्रवेश नहीं होगा। अब पिछले तीन सप्ताह से यह आशंका खुदरा व्यापारियों पर मंडरा रही है और वे विपक्ष के सभी संसद सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं कि पुन: खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश करने अथवा लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की योजना चल रही है। इसका यह मतलब है कि खुदरा व्यापार उनके रहमो-करम पर है। *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, क्या मैं यहां एक छोटी सी बात उठा सकती हूं ?

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

उन्होंने सभा में 'नहीं' कहा था परन्तु दसवीं योजना दस्तावेज में खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश का खंड है। वे इसे पिछले दरवाजे से ला रहे हैं। दसवीं योजना दस्तावेज में खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में कहा गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है:

"अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शहरी और ग्रामीण श्रम और उद्योग, वित्त और वाणिज्य के क्षेत्रों में व्यापार के नियमों के परिवर्तन की प्रक्रिया में है।"

कृपया हमें इस प्रकार के तकनीकी दांवपेंच न बताएं बल्कि यह स्पष्ट करें कि इसका वास्तविक मतलब क्या है।

उत्पादक एककों के नाम पर, भारत में कई एकड़ भूमि लेकर, वे अब कई तिलहन एककों को सफलतापूर्वक शुरू कर रहे हैं वह भी सहकारिताओं, जोकि हमारे देश का एक प्रमुख हैं, के माध्यम से नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से। यदि उत्पादन एककों के नाम पर दो अथवा तीन सहकारिताएं कोई उद्यम लगाने की कोशिश करती हैं और यह किसी प्रकार रुग्ण हो जाता है, तो कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी आकर तिलहन की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और तेल सम्पदा से लाभ कमाकर उसे अपने देश वापस ले जाएगी और बाद में यह कहेगी कि उसकी उद्योग में कोई रुचि नहीं है जैसाकि अंग्रेजों ने यहां आकर हमारे धान के खेतों को तबाह कर दिया और वे नील की खेती कराने लगे तथा इसमें अपना लाभ कमाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अत:, इस विधेयक के पुर:स्थापन से ऐसी बात भी सामने आ सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस आशंका को दूर करने के लिए संसद को किस प्रकार अपने विश्वास में लेगी और यह कहेगी कि संरक्षण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु यह चेतावनी देता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले को स्पष्ट करेंगे ताकि ये बातें सभा के समक्ष आ सके जिससे यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो हम सरकार से संरक्षण की मांग कर सके।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदया, मैं कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं।

माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बिल्कुल सही कहा है कि सहकारिता आंदोलन हमारे राष्ट्र निर्माताओं और नेताओं का स्वप्न रहा है परन्तु सहकारिता आंदोलन का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कुछ राज्यों ने सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने मधेपुरा सहकारी बैंक के बारे में भी कुछ उल्लेख किया था परन्तु हमें बैंककारी क्षेत्र में सहकारिता की बात को अलग रखकर इस बात पर विचार शुरू करना चाहिए कि इस देश में सहकारिता आंदोलन वास्तव में क्यों शुरू किया गया था यह स्वप्न क्यों था ? मूलत:, यह इस विचार से शुरू किया गया था कि उत्पादन, किसान अथवा खेतिहर लोग बिचौलियों से बचे रहे और अपने उत्पाद का स्वयं विपणन कर सकें। इस प्रकार से, इस आंदोलन की शुरूआत हुई।

गत डेढ़ दशक में काफी परिवर्तन हुए हैं, जब आर्थिक परिदृश्य में वास्तव में बदलाव आया है, यहां वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने सार्वभौमकीकरण के बारे में बोला है। अर्थव्यवस्था तो वास्तव में मुक्त हुई है। वे जिस दौरे के बारे में कह रहे हैं इस विधेयक को लाने का वही मूल कारण है। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोगों द्वारा व्यक्त की गई यह आशंका कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आयेंगी और सब कुछ हथिया लेंगी, सही नहीं है। वस्तुत: यह सहकारिता आंदोलन है और इससे इस बात की व्यापक संभावना बनी ताकि वह कम्पनी बन सके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण के विरुद्ध संघर्ष कर सके और यदि ये सहकारिताएं उत्पादक कम्पनी बन जायेंगी तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रहार इन पर नहीं हो पाएगा। यही एकमात्र कारण नहीं है; परन्तु उन्होंने ऐसे सभी सुरक्षोपाय किए गए हैं जो इस अनुपम विधेयक में रखे भी गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, कृषि समुदाय, कुल मिलाकर खेतिहर लोगों का सचमुच उत्थान होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विदेशों में भी, सभी देशों में कुछ समय से ऐसे विधान हैं। मैं इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रयोक्ता उद्यम भी उन्हीं कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत और संचालित है जैसाकि शासित कम्पनियों और उनके ऐसे स्वामित्व को मान्यता प्रदान की गई है। डेनमार्क में सहकारिताएं कारपोरेट कानून के अंतर्गत, बिना किसी विशिष्ट संशोधन के ही, संचालित हैं। स्विट्जरलैंड में सहकारिताओं को विधिक दृष्टि से कारपोरेशन, स्वामित्व, समिति स्वामित्व आदि के साथ व्यापार संगठन के रूप में माना जा रहा है। जिम्बाब्वे में सहकारी कम्पनी अधिनियम कम्पनी कानून का एक हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमरीका में भी सहकारिताएं अपने-अपने राज्यों में सहकारिता सिद्धान्तों को परिलक्षित करने वाले विशेष उपबंधों के साथ कम्पनी कानून के अंतर्गत शासित हैं।

मूलत:, इस उत्पादक कम्पनी के संबंध में, कोई भी उत्पादक कम्पनी स्थापित करता है अथवा ऐसी सहकारिता, जो स्वेच्छा से उत्पादक कम्पनी बनना चाहती हो, को उत्पादक कम्पनी बनाया जा सकता है। परन्तु, इस विधेयक में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि सभी सहकारिताएं, जैसाकि माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे, उत्पादक कम्पनी बनेंगी अथवा उन्हें उत्पादक कम्पनी बनना होगा। यह बात भी है।

यह विधेयक इस मायने में भी अनुपम है कि इसमें वे समस्याएं नहीं होंगी जो एक कम्पनी में हो सकती हैं। किसी कम्पनी का अधिग्रहण किया जा सकेगा। इस विधेयक में यही कहा गया है कि केवल उत्पादक ही सदस्य हो सकता है और यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति, अपनी धनसम्पत्ति के बल पर उत्पादक कम्पनी का अधिग्रहण कर सकता है। इस संबंध में सुरक्षोपाय भी किए गए हैं।

अब मैं विधेयक के कुछ उपबंधों के बारे में कहूंगा। पहली बात यह है कि प्राथमिक उत्पादक एक साथ मिलकर और धारा 581(ग) में दिए गए रूप में उत्पादक कम्पनी के रूप में पंजीकृत कर सकता है। दूसरी बात है कि ऐसी उत्पादक कम्पनियों को भारत में निजी और सार्वजनिक कम्पनियों के समतुल्य माना जाएगा और उसके लिए यह सुरक्षोपाय होगा कि उत्पादक कम्पनी का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को अनिवार्यत: प्राथमिक उत्पादक बनना होगा जैसाकि मैंने पहले ही कहा है। तीसरी बात है कि पारस्परिक सहयोग वाले सदस्यों को रखा गया है, सदस्यता स्वैच्छिक है, निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय किया जाता है और प्रत्येक सदस्य के पास एक मत का अधिकार होगा।

अब, आपको बहुत सा धन मिल सकता है; लेकिन एक व्यक्ति का केवल एक मत होगा कम्पनी की भांति नहीं जहां अधिग्रहण किया जा सकता है। वह भी यहां है।

चौथे यह आदेशात्मक कानून न होकर एक समर्थकारी कानून है। दूसरे शब्दों में यह कानून किसी सहकारिता को एक कम्पनी में बदलने हेतु बाध्य नहीं करता लेकिन एक सहकारिता स्वयं को कम्पनी में बदल सकती है।

महोदय, यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कानून है। विशेषकर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताऊं कि हमारे क्षेत्र में एक महिला डेयरी है और वह महिला डेयरी इतनी शिक्षात्मक है कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं उस डेयरी का सारा काम संभालती हैं। उन्होंने स्वयं को शिक्षित किया है क्योंकि वे सारा काम-काज संभाल रही हैं, लेकिन उस डेयरी के सम्मुख एक समस्या है। मैं अभी आपको यह उदाहरण दूंगी। मैंने उन्हें बताया था कि उनके पास कुछ एक कुछ क्यों नहीं है जिसमें दूध के साथ-साथ कुछ और भी हो। ऐसा कुछ जो दूध से भी अच्छी तरह बिक सके। दूध जमा करके उसे बेचने के स्थान पर वे आइसक्रीम की एक इकाई क्यों नहीं लगा लेतीं ? सहकारिताओं में समस्या यह है कि उन्हें बाहर से धन नहीं मिलता और उनपर बहुत से बंधन हैं। यदि वह एक उत्पादक कम्पनी बन जाती है तो उन्हें बैंकों से कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी और वे विदेशी सहयोग को भी आकर्षित कर सकेंगी। अन्यथा सहकारिताएं मृत हो जाएंगी और इसीलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं माननीय मंत्री जी को रिकॉर्ड समय में यह विधेयक लाने पर धन्यवाद देता हूं।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं यहां उन तीन या चार कारणों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनके कारण मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

विधेयक का उद्देश्य और कारणों के कथन का उल्लेख किया जा चुका है। मैं उद्देश्य और कारणों के कथन में से भी उद्धृत करना चाहूंगा। विवरण के पहले पैरा की अंतिम लाइनों में लिखा है :

> "आज के प्रतियोगी परिदृश्य में सहकारी उद्यम यदि ग्रामीण उत्पादकों की ही सेवा करते रहे तो उन्हें वर्तमान में कानून के अंतर्गत उपलब्ध संस्थानिक रूप के विकल्प की आवश्यकता पड़ेगी।"

मैं इस शब्द 'वैकल्पिक' को दोहरा रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में वर्तमान सहकारिता प्रणाली को सुदृढ़ किए बिना वे सहकारिता प्रणाली को कम्पनी प्रणाली में परिवर्तित करने जा रहे हैं।

पहली बात, जहां तक हमारे देश के सहकारिता आंदोलन का सम्बन्ध है तो परिस्थितियों को मांग क्या है ? परिस्थितियों की मांग है कि सहकारिता प्रणाली को अधिक धन, अधिक पूंजी उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए समयानुकूल कानून हो, सरकार की ओर से ग्रामीणों को विश्वास दिलाया जाए और जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में किया गया था उनकी देनदारियों को चुकाने हेतु उन्हें धन उपलब्ध कराया जाए। ऐसा किए बिना ही हम उन्हें सहकारिताओं से कम्पनियों में परिवर्तित कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि इसके पीछे कोई सद्इच्छा नहीं है।

अब, मैं अपनी दूसरी बात पर आता हूं। मैं पुन: उद्देश्य और कारणों के कथन में से पढ़कर सुनना चाहूंगा। पैरा 3(iii) में लिखा है :

> "सहकारी संस्थाओं की स्वैच्छिक रूप से स्वयं को नई उत्पादक कम्पनियों में परिवर्तित करने का एक अवसर उपलब्ध कराना है।"

मैं पुन: कहता हूं कि उन्होंने 'स्वैच्छिक' शब्द का उपयोग किया है। मेरे विचार से आने वाले समय में उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा। फिर इस पंक्ति में 'अवसर' शब्द का उपयोग किया गया है। वे क्या अवसर दे रहे हैं ? वह एक सहकारिता को एक उत्पादक कम्पनी में परिवर्तित करने का अवसर है। यह कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य सहकारिताओं को कम्पनियों में परिवर्तित करना और फिर इन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या अन्य किसी को सौंपना है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जब प्रत्येक व्यक्ति सहकारिताओं को कम्पनियों में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करेगा। इस कारणवश मैं वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

दूसरी बात, जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे देश में सहकारिता आंदोलन का एक विशेष उद्देश्य है और वह है लोगों

[श्री मोइनुल हसन]

को सेवा प्रदान करना। यह कोई लाभ अर्जक संस्था नहीं है, यह एक सेवा-उन्मुखी संस्था है सहकारिता आंदोलन में लोगों की भागीदारी इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है। हमारे नेताओं राष्ट्रपिता ने और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस कानून से हमारे देश का सहकारिता क्षेत्र विघटित हो जाएगा।

एक और बात यह है कि, जहां तक सहकारिता प्रणाली का संबंध है, लोग बहुत बातें करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की सहकारिता प्रणाली और सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां हैं। हमने इनपर इस सदन में बहु-राज्यीय सहकारिता समिति विधेयक पर हुई बहस के दौरान चर्चा की है। तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि देशभर में सहकारिताओं का कार्यनिष्पादन उल्लेखनीय रहा है। राष्ट्रीय आय में सहकारिताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राथमिक, तालुका, जिला और राज्य के स्तर पर, विशेषकर ग्रामोण क्षेत्रों में लाखों सहकारी संस्थाएं कार्यशील हैं। किसानों को ऋण कौन उपलब्ध कराता है ? वाणिज्यिक बैंक किसानों को ऋण नहीं देते ये सहकारी संस्थाएं ही किसानों को ऋण देती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक इस संबंध में देश की सेवा करने में पूर्णतया विफल रहे हैं।

इसलिए, पहले इन सहकारिताओं को उत्पादक कम्पनियों में बदला जाएगा और फिर भविष्य में इन सहकारिताओं को कम्पनियों में बदलकर ऐसे लोगों को सौंप दिया जाएगा जिनकी हमारे देश में कोई रुचि नहीं है। इन सहकारिताओं को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सक्षम बनाने में सहायता करने के स्थान पर भारत सरकार इस विधान के माध्यम से, सहकारिता क्षेत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे सरकार का जन-विरोधी रुख प्रदर्शित होता है। इसी कारणवश मैं इस प्रतिष्ठित सदन में इस विधेयक पर अपनी आपत्ति उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस विधान से हमारे देश को कोई मदद नहीं मिलेगी।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदया, मैं कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक के पीछे सहकारिता आंदोलन को समाप्त करने, जैसा कि साम्यवादी सदस्यों ने कहा है का विचार नहीं है अपितु इस विधान के माध्यम से सहकारिता की मूल भावना को बचाने का विचार है। यह सहकारिता की मूल भावना को बचाना नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से उत्पादक कम्पनियां बनाई जा रही हैं और उन्हें सहकारिता का दर्जा दिया जा रहा है, एक कम्पनी का दर्जा, दिया जा रहा है जिससे कि उनकी पहुंच बाजार तक हो सके। उदाहरणार्थ, आप आज देश में स्थित कोई भी सहकारी समिति ले लें। कृपया उदाहरण के लिए आनंद को न लें क्योंकि आनंद गुजरात में एक दृष्टांत देने योग्य समिति है। गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन सफल रहा है लेकिन देश के अन्य भागों में अधिकांश सहकारिताएं विफल रही हैं। इसीलिए एक कार्य बल का गठन किया गया था। इस सरकार ने हमेशा सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। उदाहरणार्थ, पिछले सत्र में बहुराज्य सहकारी सौसाइटी अधिनियम, 1984 में संशोधन कर, उसे पारित किया गया था। उसके पीछे क्या परिकल्पना थी ? उसके पीछे यह विचार था कि सहकारिताओं को स्वायत्त बनाया जाए, पेशेवर तरीके अपनाए जाएं और सहकारी समितियों से संबंधित अन्य समस्याएं दूर की जाएं।

अपराह्न 5.00 बजे

अतः चौधरी ब्रह्मप्रकाश समिति की सिफारिशों के आधार पर एक आदर्श सहकारी समिति अधिनियम लाया गया था। यह कानून सहकारिताओं को वास्तविक चरित्र प्रदान करने और उन्हें उनके सदस्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर संघीय संगठन सहित एक सामन्वित सहकारी ढांचा बनाने हेतु उन्हें सुविधाएं देने के लिए बनाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अतः यदि सहकारिताओं को उत्पादक कम्पनी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो वे एक सहकारिता की भांति कार्य करने में सक्षम नहीं होंगी और बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, विशेषकर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावी होने के बाद, वे अपने उत्पादों को बाजार में बेचने की स्थिति में नहीं रहेंगी।

महोदय, आप देश में स्थित किसी भी सहकारी संस्था को ले सकते हैं। देश में स्थित अधिकांश सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जैसे कि मुर्गी-पालन हो या डेयरी या कृषि या फिर ग्रामीण ऋण ही हो। ये सहकारी समितियां ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं। सहकारी समितियों पर दोहरा नियंत्रण है। हालांकि संविधान के अनुसार सहकारिता राज्य का विषय है और इसे संबंधित राज्य के सहकारिता अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाता है तथापि बैंकों की विनियामक शक्तियों को इसमें रेखांकित नहीं किया गया है जिससे मधेपुरा घोटाले जैसी समस्याएं आती हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों की परिधि में नहीं आता था जिससे उसके दिशानिर्देश मधेपुरा सहकारी बैंक पर लागू नहीं हुए व इसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा केतन पारिख घोटाला सामने आया। अतः वास्तव में इन सहकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। अतः ब्रह्मप्रकाश समिति इस क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता देना चाहती थी और इसे अधिक पेशेवर बनाकर इसके मानव संसाधन की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाना चाहती थी।

मानव संसाधन विकास संबंधी कार्य बल ने रिपोर्ट दी थी कि अधिकांश सहकारी बैंक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और प्रबन्धकीय कुशलता आदि के क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। वहां तदर्थ आधार पर नियुक्ति और कर्मचारी-आधिक्य एक आम दृश्य है। अतः सहकारी क्षेत्र पूर्णतया अव्यवस्थित है। सहकारी क्षेत्र राजनैतिक नियुक्तियों का स्थान बन गया था जिससे इस क्षेत्र का भारी राजनैतिकरण हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ा और यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था।

महोदय, हमारी सरकार सहयोग की भावना को पुन: जीवित करने का प्रयास कर रही है जो कि कभी इस सहकारिता क्षेत्र में थी। सहयोग की भावना को पुन: जगाना पड़ेगा और वह केवल इस क्षेत्र को शेयर बाजार में पहुंचने की अनुमति देकर और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में लाकर ही किया जा सकता है। केवल तभी सहकारी संस्थाएं अपने प्रबंधन को और कुशल बनाने हेतु पेशेवरों को आमंत्रित कर सकेंगी और केवल तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और सहयोग की भावना बनी रहेगी।

इसी उद्देश्य के लिए कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक को लाया गया है। मैं माननीय मंत्री और साथ ही सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने गरीब जनता के कल्याण में काफी रुचि दिखाई है जिन्होंने सब्जी उत्पादक और मत्स्य पालन जैसी समितियां बनायी हैं उनके कल्याण में काफी रुचि दिखायी है। पूरे देश में ऐसी हजारों लाखों समितियां हैं। उनके हितों और उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कंपनी दूसरा (संशोधन) विधेयक लाया गया है और मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि वह इस प्रकार के विधेयक को लाए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : माननीय, सभापति महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परंतु मैं माननीय मंत्री जी को एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश में हमारे जैसे इलाके में सहकारी आंदोलन बहुत कमजोर रहा, इसका मुख्य कारण यह रहा कि प्रबंधन द्वारा सहकारी आंदोलन का संचालन ठीक से नहीं किया गया, इसका अवमूल्यन किया गया और अन्य बातें भी इसमें सहभागी रही। पूर्व वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान इन समस्याओं पर गौर करने और यह देखने के लिए कि इन में से कुछ को वित्तीय मदद देकर किस प्रकार सशक्त किया जा सकता है, एक समिति बनायी गयी थी। मैंने दो सहकारी समितियों के नाम माननीय मंत्री को बताए थे परंतु इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद मैंने देखा कि अन्य राज्यों में कुछ सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद देकर उन्हें अर्थक्षम बनाया गया। वे अब सहकारी संस्थाओं को कंपनियों में बदल रहे हैं। मैं नहीं जानता इन कंपनियों का क्या होगा। विधेयक में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। यदि आप सहकारिता के नियमों के अनुसार चलें तो संबंधित सरकारों को कुछ निश्चित समयावधि दी जानी चाहिए। उनमें से कुछ कम्पनी प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगी जो कि अच्छा है। मेरे विचार से इससे इनको संरक्षण ही मिलेगा। शेयरधारकों को भी संरक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है।

उन रुग्ण कंपनियों के संबंध में जिन्हें पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है कुछ किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं, मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, जो यहां उपस्थित नहीं हैं कि कृपया इस मामले पर ध्यान दें। मैं वित्त संबंधी परामर्श समिति का सदस्य हूं। मैंने यह मुद्दा उठाया था और कुछ कार्य हुआ था। जब श्री गीते वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने हमें बुलाया था और इस संबंध में चर्चा की थी। इसके बाद यह मामला ढंडा पड़ गया। इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसी एक ही बात पर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं जैसा कि पहले श्री मोइनुल हसन ने किया। इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को कंपनियों में परिवर्तित करना है। मेरे विरोध का मुख्य मुद्दा यही है।

कल इस सम्माननीय सभा में माननीय कृषि मंत्री सहकारी संस्थाओं के पक्ष में बोले। उन्होंने इनकी आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में सहकारी आंदोलन और सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह देखकर हैरानी होती है कि आज हम उस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो सहकारी क्षेत्र को निगमित क्षेत्र और सहकारी समितियों को कंपनियों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है। मेरे विरोध का कारण यही है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : माननीय, सभापति महोदय, मैं माननीय द्वारा प्रकट किए गये किनारों के लिए उनका अभारी हूं।

मौटे तौर पर आपत्ति इस बात पर हो रही है कि विधेयक कुछ हद तक सहकारिता को बर्बाद करने का एक हथियार है। वस्तुत: निर्विवाद और स्पष्ट दोनों रूपों में यह विधेयक अपने उद्देश्य से दूर नहीं जा सकता है।

मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा नहीं है और मैं इसके कारणों का खुलासा कर रहा हूं। प्रथमत: स्थायी समिति में इस पर सभी की स्वीकृति मिली थी। उस स्थायी समिति में सी०पी०एम० के माननीय सदस्यों का पूरा प्रतिनिधित्व था। किसी मामले में कोई असहमति नहीं थी।

श्री मोइनुल हसन : हम इस बात से इन्कार नहीं कर रहे हैं कि हमारा वहां प्रतिनिधित्व था। परंतु वहां भी हमने आपत्तियां उठाई थी।

श्री जसवंत सिंह : मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यहां विचार यही है।

महोदय, प्रश्न यह उठाया गया था कि सहकारी-समितियों को किसी युक्ति के माध्यम से परिवर्तित किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम यह

[श्री जसवंत सिंह]

स्पष्ट रूप से समझ लें कि संपूर्ण सहकारी आंदोलन को राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में मजबूती और वित्तपोषण की आवश्यकता है जिसके बिना केन्द्र सरकार स्वयं सहकारी आंदोलन को जीवित नहीं रख सकती।

मैं यहां कमियों और कठिनाइयों पर ही बात नहीं करना चाहता। यहां मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सहकारी संस्था का कंपनी में परिवर्तन पूर्णत: और विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और साथ ही परिवर्तन के बाद यदि वह पुन: सहकारी समिति बनना चाहती हैं तो इसके लिए भी विशेष प्रावधान है। वास्तव में सहकारी आन्दोलन की तरफ से भी इस विधान को बनाने के लिए अनुरोध व समर्थन मिला है। नि:संदेह इसका सर्वोत्तम उदाहरण एन०डी०डी०बी० है जिसने स्थायी समिति में इसका पूर्ण समर्थन किया था।

माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक मामला उठाया था जहां उन्होंने कहा था कि वे इस मामले पर आश्वासन चाहते हैं। उन्होंने यह आशंका जतायी थी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा सहकारी समितियों को अधिग्रहित करने या सहकारी समितियों की परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण को संभावना बढ़ जाएगी। यह संभव नहीं है क्योंकि उत्पादक कंपनी के शेयरों का सार्वजनिक रूप से लेन-देन नहीं किया जा सकता। दूसरा यह कि केवल एक ही उत्पादक हो सकता है, जो कि प्राथमिक उत्पादक होगा वह एक सदस्य भी हो सकता है। कंपनियां शेयरधारक नहीं हो सकती। तीसरे, मत के बारे में बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है, जो यह कहता है कि शेयरधारक के पास केवल एक ही मत होगा, चाहे वास्तव में उसके पास कितने भी शेयर हो।

महोदय, यह विधेयक प्राथमिक उत्पादकों को अपना व्यवसाय सहकारी उत्पादक कंपनियों के वैकल्पिक रूप में संगठित करने में मदद करता है और उसके फलस्वरूप कंपनियों के रजिस्ट्रार की भूमिका समाप्त या कम हो जाएगी। वास्तव में हमारा विश्वास है कि इससे सहकारी आंदोलन को मदद ही मिलेगी या इसके राह में बाधक नहीं होगा।

महोदय, इस प्रस्तावित विधेयक में, मैं पढ़ना चाहूंगा कि सहकारी समिति का उत्पादक कंपनी में परिवर्तन पूर्णत: स्वैच्छिक है। किसी भी विद्यमान सहकारी समिति को उत्पादक कंपनी में बलपूर्वक परिवर्तित नहीं किया जा सकता और एक सहकारी समिति का एक उत्पादक कंपनी में परिवर्तन तभी संभव है जब पात्र सहकारी समिति के दो-तिहाई सदस्य ऐसा चाहे। दूसरा, एक उत्पादक कंपनी स्वयं को सहकारी समिति में पुन: परिवर्तित कर सकती है। प्रस्तावित विधान के अंतर्गत सदस्यों की इक्विटी का सार्वजनिक रूप में लेन-देन नहीं किया जा सकता परंतु उसका हस्तांतरण उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति से दूसरे सदस्य को भी किया जा सकता है जब वह संस्था के नियमों में विर्निदिष्ट सदस्यता की शर्तों को पूरा करता हो। यह एक मौलिक बात थी।

श्री प्रबोध पण्डा ने एक मुद्दा उठाया था कि इस विधेयक पर सहमति पूर्व वित्त मंत्री और कृषि मंत्री की बैठक में हुई थी। मुझे इस बात का पता नहीं है परंतु सरकार इस पर पूर्णत: सही ढ़ंग से काम कर रही है।

माननीय श्री संतोष मोहन देव ने सुझाव दिया था कि रुग्ण कंपनियों को सहकारी समितियों में बदलने पर विचार किया जाना चाहिए। इसकी अनुमति है। इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। यह संभव है जब तक वे ए०सी०आई०सी०ए० की परिधी जैसा कि इसका अभी स्वरूप है, के अंतर्गत नहीं आता है या जब तक ए०सी०आई०सी०ए० निरस्त नहीं हो जाता है। हांलाकि इसमें कोई रुकावट नहीं है परन्तु मैं परोक्ष रूप में यह सुझाव नहीं दे सकता कि प्रत्येक रुग्ण कंपनी को निगम में बदलना संभव होगा।

मेरे विचार से मैंने सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करते वक्त कहा था और मैं पुन: सभा से प्रस्तावित विधान पर विचार करने की पुरजोर सिफारिश करता हूं क्योंकि जब इसे सभा की सम्मति मिल जाएगी तो इससे एक नए प्रकार के संगठन का उदय होगा जो आज के युग में दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। इसलिए मैं सभा से प्रस्तावित विधान को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि इससे प्राथमिक उत्पादकों की बेहतरी में योगदान ही मिलेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

खंड-2 नए भाग नौ-क का अंत:स्थापन

संशोधन किए गये :

पृष्ठ 10, पंक्ति 23 में, "उत्पादक कंपनी के निगमन से पूर्व अंतरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के सभी निदेशक," *के स्थान पर,* "धारा 518ण में किसी बात के होते हुए भी, उत्पादक कंपनी के निगमन से पूर्व अंतरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के सभी निदेशक," *प्रतिस्थापित* किया जाए। (3)

पृष्ठ 11, पंक्ति 19 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,—

"परंतु ऐसी अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी की दशा में, जिसका निगमन किसी उत्पादन कंपनी के रूप में हुआ है, ऐसी कंपनी में उत्पादन कंपनी के रूप में उसके निगमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पन्द्रह निदेशकों से अधिक निदेशक हो सकेंगे।"। (4)

पृष्ठ 12, पंक्ति 26 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,—

"परंतु ऐसी अंतरराष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसे धारा 581ञ की उपधारा (4) के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है जिसमें ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से कम-से-कम पांच निदेशक उस रूप में पद धारण करते हैं [जिनके अंतर्गत धारा 581ढ की उपधारा (1) के अधीन पद पर चले आ रहे निदेशक भी हैं], इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द रखे गए हों।" (5)

पृष्ठ 18, पंक्ति 1 में, "उत्पादक कंपनी के साधारण अधिवेशन" *के स्थान पर*, "उत्पादक कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

पृष्ठ 21, पंक्ति 16 में, "सरकार और सहकारी या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई अनुमोदित प्रतिभूतियों सावधि निक्षेपों, यूनिटों, बंधपत्रों से" शब्दों *के स्थान पर*, "सरकार और सहकारी या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई अनुमोदित प्रतिभूतियों, सावधि निक्षेपों, यूनिटों, बंधपत्रों से या किसी अन्य माध्यम द्वारा जो विहित किया जाए" शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाए। (7)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2001" *के स्थान पर*, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "बावनवें वर्ष" *के स्थान पर*, "तिरपनवें वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.19 बजे

[अनुवाद]

(तीन) सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर स्थिर प्लेट-फार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन विधेयक

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर अवस्थित स्थिर प्लेट-फार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन अभिसमय और प्रोटोकोल

[श्री वेद प्रकाश गोयल]

को प्रभावी करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।''

मैं आपके विचारार्थ कुछ बातें रखूंगा। प्रस्तावित विधान सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आई०एम०ओ०) अभिसमय, 1988 तथा महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर अवस्थित स्थिर प्लेट-फार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन प्रोटोकोल, 1988 पर आधारित है और ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध व सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर पर आधारित है।

यह अभिसमय और प्रोटोकोल विश्व में सभी प्रकार के आतंकवाद के बढ़ने के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहरी चिंता की पृष्ठभूमि में स्वीकार किए गए थे। इस आतंकवाद से अनेक लोगों की जानें गई हैं, सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और समाज में विघटन पैदा हुआ है। इस बात पर विचार किया गया कि विधिविरुद्ध कार्यों से समुद्र में जनमाल की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, इसका सामुद्रिक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इससे सामुद्रिक नौवहन की सुरक्षा के प्रति लोगों में विश्वास भी कम होता है।

यदि विश्व के देशों के पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त विधायी शक्तियां होंगी तो विश्व शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसलिए उक्त अभिसमय और प्रोटोकोल के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु प्रस्तावित अधिनियमन को आवश्यक समझा गया है। विश्व स्तर पर सामुद्रिक सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में किसी कानून का होना आवश्यक है ताकि समुद्री सीमा अर्थात् निकटतम आर्थिक जोन से 12 समुद्री मील अर्थात् समुचित बेस-लाइन के निकटतम बिन्दु से 200 समुद्री मील अथवा राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 2 के अर्थों में आनेवाले भारत की अन्य कोई समुद्री सीमा सहित पूरे भारत में सुरक्षित नौपरिवहन सुनिश्चित किया जा सके। मैं तत्संबंधी तकनीकी ब्यौरा प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूं।

प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत विधिविरुद्ध कार्यों अथवा अपराधों का उल्लेख प्रारूप विधेयक के अध्याय दो, धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। स्थिर प्लेटफार्म अथवा किसी पोत के फलक पर किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा, स्थिर प्लेटफार्म अथवा पोत पर तोड़-फोड़ करना या उसे क्षति पहुंचाना, किसी पोत अथवा स्थिर प्लेटफार्म को जब्त किया जाना, किसी उपकरण अथवा ऐसे पदार्थ का रखा जाना, जिससे स्थिर प्लेटफार्म अथवा पोत नष्ट हो सकता है सामुद्रिक नौपरिवहन सुविधाओं को नष्ट करना अथवा क्षति पहुंचाना या गलत सूचना देना, इत्यादि से कुछ विधिविरुद्ध कार्य हैं, जिनका उल्लेख इस धारा में किया गया है। तेल का पता लगाने संबंधी हमारे कार्यकलापों की दृष्टि से स्थिर प्लेटफार्म काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

अभी तक इन विधिविरुद्ध कार्यों के संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इस विधेयक को तीन अध्यायों और 14 धाराओं में बांटा गया है। मैं इस धाराओं का संक्षेप में उल्लेख करूंगा वस्तुत: मैं उन्हें पढ़ूंगा नहीं। मैं उनके बारे में सिर्फ एक पंक्ति में बताऊंगा। जैसा कि विषयसूची में दिया गया है। धारा 1 और 2 क्रमश: विधेयक का नाम और परिभाषा हैं। धारा 3 में व्यक्तियों, समुद्री जहाजों, स्थिर प्लेटफार्मों, जहाज में लदे माल और नौपरिवहन सुविधाओं के विरुद्ध किए गए उन अपराधों का उल्लेख किया गया है जो कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आएंगे तथा इस धारा में तत्संबंधी दंडों का भी उल्लेख है।

इस प्रकार, इस विधेयक में दंड का भी प्रावधान किया गया है। धारा 4 में केन्द्रीय सरकार को जांच की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगली धारा में संबंधित राज्य सरकारों को अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अभिहित न्यायालयों के अध्यधीन सत्र न्यायालय अभिहित करने की शक्ति प्रदान की गयी है। अगली धारा में उन अपराधों का उल्लेख है जिनकी सुनवाई अभिहित न्यायालयों में की जा सकेगी – आप उन्हें सामान्य श्रेणी में नहीं रख सकते; बल्कि आपको उन्हें विनिर्दिष्ट करना होगा। अगली धारा में यह प्रावधान किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध अभिहित न्यायालय की कार्यवाहियों पर लागू होंगे। इससे अगली धारा में जमानत के लिए उपबंधों का प्रावधान किया गया है जबकि धारा 9 में प्रत्यर्पण का प्रावधान किया गया है। इस समय पूरे विश्व में अपराधियों का प्रत्यर्पण काफी महत्वपूर्ण हो गया है। यह धारा केन्द्रीय सरकार को समझौता करने वाले पक्षों के लिए अभिसमय को अभिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे अगली धारा में केन्द्र सरकार को अभिसमय का समर्थन करने वाले राज्यों में कतिपय पोतों के पंजीकरण हेतु शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इससे अगली धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अब इस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। केन्द्र सरकार की अनुमति के बगैर आप किसी पर मुकदमा नहीं चला सकते। इससे अगली धारा में अपराधों की स्वीकारोक्ति का प्रावधान किया गया है जबकि धारा 14 में सही समय पर की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधेयक का अधिनियमन किए जाने से भारत न केवल अनेक विकसित सामुद्रिक देशों के बराबर हो जाएगा, बल्कि इससे इसकी स्थिति भी उत्कृष्ट

होगी तथा सरकारी तंत्र भी सामुद्रिक नौपरिवहन सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों से अच्छी तरह निपट सकेगा और ऐसे मामलों का त्वरित व कुशल निपटारा सुनिश्चित कर सकेगा। इसकी आवश्यकता बढ़ रही है, इसलिए यह कानून बहुत आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर अवस्थित स्थिर प्लेट-फार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन अभिसमय और प्रोटोकोल को प्रभावी करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : सभापति महोदय, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के साथ जो घटना घटित हुई है, उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य देना था। हमारा आपसे आग्रह है कि हमें यह बताया जाये कि गृह मंत्री जी का वक्तव्य किस वक्त होगा क्योंकि सदन समाप्त होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपकी भावनाएं अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति जी, मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि यहां गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। वे ही हमें बता दें कि माननीय गृह मंत्री जी कितने बजे अपना वक्तव्य देंगे।... *(व्यवधान)* आप हमें समय बता दीजिए।... *(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : बिल पास होने के बाद माननीय मंत्री जी आकर वक्तव्य देंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अखिलेश सिंह जी, जिस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पास होने के तत्काल बाद मंत्री जी आकर अपना वक्तव्य देंगे। आपने जो कुछ कहा है।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति महोदय, चेयर से निर्देश दिया गया था।... *(व्यवधान)* सदन उठने से पहले गृह मंत्री जी वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरी बात पूरी होने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : हम आपको केवल उस बात की याद दिला रहे हैं जो उप-प्रधानमंत्री जी ने सुबह कही थी।

सभापति महोदय : उस समय मैं सभा में उपस्थित था।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति महोदय, सदन समाप्त होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। गृह मंत्री जी आकर वक्तव्य दें।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपकी भावना से माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करा रहा हूं।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी सदन में नहीं हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : वह आएंगे और वक्तव्य देंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं माननीय पोतपरिवहन मंत्री श्री वेद प्रकाश गोयल द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं।

बढ़ती हिंसा संपूर्ण मानवता के लिए बड़ी चिंता की बात है। हाल के वर्षों में आतंकवाद विभिन्न रूपों में बढ़ा है और सभी देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध पहले ही जंग छेड़ रखी है। संपूर्ण विश्व इस प्रयास में सहभागी हो रहा है। इस विधान को समुद्र क्षेत्र को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाने हेतु लाया गया है। विश्व के बदलते हालात के मद्देनजर वैश्विक समुद्री सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और ऐसा विधान समस्त भारत, जिसमें प्रादेशिक नदियों की सीमा, महाद्वीपिय 'शैल्फ' और विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र शामिल है, में सुरक्षित नौवहन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह कानून समुद्र क्षेत्र में ऐसे आतंकवाद, से सुरक्षा प्रदान करने

[श्री रमेश चेन्नितला]

के लिए है जिससे यात्रियों, नाविक दल और जहाजों की सुरक्षा को खतरा पहुंचे।

महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने सही कहा है इस विधेयक का प्रारूप यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 और सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 की तर्ज पर बनाया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों को समुद्रीय संगठन सम्मेलन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संशोधित किया गया है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों को पूरा करने के लिए इस विधेयक को सभा के समक्ष लाया गया है। यह प्रस्तावित अधिनियमन सरकार को आई०एम०ओ० सम्मेलन और विज्ञप्ति के कार्यान्वियन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझा गया। इस प्रकार के कानून को पारित करने से निश्चित ही भारत उन चुने हुए विकसित देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने इस सम्मेलन को स्वीकार लिया है और इसके लिए आवश्यक विधान अधिनियमित किया है। इस कानून को पारित करने के बाद भारत को उस प्रकार की मान्यता मिल जाएगी और भारत सरकार को हमारे समुद्रिय क्षेत्र में इस प्रकार की गैर-कानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल जाएगी।

महोदय, हाल के वर्षों में जहाजों पर सशस्त्र, लूट और डाका डालने की गंभीर घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। समुद्र सुरक्षा समस्त विश्व में एक गंभीर चिंता का विषय है। 1997 में ही इन्हीं कारणों से 229 हमले हुए और 51 लोगों की जानें गयी। निश्चित ही इससे विश्व पोतपरिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर खतरा बढ़ा है। इसके निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जब ऐसी घटनाएं समुद में घटती है तब कुछ घटनाओं को तो ठीक से जानकारी में नहीं लाया जाता। इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट न छपने से इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परंतु 1994 से हमले की घटनाओं में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। अगर आंकड़ों को देखें तो दक्षिण पूर्व और सुदूर पूर्व में 110 घटनाएं घटी हैं। दक्षिण अमरीका में 22 घटनाएं, भारतीय महासागर में 31 घटनाएं, पश्चिमी अफ्रीका में 29 घटनाएं, आठ घटनाएं पूर्वी अफ्रीका में और भूमध्यसागर में 6 घटनाएं घटी हैं। इंडोनेशिया ऐसा क्षेत्र है जहां इस तरह की अधिकाधिक घटनाएं घट रही हैं। इस क्षेत्र को सर्वाधिक खतरे वाला क्षेत्र माना जाता है क्योंकि सबसे अधिक हमले अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उस समय होते हैं जब जहाज या तो लंगर डाले खड़े हों या पोत-घाट पर खड़े हों।

चार बड़े प्रकार के हमले हो रहे हैं। एक हैं सशस्त्र डकैती या सिर्फ जहाज के पैसों या उसके उपकरणों के लिए उसको लक्ष्य बनाया जाता है इत्यादि। दूसरा प्रकार है जहाज का स्थायी तौर पर अपहरण। इस प्रकार का हमला ज्यादातर सुदूर पूर्व में देखा जाता है और तीसरा प्रकार है जहाज का स्टील या कार्गो के लिए अपहरण। चौथे प्रकार में अपहरण में सम्भवत: कोई देश भी लिप्त होता है। इन चारों में से आखरी दो तरह के हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं वह है स्टील और कार्गो के लिए जहाज का अपहरण और संभावित रूप से देश की इसमें संलिप्तता। ऐसी दो प्रकार की घटनाएं संपूर्ण विश्व में घट रही है।

ऐसी समुद्री डकैती की घटनाओं पर काबू पाने के लिए देशों के मध्य सहयोग बहुत जरूरी है। उचित जांच भी आवश्यक है। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको उचित सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद ही इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ सकती है। इस प्रकार के कानूनों को बनाने के बाद भी हमने अपने अनुभव से देखा है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति सम्मान में वृद्धि ही होगी और इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन गतिविधियों में और अधिक मजबूती आएगी। उसी के साथ इसका कार्यान्वियन उचित ढंग से होना चाहिए। अन्यथा विश्व में आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियां नौवहन पर अधिक गंभीर प्रभाव डालेगी। यदि हम आंकड़ों को देखें तो वस्तुत: इन नौवहन गतिविधियों से तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ौतरी होनी चाहिए थी। परंतु आंतकवाद और बढ़ती समुद्री डकैतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसलिए मेरे विचार से नौवहन गतिविधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कानून को कड़ाई से और उचित ढंग लागू किया जाना चाहिए।

जहां तक न्यायिक पक्ष है, इस अधिनियम का कार्यान्वियन जैसे अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय में ऐसे अपराधों पर मुकदमा चलाने का काम संबंधित राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सम्मति से करेंगी। इस पर केन्द्र की भी उचित निगरानी होनी चाहिए। नि:संदेह, हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां राज्यों और उसके अन्य अंगों को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। परंतु इस पर ठीक तरह से निगरानी की जानी चाहिए। हमने देखा है कि पंचायती राज से संबंधित किए गये संवैधानिक संशोधनों के बावजूद ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं की है। केवल विधान पारित करने से ही हमारा भला नहीं होना वाला। विधान का उचित कार्यान्वयन भी इसका अति महत्वपूर्ण पक्ष है।

माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यदि वह विधान का उचित कार्यान्वयन करें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और हमारे नौवहन में भी वृद्धि होगी। भारत की इस क्षेत्र में विशाल संभावनाएं हैं। हमारे पास विशाल समुद्र तट है और हमारा जहाजरानी उद्योग भी है। नि:संदेह अब इस उद्योग का पतन हुआ है।

हाल ही में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष मंत्रालय गठित किया

गया है। अधिकाधिक वित्तीय सहायता इस क्षेत्र को दी जाएगी। ये सारे बड़े-बड़े वादे हैं। मैं उन्हें अच्छी भावना से लेता हूं और मैं उनके इस प्रयास में उनकी सफलता की कामना करता हूं। यह सही है कि यह उपेक्षित रहा है। परन्तु आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की है। मैं माननीय मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करता हूं।

कुछ दिन पहले उन्होंने हमें यह वचन दिया था कि वल्लपदम कंटेनर शुरू होने वाला है। मेरे विचार से कल वरिष्ठ अधिकारियों ने वल्लपदम कंटेनर टर्मिनल क्षेत्र का दौरा किया था। केरल सरकार इसके लिए अत्यधिक प्रसन्न है। हम, केरल राज्य के संसद सदस्य, माननीय मंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों से खुश हैं। मेरे विचार से ठोस कदम उठाकर और मंत्रालय के निरन्तर प्रयासों से इन कार्यकलापों में सुधार लाया जा सकता है और चोरी पर रोक लगायी जा सकती है। समुचित नौवहन कार्यकलाप सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

मैं पुनः इस विधान का स्वागत करता हूं और इस सम्मानित सभा के समक्ष यह विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, हालांकि मैं यह अनिच्छापूर्वक कर रहा हूं क्योंकि जहाजरानी और नौवहन से संबंधित बड़ी संख्या में विधान हैं। 1872 में मुम्बई पत्तन अधिनियम बनाया गया था। इसके बाद हमने जहाजरानी और नौवहन के बारे में कई अधिनियमन किए हैं।

जब कभी भी हम किसी सम्मेलन में भाग लेते हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, तो वहां से लौटने के बाद हम एक अन्य विधान लाना शुरू कर देते हैं। हाल ही में हमने सामुद्रिक नौपरिवहन (संशोधन) अधिनियम पारित किया है जिसमें नयाचार का ध्यान रखा गया है, जिसपर रोम में 1992 में हस्ताक्षर किया गया था। उस नयाचार, जिसपर 1998 में हस्ताक्षर किया गया, का सामुद्रिक नौपरिवहन विधेयक आदि द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पोत और नौपरिवहन अधिनियम में पोत नौपरिवहन क्षति और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अधिनियमित किया जाता तो बहुत अच्छा होता।

मैं आपका ध्यान भारतीय दंड संहिता की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें नौवहन में क्षति, नौवहनीय संकेत और अन्य बातों की क्षति के संबंध में कई उपबंध हैं। आपको सविनय बताना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की भूमि अथवा किसी सम्पत्ति के एक हिस्से पर जोर जबरदस्ती हथिया लेता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत युद्ध छेड़ने का दोषी होगा। अतः हम केवल उन्हीं उपबंधों पर विचार कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। केवल यही बात है कि हम एक ऐसे उपबंध का अधिनियमन कर रहे हैं जिससे हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे नयाचार, जिसपर हमने हस्ताक्षर किया है, को स्वीकृति प्रदान की जाये।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि कुछ वर्ष पूर्व हमने 1976 के क्षेत्रीय जलक्षेत्र, महाद्वीपीय मग्नतट, पृथक आर्थिक जोन और अन्य सामुद्रिक नौपरिवहन जोन अधिनियम का अधिनियमन किया था। माननीय मंत्री महाद्वीपीय मग्नतट और उन सभी बातों के बारे में बोल रहे थे। क्या अलग से अधिनियमन लाने की बजाय उस अधिनियम में ही संशोधन द्वारा इन सभी बातों को शामिल करना संभव नहीं होगा ? मैं कहूंगा कि एक लेटिन कहावत है 'सुम्मस जस, सुम्मा इन्ज्यूरिया' अर्थात् यदि कई विधान हैं तो इससे लोगों को अत्यधिक परेशानी होगी। कोई व्यक्ति यह नहीं जानता है कि दंड के माध्यम से उसकी जेब कब खाली हो जाएगी। कोई यह नहीं जानता कि कई विधानों के कारण कब उसका घर जब्त हो जाएगा। यह कोई नहीं जान पाता कि इतने अधिक विधानों से क्या उसकी आजादी छिन जाएगी। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधान, जिसे लाया गया है, बहुत अच्छा विधान है। परन्तु इसे अन्य विधानों, जो लागू हैं, में जोड़ दिया जा सकता था।

जहां तक सामुद्रिक सुरक्षा का संबंध है, यह एक तथ्य है कि आजकल, अपहरण, आतंकवादी गतिविधियां और अन्य कई कार्यकलाप या तो महाद्वीप मग्नतट अथवा क्षेत्रीय जल क्षेत्र अथवा गहरे समुद्र में हो रहे हैं। अतः, उस क्षेत्र में सरकार की ओर से अत्यधिक सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। आपको यह बता दूं कि अंदमान और निकोबार द्वीप में हमारी समुद्र तटीय रेखा इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसाकि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में अलकायदा के लोगों अथवा अन्य आतंकवादियों ने घुसपैठ की है।

श्री रमेश चेन्नितला दक्षिण पूर्व एशिया में मालक्का जलडमरूमध्य के बारे में उल्लेख कर रहे थे जहां 110 मामले हुए हैं। इनमें से अधिकांश घटनाएं मालक्का जलडमरू मध्य में हुई हैं। मालक्का जलडमरूमध्य में सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया का संघ बना है ताकि आंतकवाद, अपहरण और गोली-बारी का मुकाबला किया जा सके। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत सरकार उन तीनों देशों के साथ समझौता करे ताकि हमें बंगाल की खाड़ी में किसी कठिनाई का सामना न करने पड़े। बंग्लादेश लगभग पूरी तरह से आतंकवादी राज्य बन गया है।

अलकायदा के कई लोग उस देश में प्रवेश करके समस्या पैदा कर रहे हैं। बेशक, 'लिट्टे' के कार्यकलाप कम हुए हैं और इसलिए हमें उससे कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु, आगामी 10 अथवा 20 वर्षों में बंगाल की खाड़ी हमारे लिए समस्याग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा। अतः, जब हम इस तरह के किसी कानून का अधिनियमन करते हैं तो हमें अन्य कई बातों पर विचार करना होता है और इसका समुचित अधिनियमन सुनिश्चित करना होगा और ऐसे अधिनियमन को समुचित

[श्री अनादि साहू]

ढंग से लागू करना होगा ताकि हमारी सम्पत्तियों, हमारे जहाजों, हमारे पोतों और सभी अन्य समुद्री साधनों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके।

महोदय, मेरे मन में एक शंका है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस विधेयक के खंड 4 की ओर दिलाना चाहूंगा जहां इस विधेयक में जांच, गिरफ्तारी और अभियोजन के लिए शक्तियां तटरक्षकों को दिए जाने की संभावना है। इस मामले पर मेरी अलग राय है। अब, तटरक्षक अधिनियम की धारा 4 में यह उल्लेख किया गया है कि यह संघ का सशस्त्र बल है। संघ के सशस्त्र बल मामलों की जांच और अभियोजन का काम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वह कोर्ट मार्शल अथवा बल के अनुशासन से संबंधित न हो। इस विधेयक के खंड 4 के अधीन जांच करने की शक्ति तटरक्षकों और केन्द्र सरकार के अन्य अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव है। मेरा यह सुझाव है कि जांच एक बेचीदा मामला है और इसके लिए व्यावसायिक दक्षता अपेक्षित होती है। जहां तक तटीय क्षेत्र की सुरक्षा का संबंध है भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी पोत द्वारा मत्स्यन का विनियम) अधिनियम, 1981 का अधिनियमन करते समय सरकार ने कतिपय शक्तियां तटरक्षक को प्रदान की थी क्योंकि, तटरक्षक अधिनियम की धारा 4 में कृत्रिम द्वीपों आदि की सुरक्षा और संरक्षा की व्यवस्था की गई है। अत:, भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी पोत द्वारा मत्स्यन का विनियम) अधिनियम में ही सरकार ने तटरक्षकों को परिसम्पत्तियों को जब्त करने, व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की है परन्तु, बाद में इन्हें राज्य को सौंपना होगा ताकि संबंधित क्षेत्र की पुलिस, जोकि समुचित ढंग से कार्य करती रही है, द्वारा जांच की जा सके। अत: मेरा यह सुझाव है कि तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करने के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में कमी है और वह कमी यह है कि इस विधेयक के अंतर्गत नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है। यह एक नया क्षेत्र है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अत:, यदि इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता है और यदि इसके अंतर्गत नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है तो सरकार को बार-बार संसद के समक्ष आना पड़ेगा। अत: इस विधेयक में ही नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान होना चाहिए।

सरकार ने अभिहित न्यायालय को शक्ति प्रदान की है जिसमें मुकदमा चलाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस विधेयक में निवारक उपबंध हैं, जमानत पर प्रतिबंध, कठोर दंड की व्यवस्था है और अन्य बड़े पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने त्वरित अभियोजन के लिए अभिहित न्यायालय को गठित किया है जहां मुकदमा चलाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब मुकदमा संबंधी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो मेरे विचार से अभिहित न्यायालय में शिकायत के मामले भेजना और निवारक दंड दिलाना समुचित नहीं है।

अत: मेरा अनुरोध है कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाद में न्यायालय में यह प्रभावहीन न हो।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मेरा समर्थन इस विधेयक के कतिपय मामलों तक ही सीमित है। जैसाकि मैंने पहले बताया है, कि यदि यह गहरे समुद्र में आतंकवाद को रोकने का कोई प्रयास है तो मेरे विचार से यह सांविधि बहुत सहायक नहीं होगी। हमारा कटु अनुभव रहा है। हमने आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) अधिनियमित किया है और अंतत: इसका यह परिणाम निकला कि हमारे मित्र और सहयोगी श्री वाइको गिरफ्तार हो गए और वे वेल्लोर सेंट्रल जेल में पड़े हुए हैं।

इस प्रकार हमने इस अधिनियम को कार्यान्वित किया है। ऐसी बात तो है ही।

यहां पर भी, हम गहरे समुद्र में किए जा रहे आतंकवाद के बारे में बोल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो यह विधेयक हमारे लिए अधिक सहायक नहीं होगा। इसका क्या कारण है ? अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान धारा 12 की ओर दिलाना चाहूंगा :

"इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन नहीं चलाया जायेगा।"

अत: यदि किसी को गिरफ्तार करके और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाना होता है तो इसके लिए इसे केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। केवल पूर्व स्वीकृति के साथ ही अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा क्योंकि अभियोजन की प्रक्रिया उसके गिरफ्तार होने के समय से ही शुरू हो जाती है और इसकी शिकायत अभिमत न्यायालय के समक्ष दर्ज की जाती है। अभियोजन की प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाती है। कोई तटरक्षक अधिकारी, जिसका दर्जा राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी के समतुल्य होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कार्यवाही कैसे कर सकता है ?

यदि आप सही मायने में आतंकवाद को रोकना चाहते हैं तो आप संबंधित अधिकारी को शक्ति दे दीजिए। उसे केन्द्र सरकार को पूर्व स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं होना चाहिए। धारा 12 के अनुसार उसे स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा। यदि गहरे समुद्र में आतंकवाद की कोई घटना होती है, तो तुरन्त कार्रवाई करनी होती

है। यदि ऐसा मामला हो तो उसे केन्द्र सरकार से, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अपराध बहुत दूर अर्थात् मुम्बई पत्तन, कोचीन पत्तन अथवा कोलकत्ता पत्तन के समीप होता है और कार्यवाही करने वाले व्यक्ति को नई दिल्ली स्थित प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। इसका निवारण कैसे किया जा सकता है ? त्वरित कार्यवाही कैसे की जा सकती है ? स्वीकृति लिए बिना उसे हिरासत में कैसे लिया जा सकता है ?

यदि पुर्वानुमति नहीं ली गई है, तो न्यायालय पूरे मुकदमें को ही खारिज कर देगा। ऐसी ही शर्त पूर्वापेक्षित है। जब मामला न्यायालय के समक्ष आता है, तो न्यायालय यह देखेगा कि क्या सरकार से पुर्वानुमति लिए जाने के बाद ही मुकदमें की कार्यवाही आरंभ की गई है। अधिकारी की तत्परता के कारण, यदि उसने गिरफ्तारी की है और उसे प्रस्तुत किया है तो इसे यह शक्ति भी दें कि वह 'पुर्वानुमति' के बिना ही ऐसा कर सके। जैसा ही बचाव पक्ष का वकील इस मामले को उठाएगा तो न्यायालय पुर्वानुमति के अभाव में पूरे मामले को ही खारिज कर देगा। क्या इसी तरीके से आप गहरे समुद्र में हुई आतंकवादी कार्यवाही का सामना करने जा रहे हैं।

मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि : "आप केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति लेकर आतंकवाद को कैसे रोक सकते हैं ? अत: आप एक काम कीजिए। आप व्यक्ति को शक्तियां दीजिए। यदि आप गहरे समुद्र में आतंकवादी कार्यवाहियों को रोकना चाहते हैं तो आपको अधिक शक्तियां देते समय संबंधित अधिकारी को शक्तियां प्रदान में अधिक सावधान रहना पड़ेगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : दूसरे, यह अधिनियम आंशिक रूप से हमारी प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हम सबका प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के बारे में बड़ा खराब अनुभव रहा है। मलेशिया में न्यायालय ने क्वात्रोच्ची के मामले में हमारे प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज कर दिया था। अत:, हमारी प्रत्यर्पण की कार्यवाही हमेशा असफल रहती है।

संयुक्त अरब में हमारी कार्यवाही नेकनीयती के अभाव में असफल रही। वे यही कहते हैं। मलेशियाई न्यायालय ने भी यह पाया कि भारतीय प्राधिकारियों ने एक व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु 8 पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। अत:, इस अधिनियम को प्रत्यर्पण से भी जोड़ा गया है। इसमें 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम का भी हवाला किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने मामले साबित नहीं कर पाते। अत:, हम प्रत्यर्पण के कई मामलों में विफल रहे हैं। यह अधिनियम प्रत्यर्पण की कार्यवाहियों से भी जुड़ा हुआ है। आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह प्रत्यर्पण की कार्यवाहियों का भी मामला है। यह अधिनियम सरकार के लिए अधिक सहायक नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, जिस न्यायालय को सत्र न्यायाधीश की शक्तियां प्राप्त हैं वह निश्चित रूप से एक अभिहित न्यायालय है। सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है।

सभापति महोदय : अब, सरदार सिमरनजीत सिंह मान।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं क्या कर सकता हूं ? जब मैं बोलता हूं तो आप हमेशा टोकते हैं। अत: मैं चुप हो जाता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, इस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कह रहा हूं : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मैं इस विधेयक की सभी वैधानिक खामियों को इंगित कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मैं यह सुझाव दूंगा कि जब तक हम प्रत्यर्पण की कार्यवाहियों में अत्यधिक सतर्कता नहीं बरतेंगे तब तक हम अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में होने वाले आतंकवाद को रोकना है।

इसके अतिरिक्त मुख्य प्रावधान में कुछ कठिनाइयां हैं। जैसा कि आप जानते हैं धारा 8 मुख्य प्रावधान के बारे में है और उसमें लिखा है।

सभापति महोदय : कृपया सहयोग करें और अब समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मुझे यह बहुत कठिन लगता है क्योंकि मेरे विचारों में सीधे दखलंदाजी हो रही है। अत:, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कुछ समय के लिए मुझे टोकें नहीं जिससे कि मैं अपना भाषण शीघ्रता से समाप्त कर सकूं।

मुख्य आवेदन में कुछ अड़चनें हैं और उस कार्य हेतु हम अपराध प्रक्रिया संहिता के सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं और हमें उससे पहले यह विधेयक पारित करना है। अत: कृपया सहयोग दें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं आपका निवेदन स्वीकार करता हूं और यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस विधेयक में जब तक कुछ संशोधन नहीं किए जाते तब तक इससे भविष्य में कठिनाइयां पैदा होती रहेंगी। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

जब एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो यह बेहतर होगा कि उससे संबंधित नियम भी उसके साथ ही प्रस्तुत किए जाएं क्योंकि नियम काफी लंबे समय के बाद आते हैं और हमें उन्हें देखने का समय नहीं मिल पाता।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब किसी विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है तो उसके साथ-साथ उसके नियम भी बनाए जाएं और उन्हें विधेयक के साथ ही यहां प्रस्तुत किया जाए जिससे कि भविष्य में होने वाले लाभ-हानियां यहां स्पष्ट रूप से चर्चा की जा सके। उस मामले में यह स्वागतयोग्य होगा।

अपराह्न 5.58 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से आवश्यक संशोधन करने का पुन: अनुरोध करता हूं जिससे कि हम सभी आतंकवाद, विशेषकर गहरे समुद्र में आतंकवाद को रोकने हेतु सहमत हों। इसके अतिरिक्त, भारत के क्षेत्राधिकार से संबंधित कानून सटीक और संक्षिप्त और अंतिम होने चाहिएं और यह अंतिम होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने की अनुमति देने हेतु आपका धन्यवाद।

संविधान के अनुच्छेद 51 में, स्पष्ट रूप से यह नीति उल्लिखित की गई है कि राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है जिसका पोत परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री ने कर्त्तव्यपरायणता सहित पालन किया है। लेकिन नौ-परिवहन और व्यावसायिक पोत परिवहन की सुरक्षा के संबंध में, इस विधेयक के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, छ: बज गए हैं, माननीय गृह मंत्री जी का बयान होना था और यह सबसे महत्वपूर्ण है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी इनका भाषण पूरा हो जाएगा। उसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे और फिर गृह मंत्री जी बयान देंगे।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : इस विधेयक में यह प्रावधान नहीं है कि राज्य किसी भी व्यावसायिक शिपिंग कम्पनी, जिसे सुरक्षा गार्डों या तटरक्षक गार्डों और नौसेना से सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, को कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा।

सायं 6.00 बजे

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल मलक्का जलडमरूमध्य के कठिन रास्ते में, जहां समुद्री डाकुओं का खतरा है और इन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में जहां हमारे नौवहन संबंधी हित हैं, में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे।

हमने आतंकवाद के बारे में बात की है लेकिन मेरा प्रश्न यह है। क्या तटरक्षक बल, यदि मांग की जाती है तो, व्यावसायिक जहाजों पर सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे या वे नि:शस्त्र होंगे ? इस विधेयक में नौसैनिक सुरक्षा, तटरक्षक बलों द्वारा सुरक्षा या जहाज पर सुरक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके बाद, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि यह सरकार संविधान के अनुच्छेद 51 को ध्यान में रख रही है जिसमें राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने हेतु कुछ बाध्यताएं लागू होती हैं। इसपर मैं निम्नलिखित संधियों/समझौतों का उल्लेख करूंगा :

(1) जनसंहार के अपराध का विवरण और सजा संबंधी 1948 का कन्वेंशन।

(2) शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 का कन्वेंशन।

(3) राज्य-विहीन लोगों की स्थिति से संबंधित 1954 का कन्वेंशन।

(4) औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान करने संबंधी 1960 की घोषणा।

(5) सभी तरह के जातीय भेदभावों को दूर करने संबंधी 1965 का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन।

(6) 1966 आप्सनल प्रोटोकाल टू द इंटरनैशनल कॉवीनैन्ट आम सिविल एंड पालिटिकल राइट्स।

(7) शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1967 का प्रोटोकॉल। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1947 से कश्मीर में उनकी भी 30 हजार राज्यविहीन सिक्ख शरणार्थी हैं।

(8) प्रक्षेपास्त्र-रोधी मिसाइल प्रणाली को परिसीमित करने संबंधी 1972 की संधि।

(9) विश्व संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी 1972 का कन्वेंशन। यदि इस संधि का पालन किया जाता तो न तो हरमिन्दर साहिब, स्वर्ण मंदिर को कंकर-पत्थर समझा जाता और न ही 1992 में बाबरी मस्जिद को।

(10) उत्पीड़न और अन्य क्रूर अमानवीय व्यवहार या असम्मानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध 1984 का कन्वेंशन।

(11) मृत्यु दंड प्राप्त लोगों ने अधिकारों की 1984 में गारंटी-प्राप्त सुरक्षा और संरक्षण।

(12) परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1995।

(13) व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि 1996।

(14) 1997 में ऐंटी-परसनल माइन्स के इस्तेमाल करने उसका भंडारण करने, उत्पादन करने, अंतरण करने और उनको नष्ट करने (बारूदी सुरंगों को नष्ट करने संबंधी ओटावा समझौता) संबंधी सम्मेलन हुआ था; और

(15) 2001 के रोम संविधि के अंतर्गत हेग में इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गयी।

मेरे विचार से यदि इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत सरकार भी अधिनियमित करें तो भारतीय राज्य भी अधिक मानवतावादी हो जाएगा। वह एक आधुनिक, मुक्त लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष समाज बन जाएगा।

पोतपरिवहन मंत्री जी यह विधेयक पारित कर रहे हैं। पंजाब चारो ओर से भूमि से घिरा हुआ है। हमारे पास नौवहन प्रशिक्षण के लिए कोई विद्यालय नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब जैसे राज्य में व्यापारी पोत में हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए नौवहन प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाएं।

श्री वेद प्रकाश गोयल : महोदय, मैं अपने प्रबुद्ध सहयोगियों का उनके द्वारा इस विधेयक पर उठाए गये मुद्दों के लिए आभारी हूं।

जैसा कि आपने देखा है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप जिसकी संपूर्ण विश्व को आज के आतंकवाद के दौर में आवश्यकता समझी गई है।

श्री चेन्नितला ने आतंकवाद पर कुछ मुद्दे उठाए हैं। जैसा कि मैंने शुरूआत में कहा है कि यह वास्तव में भारत के लिए विश्व के किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में घटी कतिपय घटनाओं के बारे में बताया है। हम बड़े सजग हैं और बहुत खुश हैं कि हम ऐसी स्थिति से कोसों दूर हैं। इस मामले में हमारी स्थिति इंडोनेशिया और न ही उस जैसे किसी अन्य देश जैसी हैं। हमारी नाविक सुरक्षा उनसे काफी बेहतर है। इसी प्रकार अपहरण की घटनाओं और अन्य देशों के साथ सहयोग के संबंध में हमारी मलेशिया, सिंगापुर और यहां तक कि इंडोनेशिया के साथ सक्रिय सहभागिता है। जो भी घट रहा है उस पर हम नियमित रूप से उनसे संपर्क कर रहे हैं। हम उनसे विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।

इस बात का अनुरोध किया जा रहा है कि कानून का उचित कार्यान्वियन हो। जब हम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाग लेते हैं तो हमारी मंशा स्पष्ट होती है कि हम पूर्णतया इसका अनुसरण करना चाहते हैं। इसीलिए राज्य स्तर पर विशेष न्यायालय की स्थापना की जा रही है ताकि न्याय मिलने में विलंब न हो।

इसी घटनाक्रम में उन्होंने भी वल्लारपदम का उल्लेख किया है, जिसका उल्लेख उन सभी माननीय सदस्यों ने किया है जिन्होंने सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा पर बात की है। मैं प्रसन्न हूं कि उन्होंने वर्तमान सरकार की गतिविधियों की सराहना की है। मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं कि आई०एम०ओ० और अन्य प्रादेशिक निकाय आतंकवाद पर निगरानी रख रहे हैं। भारत लंबे समय से इन निकायों में सक्रिय भाग लेता रहा है। इसलिए हम हमेशा निगरानी तंत्र का हिस्सा रहे हैं।

श्री अनादि साहू ने विधेयक का समर्थन करते हुए अनिच्छा से पत्तन से संबंधित कतिपय अन्य तथ्यों का उल्लेख किया है। इसके साथ-साथ वे इसकी भी जानकारी दे रहे हैं कि हालांकि इस संबंध में कानून पहले से ही है परंतु उसका संशोधन करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए – कानून को महत्व और शक्ति प्रदान करने के लिए इस विधान का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बंग्लादेश, मलेशिया इत्यादि का उल्लेख किया है जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं।

तटरक्षकों की शक्तियों को इसमें निर्दिष्ट किया गया है उन्हें इससे अलग नहीं रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विषय पर सामुद्रिक नौपरिवहन के संबंध में काफी व्यापक विधान है। एक समिति एम०एस० अधिनियम के पुनः प्रारूप का अध्ययन कर रही है, जिसका उल्लेख एक माननीय सदस्य ने यहां किया था। यह 1972 का बहुत पुराना अधिनियम है। इस अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान अनावश्यक हो गये थे और कई नए परिवर्तन आने लगे हैं। इस समिति का प्रतिवेदन छह माह के समय में अपेक्षित है।

श्री अनादि साहू ने पुनः इंडोनेशिया इत्यादि पर कतिपय बातें कहीं हैं जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। तटरक्षकों को दी गई शक्तियां पर्याप्त हैं। हम इस चरण में कुछ जोड़ घटा नहीं सकते।

यह जानी-मानी बात है कि जांच एक विशेषज्ञता वाला कार्य है। इसलिए, केवल अभिहित न्यायालय द्वारा ही जांच और उससे भी अधिक मुकदमा चलाए जाने का कार्य किया जाना होता है। इसलिए,

[श्री वेद प्रकाश गोयल]

ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जो विशेष न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती हो, परंतु कुछ कार्रवाइयां तत्काल किए जाने की आवश्यकता होती है विशेषकर आतंकवाद के मामले में। इसलिए, उन्हें कतिपय शक्तियां दी गई हैं जिनका वे प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उन्हें अपराधियों को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई आवश्यक है जिसका आप भी अनुमोदन करेंगे।

जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके अनुसार नियम बनाए जाते हैं और आमतौर पर यह विधेयक का हिस्सा नहीं होते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : हम बिल पास कराने के लिए तैयार हैं, आप लम्बा भाषण क्यों दे रहे हैं।

श्री वेद प्रकाश गोयल : मेरे पास इसमें कुछ एड करने के लिए नया नहीं है। मान साहब ने बहुत से पुराने इन्सटांसेज दिये हैं और लिस्ट बताई है। लेकिन वे उससे कंसर्न्ड नहीं हैं। लेकिन उनका यह सुझाव मान्य है कि उत्तर भारत में जहां समुद्र नहीं है, वहां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाये जाएं। हम सब जगह इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं और उसमें पंजाब भी शामिल होगा। हम बहुत से इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ऐसा लगता है कि वे इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए बहुत उतावले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वेद प्रकाश गोयल : और कुछ एड करने के लायक नहीं रहा है।

[अनुवाद]

मेरे विद्वान मित्रों ने अनेक बातें कही हैं। मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर अवस्थित स्थिर प्लेट-फार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन अभिसमय और प्रोटोकोल को प्रभावी करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 14 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री वेद प्रकाश गोयल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.12 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

किसानों के 9 दिसम्बर, 2002 को हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की कथित ज्यादती की जांच करने हेतु समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर 9 दिसम्बर, 2002 को नई दिल्ली में हुए हमले पर आज जब सभा में मामला उठाया गया तो सभा की एकमत मांग यह थी कि इस घटना की जांच हेतु अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया जाए।

तदनुसार, मैंने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर 9 दिसम्बर, 2002 को किए गये हमले की घटना की जांच हेतु एक समिति गठित की है जिसके निम्नलिखित 15 सदस्य होंगे :–

1. श्री विजय कुमार मल्होत्रा
2. श्री कीर्ति झा आज़ाद
3. श्री अनादि साहू

4. श्री खारबेल स्वाइं

5. श्री किरीट सोमैया

6. श्री प्रियरंजन दासमुंशी

7. श्रीमती रेणूका चौधरी

8. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

9. श्री हन्नान मोल्लाह

10. श्री बी० वेंकटेस्वरलु

11. श्री रामजीलाल सुमन

12. श्री शिवाजी माने

13. श्री राम सजीवन

14. श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम

15. श्री रघुनाथ झा

मैंने डा० विजय कुमार मल्होत्रा को समिति का सभापति नियुक्त किया है। समिति चालू सत्र की समाप्ति से पहले सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

अब माननीय उप-प्रधान मंत्री और गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

सायं 6.14 बजे

[हिन्दी]

उप-प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर हुए हमले का मुद्दा

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल जब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने कल की घटना के संदर्भ में जो कुछ उन्होंने देखा, अनुभव किया, उसका वर्णन किया, मैं उसी समय बीच में आया था। लेकिन जितना मैंने सुना, उसके कारण मुझे बहुत अफसोस और दुख हुआ और उसी के आधार पर मैंने सरकार की ओर से खेद प्रकट किया। जो दो-तीन बातों की मांग की गई कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिस समय चर्चा चल रही थी तो उस समय प्रातःकाल में तीन लोगों को उनके घरों से जाकर गिरफ्तार किया गया और बाद में यहां आकर किसी और माननीय सदस्य ने बताया कि जब वह बहस चल रही है तो पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सदन के सब पक्षों की ओर से हमारे दो पूर्व प्रधान मंत्रियों की ओर से इस पर क्षोभ प्रकट किया गया कि ऐसी बात राजधानी में हो जाए और वह भी तब जब कि वे किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आये हों, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

मैंने उसी समय, सरकार की ओर से खेद प्रकट किया और साथ-साथ यह भी निर्देश दिया कि जिन आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा बताया गया है, उन्हें तुरन्त छोड़ जाए। मैं इस सम्बन्ध में बता सकता हूं कि उन्हें फॉर्मली गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें ले जाया गया उनके बयान लेने के लिए और बयान लेने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है।

आपने उस समय मुझे आदेश दिया, चूंकि यह भी मांग भी हुई कि न केवल जांच की जाए, वरन् उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और चूंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी को सस्पेंड करूं, उससे पहले उनसे पूछताछ करूंगा। मुझे आपने यह आदेश भी दिया था कि आप जो भी जांच तुरन्त कर सकें वह करें और उसके आधार पर कार्रवाई करें। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं यह करूंगा और शाम को सदन उठने से पहले, मैं सदन को अवगत कराऊंगा कि मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूं।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो दिल्ली पुलिस के लिए तीन प्रमुख अधिकारी हैं, तो इसका दायित्व संभालते हैं, जिनमें प्रमुख एक प्रकार से माननीय उपराज्यपाल, लैफ्टीनैंट गवर्नर, दूसरे जो डायरैक्टली पुलिस को डील करते हैं कमिश्नर आफ पुलिस और तीसरे गृह मंत्रालय के अधीन चूंकि वह आता है, इसलिए गृह सचिव, इन तीनों अधिकारियों को बुलाकर उनसे विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी थी, वे जो स्पॉट पर होंगे, नैचुरली उनमें से जो दोषी होंगे, उनसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। जितनी मैं जानकारी कर सका, जितनी पूछताछ मैं इन अधिकारियों से कर सका, उसके आधार पर मैं प्राइमा-फेसी किसी के खिलाफ कार्रवाई करूं, ऐसा मुझे नहीं लगता।

महोदय, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो समिति बनाई है, उस समिति को ही निर्देश दें कि बाद में जाकर वह अपनी रिपोर्ट जब देगी, तब देती रहेगी, लेकिन आरम्भ में ही अगर वह समिति अन्तरिम रिपोर्ट एक-दो दिन में देना चाहे, जिसके आधार पर, प्रातःकाल जो मांग की गई और जिसके संदर्भ में, मैं बयान दे रहा हूं, तो वह दी जा सकती है। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं किसी को सस्पेंड कर दूं, यह मुझे अन्याय लगता है और ऐसा कर के मैं अपने साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : इसका मतलब स्पीकर साहब, गृह मंत्री जी ने पुलिस द्वारा श्री देवेन्द्र यादव जी की जो पिटाई की गई है वह प्राइमा-फेसी सही है, यह कैसे हो सकता है? *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने जो किया वह ठीक किया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, वह कार्रवाई को वाजिब ठहरा रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की जो पिटाई की गई है वह प्रथमदृष्टया वाजिब है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी का स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए। कृपया बैठिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और तथ्य नहीं जोड़ने हैं। मैंने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही है। मैंने बिना जाने हुए भी, सरकार की ओर से खेद प्रकट किया, लेकिन चूंकि मैं देख रहा था कि उनको चोट लगी है, अगर वे कहते कि फलां ने आज्ञा दी, फलां ने लोगों पर हमला किया है, तो मैं शायद उनसे भी पूछताछ करवा सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं बताया। जितनी जानकारी मुझे मिली, उसके आधार पर मैं किसी अधिकारी को पिन-पाइंट कर के, किसी के खिलाफ कार्रवाई करूं, यह मेरे दायित्व में नहीं आता है और ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। अलबत्ता जो समिति आपने बनाई है, वह यदि कोई अन्तरिम रिपोर्ट दे, तो वह दे सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि पुलिस ने जो किया वह ठीक किया। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रथम दृष्टया उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं पाई, इसका क्या मतलब है। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा कार्य किया होगा, जिससे पुलिस को उनकी पिटाई करनी पड़ी और इस प्रकार से उनकी पिटाई जस्टीफाइड है ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ जी, आप बैठिये। मैं सबसे पहले यादव जी को बोलने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। यादव जी बोल रहे हैं, उनको आप सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, मैं आपको अपने विचार रखने के लिए इजाजत दे रहा हूं लेकिन गृह मंत्री जी ने जो बात कही है कि कमेटी यदि सोचती है कि यह बहुत इम्पोर्टेंट मसला है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए तो उसके लिए एक ही रास्ता है, कमेटी आज ही कान्सटीट्यूट हुई है, कल वह मीट कर सकती है और निर्णय दे सकती है कि इस-इस आफिसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। उस संबंध में वह कमेटी को बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जो कहा है, मैं उसे बोल रहा हूं। मंत्री जी ने यह कहा है कि

[अनुवाद]

समिति एक दिन के अंतर्गत बैठक कर सकती है, विषय पर चर्चा कर सकती है और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रथमदृष्टया उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है ताकि उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के बयान का सीधा मतलब यह है कि पुलिस ने जो कुछ किया, वह ठीक किया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : गृह मंत्री यह उत्तरदायित्व निर्धारित करने में असमर्थ हैं। *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : इस घटना के बयालीस घंटे बाद भी उप-प्रधानमंत्री उत्तरदायित्व निर्धारित करने में विफल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना कल 9 दिसम्बर को संसद मार्ग के जंतर-मंतर नामक स्थान पर 12 बजकर 50 मिनट पर घटी है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन के फर्स्ट ऑवर में सरकार की तरफ से इस पर खेद व्यक्त किया है। *(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री को जो पुलिस ने जानकारी दी है, मुझे लगता है कि वह न केवल गलत है बल्कि निराधार और

कॉन्काक्टेड है। मेरी जानकारी दर्ज की जाये क्योंकि यह सदन है। मैं यहां जो कुछ बोलूंगा। उसके लिए मैं साक्ष्य देने को तैयार हूं। हमारे पास प्राइवेट कैसेट है। माननीय गृह मंत्री जी को पुलिस कैसेट दिखाया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि कैसेट मशीन में लगा हुआ है। वहां जो कुछ हुआ है, वह सब उसमें है। मैं जानता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं ? तीन लोगों को आवास से पकड़ा गया, क्योंकि गृहमंत्री जी केटेगौरिकली बोले हैं, इसलिए मैं तथ्यों को सामने रख देना चाहता हूं। तीन लोगों को सुबह 8 बजकर 40 मिनट पर पकड़ा गया और उनको पकड़ते समय कहा गया कि आप लोगों को हिंद केसरी जी, जो कि पूव मंत्री हैं, वे घायल हैं, उनको आपका समाचार पूछना है इसलिए आपको बुलाया है। वे आपकी वेट कर रहे हैं। उनको एक गलतफहमी से धोखा देकर लेकर जाकर पुलिस थाने में बंद कर दिया गया। इसके बाद जब मैं बीच में गया तो मुझे जानकारी मिली कि पांच आदमियों को और ले जाया गया है। वे छह आदमी को ले गये थे लेकिन उन्होंने एक को कहा कि यह शरीफ लगता है इसलिए इसे छोड़ दो। यह लड़का कम उम्र का है। यानी 23 साल का है। यह ठीक नहीं लगता इसलिए इसे छोड़ दो। जो किसान है यानी जो थोड़ा सा लीडर टाइप का है, वह पोलिटिकल आदमी हो सकता है, उसको ले जाकर बंद करके कहते हैं कि तुम यहां दस्तखत करो कि तुमने शीशे की गाड़ी को तोड़ा या पुलिस पर रोड़े फेंके थे। हम तुम्हें कागज देते हैं, तुम उस पर दस्तखत कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम माफीनामा मांग लो तो अभी तुम्हें छोड़ दिया जायेगा नहीं तो तुम्हें तिहाड़ जेल जाना होगा। इनमें से श्री देव नारायण गुरू मेहता, जोगी लाल चौपाल और कुसुम लाल मंडल थोड़ा सा सीनसेयर थे। वे 1974 से डिवोटेड कार्य करते रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि तिहाड़ क्या, जब बाढ़ और सुखाड़ से हर वर्ष 500 लोग डूब रहे हैं और उसी मांग को लेकर वे दिल्ली आये थे, जो चाहे जेल में ले जाओ, हम कागज पर गलत दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने कोई सिग्नेचर नहीं किया। उनको थाने में बंद करके भूखे प्यासे रखा गया। जब आपका आदेश यहां से गया तब उनसे कहा गया कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। जब हम यहां से गये थे, तब हमें यह पता लगा।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से कुछ नहीं कहना चाहता। उनको जो जानकारी दी गयी है कि प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य जांच के दरम्यान या पुलिस वालों से बात करके सामने आये, उनका यह कहना है कि तुरंत कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं एक बार फिर से कहूं। मुझे कहा गया था कि कोई अधिकारी इसमें दोषी दिखे तो उसे सस्पैंड करने की मांग हो रही है। मैंने कहा कि जो कुछ मैंने पूछताछ की, उसके आधार पर किसी अधिकारी को दोषी पाना मेरे लिए संभव नहीं था। ...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कहता, अगर ज्यादती न होती तो सरकार क्यों खेद प्रकट करती, ज्यादती कहीं जरूर हुई है लेकिन ज्यादती अमुक अधिकारी ने की, इस नतीजे पर मैं नहीं पहुंच सका। इसी आधार पर मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर आप उस कमेटी को यह भी कहें कि एक इंटरिम रिपोर्ट तुरंत दे दे तो संभव है कि कुछ हो सके। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : किसी भी घटना में कॉज़ ऑफ अकरैंस, टाइम ऑफ अकरैंस और प्लेस ऑफ अकरैंस – तीनों बिन्दू सी०आर०पी०सी० के तहत बेसिक प्रिंसिपल हैं। मैं गृह मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि क्या प्लेस ऑफ अकरैंस जंतर-मंतर नहीं था, क्या टाइम ऑफ अकरैंस 12.50 बजे नहीं था ? लाठी, वाटर कैनन चल रहे थे, अश्रु गैस चल रहे थे, आकाश फायर हो रहा था, सब एक ही समय में हो रहा था, वह इसमें कैद है, उसे देखा जा सकता है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। इन तीनों बिन्दुओं पर प्राइमा-फेसी, भारत सरकार के होम मिनिस्टर, आपने ठीक कहा कि अभी तक मैं उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। आपको निष्कर्ष पर पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे, और कितना समय चाहिए। इन्वैस्टीगेशन आप नहीं करेंगे, इन्वैस्टीगेशन वही करेगा जिस पर मेरा आरोप है। श्री मनोज लाल, जो नई दिल्ली के डी०सी०पी० हैं, क्या उनसे आपने यह पूछा है ? मैंने हउस में जो तथ्य दिया है, वह प्रोसीडिंग में दर्ज है कि आपने देवेन्द्र प्रसाद यादव को सोए हुए, पानी कैनन से क्षत-विक्षत हालत में उठाकर कहा कि अब आप माइक पर बोलिए नहीं तो बहुत खराब स्थिति हो सकती है, आप मना कीजिए। जब मॉब वॉयलैंट हो गया, पुलिस ने पहले रोड़े चलाए जो महिला को लगा, जिसके नाम पर मैंने जिक्र किया। जबक एम०एल०ए० और हमारे कार्यकर्ता को लथपथ देखा, पैर में ब्लीडिंग होने लगी तो गुस्से में जरूर लोगों ने कहा हो लेकिन रोड़ा नहीं था। रोड़ा पुलिस के पास कोने में रखा हुआ था, जो मैंने अपनी आंख से देखा। इसकी भी जांच हो कि रोड़े कैसे आए, वह तो बीच रोड़ है, जंतर-मंतर पर बिल्कुल चौड़ी सड़क है, उसमें रोड़े कहां से आए। जो रोड़ा फेंका वही उलटकर आ गया। जब मॉब वॉयरलैंड हो गई, उन्होंने देखा कि काफी संख्या में लोग हैं तो हमको कहा कि आप पुलिस माइक पर बोलिए। क्या डी०सी०पी० श्री मनोज लाल से यह पूछा गया कि देवेन्द्र प्रसाद यादव शांति बहाली के लिए कितनी दूरी तक गए जबकि उनके पैर में चोट थी, हाथ में काफी चोट थी, इसके बाद भी मदद की या नहीं ? वॉयलैंस नहीं हो, हिंसा नहीं हो, इसके लिए उस हालत में भी हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसके बाद श्री देवेगौड़ा वहां पहुंच गए थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री आई विटनस हैं, माननीय सदस्य डा० रघुवंश प्रसाद आई विटनस हैं, माननीय सदस्य रघुनाथ झा जी आई विटनस हैं, राजो सिंह जी आई विटनस हैं। सभी साक्ष्य यहां मौजूद हैं फिर किस बात की जांच होगी। टाइम ऑफ अकरैंस, प्लेस ऑफ अकरैंस और कॉज ऑफ अकरैंस – किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। अब हमको कुछ

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

नहीं कहना, आप जो निर्णय दीजिए, आपने कमेटी बनाने का निर्णय दिया है लेकिन एक प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन अर्ज करना चाहता हूं। दिसम्बर 1970 में श्री कौशिक के केस में क्वैश्चन ऑफ प्रिविलेज का मामला था। श्री कौशिक के, जो महाराष्ट्र से मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट थे, प्रिविलेज के मामले में स्पीकर साहब ने स्पष्ट कन्टैम्प्ट दिया है –

[अनुवाद]

"सभा एक तरह से संसद के उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विशेषकर ऐसे अवसरों पर हमें न्याय-सम्मत होना चाहिए तथा सभा की पवित्रता, गरिमा और अधिकार को बनाए रखना चाहिए। मुझे इस बात पर बल देने की शायद ही आवश्यकता हो कि सर्वश्री के पद्मानभन, आई०पी०एस० और पुलिस अधिकारी, श्री एम०पी० चौबे से, जिन्होंने माननीय संसद सदस्य की पिटाई की थी, सभा के बारे में तत्संबंधी पूछताछ की जा रही है।"

[हिन्दी]

कृपा करके एट दि बार ऑफ दि हाउस आई०पी०एस० मनोज लाल को यहां बुलाया जाये और साक्ष्य लिया जाये, यह 1970 का प्रिसीडेंस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आपको सीरियसली चर्चा चाहिए या नहीं ? ऐसा कैसे होगा कि आप बार-बार बोलने के लिए खड़े हो जाएं।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : माननीय उप-प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद मुझे केवल एक छोटा सा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है। सवेरे जब सदन के अन्दर यह मामला उठा था तो माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन ने मेरा नाम लेकर यह कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रभारी मंत्री जी को इसकी लिखित रूप से सूचना दी थी कि किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल इस विषय में मिलना चाहता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमें इस प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई, हमें इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं मिला ...*(व्यवधान)* एक मिनट। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महारजगंज, उ०प्र०) : आप प्रधानमंत्री जी से सम्बद्ध हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : आप क्या बात करते हैं कि आपको प्रतिनिधिमंडल की सूचना नहीं मिली।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये। आप बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाइये। रामजीलाल सुमन जी, जब मैं आपको मौका दूंगा, आप जरूर बोलेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : यह गलतबयानी हो रही है, देवेन्द्र यादव जी की हाउस ने सुना है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : देवेन्द्र जी, मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विजय गोयल जी, आप बात पूरी करिये।

कुंवर अखिलेश सिंह : आप प्रधानमंत्री कार्यालय से सम्बद्ध मंत्री हैं और देश की राजधानी में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, आपको उसकी जानकारी नहीं है ? ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : जानकारी होना एक बात है।... *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : आपका तो काम ही यह है कि आपको प्रधानमंत्री को सूचना देनी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपको बता दिया कि उन्हें जानकारी नहीं थी।

श्री विजय गोयल : मैं तो कभी-कभी बोलने के लिए खड़ा होता हूं। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अखिलेश जी... *(व्यवधान)* मुझे बात तो पूरी करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनका स्टेटमेंट पूरा हो जाने दीजिए।

श्री विजय गोयल : हमने भी बहुत लाठियां खाई हैं, हम भी जेलों के अन्दर रहे हैं, इमरजेंसी के अन्दर रहे हैं, आप यह मत समझिये कि हम यहां आकर ऐसे ही बैठ गये हैं। आप मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, अपनी जगह पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके बारे में उन्होंने कहा नहीं है। कृपया बैठिये। ये रामजीलाल सुमन जी के निवेदन के बारे में कह रहे हैं, आप कैसे बात कह रहे हो। रामजीलाल सुमन जी, मैं आपको मौका दूंगा, तब आप बोलना। मैं आपको मौका देने वाला हूं।

श्री विजय गोयल : मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। आप किसी को अपनी बात ही नहीं रखने देंगे ? हमने भी बहुत लाठियां खाई

हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जोर-जोर से चिल्लाकर हमारी बात को कहने से रोकें, समाप्त कर दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे तो सुनिये। आप बैठिये।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी सहानुभूति है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि रामजीलाल सुमन जी ने सीधे-सीधे यह कह दिया कि मेरे उन्होंने दस्तखत करा लिये, मुझे उन्होंने दे दिया। जहां तक अखिलेश जी कहते हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए, वह बात तो ठीक है, किन्तु आप यहां आकर यह कहें कि हमने इनको लिखित में दे दिया, हमने आपसे टाइम मांगा था, हमने शिष्टमण्डल से नहीं मिलवाया, प्रधानमंत्री जी आज तक जितने शिष्टमण्डल आये हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री होंगे, जो सबसे ज्यादा सब लोगों से मिलते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस तरह का आरोप मत लगाइये। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जब आपको मौका दूंगा, तब आप बोलना। आप बैठिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, यह मामला कल भी रघुनाथ झा जी ने उठाया था और आज भी यह चर्चा चली। आदरणीय गृहमंत्री जी ने इसका उत्तर भी दिया था। एक बिन्दु पर उप-प्रधानमंत्री जी की जानकारी हासिल करके आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में बयान देना था, जिसमें यह है कि अब तक की जांच से हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि तत्काल कोई कार्रवाई की जा सके। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि जितनी जानकारी की है, जिनती पूछताछ की है, उसके आधार पर मैं किसी अधिकारी विशेष को दोषी मानकर उसके सस्पेंशन का आर्डर दूं, इस स्थिति में मैं नहीं हूं। इसीलिए मैंने कहा कि जो जांच समिति बैठी है, वह अंतरिम रिपोर्ट भी तुरंत दे दे, तो मैं कार्रवाई करने को तैयार हूं। मैं किसी को दोषी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हमारे सामने दो प्रश्न खड़े हैं। अभी ताजा सवाल विजय गोयल जी ने खड़ा किया है। देवेन्द्र जी का कहना है कि हमने लिखित उनके हाथ में दे दिया था।

श्री विजय गोयल : वह कहते हैं कि हाथ से लिखा हुआ था, रामजी लाल सुमन कुछ और कहते हैं। *(व्यवधान)* वह कहते हैं कि टाइप्ड था। *(व्यवधान)* मेरे दस्तखत किए हुए हैं। *(व्यवधान)* वे कहते हैं कि हाथ से लिखा हुआ है, आप कहते हैं कि टाइप किया हुआ है *(व्यवधान)* इसके अंदर लिखा हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, तीसरा सवाल सामने खड़ा है कि देवेन्द्र जी ने कहा कि हमने विजय गोयल जी के हाथ में दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई कागज नहीं मिला था। ये तीन सवाल सामने खड़े हैं। हम गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इन्होंने कहा कि पुलिस उनको उठाकर ले आई बयान लेने के लिए, क्या ऐसा कहीं होता है, सी०आर०पी०सी० और आई०पी०सी० में ऐसा आदेश होता है कि किसी को उठाकर ले आए थाने में कि बयान होगा। पुलिस को बयान लेना था, तो जहां व्यक्ति मिला वहां नहीं लिया जा सकता था। कोई व्यक्ति गवाही था, उसको थाने में उठाकर बंद कर दिया, हवालात में डाला गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि बयान लेने के लिए लाए थे। गृह मंत्री जी आपको पुलिस अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। आप क्यों उनकी बातों पर इतना यकीन करते हैं। आप क्यों नहीं अपने सहयोगियों की बात पर विश्वास करते। आप क्यों नहीं देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय देवेगौड़ा, जो घटना स्थल पर गए थे, उनकी बात पर विश्वास करते। यह दो टके की नौकरी करने वाला पुलिस अधिकारी कहता है कि कहीं कुछ नहीं रहे क्या हो रहा है, इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप सब कुछ जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाठी को काटकर दिखा दिया। आप उस पर यकीन करते हैं। यह है कैसेट, यह हमने नहीं बनवाई। स्पीकर साहब को हमने दी थी। संयोग से स्पीकर साहब देख नहीं पाए, क्योंकि इसके लिए बड़ी मशीन की जरूरत थी और वह उपलब्ध नहीं हो सकी। लाठी चलाने की बात उसमें साफ दिख रही है। इतिहास रोज नहीं बनता। डाक्टरों की यह रिपोर्ट है कि हड्डी टूटी हुई है। पानी के फव्वारे से क्या हड्डी टूटती है ? किसी के नाक से और किसी की आंख से खून गिर रहा है। इनका जो अंगरक्षक है, दिल्ली पुलिस का है, उसके दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। हम एक बात जानना चाहते हैं क्या डाक्टर ने देवेन्द्र जी के प्रभाव में आकर गलत प्रतिवेदन दिया ?

श्री रघुनाथ झा : वहां पुलिस का अफसर मौजूद था।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अगर गलत प्रतिवेदन दिया तो क्या गृह मंत्री जी सदन को बताएंगे और उस डाक्टर को जेल में बंद करवाएंगे ? अगर उस डाक्टर ने सही प्रतिवेदन दिया है, चोट लगी है, खून निकला है, हड्डी टूटी है, तो क्या करेंगे। इसके बाद भी आप कहते हैं कि पता नहीं चल सका। जिस समय यह हुआ, उस समय ड्यूटी पर वहां कोई न कोई इंचार्ज होगा। बिना आदेश के पुलिस लाठी नहीं चलाती। आप सबसे कमजोर पुलिस के सिपाही को ढूंढ़ रहे हैं कि पता चल जाए किस ने मारा, उसको सस्पेंड कर दें। जिसने आदेश दिया, वह मनोज लाल कौन है, जो गिरी हुई अवस्था में टांगकर माइक से बुलवाता

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

है। आप कहते हैं कि पता नहीं चलता, प्रथम दृष्टया इससे नहीं बनता है कि देवेन्द्र जी ने बयान दिया। प्रथम दृष्टया नहीं बनता है कि उनके जख्म के निशान अभी भी मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया इसलिए नहीं बनता कि देवेगौड़ा जी ने कहा। प्रथम दृष्टया इसलिए नहीं बनता कि रघुवंश जी ने कहा। प्रथम दृष्टया इसलिए नहीं बनता कि रघुनाथ झा जी ने कहा। आप प्रथम दृष्टया कहां तलाशेंगे। अगर देवेन्द्र जी मर गए होते, तो आप भी उप प्रधान मंत्री, कंडोलेंस करते और कंडोलेंस के बाद सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाती। गृह मंत्री जी इतिहास बनाइए। इसी तरह की घटना एक माननीय सदस्य के साथ घटी थी। यह मेडिकल रिपोर्ट है, के०एम० कौशिक के साथ, जो आपके ही राज्य के चंद्रपुरा का निवासी था।

इसी सदन ने कटघरा बनाकर उनको बुलाया गया और उनके दोनों आई०पी०एस० के बिल्ले नुचवा दिये गए थे, उनको डिसमिस किया गया था, सस्पेंड नहीं किया था। आज उप प्रधान मंत्री जी को सस्पेंड करने की कहीं कोई जगह दिखाई नहीं देती है।

अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करेंगे कि आप सांसदों के संरक्षक हैं और आज आप देश के भी संरक्षक हैं। फिर एक बार हम उप प्रधान मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि मनोज लाल जो वहां का इंचार्ज था और जिसके आदेश पर लाठी चली, देवेन्द्र यादव की गिरी हुई अवस्था में टांगकर जिसने माइक से बुलाया, उस मनोज लाल को आप निलम्बित कर दीजिए, यह हमारा निवेदन है और हम कहते हैं कि पूरा सदन का निवेदन है। ...*(व्यवधान)* हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को कहना चाहते हैं और यह मत समझिए कि हम बहक कर बोल रहे हैं लेकिन अगर सांसदों की भावनाओं का आदर नहीं कीजिएगा, हमारी भावना का आदर नहीं कीजिएगा तो हम कह रहे हैं कि हम सरकार के सदस्य होते हुए भी हम कल पूरे दिन के लिए हाउस का बहिष्कार करेंगे। हम यह बताते हैं कि यह हमारी भावना है और हमें विश्वास है कि गृह मंत्री जी सदन की भावनाओं का आदर करेंगे और यह घोषणा करेंगे कि उनको निलम्बित किया जाए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सुबह उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का जो इस सदन में आचरण था, उससे लगता था कि शाम के समय जब उनका बयान होगा तो वह बयान काफी सार्थक होगा लेकिन इस बीच में जानकारी करने के बाद उन्होंने सदन को जो जानकारी दी, बयान दिया, उससे हमें काफी निराशा हुई। श्री विजय गोयल तकनीकी कारणों से लोक सभा को चलाना चाहते हैं। आप प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। आपका काम को-आर्डिनेशन का है, सम्पर्क करने का हैं महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि इत्तला रामजी लाल सुमन ने दी या देवेन्द्र यादव ने दी। बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लोग आए थे, उनकी समस्याओं के बारे में आपको जानकारी थी। देवेन्द्र यादव जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनका लिखित प्रार्थना-पत्र आपके पास था। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हाथ में दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : हाथ में दिया था। इस मामले को तकनीकी कारणों की बात में मत ले जाइए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहने के कारण भी आपको अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए था, ...*(व्यवधान)* महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि जानकारी आपको किस से मिली ? जानकारी रामजी लाल सुमन ने दी या देवेन्द्र यादव ने दी। जंतर-मंतर पर जो किसानों का प्रदर्शन होने वाला था, किसानों की परेशानी थी कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो, उस सिलसिले में आपको जानकारी थी और प्रधान मंत्री जी से बात कराकर उस समस्या का हल निकालने के लिए आपको अपने स्तर से जो प्रयास करना चाहिए था, उसमें आपने कंजूसी बरती।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि अब तक जो बहस हुई है, उसका सार यही है कि यह बात तय होनी है कि जैसे कि गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस आयुक्त, गृह सचिव और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाकर बात की और उसी जानकारी के आधार पर सदन में बयान दिया है। यहां यह तय होना है कि देवेन्द्र यादव का कथन सत्य है या उन आला अफसरों का जिनसे इन्होंने जानकारी हासिल की है, उनकी बात सत्य है। इतनी सी बात तय होनी है। सुबह से देवेन्द्र यादव जी इस हाउस को अपनी व्यथा बता रहे हैं। इस हाउस की प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, विजय गोयल जी, आज आप लोग सरकार में हैं। आप कभी प्रतिपक्ष में भी रहे हैं। जयप्रकाश जी के आंदोलन में हम सब लोगों ने साथ-साथ काम किया है। अगर गलत परम्पराएं पड़ेगी तो राजनीति करने वालों के लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। असल और बुनियादी सवाल यही है। आज आप सरकार में बैठे हुए हैं। कल इधर बैठना पड़ेगा और फिर यही व्यवहार जब आपके साथ होगा तो मैं समझता हूं कि आप उन सब चीजों को नहीं समझ सकते कि क्या स्थिति बन सकती है। मेरा कहना यह है, जैसा कि प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा, मनोज लाल के बारे में बार-बार देवेन्द्र यादव कहते हैं और मैं समझता हूं कि जब तक इसमें आपकी तरफ से सार्थक कार्यवाही नहीं होगी जिससे उस अधिकारी के दिमाग पर इतना मनोवैज्ञानिक असर हो कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप सख्त कार्रवाई करें।

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को आप टाइम्स बाउन्ड कर दीजिए कि इस सदन के अन्दर पांच दिन, सात दिन या दस दिन में कमेटी अपनी सिफारिशें आपको दे

दे। किसानों के सवाल पर गृह मंत्री जी का जो कुछ भी व्यवहार है और सरकार का भी किसानों के सवाल पर जो कुछ भी व्यवहार है, मैं समझता हूं कि उसको किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। आपसे संरक्षण की आवश्यकता है। आपसे मदद की आवश्यकता है। अगर संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा और गरिमा और रक्षा आप नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। मुझे यही निवेदन करना है। *(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से नियम के अंतर्गत उठा रहे हैं ?

श्री धर्म राज सिंह पटेल : आप कृपया सुन लें। श्री विजय कुमार गोयल जी ने अभी सदन में कहा है – सदन की कार्यवाही में आ गया है – कि हमको कोई भी पत्र देवेन्द्र यादव जी ने नहीं दिया है। लेनिक अभी उन्होंने एक्सैप्ट किया है कि पत्र मिला है। मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा, अगर उनको पत्र नहीं मिला है, जैसा उन्होंने पहले कहा, तो उन्होंने इस सदन को गुमराह किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को ज्यादा महत्व न दें, दूसरा विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, कल जीरो आवर में श्री रघुनाथ झा और हमने इस सदन में सवाल उठाया था कि किसानों का प्रदर्शन हो रहा है – बाढ़ और सुखाड़ की समस्या के बारे में। हम लोग जब वहां पर पहुंचे, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि सब लोगों को पीठ और पैर पर चोटें लगी हुई थीं तथा वे वहां पड़े हुए थे। पानी का फव्वारा और आंसू गैस भी चला था। वहां हजारों लोग थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सदन में आकर श्री रघुनाथ झा और हमने अपने भाषण में सवाल उठाया था। लेकिन आज जीरो आवर में 24 घन्टे के बाद गृह मंत्री जी को अवगत नहीं था कि क्या कैसे हुआ है, तब तक कोई रिपोर्ट या जांच-पड़ताल उन्होंने नहीं की। दिल्ली के अन्दर, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली की छाती पर यहां जंतर-मंतर में यह घटना हुई और गृह मंत्री जी को 24 घंटे में कोई जामकारी नहीं थी। ऐसा उनके बयान से लगा। इसके अलावा उन्होंने उसी समय कहा कि कोई पर्ची मिली है कि लाठी नहीं चली। ऐसा अन्धेर, ऐसा जुल्म, ऐसा असत्य और कन्फ्यूजन वाले बयान की गृह मंत्री जी से अपेक्षा नहीं की जाती है। अस्पताल में लोग भरती हैं। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। माननीय सदस्य के हाथ में पट्टी बन्धी हुई है। श्री हिन्द केसरी यादव जी बहोश हुए हैं। सदन में गलत बयानी हो, आफिसरों को बचाने का प्रयास हो, यह बर्दाश्त की चीज नहीं है। आज जो इन्होंने बयान दिया है कि आला आफिसरों से पूछकर, उनकी बात बोल रहे हैं। सदन में चर्चा चल रही है और इतने जिम्मेदार लोग तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं है और आला आफिसरों के बयान को बोल रहे हैं। वह बयान यहां कह रहे हैं। हम लोग पत्र मंत्री हो हाथ में दे देते हैं, बाई पोस्ट भेज देते हैं या कर्मचारी की मारफत भेज देते हैं, लेकिन रिसीविंग साइन नहीं लेते हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि हाथ में हमने दिया है *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : वे माननीय सदस्य हैं, तो मैं भी माननीय सदस्य हूं। आप मेरी बात भी सुनिए। *(व्यवधान)* अभी तक श्री रामजीलाल सुमन कहते थे कि उन्होंने दिया है। अब कहते हैं कि उन्होंने नहीं दिया है, देवेन्द्र यादव जी ने दिया है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : प्रोसीडिंग्स दिखाइए। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : प्रोसीडिंग में है – "हमने प्रधान मंत्री जी के प्रभारी मंत्री जी को हाथ से लिखकर यह सूचना दी कि आप शिष्ट मंडल से मिलने के लिए, जो बिहार से किसान आ रहे हैं इतनी संख्या में, बाढ़ सुखाड़ के स्थाई समाधान के लिए, समय दें। जितने भी आप आदमी चाहेंगे, उतने ही शिष्ट मंडल में मिलेंगे। माननीय विजय गोयल के हाथ में मैंने तीन तारीख को लिखकर दस्तखत करा लिया था।" लाइए, दस्तखत दिखाइए ? *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : इसका क्या मतलब है ? *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : इसका मतलब यह है कि आप तिल का ताड़ बना रहे हैं। हम चुप बैठे हैं। आपने कह दिया कि पत्र दे दिया, हम उसे भी मान लें। *(व्यवधान)* मुद्दे पर आपकी हमारी सहमति नहीं है *(व्यवधान)* हमने पचास साल लाठियां खाई हैं। आपने तो अभी खाई होंगी। हम तो पचास साल से खा रहे थे। मैंने सिर्फ इतना स्पष्टीकरण दिया है कि मुझे यह जानकारी में नहीं लाया गया है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा को इस बात की जानकारी नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि हमने अपने हाथ से विजय गोयल जी को दिया और यह कह रहे हैं कि हमें नहीं दिया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री और राज्य मंत्री के बयान से सदन इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि इनके राज

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

में, इस सदन और सदस्य की गरिमा नहीं बचने वाली है। इस सरकार पर हम लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन आसन पर भरोसा है।

सदन के सदस्य की गरिमा की रक्षा की जाए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। इस सरकार के गृह मंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, अगर इस तरह के गृह मंत्री हों और इस तरह के प्रधानमंत्री जी के राज्य मंत्री हों। महोदय, इसलिए मेरी आपसे पुन: प्रार्थना है कि आप सदन के सदस्यों की और सदन की गरिमा की रक्षा करें, यही हमारी आपसे गुहार है।

[अनुवाद]

श्री एच०डी० देवगौडा (कनकपुरा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा कही गयी बातों में कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में माननीय उप प्रधान मंत्री और इस सभा को समझाने का प्रयास किया है। इसमें और कुछ नहीं जोड़ना है।

माननीय उप प्रधान मंत्री ने घटना के बारे में उप राज्यपाल, पुलिस आयुक्त और गृह सचिव से पूछताछ की है जबकि ये तीनों ही घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। महोदय, आपने भी विभिन्न पदों पर, जैसे राज्य के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्री के रूप में भी, कार्य किया है। आपको पता है कि पुलिस तंत्र किस प्रकार से अपने दुष्कर्मों को छिपाने की कोशिश करता है।

मेरा प्रश्न यह है। एक व्यक्ति जो माननीय सदस्य के घर में ठहरा हुआ था उसे पुलिस हिरासत में क्यों लिया गया और उसे थप्पड़ क्यों मारा गया तथा उसे एक ऐसे बयान पर दस्तखत करने के लिए मजबूर क्यों किया गया जिसका उद्देश्य उनके द्वारा शांत आंदोलनकारियों के साथ की गई जोर-जबर्दस्ती व अत्याचार पर परदा डालना था? यदि मैं वहा उपस्थित नहीं होता तो मैं किसी अधिकारी को निलंबित करने की वकालत नहीं करता। संसद सदस्य कानून से ऊपर नहीं है। यदि हमने कोई गलती की है तो हमें अपनी गलती अवश्य स्वीकार करनी चाहिए तथा हम पर वही कानून लगाया जाना चाहिए जो ऐसा अपराध करने पर किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है।

मैं आपको ईमानदारीपूर्वक बताता हूं कि यदि माननीय सदस्य, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होते तो स्थितियां अनियंत्रित हो जातीं। मैं माननीय उप प्रधान मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने इकट्ठी भीड़ को हाथ जोड़कर शांत कराने की पुरजोर कोशिश की थी क्योंकि भीड़ पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध इतने आक्रोश में थी कि उन्हें चिल्लाना पड़ रहा था। मैं इसका साक्षी था। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि माननीय सदस्य सत्तापक्ष के हैं अथवा विपक्ष के। हमें इस मुद्दे को राजनीतिक गठबंधनों के आधार पर नहीं देखना चाहिए। यह मामला इस सदन के सदस्यों की गरिमा से जुड़ा हुआ है। यदि हमने इस प्रकार की कोई गलती की है तो हम पर कानून लागू किया जाना चाहिए।

आपने जिन तीन उच्च पदाधिकारियों के पूछताछ करने की कोशिश की है वे वहां उपस्थित नहीं थे। परन्तु उन्होंने इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के कुकृत्यों एवं अत्याचारों को छुपाने की कोशिश की है। मैं इसका साक्षी था। अन्यथा, मैंने यह मुद्दा नहीं उठाया होता और न ही मैं आग में घी डालने का प्रयास कर रहा हूं। यह मेरी चिन्ता नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि यह सरकार अस्थिर हो।

मैं आपसे सिर्फ यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप उन अधिकारियों को बचाने का प्रयत्न न करें। यदि स्वयं उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री अपनी प्राथमिक जांच के पश्चात् यह कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि संबंधित अधिकारियों ने कोई गलती की है तो सभा की सर्वसम्मति से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति निष्पक्ष निर्णय पर कैसे पहुंच सकती है?

क्या यह समिति गृह सचिव को बुला सकती है? क्या यह समिति पुलिस आयुक्त को बुला सकती है? अथवा क्या यह समिति अपने समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मुझे बुला सकती है? जब मैंने इस सभा में अपना साक्ष्य दे दिया है तो क्या यह उप प्रधान मंत्री जी के लिए पर्याप्त नहीं है? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। यदि माननीय उप प्रधान मंत्री वैसे लोगों के साक्ष्य को बाइबिल के समान सत्य मानने जा रहे हैं जो घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे तब हम यहां किसलिए हैं? हमें इस मुद्दे को सभा में उठाने की क्या जरूरत है? भगवान के लिए, आप अधिकारियों को बचाने की कोशिश न करें। हम सभी आपके नेतृत्व में जेल गए थे। मुझे इस बात को ईमानदारीपूर्वक स्वीकार करने दें। यह इस सभा के साथ-साथ माननीय सदस्य की गरिमा और सम्मान का सवाल है। मैं प्रत्यक्षदर्शी था। मैं किसी भी पक्ष की बातों में नहीं आना चाहता। मैं आपसे ईमानदारीपूर्वक कहता हूं कि उन्होंने सारी परेशानियां झेलते हुए भीड़ को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की। आपको इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। खून बाहर निकल रहा था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। आप और क्या चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि मैं समिति के सामने अपना साक्ष्य दूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं समिति के समक्ष क्यों जाऊं? मैंने इस सभा में आने से पहले संविधान के तहत शपथ ली है और यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता है तो आखिर आप किनकी बातों पर विश्वास करेंगे? क्या आप उप राज्यपाल, पुलिस आयुक्त और गृह सचिव की बातों पर विश्वास करेंगे जो कि घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे?

महोदय, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति और उप प्रधान मंत्री हैं। आप कृपया किसी भी अधिकारी को बचाने की कोशिश न करें चाहे वह ओहदे में कितना भी बड़ा क्यों न हो। आप किसी भी अधिकारी

को बचाने की कोशिश न करें। आप इस सम्माननीय सभा की गरिमा तथा इसके माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अधिकारियों को न बक्शें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमने अब तक इस मुद्दे पर एक घंटा चर्चा कर ली है। यहां तक कि सभा के आरंभ होने के समय भी हमने इस पर काफी लम्बे समय तक चर्चा की थी।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा और सम्मान की निश्चित रूप से रक्षा की जाएगी और उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। समिति गठित की गयी है तथा यह अनुरोध किया गया है कि समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। मैं यह घोषणा करता हूं कि समिति निश्चित रूप से अपना प्रतिवेदन इस सभा में अगले पन्द्रह दिनों में अथवा इस सत्र के समाप्त होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : सर, इसी हफ्ते यह रिपोर्ट आनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समिति इसी बीच में अंतरिम रिपोर्ट दे सकती है। माननीय गृह मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि यदि अगले 24 घंटे के दौरान अंतरिम रिपोर्ट आ जाती है तो वह अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समिति तुरंत कार्य करना प्रारंभ करे, अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे तथा यदि वे किसी विशेष अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए उसके निलंबन की सिफारिश करते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी तत्काल तत्संबंधी कार्रवाई करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष के उत्तरदायित्व को समझता हूं और अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह इस मामले को काफी गंभीरता से ले। सर्वाधिक अच्छी प्रक्रिया तो यह होती कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया होता। श्री डी०पी० यादव ने श्री कौशिक का दृष्टांत उद्धृत किया था जिसे मैंने पढ़ा है। विशेषाधिकार समिति का निर्णय और अधिक प्रभावी हुआ होता। परन्तु अब चूंकि समिति गठित की जा चुकी है, मैं समिति से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बैठक शीघ्र करें तथा इस मामले में कार्रवाई करें।

यदि अब गृह मंत्री कुछ और कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा, सभा कल पूर्वाहन ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 दिसम्बर, 2002/20 अग्रहायण 1924 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/29/15/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रक
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।